

राजकमल वर्ष-बोध

सम्पादक : श्री प्रकाश

ॐ

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

राजकमल पठिलकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।

सुद्रक : गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली ।

मूल्य पांच रुपये
पुस्तकालय संस्करण छः रुपये

“सारी दुनिया के इतिहास में केवल एक यही क्रांति है जो बिना खून बहाए हुई है ; और इसके लिए हम कृतज्ञ हैं एक ही पुरुष के—एक छोटे-से पुरुष के—जो आज के दिन, यह दिन जो उसीने दिखाया है, हिन्दुस्तान के दूरस्थ छोटे-से कोने में बैठकर उन लोगों के आंसू पोछ रहा है जो अपने को आज हमसे बिल्डा समझते हैं । महात्मा गांधी, अहिंसा का हमारा देवता, हमारी विजय का सेनानी, उसने तुराह को जीतने की हमें नई राह सुझाई है । उसकी पताका पर अहिंसा के सिवाय कोई दूसरा चिह्न नहीं था । उसकी सेनाओं के पास आत्म-बलिदान और तपस्या के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रस्त्र नहीं था ।

“हमने विश्वास और आशा और परमार्थ की उस लय पर कूच किया जो उन अनधिकारियों के सब अपराधों को, जिन्होंने कि चिरकाल से हमारे देश को नष्ट-अष्ट किया है, चमा कर देती है । हमने उसी एक का धन्यवाद करना है—उस अपने नेता का, जिसका जीवन अपने देश की जनता के प्रेम में सटैव अर्पित है, जिसका जीवन अनित्य-अमर हो चुका है, जिसने कि अपने प्रेम, सत्य और अहिंसा के सन्देश में सभ्यता की एक नई नींव रखी है जिस पर आने वाले समय में संसार-मात्र आश्रित रहा करेगा ।”

१५ अगस्त, ४७

—सरोजिनी नायडू

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण सन्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जनपदों को :

न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

स्वतंत्रता—विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और उपासना की;

समता—प्रस्थिति की और अवसर की; प्राप्त कराने, तथा उन सब में,

बंधुता—जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो,

वर्धन करने, के हेतु, कृतदङ्डसंकल्प, अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख.....मई ?६४८ ई., को इसके द्वारा इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अधिनियम (ऐकट) का रूप देते हैं, और अपने आपको अर्पण करते हैं।

सम्पादक के दो शब्द

स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद हिन्दुस्तानने तरक्की की जिस दिशा की ओर बढ़ना है, उसके लिए आवश्यक है कि देश की जनता अपने देश की समस्याओं से और सम्पूर्ण भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, मामाजिक विवरण से परिचित हो। अपने देश से एक जीवित सामीक्षा की भावना, इसकी उन्नति के लिए उत्ताप्तापन, इसी परिचय के बाद सम्भव है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 'राजकमल वर्ष-बोध' का सम्पादन किया गया है।

प्रथम किया गया है कि वर्ष-बोध में देश के सभी प्रश्नों पर प्रकाश ढाला जाय। लेकिन फिर भी कई प्रश्न छूट गए हैं। इन प्रश्नों पर अंग्रेजी भाषा के पुराने प्रकाशनों की सहायता से कुछ लिखा तो जा सकता था लेकिन सम्पादक की इच्छा रही है कि इस वर्ष-बोध में जो भी कुछ छपे वह अधिकृत स्रोतों से ही लिया जाय। केवल एक-दो अध्यायों को छोड़कर (हिन्दुस्तान व पाकिस्तान, वैधानिक व दैनिक इतिहास) सभी वृत्त प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार के प्रकाशनों के आधार पर लिखे गए हैं। इसलिए जिन विषयों पर वर्तमान काल में छपे अधिकृत प्रकाशन नहीं मिले (बैंक, सहकारी आंदोलन आदि), उन्हें इस वर्ष छोड़ ही दिया गया है।

सम्पादक केन्द्रीय सरकार के उन विभागों का, उन प्रान्तीय सरकारों का व उन सब संस्थाओं का आभारी है जिन्होंने मांगने पर अपने प्रकाशन, रिपोर्ट व विस्तृत समाचार सम्पादक को भेजे। सुझे युक्तप्रान्त की सरकार के मुख्य पालियांमेटरी सेक्रेटरी श्री गोविन्दसहाय के प्रति विशेष कृतज्ञता प्रकाश करना है जिनसे वर्ष-बोध का सम्पादन करने की सुझे मूल ग्रेरणा मिली। भाई वृजलाल भाटिया का भी

मुझे धन्यवाद करना है जिन्होंने कि वर्ष-बोध में छपी ताजिकाओं और आंकड़ों की शुद्धता देखने का भार अपने ऊपर लिया ।

यदि देश के भविष्य के निर्माताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अथवा देश की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक दशा के विद्यार्थियों को इस वर्ष-बोध से कुछ भी सहायता मिली तो सम्पादक अपने धम को सफल समझेगा ।

श्रीनगर

ओमप्रकाश

१ जनवरी, १९४६

विषय-सूची

देश और जनता	१
आजादी की राह पर	६
देश के बंटवारे की योजना	२०
हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा	३७
देशी रियासतें	५२
जूनागढ़	...	६६
हैदराबाद	७२
काश्मीर	७८
रियासती संघों के मंत्रिमंडल	८६
स्वाधीन भारत का पहला वजट	९१
हिन्दुस्तान का स्टर्निङ्ग पावना	९७
महात्मा जी का मजदूरों के प्रति प्रबचन	१०२
उद्योग सम्मेलन	...	१०२
सरकार की आईयोगिक नीति	१०५
ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास	१०६
गरीबी और मंहगाई	...	१३६
देश के उद्योग-धन्धे	१४८
हिन्दुस्तान में खेतीबारी	...	१८७
सिंचाई और विजली की नई योजनाएं	...	२०८
पशुधन	२१६
प्रसुख नगर	२२४
अखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं	२२८
हिन्दुस्तान के बन्दरगाह	२४२

बीमा	...	२४४
रेडियो	२५७
शिक्षा	...	२६२
स्वास्थ्य	...	२७०
विदेशों में हिन्दुस्तानी राजदूत	...	२८५
हिन्दुस्तान में विदेशी गजटूल	२८७
विदेशों में हिन्दुस्तानी व्यापार-दूत	.	२९३
हमारे पड़ोसी	...	२९६
यातायात के साधन	...	३०६
हिन्दू की विदेशिक नीति	...	३२१
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान	३२४
प्रांतीय प्रगति	...	३३३
आमास	...	३३४
उद्दीपा	...	३४१
पश्चिमी वंगाल		३४८
पूर्वी पंजाब	३६२
बम्बई	...	३७०
विहार	३७६
मद्रास	३८४
मध्यप्रान्त और बगार	..	३८४
युक्त प्रान्त	४००
हमारी सेना	...	४११
दैनिक हितिहास	..	४१५

देश और जनता

१५ अगस्त १९४७ को जन्म लेने वाले हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल १२,२०,०६६ वर्गमील था और आवादी (अनुमानित) ३३ करोड़ १७ लाख। जिस अनुपात से आवादी में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से १९४८ में हिन्दुस्तान की जनसंख्या ३३ करोड़ ७० लाख के लगभग होगी।

अविभाजित हिन्दुस्तान की आवादी (१९४१ में) ३८,८६, आवादी ६७,६५५ और इसका क्षेत्र १२,८१,४३० वर्गमील था।

पिछले १० वर्षों से प्रतिवर्ष आवादी में १.५ प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी। १९४१ से इस वृद्धि का हिसाब इस प्रकार है :

वर्ष	संख्या (हजारों में)	वृद्धि का प्रतिशत	कम वृद्धि का कारण
१९४१	२५,०१,२५	
१९४२	२७,६५,४८	८.०	
१९४३	२८,३८,२७	१.४	अकाल
१९४४	३०,२६,६५	६.७	
१९४५	३०,५६,७४	०.३	इनफ्ल्यूएन्जिया
१९४६	३३,८८,००	१०.६	
१९४७	३८,८६,६८	१५.०	

१९७० और १९३० के बीच भिन्न-भिन्न देशों की आवादी की वृद्धि की हिन्दुस्तान की आवादी की वृद्धि से तुलना कीजिए—

अमरीका—१२२ प्रतिशत	इंग्लैंड और वेल्स	—७७ प्रतिशत
रूस — ११५ "	यूरोप (रूस को छोड़कर)	—५६ "
जापान — ११३ "	हिन्दुस्तान	—३०.७ "

१९४६ में दुनिया की आवादी का हिसाब इस प्रकार था	
कुल दुनिया—	लगभग २ अरब २५ करोड़
चीन	४३.३ करोड़
हिन्दुस्तान (पाँकस्तान सहित)	४१.५ „
रूस	१६.२८ „
अमरीका	१४.३ „
जापान	७.६ „
जापान, चीन व हिन्दुस्तान को छोड़कर दूरिया के बाकी देश	२६.७ „
रूस को छोड़कर यूरोप के बाकी देश	२८.२ „
संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर अमरीका के बाकी देश	१६.१ „
अफ्रीका	१७.३ „
आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड आदि	१.२ „
हिन्दुस्तान की आवादी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की स्त्री पुरुष अपेक्षा कम है। स्त्रियों की कमी का अनुमान इस वक्त १ करोड़ ११ लाख के लगभग है। इस कमी का हिसाब इस प्रकार रहा है :	
वर्ष	१००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या
१९०१	६६३
१९११	६४४
१९२१	६४५
१९३१	६४०
१९४१	६३५
प्रति १००० पुरुषों के पीछे प्राप्तों में स्त्रियों की संख्या (१९४१)	
इस प्रकार है :	

मद्रास	१००६	मध्य-प्रान्त	६६४
बम्बई	६२७	आसाम	८६६
बंगाल	८४६	सीमा-प्रान्त	८४०
युक्त-प्रान्त	६०६	उडीसा	१०६६
पंजाब	८४७	सिन्ध	८१८
विहार	६६४	दिल्ली	७१५

१६४१ में हिन्दुस्तान में २७०३ कस्बे और ग्रामीण नागरिक ६,२५,८१२ गाँव थे। २७०३ कस्बोंमें वह सब स्थान आगए हैं जिनकी आबादी ५००० से अधिक थी अथवा जहाँ स्थूनिसिपैलिटियाँ और छावनियाँ बनी थीं। हिन्दुस्तान के इन गाँवों में ८७ प्रतिशत जनता रहती थी, कस्बो में १३ प्रतिशत। कस्बों और गाँवों में रहने वाली जनता का हिसाब १८६१ से इस प्रकार रहा है :

वर्ष	गाँवों में प्रतिशत	कस्बों में प्रतिशत
१६४१	६०.५	६.५
१६०१	६०.१	६.६
१६११	६०.६	६.४
१६२१	८६.८	१०.२
१६३१	८६	११
१६४१	८७	१३

देश में उन शहरों की संख्या, जिनकी आबादी १ लाख से ऊपर है, ४६ है। इन शहरों की कुल आबादी लगभग १ करोड़ ४४ लाख है तथा इनका प्रान्तवार हिसाब यह है: (१६४१ की गणना के अनुसार)

पश्चिमी बंगाल	२	युक्त-प्रान्त	१२
मद्रास	६	मध्य-प्रान्त	२
बम्बई	८	विहार	३
पूर्वी पंजाब	३	रियासतें	१४

अजमेर मारवाड	१	दिल्ली	१
चिदेशों में शहरों में रहने वालों की तुलना हिन्दुस्तान से इस प्रकार रहेगी :			
इंग्लैंड और वेल्स	८० प्रतिशत	फ्रांस	४६ प्रतिशत
अमरीका	५६.२ ,,	हिन्दुस्तान	१२ ,,

हिन्दुस्तान में एक घर्गमील में रहने वाली आवादी का
घनत्व घनत्व १६४१ में २४६ था। १६०१ से इसकी वृद्धि का
हिसाब इस प्रकार रहा है :

१६०१	१७६	१६३१	२१३
१६११	१६१	१६४१	२४६
१६२१	१६३	विभाजित हिन्दुस्तान में २६२	

जीविका के साधन कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की आवादी
का तीन-चौथाई हिस्सा खेती-वारी करके
या खेती-वारी पर आश्रितों पर निर्भर
रहकर रोजी कमाता और पेट पालता है। १६४१ में जीविकोपार्जन के
अलग-अलग साधनों का हिसाब इस प्रकार था :

खेती-वारी	६५.६०	शासन कार्य	२.८६
खनिज उत्पन्नि	०.२४	यातायात	१.६५
कल-कारखाने	१०.३८	विविध	१३.७४
व्यापार	२.८३		

कल-कारखानों की १०.३८ प्रतिशत की संख्या कुछ अमूलक है।
उन लोगों की संख्या जो सुरुंगठित उद्योग-धनधों में लगे थे, 'केवल
१.२ प्रतिशत थी। शेष छोटी-मोटी घरेलू दस्तकारियों में लगे थे।

खेती-वारी पर आश्रित जनता का प्रतिशत अनुपात १६१ से इस
प्रकार रहा है :

देश और जनता

५

१८६९।	६।	१८३।	६७
१८०।	६६	१८४।	६५.६
१८२।	७२		

१८३। में संख्या के ५ प्रतिशत कम हो जानें को सेन्सस कमिशनर हड्डन ने अमरीका बताया क्योंकि उन स्त्रियों ने, जिनका मिर्चाह खेती थर ही था, अपनी गणना घरों की नौकर-चाकरों में करवाई।

१८४। की जनगणना के अनुसार केवल १३.६ प्रतिशत शिक्षा जनता पढ़-लिख सकती थी। इस पढ़ने-लिखने से मतलब गाँव से बाहर खत द्वारा अपना समाचार भेज सकना और उत्तर पढ़ सकना ही है। १८३। और १८२। में इस तरह के पढ़-लिखों का अनुपात ८० प्रतिशत और ७.१ प्रतिशत था।

विदेशों से तुलना करने से मालूम पड़ता है कि हम इस दिशा में कितना पीछे हैं :

अमरीका	६५.६७ प्रतिशत (१८३०)	रूस	६० प्रतिशत (१८३३)
तुर्की	४४.६ प्रतिशत (१८३४)	इटली	७१.२ प्रतिशत (१८२१)
जन्म सरणि	जो देश जितना गरीब होता है, उसमें जन्म वा मरण का अनुपात उतना ही अधिक होता है। जन्म और मरण के हिसाब में शायद हमारा देश ही सर्व प्रथम ठहरेगा। १८४। की जनगणना के समय हिन्दुस्तान में जन्म और मरण को अनुपात १००० लोगों के पीछे क्रमशः ३३ और २२ था।		

इस अनुपात से पिछले पचास वर्षों में कोई बड़ा भेद पड़ा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन दोनों के अनुपात में सम्यता और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के प्रसार के साथ ही फर्क पढ़ सकता है। १८८५ से इस सम्बन्ध का व्योरा देखिए :

वर्ष	जन्म संख्या	मृत्यु संख्या
१८८५-६०	३६	२६
१८६०-०९	३४	३१

१६३६

०.४

०.२

०.१

१६४०

०.३

०.३

०.७

जो मौत से वच जाते हैं
 जन्म लेने वालों में से मर जाने वालों
 की संख्या बदाकर शेष वच जाने वालों
 का अनुपात १६४० से हिन्दुस्तान और
 कुछ दूसरे देशों में इस प्रकार रहा है :

देश	१६४०-०१	१६०१-११	१६२१-२५	१६२६-३०	१६३१-३५
विटेन	११.७	११.८	८.०	६.६	३.३
अमरीका	१०.७	७.६	६.४
जापान	८.६	११.४	१२.८	१४.२	१२.५
जर्मनी	१३.६	१५.६	८.८	६.६	४.६
फ्रान्स	०.६	१.२	२.१	६.४	०.८
हिन्दुस्तान	४.१	४.३	६.७	६.०	१०.२

, १५ अगस्त १६४७ से जो भेद द्विन्दुस्तान की
 रियासती जनता अंग्रेजी और रियासती प्रजा में हुआ करता था,
 वह नहीं रहा । नये विधान के लागू हो जाने पर
 यह भेद विलक्षण नहीं रहेगा ।

हिन्दुस्तान के समस्त चेत्र में ५,८७,८८८ वर्गमील का चेत्र, जो कि
 हिन्दुस्तान के चेत्र का ४८ प्रतिशत भाग है, रियासती प्रदेश है । इस
 रियासती प्रदेश की आवादी ८,८८,०८,४३४ है जोकि हिन्दुस्तान की
 कुल आवादी का २७ प्रतिशत हिस्सा है ।

कहने को कहा जाता है कि भारत में २८२ भाषाएँ हैं ।
 भाषाएँ लेकिन यह भाषाएँ नहीं हैं, कुछ सुख्य भाषाओं का स्था-
 नान्तर पर अपभ्रंश हैं । हिन्दुस्तान की सुख्य भाषाएँ
 और वह प्रदेश जहाँ उनका प्रयोग होता है, इस प्रकार हैं :

१. काश्मीरी काश्मीर ।

१. पंजाबी	पूर्वी पंजाब का पश्चिमी भाग, उत्तरी प्रदेश के पहाड़ी इलाके।
२. हिन्दी	राजपूताना, संयुक्त-प्रांत, पूर्वी पंजाब का पूर्वी हिस्सा, मध्य-प्रांत, बिहार।
३. डिहिया	उडीसा।
४. गुजराती	सौराष्ट्र, बर्बर्दी।
५. मराठी	बर्बर्दी, मध्य-प्रांत।
६. बंगाली	पश्चिमी बंगाल।
७. आसामी	आसाम।
८. तेलगृ	हैदराबाद, मद्रास, मैसूर।
९०. कन्नाडी	मद्रास, हैदराबाद, मैसूर।
११. तामिल	मद्रास, त्रावंकोर।
१२. मेलयालम	त्रावंकोर, कोचीन, मद्रास।

आजादी की राह पर

१४ अगस्त १९४७ को आजादी का दरवाजा खुल गया। उस दिन हिन्दुस्तान का अपनी नियति से मिलन हुआ और जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा—“रात के अंधियारे में जबकि सारी दुनिया सो रही थी हिन्दुस्तान नए जीवन और स्वतन्त्रता के भ्रातात में जाग उठा।”

१५ अगस्त १९४७ के दिन को लाने वाले स्वातन्त्र्य-संघ्राम की कहानी लम्बी है और बीसवीं सदी के इतिहास के पन्ने-पन्ने पर लिखी है। गांधीजी के भारतीय रंगमंच पर आने से पहले कांग्रेस भी थी और क्रान्तिकारी भी थे। कांग्रेस कुछ इने-गिने धनी-मानी शहरियों की जमात थी जो साल में एक बार मिलते, जलसे होते, सामाजिक मेल-मिलाप की

धूम रहती, प्रस्ताव पास होते, और सरकार को नज़र और नपुंसक प्रार्थनाएँ भेज दी जातीं। उन दिनों आजादी की पुकार हिन्दुस्तान के प्राणों को छू भी न सकी थी। क्रान्तिकारियों का वैयक्तिक रोष और हिंसात्मक प्रदर्शन साम्राज्य पर कोई चोट न कर पाता था। ऐसे राजनीतिक बातावरण में गांधीजी दक्षिणी अफ्रीकामें २२ वर्षके लम्बे प्रवास और सफल संघर्ष के बाद हिन्दुस्तान लौटे।

असहयोग, अहिंसक प्रतिकार और सत्याग्रह का अस्त्र उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में गढ़ा था।

हिन्दुस्तान की प्रथम युद्ध के बाद की राजनीति गांधीजी की राजनीति है। गांधीजी ने लोगों को आजादी का मतलब समझाना शुरू किया। आजादी के लिए वेचैनी हिन्दुस्तान के शहरों की सीमाएँ छोड़ कर ग्रामों की कच्ची दीवारों तक फलने लगी। हिन्दुस्तान की आजादी के युद्ध का मोर्चा बड़ा होने लगा।

पच्चीस वर्ष सं अधिक हिन्दुस्तान में अहिंसात्मक स्वातन्त्र्य-संग्राम जारी रहा। निहत्यी जनता विदेशियों द्वारा बनाए हुए कानून तोड़ती और परिणाम में यातनाएँ सुगतती। इस तपत्या में हिन्दुस्तानकी आत्माओं उत्तरोत्तर बल प्राप्त होता गया। गांधीजी की राह आत्म-विजिदान की राह थी। इस राह पर चलकर मिट्टीके ढेलों में भी प्राण फूँक जाते थे। धीरे-धीरे शत्रु, अंग्रेजी साम्राज्य का क्रिला ढहने लगा और द्वितीय महायुद्ध के दाँरान में १९४२ का बधां आया।

जर्मन फासिज़म के विरुद्ध लड़ाई छिड़े तीन द्वितीय महायुद्ध वर्ष बीत चुके थे। पराधीन भारत इस लड़ाई को फासिज़म और तानाशाही के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई नहीं समझता था—क्योंकि वह खुद दासता की बेड़ियों में जकड़ा था। यह लड़ाई तो हुनिया की छीनाम्पटी में साम्राज्यबाद और तानाशाहीकी टक्कर थी। यदि हिन्दुस्तान आजाद हो जाता तभी—केवल तभी ही—इस लड़ाई का चित्र बदल सकता था। इसके बावजूद

कठिनाइयो में घिरे अंग्रेज को हिन्दुस्तान में बगावत फैलाकर गांधीजी परेशान नहीं करना चाहते थे ।

चर्चिल की हक्कमत ने इन दिनों एक राजनीतिक क्रिप्स योजना योजना पेश करनेके लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्सको हिन्दुस्तान भेजा । योजना मुख्यतया युद्धोन्तर समय से सम्बन्ध रखती थी, वर्तमान दासता में सुभीता लाने का इसमें कोईविचार न था । तुरन्त ही दासता की वेहियाँ काट देने को वेचैन देश ने इस योजना को डुकरा दिया ।

गांधीजी की प्रतिक्रिया अगस्त १९४२ तक सब्र का प्याला लब्रा- लब भर गया । पिछले कुछ दिनों से गांधीजी का रुख कड़ा होता जारहा था ।

देशमें फैले अनाचार, अमानवता वा स्वार्थ के लंगे नाचसे उनका दम छुट रहा था । वह जानते थे कि तुराई की जड़ इस और विदेशी शासक की निर्मम उपेक्षा है । गांधीजी साथी देशों को हिन्दुस्तान का नैतिक समर्थन देना चाहते थे, उसके लिए एक शर्त थी—हिन्दुस्तान को आजाद कर दिया जाय । लेकिन जब हिन्दुस्तान की लाश को नीचे खसोट कर ही विदेशी उत्पीड़कोंसे लाभ छुट जाता था तो हिन्दुस्तानके प्राणों की क्या परवाह थी ।

कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, अंग्रेज हिन्दुस्तान म् अगस्त १९४२ छोड़कर चले जायें । उन्हें निकालने के संग्राम में गांधी सेनानी बने । लेकिन इससे पहले कि इस संग्राम के मरें सम्हाले जायें और इसके संचालन के सम्बन्ध पर बहस हो, एक बार वाइसराय उन्हें मिलने और समझने और समझाने का मौका दे ।

जिन दिनों यह प्रस्ताव पास हुआ उन दिनों हिन्दुस्तान के विदेशी शत्रु नम्बर एक—चर्चिल—की हक्कमत इंग्लैण्ड में थी । हिन्दुस्तान में लिनलियगो वाइसराय थे । कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव के स्वीकार किए

इंगलैंड में चर्चिल मदमत होकर हिन्दुस्तान २७ जुलाई १९४५ की ओर अपनी विनाशकारी नीति को चलाए जा रहा था। इंगलैंड को उसके नेतृत्व में जर्मनी पर विजय मिली थी। उसे निश्चय था कि इस वक्त इंगलैंड में चुनाव कर लेने का मतलब है उसकी और उसकी पार्टी की निश्चित विजय। सो वहाँ आम चुनाव हुए।

अनुदार दल ऑंधे सुँह गिरा। जिस पार्टी को गर्व था कि इंगलैंड को उसने पराजय से बचाया, वहाँ की जनता ने शान्ति-काल की समस्या-ओं को सुलझाने के लिए उसे अपर्याप्त समझ कर देश के नेतृत्व से हटा दिया। २७ जुलाई १९४५ को मजदूर-दल ने शापन-सूत्र संभाला। यह दिन हिन्दुस्तान के भविष्य के लिए शुभ दिन था। चर्चिल रहता तो हिन्दुस्तान में बरसों गुलामी रहती। उसकी अनुदार नीति देश को बेहद चाति पहुँचाती।

मजदूर-दल द्वारा सत्ता हथिया लेने पर पार्लिमेंटरी डेलीगेशन हिन्दुस्तान की राजनीति में कुछ आशा उत्पन्न हो रही थी। जनवरी-फरवरी १९४६ में हाउस ऑफ कामन्स के एक शिष्टमण्डल ने हिन्दुस्तान का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को पेश की।

१५ मार्च १९४६ को प्रधान मन्त्री मिस्टर एटली कैबिनेट मिशन ने भाषण करते हुए कहा कि हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यदि हिन्दुस्तान साम्राज्य से पृथक् होना चाहेगा तो उसे यह अधिकार भी प्राप्त होगा। अल्पसंख्यकोंको धृष्टतापर पहली चोट उन्होंने अपने इस भाषण में की। उन्होंने कहा कि “हम किसी अल्प-संख्यक जाति को बहुसंख्या की उन्नति में बाधा बननेकी इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की ओर से तीन मन्त्रियों का एक कैबिनेट मिशन हिन्दुस्तान जारहा है और वह वहाँ रहकर हिन्दुस्तान

की राजनैतिक गुर्त्थी को स्वतन्त्रता तक देकर सुलझाने की कोशिश करेगा।

यह कैविनट मिशन २३ मार्च से जून १९४६ तक, लगभग साढ़े तीन महीने हिन्दुस्तान में रहा। हिन्दुस्तान के हर राजनैतिक हित में इन्होंने वातचीत की। इन्होंने अपने प्रयासोंका फल १६ मई की योजना में घोषित किया।

कैविनट मिशन के सदस्यों के नाम यह थे : लार्ड पेथिक लारेन्स, भारत मंत्री, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री; मिस्टर ए० वी० ऐलेक्जैंडर, नौशक्ति मंत्री।

मिशन के सुझाव मिशन ने हिन्दुस्तान के विभाजन के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। केन्द्र में एक सघ बनाने का उन्होंने प्रस्ताव रखा जिसके अधिकार रचा, वैदेशिक सम्बन्ध और यातायात के विषयों पर रहेंगे। रियासतों और सब प्रांतों के प्रतिनिधि इस संघ में शामिल होंगे। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त सभी अधिकार प्रान्तों व रियासतों के पास रहेंगे। कुछ प्रान्त मिल कर साँझे समूह भी बना सकेंगे और यह निश्चय करने में अधिकृत होंगे कि किन-किन अधिकारों को यह साँझे तौर पर बरतेंगे।

हिन्दुस्तान का नया विधान बनाने के लिए एक विधान-परिषद बनेगा, जिसमें विभिन्न प्रांत निम्न तालिका के अनुसार अपनी धारासभाओं से प्रतिनिधि भेजेंगे।

समूह १

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	योग
मद्रास	४५	४	४९
बम्बई	१६	२	२१
संयुक्त प्रांत	४७	८	५५
विहार	३१	२	३३

मध्य-प्रान्त	१६	१	१७
उडीसा	६	०	६
	<hr/> १६७	<hr/> २०	<hr/> १८७

समूह २

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिख	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
सीमाप्रान्त	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
	<hr/> ९	<hr/> २२	<hr/> ४	<hr/> ३५

समूह ३

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	योग
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
	<hr/> ३४	<hr/> ३६	<hr/> ७०

इस तरह सारे अंग्रेजी भारत से २६२ और सब रियासतों से ६३ प्रतिनिधि चुने जायंगे।

जब कभी विधान-परिषद् में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश होगा—इस बात का निर्णय प्रधान कीरेगे कि कौनसा प्रस्ताव महत्वपूर्ण है—तो परिषद् में उपस्थित सदस्योंको हिन्दू और मुसलमानों में बंटकर अलग-अलग राय देने का भी अधिकार है। किसी एक भाग द्वारा इह किया हुआ प्रस्ताव रह समझा जायगा।

जिस समूह में किसी प्रान्त को रखा गया है, वैधानिक परिवर्तनों के बाद उस समूह से निकल जाने का उस प्रान्त को अधिकार होगा।

विधान परिषद् द्वारा बनाया गया विधान इङ्गलैंड को स्वीकार होगा। विधान बन जाने के बाद इङ्गलैंड राज्यसत्ता हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार को सौंप देगा।

इस योजना को एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया।

६ जून १९४६ को मुस्लिम लीग ने केबिनट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।

कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से पहले प्रस्तावित अन्तःकालीन सरकार के निर्माण-हंग को समझ लेना चाहा । वाइसराय की तरफ से पहले लीग और कांग्रेस के ५-५ प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव हुआ जिसे कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया । इसके बाद कांग्रेस ६, लीग ५ और सिख, पारसी, इसाईयों के १-१ प्रतिनिधि लेने का प्रस्ताव हुआ । इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने रद्द कर दिया । सरकार कांग्रेस का कोई मुसलमान प्रतिनिधि लेने को तैयार नहीं थी ।

२५ जून, १९४६ को मुस्लिम लीग ने इस अन्तःकालीन सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया । कांग्रेस ने मिशन योजना से सह-योग तो मान लिया लेकिन सरकार में आना नहीं माना ।

इस दशा में अन्तःकालीन सरकार की जगह २६ जून को “केयर-टेकर गवर्नर्मेंट” बनाई गई ।

मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसे अपमान समझा । ३१ जुलाई का आल इंडिया मुस्लिम लीग के बम्बई के अधिवेशन ने केबिनट मिशन योजना को समूचा रह कर दिया और पाकिस्तान की मांग को दोहराया । लीग के इस अधिवेशन ने अपनी मागे मनवाने के लिए “डायरेक्ट-एक्शन” की धमकी दी ।

अगस्त के पहले हफ्ते में वाइसराय ने कांग्रेस को केन्द्र में सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया । १० अगस्त का कांग्रेस कार्यकारिणी ने मिशन योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव पास किया ।

अन्तःकालीन सरकार २ लितम्बर को केन्द्र में कांग्रेस द्वारा अन्तःकालीन सरकार बनाई गई ।

आम चुनाव देश में चुनाव हुए । चुनावों ने यह बात स्पष्ट कर दी कि लीगको मुसलमानोंका बहुमत प्राप्त है । हिन्दुओं का ६१.३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने प्राप्त

किया। सभी प्रांतों में कांग्रेस और सुस्लिम लीग के नुसायन्दे ही जीते। सरकार में अक्टूबर ४६ के तीसरे सप्ताह में सुस्लिम लीग के सुस्लिम लीग प्रतिनिधि अन्तःकालीन सरकार में शामिल हुए। बाद में यह भेद खुला कि वह नूठे मौखिक बायदे करके सरकार में छुप आए थे। उन्होंने कह दिया था कि वह विधान-परिषद में भाग लेंगे लेकिन कहीं लिखित बायदा नहीं किया था। लाईंड वेवल ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यही बताया कि सुस्लिम लीग विधान परिषद में भाग लेने का निश्चय उन तक पहुँचा चुकी है।

विधान-परिषद के विनट-मिशन की योजना के अनुसार प्रांतीय धरान-सभाओं ने विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी कर लिया। इस परिषद ने ६ दिसम्बर १९४६ को अपना कार्य श्री सच्चिदानन्द सिन्हा के अस्थायी प्रधानत्व में शुरू किया। डा० राजेन्द्रप्रसाद स्थायी प्रधान चुने गए। सदस्यों ने भारत के प्रति भक्ति की शपथ ली।

सुस्लिम लीग के प्रतिनिधि विधान-परिषद में शामिल नहीं हुए।

कांग्रेस ने इस स्थिति का विरोध किया। उनकी मांग थी कि यदि लीग विधान-परिषद में सहयोग नहीं देती तो अन्तःकालीन सरकार में टिके रहने का भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है। विरोध में तथा, विदिश सरकार ने इस पर विचार किया।

मिस्टर एटली ने २० फरवरी को हाउस आफ माडंटवेटन आए कामन्स में महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां अच्छी तरह यह नई समझ जातीं कि हिंदुस्तान को आजाद करने का हमारा इरादा पक्का है तब तक उनके दृष्टिकोण और राजनीति में वास्तविकता की पुट कम रहेगी। इन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने की घोषणा से फिरेगा नहीं। प्रधान मंत्री ने कहा कि हर हालत में

अंग्रेज जून १९४८ तक राजनीतिक सत्ता हिन्दुस्तान की भावी सरकार को सौंप कर चले जायंगे ।

इसी घोषणा में हिन्दुस्तान से अंग्रेजी सत्ता के जून ४८ तक लोप हो जाने के प्रबंधों को एक नए वाइसराय की अध्यक्षता में सम्पूर्ण करने की इच्छा से उन्होंने कहा कि लार्ड हुई माउंटवेटन को हिन्दुस्तान का वाइसराय बनाया गया है । लार्ड वेल को अपनी वाइसरायेल्टी की अधिकारी के खत्म होने से पहले ही वापिस बुला लिया गया ।

२२ मार्च को नए वाइसराय हिन्दुस्तान पहुँचे और २४ मार्च को उन्होंने अपने ओहदे की शपथ ली । ओहदा संभालने के बहुत उन्होंने एक भाषण में कहा—“प्रपना कर्तव्य निभाने में मेरे सामने जो कठिनाइयां पेश होगी मुझे उनका अन्दाज़ा है । अधिक-से-अधिक लोगों की अधिक-से-अधिक शुभ कामनाओं की मुझे जखरत होगी और आज मैं हिन्दुस्तान से उस शुभ कामना का इच्छुक हूँ ।”

लार्ड माउंटवेटन ने अपना पद संभालते ही भारत की राजनीति से परिचय पाने का यत्न शुरू किया । एक सप्ताह बाद ३१ मार्च को उन्होंने गांधीजी से भेंट की । मिस्टर जिन्ना से उनकी मुलाकात ७ अप्रैल को हुई । इसके बाद उन्होंने देश के सब राजनीतिक नेताओं और प्रतिनिधियों से मिल कर अंग्रेजों के सत्ता इस्तांतरित करने के प्रश्न पर थाह लेनी शुरू की । १५ और १६ अप्रैल को सब प्रान्तीय गवर्नरों की लार्ड माउंटवेटन के सभापतित्व में दिल्ली में कांफ्रेस हुई । इस प्रकार उन्होंने हिन्दुस्तान की सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिक्रिया समझकर विदेश सरकार को सूचित रखने के लिए २ मई को लार्ड इस्मे को लंडन भेजा ।

वह मुस्लिम लीग का विधान-परिषद में सहयोग लेने में असफल रहे । अंग्रेज की कूट-नीति अभी तक अपनी ही सुष्ठि—मुस्लिम साम्राज्यिकता—को विलीन करने के लिए तैयार नहीं हुई थी । न मुस्लिम लीग सरकार से चिकिली, न उसके प्रतिनिधि विधान-परिषद में ही शामिल

हुए। इसके विपरीत कैविनट मिशन की सुविचारित योजनाओं को दृष्टि से ओमकल करके समस्या का हल विभाजन में खोजना शुरू हो याए।

हिन्दुस्तान के नेताओं से अपनी नई योजना को स्वीकार करके लार्ड माउंटेन १८ मई को खुद लंडन गए। उन्होंने हिन्दुस्तान और उसके प्रान्तों के विभाजन का सुझाव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सामने रखा। उन्होंने बताया कि बंटवारे और शासन के सम्बाल लेने के बाद दोनों नई सरकारें दोसीनियन स्टेट्स स्वीकार कर लेंगी। उन्होंने हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति की आतुरता मंत्रिमंडल को समझाई। ब्रिटिश सरकार ने हाउस ऑफ कामन्स के उन दिनों ही रहे अधिवेशन में ही भारतीय स्वतंत्रता से सम्बन्धित कानून पेश करने का घायदा किया।

देश के बंटवारे की योजना

३ जून १८७७ सारा हिन्दुस्तान लार्ड माउंटेन के लौटने की की घोषणा प्रतीक्षा कर रहा था। उनके लौटने पर भारत के भाग्य का निश्चय होने वाला था। इस बक्से भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि में १६ अगस्त १८४८ से नाम्प्रदायिक खून-खराबे का नाटक खेला जा रहा था। कलकत्ता में राजनीति में साम्प्रदायिक हिंसा का पहला दृश्य लीग द्वारा रचा गया। यह धृणित कालिमा तब बंगाल के नोआखाली और दिल्ली जिलों के भीतरी भागों में फैल गई। परस्पर द्वेष और हिंसा की दूसरी चिनगारी बड़े पैमाने पर फिर बंगाल के पड़ौसी—विहार—में सुलगी। इन साम्प्रदायिक संघर्षोंसे नैतिकता का लोप हो रहा था। जो भारत कभी असहाय अबला-बच्चों और बूढ़ों पर कभी हाथ न

उठाने के अपने इतिहास और परम्परा पर गर्व किया करता था, उसमें अब यह सब कुछ सम्भव हो रहा था। इस साम्प्रदायिक रक्तपात का उद्देश्य राजनैतिक दबाव था, इसलिए यह अधिक खतरनाक सूरत ले रहा था। मुस्लिम लीग के नेता हिसा और बुणा के गीत गाकर मुसलमानों को भड़का रहे थे। कलकत्ता और नोआखाली के नर-संहार के बाद देश में प्रवल्ल मांग उठी कि लीग को गैर-कानूनी घोषित किया जाय और उसके नेताओं को पकड़ लिया जाय। लेकिन इस तरफ तत्कालीन वाइसराय ने कोई कदम नहीं उठाया। जो राज्य-सत्ता निहत्थी जनता के अहिंसक प्रदर्शनों से भी भड़क उठा करती थी और शान्ति कायम रखने के लिए तिलमिला उठती थी—अब हजारों की संख्या में हत्या, अपहरण और बलात्कार के दश्य देखकर भी कुछ करने को प्रेरित नहीं हुई।

विहार की कहानी फिर गढ़मुक्तेश्वर, रावलपिंडी और हजारा के जिलों में और कितने ही स्थानों पर दोहराई गई। पंजाब में खिजर हयात के मन्त्री मण्डल के स्तीके के बाद साम्प्रदायिक रक्तपात का बाजार गर्म हो उठा। लाखों निरपराध लोगों के जीवन और हित राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति की बेंदी पर बलि चढाए जाने लगे। देश के इस बातावरण में कांग्रेस और मुस्लिमलीग के नेताओं में बातचीत जंचती नहीं थी। हिन्दू-मुस्लिम बैमनस्य इतना बढ़ गया कि जिस देश के विभाजन की बात तक को लोग सोच न सकते थे, अब पंजाब और बंगाल के साम्प्रदायिक नेता खुद दुहाई दे-देकर दोनों प्रान्तों के विभाजन की मांग करने लगे ताकि किसी तरह लीगियों की उद्ढृत साम्प्रदायिकता से पिंड हूटे। कांग्रेस ने इन प्रान्तों की जनता की इस मांग का समर्थन किया।

इस बातावरण में लाई माउंटबेटन ने ३ जून १९४७ को ब्रिटिश सरकार के सत्ता हस्तांतरण के नये कार्यक्रम को दिल्ली के रेडियो से प्रचारित किया।

यह नई योजना देश के विभाजन की योजना थी। देश जिस साम्प्र-

दायिक विप से पीड़ित हो रहा था, केवल उसी दशा मे यह योजना स्वीकार हो सकती थी। लगभग एक वर्ष से जो मार-काट हो रही थी, उसने हिन्दुस्तानियों की मनोस्थिति ऐसी बना दी जो देश के विभाजन को स्वीकार कर सकती थी।

इस ३ जून की घोषणा की मुख्य बातें यह थीं— २० फरवरी की जून धन तक हिन्दुस्तान से अंग्रेजी सत्ता के लोप हो जाने की घोषणा का उद्देश्य था कि देश की राजनीति ठोस हो और हिन्दुस्तानी सुद ही तब तक अपना विधान बनाकर तैयार कर ले। लेकिन यह आशा व्यर्थ रही है। देश के ८ प्रान्त विधान निर्माण मे लगे हैं; शेष ३ प्रान्त, पंजाब, सिन्ध और बंगाल, और घलोचस्तान के प्रतिनिधियों का अधिकाश, विधान-परिषद से असहयोग कर रहा है। इसलिए ग्रिंडर सरकार इस नई योजना को पंथ करने पर विवश है। इस परिषद द्वारा बनाया हुआ विधान देश के उन लोगों पर नहीं ढौंसा जा सकता जो इस स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अतः इन प्रान्तों की इच्छा मालूम की जायगी कि वह अपना विधान इसी परिषद द्वारा तैयार करवाना चाहते हैं अथवा एक नई विधान-परिषद से। इस उद्देश्य से पंजाब और बंगाल की धारा-समाजों के प्रतिनिधियों की दो-दो हिस्सों में सभाष्ट होंगी—हिन्दू और सुसलमान बहुमत जेंट्रों के प्रतिनिधि अलग-अलग निश्चय करेंगे कि प्रान्त का विभाजन होना चाहिए अथवा नहीं। यदि निश्चय होगया कि प्रान्त विभाजित नहीं होगा तो दोनों मिलकर यह निश्चय करेंगे कि किस विधान-परिषद से नाता जोड़ना है। यदि विभाजन के पक्ष में निश्चय हुआ तो दोनों भाग अलग-अलग निश्चय करेंगे कि वह किस विधान-परिषद से सम्बन्धित रहना चाहेंगे। दोनों प्रान्तों की धारा-समाजों के प्रतिनिधि हिन्दू और सुसलमान बहुमत जेंट्रों के जिस डिसाइन से अलग-अलग बैठेंगे उसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है। बंटवारे का निश्चय हो जाने के बाद सीमा-कमीशन में नियत की जायेगी जो 'दूसरी बातों का ध्यान रखते हुए' प्रान्तों को

हिन्दू व मुसलमानों के बहुमत सेवों में बांट देंगी। सिन्धु की धारा-सभा यह निश्चय करेगी कि किस विधान-परिषद् से नाता जोड़ना चाहिए। यदि पंजाब के बंटवारे का निश्चय हो गया तो सीमा-प्रान्त को, जो इस वक्त विधान परिषद में भाग ले रहा है, अपनी स्थिति का नए तौर पर निश्चय करने के लिए एक दूसरा अवसर दिया जायगा। यहाँ पर आम लोगों की मत-गणना ली जायगी कि वह हिन्दुस्तान में शामिल होना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में। आसाम में वैसे तो हिन्दुओं की बहु-संख्या है, लेकिन सिलहट के ज़िले में जो कि पूर्वी बंगाल के साथ लगता है, मुसलमानों का बहुमत है। बंगाल का विभाजन होने के निश्चय के बाद आसाम के सिलहट के ज़िले में भी मत-गणना होगी। फिर सीमा-कमीशन दूसकी सीमाएँ निर्धारित करेगा। यदि पंजाब, बंगाल और सिलहट में एक नए विधान-परिषद से सम्बन्धित होने का निश्चय हो गया तो दस लाख लोगों के एक प्रतिनिधि के हिसाब से नए व पुराने विधान-परिषदों के लिए चुनाव होंगे जिनका ब्योरा इस प्रकार होगा।

	मुस्लिम	दूसरे	सिल	जोड़
सिलहट का ज़िला	२	१	..	३
पश्चिमी बंगाल	४	१५	..	१९
पूर्वी बंगाल	२६	३२	..	५१
पश्चिमी पंजाब	१२	३	२	१७
पूर्वी पंजाब	४	६	२	१२

ये प्रतिनिधि अपनी धारा-सभाओं से मिली हिदायतों के अनुसार एक या दूसरे परिषद में शामिल हो जायंगे। शासन-यन्त्र पर बटवारे के फलस्वरूप होनेवाले प्रभाव के विषय में तुरन्त ही वातचीत शुरू होगी। सीमा-प्रान्त में बसने वाले कबायली लोगों से प्रान्त में बनने वाली नई सरकार खुद वातचीत करेगी। रियासतों के सम्बन्ध में विटिश सरकार की नीति वही है जो कैबिनेट मिशन के १६ मई वाले बयान में कही गई थी। इस योजना को कार्यान्वयन करने के कदम तुरन्त ही उठाए

जायंगे। दोनों डोमीनियनों को जून १९४८ से कहीं पहले सच्चा सौप ही जायगी, इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून हाउस ऑफ कामन्ट्समें पेश किया जा रहा है।

इस घोषणा के अन्त में यह भी कहा गया कि दोनों डोमीनियनों को अधिकार होगा कि वह चाहे तो विटिश कॉमनवेल्थ में नाता तोड़कर पूर्ण स्वतन्त्र हो जाय।

मुस्लिम वहुमत जिलों की तालिका

पंजाब में— लाहौर डिवीजन—गुजरांवाला, गुरुदासपुर, लाहौर,
शेखुपुरा, और सियालकोट।

रावलपिंडी डिवीजन—मियांवाली, रावलपिंडी, शाहपुर,
अटक, गुजरात, जेहलम।

मुलतान डिवीजन—डेरा गाझीखां, मुलतान, मंग,
लायलपुर, मिन्टगुमरी, मुजफ्फरगढ़।

बंगाल में— चिटागांव डिवीजन—चिटागांव, नोआखाली, टिप्परा।
दाका डिवीजन—बाकरगंज, दाका, फरीदपुर,
मैमनसिह।

प्रेज़ीडेन्सी डिवीजन—जेस्सोर, मुशिंदाबाद, नादिया।

राजशाही डिवीजन—वोरारा, दिनाजपुर, मालदा, पबना
राजशाही, रंगपुर।

इस घोषणा के पश्चात् देश की शान्ति बनाए रखने और नई योजना पर गम्भीरता से विचार करने के सम्बन्ध में पंडित नेहरू, मिस्टर जिन्ना और सरदार बलदेवसिंह ने अपीलें कीं।

अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कार्यकारिणियों के जल्से हुए और नई योजना को इन पार्टियों वा स्वीकृति की मुहर लग गई।

प्रान्तों की धारा-सभाओं ने भी चिभाजन के पक्ष में निर्णय दिये। सीमा-प्रान्त में मत-गणना हुई।

सीमा-प्रान्त के गवर्नर सर औलफ़ केरो ने सीमा-प्रान्त में मत-गणना

होने से पहले लगभग दो मास की छुट्टी ले ली । उन्होंने इस सम्बन्ध में वाइसराय को लिखे गए पत्र में कहा—“मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैं निष्पत्ति नहीं हूँ और एक पार्टी का पक्ष लूँगा....। यदि यहाँ पर मेरी उपस्थिति किंचित् भी शक का कारण बनती है तो मत-गणना की अधिकारी के लिए छुट्टी ले लेना चाहूँगा.....।” वाइसराय की मन्त्रणा पर लैफिटनेंट-जनरल सर रोब-लोकहार्ट को सीमाप्रान्त का गवर्नर मनोनीत किया गया ।

सीमाप्रान्त की मत-गणना का, जो कि कांग्रेस द्वारा बहिष्कार से अर्थ-‘हीन होगई थी, परिणाम इस प्रकार रहा :

पाकिस्तान के पक्ष में वैध वोट	२,८६,२४४
-------------------------------	----------

हिन्दुस्तान के पक्ष में वोट	२,८७४
-----------------------------	-------

मताधिकारी	२८,६३,७०
-----------	----------

जिस संख्या ने वोट दिए, उसका वोट की अधिकारी जनसंख्या से अनुपात	५०.६६ प्रतिशत
--	---------------

पिछले चुनाव में जिस संख्या ने वोट दिए थे	३,७५,९८६
--	----------

इस मत-गणना में जो संख्या वोट दे सकती थी	५,७२,७६८
---	----------

इस ‘हिसाब से पाकिस्तान के पक्ष में ५०.६६ प्रतिशत लोगों ने वोट दिए । सिलहट में मत-गणना का परिणाम भी पाकिस्तान के पक्ष में गया ।	
--	--

१६ जून १९४७ को केन्द्रीय सरकार की एक विशिष्ट कमेटी बना दी गई जिसने विभाजन कार्य की निगरानी करनी थी । इसके सदस्य वाइसराय, श्री वल्लभभाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, मिस्टर लियाङ्क्रेट अली खा और मिस्टर अब्दुल रब नियंत्र बने ।

इस कमेटी के नीचे एक स्टीयरिंग कमेटी (संचालक समिति) बनाई गई जिसके सदस्य श्री एच० पुम० पटेल और मिस्टर मुहम्मद अली हुए ।

स्टीयरिंग कमेटी ने मंत्रीमंडल की विशिष्ट कमेटी का सम्बन्ध विभाजन के विविध पहलुओं पर निर्णय करने वाली दस विभिन्न विशेष समितियों (एकसर्ट कमेटीज़) से रखना था। इन दस विशेषज्ञ समितियों का व्योरा यह है :

१—सेना विभाजन, २—कागजात और अफसर, ३—लेनदेन,
४—केन्द्रीय आय के साधन, ५—ठेके आदि, ६—मुद्रा, ७—आर्थिक सम्बन्ध, कंटोल ८—आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, ९—राष्ट्रीयता का प्रश्न,
१०—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ।

इन दसों समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें जुलाई के तीसरे सप्ताह तक स्टीयरिंग कमेटी को देनी थीं ।

प्रान्तों का विभाजन के पक्ष में सत जान लेने के बाद मंत्रिमंडल की विशिष्ट कमेटी का स्थान विभाजन समिति (पार्टिशन कौसल) ने ले लिया ।

हिन्दुस्तान से चर्मा को अलग करने में तीन वर्ष लगे थे, विहार से उडीसा को और वम्बई से सिन्ध को अलग करते हुए दो-दो वर्ष लगे थे। अब हिन्दुस्तान के दो टुकडे अराई महीने के समय में ही कर दिये गए ।

२७ जून १९४८ को रियासतों से सम्बन्ध जोडने स्टेट्स मिनिस्ट्री के लिए एक नए विभाग—स्टेट्स मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। इंगलैण्ड अपने छानाधिकार किसी नहीं डोसान्नियन को नहीं सौंपना चाहता था, इसलिए इस नए विभाग की आवश्यकता अनुभव हुई। श्री वल्लभ भाई पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला। मिस्टर अद्वृत रव सहायक नियुक्त हुए।

३० जून १९४७ को विभाजन समिति (पार्टिशन कौसल) का अधिवेशन लाई मार्टिवेटन की अध्यक्षता में जिसमें श्री वल्लभ भाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, मिस्टर जिन्ना, मिस्टर लियाकत अली, सरदार

बलदेव सिंह, सर क्लाड आचिनलेक, लाई हस्मे, सर चन्दूलाल त्रिवेदी उपस्थित थे, दिल्ली में हुआ। इस विभाजन समिति ने फौज के विभाजन की नीति—दोनों नई डोमीनियनों की अधिक-से-अधिक भलाई निर्धारित की। जायन्ट डिफेन्स कॉसिल (संयुक्त-रक्षा-समिति) की रक्षना की गई जिसके दोनों डोमीनियनों के गवर्नर जनरल, दोनों रक्षा मंत्री और हिन्दुस्तानके कमांडर इन-चीफ सदस्य बने। इस संयुक्त रक्षा समिति ने दोनों देशों द्वारा पूरा-पूरा फौजी अनुशासन संभालने के समय तक काम करना था।

३० जून १९४७ को विभाजित पंजाब व बंगाल सीमा कमीशन की सीमाओं का स्पष्टीकरण और निर्णय करने के लिए सीमा कमीशनों की नियुक्ति हुई। इन कमीशनों के सदस्य ये थे:

पंजाब— मिस्टर जस्टिस दीन मुहम्मद, मिस्टर जस्टिस मुहम्मद मुनीर, मिस्टर जस्टिस मेहरचन्द महाजन, मिस्टर जस्टिस तेजा सिंह।

बंगाल— मिस्टर जस्टिस बी० के० मुकर्जी, मिस्टर जस्टिस सी० सी० विस्वास, मिस्टर जस्टिस ए० ए० स० मुहम्मद अक्रम, मिस्टर जस्टिस ए० स० ए० रहमान।

बाद में दोनों कमीशनों के प्रधान सर सीरिल रेडकिंफ बने जो इंग्लैंड की बार-कॉसिल के उप-प्रधान थे।

भारतीय स्वतन्त्रता कानून देश के विभाजन की मंत्रणा और तत्सम्बन्धी कार्य अब तेजी से चल रहा था। हाऊस ऑफ कामन्स ने हिन्दुस्तान को डोमीनियन स्टेट्स देने और देश के विभाजन से सम्बन्धित कानून को पास करने में जितनी कुर्ती दिखाई, इतनी कभी दूसरे महत्वपूर्ण कानून को बनाने में नहीं दिखाई गई। जुलाई में यह विल कानून बन गया। इस कानून की २० सुख्य धाराएँ और तीन तालिकाएँ थीं। कानून ने दोनों नई डोमीनियनों

का नामकरण इंडिया और पाकिस्तान किया। दोनों देशों की राज्य सीमा, जिसमें सीमा-कमीशन बाद में भी भेद कर सकता था, निर्धारित कर दी गई। नए देशों को राज्य-सत्ता सौंपने की तारीख भी निर्णित होगई—१५ अगस्त १९४७। इस कानूनके अनुसार दोनों देश सम्भा या अलहदा-अतहदा गवर्नर जनरल/रख सकते थे जो विटिश सब्राट् का हिन्दुस्तान और पाकिस्तानमें प्रतिनिधित्व करेगा। दोनों देशोंको स्वतन्त्रता मिल गई, चाहे ऐसे कानून इंगलैण्ड की कानूनी प्रथाओं के विरुद्ध ही बयों न हो। विटिश सरकार ने १५ अगस्त १९४७ के बाद इन देशोंकी सरकारों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखा। नए विधान बनने और लागू होने तक दोनों देशों से विधान यन्त्र गवर्नर्मेंट आफ इंडिया एकट के अनुसार ही चलना था। इस कानून को कार्यान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को गवर्नर्मेंट आफ इंडिया एकट के संशोधन के अधिकार मिले। हिन्दुस्तान की फौजों के विभाजन और भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त सरकारी अफसरों के सम्बन्ध में धाराएं भी इस कानून का हिस्सा थीं।

इस ऐकट के पास होने के बाद १५ अगस्त
चए गवर्नर-जनरल १९४७ से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के गवर्नर
जनरलों की घोषणा १० जुलाई को कर दी

गई। लाई मार्टिवेटन और मिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना क्रमशः हिन्दु-
स्तान और पाकिस्तान की नई ढोमोनियनों के गवर्नर जनरल बने।

अन्तःकालीन दोनों नए आजाद देशों के लिए खुद वहाँके नेता
सरकार का अभी से सोच-विचार और योजनाएं बना सके इस,
पुनर्निर्माण उद्देश्य से वायसराय ने १६ जुलाई १९४७, को
अन्तःकालीन सरकारका पुनर्निर्माणकर दिया। हर विभागके हिन्दुस्तानी
व पाकिस्तानी उत्तरदायी मन्त्री नियुक्त हुए। हिन्दुस्तानके लिए जिन्होंने
मन्त्री-पद संभाला उनके नाम यह है :

रंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभ भाई पटेल, डाक्टर राजेन्द्र-

प्रसाद, मौलाना अबुलकलाम आजाद, श्री राजगोपालाचारी, डाक्टर जान मथाई, स० बलदेवसिंह, श्री सो०एच० भाभा, श्री जगनीवनराम।

पाकिस्तान की ओर से निर्वाचित निम्न मंत्रियों ने पद संभाला :

मिस्टर जियाकत अली, मिस्टर आई०आई० चुन्डीगर, मिस्टर अद्दुल रव निश्तर, मिस्टर गजनफर अली, मिस्टर जोगन्द्र नाथ मंडल। रियासते ५ जुलाई को रियासतों से सम्बन्धित नए सरकारी हिन्दुस्तान में विभाग के मन्त्री पद को संभालते हुए सरदार वल्लभ

भाई पटेल ने एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने रियासतों को विश्वास दिलाया कि केवल इच्छा, वैदेशिक सम्बन्ध और यातायात के तीन प्रश्नों पर ही हिन्दुस्तान उनसे कुछ-कुछ रक्तवाधिकारों की मांग करता है, उनकी पृथक् सत्ता पर हमला करने की कहीं जरा भी इच्छा नहीं है। इस वक्तव्य का नरेशों पर खास प्रभाव हुआ। नरेशों की एक खास सभा दुलाई गई जिसमें लाई मार्टिनेटन का महत्वपूर्ण भापण हुआ। वायसराय ने इन्हें अपने हित पहचानने की अपील की और बताया कि जिन तीन प्रश्नों पर उन्हें अपने अधिकार हिन्दुस्तान को सौंपने हैं उन पर वह अकेले तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इसके लिए अनुभव और साधनों की कमी है।

वायसराय और श्री पटेल के प्रभाव और मन्त्रणा से कुछ रियासतों को छोड़कर सभी ने हिन्दुस्तान के साथ सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया।

अब देश विभाजन और स्वतन्त्रता के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गवर्नर जनरल ने १२ अगस्त १९४७ को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की ६ वीं धारा के मात्रहत दो आज्ञाएं निकाली—एक के अनुसार १५ अगस्त से चालू विभाजन समिति भंग हो जानी थी और दोनों देशों के प्रतिनिधि इसके सदस्य बनने थे। हूसरी आज्ञा के अनुसार १४ अगस्त से विभाजन से सम्बन्धित झगड़ों को चुकानेके लिए पंच-समिति (आविद्वत द्रिव्यूनत) मनोनीत की गई, जिसके सदस्य ये थे :

सर पैट्रिक स्पेन्स प्रधान, सर हरिलाल कानिया और खाँ बहादुर मुहम्मद इस्माइल।

गवर्नर-जनरल और चायसराय की हैसियत में लार्ड मार्टिनेट ने अंतिम १० शाहजाहाँ १४ अगस्त १९४७ को निकाली। इनसे १५ अगस्त से शुरू होने वाली नई परिस्थिति के लिए गवर्नर्मेंट आफ इंडिया एकट में उचित संशोधन कर दिए।

१४ अगस्त १९४७ को कराची जाकर लार्ड मार्टिनेट ने पाकिस्तान की विधान-परिषद को इंगलैंड की ओर से राज्य-सत्ता सौंप दी।

१४ अगस्त १९४८ की रात के १२ बजे हिन्दूस्तान से इंगलैंड का राज्य समाप्त हुआ।

प्रान्तों का विभाजन

पंजाब के विभाजन के विषय में सोमा कमीशन का फैसला, जोकि शेष सदस्यों में गहरा मतभेद होने के कारण केवल प्रधान रैडिलफ का ही-फैसला था, यह है :

पश्चिमी पंजाब में रावलपिंडी और मुल्तान डिवीज़न के सारे ज़िले और लाहौर डिवीज़न के गुजरांवाला, शेखुपुरा और स्थालकोट के समूचे ज़िले; गुरदासपुर ज़िले की शक्करगढ़ तहसील जो रावी से पश्चिम को स्थित है; लाहौर ज़िले की चूनियाँ और लाहौर की तहसील; कसूर तहसील का कुछ हिस्सा, अपर बारी हुआब की नहर जहां से इस तहसील में प्रवेश करती है वहां से लेकर खेमकरण रेतवे स्टेशन की पश्चिम की ओर, और वहां से पूब को घूमकर मस्ने के गांव के पाप सतलुज नदी तक का पश्चिम प्रदेश।

पूर्वी पंजाब में जालंधर और अम्बाला के डिवीज़न के सारे ज़िले और लाहौर डिवीज़न का अमृतसर का समूचा ज़िला; गुरदासपुर ज़िले की यठानकोट, गुरदासपुर और बटाला तहसीलें जो रावी के पूर्व को स्थित

है, कस्तुर तहसील का वह हिस्सा जो पश्चिम पंजाब को नहीं दिया गया।

बंगाल सीमा-कमीशन भी कोई संयुक्त फैसला नहीं कर सकी। प्रधान रैडिक्लिफ ने जो फैसला दिया उसका विवरण निम्न है :

पूर्वी बंगाल को चिट्ठांव और ढाका का सारा डिवीज़न मिला। राजशाही डिवीज़न के रङ्गपुर, बोगरा, राजशाही और पवना के ज़िले और प्रेसिडेंसी डिवीज़न का कुलना ज़िला भी पूर्वी बंगाल में शामिल किया गया है। नादिया ज़िले के निम्न थाने पूर्वी बंगाल में आए हैं—खोकसा, कुमारखाली, कुश्तिया, मीरपुर, आलमडगा, मेरामारा, गंगनी, दमुढदा, चौडंगा, जीवनगर, मेदरपुर। दौलतपुर का मठबङ्गा के पूर्व का हिस्सा। ज़ेस्सोर का सारा ज़िला—बोनगांव और गायघाट के थानों को छोड़कर। दिनाजपुर के वह थाने जो पश्चिम बंगाल में शामिल नहीं किये गए (सूची आगे है), और रेलवे के पूर्वी भाग का बालुर घाट का हिस्सा। जलपाईगुरी ज़िले के यह थाने—टिटुलिया, पचगेर, बोढा, देवीगंज, पटभ्राम और कूच-त्रिहार रियासत के दक्षिण की सीमा। मालदा ज़िले के गोमष्टापुर, नचोल, नदाबगंज, शिवगंज और भोला हाट के थाने।

पश्चिमी बंगाल : बर्द्धवान का सारा डिवीज़न; प्रेसिडेंसी डिवीज़न के कलकत्ता, २४ परगना और मुर्शिदाबाद के ज़िले; राजशाही डिवीज़न वा। दार्जिलिंग का ज़िला, नादिया ज़िले के जो थाने पूर्वी बंगाल में नहीं मिले (सूची ऊपर देखें); ज़ेस्सोर ज़िले के बोनगांव और गायघाट के थाने; दिनाजपुर ज़िले के निम्न थाने : राजगंज, इटहार, बंसीहारी, कोसमंडी, तापन, गंगारामपुर, कुमारगंज, हमताबाद कालियागंज; बालुरघाट का वह हिस्सा जो रेलवे लाइन के पश्चिम को है, जलपाईगुरी का ज़िला, उन थानों को छोड़कर जो पूर्वी बंगाल में शामिल कर लिये गए हैं (सूची ऊपर है); माका ज़िले के वह थाने जो पूर्वी बंगाल

में शामिल नहीं किये (सूची ऊपर है) ।

आसाम प्रांत का सिलहट का जिला, पथारकंडी, रत्वरी, करीमगंज और बद्रपुर के ४ थानों को छोड़कर सारा पूर्वी बंगाल के साथ मिला दिया गया है ।

रेलों का विभाजन

विभाजन के फलस्वरूप हिन्दुस्तान की विभिन्न रेलवे कम्पनियों में से नार्थ वेस्टर्न रेलवे और बंगाल आसाम रेलवे को भी बांटना पड़ा । पाकिस्तान में नार्थ वेस्टर्न रेलवे का जो भाग रहा उसे वही नाम दिया गया । जो भाग हिन्दुस्तान में आया (रेलवे का दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजन) उसका नाम ईस्टर्न पंजाब रेलवे रखा गया ।

इसी तरह बंगाल में बंगाल आसाम रेलवे के बॉड गाज सेक्षण का जो हिस्सा पाकिस्तान में आया उसका नाम ईस्टर्न बंगाल रेलवे रख दिया गया । चांदमारी के दक्षिण में जो बॉडगाज सेक्षण है उसका अलग डिवीजन बना दिया गया और उसे सियालदाह डिवीजन के नाम से ईस्ट इंडियन रेलवे से मिला दिया गया ।

बंगाल आसाम रेलवे का भीटर गाज सेक्षण जो सियालदाह और बद्रपुर से परे है और हिन्दुस्तान में पड़ता है, आसाम रेलवे के नाम से पुकारा जायगा ।

बंगाल आसाम रेलवे के पश्चिमी भीटर गाज का छोटा-सा भाग जो पाकिस्तान की हड्डों के बाहर रहता है, अबध-तिरहुत रेलवे से मिला दिया जायगा ।

हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति का विभाजन

हिन्दुस्तान की फौज के बंटवारे में हिन्दुस्तान को १५ इनफैन्टरी रेजिमेंटे, १२ बख्तरबन्द दस्ते, १८३ आर्टिलरी रेजिमेंटे और ६१ इंजीनियरिंग के दस्ते मिले । पाकिस्तान को ८ इनफैन्टरी रेजिमेंटे, ६ बख्तर

बंद दस्ते, द्वु आर्टिलरी रेजिमेंटे और ३४ इंडीनियरिंग के दस्ते दिये गए ।

छोटे बड़े सब तरह के मिलाकर हिन्दुस्तान को ३२ और पाकिस्तान को १६ जहाज मिले ।

हवाई जहाज के दस्तों में से हिन्दुस्तान को ७ और पाकिस्तान को १ दस्ता मिला ।

सेनाओं के बंटवारे का ब्योरा इस प्रकार है :

हिन्दुस्तान

इन्फेन्टरी रेजिमेंट्स	२ पंजाब रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, इंडियन- ब्रेनेडियर्स मरहट्टा लाइट इन्फेन्टरी, राजपूताना राहफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, रायल गढ़वाल राइ- फल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, आसाम रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेन्टरी, विहार रेजिमेंट, महर रेजिमेंट'।
--	--

१ हार्स स्किन्नर्स, २ रायल लैन्सर्स गार्डनर्स
 आर्म्ड कोर यूनिट्स हार्स, ३ कैवेलरी, ४ हार्स हाउसन्स हार्स, ७
 (बख्तरबन्द दस्ते) कैवेलरी, ८ कैवेलरी किंग जार्ज ५ थ्रोन लाइट
 कैवेलरी, ६ रायल हार्स रायल ट्रैककन हार्स,
 १४ हार्स सिन्धिया हार्स, १६ कैवेलरी, १७ हार्स पूना हार्स, १८ कैवेलरी
 किंग एडवर्ड ७ थ्रोन कैवेलरी, सेंट्रल इंडिया हार्स ।

१ फील्ड एस. पी. रेजिमेंट, २ फील्ड एस. पी.
 आर्टिलरी रेजिमेंट्स रेजिमेंट, ७ फील्ड रेजिमेंट, ८ फील्ड रेजिमेंट,
 ६ पेरा फील्ड रेजिमेंट, ११ फील्ड रेजिमेंट, १३
 फील्ड रेजिमेंट, १६ फील्ड रेजिमेंट, १७ पेरा फील्ड रेजिमेंट (२० सर्वेरेजि-
 मेंट बैट्री को छोड़कर) २२ मार्टिन रेजिमेंट, २४ मार्टिन रेजिमेंट, २६
 लाइट एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, २७ लाइट एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, ३४

एंटी टैक प्रस. पी. रेजिमेंट, ३५ एंटी टैक रेजिमेंट, ३६ एंटी टैक रेजिमेंट,
३७ एंटी टैक रेजिमेंट, ४० भीदियम रेजिमेंट ।

७ एच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, ६२४ एच०
हंजीनियर यूनिट्स क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, ६२५ एच० क्य० हंजी-
नियरिंग ग्रुप, ५ एच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, १
एच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, १७ एच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, ६२६
एच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, ४०१ ऐच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, ६२७
एच० क्य० हंजीनियरिंग ग्रुप, ६ फील्ड कम्पनी, १३ फील्ड कम्पनी,
१४ फील्ड कम्पनी, ६५ फील्ड कम्पनी, १५ फील्ड कम्पनी, ३६२ फील्ड
कम्पनी, ४३३ फील्ड कम्पनी, १ फील्ड कम्पनी, ७ फील्ड कम्पनी, ३
फील्ड कम्पनी, ६६ फील्ड कम्पनी, ७४ फील्ड कम्पनी, २१ फील्ड
कम्पनी, २० फील्ड कम्पनी, २२ फील्ड कम्पनी, १८ फील्ड कम्पनी,
६६ फील्ड कम्पनी, १६ फील्ड कम्पनी, ३२ एसाल्ट फील्ड कम्पनी, ३७
एसाल्ट फील्ड कम्पनी, १०१ एसाल्ट फील्ड कम्पनी, ३६ पेरा फील्ड
कम्पनी, ४१ पेरा फील्ड कम्पनी, ११ फील्ड पार्क कम्पनी, ४४ फील्ड
पार्क कम्पनी, ३६ फील्ड पार्क कम्पनी, ६८२ फील्ड पार्क कम्पनी, ११
फील्ड पार्क कम्पनी, ४० एयर बोर्न पार्क कम्पनी, ५२ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
६ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ४६ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, १६ वर्कशाप एंड पार्क
कम्पनी, ३४४ वर्कशाप एंड पार्क कम्पनी, ६१८ फ्लेक्ट्रिकल एंड मेके-
निकल कम्पनी, ८ फ्लेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६१४, ६६४ एच०
क्य० प्लांटकम्पनी, ६५३ एच० क्य० प्लांट कम्पनी ७५५ प्लांट प्लेटून,
७५८ प्लांट प्लेटून, ७५३ प्लांट प्लेटून, ७०६ प्लांट प्लेटून, ७४६ प्लांट
प्लेटून, ३२० वेल बोरिंग प्लेटून, ५३ प्रिंटिंग सेक्शन, ३५ प्रिंटिंग
सेक्शन, ८६ मेंटनेन्स प्लेटून, ८७ मेंटनेन्स प्लेटून ।

नौशाकित का विभाजन

स्लूप्स	सत्तलुज, जमना, कुण्णा, कावेरी
फिगेट्स	तीर, बुकरी ।

माइन-स्वीपर्स उड़ीसा, डेक्कन, विहार, कुमाऊँ, खैबर, रुहेलखण्ड, कर्नाटक, राजपुताना, कॉकण, वर्माई, बंगाल, मद्रास ।

कार्बेंट्म आसाम ।

सर्वे वेस्सल इन्वेस्टिगेटर

ट्रॉलर्स नासिक, कलकत्ता, कोचीन, अमृतसर ।

मोटर-माइन-स्वीपर्स ये संख्या में चार हैं ।

हार्डर डिफेन्स मोटर लॉचज संख्या में चार ।

हवाई शक्ति का विभाजन

७ लड़ाकू जहाजों के दस्ते और १ सामान ढोने वाला दस्ता ।

पाकिस्तान

१ पंजाब रेजिमेंट, ८ पंजाब रेजिमेंट, बलूच इन्फेन्टरी रेजिमेंट्स रेजिमेंट, फँटियर फोर्स रेजिमेंट, फँटियर फोर्स राइफल्प, १४ पंजाब रेजिमेंट, १५ पंजाब रेजिमेंट, १६ पंजाब रेजिमेंट ।

५ हार्स प्रोविन्स हार्स, ६ लेन्सर्स ड्यूक ऑफ आर्मर्ड कोर यूनिट्स कनाट्स ओन लेन्सर्स, १० गाइड्स कैवेलरी, (बख्तरबंद दस्ते) १३ लैन्सर्स ड्यूक ऑफ कनाट्स ओन लैन्सर्स, १६ लैन्सर्स किंग जार्ज ५ ओन लैन्सर्स, ११ कैवेलरी प्रिन्स एलबर्ट चिकर्ट्स ओन कैवेलरी ।

३ फील्ड रेजिमेंट, ४ फोर्लैप एस.पी. रेजिमेंट, ५ आर्टिलरी रेजिमेंट्स फील्ड रेजिमेंट, २० सर्व रेजिमेंट की बैट्टरी, २१ माडंटेन रेजिमेंट, १८ हेवी एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, २५ लाइट एंटी एयर क्राफ्ट रेजिमेंट, ३३ एंटी टैक रेजिमेंट, ३८ मीडियम रेजिमेंट ।

४७४ एच० क्यू० हंजीनियरिंग ब्रिगेड, २ एच० इंजीनियर यूनिट्स क्यू० हंजीनियरिंग ग्रुप, ६२२ एच० क्यू० हंजी-

नियरिंग ग्रुप, ४ पृच० क्यू० हंजीनियरिंग ग्रुप, २ फील्ड कम्पनी, ५ फील्ड कम्पनी, ४ फील्ड कम्पनी, ६८ फील्ड कम्पनी, ७१ फील्ड कम्पनी, १७ फील्ड कम्पनी, ६८ फील्ड कम्पनी, ६१ फील्ड कम्पनी, ७० फील्ड कम्पनी, ३१ पुसालट फील्ड कम्पनी, ३३ पैरा फील्ड कम्पनी, ४३ फील्ड पार्क कम्पनी, ३२२ फील्ड पार्क कम्पनी, ४२ फील्ड पार्क कम्पनी, ६७ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ३४५ वर्कशाप पुंड पार्क कम्पनी, ६१६ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६०५ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६०६ इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६०६ हलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल कम्पनी, ६२७ प्लांट कम्पनी, ७२७ प्लांट प्लेटून, ७१५ प्लांट प्लेटून, ७१७ प्लांट प्लेटून, ७१८ प्लाट प्लेटून, ७५० प्लांट प्लेटून, ३१७ वेल बोरिंग प्लेटून, ३१९ वेल बोरिंग प्लेटून, ५१ प्रिटिंग सेक्शन, ८८ मेन्टेनेंस प्लेटून।

नौशक्ति का विभाजन

स्लूप्स	नर्दा गोदावरी।
फ्रिगेट्स	शमशेर, धनुष।
माइन-स्वीपर्स	काठियावाड, वल्चिस्तान, मालवा, ग्रन्थ।
ट्रालर्स	रामपुर, वडोदा।
मोटर-माइन-स्वीपर्स	संख्या में दो।
हार्डर डिफेन्स मोटर लांचिज	संख्या में चार।

हवाई शक्ति का विभाजन

१ लड़ाकू दस्ता और १ सामान ढोने वाला दस्ता।

हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा

२५ फरवरी १९४८ को हिन्दुस्तान के प्रस्तावित विधान का मसविदा जनता के सामने रखा गया। विधान परिषद् की जिस समिति ने इस मसविदे को, विधान परिषद् के निर्णयों के अनुसार, लिखा है उसके सदस्योंके नाम ये हैं—डाक्टर बी०आर० अम्बेदकर, प्रधान, श्रीएन०गोपाल-स्वामी आयंगर, श्री अलादि कृष्णास्वामी अथ्यर, श्री के० एम० मुन्शी, श्री एन० माधवराव, श्री डी० पी० खेतान, सर्यद मुहम्मद माहुला।

मसविदे के १८ अध्याय, ३१५ धाराएँ और म तांत्रिकाएँ।

विधान का उद्देश्य है सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक, न्याय प्राप्त हो; उन्हें विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले; अवसर व प्रस्थिति मे समता हो; प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र के ऐक्य का आश्वासन देते हुए यह विधान सबमें प्रेम का संवर्धन करे।

मौलिक अधिकार विधान मे अन्तर्गत हैं और कानून द्वारा प्रत्येक नागरिक उनकी प्राप्ति कर सकता है। मौलिक अधिकारों मे समता, धर्म, संस्कृति और शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार, जायदाद और वैधानिक सहायता के अधिकार शामिल हैं। धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंग-भेद को मानने पर प्रतिरोध है। सरकारी नौकरियों में सब नागरिकों को यम-अवसर मिलेगा। अस्थृश्यता को गैर-कानूनी उहरा दिया गया है। खिताब नहीं दिये जायंगे और कोई नागरिक किसी विदेशी शासन से भी खिताब नहीं ले सकेगा।

विधान की रूपरेखा इस प्रकार है—

इसमें विधान का उद्देश्य कहा गया है—एक
भूमिका
स्वतंत्र प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना
करना; सब नागरिकों को सर्वविध न्याय प्राप्त
करना—सामाजिक आर्थिक अथवा राजनैतिक; विचार, अभिव्यक्ति,

विश्वास, धर्म व पूजा की स्वतंत्रता; सबसे भाईचारे को बढ़ाना जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपना मान सुरक्षित रख सके और राष्ट्र की एकता बनी रहे।

१ अध्याय

देश की सीमा हिन्दुस्तान को राज्यों का एक संघ (इंडियन यूनियन) कहा गया है; संघ की प्रत्येक इकाई वो, जो वह प्रान्त हो, जोकि कमिशनर द्वारा स्थापित प्रदेश ही अथवा रियासत हो, अब राज्य कहा जायगा।

हस अध्याय में यह भी उल्लिखित है कि नए राज्य बनाए जा सकते हैं, और संघ में शामिल किये जो सकते हैं।

२ अध्याय

धारा ५ में कहा गया है कि विधान के आरम्भ नागरिकता होने के समय किस व्यक्ति को हिन्दुस्तान का नागरिक समझा जा सकेगा। हर उस व्यक्ति को जिसका, अथवा उसके माता पिता का, अथवा नाना-दादा का, हिन्दुस्तान की सीमा में जन्म हुआ हो और जिसने अप्रैल १९४७ से किसी विदेश में अपना स्थायी घर न बना लिया हो, अथवा हर व्यक्ति जिसका, अथवा उसके माता-पिता व नाना-दादा का, जन्म हिन्दुस्तान (१९३५ के ऐकट की परिभाषा के अनुसार) व वर्षा, लंका अथवा मलाया में हुआ हो और जो हिन्दुस्तान की सीमा में वस गया हो, हिन्दुस्तान का नागरिक माना जायगा।

हिन्दुस्तान का नागरिक दबने के लिए हर व्यक्ति का जन्म, परिवार अथवा निवास द्वारा इस देश से भौतिक सम्बन्ध होना जरूरी है।

विधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्ति का कानून संघ की धारा-सभा (संसद) बनाएगी।

३ अध्याय

मूल अधिकार इस अध्याय में समता के अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार, सम्पत्ति और वैधानिक-साधन-विपयक अधिकारों का उल्लेख है। धर्म, जाति, वर्ण आदि जिग के कारण किसी नागरिक से भेद वर्ताव नहीं होगा। सार्वजनिक नौकरियों में सब नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। अस्तुशयता और छूआदूत की प्रथाएं भंग कर दी गई हैं। नागरिकों को जिताव नहीं मिलेंगे, न वह किसी विदेश से ही खिताब पा सकेंगे।

भाषण की, शान्तिपूर्वक—बिना अस्त्र-शस्त्र वे—मिलने-जुलने की, सभाएं, संस्थाएं व संघ बनाने की, भारत में कहीं भी घूमने-फ़िरने व बसने की, कहीं भी जायदाद खरीदने व बेचने की, कोई भी व्यवसाय व व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता का आशासन दिया गया है।

कोई भी धर्म अपनाने की, उसके अनुसार व्यवहार करने की अथवा उसका प्रचार करने की सबको स्वतंत्रता है।

वेगार और बजात् भजदूरी करवाने पर रोक है। अल्प-संख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा की जायगी।

इन सब अधिकारों का प्रचलन सर्वोच्च अदालत (सुभीम कोर्ट) द्वारा करवाया जा सकता है।

४ अध्याय

राष्ट्रीय नीति यद्यपि इन निर्देशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अदालती कार्यवाही नहीं हो सकती, फिर भी देश के शासन में हसे मौजिक नोति माना जायगा। राष्ट्र का कर्तव्य होगा कि कानून व नियम बनाते समय इस नीति का ध्यान रखें।

यह नया राष्ट्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर व उसकी

रहा कर, जहाँ सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सबको प्राप्त हों, जनता की भलाई का प्रतिपादन करेगा। सबको शिक्षा दी जायगी, काम की परिस्थितियाँ न्यायपूर्ण व मानवीय होंगी, मजदूरों को जीवनोचित मजदूरी मिलेगी।

५ अध्याय

शासन वर्ग राष्ट्र का सुखिया हिन्दुस्तान प्रधान होगा।

संघ की सब शासन-सत्ता प्रधान में निहित है, उसका प्रयोग वह उत्तरदायी मंत्रियोंके सत्ताह-मशविरे के अनुसार करेगा। केन्द्र की दोनों परिषदों और राज्यों की धारा सभाओं के सब निर्वाचित सदस्य मिलकर प्रधान का चुनाव करेंगे। प्रधान अपने पद पर पांच वर्ष के लिए रहा करेगा, दोबारा केवल एक बार के लिए उसका फिर चुनाव भी हो सकता है। प्रधान की आयु कम-से-कम ३५ वर्ष होनी चाहिए और उसका केन्द्र की जन-सभा के लिए चुने जाने का अधिकारी होना आवश्यक है। विधान का उल्लंघन करने पर उसे दोषी भी घोषित किया जा सकता है। प्रधान की सहायता के लिए एक उप-प्रधान भी होगा। यह उप-प्रधान ही राज्यों की परिषद का प्रधान होगा। उप-प्रधान का चुनाव केन्द्रीय परिषदों के सदस्य एक सांस्कृतिक सम्मेलन में किया करेंगे। वह भी ५ वर्ष के लिए पदारूढ़ रहा करेगा। प्रधान के पद के कभी खाली हो जाने पर अगले निर्वाचन तक उप प्रधान ही कार्य संभालेगा। प्रधान व उप-प्रधान के निर्वाचन सम्बन्धी झगड़ों की छानबीन का निर्णय सर्वोच्च अदालत किया करेगी।

मंत्रि-मंडल प्रधान को अपना कर्तव्य निभाने से सहायक होने के लिए एक मंत्रिमंडल हुआ करेगा।

जन-सभा के प्रति यह मंत्रिमंडल सांस्कृतिक पर उत्तरदायी होगा। भारत सरकार द्वारा उठाया हुआ हर सरकारी कदम प्रधान द्वारा उठाया हुआ कदम कहा जायगा। प्रधान मंत्री

का कर्तव्य है कि संघ के शासन के विषय में सब सूचना प्रधान को दिया करे। इसके अलावा एक एटार्नी-जनरल (महा प्राभिकर्ता) भी नियुक्त होगा जिसके कर्तव्य आधुनिक एडवोकेट-जनरल के समान होगे।

जन-सभा व राज्य-परिषद्

दो परिषदें

संघ की विधायक सभाएं प्रधान व दो अन्य सभाओंसे मिलकर बनेंगी। उनका नाम राज्य-परिषद् (कौसिल आफ स्टेट) व जन-सभा

(हाडस आफ पीपल) होगा। राज्य-परिषद् के सदस्यों की संख्या २५० होगी, इनमें से १५ सदस्य, जो कि देश की कला, विज्ञान, समीक्ष्य आदि का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रधान हारा मनोनीत विए जायेंगे। शेष सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। जन-सभा के सदस्यों की संख्या ४०० से अधिक नहीं होगी। इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के लिद्धान्त के अनुमार होगा और देश की आवादी के हर साडे तीन लाख लोगों का एक से कम प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा, और पाँच लाख आवादी का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा।

राज्य-परिषद् स्थायी होगी, इसकी सदस्य-संख्या का एक तिहाई हिस्सा दो वर्षों के बाद सदस्यता से हट जाया करेगा।

जन-सभा का काल पाँच वर्ष होगा। संकटकाल में इसकी आयु एक वर्ष के लिए और बढ़ सकती है।

हर अधिवेशन के आरम्भ में राज्य-परिषद् व जन-सभा का एक सौका सम्मेलन हुआ करेगा जिसमें प्रधान का भाषण होगा।

संघ की सभाओं की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हुआ करेगी। जहाँ कोई सदस्य अपने को इन दोनों भाषाओं में व्यक्त नहीं कर सकता, सभा का प्रधान उसे अपनी मातृ-भाषा में बोलने की इजाजत भी दे सकता है।

जब कि राज्य-परिषद् व जन-सभाका अधिवेशन प्रधान की कानून बनाने की ताकतें न हों, प्रधान को विशिष्ट आज्ञाओं (आर्ड-नेन्सों) द्वारा कानून बनाने की ताकत भी दे दी गई है। ऐसी विशिष्ट आज्ञाएं प्रधान अपने मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही निकाल सकता है। इन आज्ञाओं की अवधि राज्य-परिषद् व जन-सभा के अधिवेशन के शुरू होने के ६ सप्ताह तक ही होगी।

संघ न्याय-यन्त्र की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में प्रमुख न्यायाधीश और कम-से-कम सात दूसरे न्यायाधीश होंगे। परिमित काल के लिए सर्वोच्च अदालत में काम करने के लिए प्रमुख न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीशों को मनोनीत भी कर सकता है। ऐसे न्यायाधीश, जो अपना अधिकाल समाप्त कर चुके हैं, कुछ अवसरों पर अदालतों की कार्रवाहियों में हिस्सा ले सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट व किसी दूसरी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका है, वाद में हिन्दुस्तान की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च अदालत के अधिकारों में मौलिक (ओरिजिनल) पुनर्विचार (अपील) और मन्त्रणा-सम्बन्धी (एडवाइजरी) मामलों की सुनवाई के अधिकार होंगे। मौलिक मामले संघ व किसी राज्य में झगड़े अथवा किन्हीं दो राज्यों में झगड़े तक, जहाँ कि कोई कानूनी अडचन उत्पन्न हुई हो, सीमित रहेंगे। किन्हीं विशिष्ट समझौतों से सम्बन्धित झगड़ों की सुनवाई न हो सकेगी। पुनर्विचार (अपील) सम्बन्धी वही मामले पेश हो सकेंगे जहाँ विधान की व्याख्या पर भेद हो अथवा ऐसे सब मामले जिनकी अपील आज फेडरल कोर्ट अथवा हिन्दू मैजेस्टी-इन-कौसिल के सामने पेश होती है। बीस हजार रुपये से कम के दीवानी दावों के मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ सकेंगे। संघ का प्रधान सलाह के लिए जब कोई प्रश्न इस अदालत के सामने रखे, तब यह अदालत उस

पर मन्त्रणा भी दे सकती है।

हिन्दुस्तान की अदालतों में हुए किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत द्वारा विशेष आज्ञा पाकर, वहाँ अपील की जा सकती।

विधान की व्याख्या से सम्बन्धित मामलों के और प्रधान द्वारा मन्त्रणा लेने के अवसर पर सर्वोच्च अदालत के सभी न्यायाधीश एक साथ दैठा करेंगे। इस विषय का फैसला केन्द्रीय विधायक सभाएं करेंगी कि शेष मामलों में सभी न्यायाधीश एक साथ बैठेंगे अथवा नहीं।

१९३५ के गवर्नरेट आफ इंडिया एक्ट की आडिटर-जनरल (महांकेश्वर) धाराओं के अनुसार ही हिन्दुस्तान के आडिटर-जनरल की नियुक्ति के नियम बनाए गए हैं।

६ अध्याय

हर राज्य का एक (गवर्नर) शासक होगा राज्य में शासन वर्ग और राज्य का शासन अधिकार उसीमें निहित समझा जायगा।

विधान के मसविदे में शासक के चुनाव के दो तरीके दिये गए हैं। (१) राज्य में जिन लोगों को धारा-सभा के चुनाव के लिए मताधिकार प्राप्त है, वह खुद शासक का निर्वाचन करेंगे। (२) राज्य की धारा सभा किन्हीं घार व्यक्तियों की सूची, चाहे वह राज्य के निवासी हों अथवा न हों, प्रधान के सामने पेश करेंगी। प्रधान उनमें से शासक की नियुक्ति करेगा।

शासक निर्वाचन के विरुद्ध यह आपत्ति है कि शासक और प्रधान मंत्री दोनों के ही जनता द्वारा निर्वाचन पर उनमें मत भेद की अधिक सम्भावना रहेगी।

शासक का अधिकाल पाँच वर्ष होगा। विधान के उल्लंघन पर शासक को दोषी भी छहराया जा सकता है।

उप-शासक का पद नहीं बनाया गया है। शासक की अनुपस्थिति में राज्य की धारा-सभा उचित प्रबन्ध कर सकती है।

मंत्रि-मंडल शासक को अधिकार-प्रयोग में सहायता देने के लिए हर राज्य में मंत्रिमंडल बनेंगे। प्रधान मंत्रि इनके मुखिया होंगे। शासक इसी मंत्रि-मंडल की मन्त्रणा के अनुसार काम करेगा; केवल धारा-सभा को बुलाने व भंग करने, राज्य की पब्लिक-सर्विस-कमीशन के सदस्यों व प्रधान को मनोनीत करने, रियासत के प्रमुख आडिटर को नियुक्त करने और राज्य की शान्ति व व्यवस्था के प्रति संकट पैदा होने की घोषणा के समय वह मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेगा। राज्य शान्ति व व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया है, एतत्सम्बन्धी घोषणा शासक केवल दो सध्वाह के लिए ही कर सकता है। फिर उसे प्रधान को सूचित करना होगा। राज्य में शासन वर्ग की सब आज्ञाएं शासक (गवर्नर) के नाम से जारी की जायेंगी। राज्य की शासन परिस्थिति शासक को जलाना प्रधान मंत्रि का कर्तव्य है।

(महाधिवक्ता) एडवोकेट जनरल हर राज्य में एक एडवोकेट-जनरल होगा। प्रधान मंत्रि के स्तीफा देने पर एडवोकेट-जनरल को अपने पद से हट जाना होगा।

राज्यों की विधायक सभाएं शासक और दो सभाओं (लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौसिल) की बनेंगी; कुछ राज्यों में केवल लेजिस्लेटिव असेम्बलियां ही होंगी। किन राज्यों में दोनों सभाएं होंगी, इसका निश्चय अभी नहीं किया गया।

लेजिस्लेटिव असेम्बली की सदस्यता ६० से कम अथवा ३०० से अधिक नहीं हो सकती। वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार इसके सदस्यों का चुनाव होगा। एक लाख जनता के लिए एक से अधिक प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं हो सकेगा।

जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव कौसिल होगी, उन कौसिलों की सदस्यता असेम्बलियों की सदस्यता से एक चौथाई से अधिक नहीं होगी।

आधे सदस्य व्यवसायानुसार सूचियों में से चुने जाया करेंगे; एक तिहाई असेम्बलियों द्वारा चुने जाया करेंगे; शेष की शासक मनोनीत करेगा।

लेजिसलेटिव अपेम्बली का थवधिकाल पांच वर्ष होगा। कौसिल स्थायी संस्था होगी जिसके सदस्यों का एक-तिहाई इस्सा हर तीसरे वर्ष सदस्यता से हट जाया करेगा।

राज्यों की धारा-सभाओं में राज्यों का चालू बोली, दिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यदि कोई सदस्य इन भाषाओं में अपने आप को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर सकता तो अपनी मातृ-भाषा में बोलने की आज्ञा भी दी जा सकती है।

राज्यों की धारा-सभा के कानून-	राज्यों की धारा-सभा का जब अधिवेशन न हो
रचना के अधिकार	रहा हो तो शासक विशिष्ट आज्ञाएँ (आदिनेस) जारी कर सकता है। ऐसी आज्ञाएँ मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी की जा सकती है।
धारा-सभा के शुरू होने के ६ सप्ताह बाद यह आज्ञाएँ समाप्त हुई समझी जायेंगी।	

सकटकालीन परिस्थिति	जब राज्य में संकट-कालीन परिस्थिति पैदा हो जाए तो शासक विधान की कुछ धाराओं का दो सप्ताह की अवधि के लिए चलन रोक सकता है, और शासक का कर्तव्य है कि इस स्थिति की प्रधान को सूचना दे। इस सूचना को पाकर प्रधान या तो शासक की आज्ञा को रद्द कर देगा अथवा अपनी ओर से एक नई आज्ञा निकालेगा। इसका प्रभाव यह होगा कि राज्य के शासन वर्ग का स्थान संघ का केन्द्रीय शासन-वर्ग ले लेगा और राज्यकी धारा सभा की जगह केन्द्रीय धारा सभा काम करेगी। घोषणा की अवधि में वह राज्य केन्द्र द्वारा शासित होगा।
--------------------	---

राज्यों में हाई-कोर्ट	राज्यों में हाई-कोर्टोंका संगठन १९३५के गवर्नर्सेंट
-----------------------	--

(उच्च न्यायालय) आफ हॉटिंग ऐक्ट के अनुसार ही होगा। हाईकोर्ट का न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अथवा अधिकाधिक ६५ वर्ष की आयु तक ही, अपने पद पर रह सकता है। अपने पद से हट जाने के बाद हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश किसी अदालत से चकालत नहीं कर सकता। कुछ अवसरों पर हाईकोर्ट में उन न्यायाधीशों की सहायता भी ली जा सकती है जो अपने पद छोड़ चुके हों।

केन्द्र की विधायक परिषद कानून बनाकर किसी भी हाईकोर्ट के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।

प्रमुख आडिटर हर राज्य का अपना प्रमुख आडिटर होगा (मुख्यांकनक) जिसके कर्तव्य १९३१ के गवर्नरमेंट आफ हॉटिंग ऐक्ट में लिखे अनुसार ही होंगे।

७ अध्याय

इस अध्याय में उन राज्यों की चर्चा की है अजमेर मेरवाड जहाँ का शासन आजकल केन्द्र के मातहत चीफ कमिशनरों के हाथ में है—अर्थात् दिल्ली, अजमेर-मेरवाड, कुर्ग, पंथ-पिपलोदा। इन राज्यों का शासन नए विधान के अनुसार भी चीफ कमिशनरों, लेफिंग गवर्नरों अथवा पब्लिक के राइशों के शासकों द्वारा ही सम्पन्न होगा। किसी विशेष प्रदेश के मामले में क्या करना है, इसका नियन्त्रण प्रधान ही एक आज्ञा द्वारा करेंगे। ऐसा करने से पहले उन्हें अपने सत्रिमंडल की सलाह लेनी होगी। इन प्रदेशों में प्रधान, स्थानीय धारा-सभाएँ अथवा सलाहकारों की समितियाँ, उनके विधान और शक्तियाँ नियंत्र कर सकेंगे।

आजकल की जो रियासतें अपनी राज्यशक्ति भारतीय केन्द्र को सौंप देगी, उन पर भी केन्द्र द्वारा शासन हो सकता है।

८ अध्याय

इस अध्याय में अंडमान और निकोबार द्वीपों के शासन के सम्बन्ध में लिखा है। प्रधान दूसरा अफसर नियत करेंगे। इन द्वीपों की 'शान्ति व व्यवस्था' के लिए ग्रंथान को नियमादि बनाने का अधिकार है।

९ अध्याय

संघ और राज्यों में कानून निर्माण के व शासन विषयक क्या सम्बन्ध होंगे, इस अध्याय में इसका वर्णन है। कानून की वही सूचियाँ अपना ली गई हैं जो यूनियन पावर्स कमेटी ने बनाई थी और विधान-परिषद् ने स्वीकार कर ली थीं।

विधान में यह लिखा गया है कि जब कोई प्रश्न जो कि साधारण-तथा कानून-निर्माण की राज्य-अन्तर्गत सूची में शामिल है, समस्त देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाए, तब संघ की विधायक-सभा को अधिकार है कि उस विषय पर कानून बना सके। यह तभी हो सकता है जब कि राज्य-परिषद् दो-तिहाई की बहुसंसद्या से इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास कर दे।

ऐसे विषयों में, जिन पर राज्य व संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं, उत्तराधिकार वा सारा प्रश्न ही शामिल कर लिया गया है। उत्तराधिकार को कृपि के अतिरिक्त दूसरी सम्पत्ति तक सीमित नहीं रखा गया।

ऐसे सब मामले भी जिनमें कि लोग व्यक्तिगत कनून (पर्सनल जॉ) द्वारा शासित होते हैं, सांझी सूची में शामिल कर लिये गए हैं ताकि सारे हिन्दुस्तान के लिए एक-सा कानून बनाया जा सके।

विधान लागू होनेके पांच साल तक आवश्यक चीजों—सूती कपड़े,

खाद्य, अनाज, पेट्रोल आदि का व्यापार, उत्पादन, वितरण और शरणा-थिंयों को फिर से बसाने का विषय, सांझी सूची में रहेगा।

जरूरत पड़ने पर कोई भी आज्ञकल की रियासत किसी आज्ञकल के प्रान्त अथवा केन्द्र को अपने प्रदेश का शासन-भार सौंप सकती है।

व्यापार के लिए कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के प्रति पञ्चात्पर्ण अथवा भेदकारी व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई राज्य युक्तिसंगत प्रतिबन्ध जरूर लगा सकता है।

राज्यों के आपसी झगड़े सुलझाने के लिए और सुव्यवस्थित नीति अपनाने के उद्देश्य से प्रधान कुछ राज्यों का मिला-जुला मण्डल बना सकते हैं।

१० अध्याय

अर्थ-व्यवस्था

इस अध्याय का सम्बन्ध अर्थ-व्यवस्था, सम्पत्ति, टेके और दावों से है।

केन्द्र व राज्यों में आय विभाजन के और केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता देने के वही तरीके रखे गए हैं जो १९३५ के गवनमेंट ऑफ हैंडिया एक्ट में उल्लिखित हैं। पांच वर्ष बाद एक अर्थ-समिति का आयोजन हो सकेगा जो इस आय के विभाजन पर और राज्यों और केन्द्र के अर्थ-सम्बंधी दूसरे प्रश्नों पर विचार करेगी।

शेष प्रश्नों पर प्रायः आधुनिक कानूनकी धाराएँ ही रख ली गई हैं।

११ अध्याय

संकटकालीन

जब आन्तरिक अशान्ति और हिंसा अथवा युद्ध से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए तो प्रधान देश में संकटकालीन स्थिति कीघोषणा कर सकता है।

१२ अध्याय

सरकारी नौकरियां सम्बन्धित धारा-सभाएँ^१ सरकारी नौकरियों के विषय में विस्तृत नियमादि बनाएँगी। इसके अलावा केन्द्रों व राज्यों में १६३५ के गवर्नर्मेंट ऑफ इंडिया ऐक्टकी धाराओंके अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के नियम बनाए गए हैं।

१३ अध्याय

चुनाव केन्द्रीय परिषदों के चुनाव के निर्देश के लिए प्रधान एक चुनाव-कमीशन बनाया करेंगे। राज्यों में चुनाव के लिए इसी तरह चुनाव-कमीशन राज्य के शासकों द्वारा मनोनीत होंगी।

१४ अध्याय

अल्प-संख्यकों का प्रश्न इस अध्याय में अल्प-संख्यकों के संरक्षण के प्रश्न पर कानून बनाए गए हैं। विधानके लागू होने से दस वर्ष^२ तक के लिए केन्द्र की जन-सभा और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेम्बली के लिए मुफ्तमान, अछूत, परिगणित जातियां और हिन्दुस्तानी इसाहयों की (केवल बम्बई और मद्रास में) सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। दस वर्ष^२ की अवधि के लिए सरकारी नौकरियों से सम्बन्धित एंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय की शिक्षा के लिए विशेष संरक्षणों को और अर्थ-सहायता को काथम रखा गया है।

अल्प संख्यकों के लिए केन्द्र में और राज्योंमें विशेष अफसरों की नियुक्ति होगी और समय-समय पर एक कमीशन पिछड़ी जातियों की दशा की छानबीन किया करेगा। एक ऐसे कमीशन की नियुक्ति भी होगी जो परिगणित प्रदेशों के शासन की व वहां की निवासी परिगणित जाति की दशा पर रिपोर्ट तैयार करेगा।

१५ अध्याय

प्रधान व शासकों
की रक्षा

प्रधान व शासकों पर उनकी पद-अधिकारियों कोई
भी दीवानी व फौजदारी सुकदमा दायर नहीं
हो सकेगा ।

१६ अध्याय

संशोधन

इस अध्यायमें विधान-संशोधन सम्बन्धी धाराएँ हैं।
इसके लिए साधारण तौर पर जन-सभा अथवा
राज्य-परिषद के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई
मतों का होना आवश्यक है। साथ में दोनों परिषदों की समस्त सदस्य-
संख्या का बहुमत भी होना चाहिए। कानून की सूची के परिवर्तन में,
राज्यों के केन्द्रीय परिषदोंमें प्रतिनिधित्व के अथवा सर्वोच्च अदालत की
शक्तियों के परिवर्तन में संशोधन के लिए जरूरी है कि आधे से ज्यादा
उन राज्यों की धारा-सभाएँ, जो कि आजकल के प्रान्त हैं और एक-तिहाई
से अधिक उन राज्यों की धारा-सभाएँ जो कि आजकल हिन्दुस्तान की
रियासतें हैं, इस संशोधन को स्वीकार करें ।

१७ अध्याय

विधान के लागू होने पर प्रचलित कानून चालू
अस्थायी प्रबन्ध रहेगे, उन कानूनों को विधान की धाराओं के तदूप
करने के लिए प्रधान कोई परिवर्तन करना चाहें
तो कर सकते हैं। जब तक कि केन्द्रीय परिषदोंका चुनाव न हो ले, आधु-
निक विधान-परिषद ही केन्द्रीय परिषदोंका काम निभायगी। विधान-सभा-
जिस व्यक्ति को प्रधान-पद के लिए चुनेगी, वही नए स्थायी प्रधान के
चुने जाने तक अस्थायी प्रधान रहेगा ।

इस विधान के शुरू होने पर जो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल होगा वही
अस्थायी प्रधान का अस्थायी मंत्रिमण्डल बन जायगा ।

इसी तरह प्रान्तों में राज्य के गवर्नर, मंत्रिमण्डल और धारा-
सभाओं के लिए प्रबन्ध हुए हैं ।

फेडरल-कोर्ट के न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के, और प्रान्तीय हाईकोर्टों के न्यायाधीश राज्यों की हाईकोर्टों के न्यायाधीश बन जायंगे ।

इस अध्याय के विषय में जो कोई कठिनाइयां रह गई हैं तो प्रधान उन्हें अपनी आज्ञाओं द्वारा हटा सकेंगे; यह आज्ञाएँ केन्द्रीय परिषद के पहले अधिकेशन तक जारी रहेंगी ।

१८ अध्याय

खंडन जिस तारीख को इस विधान ने लागू होना है,
उसकी घोषणा बाद में होगी । नए विधान के
लागू होने पर १९४७ का इंडियन इंडिपेंडेंस
एक्ट, १९३५ का गवर्नर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इसके सब संशोधन
व परिवर्तन रह सभके जायंगे ।

अनुसूचियां

- (१) इसके चार हिस्से हैं । पहले हिस्से में उन राज्यों का नाम दिया गया है जो कि आजकल के प्रांत हैं । दूसरे हिस्से में चीफ कमिशनरों के प्रांतों का नाम है । तीसरे हिस्से में उन सब देशी रियासतों का नाम लिखा होगा जो कि विधान के लागू होने तक हिन्दुस्तान से मिल चुकी होंगी । अंतिम हिस्से में अंडमान और निकोबार द्वीपों का उल्लेख है ।
- (२) इसमें प्रधान आदि के वेतन का उल्लेख है, जो इस प्रकार होंगे—
प्रधान—५५०० रुपये सासिक । शासक—४५०० । सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश—५००० । हाईकोर्टों के प्रमुख न्यायाधीश—४००० दोनों अदालतों के दूसरे न्यायाधीश प्रमुखों से ५०० कम पाएंगे ।
- (३) केन्द्रीय परिषदों के व राज्यों की धारा-सभाओं के सदस्य, देश के उच्च पदाधिकारी व अदालतोंके न्यायाधीश जो पद की शपथें, घोषणाएँ व मन्त्रणाओं को गुप्त रखने की सौगन्ध खाएंगे, इसमें उनका जिक्र है ।

- (४) इसमें राज्यों के शासकों के लिए निर्देश दिये गए हैं।
- (५व६) आसाम व आसाममें वसने वाली कबायली जातियों को छोड़कर इनमें क्रमशः परिगणित प्रदेशों व उनमें वसने वाली परिगणित जातियों का ज़िक्र है।
- (७) इसमें कानून-निर्माणके अधिकारकों केन्द्रीय वा राज्यों की अधिकार अन्तर्गत सूचियों का उल्लेख है।
- (८) आज के प्रातों के जो राज्य चलेंगे, उनमें जो परिगणित जातियाँ हैं, इसमें उनका उल्लेख है।

देशी रियासतें पराधीनता के अंतिम दिन तक

राष्ट्रीयता के हमलों से बचने के लिए विदेशी साम्राज्य ने हिन्दुस्तान में जो दीवारें बना रखी थीं उनमें से एक दीवार का नाम था—देशी रियासतें। ये ४८४ रियासतें—इनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की वाष्पिक आमदनी की १६ रियासतें थीं और ऐसी रियासतें भी थीं जिनकी आमदनी एक भट्टभूंजे की आमदनी से अधिक न थी, इनमें ८४,४७६ वर्ग मील (काश्मीर) और ८२,३१३ वर्गमील (हैदराबाद) के लेन्ड की रियासतें भी थीं और १० वर्गमील के लेन्ड से कम की २०२ रियासतें भी थीं—यह ४८४ रियासतें १५ अगस्त १९४७ के पहले के हिन्दुस्तान के ४२ प्रतिशत लेन्ड की मालिक थीं। बीसवीं सदी के शुरू से उठ रहा राष्ट्रीयता का तूफान इनके आधिपत्य में सरसरा तक नहीं सकता था। इतने बड़े लेन्ड में प्रतिगामी सामन्तवाद को जीवित रखता था केवल विदेशी शासन का हित। ब्रिटिश छत्राधिकार के तर्के यह प्रतिक्रिया का सूख पनपता था और अन्त तक पनपता रहा। अंग्रेजों के

हिन्दुस्तान से निकलने के समय इन रियासतों के सम्बन्ध में छुत्राधिकार नए शासन को न सौंपने की जिस नीति की वोषणा की उसमें देश के छिन्न भिन्न होने के बीच थे। इस महान् संकट से हिन्दुस्तान लाई माउंटबेटन की संलग्नता और श्री वल्लभभाई पटेल की राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता से परिपूर्ण कार्य-संचालन से बच गया।

इन ८८४ रियासतों में से ४० रियासतों की अंग्रेजों से विशेष संविधां थीं। पर्याप्त संख्या का कोई-न-कोई समझौता था अथवा सरकारी सनद् प्राप्त थी। शेषकी सत्ताको त्रिटिश सम्राट् स्वीकार करते थे।

१५ अगस्त १९४७ के बाद के हिन्दुस्तान का ४८ प्रतिशत चौत्र (५,८७,८८८ वर्ग मील) उन रियासतों का था जो देश के भूगोल से गहराई से उक्कड़ी हुई थीं। हिन्दुस्तान के नए स्वतन्त्र राष्ट्र का हित तभी सुरक्षित रह सकता था जब उसके अन्तर में स्थित ४८ प्रतिशत चौत्र अपना हित देश के हित में मान ले। आवश्यक होगया कि ये सभी रियासतें अपने को हिन्दुस्तान का अंग समझें।

१९३५ के गवर्नर्मेंट आफ हैंडिया एक्ट के अनुसार इन रियासतों को रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात के विषयों पर हिन्दुस्तानी संघ से सम्बन्धित करने की योजना बनाई गई। इन विषयों के अतिरिक्त शेष अधिकार-चौत्र पर विटेन का छुत्राधिकार ही यथापूर्व बने रहना था। इन रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए हिन्दुस्तान के प्रतिगामियों के साथ मिलकर देश की उन्नति में रोड़ा अटका सकना सुलभ था।

लेकिन १९३५ के ऐक्ट की संघ-योजना लागू न की जा सकी।

१९३६ से १९४६ तक हिन्दुस्तान की राजनैतिक शान्ति व क्रान्ति-भय उथल-पुथल में रियासतों का अधिक उत्तेज नहीं है। १६ मई ४६ की कैविनेट मिशन योजना ने यह प्रेस्तात रखा कि हिन्दुस्तान को राज्य-सत्ता सौंपते वक्त विटेन अपने छुत्राधिकारों (पैरामाड-ट्सी) को न तो स्वयं अपने पास रख सकता है, न नहीं राज्य-सत्ता को ही सौंप

सकता है। रियासतों और हिन्दुस्तान ने पारस्परिक यातचीत से अपने सम्बन्धों को तोलना और निश्चय करना है। १६ मई की योजनानुसार जो केन्द्रीय संघ बनाना था उसमे शामिल होने वाली रियासतें उसे केवल रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और आवायात विषयक अधिकार मांगेगी। शेष अधिकार (रेजिल्यू पार्ट्स) रियासतों के अपने पास रहेंगे।

कैविनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार हिन्दुस्तानी शौर रियायती प्रतिनिधियों में तब तक यातचीत होती रही जब तक कि ३ जून १९४७ का सत्ता हस्तांतरित करने या नया प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। इन दिनों रियासतों के प्रतिमामी अंग ने मारी यातचीत को ही नएप्राय करने की कोशिश की। इसके बावजूद कुछ रियासतों ने विधान-परिषद में सहयोग देना स्वीकार कर लिया और बड़ौदा, कोचीन, जयपुर, जोधपुर, वीकानेर, पटियाला और रेवा के प्रतिनिधि २८ अप्रैल १९४७ को विधान-परिषद में बैठे। विधान-परिषद में रियायती प्रतिनिधियों की संख्या ६० थी, इसमें २४ प्रतिनिधि जुने भी गए थे।

३ जून १९४७ की क्रान्तिकारी घोषणा में रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए कहा गया—“विदेश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि जिन निर्णयों का ऊपर वर्णन किया गया है वह केवल अंग्रेजी भारत से सम्बन्ध रखते हैं और हिन्दुस्तानी रियासतों के प्रति कैविनेट मिशन के १६ मई १९४६ के प्रस्ताव में जिखी गई नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।”

जुलाई में पास हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एकट ने रियासतों को विदेश छुटाधिकार से सुकृत कर दिया। यह छुटाधिकार विदेश सम्राट के प्रति-निधि वायसराय पोलिटिकल डिपार्टमेंट के साधन से चरता करते थे। छुटाधिकारों के लोप के साथ-साथ इस विभाग का अस्तित्व भी नहीं रहना था। २७ जून को हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि रियासतों से संबंधी प्रश्नों पर समर्क बनाए रखने के द्वारा ले रियासती विभाग की स्थापना की गई है। श्री वल्लभभाई

पटेल ने इस विभाग का उत्तरदायित्व संभाला । श्री चौ० पी० मैनन मंत्री बने । पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखने के लिए मिस्टर अद्दुल रब निरतर और मिस्टर इकामुख्लाह सहायक मनोनीत हुए ।

२ जुलाई १९४७ को श्री वल्लभभाई पटेल का रियासतों के नाम एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित हुआ । इसमें भारत सरकार की रियासतों के प्रति नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि रियासतों से रक्षा, विदेशी सम्बन्ध और यातायात के अधिकारों के अलावा सरकार और कोई अधिकार नहीं लिया चाहती । यह अधिकार देश के सांस्कै हित से सम्बन्धित है । हिन्दुस्तान रियासतों की स्वतन्त्र सत्ता का सदा मान करेगा । भारत सरकार के नए रियासत विभाग की ओर से आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि यह विभाग रियासतों से कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे इस विभाग की उच्चता अंथवा रियासतों की छुद्दता की मजलक मिले । श्री पटेलने यह भी कहा कि इस वक्त पारस्परिक अस-हयोग का अर्थ होगा अराजकता, और यह अराजकता छोटे व बड़े सभी को निर्भूल कर देगी ।

इस वक्तव्य ने रियासती नरेशों पर अच्छा प्रभाव डाला । उनसे समझौते की ओर दूसरा कदम २५ जुलाई १९४७ को नरेश-मंडल का अधिवेशन बुलाकर उठाया गया । इस अधिवेशन में लाई मार्टिनेट ने भाषण दिया और कहा कि जिन विषयों के अधिकार आपसे मांगे जा रहे हैं, उनके विषय में न तो आपको अनुभव ही है और न उन्हें निभाने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन ही हैं । यह आपके ही हित में है कि आप किसी-न-किसी ढोमीनियन से नाता जोड़ लें, लेकिन आपमें से शायः अधिकांश की भौगोलिक स्थिति आपको मजबूर कर देगी कि आप हिन्दुस्तान से ही नाता जोड़ें । इसमें जहाँ हिन्दुस्तान का हित है वहाँ आपकी भी परम हित-साधना है । जिन अधिकारों को आप हिन्दुस्तान को सौंप रहे हैं, उनके लिए कोई आर्थिक उत्तरदायित्व आप पर द्वारी नहीं होता, न आपकी आन्तरिक अधिकार-सत्ता में हस्तक्षेप

करने की हिन्दुस्तान की कोई इच्छा ही है।

इस अधिवेशन में इन नरेशों ने उस समिति का निर्वाचन किया जिसे हिन्दुस्तान से मिलने की शर्तों को तय करना था।

हिन्दुस्तान रघुनन्द्र होने जा रहा है, इस सत्य ने रियासतों और हिन्दुस्तान की पारस्परिक सम्बन्ध विषयक नीतिको काफी हद तक और वास्तविक बना दिया था। जो दीवारें रियासती नरेशों को हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं से अलग रखती थीं वह टूट रही थीं। इस अदचन के हटने से बातचीत को नफल होने में बढ़ी सहायता मिली। मुंछ नरेशों ने देश-प्रेम भी दिखाया था। आगे बढ़कर नरेशों की सामूहिक फ़िक्र को तोड़ दिया। हैंदरागढ़, काश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर हिन्दुस्तान की भाँगोलिक सीमाओं की सभी रियासतों ने हिन्दुस्तान से मिल जाने की घोषणा कर दी। इन रियासतों ने हिन्दुस्तान से समिलित होने के घोषणापत्रों (इन्हुंनें इस आफ एक्सेशनम्) पर और यथापूर्व प्रबन्ध के समझातों (मैट्टर्सिटल ऐश्वर्यमेटम्) पर दस्तखत कर दिए।

स्वाधीनता के दिन के बाद

१५ अगस्त १९४७ के दिन रियासतों और हिन्दुस्तान के बीच विदेशी हितों ने जो स्वार्ह खोद रखी थी वह पट गई। जोप हिन्दुस्तान ने राजनीतिक आनंदोलन के फलस्वरूप जो आजादी पाई थी, उसे पाने के लिए रियासती प्रजाओं में बेचेनी जाग उठी।

बहुत-सी रियासतों में प्रजा-आनंदोलन पिछले कुछ बरसों से चल रहे थे। बहुत-सी पेसी रियासतें भी थीं जहां की प्रजा आज़ादी की मांग को मुखित न कर पाई थी। दोनों में अब स्वतंत्रता-आनंदोलन सफल होने को बेताव होने लगे।

एक और इस प्रकार प्रजा में अधिकार पाने की लालसा उठी, दूसरी और छोटी-छोटी तथाकथित रियासतों को मिलाकर शासन प्रबन्ध की दृष्टि से योग्य इकाई बनाने के उद्देश्य से उनकी सीमाओं का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। पश्चिमी हिन्द की कुछ रियासतों को, जिनका ज्ञेन्त्र ७०००

वर्गमील और आबादी ८० लाख थी, १९४३ में पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने बड़ी रियासतों के साथ मिला दिया था, लेकिन वह आनंदोलन अंग्रेजों के कात्त में जोर न पकड़ सका।

अब इस ओर प्रयास शुरू हुए। देश के एकत्रीकरण के लिए जरूरों था कि रियासतों की संख्या, उन्हें प्रान्तों से मिलाकर या उनका समूहीकरण करके, घटा दी जाए। छोटी छोटी रियासतें थोड़ी भी कठिनाइयाँ पेश होने पर उनका मुकाबला करने में अपने आपको अपर्याप्त पाती थीं। उदाहरण के लिए पूर्वी रियासतों में, जो उडीसा व छत्तीसगढ़ की रियासतों के नाम से प्रसिद्ध थीं, इतनी अशान्ति फैल चुकी थी कि स्थिति वहाँ के शासकों से संभाले न संभलती थी।

दिसंबर १९४७ के दूसरे सप्ताह में रियासती विभाग के मन्त्री श्री वर्लभभाई पटेल कटक और नागपुर गए। उन्होंने उडीसा व छत्तीसगढ़ रियासतों के राजाओं से बातचीत की। इन राजाओं ने यदोसी प्रान्तों में अपनी सत्ता को मिला देना स्वीकार कर लिया।

रियासते—जो प्रान्तों में विलीन हुईं

परिणामस्वरूप १४ दिसंबर १९४७ और उडीसा व छत्तीसगढ़ इसके बाद की तारीखों को उडीसा और की रियासते।

छत्तीसगढ़ की ३८ रियासतों का, जिनका किंचत्र ५६ हजार वर्गमील, आबादी ७० लाख और आय २ करोड़ रुपये के लगभग थी, अस्तित्व लोप हो गया। इनका शासन-प्रबन्ध १ जनवरी १९४८ से उडीसा ने संभाल लिया। छत्तीसगढ़ की १५ रियासतें उसी दिन मध्य-प्रान्त से मिल गईं।

इन रियासतों से जो समझौता हुआ, वैसा ही शेष रियासतों से भी हुआ। इन राजाओं को उत्तराधिकार, खर्च, व्यक्तिगत जायदादों, अधिकार, खिताब और मान की रक्षा की गारन्टी दी गई। इनके जो खर्च स्वीकृत हुए, उनके हिसाब का ब्योरा यह है। औसत वार्षिक आमदानी के पहले १ लाख रुपए का १५ प्रतिशत, २ से ५ लाख तक

१० प्रतिशत, ५ लाख से ऊपर ७½ प्रतिशत। यद्य भी निश्चित हुआ कि किसीका स्वीकृत खर्च १० लाख से आधिक नहीं होगा।

मध्य-भारत की मकाई रियासत (चेन्नैफल्ल मकाई रियासत १५१ वर्ग मील, आवादी १५ हजार, वार्षिक आय २५ हजार रुपए) ने १ फरवरी १६४८ को एक ऐसे ही समझौते पर दस्तखत कर दिए और मध्य-प्रान्त से मिल गई।

उठीसा में मिलने वाली रियासतों में दो रियासते थीं—सराय केला (चेन्नैफल्ल ४६६ वर्गमील, आवादी १५ हजार) और खरसवाँ (चेन्नैफल्ल १५७ वर्गमील, आवादी ५० हजार) दोनों की आय ६ लाख ४८ हजार थी। शासन-प्रबन्ध की सहूलियत टेखकर १८ मई १६४८ से इन्हें विहार के प्रान्त से मिला दिया गया।

इसके बाद १६ फरवरी १६४८ को दक्षिण की दक्षिण की रियासतें रियासतों ने बम्बई प्रान्त से मिलने के समझौते पर हस्ताचर कर दिए। कोल्हापुर रियासत ने ऐसा नहीं किया। जो १७ रियासतें बम्बई से मिलती उनका चेन्नै ७६५१ वर्गमील, आवादी ३७ लाख और आय लगभग १ करोड़ ४० लाख रुपए वार्षिक थी।

गुजरात की रियासतों में से उत्तरी प्रदेशों की गुजरात की रियासतें कुछ रियासतें हिन्दू और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। इस प्रदेश के शासन को दक्षतर करने के लिए छोटी-छोटी रियासतों का एकत्रीकरण अथवा बम्बई प्रान्त में मिल जाना आवश्यक प्रतीत हुआ। इस प्रश्न पर विचार करने के बाद गुजरात की १५७ रियासतों ने १६ मार्च १६४८ को बम्बई प्रान्त से मिल जाने के समझौते पर हस्ताचर कर दिए और १० जून १६४८ से बम्बई ने इनका शासन संभाल लिया। इन रियासतों, जागीरों, तालुकों और थानों की संख्या १५७ थी, चेन्नैफल्ल १६३०० वर्गमील, आवादी

२७ लाख और आय २ करोड़ ६५ लाख रुपया वार्षिक ।

डांग और दूसरी
जागीरें

बत्रक कंठ थाने की डांग और कुछ दूसरी
जागीरें जिनका क्षेत्रफल ८७० वर्ग मील और
आवादी ४८ हजार पाँच सौ थी—१६ जनवरी—
१६४८ को बस्ती से मिल गई ।

लोहारु, दुजाना
और पटौदी

आय १० लाख ३८ हजार और आय १० लाख ३८ हजार थी ।

बंगनपल्ले,
पुदुकोट्टाई

१८ और १६ फरवरी १६४८ को यह दो रिया-
सतें मद्रास प्रान्त के साथ मिल गईं । इनका
क्षेत्रफल १४४४ वर्ग मील, आवादी ३ लाख
८३ हजार और आय ३२ लाख थी ।

कच्चु

कच्चु रियासत का क्षेत्रफल ८४६१ वर्गमील है
आवादी ५ लाख से ऊपर और आय ८० लाख
रुपये वार्षिक । यह रियासत भारतीय उपनि-
वेश से मिल गई है और केन्द्र के मात्रात्मक, चीफ कमिशनर के प्रान्त की
तरह, इसका शासन चलेगा । इस विधायक समझौता ४ मई १६४८ को
हुआ । १ जून १६४८ से शासन-प्रबन्ध हिन्दू सरकार को सौंप दिया
गया ।

पूर्वी पंजाब की
पहाड़ी रियासतें

प्रदेश का १५ अप्रैल

पूर्वी पंजाब की २१ पहाड़ी रियासतों का एकी-
करण करके केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित एक
नया प्रान्त बना दिया गया है । इस प्रान्त का
नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया है । हिमाचल
प्रदेश का १६४८ को जन्म हुआ । इस प्रदेश का क्षेत्रफल

महाराणा उदयपुरने राजस्थान संघ बन जानेके बाद रियासती विभाग को लिखा कि यदि उनकी रियासतों को संघ में उचित स्थान प्राप्त होने का आश्वासन मिले तो वह इस संघ में शामिल होने को तैयार है। इस पर एक नए समझौते के अनुसार महाराणा उदयपुर को जीवन भर के लिए राजप्रमुख बनाया गया और उनका खर्च १० लाख रुपया वार्षिक स्वीकृत हुआ। इस के अलावा उन्हें राजप्रमुख की हैसियत से ५ लाख रुपया और दानपुण्य के लिए ५ लाख रुपया वार्षिक अलग मिला करेगा।

मध्य-भारत संघ इस पुनर्निर्मित राजस्थान संघ का जन्म १८ अप्रैल १९४८ को हुआ। ग्वालियर, इन्दौर और मालवा की रियासतों ने मिलकर २२ अप्रैल १९४८ को मध्य-भारत संघ (मालवा संघ) बनाया। २८ मई १९४८ को इस संघ का जन्म हुआ। इसका क्षेत्रफल ४६,२७३ वर्गमील, आबादी ७१ लाख और आय लगभग ८ करोड़ रुपए वार्षिक है।

मध्य भारत के इन नरेशों की दिल्ली में २०, २१ और २२ अप्रैल को एक सभा हुई। मध्य-भारत संघ बनाने के विषय में निम्न फैसले किये गए :

राज प्रमुख के नुनाव के लिए प्रत्येक राजा का अपनी रियासत की दूर एक लाख प्रजा के हिसाब से एक बोट होगा।

जीवन भर के लिए ग्वालियर और इन्दौर के नरेश इस संघ के राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख रहेंगे।

उप-राजप्रमुख को भी उचित खर्च मिलेगा।

ग्वालियर और इन्दौर के नरेशों का खर्च नियत रकम से अधिक निश्चित किया गया।

मध्य भारत की जिन रियासतों के सम्बन्ध-शासनका भार राजप्रमुख को सौंपा गया है उनकी आबादी में ५० प्रतिशत से अधिक भील हैं। इस विषय में वह भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार काम करेंगे।

राजप्रमुख को अधिकार होगा कि वह जागीरों और जागीरदारों के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में निश्चय करे।

इस अधिकार में परिवर्तन मध्य-भारत संघ की धारा-सभा के फैसले पर हो सकेगा।

बालियर और इन्दौर नरेश अपनी सीमाओं में मृत्युदण्ड-प्राप्त अभियुक्तों को दण्ड से उन्मुक्त करने अथवा दण्ड में कभी को आज्ञा दे सकेंगे।

४ मई १९४८ को पटियाला, कपूरथला, पटियाला और पूर्वी ज़ोद, नाभा, फरीदकोट, मलेरकोटला नालागढ़, पंजाब रियासती संघ और कलसिया की रियासतों ने मिलकर इस संघ को बनाया।

पहले योजना थी कि पटियाला को छोड़कर बाकी रियासतों का संघ बनाया जाए। इन रियासतों का चैनफल ३६६३ वर्गमील, आवादी १३६६ लाख ६८ हजार और वार्षिक आय लगभग २ करोड़ रुपया थी। बाद में पटियाला को भी इसी संघ में शामिल कर। लेने के सुनाव पर कार्य किया गया।

समझौते की मुख्य शर्तें यह हैं—

पटियाला और कपूरथला के नरेश जीवन-भर राजप्रमुख व उपराजने प्रमुख रहेंगे।

प्रत्येक राजा को राजप्रमुख के चुनाव के लिए अपनी रियासतकी हार-एक लाख प्रजा के हिसाब से १ बोट मिलेगा। उपराजप्रमुख के चुनाव में पटियाला के नरेश भाग न ले सकेंगे।

जब तक इस प्रदेश की विधान-परिषद् इस प्रदेशका नया नाम नहीं चुन सकती, इस प्रदेश को पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती संघ के नाम से पुकारा जाएगा।

नालागढ़ और कलसिया की रियासतों को नरेशों की कौंसिल में चारी-चारी से जगह मिलेगी।

१५ जुलाई १९४८ को इस संघ का कार्य आरम्भ हुआ। इस संघ का चेत्रफल १०, ११६ वर्गमील, आवादी३४लाख २४हजार और वार्षिक आय लगभग ५ करोड़ रुपये हैं।

पर्यालोचन

स्वतन्त्रता के पहले वर्ष में हिन्दुस्तानकी रियासतों के पुनर्सङ्गठन का संचिप्त विवरण इस प्रकार है :

१. अभी कुछ ऐसी रियासतें बच गई हैं जो अपने अपर्याप्त साधनों के कारण वैधानिक हृकाहृ के रूप में जिन्दा नहीं रह सकतीं। इनके विषय में प्रान्तों में मिल जाने व अलहदा संघ बनाने का निश्चय अभी होना है। यह रियासतें निम्नलिखित हैं :

	चेत्रफल (वर्गमील)	आवादी
१. बनारस	८६६	४५१,४२८
२. कूच विहार	१३१८	६४०,८४८
३. जेसलमेर	१५६८	८३,२४६
४. खासी १२ रियासतें	३७८८	२१३,५८६
५. मनीपुर	८६२०	५१२,०६६
६. रामपुर	८६४	४७७,०४२
७. सन्दूर	१५८	१५,८१६
८. ठिहरी गढ़वाल	४५१६	३६७,३६६
९. ग्रिमुता	४११६	५१३,०१०

२. १२ रियासतें ऐसी हैं जिन्हे भारतीय विधान-परिषद् में अलहदा-अलहदा प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जो सम्यग् हृकाहृ के रूप में बनी रह सकती हैं :

	चेत्रफल (वर्गमील)	आवादी
१. बडौदा	८,२३५	२८,५८,०१०
२. हैदराबाद	८२,३१३	१,६३,३८,५३४

३.	जम्मू व काश्मीर	८४,४७१	४०,२१,६१६
४.	मैसूर	२६,४२८	७३,२६,१४०
५.	भोपाल	६,६२१	७,५५,३२२
६.	कोल्हापुर	३,२१६	१०,६२,०४६
७.	ब्र.वंकोर	७,६६२	६०,७०,०१८
८.	बीकानेर	२३,१८१	१२,६०,६४८
९.	कोचीन	१,४६३	१४,२२,८७८
१०.	जयपुर	१५,६१०	३०,४०,८७६
११.	जोधपुर	३६,१२०	२५,५५,६०४
१२.	म्यूरभन्ज	४,०३४	६,६०,६७७

इन रियासतों के बारे में हिन्दू सरकार की नीति यह है कि भारत से मिलने आयवा संघ बनाने के लिए इन पर कोई दबाव नहीं डाला जायगा-- केवल शासकों और प्रजा के कहने पर ही इस ओर कदम उठाया जा सकता है। भारत सरकार यह आशा करती है कि यह रियासतें अपने हँडों से उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी।

३. जो रियासते प्रान्तों आयवा केन्द्र से मिल रही है उनका च्योरा यह है :

प्रान्त या	मिलने वाली	क्षेत्रफल	आनादी	आय
केन्द्र रियासतों की संख्या (घर्गमील) (लाखों में) (लाखों में)				
उडीसा	२३	२३,६३७	४०,४६	६८,७४
सध्यप्रान्त और बरार	१५	३१,७४६	२८,३४	८८,३१
बिहार	२	६२३	२,०८	६,४५
मद्रास	२	१,४४४	४,८३	३०,८१
पूर्वी पंजाब	३	३७०	८०	१०,३८
अस्सी	१७४	२६,६२१	४३,६७	३०७,१५

हिमाचल प्रदेश(केन्द्राधीन)	२९	१०,६००	३४.५६	८४.५६
कर्छु (केन्द्राधीन)	१	८,४६१	५.०१	८०.००
योग	२४१	१,०३,८३५	१३४.८५	७०६.४०

४. इसके बाद वह रियासतें हैं जिन्होने मिलकर सब बना लिये हैं। उनका व्योरा यह है :

इकट्ठी होने

संघ	वाली रियासतों के ब्रकल की संख्या	(वर्गमील)	आवादी (लाखों में)	आय (लाखों में)
सौराष्ट्र	२१७	३१,८८५	३५.२२	८००.००
मत्स्य	४	७,५३६	१८.३८	१८३.०६
विन्ध्या प्रदेश	३५	२४,६१०	३५.६६	२४६.३०
राजस्थान	१०	२६,६६७	४२.६१	४१६.६७
मध्य-भारत	२०	४६,२७३	७१.५०	७७६.४२

पटियाला और

पूर्वी पंजाब को

रियासतें	८	१०,११६	३४.२४	८००.००
योग	२६४	१,५०,४००	२३७ ६४	२८,१६,४५

५. हिन्दुस्तान से जाते समय अंग्रेज ५८४ के लगभग रियासतें छोड़ गए थे। इनमें से अब तक ४२५ या तो प्रान्तों में मिलकर अपना पृथक् अस्तित्व खो चुकी हैं या ६ रियासत-जंघों में मिल चुकी हैं। शेष का विलीनीकरण अथवा एकीकरण शीघ्र सम्पन्न हो जायगा। इस तरह हिन्दुस्तान में हनी-गिनी रियासतें ही रह जायंगी जो प्रायः सभी बातों में हिन्दुस्तान के शेष प्रान्तों की तरह होंगी।

नवजीवन और स्वतन्त्रता

हिन्दुस्तान की राजनीति में अराजकता की पूष्टपोषक ताकतें सवाल किया करती हैं—क्या इस तरह रियासतों की गुटबन्दी से सामन्त

बाद की ताकतों का एकीकरण नहीं हो रहा है ? क्या प्रजाओं के अधिकारों की उपेक्षा करके प्रतिगामी रियासती नरेशों को नहीं जिन्दगी का आशवासन नहीं मिला ?

सच्चाई यह है कि दुनिया के इतिहास में रक्तपात के बिना इतने बड़े पैमाने पर क्रान्तिकारी परिवर्तन का उदाहरण हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद रियासतों के प्रश्न के सुलझने के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता। एक वर्ष के अन्दर-अन्दर अधिकांश रियासतों की प्रजा को पूरे अधिकार दिये जाने की घोषणा हो चुकी है। प्रजा विधान-परिषदों के साधन से अपने विधान के निर्माण को स्वयं जिम्मेदार होगी। यह विधान-परिषद् बनने और इसके प्रति उत्तरदायी मन्त्र-मंडलों के निर्वाचन तक रियासती-संघों में प्रजा के विश्वासप्राप्त नेताओं ने अन्तःकालीन सरकारें बना ली हैं। जो रियासते स्वतन्त्र इकाई की तरह रहेगी उनमें भी प्रजा को अधिकार मिल रहे हैं। कोचीन, त्रावंकोर और मैसूर की दक्षिण स्थित रियासतों की प्रजा ने सबसे पहले अधिकार प्राप्ति की और वहा लोकप्रिय सरकारे बनीं। मयूरभन्ज, जोधपुर, जयपुर और बड़ौदा में अन्तःकालीन लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल काम कर रहे हैं। काश्मीर में जनता के अगृणी, शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के हाथों में राज्य-सत्ता हो गई है। बीकानेर और भोपाल में भी अन्तःकालीन सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। इस तरह स्वतन्त्रता की धारा के विरुद्ध कोई निरक्षण सत्ता खड़ी नहीं रह सकी।

जो रियासते प्रान्तों से मिल गई है, उनकी प्रजा ने युद्धखुद वही अधिकार मिल गए हैं जो प्रान्तीय प्रजा को मिले हैं।

रियासती संघों के निर्माण के बबत जो समझौते हुए हैं, एक धारा उन सभी से एक समान अन्तर्गत है—जितनी जल्दी सम्भव हो, अनुसूची में लिखे तरीकों के अनुसार एक विधान-परिषद् बनाई जायगा—और यह कि इस परिषद का कर्तव्य होगा कि संघ के लिए हस समझौते और भारतीय विधान की सीमा में परिमित रहते हुए, और धारा-

सभा के प्रति उत्तरदायी, अपने शासन-विधान को बनाए।

अनुसूचि में विधान-परिषद बनाने की विधि लिखी गई है। सभी संघों में जो विधान-परिषद बनेगे उनमें संघ के हर एक लाल व्यक्तियों के लिए १ प्रतिनिधि निर्वाचित होगा। परिषद के चुनावों में भाग लेने अथवा खड़े होने की शर्तें वही होगी जो हिन्दुस्तान के प्रान्तों में प्रचलित होंगी। इस तरह इन संघों में उसी तक प्रजा को अधिकार हस्तगत होगए जो पढ़ोसी प्रान्तों के नागरिकों के हाथों में हैं।

१४ अगस्त १९४७ तक रियासतों ने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के जिन घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, अब संघ निर्माण के बाद उनमें भी परिवर्तनकर दिया गया है ताकि प्रान्तों व संघों की वैधानिक और कानूनी परिस्थितियों में समता लाई जा सके। इस विषय पर विचार के लिए ६ मई १९४७ को दिल्ली में संघों के राज-प्रमुखों की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने हिन्दुस्तान से सम्मिलित होने के एक नए घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया।

इस इन्ड्यूमेट आफ एक्सेशन के अनुसार राजप्रमुखों ने रियासती-संघों में हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल, धारा-सभा, फेडरल कोर्ट, अथवा अन्य विशेष अधिकारियों द्वारा स्वीकृत अधिकारों के प्रयोग व प्रभावको मान लिया। भारतीय धारा-सभा को यह अधिकार मिल गया कि वह गवर्नरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ की ऊर्वा अनुसूचि की पहली और तीसरी धारा में उल्लिखित विषयों पर संघों पर लागू होने वाले कानून बना सकती है।

इस समझौते के अनुसार प्रान्तों और रियासती संघोंमें कानून संबन्धी विषमता न रह पाएगी। वेवल एक अधिकार हंघों के पास रहेगा—वह है आय-कर लगाने का। हिन्दुस्तान की धारा-सभा टैक्स अथवा ड्यूटी के सम्बन्ध में हंघों पर लागू होने वाला कोई कानून न बना सकेगी।

इम तरह रियासतों के शासन को जोकराज सिद्धान्तों पर चलाने और रियासतों की भरकम संख्या में कमी करने का द्विसुखी आनंदोलन एक साथ सम्पन्न हुआ है। सहसा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कैसे होगा, यह उसी प्रकार रियासती प्रजा पर निर्भर है जित तरह कि हिन्दुस्तान की प्रजा पर ।

जूनागढ़

जूनागढ़ की रियासत पश्चिमी हिन्दुस्तान की काठियावाड में स्थित रियासतों में से एक रियासत है। इसका क्षेत्रफल ३३३७ वर्गमील और आबादी ६,७०,७१६ है।

जूनागढ़ रियासत ने अचानक घोपणा कर दी कि वह पाकिस्तान में शामिल हो गई है।

जूनागढ़ रियासत ऐसो रियासतों से विरी हुई है जो कि पहले ही हिन्दुस्तान में मिल चुकी थीं। खुद जूनागढ़ की रियासत के कुछ प्रदेश ऐसे ये जो हिन्दुस्तान से मिलने की घोपणा कर चुके थे। जूनागढ़ रियासत की सीमा के द्वीप भावनगर, नवानगर, गोडाल और बडौदा की सीमाओं में स्थित थे। जूनागढ़ रियासत के रेलवे, डाक व तार का प्रबन्ध हिन्दुस्तान से जुड़ा हुआ था। इस रियासत की ६ लाख ७१ हजार आबादी में से ५ लाख ४२ हजार हिन्दू (८१ प्रतिशत) थे।

विटि गुवाधिकारों की समाप्ति पर यद्यपि सब रियासतों को यह अधिकार था कि वह जिस किसी भी ढोमीनियन से नाता जोड़ लें किन यह हमेशा माना गया था कि ऐसा करते समय भौगोलिक परिस्थितियों का ध्यान रखा जायगा। खुद जूनागढ़ के नवाब साहिब ने अपने भाषणों

में काठियावाड के ऐक्य के सिद्धान्त का समर्थन किया था। लेकिन जूनागढ़ ने हिन्दुस्तान से नाता जोड़ने की कोई वातचीत नहीं की। बना किसी पूर्व सूचना के केवल यह घोपणा कर दी गई कि रियासत पाकिस्तान से सम्बंधित हो चुकी है।

इस घोपणा के पहले भारत सरकार ने मिश्टर बी०पी० मेनन को नवाब जूनागढ़ से मिलने के लिए भेजा लेकिन जूनागढ़ के दीवान ने नवाब की ओर से इस भेट से इन्कार कर दिया।

इस बीच जूनागढ़ के समीपवर्ती, हिन्दुस्तान से सम्बन्धित रियासतों ने और काठियावाड के दूसरे प्रदेशों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि जूनागढ़ के इस कदम से उन्हें अपने अस्तित्व के प्रति खतरा पैदा हो गया है और हिन्दू काफी संख्या में रियासत से भाग रहे हैं।

इस दौरान में श्री समलदास गांधी के नेतृत्व में जूनागढ़ की सीमा के बाहर जूनागढ़ के लिए एक नई सरकार स्थापित हुई। रियासत की प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और इस नई सरकार के सिपाही जूनागढ़ के सब प्रदेशों को एक एक करके नवाब के आधिपत्य से मुक्त कराने लगे।

बावरियावाड़ और मंगोल के प्रदेशों में, जो कि हिन्दुस्तान में शामिल हो चुके थे, जूनागढ़ ने इस बीच अपनी फौजी दस्ते भेज दिये थे। हिन्दुस्तान इन दस्तों के बापिस बुलाए जाने की मांग कर रहा था। काठियावाड के राजाओं और प्रजा की इच्छानुसार अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हिन्दुस्तानी फौज का एक दस्ता पोरबन्दर भेजा गया। २१ अक्टूबर को बावरियावाड का शासन-प्रबन्ध हिन्दुस्तानी हाथों में ले लिया गया। मंगोल का शासनाधिकार भी इसी तरह शान्तपूर्वक संभाल लिया गया।

८ नवम्बर १९४७ को जूनागढ़ की स्टेट कौसिल के सदस्य मि० हार्वे जोन्स ने जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज़ भुट्टो का एक पत्र राजकोट में स्थित हिन्दुस्तान के रिजनक्ष कमिशनर को दिया। इस पत्र

में प्रार्थना की गई थी कि हिन्दुस्तान को सरकार जूनागढ के राज्य-प्रबन्ध को अपने हाथ में ले ले। इस पत्र में सर शाह नवाज़ ने लिखा कि तार द्वारा इस प्रार्थना की सूचना वह पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री मिं। लियाकत अल्ली को भी दे चुके हैं। इस प्रार्थना पर हिन्दू सरकार ने विचार किया और राजकोट स्थित रिजनल कमिशनर को ६ नवम्बर को श्राद्धा दी कि जूनागढ का शासन तुरन्त अपने हाथों में ले ले ताकि इस प्रदेश से अराजकता न फैलने पाए।

राज्य कार्य को संभाल लेने के बाद परिषद नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री लियाकत अल्लो को एक तार में कहा कि हिन्दुस्तान ने जूनागढ का शासन अस्थायी तौर पर संभाला है। हिन्दुस्तान की इच्छा है कि जूनागढ का स्थायी भविष्य वहाँ की जनता की इच्छा का पता लगाकर ही निश्चित किया जाए।

जूनागढ़ की मत-गणना का परिणाम

२४ फरवरी १९४८ को भारत सरकार के रियासती विभाग ने एक विज्ञप्ति में जूनागढ व पडोसी छोटी-छोटी रियासतों में हुई मतगणना का परिणाम सुनाया। इन रियासतों की प्रजा का हिन्दुस्तान से शामिल होने का निश्चय प्रायः शत-प्रतिशत था। मत-गणना के हर स्थान पर जो कमेटी प्रबन्ध के लिए बैठी थी, उसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सदस्य थे। मत-गणना का सुख्य प्रबन्ध-भार श्री नागरकर पर था।

परिणाम इस प्रकार रहा :

मताधिकारी	जो चोट डाले गए
मुसलमान	हिन्दुस्तान
गैर-मुस्लिम	पाकिस्तान
जूनागढ २१,६०६	१,७८,६६३
मंगोल ०	१,६०,७७६
मानवदार ८,२२०	८,४३६
	६१
	८
	११

बटवा (बढ़ा)	२४६	११७८	१०६१	१०
बटवा (छोटा)	३७	१,३६३	१,४१२	...
सरदारगढ़ तालुका	२३१	३,१६२	३,२४१	२
बावरियावाड	२४३	५,६३७	५,३६२	८

हैदराबाद

हैदराबाद रियासत का चेत्रफल ८२,३१३ वर्गमील, आवादी १,६३,३८८,५३४ है। मीर उस्मान अली रियासत के निजाम हैं। इन्होंने १६११मे गढ़ी संभाली। गढ़ी पर आने के कुछ महीने बाद तत्कालीन बाइसराय लाड हार्डिंग ने इन्हें चेतावनी देते हुए लिखा—“दो वर्ष तक देखा जायगा कि यह किस तरह राज्य करते हैं; इस समय के बाद जरूरत पटने पर भारत सरकार के लिए यह बहुत ही आसान बात होगी कि उन्हें गढ़ी से उतार कर कौसिल आफ रीजेसी स्थापित कर दी जाए।”

निजाम मीर उस्मान अली ने जून १६४७ मे यह देखकर कि हिन्दुस्तान आजाद होने जा रहा है, घोषणा की कि वह अपनी रियासत को स्वतन्त्र बनाकर रखेंगे और हिन्दुस्तान में शामिल नहीं होंगे।

भारत सरकार ने पहले अगस्त १६४७ और फिर अगस्त १६४८ में निजाम को लिखा कि रियासत के राजनीतिक भविष्य का फैसला प्रजा द्वारा होना चाहिए क्योंकि राज्य-सत्ता राजा मे नहीं प्रजा में निहित है। यदि हिन्दुस्तान छोड़ते समय अंग्रेज अपने छत्राधिकार समेट कर चले गए हैं तो मूल स्वत्वाधिकार प्रजा को प्राप्त होगए हैं, न कि राजाओं को।

रियासत की आवादी का ८६.५ प्रतिशत भाग हिन्दू है, १२.५

प्रतिशत मुसलमान और १ प्रतिशत शेष जातियों का। लेकिन रियासत के शासन प्रबन्ध में ७५ प्रतिशत अधिकार मुसलमानों को, २० प्रतिशत हिन्दुओं को और ५ प्रतिशत शेष जातियों को दिया गया था। रियासत के ४ सूबों में बटी है और चारों सूबों के सूबेदार मुसलमान थे। रियासत के कुल १८० मैजिस्ट्रेटों में से १४७ मुसलमान और ३३ हिन्दू थे। १२ विभाग मंत्रियों में से १०,६३ सहायक मंत्रियों में से ५५, भिन्न-भिन्न विभागों के ४७ मुखियाओं में से ४० व पुलिस के ६१ बड़े अधिकारियों में से ७३ मुसलमान थे। फौज में तो बहुसंख्या को नाममात्र प्रतिनिधित्व भी प्राप्त नहीं था।

इस बीसवीं सदी में बहुसंख्या के इस प्रकार वेवल सब अधिकार ही नहीं छीने गए, अरपस्तर्खक मुसलमानों की एक फासिस्ट संस्था—इत्तहाद-उल-मुसलमीन और इसके स्वयं-सेवकों का मंगठन—रजाकार—बहुसंख्या के धन व मान पर लगातार उम्मले करने लगे।

रियासत हैदराबाद की २६०० मील लम्बी सीमा हिन्दुस्तानके तीन प्रान्तों वर्ष्वर्ष्व, मध्यप्रान्त व मद्रास, को ढृती है। रियासत की ७० लाख के लगभग जनता तेलगू, ४० लाख के लगभग मराठा व २० लाख के लगभग बन्नाडी बोलती है। रियासत की आर्थिक व्यवस्था, यातायात डाक व तावर के काम-काज पूरणतया हिन्दुस्तान पर निर्भर है।

रियासत में निम्न पदार्थों का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं से अधिक होता है: कपास, दालें, मूँगफली, अलसी वा एरंड के बीज, कोयला, सीमेट और कुछ हद तक कागज। लेकिन इन सभी पदार्थों का एक हिन्दुस्तान ही आहक है। केवल तेल बीजों का विदेशों को निर्यात होता है। उन्हें भी हिन्दुस्तान के रास्ते बाहर भेजना होता है।

हैदराबाद रियासत को निम्न आवश्यकताओं के लिए हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना पड़ता है सूती कपड़ा, नमक, गुड़, फल, सब्जियाँ, गेहूँ चावल, लोहा व इस्पात, रसायन, दवाइयाँ, चाय, तम्बाकू और निर्मित वस्तुएं। पेट्रोल, डीजल आयल, मशीनरी के काम आने वाला व मिट्टी

का तेल, मशीनरी व पुजे भी हिन्दुस्तानका घनदरगाहाँ से होकर ही रियासत में पहुंच सकते हैं।

रियासत में अपनी मुद्रा प्रचलित है जो हिन्दुस्तान की मुद्रा से निश्चित दरों पर बंधे है। रियासत की कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण व कोई दूसरी धातु नहीं, हिन्दुस्तान के रूपये व मिक्युरिटियाँ रखी जाती हैं। हैदराबाद के प्रायः सभी वैक हिन्दुस्तान के वैकों की शाखाएं हैं।

निजाम को रियासत से ५० लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलता है। अपनी जागीरों से उसे प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये की आमदनी है। इसके अलावा उसके दो वेटो और परिवार के शेष सदस्यों को रियासती कोष से अलग रुपया पैसा प्राप्त होता है।

रियासत की धारा-सभा के विर्त्तिवित सदस्यों में अल्पसंख्या व बहुसंख्या के बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते थे। निजाम द्वारा कुछ मनोनीत भी होते थे। सितम्बर १९४८ तक धारा-सभा के कुल १३२ सदस्यों में अल्पसंख्या के प्रतिनिधियों की संख्या बहुसंख्यक जाति के प्रतिनिधियों से १० अधिक थी। नियम था कि धारा-सभा बजट पर कोई ग्रस्ताव पास नहीं कर सकती।

इत्तहाद-उल्ल-मुसलमीन के उद्देश्यों में एक बाक्य था—“निजाम व रियासत का ताज मुसलमानों व मुसलमानों की संस्कृति की राज्य-सत्ता के प्रतीक हैं।” रजाकार संस्था में भरती होने के समय हर स्वर्य-सेवक शपथ लेता था और प्रतिज्ञा करता था कि इत्तहाद, हैदराबाद व अपने नेता के प्रति और दक्षिण में मुसलमानों की राज्य-सत्ता बनाए रखने के लिए वह अपने ग्राणों तक का होम कर देगा।

रजाकारों के पास सब तरह के फौजी अस्त्र-शस्त्र, मोटरें, ट्रकें, व जीपकारें थीं। इस संस्था के प्रचार को जारी रखने के लिए १ अंग्रेजी भाषा में तथा ७ उडूं भाषा में दैनिक, और ६ उडूं में साप्ताहिक अखबार निकलते थे। संस्था का रोज का खर्च ३० से ३० हजार रुपया था जो बहुसंख्यकों से बलात् इकट्ठा किया जाता था। इस अत्याचार

तथा अव्यवस्था को देखते हुए बहुसंख्यकोंके प्रतिनिधियों का निजाम की कौसिल में रहना दूभर हो गया और उन्हें स्तीफ़े देने पड़े। बीदर व वारंगल ज़िले में इनके अत्याचार की घारदाते रोज़-रोज़ हुहराई जाने लगीं।

इनकी आक्रमणात्मक कार्रवाइयां न केवल रियासत की सीमा के अन्दर जारी थीं बल्कि भारतीय सीमा तक भी फैलने लगीं।

१६३८ में हैदराबाद की रियासती कांग्रेस की स्थापना हुई। उसी वर्ष इस कांग्रेस को ग्रैविध घोषित कर दिया गया। इस पर सत्याग्रह हुआ। सर मिरज़ा इस्माइल के दीवान बनने पर कांग्रेस पर से प्रतिबन्ध उठा जिशा गया।

सर मिरज़ा इस्माइल को दीवान पद से स्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि हिन्दुस्तान से समझौता कर लेने की मंत्रणा निजाम को पसन्द नहीं थी। नवाब छुतारी इस पद पर आए। जुलाई १९४७ में रियासत का एक शिष्ट-मंडल हिन्दू सरकार से वातचीत करने के लिए दिल्ली आया और प्रस्तुत प्रश्नों पर फैसला करने के लिए रियासत के लिए दो मास की सुहळत मांगी, जो दी गई। रियासत के इस शिष्ट-मंडल ने नवाब छुतारी के नेतृत्व में २७ अक्टूबर १९४७ को दिल्ली के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन रजाकारों ने अपना बल प्रदर्शित करके उन्हें दिल्ली आने से रोक दिया। नवाब छुतारी को स्तीफ़ा देना पड़ा। वातचीत को जारी रखने के लिए एक नया शिष्ट-मंडल तैयार किया गया। रियासत के दीवान का पद रजाकार-संस्था के पिट्ठू, हैदराबाद के एक बड़े कारखानेदार, मीर लायर अली ने सभाला।

यह शिष्ट-मंडल यथापूर्व समझौते की शर्तों को बदलना न सका। फलस्वरूप २६ नवम्बर १९४७ को इस समझौते पर निजाम व हिन्दुस्तान के गवर्नर-जनरल के दस्तखत होगए।

इस फैसले के अनुसार हिन्दुस्तान ने सिकन्दराबाद की छावनी से अपनी फौजें हटा लीं। समझौते के अनुसार जो कर्तव्य निजाम से

अपेक्षित थे, निजाम ने उन्हें नहीं निभाया। उन्होंने अपनी रियासत में अस्त्र-शस्त्र व सब तरह का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

समझौते की शर्तें तोड़ते हुए उन्होंने २० करोड़ रुपये का क़र्जा पाकिस्तान को दिया, फौज की संख्या बढ़ाइ और रियासत में हिन्दुस्तानी मुद्रा का प्रचलन बन्द कर दिया।

मार्च १९४८ मे हैदराबाद का एक शिष्ट-मंडल दिल्ली आया ताकि रियासत व हिन्दुस्तान में किसी स्थायी समझौते की सूरत बन सके। हिन्दुस्तान की सरकार ने इस शिष्ट-मंडल को बताया कि किस तरह रियासत समझौते को तोड़ रही है तथा असहाय जनता पर रजाकारों के उपद्रव सह रही है। जवाब में रियासत की सरकार ने हिन्दुस्तान पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए।

कई महीनों तक यह होता रहा कि हैदराबाद से शिष्ट-मंडल आता, कुछ शर्तें जान लेता, आश्वासन देता और वापिस जाकर उन शर्तों और आश्वासनों से फिर जाता। जून १९४८ तक यही सिलसिला जारी रहा। जून में हैदराबाद का शिष्ट-मंडल भारत सरकार से एक समझौते पर पहुँचा। समझौते के पत्र, व उसकी घोषणा पर निजाम ने जो फरमान निकालना था उसे लेकर यह शिष्ट-मंडल निजाम के दस्तखतों के लिए हैदराबाद लौटा। निजाम ने इस समझौते को मानने से हृन्कार कर दिया।

गवर्नर-जनरल लार्ड मार्टिनेट ने अपना पद छोड़ने से पहले बहुत कोशिश की कि निजाम हिन्दुस्तान से किसी समझौते पर पहुँच जाए। लेकिन हिन्दुस्तान की शान्तिपूर्वक किसी समझौते पर पहुँचने की इच्छा को हुर्चलता का सूचक समझा गया और सब सुविधाएं व सुझाव ठुकरा दिये गए।

इस पर-हिन्दुस्तान ने रियासती सीमा पर प्रतिबन्ध लगा दिए ताकि वहाँ फौजी सामान न जा सके। विदेशी उदाकू मि० सिडनी कार्डन आदि

लोग और पाकिस्तान हैदराबाद को अस्त्र-शस्त्र से लैस करने पर तुले हुए थे।

हिन्दुस्तान ने रियासत को हिन्दुस्तानी सिक्युरिटीज़ की विक्री पर भी रोक लगा दी और आर्थिक सुविधाएँ देने से इन्कार कर दिया। हिन्दुस्तानी फौजों को आज्ञा दी गई कि रियासत की सीमा से घुसकर भी से मा पर आक्रमण के लिए आए हुए रजाकारों वा पीछा करें तथा उन्हे ढंड दे।

निजाम से मांग की गई कि वह रजाकारों की संस्था को अवैध घोषित करे, लोकरज के सिद्धान्तों को अपनाते हुए रियासत का शासन-सूच एक नई सरकार की सौभाग्य व हिन्दुस्तान से मिल जाए। यह मांग की गई कि सिक्किम-राजाबाद की छावनी से हिन्दुस्तान की फौजों को फिर से बास जाने की आज्ञा दी जाए। निजाम ने इन मांगों को दुरुरा दिया।

इस पर इस समस्या का अब केपल एक ही हल रह गया—हिन्दुस्तान इन मांगों को सनवाने के लिए अपनी शक्ति वा यज्ञ का प्रयोग करे।

आखिरी बार चेतावनी देने के बाद हिन्दुस्तान की फौजों ने १३ सितम्बर १९४८ को हैदराबाद से चारों ओर से प्रवेश किया। अत्याचार व सूखे दंभ की तीव पर खड़े किये गए निजाम की स्वतन्त्रता के दावों के किले और रजाकारों का विरोध हिन्दुस्तान की फौजों के आक्रमण को न सह सका। १०६ घंटे युद्ध के बाद १७ सितम्बर ४८ को निजाम ने हार मान ली, फौजों को हथियार ढाक देने को कहा और रजाकार संस्था को अवैध घोषित कर दिया।

काश्मीर

भौगोलिक स्थिति काश्मीर का क्षेत्रफल ८४,४७१ वर्गमील है। हिन्दुस्तान को सब रियासतों में से यह सबसे बड़ी रियासत है। काश्मीर की रियासत का मुख्य महात्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है। इसकी सीमा को उत्तर-पूर्व में तिब्बत, उत्तर में चीनी तुर्किस्तान (सिन्धियांग), उत्तर-पश्चिम में रूसी तुर्किस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान व हिन्दुस्तान की सीमाएं छूती हैं।

प्रायः सारा रियासती प्रदेश पहाड़ी है। इसके तीन विभाजन किये जा सकते हैं : (१) सरहदी इलाका—जिसमें लद्दाख और गिलगित के तिब्बती प्रदेश आ जाते हैं। (२) बीच का काश्मीर प्रान्त और (३) दक्षिण का प्रायः समतल प्रदेश जिसमें जम्मू का प्रान्त शामिल है।

सदियों की राजधानी जम्मू है और गर्भियों की श्रीनगर। पाकिस्तान से मुख्य सम्बन्ध जेहलम बैली रोड द्वारा है जो श्रीनगर से रावलपिंडी तक जाती है, और हिन्दुस्तान से मुख्य सम्बन्ध बनिहाल रोड द्वारा है जो जम्मू से सास्वा कहुआ होती हुई पठानकोट जाती है।

१९४१-की जनगणना के अनुसार आवादी का व्योरा निम्न प्रकार है :

कुल आवादी	४०,२१,६१६
मुसलमान	७७.११ प्रतिशत
हिन्दू	२०.१२ प्रतिशत
सिक्ख, बौद्ध और शेष	२.७७

१९४६ में डोगरा वंश के राजा गुलाबसिंह का स्वतंत्रता संघांम राज्य जम्मू, लद्दाख और बलूचिस्तान पर फैला था। उस समय लाहौर के सिक्ख राजाओं का काश्मीर और गिलगित पर अधिकार था।

लाहौर के सिख राजाओं की अंग्रेजों के साथ युद्ध में पराजय हुई। अंग्रेजों ने काश्मीर व गिलगित के प्रदेश अमृतसर की सन्धि (१८४६) द्वारा राजा गुजावसिह को दे दिए। राजा गुजावसिह का प्रभुत्व इस, और आप-पास के प्रदेश पर पहले ही था, अंग्रेजों ने इस सन्धि में उसके प्रभुत्व पर अपनी स्वीकृति की मुद्रर लगा दी।

डोगरा वंश के आधुनिक महाराजा इरिमिह के एकस्थ राज्य के विरुद्ध रियासत में, विशेषतः काश्मीर प्रान्त में, एक लोकप्रिय आनंदोलन १८३१ में आरम्भ हुआ। जनता की गरोवी की हड नहीं रही थी; रिच्चा का नितान्त ग्रसाव था। जागीरदारों और चकदारों ने काश्मीर की अतीत साँन्दर्यमय घाटों को निष्पाण कर रखा था। उन छिनों शेष हिन्दुस्तान में स्वराज्य हासिल करने के जिए वांग्रेस ने युद्ध हेठल रखा था। इस युद्ध की चिगारिया किन्हीं-किन्हीं रियामतों को भी अपनी लपेट में ले रही थी। काश्मीर-के स्वातन्त्र्य संग्राम का नेतृत्व ऐसे मुहम्मद अब्दुल्ला ने किया।

इस युद्ध में हिन्दुस्तान के स्वातन्त्र्य-युद्ध वे समान उत्तार-चढाव आए। नेशनल कान्फ्रेंस के प्रधान गेख अब्दुल्ला और उनके साथियों को कितनी ही बार कारागारों की यातनाएँ सुगतनी पड़ी। रियासत की राज्य-सत्ता का इस आनंदोलन के प्रति वही रवेया था जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार का वांग्रेस के प्रति था।

काश्मीर में जनता का अधिकाश सुसलमान है। लेकिन नेशनल कान्फ्रेंस की मांगों ने कभी साम्नदायिक रूप नहीं लिया। इस आनंदोलन में सुसलमान, हिन्दू और मिथ्यों के प्रगतिशादी अंशों ने साथ दिया।

हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के निपटारे का समय नमीप आ रहा था। विटिस सरकार ने रियासतों के प्रति अपनी स्थिति १६ मर्च १८४७ और २ जून १८४७ के ब्यानों में स्पष्ट की। अंग्रेजों ने रियामतों से हुंई सभी संघियां और आशासन लोप कर दिए लेकिन अपना छवाविकार (पैरामार्ड-स्सी) हिन्दुस्तान की नई सरकार को नहीं सौंपा। सब

रियासतोंको छुट्टी थी कि चाहें तो पाकिस्तानसे मिलें, चाहें तो हिन्दुस्तान से मिलें अथवा स्वतन्त्र रहें। शाराजकता के इस बीज को बो कर अंग्रेज यहाँ से राजनीतिक रूप से पधार गए।

महाराजा हरिसिंह पशोपेश में फंस थे। काश्मीर लीगी दाव-पेच की जनता का एक ही हिस्सा था जो कि पाकिस्तान के घुणा के संदेश पर थूक सकता था।

वही हिस्सा वरसों से राजा के विरुद्ध युद्ध कर रहा था और अब भी जेल की मौकचों के पीछे बन्द था। काश्मीर के सब राष्ट्रीय अंशों को देवा दिया गया था। कुछ समय से ऐसी धातक नीति बरती जा रही थी कि रियासत के साम्प्रदायिक अंशों को, जो कि राजनीति में मुस्लिम लीग से प्रेरणा पाते थे, उभारा जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काश्मीर में आगमन असह्य था लेकिन स्वास्थ्य लाभ के बहाने मिस्टर जिन्ना श्रीनगर आकर भोली-भाली जनता को विनाशी घुणा के पाठ पढ़ा सकते थे। स्टेट मुस्लिम लीग के नेता अपना प्रचार खुले घंडों कर सकते थे लेकिन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए सब प्रफुर की रोक थी, जेल थी, यातनाएँ थीं।

इसी नीति के फलस्वरूप १२ अगस्त को रियासत ने पाकिस्तान से स्टैंड-स्टिल समझौता कर लिया। देश के सच्चे नेता इन दिनों जेल में तड़प रहे थे कि धोरे-धीरे पाकिस्तान का असर बढ़ेगा और काश्मीर का वही हाल होगा जो पंजाब का हुआ है।

लेकिन पाकिस्तान की चाल गहरी थी। उसने काश्मीर पर दबाव डालना शुरू किया कि किसी तरह यह प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दे। पहले आर्थिक दबाव डाला गया। समझौते के अनुसार खाद्यान्न, पेट्रोल, नमक व दूसरी जो ज़रूरी चीजें रियासत में जाती थीं रोक ली गईं। वैंकों से रुपया न भेजा गया। अप्रैल मई और जुलाई-अगस्त का चार्चल का कोटा नहीं भेजा गया; चने और १७ हजार मन गन्दम, जो कि दो मास का कोटा था, नहीं जाने

दिया गया। काश्मीर में आने के लिए कपड़े की १८६ गांठे गवलपिंडी में पड़ी थी, उन्हें अच्छ कर लिया गया। नसक की १० वैगने रायल-पिंडी में ही रोक ली गई; कुछ नसक सुनीचाने से लौटा दिया गया। ३ लाख रुपये हजार गैतन पेट्रोल के कोटे पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। इसमें से एक टंकर को तो कोहाला के कस्टम-पोस्ट से वापिस भेजा गया।

रियासत ने इन आधिक प्रतिवन्धों का पाकिस्तान से विरोध किया। पाकिस्तान का जवाब केवल यह छहकर फिर जाने में था कि यह सब केवल दंगों के कारण, स्वाभाविकतया ही हो रहा है।

इस दबाव के नाथ-साथ आक्रमण व लूटमार का दबाव भी शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान व काश्मीर की सौंझी सीमा पर अशान्ति फैलने लगी। मितम्बर १६४७ में छोटे-सोटे सशस्त्र गिरोहों में विदेशी आक्रमणकारी रियासत में घुसने लगे। जहा तहा लूटमार व प्रलाप्तकार का जोर बढ़ा। अक्टूबर में इस अनियंत्रित प्रवेश की वारदातें बढ़ गईं। पुंछ, भीरपुर, कोटली, भिन्नर और सुजफ्फारावाद से गढ़वड़ की खबरें आने लगीं।

पाकिस्तान के गरहटी सूचे के क्वायलियों को आक्रमण इस्लाम के रहरें के नाम पर उभारा गया। हजारों की तादाद में बजीरी, महसूर, मोहमन्द, सुलेमान खेल और शिनवारी पठान स्सगोधा, ऐव्रायावाद, बजीरावाद और जेहलम में इकट्ठा होने लगे। रावलपिंडी, गुजरखां, गुजरात और स्थालकोट में भी यह जमा हो रहे थे। इनकी बड़ी-बड़ी टोलियां अब काश्मीर पर हमला कर रही थीं।

अक्टूबर के आरम्भ से ही स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की ओर से आक्रमण होने वाला है। १५ अक्टूबर को रियासती फौजों को फोर्ट ओवन खाली करना पड़ा। १८ अक्टूबर को कोटली-पुंछ की सड़क तोड़ दी गई। २३ अक्टूबर को कोटली से भयंकर युद्ध होने की खबरें आईं।

चब सुजफ्फरावाद और दोमेल को पार करके कबायली लुटेरे बारामूला की ओर बढ़ रहे थे ।

इस बीच नैशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता रिहा हो चुके थे और पं० रामचन्द्र काक प्रधान मंत्री के पद से हटा दिये गए थे । २४ अक्टूबर को रात के ११ बजे महाराज की ओर से हिन्द सरकार को फौजी सहायता के लिए पहली चिट्ठी मिली ।

यह सहायता तब मांगी गई जब पानी भिर से गुज़र चुका था । हमलावर बढ़ रहे थे, रियासती फौज टुकड़े-टुकड़े हो रही थी, पंजाब का विष जम्मू के हिन्दुओं के शरीर से भी फूटने लगा था । २५ अक्टूबर को सुजफ्फरावाद पर कबायलियों का कबज्जा हो गया । २६ अक्टूबर को हिन्द सरकार में मन्त्रणा होती रही । इस बीच लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रजा की ओर से हिन्द-सरकार को सहायता के लिए कहा । राजा और प्रजा दोनों का निम्नलिखित पाकर हिन्दुस्तान ने २६ अक्टूबर को काश्मीर को अपने साथ मिला लिया । हिन्द सरकार ने एक शर्त भी लंगा दी कि हमलावरों को रियासत से निकाल देने के बाद, सम्पूर्ण शान्ति हो जाने पर हिन्दुस्तान काश्मीर की जनता को कहेगा कि वह अपना भविष्य सतगणना द्वारा, स्वयं निश्चित करे ।

२६ अक्टूबर को ही बारामूला पर कबायलियों की विजय हुई ।

हिन्द की हवाई सेना की पहली टुकड़ी २७ अक्टूबर को श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी ।

अक्टूबर मास का तीसरा व चतुर्थ सप्ताह वे क्रान्तिकारी दिन श्रीनगरवासियों को कभी नहीं भूलेगा । खूंखार कबायली लुटेरा श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था । बारामूले व उड्डी से उसके अत्याचार की कहानियां उसके भारी कदमों की पिटाई से उड़ रही धूल की तरह चारों ओर फैल रही थीं । काश्मीर का राजपूत नरेश प्रजा को छोड़कर, अपने महलों के

सब साजोसामान लेकर, अपनी सारी पुलिस, अपनी सारी फौज, अपना सर्वस्व समेटकर, रातो-रात भाग चुका था। लाख से ऊपर हिन्दू व सिख अपनी दौलत और इज्जत की फिक में संख्या में अपने से कहीं ज्यादा मुसलमानोंकी मुट्ठीमें श्रीनगर में बैचैनी की घड़ियाँ गुजार रहे थे। युद्ध घोष की आवाजे आने लगी थीं। लेकिन श्रीनगर के गम्भीर शान्त तल पर तूफान चहीं उठ सका। उसे रोक रही थी नैशनल कांफों सकी प्रेरणापर लाखों राष्ट्रीय मुसलमानों की नेकनियती की भारी चट्टान। इस चट्टान को चकनाचूर करने के लिए आक्रमणकारी के हमलों की लहरें बार-बार बढ़ रही थीं और खुद-नुर्द होकर लौट रही थीं।

एक अजीव वाक्या पेश आ रहा था। हजारों की तादाद में मुसलमान अपने हिन्दू व सिख पडोसियों के घरों पर, दौलत पर, इज्जत पर अपनी जान की बाजी लगाकर पहरा दे रहे थे। अपने असहाय पडोसियों की बैचैनी उन्होंने अपने दिलों में ले ली थी। सदियों से बुजिदल कहलाए जाने वाले काश्मीरी अवाम ने हाथों से बन्दूकें संभाल ली, लकड़िए उठा ली, झंडे पकड़ लिये। कबायली लुटेरों के विरुद्ध, जो इस्लाम के नाम पर जहाद करने आ रहे थे, वह ढटकर खड़े होगए।

हिन्दुस्तानी लिपाहियों ने श्रीनगर में पहुँचते ही दुश्मन से लोहा लिया। दुश्मन इनका पहला बार ही न सह सका। इसी बीच हिन्दुस्तानी फौज के पैदल दस्ते सड़क की राह श्रीनगर पहुँचने लगे। कबायलियों से पहली बड़ी टक्कर पट्टन में हुई और उन्हे पछाड़ा गया। ८ नवम्बर को बारामूला और १५ नवम्बर ४७को उही पर हिन्द की फौजों ने कब्जा कर लिया। साथ-ही-साथ जम्मू प्रान्त का ओर से भी सीरपुर, कोटली, पुंछ, झंगर, नौशेरा और भिन्बर के इलाकों की ओर हमारी फौजों ने बदना प्रारम्भ किया। उपयुक्त सड़कों के अभाव में हमारी प्रगति धीमी थी। आरम्भ की तादाहियोंमें लेफिटनेंट कर्नल ही० एच० राय, मेजर एस० एन० शर्मा व हवालदार महादेव सिंह ने अपनी जाने दे दीं। इन्फेन्ट्री विगोडियर मुहम्मद उस्मान व कितने ही शूरवोंरों ने रण-भूमि में बलि-

दान देकर अपने चत्रियत्व की सूरि-भूरि सराहना पाई ।

जहाँ हमारा फौजे जंग के मैदान मे बढ़ रही थीं
काश्मीर की दूसरी वहाँ काश्मीर की जनता एक दूसरी लडाई पर
जंग मोर्चे संभाले हुई थी । यह मोर्चा दो मोक्षीय
फासिजम, प्रेम से घृणा और भाईचारे से दुश्मनी
का मोर्चा था । श्रीनगर में, और फिर उस प्रान्त के सब शहरों
व कस्बों में, सलामनी पौज (पीस विगेडम) का विमरण हुआ ।
इनका एक ही नारा था—“गेरे काश्मीर का क्या इरशाद, हिन्दू
मुस्लिम लिख इच्छाद ।” इनका काम शहर-शहर, गली-गली व कूचे-
कूचे मे धूमकर साम्प्रदायिक शान्ति बनाए रखना था । यदि श्रीनगर
मे साम्प्रदायिक रंग की एक भी घटना हो जाती तो विना लड़े पार्क-
स्तान काश्मीर को हथिया लेता । काश्मीर में एक भी ऐसा स्थान नहीं है
जहाँ काश्मीरियों के हाथ दुश्माओं की हत्या हुई हो । इसके अतिरिक्त
कौमी-फौज (नैशनल मिलीशिया) बनी जिसने पहली बार निरस्त्र
काश्मीरियों के हाथों मे बन्दूके संभलवाई । इस फौज मे प्रविष्ट
होने के लिए किसी को भी धर्म के नाम पर रुकावट नहीं थी । सांस्कृ-
तिक मोर्चे पर अवामी राज्य की इस लडाई के सन्देश को पहुँचाने के
लिए कौमी—कल्चरल-सुहाज (नैशनल-कल्चरल-फन्ट) की स्थापना हुई ।
इस सुहाज पर हिन्दू व मुसलमान कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर बढ़ रहे
हैं । इस सुहाज पर कलाकार चित्र तैयार करते हैं, कवि अपनी श्रोत-
स्त्रियों लैखनी से गीत लिखते, नाट्यकार नाटक करते व नृथकार नाचते
हैं । उद्देश्य सबका एक ही है—जनता समझे कि देश में आजादी आ
गई है, यह आजादी केवल राजनैतिक नहों है, यह आर्थिक भी है,
सामाजिक भी और नैतिक भी । यह सर्वांगीण आजादी है । इस आजादी
की उपकार जम्मू व काश्मीर की घाटी के कोने-कोने मे पहुँचाने के लिए
इनकी टोलियाँ नाटक, नृत्य व चित्र प्रदर्शित करती हुई निकलती हैं ।

कौमी फौज का एक हिस्सा स्त्रियों का है । इस फौज मे हिन्दू

व सुसलमान वरानो की स्त्रियाँ पर्दा उतार कर शस्त्र संभालना सीख रही हैं।

आत्म-बलिदानकी पराकाष्ठा के उदाहरण काश्मीर आत्म-बलिदान में बहुत मिलते हैं। सुजफराबादमें एक मास्टर अजीज-अहमद थे जो नैशनल कान्फ्रेंसके उत्साही सदस्य थे। कवायलियोंके अत्याचारसे वडी संख्यामें हिन्दू व सिख मौतके घाट उतारे जा रहे थे, स्त्रियों की लाज हरी जारही थी। ब्राह्मि-ब्राह्मि मची थी। मास्टर अजीज अहमद ने सैकड़ों हिन्दू और सिखों को अपने धर पर शरण दी। वह शेर की तरह उनकी अपने यहाँ रक्षा करते, बाजार में कुरान की प्रति लेकर निकलते और गरजते—“ओ इस्लाम के नाम पर कालिख पोतने वालों, बताओ मुझे—कहाँ लिखा है इस पाक किताब में वच्चों, वृद्धों पर जुल्म करना! कहाँ लिखा है असहाय बहू-बेटियों की अस्मत लूटना! यह जुल्म, यह तथाही, इस्लाम के नाम पर कर रहे हो? धिक्कार है तुम पर, और लानत है तुम्हारे सूठे यकीन पर!” उनके दब-दबे से सब चुप रहते थे।

सुजफराबाद के नजदीक ही नाही में एक सुसलमान सरदार रहता था। उसने आकर अपने साथियों और कवायलियों की मदद से मास्टर साहिब को पकड़ मंगवाया। उन्हे डराया, धमकाया और सच्चे, नेक हमान से गिराने की कोशिश की। लेकिन जवाब में वह “शेर-काश्मीर—जिन्दाबाद” का नारा ही लगाते रहे। आखिर मैं बन्दूक की नाली का सुख उनके सुख में रखकर गोली दाग दी गई और वह बलिदान होगए।

वारामूला के मकबूल शेरवानी हिन्दू व सिखों को बचाते, कवाय-लियों को चकमे में ढालते और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते-रोकते अमर हो गए। शहीद शेरवानो ने कवायलियों को गलत खबरें दें-देकर बाठ-मूला में ही चन्द दिन न रोक रखा होता तो शायद हिन्दुस्तानकी फौजों के उतरने से पहले ही श्रीनगर पर उनका कब्जा हो जाता। वह कवाय-

लियों को कभी बताते कि सिखों की फौजें आ रही हैं और डरा कर उन्हे अपने मोर्चों से भगा देते, उन्हे गलत दिशाओं में भेज देते। हिन्दू व सिखों को बारामूला से निकालते रहते। कभी पट्टन, कभी सोपोर, कभी बारामूला धूमते रहते। आखिर में काकी धोखा खाने के बादु कबाय-लियों को पता चला कि शेरवानी नेशनल कान्फ्रैंस के कार्यकर्ता हैं। उन्हे सरे-बाजार बांध दिया गया और कहा गया कि वह “शेख अब्दुल्ला—सुर्दाबाद” और “जिन्ना—जिन्दाबाद” के नारे लगाएं। उन्होंने ऐसा करने से बिलकुल इनकार कर दिया और “हिन्दुस्तान जिन्दाबाद” के नारे लगाए। एक-एक करके उन पर १४ गोलियां दागी गईं। हर गोली खाने पर वह “शेरे काश्मीर जिन्दाबाद”, “हिन्दुस्तान-जिन्दाबाद” का नारा लगाते रहे। १४वीं गोली ने उनके प्राण हर लिए। उन की नाक काट ली गई और जाश बाजार में टंगी रहने दी गई। उन्हीं दिनों शेरवानी के आत्मबलिदान की चर्चा महात्मा गांधी ने भी अपनी प्रार्थना सभा में की।

कौमी-फौज के कारनामोंमें बहादुरी को कितनी-ही कहानियां मिलती हैं। एक मुसलमान सिपाही, सर्यदअहमद शाह, जो कबायलियोंमें जासूसी का काम करने गया था, पट्टन के पास पकड़ा गया। उसने हुश्मन के फन्दे से भाग निकलने की हरचन्द कोशिश की लेकिन सफल न हुआ। हिन्दुस्तानी हवाई जहाजों के आने पर कबायली उसे लेकर छुप जाया करते थे ताकि उनके स्थान का पता न चल सके। एक दिन जब हवाई जहाज उपर मंडरा रहे थे, अपने प्राणों की चिन्ता न करके वह भाग कर खुले में आगथा और अपनी सफेद कमीज उतारकर ऊचे-ऊचे लहराने लगा। हवाई जहाज के वस्तवर्षकों ने इसे देखा और बम बरसाए। भाग्यसे वह सिपाही तो बच गया लेकिन हुश्मन का एक अड़डा नष्ट हो गया। बचकर श्रीनगर पहुंचने पर यह सिपाही फौज का एक बड़ा अफसर बना।

एक दूसरी घटना कौमी-फौज के कागजातमें दर्ज है। एक दस्ता, जिसमें

सभी सिपाही मुसलमान थे, जन्मू शहर के ग्रामों का दौरा कर रहा था। इन ग्रामों से मुसलमानों की एक बड़ी संख्या हिन्दू सम्प्रदायवादी लोगों के हाथों मारी गई थी। अपनी परेड के दौरान में एक सिपाही झुका और उसने ज़मीन से कुरान-शरीफ का एक फटा हुआ वरका उठाया। साथ के सिपाही ने उसे ढांटा और कहा कि अनुशासन तोड़कर तुम क्यों मुझे। उसने कहा—“तुम देखते नहीं—हिन्दूओं ने कुरान शरीफ को फाढ़कर फेंक रखा है।” इस पर दूसरे सिपाही ने उसे खूब फटकार बताई और कहा—“तुम उसे हिन्दू क्यों कहते हो—जिसने यह पाक किंताब फाढ़ी? उसे बहशी और दरिन्द्रा कहो। इसी बहशी और दरिन्द्रे हिन्दू की तरह हजारों बहशी और दरिन्द्रा मुसलमानों ने पाकिस्तान में पाक इस्लाम के नाम के नारे लगाकर पवित्र गीता और ग्रन्थ साहब की धजियां उड़ाई हैं। इन बहशी और दरिन्द्रों की एक ही जमात है, चाहे वह हिन्दू हों व मुसलमान।” इस घटना को फौजी डिस्पैच में लिखा गया।

अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर—इन महीनों में युद्ध लड़ाई जारी रही

जारी रहा। काश्मीर बर्फ की चादर से ढक गया। सब पहाड़, नदी-नाले, पुल, रास्ते बर्फ से पट गए। श्रीनगर तक सामान पहुँचाने का रास्ता केवल बनिहाल टनल से ही था—वहाँ सौ-सौ फुट गहरी बर्फ रास्ता रोक रही थी। श्रीनगर तक सड़क का रास्ता तो बन्द ही था, हवाई जहाज भी वहाँ नहीं उतर सकते थे। कितने-कितने दिन टेलिफोन और तारों का सिल-सिला दूटा रहता था। सर्दियों के इस काल में भी हिन्दुस्तानी फौज विगेहियर सेन के नेतृत्व में जोशोखरोश से काम करती रही।

सभी कबायली हमलावर पाकिस्तान से होकर मामला राष्ट्र-संघ में आ रहे थे। पाकिस्तान ही उन्हे फौजी सामान और पेट्रोल व लारियों दे रहा था। इस सहान्यता के बिना वह एक दिन भी लड़ाई जारी नहीं रख सकते थे। जहाँ-

तहां पाकिस्तानी फौज के सिपाही भी लड़ रहे थे। हिन्दुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के अधिकारियों को इस सहायता को रोकने के लिए लिखा लेकिन पाकिस्तान ने यह मानने से इन्कार किया कि वह कवालियों को किसी तरह की सहायता दे रहा है।

गांधीजी इस बात के विरुद्ध थे कि राष्ट्र-संघ में किसी तरह का मामला भेजा जाय, फिर भी उनकी मन्त्रणा के विरुद्ध ३१ दिसम्बर ४७ को एतत्सम्बन्धी हिदायतें वार्षिंगटन स्थित हिन्दुस्तानी राजदूत को भेज दी गईं।

जैसा कि पंडित नेहरू ने बाद में कहा—“हमारी शिकायत के अतिरिक्त सुरक्षा-समिति में शेष लभी प्रश्नों पर विचार हुआ।” लन्दन के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक न्यू स्टेट्समन एंड नेशन के सम्पादक किंग्स्ले मार्टिनने २९ फरवरी ४८ को एक लेख में लिखा—“यह उचित था कि हिन्दुस्तान की शिकायत पर ईमानदारी से सोच-विचार होता और उससे दालमटोल न होती..। सुरक्षा-समिति ने एक सीधे प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया है और हिन्दुस्तान में प्रायः प्रत्येक को विश्वास हो गया है कि मामले पर न्यायपूर्ण विचार नहीं हुआ, वरन् इसे वैदेशिक राजनीति के दंगल में खदेड़ दिया गया है। विशेषतया यह कहा जाता है कि इसका एक विशिष्ट कारण पूँग्लो-पूर्वेरिकन ताकतों की पाकिस्तान में फौजी अड्डे हथियाने की इच्छा है।”

राष्ट्र-संघ ने जो निर्णय किया उसके बहुत से महत्वपूर्ण अंशों को हिन्दुस्तान ने मानने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान ने भी उस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन नहीं किया। इस पर भी उस निर्णय के अनुसार एक जांच कमीशन हिन्दुस्तान भेजा गया। पांच राष्ट्र इस कमीशन के सदस्य हैं।

फौजी स्थिति

मनीपुर, मुजफ्फराबाद व पुंछ के निलों में हमारी फौजें पाकिस्तान की सीमा से बहुत थोड़े अन्तर पर रह गई हैं। जैसे-जैसे यह सीमा

समीप आ रही है, इन मोर्चों पर लड़ने वाले कवायलियों की संख्या नितान्त कम हो रही है और वाकायदा पाकिस्तानी फौज के दस्ते लड़ रहे हैं। हवाई जहाजों को छोड़कर दुश्मन शेष सभी सामान लड़ाई में ले आया है। उसे जान और सामान दोनों की भारी ज्ञाति उठानी पड़ रही है लेकिन न बढ़ इस युद्ध को छोड़ सकता है, न खुले तौर, डंके की ओट लड़ ही सकता है। हमारी फौजों को एक-एक पहाड़ी से, जहाँ कि दुश्मन जमकर चौकियों पर ढटा हुआ है, हथाने के लिए घोर युद्ध करना पड़ता है।

यह तो युद्ध के पश्चिमी मोर्चे की रियति है। उत्तरी मोर्चे पर कवायली लुटेरों की व पाकिस्तानी सिपाहियों की काफी संख्या है। लेह पर हमारी फौजों ने हवाई अड्डा बनाया हुआ है और गिरगित पर हवाई हमलों ने दुश्मन को परेशान कर दिया है। गुरेज पर हमारी फौजों के कब्जे ने शत्रु के रसद मार्ग को खतरे में डाल दिया है।

३० जुलाई १९४८ को काश्मीर-कर्माशन के सामने पाकिस्तान ने मान लिया कि उसकी फौजें काश्मीर के युद्ध में हिस्सा ले रही हैं। काश्मीर-कर्माशन के सदस्यों ने लौटकर अपनी अन्तःकालीन रिपोर्ट नवम्बर १९४८ में सुरक्षा-समिति के सामने पेश की।

रियासती संघों के मन्त्रिमण्डल

विभिन्न रियासती-संघों में प्रजासंघों ने जो मन्त्रिमण्डल बनाए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :

मत्स्य-संघ

श्री शोभा राम—प्रधान मंत्री। जुगल किशोर
चतुर्वेदी—शिक्षा। गोपीनाथ यादव—आय।
भोजनाथ—परिवक्ता। चिरञ्जीलाल

शर्मा—विकास । मंगल सिंह—उद्योग ।

सौराष्ट्र उच्छ्रेण्यराय नवलशंकर हेवर—प्रधान मन्त्री ।
वलवन्त राय गोपालजी मेहता—उपप्रधान
मन्त्री । नानाभाई कालीदास भट्ट—शिक्षा ।
रसिकलाल उमेदचन्द पारीख—गृह । जगजीवनदास शिवलाल पारीख—
अर्थ । मनुभाई मनसुखलाल शाह—व्यापार ।

मध्य-भारत लीलाधर जोशी—प्रधान मन्त्री । ची. एस.
खोडे—उपप्रधान मन्त्री । तखतमल जैन ।
राधेलाल व्यास । हमीद अली । कुसुमकान्त
जैन । यशवन्तसिंह कुशवाह । जगमोहनलाल थीवास्तव । ची. ची.
डैविड । काशीनाथ त्रिवेदी । नन्दलाल जोशी ।

राजस्थान माणिकलाल वर्मा—प्रधान मन्त्री । गोफल
आसव । भूरेलाल वापा । प्रेम नारायण माथुर ।
मोहनलाल सुखाडिया । भोगीलाल पाण्डया ।
अमेनदीरी । द्वृजेन्द्र ।

चिन्ध्या-प्रदेश कैप्टेन अवधेश प्रताप सिंह—प्रधान मन्त्री ।
कामता प्रसाद सक्सेना—उपप्रधान मन्त्री ।
शिव वहान्दुर सिंह । नर्मदा प्रसाद सिंह । सत्य-
देव । गोपाल शरण सिंह । चतुर्भुज पाठक ।

इन मन्त्रिमण्डलों के अलावा भारतीय सरकार ने इनकी सहायता
के लिए सलाहकार नियुक्त किए हैं, जिनके नाम यह है :

मत्स्य	के. वी. लाल आई. सी. एस.
राजस्थान	पी. एस. राघो आई. सी. एस.
सौराष्ट्र	एन. पूम. बुच आई. सी. एस.
मध्य भारत	सो. एस. वेकटाचारी आई. सी. एस.
न्याय-शासन	के. मत्स्य, मध्यभारत, सौराष्ट्र, चिन्ध्या प्रदेश

और राजस्थान—रियासती संघों में अलग-अलग हाईकोर्टे काम कर रही है।

स्वाधीन भारत का पहला बजट

श्री आर० के० शणमुखम् चेटी ने विधान-परिषद् में २६ नवम्बर १९४७ को स्वाधीन भारत का पहला बजट पेश किया। यह बजट १५ अगस्त ४७ से ३१ मार्च १९४८ तक के लिए था। अर्थमंत्री ने देश की आय-स्थिति को मजबूत बताया। व्यथ के मुख्य मद—रक्षा: ६२,७४ करोड़ रुपये, शरणार्थी: २२ करोड़ रुपये और अनाज के आयात मूल्य में कमी करने के लिए सरकारी सहायता: २२,५२ करोड़ रुपये है। बजट में २६,२४ करोड़ रुपये का धाटा दिखाया गया है; सूती कपड़े व धागे के निर्यात के कर को बढ़ाने से यह घटकर २४,५६ करोड़ रुपये रह जायगा। अर्थ मंत्री ने कहा कि देश में सरकारी ओर गैर-सरकारी व्यापार व औद्योगिक व्यवसाय साथ-साथ चलेंगे।

बजट का खुलासा

आमदनी	(लाख रुपयों में)
आयात निर्यात कर	५०,५०
बजट में प्रस्तावित	१,६५
केन्द्रीय एक्साइज़ कर	२२,०८
कार्पोरेशन टैक्स	४२,७१
आय कर	७५,२६
नमक	५०
अफीम	८६
व्याप	६६

नागरिक शासन	२,२६
सुदा	१,४१
सिविल वर्क्स	१५
आय के रेप साधन	२,७२
डाकखाने से आय	२,०३
रेलवे से आय	...
इसमें से कम कीजिए—आयकर का प्रतीय भाग	३०,०५
आमदानी का जोड़	१७३,८०
खर्च	लाख रुपये
आय वसूल करने पर व्यय	५,३३
सिचाई	७
कर्जों से सम्बन्धित व्यय	२०,५२
नागरिक शासन	२०,२४
सुदा	१,२०
पेशन	१,८६
सिविल वर्क्स	६,२१
विविध	
शरणार्थियों पर व्यय	२२,००
आयात किये गए अनाज के दर घटाने	
के लिए सरकारी व्यय	२२,५२
दूसरे खर्च	२,३०
प्रान्तों को दिया जायगा	४५
विशिष्ट व्यय	१,६२-
रक्षा	६२,७४
खर्च का जोड़	१६७,३६
धारा	२४,५६

रेलवे बजट

स्वाधीन भारत का पहला रेलवे-बजट यातायात विभाग के मंत्री डाक्टर जान मथाई ने विधान-परिषद से २० नवम्बर १९४७ को पेश किया। इस बजट द्वारा १५ अगस्त ४७ से ३१ मार्च ४८ तक का हिसाब प्रस्तुत किया गया।

बजट में रेलवे के किराए बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। ये किराए १ जनवरी १९४८ से बढ़े। रेलवे बजट में जो १२.३८ करोड़ रुपये का घाटा था वह किरायों के बढ़ जाने से जो ६.१५ करोड़ रुपये की नई आमदनी होगी उसके कारण ३.१६ करोड़ रुपये रह जायगा।

रेलों के भाड़ों में वृद्धि के बाद नई दर इस प्रकार हो जायगी : -

फर्स्ट क्लास	२० पाई प्रति मील
सेकंड क्लास	१६ पाई प्रति मील
इंटर क्लास	९ पाई प्रति मील मेल गाड़ियों पर
” ”	७ ½ पाई प्रति मील साधारण गाड़ियों पर
थर्ड क्लास	५ पाई प्रति मील मेल गाड़ियों पर
” ”	४ पाई प्रति नील साधारण गाड़ियों पर

इस वृद्धि से फर्स्ट क्लास की आमदनी में आजकल की आमदनी से चार बटा पांच वृद्धि, सेकंड क्लास और इंटर क्लास में दो बटा वृद्धि और थर्ड क्लास में हु के वृद्धि हो गई।

इसी तरह सामान लदवाई के भाड़ों में भी कुछ वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया जो कि अक्टूबर १९४८ से चालू हुआ।

स्वतंत्र भारत का पहला वार्षिक बजट

स्वतंत्र भारत का पहला वार्षिक बजट अर्थ-मंत्री श्री शश्मुखम् चेद्वी ने २० फरवरी १९४८ को विधान-परिषद् में पेश किया।

बजट	(लाख रुपयों में)	
आमदनी की मद	निरीक्षित १६४७-४८	आनुमानिक १६४८-४९
आयात निर्यात कर	२४,५०	{ ८१,७५ —४८ क
केन्द्रीय एक्साइज़ कर	२०,७२	{ ३४,०० १३,१० क
कार्पोरेशन टैक्स	४०,४३	{ ३६,५० १०,३० क
आय कर	७४,५७	{ ६०,५० —३,६२ क
नमक	६०
अफीम	६८	१,४०
च्याल	४६	१,१७
नागरिक शासन	७,२८	५,१२
सुदा	१,२५	६,४०
सिविल चक्स	४७	८१
आय के दूसरे साधन	५,११	४,३६
डाक व तार के महकमों से आय	२,१४	{ ३८ ४० क
रेल के महकमे से आय	४,५०
इसमें से कमी कीजिए, आय- कर का प्रान्तीय हिस्सा	२६,७४	{ —३७,८७ १,६६ क

आमदनी का जोड़	१,७८,७७	२,२६,२८
(क) बजट में प्रस्तावित ।		
खर्च की मद्		
आय वसूल करने पर व्यय	५,४५	८,६८
सिचाई	८	१३
कर्जों से सम्बन्धित व्यय	१६,२४	४१,१६
नागरिक शासन	२३,७५	३४,५६
सुदूरा	१,१४	२,२०
सिविल वर्क्स	६,२८	७,२१
पेशने	१,५७	२,७०
विविध		
शरणार्थियों पर व्यय	१४,८६	१०,०४
आयात अनाज के दर घटाने		
के लिए सरकारी सहायता	२०,१६	१६,६१
दूसरे व्यय	२,३६	३,२८
ग्रान्टों को देन	१,८५	२,६६
विशिष्ट व्यय	१,८६	३,१६
रक्षा विभाग	८६,६३	१२१,०८
व्यय का जोड़	१८८,२६	२५७,३७
घाटा	६,५२	१,०६

रेलवे बजट

१६ फरवरी १९४८ को विधान-परिषद् में पहला वार्षिक रेलवे बजट पेश हुआ। यातायातके मन्त्री डाक्टर जान मथाई ने कहा कि देश उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। इस वर्ष किरायोंमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेलवे के लिए बहुत-सा नया सामान मंगवाया जा रहा है। १९४८ के अन्त तक रेलवे को ४०५० लाख डिव्हें और १४६ लाख

हूंजन प्राप्त हो चुके होंगे। मार्च १९४६ तक तेल की लदवाई के लिए कैनाडा से नए टैकर भी आ जायेंगे।

१९४८-४९ में कुल आमदनी ३२.३८ करोड़ रुपए होगी। रेलवे के लिए जो रूपया उधार लिया गया हुआ है, उसका २२.५३ करोड़ रुपये काटकर शेष ९.८५ करोड़ रुपया बच जाता है, जो कि लाभ की मद है।

अगस्त ४७ से मार्च ४८ तक के प्रस्तावित बजट में इस प्रकार फर्क हुआ है।

	आनुमानिक	वास्तविक
सामान से आमदनी (करोड़ रुपये)	५७.३३	५३.३८
यात्रियों से आमदनी	२२.१२	४५.८
कोचिंग से आमदनी	५.०३	७.८७
कुल खर्च	६६.०	९३.५८

इस हिसाब से जो २.७ करोड़ रुपये के कुल घाटे का अनुमान लगाया गया था वह बढ़कर २.२ करोड़ रुपये हो गया।

अनुमान है कि १९४८-४९ में रेलों की सब तरह की आमदनी मिलाकर १६० करोड़ रुपये होगी। खर्च का अनुमान १४७.१५ करोड़ रुपया है। इस समय रेलों पर लगा हुआ कुल मूल ६७८ करोड़ रुपया है। इस पर प्रति वर्ष १/६० वां दिसंसा धिमाई (डेप्रिसियेशन) का गिना जाता है। इस तरह यह रकम ३१.१८ करोड़ रुपया हुई। इसके अलावा कुछ ऐसी रेलवे लाइनें हैं जिन्हे कि भारत सरकार बाहर की कम्पनियों की ओर से चलाती है—उन कम्पनियों को १.४५ करोड़ रुपया दिया जायगा। इस तरह ३०.२२ करोड़ के लगभग रुपया बच जाता है। भिन्न-भिन्न साधनों से २.१६ करोड़ रुपए की आमदनी और होगी जिसे मिलाकर कि १९४८-४९ में कुल आमदनी ३२.३८ करोड़ रुपया हो जायगी। इसमें से व्याज की रकम, जो कि औसत ३.२८

प्रतिशत के हिसाब से गिनी जाती है, काटी जाती है। यह रकम २२.५३ करोड़ रुपया होती है। इस तरह शेष लाभ ६.८२ करोड़ रुपया रह जायगा।

हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावना

युद्ध (१९३९-४५) के दिनों में हिन्दुस्तान का स्टर्लिंग पावना बढ़ता गया। दो साथनों से यह जमा हो रहा था :

१ विदेशी व्यापार की बाकी हिन्दुस्तान के पक्ष में होती थी :

(क) स्टर्लिंग सुदृश के प्रयोग करने वाले देशों को निर्यात अधिक था, उनसे आयात कम।

(ख) डालर और दूसरी दुर्लभ सुदृशओं वाले देशों को निर्यात अधिक था, उनसे आयात कम।

२ (क) विटिश सरकार का हिन्दुस्तान में फौजी खर्च।

(ख) अमरीका व दूसरे साथी देशों का हिन्दुस्तान में फौजी खर्च।

इस तरह यह स्टर्लिंग पावना हिन्दुस्तान की जनता के मेहनत, कष्ट और शोषण के फलस्वरूप जमा हो रहा था।

विदेशी व्यापार की बाकी हिन्दुस्तान के पक्ष में होती थी, इसके आंकड़े निम्न तालिका में मिलेंगे :

हिन्दुस्तान के पक्ष में बाकी (बैलेन्स)

(लाख रुपये)

१६४०-४१

५३,५७

४१-४२

८१,७३

४२-४२

८६,७३

१६४३-४४	६६,८२
४४-४५	२८,७३
४५-४६	२६,७१

ब्रिटेन व ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे देशों से व्यापार में हिन्दुस्तान के पक्ष में बाकी का व्योरा इस प्रकार है :

(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
१६४०-४१	२६,७०
४१-४२	४३,२०
४२-४३	६४,२८

अमरीका से व्यापार में हिन्दुस्तान की लेन-देन की बाकी का हिसाब इस प्रकार रहा :

(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
१६४०-४१	-१,११
४१-४२	+११,६८
४२-४३	+८,६८

फौजी खर्चों के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान व ब्रिटेन की सरकार में १६४० में हुए समझौते के अनुसार हिन्दुस्तान ने ब्रिटेन की ओर से निम्न खर्च किया और हसे इङ्ग्लैण्ड के नाम ढाला :

(करोड रुपयों में)

१६३६-४०	३
४०-४१	४०
४१-४२	१६५
४२-४३	३२६
४३-४४	३८५
४४-४५	४११
४५-४६	४७६

इस तरह इंगलैंड का हिन्दुस्तान को देना बढ़ता गया। इस स्टर्लिंग पावने के आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये)

२४ अक्टूबर १९४१	२१६
२३ „ १९४२	४१३
२४ „ १९४३	८१५
२७ „ १९४४	११६६
२८ „ १९४५	१२८२
२५ „ १९४६	६६३१
२० दिसम्बर १९४६	१६२२

स्टर्लिंग पावने के विषय में हिन्दुस्तान के अधिकारियों से बातचीत जरूरने के लिए इंगलैंड से एक शिष्टमंडल २६ जनवरी ४७ को नई दिल्ली पहुंचा। इस मंडल के सदस्य ये थे : मर विलियम रेडी, सेकन्ड सेक्रेटरी हुएच. एम्स, ट्रायरी, मिस्टर सी एफ. कोबोल्ड, डिप्टी गवर्नर आफ डि बैंक आफ हंडिंग। इनके साथ तीन अन्य अधिकारी भी थे।

इनकी बातचीत हिन्दुस्तान की सरकार के अर्ध विभाग और रिजर्व बैंक आफ हंडिंग से दो सप्ताह तक होती रही।

१७ मार्च १९४७ को कौसिला आफ स्टेट में हिन्दुस्तान की सरकार की ओर से बोलते हुए सर सिरिल जोन्स, प्रिसिपल सेक्रेटरी, फाइनेन्स डिपार्टमेंट, ने कहा कि हिन्दुस्तान ने १९४७ के समझौते के अनुसार जो रकम अदा करनी थी, वह अदा की जा चुकी है। अब इस आधार पर स्टर्लिंग पावने को घटाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

अगस्त १९४७ में हिन्दुस्तान के स्टर्लिंग पावने की रकम १ अरब १६ करोड़ पाँडंड थी। हिन्दुस्तान से इसकी अदायगी के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ उसकी शर्तें यह थीं।

- (१) वैक आफ 'इंगलैंड' के एक हिसाब में ३ करोड़ ५० लाख पाउंड की रकम हिन्दुस्तान के पक्ष में जमा करा दी गई जिसे ३१ दिसम्बर ४७ तक हिन्दुस्तान किसी भी सुद्धा में खर्च कर सकता था ।
- (२) ३ करोड़ पाउंड की सब प्रकार की सुद्धाओं में परिवर्तित हो सकने वाली एक दूसरी रकम भी हिन्दुस्तान के हिसाब में जमा हो गई ।
- (३) शेष स्टर्लिंग पावने की रकम एक दूसरे हिसाब में जमा कर दी गई जिसका प्रयोग हिन्दुस्तान नहीं कर सकता था ।

१ जनवरी १९४८ को कुछ शर्तों के सुधार के साथ इस समझौते को ६ और महीनों के लिए चालू रहने दिया गया । इस बार हिन्दुस्तान वा पाकिस्तान के हिसाब अलग-अलग कर दिये गए । हिन्दुस्तान के चालू हिसाब में पिछले हिसाबोंकी बाकी और १ करोड़ ८० लाख पाउंड की नई रकम जमा कर दी गई ।

हिन्दुस्तान ने बायदा किया कि १९४८ के पहले ६ महीनों में अपने हिसाब की दुर्लभ सुद्धाओं में से वह १ करोड़ पाउंड से अधिक रकम खर्च नहीं करेगा ।

इस समझौते के जून में खत्म होने से पहले हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमण्डल भी शाणमुखम् चेट्टी के नेतृत्व में लंदन गया । फलस्वरूप इंगलैंड से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता हुआ जिसकी सुख्य शर्तें यह थीं :

(१) पिछले हिसाबों की बाकी के अतिरिक्त इंगलैंड द करोड़ पाउंड की नई रकम हिन्दुस्तान के चालू हिसाब में जमा करवायगा ।

(२) पहले वर्ष में १ करोड़ ५० लाख पाउंड की रकम हिन्दुस्तान किसी भी सुद्धा में खर्च कर सकेगा ।

(३) पिछले दो वर्षों की विभिन्न सुद्धाओं की आवश्यकताओं पर बाद में विचार होगा ।

(४) यदि इस वर्ष हिन्दुस्तान द्वारा दुर्लभ सुद्धाओं का खर्च उप-

रोकत रकम से अधिक हो गया तो वह कभी इंटरेशनल-मानिटरी-फंड (अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-कोष) से डधार लेकर पूरा कर ली जायगी ।

(५) स्विट्जरलैंड और स्वीडन की सुदृश्य हुर्लंभ नहीं समझी जायगी ।

(६) जापान से व्यापार में हिन्दुस्तान के पक्ष में जो बाकी रहती है, उसमें से ३५ लाख पाउंड की रकम डालरों में ली जा सकेगी ।

(७) हिन्दुस्तान स्टर्लिंग चेंब्रो से अपनी जरूरत का सामान खरीद सके, इस ओर इंगलैंड की सहायता मिलती रहेगी ।

(८) हिन्दुस्तान में पंड हुए इंगलैंड के फौजी सामान की कीमत का अनुमान ३७ करोड़ ५० लाख पाउंड लगाया गया । इस सामान के लिए १० करोड़ पाउंड देकर हिन्दुस्तान ने यह हिसाब चुकता कर दिया ।

(९) अविभाजित हिन्दुस्तान को प्रतिवर्ष ऐन्शनों के रूप में जो रकमें अदा करनी पड़ती थीं उनकी अदायगी का उत्तरदायित्व अब हिन्दुस्तान पर था । यह रकम प्रतिवर्ष ६२ लाख ५० हजार पाउंड होती थी । निश्चय हुआ कि इंगलैंड को १४ करोड़ ७५ लाख पाउंड की रकम दे दी जाय और उनसे प्रतिवर्ष क्रमशः कम होती हुई एक रकम खरीद ली जाया करे जो ६० वर्षों में विलकुल चुक जाय । पहले वर्ष यह रकम ६२ लाख पाउंड होगी ।

(१०) प्रान्तीय पेशनों की रकमों के बारे में भी इसी तरह विटेन को २ करोड़ ५ लाख पाउंड की रकम दे दी गई ।

(११) इस तरह इन्दुस्तान के स्टर्लिंग पावने की रकम में कसी करके और पाकिस्तान के हिस्से के स्टर्लिंग पावने की रकम अलहदा करके शेष ८० करोड़ पाउंड रह गया है ।

हिन्दुस्तान की औद्योगिक नीति

महात्मा जी का मजदूरों के प्रति प्रवचन

“अपने करोड़ पतियों और पूँजीपतियों के बिना कोई भी, देश गुजारा कर सकता है परन्तु कोई भी देश अपने मजदूरों के बिना कभी गुजारा नहीं कर सकता।”

“अपनी दशा स्वर्य सुधार कर, अपने को शिवित करके अपने अधिकारों पर बल देकर, और जिन चीजों के निर्माण में उनका खासा हिस्सा रहा है, मजदूरी देने वाले मालिकों से उसके समुचित प्रयोग की मांग करके मजदूर अपना राजनैतिक कर्तव्य बखूबी निभा सकते हैं। इसलिए इस और उचित विकास का मतलब होगा कि मजदूर-वर्ग अपने को मल्कीयत में सामेदार की हैसियत तक उठा ले।”

उद्योग सम्मेलन (इंडस्ट्रीज कान्फ्रेन्स)

१८ दिसम्बर १९४७ को दिल्ली में उद्योग-सम्मेलन हुआ। औद्योगिक चौत्र में शान्ति रखने के उद्देश्य से—ताकि देश में उत्पादन और फलस्वरूप, राष्ट्रीय धन की उन्नति हो, औद्योगिक शान्ति (इंडस्ट्रीज फून) के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें ये हैं।

१. कारखानों में उठ खड़े मगढ़ों को न्यायपूर्ण तरीके व शान्ति से निपटाने के लिए वैधानिक साधनों का प्रयोग हो। जहां ऐसे साधन न हों, वहां तुरन्त मुहर्छ्या किये जायें।

२. मजदूरी की उचित दर और मजदूरी की उचित दशाओं के

निर्धारण के लिए, पूँजीके मुनाफे की उचित दर निश्चित करने के लिए और औद्योगिक-उत्पादन से मजदूर-वर्ग का सहयोग पाने के लिए वैनियोगिक, प्रादेशिक और विशेष (फन्कशनल) समितियाँ बनाई जाएं।

३. सब कारखानोंमें वक्स-कमेटियाँ बनाई जायें जिनमें मालिक और मजदूर दोनों का प्रतिनिधित्व हो। यही कमेटियाँ दिन-प्रतिदिन के फारड़े निवार्ये।

४. मजदूरों के रहन-सहन का तरीका बेहतर हो। इस उद्देश्य से उनके लिए रिहायशी भजान बनवाने की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन सिद्धान्तों को नजर में रखते हुए इस कान्फ्रेस ने मालिकों और मजदूरों को फारड़ों व हड्डतालों से तीन वर्षों के लिए बच रहने की हिंदायत की।

उत्पादन बढ़ना चाहिए

१८ जनवरी १९४८ को रेडियो पर भाषण देते हुए पं० जवाहर-लाल नेहरू ने देश में उत्पादन का सिलसिला बेरोक-टोक जारी रखने की अपील करते हुए कहा—“उत्पादन का अर्थ है दौलत। यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे पास काफी दौलत नहीं होगी। विभाजन भी इतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि दौलत चन्द लोगों के हाथों में जमा न हो जाय; लेकिन इससे पहले कि हम विभाजन की बात सोच सकें, उत्पादन का होना आवश्यक है।

“ हम चाहते हैं कि हमारे खेतों और कारखानों से दौलत का दरिया वहे और हमारे देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचे, ताकि आखिर मे हम हिन्दुस्तान को अपने स्वप्न पूरे करते देख सकें। हमें उत्पादन इसीलिए करना है ताकि हमारे पास काफी दौलत हो सके और उचित आर्थिक योजनाओं के अनुसार उसका विभाजन हो—ताकि वह करोड़ों लोगों तक, विशेषतया आम जनता तक, पहुंच सकें। इस हालत में

केवल करोड़ों की तादाद ने जनता ही नहीं फर्ज-फूलेमी बल्कि सारा देश धनी, सम्पन्न और मजदूत बन जायगा ।”

“उत्पादन का अर्थ है कठोर मेहनत, अनथक श्रम; उत्पादन का अर्थ है कि काम न रुके, हड्डताले न हों, मिलों के दरवाजे बन्द न हों। मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मजदूरों से हड्डताल का इधियार छीन लिया जाय; धीरे-धीरे मजदूर-वर्ग ने अपने लिए प्रायः सभी देशों में ताकतवर और मजदूत स्थान बना लिया है। फिर भी ऐसे बहुत होते हैं जब कि हड्डताले खतरनाक हो सकती हैं, जबकि हड्डताले केवल देश के धर्यों को ही चोट नहीं पहुंचातीं—खुद मजदूर के हितों को भी ठेस लगती है। आजकल का समय ऐसा ही है ।”

“हड्डताले तो आर्थिक व्यवस्था में कहीं कुछ खराबी होने की निशानी है। वेशक, आज हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत खराबियाँ हैं—केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं—बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी। हमने इस व्यवस्था को बदलना है परन्तु इसे बदलते हुए हमें यह ख्याल रखना है कि हमारे पास जो कुछ है भी, उसे हम तोड़फोड़ न दें। . इसलिए आज जब कि हम संकट से चारों ओर घिरे हुए हैं, यह बहुत जरूरी है कि देश के औद्योगिक ज्ञेय में शान्ति और व्यवस्था रहे ताकि हम सब मिलकर देश के उत्पादन में वृद्धि करे और विकास व प्रसार की बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा करके देश की उन्नति करें।

“देश को उन्नत करना हमारे लिए कोई आसान बात नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है—निस्सन्देह हमारी जन संख्या बड़ी है, और हिन्दुस्तान में प्राकृतिक साधारणों की कमी नहीं है, योग्य, बुद्धिमान और मेहनती पुरुषों की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के इस मानवीय साधन को हमने बरतना है। यह बात इस पर भी आश्रित रहेगी कि शाँति रहे; अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति हो, देश में शान्ति हो, आर्थिक जगत में शान्ति हो, मजदूरों की दुनिया व औद्योगिक जीवन में शान्ति हो। हम सब कोशिश करें कि यह शान्ति बनी रहे ।....”

सरकार की औद्योगिक नीति

तीन मास की सतत मन्त्रणा के बाद ६ अप्रैल १९४८ को भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा विधान-परिषद् में की। हिन्दुस्तान में किस तरह औद्योगिक प्रसार होगा और इस बीच उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व रहेगा, इस घोषणा में ऐसे महत्व-पूर्ण प्रश्नों पर सरकार की नीति जटाई गई।

उद्योग व रसद के मन्त्रिमण्डल के इस सम्बन्धी प्रस्ताव सं-१(३)-४४(१३) का खुलासा इस प्रकार है :

(१) भारत सरकार ने देश के सामने प्रस्तुत आर्थिक प्रश्नों पर गहराई से विचार किया है। हमारे राष्ट्र का निश्चय एक ऐसी व्यवस्था गढ़ने का है जहाँ कि प्रत्येक देशवासी को न्याय और उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। सबके रहन-सहन का तल ऊंचा होना चाहिए और शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ सुलभ होनी चाहिए। आवश्यक है कि उचित योजनानुसार ही मर्वांगीण उन्नति हो। सरकारका प्रस्ताव है कि इस कार्य के लिए पुरु नैशनल प्लानिंग कमीशन (राष्ट्रीय योजना समिति) नियत करे।

(२) देश की आर्थिक दशा सुधारने का अर्थ है राष्ट्रीय मूल्क में उन्नति। आधुनिक राष्ट्रीय मूलके बेहतर बनवारे पर जोर देनेका मतलब इस वक्त केवल गरीबी को बांटने का होगा। इसलिए ज्यादा जोर राष्ट्रीय धन की अधिक-मे-अधिक उत्पत्ति पर देना चाहिए, साथ-ही-साथ सम्बन्धी व्यापार व बनवारे के साधनों पर भी दृष्टि रखी जायगी। कृषि और उद्योग धन्यों के उत्पादन बढ़ने चाहिए, धनोत्पादक मर्गीनरी (कैपिटल) ज्यादा मिकड़ारमें प्रयुक्त होनी चाहिए, जोगों को आम जहरत की चीजें सुर्खेत होनी चाहिए और ऐसे सामान का निर्यात बढ़ना चाहिए जिसमें कि अधिका-

धिक विदेशी मुद्रा हिन्दुस्तान के हाथ में आए ।

(३) अब सोचना यह है कि शासन किस हद तक इस औद्योगिक प्रयास में हिस्सा ले और किस हद तक व्यक्तिगत धन को औद्योगिक प्रयास में रहनेकी इजाजत हो । इसमें सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे शासन को ही इस प्रयास में अधिकाधिक सक्रिय होना आवश्यक है परन्तु इस समय इस सम्बन्ध में निश्चय हमारे उद्देश्यों को पूर्ति को किस हद तक सुगम करता है, केवल इसी बातका विचार करके होना चाहिए । आज शासन यन्त्र ऐसा नहीं है कि वह उद्योग-धनधों में वांछित भाग ले सके । इस दशाको सुधारने के सरकारी प्रयत्न जारी हैं। सरकार के विचारमें उचित यही है कि जिन उद्योग-धनधों में वह लगी है, वह उन्हींका प्रसार करे अथवा नए कला-कारखाने लगाए—वजाय इसके कि वह चालू कला-कारखानों को इस्तगत करे । इस बीच व्यक्तिगत धन को, जिस पर सरकारी नियन्त्रण और अनुशासन रहेगा, औद्योगिक प्रयास का महत्व-पूर्ण कार्य करते रहना है ।

(४) इन बातों का ध्यान रखकर सरकार ने निश्चय किया है कि अस्त्र-शस्त्रोंका निर्माण, अणुशक्ति पर नियन्त्रण व इसका उत्पादन और रेल द्वारा यातायात के साधनों का स्वामित्व व प्रबन्ध पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के हाथों में ही रहेगा । किसी भी विशिष्ट अवसर पर, राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवश्यक समझे गए किसी भी उद्योग को, सरकार अपने हाथों में ले सकेगी । नीचे लिखे उद्योगों के नए प्रयासोंको केवल सरकारे ही—केन्द्रीय, प्रान्तीय, रियासती अथवा स्थानीय—चालू कर सकेगी । यदि सरकार देश की भलाई को दृष्टि में रखते हुए उचित समझेगी तो व्यक्तिगत धन को भी इनमें हिस्सा लेने देगी ।

१. कोयला

२. हवाई जहाजों का निर्माण

३. लोहा और इस्पात

४. समुद्री जहाजों का निर्माण

**५. टेलीफोन, टेलीग्राफ व बैतार के समान का निर्माण
(इसमे रेडियो शामिल नहीं हैं)**

६. खनिज तेल

सरकार को सब समय यह अधिकार है कि चालू कारखानों को वह जब चाहे अपने हाथों में ले ले। लेकिन सरकार इस निश्चय पर पहुँची है कि उपरोक्त चेत्रों में चालू कारखानों को दम साल तक जारी रहने व विकास करनेकी आज्ञा दी जाय। इस दस सालके अरसेके बाद स्थितिपर फिर से विचार होगा और समयोचित फैसले किये जायंगे। यदि कभी यह निश्चय हो कि चालू कल-कारखानों को सरकार हस्तगत करते तो उन्हें विधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकारों के अनुसार उचित मुशावरा दिया जायगा।

सरकारी प्रयासों का प्रवन्ध-भार अम तौर पर केन्द्रीय अनुशासनके तले, सार्वजनिक कारपनियों द्वारा हुआ करेगा।

(५) हाल ही में भारत सरकार ने एक आज्ञा जारी की है जिसके अनुसार बिजली की शक्ति का उत्पादन व विक्री सरकार के हाथों में रहेगी। इस उद्योग के चेत्र में इसी आज्ञा के अनुसार काम होगा।

(६) शेष औद्योगिक चेत्रों में साधारणतया व्यक्तिगत पूँजी का ही काम होगा। इस चेत्र में भी सरकार अधिकाधिक हिस्सा लेगी। व्यक्तिगत प्रयास में यदि किसी उद्योग की सम्यग् उन्नति नहीं होती तो सरकार उसमें हस्तांत्रिक करने से हिचकिचायगी भी नहीं। बड़ी-बड़ी नदियों पर बांध बांधने, बिजली पैदा करने और सिचाई के साधनों का प्रसार करने के कितने ही नए-नए प्रयास इस बक्त केन्द्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारों के हाथों में हैं। केन्द्रीय सरकार इस बक्त खाद्य पैदा करने का एक बड़ा कारखाना भी बना रही है और औषधियों व कोयले से रसायनिक तेल बनाने के उद्योग की योजना पर विचार कर रही है।

(७) संख्या ४ में लिखे गए उद्योग-धन्यों के अतिरिक्त निम्न-लिखित उद्योग ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रीय हित को इसी में रखते हुए सरकारी नियन्त्रण बने रहना परम आवश्यक है :

१. नसक
 २. मोटर व ट्रैक्टर
 ३. मूल-प्रेरक (प्राइम मूर्वस)
 ४. विजली से सम्बन्धित इंजीनियरिंग
 ५. भारी मशीनरी
 ६. मशीनरी के पुर्जे
 ७. महत्वपूर्ण रसायन, खाद व औषधियाँ
 ८. विजली से सम्बन्धित रसायनिक उद्योग
 ९. लौह-रहित (नान-फेरस) धातुएँ
 १०. रबड़ का सामान
 ११. औद्यागिक व रसायनिक पेट्रोल
 १२. सूती व गर्म कपड़े का उद्योग
 १३. सीमेट
 १४. चीनो
 १५. पुस्तकों व अखबारों के लिए कागज
 १६. हवा व पानी के यातायात
 १७. खनिज उद्योग
 १८. राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्धित उद्योग
- (८) राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में घरेलू दस्तकारियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय पर विचार होना चाहिए कि किस हद तक यह छोटे-छोटे धन्ये वड़े पैमाने के उद्योग-धन्यों से मिलकर काम कर सकते हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए भारत सरकार उद्योग व रसद के मन्त्रिमण्डल के अधीन घरेलू दस्तकारियों का एक नया महकमा खोलने का निश्चय कर चुकी है।

इस महकमे का एक काम घरेलू दस्तकारियों को सहकारिता को दिशा की ओर (को-आपरेटिव बैसिस पर) अग्रसर करना होगा ।

(६) उत्पादन में सर्वाधिक उन्नति हासिल करने का जो उद्देश्य सरकार ने अपने सामने रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि मजदूरों व मालिकों में पूरा मेलजोल व भाईचारा रहे । इस सम्बन्ध में दिसम्बर १९४७ में हुई इंडस्ट्रीज कान्फ्रेंस के प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करती है । एतत्सम्बन्धी फैसलों पर ध्यान रखने के लिए सरकार एक समुचित मशीनरी बनायगी । केन्द्र में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति (सैट्रॉल पुडवाइज़री कौसिल) बनेगी जो सब उद्योगों पर नजर रखेगी । सब मुख्य उद्योग-धन्धों के लिए अलग-अलग सामितियां होगी । यह समितियां आगे उप-समितियोंमें विभक्त होगी जो उत्पादन, औद्योगिक रिश्ते, मजदूरी का निर्णय और मुनाफे के बंटवारे पर ध्यान दिया करेगी । इसी तरह प्रान्तीय हेत्र में कौसिल, समितियां व उप-समितियां बनेगी । इनके नीचे प्रत्येक औद्योगिक इकाई के साथ कार्य समितियां (वर्क-कमेटियां) और उत्पादन समितियां काम किया करेगी । इन दोनों समितियों में मजदूरों व मालिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि रहा करेंगे । शेष सब समितियों में सरकार, मजदूर व मालिक—तीनों के प्रतिनिधि हुआ करेंगे ।

सरकार को आशा है कि इस मशीनरी के फलस्वरूप औद्योगिक क्षणे काफी हद तक कम हो जायेंगे ।

मजदूरों को रिहायश व मकान दिलवाने का सरकार विशेष प्रयास कर रही है । अगले दस सालों में दस लाख मकान बनाने की एक योजना विचाराधीन है । इनका व्यय सरकार, मिल-मालिक व मजदूरों को मिलकर उठाना होगा; मजदूर अपना हिस्सा कियाये के रूप में चुकायेंगे ।

(१०) इंडस्ट्रीज कान्फ्रेस के इस विचार से सरकार सहमत है कि भारत के शीघ्रतर उद्योगीकरण को विदेशी पूँजी और प्रयास से सहा-

यता मिलेगी लेकिन जिन दशाओं में विदेशी पूँजी ने भारतीय उद्योग में हिस्सा लेना है उस पर राष्ट्रीय हितानुसार पूरा नियन्त्रण होना आवश्यक है। एतत्सम्बन्धी कानून धारा-सभा में पेश किए जायेंगे। यत्न किया जायगा कि आमतौर पर प्रत्येक प्रयास का प्रबन्ध-भार और स्वामित्व, जहाँ तक सम्भव हो, हिन्दुस्तानीहाथों में ही हो।

(११) जिन उद्योगों को सरकारी प्रबन्ध के ज्ञेत्र में रख या है सरकार उनके विकास का उत्तरदायित्व समझती है। दूसरे उद्योगों को सहायता देना भी सरकार अपना कर्तव्य मानती है। यातायात की सुविधाएं देकर, आवश्यक सामान व मशीनरी के आयात की आज्ञा देकर और आयात-करों को देशी हित से घटा-घटाकर सरकार इन उद्योगों को यथासम्भव सहायता देगी।

(१२) सरकार आशा करती है कि औद्योगिक नीति के इस प्रकार स्पष्टीकरण से सब तरह के भ्रम दूर हो जायेंगे और अब जनता, मजदूर व मालिक सब मिलकर ऐसा प्रयास करेगे कि भारत का उद्योगीकरण शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न हो।

हिन्दुस्तान में ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास

प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद हिन्दुस्तान के कल-कार-खानों में अशान्ति और असन्तोष फैला था। मजदूरों ने अपने अधिकारों को मनवाने के लिए हड्डतालें करना आरम्भ किया और इस दृष्टि से हड्डताल कमेटियाँ बनाईं। इन हड्डताल कमेटियों में ही मजदूर संघों के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

मजदूर-संघ बनाने की और उसमें ठीक तरह मजदूर सदस्य भर्ती

करने की पहली कोशिश १६१८ में मद्रास में मिस्टर बी० पी० बाड़िया ने की। वह मद्रास लेवर यूनियन का संगठन कर रहे थे। यह संघ मजदूरों की शिकायतों का उचित प्रतिकार करने में सफल हुआ लेकिन १६२१ में मिल मालिकों ने हाईकोर्ट की आज्ञा प्राप्त करके इसकी कार्रवाईयों को बन्द करवा दिया। इस घटना ने लोगों का ध्यान देश में ट्रैड यूनियन सम्बन्धी कानून बनाने की आवश्यकता पर आकृष्ट किया। तब तक मजदूर-संघों के विषय में कोई कानूनी सुविधाएँ नहीं थीं।

हमीं बीच १६२० में अहमदाबाद के मजदूरों ने एक यूनियन बनाई जो कई वर्ष श्री गुलजारीलाल नन्दा के, जो आजकल वर्म्हू के मजदूर मन्त्री हैं, नेतृत्व में रही और जिसका पथ-प्रदर्शन महात्मा गांधी ने स्वर्य किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल-लेवरसं-एसोसियेशन ने जिस ऐक्य और संगठन को प्रशंशित किया। वह अतुल था। सारे देश में बहुत मजदूर मजदूर-संघों में से एक यह है। मजदूरों के हितों के कितने सुभीते इस संघ ने प्राप्त करवाए और मजदूरों के लिए स्कूल रिहायरी स्थान, वाचनालय, व्यायामशाला आदि की स्थापना की। यह यूनियन प्रतिवर्ष लगभग ६०,००० रुपया मजदूरों के लिए दबाइयों, शराबबन्दी, शिक्षा और दूसरे नामाजिक प्रचार पर खर्च करती है। इस मजदूर-संघ ने अहमदाबाद-मिलओर्नज्ज-एसोसियेशन के साथ कोई भगडा छठ खड़ा होने की स्थिति में समझौता व निपटारा करवाने के साधन भी स्वर्य ही निर्माण किये हुए हैं। फलस्वरूप अहमदाबाद जैसे बड़े उद्योग केन्द्र में हड्डतालों का वारदातें नहीं के बराबर होती हैं।

१६२० में ही ऑल इंडिया ट्रैड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में मुख्य श्रेणा हिन्दुस्तान का इन्टरेंशनल लेवर आर्में-विजेशन से होने वाला सम्बन्ध था। मजदूरों को यह भय हो रहा था कि मिल-मालिकों के पिछे ही मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में भेज दिए जाया करेंगे।

१९२६ में हिन्दुस्तान की धारा-सभा ने इंडियन-ट्रैड यूनियन-एकट को स्वीकार कर लिया। इस कानून ने मजदूर-संघों की सत्ता को स्वीकार कर लिया कानून की दृष्टि में उन्हें उचित स्थान भी दिया। इसके अनुसार यूनियनों के अधिकारी वर्ग पर हड़तालों के लिए कोई दीवानी अथवा फौजदारी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। इसके अनुसार शौद्योगिक झगड़ों पर और सदस्यों को सुविधापूर्ण दिलाने में मजदूर संघों के कोप सर्च किए जा सकते थे।

ये दिन देश में राजनीतिक व सामाजिक जागृति के दिन थे। देश की राजनीति में उद्घवादियों और नरमदलवादियों में कश-मकश चल रही थी। मजदूर संघ आन्दोलन में भी इसी विचारधारा के अनुसार अग्रगामी और नरमदल वादियों में फूट पड़ गई। नरमदल के लोगों ने ट्रैड यूनियन कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और श्री एन० एम० जोशी के नेतृत्व में नेशनल फेडरेशन आफ ट्रैड यूनियन्स बनाई। यह फूट ट्रैड यूनियन कांग्रेस के नामपुर के अधिवेशन के, जिसका सभापतित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बाद पड़ी। इस अधिवेशन में ट्रैड यूनियन कांग्रेस ने अपना नाता अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्थाओं से जोड़ने और मजदूर प्रश्नों पर अनुमन्धान करने वाली रायल कमीशन—इंटर्नेशनल लेबर आर्मिजेशन और राउंड टेबल कान्फ्रैंसों के बहिष्कार का फैसला किया था।

ट्रैड यूनियन कांग्रेस के अगले वर्ष के अधिवेशन (१९३१) में एक नया मतभेद उठ खड़ा हुआ। यह मतभेद और फूट द वर्ष वना रही। इस काल के बाद १९३६ में सब ट्रैड यूनियनों ने आल इंडिया ट्रैड यूनियन कांग्रेसको फिर अपनी वैन्द्रीय संस्था मान लिया। १९३८ में नेशनल फेडरेशन और ट्रैड यूनियन कांग्रेस मिलकर एक हो गई। ट्रैड यूनियन कांग्रेस ने साम्यवादी बाह्य चिन्हों का त्याग किया।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान (१९३९-४५) में १९४० में एक बार फिर मजदूरोंमें फूट पड़ी। ट्रैड यूनियन कांग्रेसके विचार में मजदूर संघों

को युद्ध के प्रति निष्पत्तिका का दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए था। क्लैकिन मिस्टर एम० एन० राय की अध्यक्षता में मजदूरों के कुछ अंश और कलकत्ता की सी० मेन्स यूनियन ने युद्ध प्रयास में सहायता देने का निश्चय किया। इस पर इंगिड्यन फेडरेशन आफ लेवर की स्थापना हुई जिसके श्री जमनादास मेहता प्रधान और एम० एन० राय मन्त्री बने।

१६४६ में सरकार ने आज्ञा दी कि हम बात की खोज की जाय कि आल इंगिड्या ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इंगिड्यन फेडरेशन आफ लेवर दोनों संस्थाओं में कौन संस्था मजदूरों का कितना प्रतिनिधित्व करती है। यह छानवीन चीफ लेवर कमिशनर ने को। परिणामस्वरूप आल-इंगिड्या ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही मजदूरों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था माना गया। हाल के एक अनुमान के अनुसार ७ लाख मजदूर ऐसे संघों के सदस्य हैं जो इस कांग्रेस से सम्बन्धित हैं।

हिन्दुस्तान के सबसे मजदूत मजदूर-संघों में उन संघों को गिना गया है जो रेलवे और डाक व तारधर के मजदूरों से सम्बन्धित हैं। आल इंगिड्या रेलवे-मेन्स फेडरेशन से १५ यूनियनें सम्बन्धित हैं और इनकी सदस्य संख्या १२६०७४ है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद देश में राजनैतिक चौभ की एक लहर उठ खड़ी हुई थी। मजदूरों की दुनिया भी इससे बची नहीं रही। हड्डताल व मगाडों का जोर हुआ। इस समय मई १६४६ में इंडियन नैशनल कांग्रेस ने मजदूरों की एक नई संस्था इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को जन्म दिया। इस संघ की नीति मजदूरों को राजनैतिक हड्डतालों से रोकने की है। यह हड्डताल को मजदूरों का आखिरी हथियार मानते हैं जिसका प्रयोग बहुत सीच-विचारके बाद और अन्तिम अवस्था में ही होना चाहिए।

देश में मजदूर-संघ-आन्दोलन अभी अपनी तृपरिपक्व अवस्था तक नहीं पहुंचा। अबतक विभिन्न राजनैतिक पार्टियां अपने हितवर्धनके लिए

मजदूर-क्षेत्र के दुरुपयोग की कोशिश करती रहती है। केवल मजदूरों का हित ही इनके संघों का उद्देश्य नहीं रहा। मजदूर संघों के आन्दोलन में आर्थिक दृष्टिकोण के सुधार की सीमा से निकलकर राजनीति में वरतने योग्य एक प्रभावशाली साधन बनने की प्रवृत्ति दीख रही है।

ट्रैड यूनियनों का विकास

इंडियन ट्रैड यूनियन एक्ट (१९२४) के अनुसार प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि ३१ मार्च १९४६ को हिन्दुस्तान में रजिस्टर्ड ट्रैड यूनियनों की संख्या ३०८७ थी। इन आंकड़ों में पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं—वहां की दंगा-ग्रस्त दशा के कारण यह आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके थे।

१९२७-२८ से हिन्दुस्तान में ट्रैड यूनियनों की गतिविधि व विकास का अंतरा नीचे की तालिका से जान पड़ेगा।

१	२	३	४	५
वर्ष	रजिस्टर्ड ट्रैड उन ट्रैड यूनियनों का लम्बा रुप में गिनाई हुन्में स्त्री यूनियनों की संख्या जिनमे ट्रैड यूनियनों की सदस्यों का संख्या	जिनमे ट्रैड यूनियनों की सदस्य-संख्या	अनुपात आंकड़े भेजे	(प्रतिशत)
१९२७-२८	२६	२८	१००,६१६	१.२
२८-२९	७५	६५	१८१,०७७	२.१
२९-३०	१०४	६०	२४२,३५५	१.४
३०-३१	११६	१०६	२१६,११५	१.४
३१-३२	१३१	१२१	२३५,६६३	१.४
३२-३३	१७०	१४७	२३७,३६६	२.१
३३-३४	१६१	१६०	२०८,०७९	१.४
३४-३५	२१३	१८३	२८४,६१८	१.७
३५-३६	२४१	२०८	२६८,३२६	२.७

३६-३७	२७१	२२८	२६६,०४७	३.८
३७-३८	४२०	३४३	३६०,११२	३.८
३८-३९	५६२	३६४	३६८,१५६	२.७
३९-४०	६६७	४५०	५११,१३८	३.६
४०-४१	७२७	४८३	५१३,८२८	३.८
४१-४२	७४७	४५५	५७३,८२०	३.०
४२-४३	६६३	४८९	६८८,२६६	३.८
४३-४४	७६१	५६३	७८०,६६७	२.७
४४-४५	८६५	५७३	८८६,३८८	४.१
४५-४६	१०८७	५८८	८६४,०३१	४.५

इस तालिका में उन्हीं यूनियनों के आंकड़े दिये गए हैं जो पुक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हैं लेकिन हरेक द्वे यूनियन अपने को लखर रजिस्टर करवाए, ऐसा कानून नहीं है। विना रजिस्टरी के देश में जितनी ही द्वे यूनियने काम कर रही हैं। वस्तव्य प्रान्त के अलावा ऐसी यूनियनों के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं; वस्तव्य में १ दिसम्बर १९४५ को विना रजिस्टरी के द्वे यूनियनों की संख्या १८८ और सदस्य मंख्या ८३,७१६ थी।

प्रान्तवार द्वे यूनियनों का व्योरा (१९४५-४६)

प्रान्त	रजिस्टर्ड द्वे यूनियनों की संख्या	वन द्वे यूनियनों की संख्या जिन ने पुक्ट के अनुसार सदस्य संख्या आंकड़े भेजे	कालम ३ में गिनाई गई यूनियनों की संख्या	कालम ३ में गिनाई गई यूनियनों की संख्या
		१९४४-४५	१९४५-४६	१९४५-४६

अजमेर मेरवाड	४	४	३६२	३१५६
असाम	१६	१२	२५७४	३६८०
बंगलोर	१	१	२६६	३३६
बड़ाल	४१७	४९	२४३४७६६	२६१५११

बिहार	५३	३१	२३६४४	५०२०३
बम्बई	१०४	७८	१६७१८४	१८२६४३
मध्य-प्रान्त, बरार	४५	३२	१२३४४	१७७७६
दिल्ली	४७	२५	३१४८३	३४१७३
मद्रास	२३२	१८०	८७१६०	१२७४१४९
सीमाप्रान्त	६	४	३५७	४०६
उडीसा	७	५	१६०६	११४८
सिन्ध	५०	४८	११७०४	१६६०६
संयुक्तप्रान्त	७०	४३	३०५०९	३५३२६
ऐसी यूनियनें	३२	२६	११५४८४	१२८७४४
जिनके कार्यहेत्र				
एक प्रान्त तक				
सीमित नहीं				
योग	१०८७	८८८	७२८८१३	८६४०३१६

(क) यह आंकड़े १७६ यूनियनों के हैं।

(ख) ये आंकड़े ८८४ यूनियनों के हैं।

उद्घोगों के अनुसार ट्रैड यूनियनों की सदस्यता का

चिवरण (१६४५-४६)

उद्घोग	उन ट्रैड यूनियनों की संख्या जिनने ऐकट के अनुसार आंकड़े भेजे	१६४५-४६ में, सदस्य संख्या
--------	---	---------------------------

रेलवे (हसमे रेलवे

वर्कशाप शामिल है)	७५	२,६६,४६१
ट्रैमवेज़	४	१०,३३६
वस्त्र उद्घोग	६१	२,३४,७८१(क)
छपाई के कारखाने	३७	१५,२४८

म्यूनिसिपल	३०	२३,०७०
जहाजों से सम्बन्धित	६	७६,६४२
बन्दरगाहों से सम्बन्धित	१६	२६,६२५
इंजीनियरिंग	२६	३१,८७५
विविध	२६४	१,७३,५२०
योग	५८५	८,६४,०३१(ख)

(क) ये आंकड़े ६० यूनियनों के हैं।

(ख) ये आंकड़े ५८५ यूनियनों के हैं।

१६४५-४६ में ट्रैड यूनियनों की सदस्य-संख्या के हिसाब से इनके विशेषण का व्योरा इस प्रकार था :

यूनियनों की संख्या	योग से अनुपात
जिनकी सदस्य संख्या ५० से कम थी	५५
,, ५० से ६६ तक	६८
,, १०० से २६६ तक	१४७
,, ३०० से ४६६ तक	६१
,, ५०० से ६६६ तक	१०८
,, १००० से १६६६ तक	५८
,, २००० से ४६६६ तक	५३
,, ५००० से ६६६६ तक	१६
,, १०,००० से १६६६६ तक	१६
,, २०,००० से ऊपर थी	२
योग	५८५
	१००

प्रतिदिन काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या (१६४६)

१५ अगस्त १६४७ से पहले उन मजदूरों की संख्या, जिन्हें प्रति

दिन कारखानों में काम मिल जाता था (पंजाब और सीमा प्रान्त को

चौड़कर) २३ लाख १४ हजार ५८७ थी जबकि १६४५ में यह संख्या

२४ लाख मर हजार ६६३ थी। इस तरह इसमें पिछले वर्ष से ६.८ प्रतिशत कमी हो गई।

निम्नलिखित तालिका से १९४६ में प्रतिदिन काम पर लगने वाली मजदूरों की संख्या का और उस संख्या में १९३९ और १९४५ से आनुपातिक वृद्धि या कमी का पता चलेगा : -

८

प्रान्त	प्रति दिन काम में लगने वाले मजदूरों की औसत संख्या	१९४६ में प्रतिशत वृद्धि+या कमी-			
	१९३९	१९४५	१९४६	१९३९	१९४५
मद्रास	१,६७,२६६	२,७६,१७६	२,८२,२६२+३३.०	-६.०	
बम्बई	४,६६,०४०	७,३८,७७४	६,८३,५१७+४६.७	-७.१	
सिन्ध	२४,६६४	४०,१२७	३८,८६८+८५.८	-३.२	
बंगाल	५,७१,२३६	७,४४,८१८	७,०५,७७७+२३.८	-२.२	
संयुक्तप्रान्त	१,८६,७२८	२,७६,८६८	२,८७,१४०+६१.०	-७.०	
बिहार	६८,६८८	१,६८,८०८	१,३८,६६०+४४.८	-१७.८	
उड़ीसा	५,२७१	७,४२७	७४४३+३८.६	+०.२	
मध्यप्रान्त व बरार	६४,४६४	१,१०,२६३	१,०१,३५८+८७.२	-८.१	
आसाम	५२,००८	८८,०७०	६०,४८७+१६.३	+४.२	
बलूचिस्तान	२,०२३	३,६६८	४,१४४+१०४.८	+४.४	
अजमेर मारवाड़	१३,३३०	१५,८७७	१५,७८६+१८.४	-०.६	
दिल्ली	१७,४००	३६,८७०	३३,६४६+६१.७	-६.५	
बंगलोर और कुर्णी	१,३८०	५,६८७	५,४३६+२६३.६	-४.४	
	१६,७२,७०७	२४,८२,६६३	२३,१४,८८७+३८.४	-६.८	

इस तालिका में पंजाब व सौमा प्रान्त के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। १९४५ में इन दोनों प्रान्तों में १ लाख ६० हजार के लगभग मज-

दूरों को प्रति दिन काम मिलता था। १९४५ में इस संख्या को मिलाकर — सारे हिन्दुस्तान में काम पर लगने वाले मजदूरों की संख्या १९३६ की संख्या से ५०,६ प्रतिशत अधिक थी।

दयोगों के अनुसार प्रतिदिन काम पर लगने
वाले मजदूरों की औसत संख्या

उद्योग	प्रति दिन काम पर लगने वालों की संख्या		१९४६ में १९४५ से प्रतिशत वृद्धि+ या कमी—
	१९४५	१९४६	
वार्षिक उद्योग			
बस्त्र उद्योग	६,८७,२३०	६,८२,४०८	-०.५
{ नूत्रि कपड़ा	६,४२,८८१	६,२६,६७४	-२.०
{ पटसन निर्माण	३,०३,२१६	३,१३,१२३	+३.२
{ गोप	४१,३२०	३६,६०१	-४.२
इलीनियरिंग	२,५६,६१७	२,१४,८७६	-१६.३
खनिज धातुएं	१,१३,७३८	८८,७०८	-२६.४
खाद्य, पेय, तस्वारू	१,४६,४४८	१,५०,८४३	+३.१
रंग वा रसायन	६५,१०६	६५,१८३	+०.६
कागज व छपाई	८३,१६२	८५,२१८	+२.६
लकड़ी, पत्थर, शीशा	६२,६६६	६०,७३१	-२.४
वंधवाई, पैकिंग गिन्स	१६,२५०	१६,८६६	+४.०
चमड़ा व खाली	३४,२७५	३०,३६८	-११.३
विविध	३६,५०६	३६,९०६	-८.६
सामाजिक उद्योग			
खाद्य, पेय, तस्वारू	१,२४,३३१	१,२७,३३४	+१.६
रंग व रसायन	१,६७१	२,२६७	+१२.५
वंधवाई, पैकिंग गिन्स	६३,६०३	८८,५११	-८.७
प्रिंटिंग	३,८५२	३,७८३	-४.८

१९४६ में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों (२३,१४,५८७) में २० लाख के लगभग वयस्क पुरुष थे और २ लाख ७० हजार के लगभग वयस्क स्त्रियां थीं ।

हिन्दुस्तान के कारखानों में झगड़े

वर्ष १९४७ के जो आंकड़े नीचे दिये गए हैं उनमें पूर्वी पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं। बंगाल के आंकड़े विभाजन से पूर्व के काल के हैं। किर सी इन आंकड़ों से सम्बन्धित प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। १९४६ के आंकड़ों में से सिन्ध प्रान्त के आंकड़े निकाल दिये गए हैं, सीमा प्रान्त और बहूचिस्तान के आंकड़े पहले ही शामिल नहीं थे ।

इसके अनुसार १९४६ और १९४७ के आंकड़े इस प्रकार हैं :

१९४७ प्रतिशत भेद १९४६

झगड़ों की संख्या	१८११	+ १३.७	' १,५६३
इनमें मजदूरों की संख्या १८,४०,७८४	-५.७	१६,४१,७५६	
इनसे मजदूरी के दिनों			

का नुकसान १,६५,६२,६६६ +३०.६ १,२६,७८,१२१

१९४७-४८ के झगड़ों का विवरण इस प्रकार है :

झगड़ों की संख्या

जिनमें कि कार-	इनसे सम्बन्धित	मजदूरी के दिनों
खानों को बन्द	मजदूरों की सं०	का नुकसान
होना पड़ा		

१९४७ अगस्त	१६०	१,०६,२४३	६,६४,६३८
सितम्बर	१७६	२,८६,०२८	१६,५३,२७५
अट्टक्कर	१४७	२,७०,६२२	८,३६,६४६
नवम्बर	१२७	१,१४,६४१	४,७०,०९८
दिसम्बर	११५	८३,०४०	८,३५,३६८
१९४८ जनवरी	१६६	१,८५,४८२	८,८५,६१७
. फरवरी	१५१	१,२८,६३०	१२,८६,८७८

१६४८ मार्च	१६८	१,४२,३२६	१५,३३,०३०
अप्रैल	१४१	६६,०८८	६,६३,५५०
मई	१३०	७५,३४२	४,५८,५६०

१६४८ के महीनों के अंकड़े अन्तिम वा निश्चित नहीं हैं।

कल-कारखानों में भगड़ों का इतिहास

वर्ष	उन भगड़ों की संख्या जिनसे काम रुक गया	इनमें मजदूरों की संख्या	इनसे मजदूरी के दिनों का नुकसान
१६४६	४०६	४०६,१८६	४६,६२,७६५
१६४०	३२२	४५२,५३६	७५,७७,२८१
१६४१	३८६	२६१,०५४	३३,३०,५०३
१६४२	६४४	७७२,६५३	५७,७६,६६५
१६४३	७१६	५२५,०८८	२३,४२,२८७
१६४४	६५८	५५०,०१५	३४,४७,३०६
१६४५	८२०	७४७,५३०	४०,५४,४६६
१६४६	१६२६	१६,६१,६४८	१,२७,१७,७६२
लनबरी	२०३	१६६,२२६	२०,१६,८४८
फरवरी	३१२	२६८,४६३	१६,३१,३४१
मार्च	२७६	३०३,१६२	१७,८६,६८३
अप्रैल	२१६	२६७,२८७	२६,१२,८४४
मई	१८७	१४८,४५१	६,८३,४२६
जून	१६८	१५३,७६६	२१,३५,८१७
जुलाई	१६०	१४८,८२१	६,२६,१५१

आौद्योगिक भगड़ों का

प्रान्त	फगड़ों की संख्या	मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों का नुकसान
अजमेर मारचाह	६०	२०,१५३	३६,७२२
आसाम	६४(क)	२४,०२१	७८,५४१
उडीसा	३	२८४	१६,४३१
दिल्ली	२०	२८,११७	३,८६,२१६
बंगाल	३७६	४,१२,४३२	४८,८३,७६२
बम्बई	६४०(ख)	७,२७,५०१	४१,४६,४३८
बिहार	७१	८३,६३८	६,०६,७६०
मद्रास	२१०(घ)	२,३२,३४४	३२,३०,८८७
मध्यप्रान्त			
और बरार	१२२(ग)	१,५७,५२२	११,१०,२८४
संयुक्तप्रांत	१२५(ड)	१,२४,७७५	१०,६०,८६८
योग	१८११(च)	१८,४०,७८४	१,६५,६२,८६६

(क) २ मामलों में मजदूरों की मांगों और ४ मामलों में परिणाम

(ख) २ मामलों में परिणाम का पता नहीं ।

६ मामलों में मजदूरों की संख्या और १० मामलों में मजदूरों के दिनोंकी

(घ) १ मामले में परिणाम का पता नहीं ।

(च) १७ मामलों में मांगो, २६ मामलों में परिणाम, ६ मामलों में

प्रान्तवार हिसाब

संगड़े का कारण			परिणाम					
मजदूरी बोनस मजदूर रखने व छुट्टी के शेष			सफल आंशिक असफल अनिश्चित जारी			सफल		
निकालने का प्रश्न			समय		सफल			
२६	२	४	..	५८	१५	१०	५२	१२
१०	१२	२५	२	१३	३८	५	८	८
२	१	१	...	१	...
११	१	२	१	५	२	३	८	७
१२४	२३	६७	३०	१०२	८८	७६	१६३	३७
२३५	६५	१४७	४६	१२७	६५	१०२	३१८	११७
२६	३	७	५	३०	२५	८	११	२६
६६	५०	—	२	१६४	२१	५८	२७	१५७
४६	१	३२	३	३६	१४	२६	६३	१४
२८	७	२७	५	४७	१६	७	४६	३६
५७४	१६५	३४६	६४	५८२	३१०	२६८	७००	४१६

का पता नहीं।

(ग) १ मामले में मजदूरों की मांगों और २ मामलों में परिणाम का पता नहीं जुकसान का पता नहीं।

(घ) १४ मामलों में मांगों का और १७ मामलों में परिणाम का पता नहीं।
मजदूरों की संख्या और १० मामलों में मजदूरों के दिनों का पता नहीं।

उद्योगों के अनुसार

उद्योग	मगाहों की संख्या	मजदूरों की संख्या	मजदूरी के दिनों का नुकसान
सूती रेशमी व गर्म कपड़ा	६७१	१५८४०६	७३१८०३६
पटसन	६८	२१७५२१	१३६५७१६
हृजीनियरिंग	२०६	१४७७८२	१५२६११२
रेलवे	५३	६५६४८	२१०४०६
खाने	३८	६६६७७	५०७७४८
शेष	७७२	३८४१४८	५५२४५६८
योग	१८११	१८४०७८४	१६५६२६६६

(१) मजदूरी (२) बोनस (३) मजदूर रखने व निकालने का प्रश्न
 सफल (ग) असफल (घ) अनिश्चित (छ) जारी ।

भगड़ों का विश्लेषण

कारण					परिणाम				
१	२	३	४	५	क	ख	ग	घ	ঙ
१६	७३	१२१	३६	१७१	६२	१०४	३२७	१२०	१६
२१	...	२१	४	३१	४	४	३७	१६	४
६२	३०	४६	१६	२५	४१	३५	७७	४४	६
५	..	३	१	४४	६	१	१०	३२	...
११	८	१६	१६	८	११	६
३१५	६३	१५६	३४	१६२	१४८	१४६	२३८	१६४	३२
५७४	१६५	३४६	६४	१८२	३१०	२६८	७००	४१६	६१

(४) छुट्टी और काम के समय (५) शेष। (क) सफल (ख) आंशिक

कारण के अनुसार भगवों का विस्तैरण

मुख्य कारण	भगवों की संख्या	योग से अनुपात	योग से अनुपात
मजदूरी	५७४	३२.०	३७.१
बोनस	१६५	१०.६	८.६
मजदूर रखने व निकालने का सचाल ३४६		१४.५	१७.२
छुटी व काम के समय	६२	५.२	८.०
शेष	५८२	३२.४	३२.८
योग	१३४४ (क)	१००.०	१००.०

(क) १७ मासलों में कारण का पता नहीं।

गोड यूनियन आन्दोलन का इतिहास

परिषाम के अनुसार भगवें का विवरण

	१६४७	१६४९	१६५६
भगवें की संख्या	-	योग से अनुपात	योग से अनुपात
सप्तरू	३३०	१८.०	१७.८
आंशिक सफरत	२६८	१७.३	१७.५
आसफरत	७००	४०.६	४४.२
आनिश्चित	४१६	२४.९	२०.३
योग	१७२३४(क)	१००.०	१००.०

(क) वर्ष के अन्त मे ६१ झागड़े जारी थे और २६ के परिषाम का पता नहीं चला।

१९४७ के औद्योगिक फगड़ों के सम्बन्ध में निष्कर्ष :

(१) इस वर्ष फगड़ों की संख्या पिछले वर्ष से १३.७ प्रतिशत और मजदूरी के दिनों के नुकसान की ३०.६ प्रतिशत वटी। फगड़ों से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या कुछ घटी।

(२) फरवरी १९४७ में सबसे अधिक फगड़े हुए। फिर क्रमशः घटते गए।

(३) वस्त्रहीन व मद्राप में फगड़े बढ़े, आसाम और ग्रजमेर मारवाड़ में भी अशान्ति रही।

(४) सूती, रेशमी व गर्म कपड़े की मिलों में अधिक अशान्ति रही, पटसनकी मिलों को कम नुकसान पहुँचा, रेतवे कम्पनियों में प्रायः अशान्ति रही, खानों में फगड़े बढ़े।

(५) इस वर्ष बोनस व मजदूरों को निकालने से सम्बन्धित फगड़े बढ़े।

(६) असफल फगड़ोंका अनुपात कुछ कम हुआ, अनिश्चित मामलों का बढ़ा।

(७) फगड़ों का औसत काल ६ दिन रहा जबकि १९४६में यह ६½ दिन था।

दिसम्बर १९४७ में दिल्ली में हुई इंडस्ट्रीज कान्फरेंस ने इंडस्ट्रीयल द्रूस (औद्योगिक क्षेत्र में समझौता) का प्रस्ताव पास किया। इस सभा में सरकार, मिल मालिक व मजदूरोंके नेता शामिल थे। लेकिन इस समझौते को कार्यान्वयन नहीं किया गया। २० दिसम्बर से २१ दिसम्बर १९४७ तक भिन्न-भिन्न उद्योगों में फगड़ों की निम्न चारदारते हुईः

उद्योग	फगड़ोंकी संख्या	मजदूरोंकी संख्या	मजदूरीके दिनोंकी संख्या
सूती कपड़ा	३	२२१३	२४७६
पटसन	३	२२०००	१४४०००
बन्दरगाह	१	६५२०	३६१२०
हूँजीनियरिंग	५ (क)	१२०३	२०६५

विजाई के घन्थे

(प्रान्तेशन)	१(क)		...
स्थूनिसिपैलिटी	१	२०००	१६०००
विविध	७	१६७६	२७१६
—	—	—	—
योग	२१(ख)	३५६१२	२०६४१०
(क) मजदूरों की संख्या व एक मगढे में मजदूरी के दिनों के नुकसान का पता नहीं।			

(ख) „ „ „ २ मगढे „ „ „ „ „
कल-कारखानों के मजदूरों की कमाई (१६४६)

कारखानों में काम करने वाले एक मजदूरकी औसत वार्षिक कमाई, जो कि २०० रुपये से कम मानिक वैतन पाता था, हस प्रकार रही है।

१६३६—	२८७.५ रु०
१६४२—	५६५.५ रु०
१६४६—	६१६.४ रु० (क)

(क) इसमें पंजाब और सीमा प्रान्त के आकड़े शामिल नहीं हैं।
दी गई मजदूरी का कुल जोड़ १६४६ में हस प्रकार रहा।

प्रान्त	लगाने वालों की संख्या की औसत	(रुपये)
अजमेर मारवाड़	८,६८	३४,२४,३१८
आसाम	८८,६४८	१,२६,२६,६२७
बलूचिस्तान	४,४४७	२३,२५,५०१
बंगाल	६,१३,२६०	२८,४५,१६,४४३
बिहार	१,२७,३१७	८,६२,८८,८८८
बम्बई	६,२६,०८८	४८,६६,२५,१३०

मध्य प्रान्त

श्रौर बरार	५४,७८६	२,६२,७६,४८२
कुर्ग	३१	६,४३३
दिल्ली	३१,११७	२,५६,७१,१६३
मद्रास	२,४४,४६५	८,८८,२२,८६२
उडीसा	६,६६५	१६,२८,७३७
सिन्ध	३४,७०६	१,६२,०८,६०७
संयुक्तप्रान्त	२,२१,४२१	११,६६,०८,५५०
—	—	—
योग	२०,४४,७३२	१,१२,८२,४७,४२६

कारखाने के मजदूरों की वार्षिक कमाई की
औसत का प्रान्तवार हिसाब

१९४६ में वृद्धि-

व कमी—

प्रान्त	१९४६ (रुपये)	१९४५ (रुपये)	१९४६ (रुपये)	१९४६ पर १९४५ पर
अंगमेर				
मारवाड़	१६३.७	४१६.८	४४७.८	+१७३.८ +६.७
आसाम	२६३.७	६६०.५	१८७.५	+१६०.७ -४.९
बंगाल	२४८.७	४६२.५	४६६.३	+६४.६ +६.६
विहार	४१५.५	२३८.७	४४४.०	+३०.६ +१.०
बंगलौर	३७०.४	८१४.७	८१२.३	+१९८.३ -०.३
मध्यप्रान्त				
बरार	(क)	८३०.६	४७६.७ -६.६
दिल्ली	३०६.४	६६६.६	८३७.२	+१७०.६ +१६.६
मद्रास	१७५.६	३५७.६	४२२.२	+१४०.० +१८.१

ट्रेड यूनियन आन्दोलन का इतिहास

१३१

उडीसा	१६१.८	४१७.२	४४०.१	+१७२.४	+५.५
सिन्ध	३२८.०	६२६.२	७७७.५	+१३७.०	+२३.६
युक्तप्रात	२३५.६	५५१.७	५९३.६	+१५२.०	+७.६
अंग्रेजी					
हिन्दुस्तान	२८७.८	५६२.८	६१६.४	+११८.४	+४.०

(क) आंकडे अप्राप्य।

इस तालिका में पजाव व सीमाप्रान्त के आंकडे शामिल नहीं हैं।

कारखानों के मजदूरों की वापिक कमाई की आौसत-

उद्योग	मद्रास (रुपयों में)	बम्बई	सिन्ध	वंगाल	युक्त प्रान्त	विहार
कपड़ा	४२१.१	४३५.०	४८८.३	४२८.४	४८०.३	२८७.३
सूती कपड़ा	४४०.६	८४७.२	४२२.२	४४८.६	६०२.०	३४६.५
पटसन का निर्माण	३४१.०	४३०.६	४३६.३	२१८.५
हूंजीनियरिंग	४६८.४	८८७.१	६०६.६	६३६.०	६१७.६	४३८.१
खनिज और धातुएँ	३८०.६	७६३.७	३७०.५	५६८.४	७१३.८
रंग व रसायन	२७४.४	६६४.०	५२३.१	४२७.४	४४१.१	३८२.५
कागज व छपाई	४६८.०	७१६.६	६८७.३	६६२.०	५६३.७	४२८.२
लकड़ी पत्थर	३४७.०	५६८.४	६६२.३	४८८.६	४५६.१	३२६.५
शीशा						
चमड़ा व खालौं	२७७.५	५६६.५	३२२.७	७५०.४	५५२.६	६६६.३
आर्डनेसकारखाने	१०७८.३	६६१.४	८७८.७	८००.१	७०२.५	४२२.४
मिट्ट्स	६७१.४	७४२.५
विचिध	४५२.६	७२७.६	६६०.३	६२६.२	५६३.०	४५४.४
सब उद्योग	४२२.२	८१२.३	७७७.५	४६६.३	४६३.६	४४४.०

उद्योगों के अनुसार (अंग्रेजी हिन्दुत्तान) १८४६

वरार	उड्डोसा मध्यप्रान्त आसाम बलुचिस्तान दिल्ली अजेमर कुग्रे सब	मारवाड़	प्रान्त
... ४६४.६ ७४६.६ ४४१.२ ..	६२४.५	
.. ४६४.६ ७५१.१ ४४१.६	७२१.८	
....	४२५.०	
४४३.१	... ६८२.३ ७६३.८ ६६८.६ ..	६६६.१	
...	१०६६.८ . ६७३.४	८६६.८	
१७६.६ ...	५२२.८ ६०३.६ ६८३.५	४६२.४	
५०६.५ ४५०.०	६००.६ . ८५६.५ ८९७.६ ..	६३८.४	
२८२.२ ३२८.७	३६०.६ ६५६.० ४९७.६ ..	४३४.३	
....	४५८.२	
५१०.४	... १२६७.६ .	७२१.२	
...	८५८.७	
११४८.६ २३२.६ ६०७.७ ४२६.७ २१२.३ ६११.८		
४४०.१ ४७६.७	६८७.५ ४१५.६ ८२७.२ ४४७.८ २१२.३ ६१६.४		

उद्योगों के हिसाब से कारखानों के मजदूरों की औसत

उद्योग	१९३६	१९४०	१९४१	१९४२
वस्त्र उद्योग	२६३.५ (१००)	३०२.६ (१०३.२)	३१४.० (१०७.०)	३७१.५ (१६४.७)
सूती कपड़ा	३२०.२ (१००)	३२५.१ (१०१.५)	३४३.६ (१०७.३)	६८२.६ (२१३.८)
पटसन का निर्माण	२३०.८ (१००)	२६५.६ (११५.२)	२५६.२ (१११.०)	३४२.८ (१५४.४)
इंजीनियरिंग	२६३.५ (१००)	३४८.० (१३०.६)	३७१.५ (१४१.६)	५२६.० (२००.७)
रंग व रसायन	२४४.८ (१००)	२२६.६ (६३.८)	२३८.१ (६७.३)	३६८.० (१६२.६)
खनिज धातुएँ	४४७.२ (१००)	४४१.५ (१०७.५)	४७६.१ (१०४.१)	५०२.१ (१०६.८)
कागज व लृपाई	३३२.७ (१००)	३६०.३ (१०८.३)	३२४.८ (६७.६)	४१४.० (१२४.४)
लकड़ी, पत्थर, शीशा	१६४.२ (१००)	१७५.३ (६०.४)	१६६.१ (१०२.६)	३०३.१ (१५६.२)
चमड़ी व खालौं	२८५.८ (१००)	३२७.५ (११४.५)	३४७.६ (१२५.२)	४११.० (१४३.८)
आर्डेनेस कारखाने	३६१.६ (१००)	४०८.५ (११२.६)	४३६.४ (११८.७)	५२७.४ (१४५.७)
मिन्ट्स	३६७.४ (१०६)	४६२.७ (१२५.६)	४६१.२ (१३३.७)	५७४.४ (१५६.३)
विविध	२८१.२ (१००)	२६१.० (६२.८)	२६१.२ (६२.६)	३६२.० (१३६.४)
सब उद्योग	२८७.५ (१००)	३०७.७ (१०७.०)	३२४.५ (११२.६)	४२८.० (१८२.६)

वार्षिक कमाई की प्रवृत्ति (रुपयों व अनुपात में प्रदर्शित).

१६४४	१६४५	१६४६	१६४६ में ४८ पर प्रतिशत वृद्धि	या—कमी
६३३.६ (२१५.०)	६१३.७ (२०८.६)	६२४.५ (२१२.८)	+१.८	
७७२.२ (२४१.२)	७२३.४ (२२५.६)	७२१.८ (२२५.४)	-०.२	
३६३.२ (१५७.४)	३६०.८ (१६१.२)	३२५.० (१८४.१)	+८.८	
४८६.८ (२२३.८)	६५३.१ (२४७.९)	६६६.१ (२६४.२)	+६.६	
४८४.६ (१६८.०)	४४८.२ (१८१.८)	४६२.४ (२०१.१)	+१०.६	
४७३.५ (१२५.४)	६०१.६ (१३१.६)	५६६.८ (१३१.२)	-०.३	
४७४.१ (१४२.५)	५६८.८ (१७०.१)	६३८.४ (१११.६)	+१२.२	
३६८.४ (१८६.६)	४१३.६ (२१३.२)	४३४.३ (२२३.६)	+५.०	
४३२.१ (१८६.२)	५३६.७ (१८६.८)	५२८.२ (१६५.३)	+४.०	
४४६.८ (१५१.१)	६४.८ (१७७.६)	७२१.२ (१६१.३)	+१२.२	
६६५.२ (१८६.२)	६६७.० (१८१.६)	८५८.७ (२३३.७)	+२८.७	
४१३.८ (१८२.७)	५०८.२ (१७८.६)	६११.८ (२१७.६)	+२१.६	
४८६.८ (२०४.०)	५६४.८ (२०७.२)	६१६.४ (२१५.४)	+४.०	

इन विश्लेषणों से जो निर्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है।

(१) १९४६ में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की औसत कमाई ६१६ रुपया वार्षिक थी जब कि यह कमाई १९४५ में २६६ रुपया थी। इस तरह इसमें लगभग ४ प्रतिशत वृद्धि हुई।

(२) औसत कमाई सबसे अधिक दिल्ली में थी—८३७ रुपए—और सब से कम मद्रास में थी—४२२ रुपये। बम्बई और बंगाल में औसत वार्षिक कमाई क्रमशः ८१२ और ४६६ रुपए थी।

(३) बगाज, युक्तप्रान्त और मद्रास में मजदूरी की कमाई में क्रमशः ६.६ प्रतिशत, ७.६ प्रतिशत और १८.१ प्रतिशत वृद्धि हुई। बम्बई, मध्य प्रान्त और बरार में इसमें क्रमशः ३ प्रतिशत और ६.६ प्रतिशत कमी हो गई।

(४) पटसन के निर्माण के द्योग में सबसे कम कमाई थी—४२५) रुपए, मिन्ट्स में सबसे अधिक—८८६ रुपए। सूती कपड़े के कारखानों में कमाई की औसत ७२२ रुपए और इख्तीनियरिंग में ६६६ रुपए थी।

(५) १९४५ के सुकावले में १९४६ में सूती कपड़े, खनिज और धातुके उद्योगोंमें कमाई क्रमशः ०.२ प्रतिशत और ०.३ प्रतिशत कम हो गई; शेष सभी उद्योगों से यह बढ़ी। सबसे अधिक वृद्धि मिन्ट्स में हुई—२८.७ प्रतिशत।

गरीबी और मंहगाई

राष्ट्र-संघ की मांग पर भारत सरकार के व्यापार विभाग ने अभी हाल में ही देश के प्रति व्यक्ति की औसत वार्षिक आमदनी का हिसाब निकाला है। १९४५-४६ के अविभाजित हिन्दुस्तान में हर आदमी की

ओसत आमदनी १६८ रुपये थी। यदि केवल हिन्दुस्तान के प्रान्तों का हिसाब ही किया जाय तो यह संख्या २०४ रुपया होगी। इस रकम से विदेशों के नागरिकों की ओसत वार्षिक आमदनी की तुलना इस प्रकार है :

आमरीका—	४६६८ रुपये
केनाडा—	२८६८ „
इंडिलैंड—	२३२५ „
आस्ट्रेलिया—	१७७६ „

हमारे गरीब देश में अगस्त १६४७ से जीवन निर्वाह महंगा होता रहा है। चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। निम्न आंकड़े इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सलाहकार से प्राप्त हुए हैं—यह मजदूरों के निर्वाह से सम्बन्ध रखते हैं :

१६४७

केन्द्र	मूलांक	मास	८	९	१०	११	१२
बम्बई	जून ३४=१००	२८४	२६६	२६६	२८७	२८८	
मद्रास	जून ३६=१००	२७०	२७५	२८०	२८४	२६६	
कलकत्ता	अगस्त ३६=१००	३२८	३२८	३४१	३३६	३२२	
कानपुर	„ =१००	४१०	४०७	४२०	४१३	३८६	

१६४८

केन्द्र	मूलांक	मास	१	२	३	४	५	६
बम्बई	जून ३४=१००	२७१	२७६	२८४	२६१	२६२	३०७	
मद्रास	जून ३६=१००	३०६	३०२	३०३	३०१	३०५	३०६	
कलकत्ता	अगस्त ३६=१००	३१५	२६८	३११	३२३	३४०	...	
कानपुर	„ =१००	४०५	३९१	३७५	३७६	४३२	४६२	

सारे हिन्दुस्तान में विभिन्न वस्तुओं के दामों में किस तरह तेज़ी आ रही है इसका अनुमान नीचे लिखे आंकड़ों से लगेगा जोकि आर्थिक सलाहकार के दफ्तर से प्राप्त हुए हैं :

	मूलांक	अगस्त १९३६ = १००
१९४७ अगस्त	३०१.४	
सितंबर	३०२.४	
अक्टूबर	३०३.२	
नवम्बर	३०२.०	
दिसम्बर	३१४.२	

१९४८

जनवरी	३२६.२
फरवरी	३४२.३
मार्च	३४०.३
अप्रैल	३४७.७
मई	३६७.२
जून	३८२.२
जुलाई	३६०.१

खाद्यान्नों के थोक बाजार के मूल्यांक

(इन्डेक्स आफ होल्सेल प्राइसिङ आफ फूड आर्टिकल्स)

भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सलाहकार (इकनामिक एडवाइजर) के दफ्तर से यह मूल्यांक प्रकाशित हुए हैं। मूलांक अगस्त १९३६ का आखिरी संपत्ताह = १००

जनवरी १९४३ से मार्च १९४८ तक

मास	१९४३	१९४४	१९४५	१९४६	१९४७	१९४८
जनवरी	१६८.८	२३३.०	२३३.५	२४०.८	२७६.०	३३०.८
फरवरी	१६३.४	२४३.४	२३१.३	२४८.०	२७५.४	३३१.३

मार्च	२३८.९	२३८.८	२३४.६	२४४.८	२७१.८	३२६.८
अप्रैल	२४२.०	२३३.७	२३३.७	२४४.६	२६५.८	
मई	२६४.७	२२८.३	२३४.०	२४२.६	२६४.३	
जून	२६६.८	२३२.१	२३६.२	२४५.८	२७२.६	
जुलाई	३००.८	२३५.६	२३६.७	२४८.८	२७६.६	
अगस्त	२६१.६	२३७.३	२३६.४	२४२.४	२८२.८	
सितम्बर	२८०.६	२३४.२	२३८.२	२४३.६	२८१.३	
अक्टूबर	२६८.२	२३३.६	२३५.६	२४३.३	२८०.४	
नवम्बर	२६६.२	२३४.४	२३६.५	२४२.०	२८०.०	
दिसम्बर	२४३.६	२३१.४	२३८.८	२४२.५	३०५.०	

हिन्दुस्तान के मजदूरों का जीवन-निर्वाहांक
(कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नम्बर्स)

मूलांक-अगस्त १९३६-१००

बम्बई अहमदाबाद शोलापुर कानपुर नागपुर मद्रास
१९३६ अगस्त-

दिसम्बर	१०३	१०७	१०५	१०५	१०४	१०६
१९४०	१०७	१०८	१०४	१११	११०	१०६
१९४१	११८	११९	११५	१२३	११६	११४
१९४२	१५०	१५६	१५५	१८१	१६५	१३६
१९४३	२१६	२८२	२१२	३०६	२६६	१८०
१९४४	२२६	२६०	२७६	३१४	२६७	२०७
१९४५	२२४	२७२	२७५	३०८	२५९	२२८
१९४६	२४६	२८६	२९०	३२८	२८८	२३६
१९४७ जनवरी	२४५	२८४	३१६	३४८	२१६	२४६
फरवरी	२४५	२८२	३२८	३४६	३०७	२४६

मार्च	२५६	२८४	३३२	४१	/ ३१६	२७२
अप्रैल	२५७	२८८	३२४	३४२	३१६	२७७
मई	२५८	२९०	३२३	३४६	३११	२७४
जून	२६६	३०४	३३३	३६८	३१६	२७४
जुलाई	२६१	२६६	३४०	४०१	३२०	२६६
आगस्त	२७०	३२२	३६३	४१०	३१६	२७६
सितम्बर	२८५	३३७	३६०	४०७	३३०	२८१
अक्टूबर	२८२	३१६	३४६	४२०	३३१	२८८
नवम्बर	२७३	३१६	३६२	४१३	३३०	२८१
दिसंबर	२७१	२६६	३४१	३८८	३३०	२०५
१९४८ जनवरी	२५८	२६०	३३०	४०५	३४१	२१२
फरवरी	२६६	२६३	३६३	४११	३४८	२०८
मार्च	२७०	२६७	३८१	३७५	३४६	२०६

लेवर-च्यूरो द्वारा प्रकाशित मजदूरों का जीवन निर्वाहांक

मूलांक : १६४४ = १००

	दिल्ली	अजमेर	फरिया	गौहाटी	कटक
१६४५	१०३	११०	६७	६०	१०२
१६४६	१०७	११८	१२२	८६	१०६
१६४७	१२२	१५२	१३६	६७	११७
१६४७ जनवरी	११४	१२५	१२६	८६	१११
फरवरी	११३	१२८	१२०	६१	११३
मार्च	११५	१३५	१२३	८३	११६
अप्रैल	११६	१३०	१२८	८३	११६
मई	११७	१३७	१२७	८३	११८
जून	११५	१४२	१३४	८४	११६

गरीबी और मंहगाई

१४१

जुलाई	१२१	१५८	१४०	१०९	११८
अगस्त	१२४	१६८	१५३	१०५	११८
सितम्बर	१३७	१७१	१५७	१००	११८
अक्टूबर	१२८	१७१	१६०	१००	११६
नवम्बर	१३२	१७८	१५३	१०४	११८
दिसम्बर	१२८	१७८	१५२	१०६	१२३
१६४८ जनवरी	१२५	१६७	१४८	१०४	१२४
फरवरी	१२५	१६१	१३८	१०५	१२४
मार्च	१२०	१५६	१३८	१०६	१२३

हिन्दुस्तान से रसदबन्दी की योजनाएँ हटा लेने के बाद से ही प्रान्तों में गोहू की कीमतें चढ़नी शुरू हो गईं। सरकारी आज्ञाओं द्वारा नियत की गई कीमतों को १०० के बराबर मान लिया जाय तो बृद्धि का हिसाब इस प्रकार था :

प्रान्त	मूलांक	२०-६-४८	१०-७-४८
पूर्वी पंजाब	१००	१४०	१६७
युक्तप्रान्त	„	१८२	१६८
बिहार	„	१६७	१६८
मध्यप्रान्त व बरार	„	२३२	२३५
बम्बई	„	२५३	२४७

राजकमल वर्ष-शोध

भिन्न-भिन्न चीजों के योक दामों के मूलांक (मूलांक=१००) कलकत्ता में १६३६ से १६४७ तक इन प्रकार रहे :

कुछ चीजों के थोक दामों के मूलांक

(मूल=१६ अगस्त १९३६ के खत्म होने वाला सप्ताह=१००)

	मार्च १९४६	फरवरी १९४७	मार्च १९४७
चावल	३२१.	३३३	३३३
गेहूँ	३७३	३७३	३७३
चाय	१६४	१८६	२६०
मूँगफली	२१६	३५०	४४२
काफी	३४०	३१४	३२२
चीनी	१६६	२१२	२१२
तम्बाकू	२६६	३००	३१२
खोपा	७८२	४६८	५६८
कपास	२०७	१६६	१६३
पटसन	२२३	४४१	४३३
अलसी	३२२	३९७	४०२
ढला हुआ लोहा	११७	११७	११७
कोयला	२६४	२६४	२६४
लाख	५०७	१०४६	१०१८
ऊन	२५०	२६७	२८३
खाल व चमड़ा(कच्चे)१६१		२३७	२३७
मिट्टी का तेल	१५६	१५१	१५१
पेट्रोल	१४२	१५५	१५५
सूती कपड़ा	२६२	२६२	२६२
पटसनका तैयार माल२५६		४५४	४५८
सीमेट	१६३	१८२	१८८
लोहे व टीन			
की चादरें	२४३	२२६	२२६
चमड़ा	२५४	३२८	३००

पदार्थ-समूहों के थोक दामों के मूलांक (मूल : १६ अगस्त १९३६
को खत्म होने वाला
संप्ताह = १००)

मार्च १९४६ फरवरी १९४७ मार्च १९४७

कृषि की उपज	२६५.७	३२४.८	३३५.८
कच्चे सामान	२०६.३	२४८.८	२४७.१
निर्मित, तैयार सामान	२४० २	२७७.०	२७४.३
आवश्यकता के सामान	२५७ १	२६१.१	२६८.१

(प्राइमरी कमोडिटीज़)

साधारण मूलांक (जनरल इंडेक्स)	२५३.३	२८६.२	२६२.७
जिन चीजों का नियंत्रित होता है (क)	२६१.०	३२२.६	३२७.८

(क) इसमें निम्न चीजें शामिल हैं :

गेहूं, चाय, मूँगफली, काफ़ी, तम्बाकू, कपास, पटसन,
अलसी, लाख, ऊन, कच्चा चमड़ा, सूती कपड़ा व धागा, पटसन से
बना मात्र।

विदेशों में जीवन-निर्वाहांक

(कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स नम्बर्स)

(मूलांक : जनवरी से जून १९३६=१००)

इंग्लैंड अमरीका कैनाडा आस्ट्रेलिया मिश्र टर्की

१९३६	१०३	१००	१०१	१००	१०१	१०१
१९४०	१२०	१०१	१०८	१०४	१११	११२
१९४१	१३०	१०६	१११	११०	१३७	१३८
१९४२	१३०	११८	११६	११६	१८३	२३३

१६४५	१२६	१२८	११८	१२३	२४०	३४७
१६४६	१३१	१२७	११८	१२३	२७८	३३९
१६४७	१३२	१३०	११९	१२३	२८६	३४४
१६४८	१३३	१४०	१२३	१२५	२७६	३४२
१६४९ जनवरी	१३३	१४४	१२६	१२७	२७८	३४८
फरवरी	१३२	१४४	१२७	१२७	२७८	३४८
मार्च	१३३	१४७	१२८	१२७	२७८	३४४
अप्रैल	१३३	१४७	१३०	१२८	२७२	३४६
मई	१३३	१४७	१३३	१२८	२७१	३४८
जून	१३३	१४८	१३४	१२८	२८६	३४७
जुलाई	१०१(क)	१४८	१३५	१३०	२७२	३४४
अगस्त	१००	१६१	१३६	१३०	२७६	३४६
सितम्बर	१०१	१६४	१३६	१३०	२७७	३४७
अक्टूबर	१०१	१६४	१४२	१३३		३४५
नवम्बर	१०३	१६६	१४२	१३३		३४२
दिसम्बर	१०४	१६८	१४४	१३३		३४१

(क) परचून कीमतों का १७ जून १६४७ से नया मूलांक निर्धारित किया गया = १०० ।

अमरीका से मजदूरों की कमाई, काम का समय और

जीवन-निर्वाहांक

वर्ष मजदूरों की औसत मजदूरों को सप्ताहमें जीवन-निर्वाहांक साप्ताहिक कमाई इतने औसत धंटे काम (मूल १६३६=१००)

(डालर) करना पड़ा

१६३६	२३.८६	३७.७	१००
४०	२५.२०	३८.१	१०१
४१	२६.२८	४०.६	१०६
४२.	२६.६५	४२.६	११८

गरीबी और मंहगाई

१४७

१६४२	४३.१४	४४.६	१२५
१६४४	४६.०८	४५.२	१२७
१६४५	४४.३६	४३.४	१३०
१६४६जनवरी४१.१५		४१.०	१३१
अप्रैल ४२.८८		४०.५	१३२
जुलाई ४३.४४		३९.६	१४२
अक्टूबर४५.८८		४०.५	१४६

देश के उद्योग-धन्धे

देश के सामने प्रश्न है कि औद्योगिक विकास हो, नए-नए कल-कारखाने लगाए जायें और देश अपनी आवश्यकताएँ देश में ही पूरी करे।

१६३२ में हिन्दुस्तान के कल-कारखानों में लगी पूँजी का सर एम० विश्वेश्वरैया ने अनुमान लगाते हुए कहा था कि इनमें ४०० करोड़ रुपये की विदेशी और केवल ३०० करोड़ रुपये की देशी पूँजी लगी हुई है। एक सकारी अनुमान के अनुसार १६३६ तक केवल २५० करोड़ रुपये की देशी व्यक्तिगत पूँजी ही देश के उद्योग-धन्धों में लगी हुई थी।

नए कल-कारखाने लगाने के सम्बन्ध में विविध योजनाएँ बनी हैं। लेकिन इस समय इससे भी अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि जो धन्धे चालू हैं, उन्हीं से उनकी सम्पूर्ण उत्पादन शक्ति के अनुसार पैदावार की जाय। १६४६ के बाद से देश के उद्योग-धन्धों की उपज कम होती गई है। मुख्य धन्धों की उपज में अवनति के आंकड़े इस प्रकार हैं:

उद्योग	उत्पादन शक्ति	अधिकाधिक	१६४७ में अनु-
			सानित उत्पादन
सूती चस्त्र		४८२६००००००गज	३८०००००००० गज
		(१६४३-४४)	
इस्पात	१२,६४,००० टन	११,६०,०००टन	८,७५,०००टन
		(१६४३)	
सीमेंट	१,७३,०००टन	१,६०,०००टन मालिक १,१२,०००टन (मार्च ४५ के बाद हिन्दुस्तान में)	
कागज	१,१०,०००टन	१,००,०००टन	८६,०००टन (१६४५)

देश के ग्राम्योगिक उत्पादन में जो कमी हुई है, उसके सुख्य कारण ये हैं :

(१) मजदूर व मिल मालिकों में असन्तोष-श्रद्ध सम्बन्ध (२) कच्चे सामान की कमी (३) कच्चे सामान के वितरण में दोष (४) आयात के साधनों की अपर्याप्ति (५) उद्योगों के लिए नई मशीनों का न मिलना (६) उद्योगों के लिए इमारत आदि बनाने के सामान का दुर्लभ होना, और (७) उद्योगों की आवश्यकताओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा पर लगे प्रतिवन्ध व उसकी कमी ।

१६४५-४६ से ४६-४७ में वस्त्र उद्योग में हड्डालो से मजदूरी के दिनों के तुकसान में २.७४ प्रतिशत वृद्धि हुई । इसी काल में वस्त्र के उत्पादन में १६.१३ प्रतिशत कमी हुई । स्पष्ट है कि मालिक मजदूर के सम्बन्धों के अतिरिक्त दूसरे कारण भी देश के उद्योगों के उत्पादन में अवनति कर रहे हैं । यह भी मानना पड़ेगा कि कई उद्योगों में असन्तुष्ट मजदूर ही उत्पादन की कमी का सुख्य कारण है ।

हर उद्योग के लिए कोयले, लोहे और सीमेंट की आवश्यकता होती है, और इन तीनों की ही देश में कमी है । देश में लोहे और सीमेंट की मांग क्रमशः २० लाख टन प्रति वर्ष और २ से २½ लाख टन प्रति मास है । कोयले की मांग पूरा करने के लिए रेलगाड़ियों को १५ लाख टन कोयला प्रतिवर्ष अधिक ढोना होगा ।

इसके अलावा कास्टिक सोडा, सोडा-ऐश और आयात होने वाले पुँजी आदि की भी देश में कमी है ।

योजनाएं

निर्माण के उद्योगों की इस अवस्था को देखकर इनके विकास के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन सरकारी योजनाएं बनाई गईं । अल्प-कालीन योजनाएं वह हैं जिन्हें तीन वर्ष के भीतर, १६५० तक, पूरा होना है । अनुमान लगाया गया है कि अगले ५ वर्षों में जितनी मशीनरी विदेशों से मंगवानी है उसका मूल्य लगभग २०० करोड़ रुपया

है। स्टलिंग पावने से हिन्दुस्तान को विदेशी सुड्डा मिल रही है लेकिन अधिक सुदा हस्तगत करने के लिए हिन्दुस्तान को निर्यात पर जोर देना होगा। विदेशी से मशीनरी आदि के आधात में सहायता के लिए कर्जे लेने की भी सम्भावना है।

छोटे व घरेलू उद्योग-धन्ये

बड़े-बड़े उद्योगों के साथ-साथ हमारे देश में छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों का चलना भी जरूरी है।

छोटे उद्योग-धन्ये (स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज) को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(१) ऐसे धन्ये जो बड़े उद्योग-धन्यों के लिए जरूरी हैं, जैसे मोटरों के लिए गढ़ियों का निर्माण।

(२) ऐसे धन्ये जहाँ से भरभरत होती है—जैसे मोटर, रेलगाड़ी आदि की भरभरत, इंजीनियरिंग के छोटे-छोटे दूसरे कारखाने।

(३) ऐसे धन्ये जहाँ से निर्मित वस्तुएं निकलती हैं, जैसे तांबे, पीतल व अलुमीनियम के बर्तन, फर्नीचर, लोहा ढालने, व बनियान आदि बुनने के कारखाने, साबुन बनाने व छपाई के धन्ये।

इसी तरह घरेलू दस्तकारियों (काटेज इन्डस्ट्रीज) का, उनके लिए आवश्यक कच्चे सामान के अनुसार, विभाजन किया जा सकता है :

१. कपास, ऊन व रेशम पर आश्रित उद्योग

२. लकड़ी पर आश्रित उद्योग

३. धातुओं पर आश्रित उद्योग

४. चमड़े पर आश्रित उद्योग

५. मट्टी व रेत पर आश्रित उद्योग

६. विविध-जैसे चूड़ियाँ, कागज, बीड़ी आदि बनाना। इन छोटे

व घरेलू उद्योगों की समस्याएँ भी प्रायः वही हैं जो कि बड़े कल्प कारखानों की हैं—अर्थात् (१) इनके लिए कच्चा सामान प्राप्त किया-

जाय (२) इनके परिचालन की विशिष्ट शिक्षा हो (३) पूंजी कहाँ से

आए (४) निर्मित सामान को बेचा कैसे और कहाँ जाय और (५) देश में दूसरे तरीकों से बने व आयात हुए सालकी प्रतियोगिता में इन्हे किस प्रकार बचाया जाए ।

देश के इन धन्धों का विशेष प्रसार विजली के साधनों के गांवों में पहुँचने, निर्माण के छोटे साधनों के प्राप्त होने और सम्बन्धित विगिएट (टेक्निकल) शिक्षा दिये जाने पर ही होगा । इनके विकास का विशेष भार प्रान्तीय सरकारों पर है ।

उच्चोग समितियाँ

केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न उच्चोगों पर सब पहलुओं से विचार करने के लिए, उनके सामने प्रस्तुत वाधाओं की जाच करने के लिए व उनके प्रसार के सम्बन्ध में योजनाएं बनाने के लिए २८ उच्चोग समितियाँ (इंडस्ट्रील पैनल्स) बनाई थीं । इनमें ३ (हल्के इंजी-नियरिंग, जहाजों के निर्माण व वैज्ञानिक औजारों के निर्माण के उच्चोगों से सम्बन्धित समितियों) को बाद में हटा दिया गया । शेष २५ समितियों की रिपोर्टें भारत सरकार के सामने पेश की जा चुकी हैं और सरकार उस पर अपना निर्णय भी दे चुकी है ।

औद्योगिक शिक्षा

देश में बढ़ रहे औद्योगिक विकास के लिए आधश्यक औद्योगिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है । देश के १७ विश्व-विद्यालयों में ही ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध है और यहाँ भी शिक्षा के सम्पूर्ण साधन व सामान नहीं है । इनके अलावा सरकार द्वारा संचालित २१ वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जहाँ विशिष्ट शिक्षा दी जाती है ।

कम उत्पादन

देश के भिन्न-भिन्न उच्चोगों की उत्पादन-गतिः, १९४७ में प्रथमांशित उत्पादन और कम उत्पादन के कारणों का ज्यौरा इस प्रकार है :

उद्योग	वार्षिक उत्पादन	श्रुतुमानित उत्पादन	कम उत्पादन के कारण
१. इस्पात	शारित १२,६४,००० टन	(१७४७) ८,७५,०००,टन	—मजदूरों से असन्तोष —कोयले व यातायात की कमी ।
२. सूती कपड़ा (मिलो में)	४ ग्राहन्दि करोड गज	३ ग्राहन्दि ८० करोड गज	—मजदूरों से असन्तोष —उत्पादन पर आनियन्त्रण व मिलो को विशेष प्रेरणा का न होना ।
३. सीमेट	२०,७५,००० टन	१३,५०,००० टन	—कोयले वा दूसरे कच्चे सामान के लिए यातायात की कमी । वने हुए सीमेट के लिए याता- यात की कमी ।
४. रसायन (टिकचर आदि)	७,५०,००० ग्रेन	५ ग्राहन्दि	—मजदूरों से असन्तोष । —देश में दूरी । —कोयले व दूसरे कच्चे सामान

के लिए यातायात की कमी ।

— अन्तःभारतीय प्रतिवर्षीयों के ।

कारण पुस्कोहरा की कमी ।

— बने हुए तेजाव को उठाने के

लिए यातायात की कमी ।

— गंधक की कमी ।

— खेती वारी से मांग का न

होना ।

— हड्डियों की बढ़ी कीमतें ।

— टाटा के कारखाने में धानिक

गडबड ।

— खेतवार से आने वाले नमक

की कमी ।

— कौशले की कमी ।

— सीरे को उठाने के लिए याता-

यात की कमी ।

— कास्टिक सोडा की कमी ।

— कोयले व सोडा-ऐश की कमी ।

२८

देश के उद्योग-धन्दे

५. गंधक का तेजाव	१ लाख टन	६५ हजार टन	१० हजार टन	३००० टन	७० लाख ग्रेन	८४ हजार टन	१० हजार टन	२,५०,००० टन	१,५०,०००, टन
६. सुपर फोस्फेट्स	६० हजार टन	१० हजार टन	१० हजार टन	२००० टन	८० लाख ग्रेन	८५ हजार टन	१० हजार टन	२,५०,००० टन	१,५०,०००, टन
७. कास्टिक सोडा	१०,५०० टन	१०,५०० टन	१०,५०० टन	१०,५०० टन	१० करोड़ ६० लाख ग्रेन				
८. एल्कोहल	१ करोड़ ६० लाख ग्रेन	८५ हजार टन	८० हजार टन	८५ हजार टन	८० हजार टन	८० हजार टन			

११. सिटी के बर्तन व सामान सिर्फ कट्टरीज २,१३,७०० रुपये	२३,०००, रुपये	१६,००० रुपये	कोयले के यातायात के कारण कमी ।
१२. रिफ्क्स कट्टरीज २,१३,७०० रुपये	२,१३,७००, रुपये	१,७२,८२५ रुपये	कोयले की कमी । —यातायात की कमी ।
१३. इलामल का सामान सामान	२,४०,००,०००	१ करोड़ से १.२० करोड़ चीजें	—बोहे व कोयले की कमी । —उचित कपड़े की कमी । —यातायात व मजदूरोंकी कठि- नाई ।
१४. मार्जन का सामान (एवं शिल्प)	१,२१,६८० रुपये	३५,३७६ रुपये	—कोयले, कच्चे सामान व बते- सामान के विषय यातायात की कमी ।
१५. कागज का ग्रन्ता	१,१०,००० रुपये	८६,००० रुपये	—युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा एक कच्चे सामान के प्रयोग पर प्रतिबन्ध । —खालों के यातायात में कठि- नाई ।
		२० लाख रुपये	५० लाख रुपये
		१६. चमड़ा	

राजकमल वंश-व्रोध

— खालों को पक्का करने के

सामाज की कमी ।

— हड्डालै ।

— ल फड़ी की कमी ।

— यातायात की कठिनाइयाँ ।

— आयात होनेवाले पुजोंकी कमी

— जोहे की कमी ।

— अयात होने वाले पुजों की

कमी ।

— यातायात की कमी ।

— कोयले, लोहे व इस्पात की

कमी ।

— मजदूरों में असन्तोष ।

— खानों व कारखानों के लिए
इस्पात की कमी ।

— मजदूरों में असन्तोष ।

— कच्चे व आयात होने वाले

१७. चाहडुड ५ करोड चार्फुट ३ करोड चार्फुट

१८.	डी जल हंजन	७००	५००
१९.	लोहे की ढाराई	५,५७,६००	३,५०,००० टन
२०.	बाइस्ट्रिकल	४३,००० चा	३०,००० चा
२१.	मशीनरी के औजार	११,०००	८,८००

१० दजार साइकिलों व हजार साइकिलों के
पुजे

२२.	धातुएं	७,००० कापर	५,००० कापर
		टन्स	टन्स

२३. विजली के लाट १,३३,५०,००० न५,००,०००

सामान की कमी ।

— मजदूरों में असन्तोष ।

— कहने वा आयात होने वाले

सामान की कमी ।

— मजदूरों में असन्तोष

— कहने वा आयात होने वाले कहने

— आयात होने वाले कमी ।

सामान की कमी ।

— मजदूरों में असन्तोष ।

— लोहे की कमी ।

— आयात होने वाले पुनः की

कमी ।

— मजदूरों में असन्तोष ।

— लोहे व आयात होने वाले

पुनः की कमी ।

— लोहे की कमी ।

— आयात होने वाले पुनः की

कमी ।

₹,६०,००,०००

६१,०००

१३,२०,००,०००

१,७२,०००

२४. बेटरियाँ

२५. शिल्पी की सोटरैं १ लाख हासं पात्र ३० दुश्मार हासं पात्र

३०,००० के.वी.ए.

१,०३,५००

२६. बिल्डरी की सोटरैं १ लाख हासं पात्र ३० दुश्मार हासं पात्र

२७. इंसफार्मेस्ट १,०२,००० के.वी.ए.

२८. बिल्डरी के पंखे २,५०,०००

—विशिष्ट प्रिया का अभाव ।
—मजदूरों में असन्तोष ।

२६. तारे व केवल स तारे : २४,३५० टन
केवल स व प्लैकिसचलस : ५ करोड गज

तारे ६,१८० टन
३ करोड गज

३०. इन्सुलेटर्स

४२ लाख
१५ लाख

३१. विजली के लिए
जौक कापर २४,००० टन

७,००० टन

३२. चमड़ी की बेलिंग १६०० टन

५२० टन

—मजदूरों में असन्तोष ।

—उचित मिली व कोयलेकी कमी
—परीक्षण करने वाले यन्होंने की

कमी !

—कहचे व आयात होने वाले
—सामान की कमी ।

—मजदूरों में असन्तोष ।

—कहचे व आयात होने वाले
—परीक्षण करने वाले यन्होंने की

कमी !

—आयात आजापत्रों के मिलने
में देरी ।

उद्योग-स्थिति वा तत्सम्बन्धी नई योजनाएं

देश मे सुख्य उद्योग कहां-कहां स्थित हैं, उनके प्रसार की क्या-क्या योजनाएं बींचीं व सरकार द्वारा स्वेकृत हुईं हैं, इसका विवरण इस प्रकार है :

लोहा व इस्पात अल्पकालीन योजना के अनुसार देश मे लोहे व इस्पात का १५ लाख ७० हजार टन प्रति वर्ष निर्माण होगा। दीर्घ कालीन योजना के अनुसार देश मे कुल २५ लाख टन लोहा व इस्पात बनने लगेगा। केन्द्रीय सरकार दो नए कारखाने बना रही है, जो ५-८ लाख टन इस्पात प्रति वर्ष बनाया करेंगे। यह कारखाने आवश्यकता होने पर अपना उत्पादन दोगुना कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ विदेशी कम्पनियां प्रस्तावित कारखानों का नक्शा व योजना बना रही वा बना चुकी हैं।

इस समय जमशेदपुर, बर्नपुर, भद्रावती व ईशापुर मे लोहे के बड़े कारखाने चल रहे हैं।

देश मे इस वक्त, सुख्यतया जमशेदपुर मे, लोहे की तारें व दूसरे सामान ४५,००० टन प्रति वर्ष बन सकते हैं। योजना है कि यह निर्माण ३ लाख टन प्रति वर्ष हो। इस वक्त पेच व कब्जो का निर्माण २०,००० टन होता है। योजना है कि इस निर्माण को तिगुना कर दिया जाय।

सीमेंट इस समय सीमेंट बनाने के कारखाने विहार, मद्रास, मध्यप्रान्त व कुछ रियासतों मे हैं। योजना है कि देश मे सीमेंट का उत्पादन प्रतिवर्ष ५० लाख टन के लगभग हो और नए कारखाने बंगाल, बंबई, विहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, युक्तप्रान्त, उडीसा, आसाम व कुछ रियासतों मे खोले जायें। कोयले के अधिक यातायात व मजदूरों मे असन्तोष की कठिनाइयों पर पार पाना जरूरी है।

सावुन देश में तीन तरह के साधनों द्वारा सावुन बनता है :

(१) बटे कारखाने जहाँ कि सथ काम मजीनों द्वारा होता है विलमरीन निकाली जाती है—ऐसे कारखाने वस्त्रहृष्टि में ४, बंगाल में १, युक्त प्रान्त में १ व मद्रास में १ है और हृनकी पूरी उपज प्रति वर्ष ६४,००० टन है।

(२) बड़े कारखाने जहाँ लिलमरीन नहीं निकाली जाती—ऐसे कारखाने वस्त्रहृष्टि व पश्चिमी रियासतों में ६०, बंगाल, बिहार व उन्नीसा में ३५, दलिङ भारत में १२, युक्तप्रान्त व बिल्ली में १० व पूर्वी पंजाब में २२ हैं। हृनकी कुल उपज ६६,००० टन सावुन है।

(३) ऐसे कारखाने जो घरेलू दस्तकारियों के रूप में सावुन पेटा करते हैं। हृनकी उपज ६०,००० टन है।

इस तरह देश में सावुन की कुल उत्पादन गवित २,५०,००० टन की है।

योजना है कि देश में सावुन का उत्पादन ३ लाख टन प्रति वर्ष हो—जिसमें में ३० हजार टन नदाने का, १५ हजार टन आंध्रप्रदेश के २ लाख ५५ हजार टन कपड़े वोने का सावुन हो।

सावुन के लिए कानूनिक सोटे व तंत्रों की, विशेषकर गिरी के नेल की वहुतायत में शावश्यकना है।

पेट व वानिंश इस समय देश में बंगाल, वस्त्रहृष्टि, पंजाब, मद्रास व बिल्ली में, और रियासतों में से भूमुर, काटिं-यावाड़, खालियर व हैदराबादमें पेट व वानिंश बनाने के कारखाने हैं। योजना है कि पेट व वानिंश की देश में १ लाख टन प्रति वर्ष उपज हो। इस वक्त देश की उत्पादन गवित ५० हजार टन प्रति वर्ष की है।

शीशा इस समय देश में १७३ कारखाने शीशा व गींग का सामान बना रहे हैं। अगले ३ वर्षों में १८ नए कारखाने लगाने की योजना है।

देश में १५ कारखाने लिखाई व छपाई के कागज प्रति वर्ष^१ ७५ हजार टन कागज पैदा करने की शक्ति रखते हैं। योजना है कि लिखाई व छपाई के कागज का उत्पादन १९५१ तक १ लाख १० हजार टन और १९५६ तक २ लाख टन प्रति वर्ष^१ हो। इसके लिए १२ नए कारखाने खोले जायेंगे तथा पुराने कारखानों को प्रसार की सुविधाएं भी मिलेंगी।

देश में लिखाई का सस्ता कागज कहीं भी नहीं बन रहा। योजना है कि १९५१ तक २४ हजार वा १९५६ तक ४० हजार टन प्रति वर्ष^१ ऐसे कागज का निर्माण हो। ६ कारखाने हल्का वा २ कारखाने बड़नदार कागज बनाने वाले स्थापित करने की योजना है।

इस समय केवल १ कारखाना १० हजार टन काफ्ट पेपर प्रति वर्ष^१ बना रहा है। इसका उत्पादन १९५१ तक २० हजार टन और १९५६ तक ४० हजार टन तक बढ़ानेकी योजना है। इसके लिए ३ नए कारखाने खोले जायेंगे।

देश में रेगमार (सैण्ड पेपर) बहुत थोड़ी मात्रा में बन रहा है। इसका उत्पादन १९५१ में ७००० टन और १९५६ में १०,०० टन कर देने की योजना है।

देश में दियासलाई, टेली प्रिन्टर, सिगरेट आदि में प्रयोग के लिए चिकित्सा प्रकार का २५०० टन कोगज इस समय बनता है। इसका उत्पादन १९५१ में ६००० और १९५६ में ८००० टन कर देने की योजना है।

अखबारी कागज का उत्पादन इस वक्त कर्तव्य नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में ३ कारखाने लगाने की योजना है। १९५१ तक देश में २० हजार टन और १९५६ तक ४० हजार टन अखबारी कागज प्रति वर्ष^१ बनने लगेगा। मध्यप्रान्त में एक नये कारखाने की स्थापना शुरू भी हो गई है।

३ कारखानों में इस वक्त गत्ता (स्ट्रोर्ड) प्रतिवर्ष २४ हजार टन बनाया जा रहा है। ८ नये कारखाने खोलकर इसका उत्पादन १६५१ और १६५६ में ऋमणः ५० हजार वा ८० हजार टन कर देने की योजना है।

३ दूसरे कारखानों में इस समय १८ हजार टन विविध प्रकार के गत्ते बन रहे हैं। ३ नए कारखाने खोलकर इनका उत्पादन २५ हजार टन (१६५१ में), और ३६,००० टन (१६५६ में) जर देने की योजना बनाई गई है।

देश के विनिन्न कारखानों में इस समय १० चीनी व रसायनिक लाख ७६ हजार टन चीनी बन सकती है।

एल्कोहल १६५० तक चीनी का उत्पादन १६ लाख टन कर देने की योजना है।

इस समय भीरे से रसायनिक पुरुकोहल का उत्पादन १२ लाख ३२ हजार गेलन प्रति वर्ष दो रहा है। इसका उत्पादन २० लाख गेलन कर देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए अधिक परिमाण में कोयला मिलना चाहिए वा सीरा उडाने के लिए आताधात ही अधिक सुविधाएं हासिल होनी चाहिए;

इस समय देश में सूत बुनने के लिए सूती कपड़ा १,०१,२३,६०६ स्पिन्डल वा कारखानों में सब मिलाकर ४ अरब ८० करोड़ गज कपड़ा और १ अरब ६१ करोड़ पाँडंड सूत तैयार करने की शक्ति है। योजना है कि स्पिन्डलों की संख्या १,४८,८५, ४३३ कर दी जाय ताकि ६ अरब ५८ करोड़ गज कपड़ा व २ अरब ४ करोड़ पाँडंड सूत प्रति वर्ष तैयार ही सके।

देश में ६ कारखाने ऊनी कपड़ा तैयार कर रहे हैं। मशीन द्वारा बने हुए बजनदार कपडे के उत्पादन में वृद्धि करने की गुंजाई नहीं है। बारीक ऊनी सूतों से कम बजन का कपड़ा और तैयार हो सकता है और

उसकी खपत सम्भव है। इसके लिए आस्ट्रेलिया से उन (मैरिनों) के आयात की आवश्यकता पड़ेगी।

इस समय देश में जुरावे, बुनियानें, व दराजों बुनियान, जुरावे आदि की बुनाई के बड़े कारखाने युक्तप्रान्त, बम्बई, बंगाल, पूर्वी पंजाब वा मद्रास और रियासतों में मैसूर, इन्दौर ग्वालियर वा कपूरथला से हैं। हनके लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में सूती वा ऊनी सूत प्राप्त हो और विदेशों से सुइयों का आयात होता रहे।

योजना है कि देश में ६० करोड़ दराज (जिसमें से २० करोड़ का निर्यात होगा), १० करोड़ बुनियानें (इसमें से ३ करोड़ ३० लाख का निर्यात होगा) और ५ करोड़ जुरावे (जिसमें से १ करोड़ ७० लाख का निर्यात होगा) तैयार हुआ करें।

रेशम इस समय देश में कीड़ों से २१ लाख पाँड़ रेशम प्रति वर्ष पैदा किया जाता है। योजना बनाई गई है कि पहले पांच वर्षों में आधुनिक उद्योगको ही सुव्यवस्थित किया जाय। उसके बाद पांच वर्षों में शहतूर के बृक्षों का रोपन कुल १,६२,५०० एकड़ भूमि से हो। बाद के ८ वर्षों में इस संख्या को घटाकर १,८७,५०० एकड़ कर दिया जाय। अल्प-कालीन योजना में रेशम का उत्पादन ३२ लाख ६२ हजार पाँड़ व दीर्घकालीन योजना में ४० लाख पाँड़ हो जायगा।

नमक विभाजन के बाद देश में नमक की प्रतिवर्ष आवश्यकता ६ करोड़ १२ लाख मन प्रति वर्ष है। इस तरह देश में प्रति वर्षिका पीछे नमक की खपत वर्ष-भर में १२ पाँड़ है जबकि विदेशों में इसकी खपत ३० पाँड़ है। देश में इस वक्त ५ करोड़ १७ लाख मन नमक पैदा होता है। नमक की कमी को आयात से पूरी करने की कोशिशों की जा रही है।

अत्पकालीन योजनाओं के अनुसार यह सुविधाएँ दी जा रही हैं—
 (१) नमक के निर्माण की व्यक्तिगत इस्तेमाल वा पडोस में बिक्री के लिए हर किसी को इजाजत है। (२) सांभर भील व खरगोधी में नमक के सरकारी कारखानों के उत्पादन के प्रसार के लिए नई मशीनरी मंगवाई जा रही है। (३) कुछ रियासतों में नमक बनाने की मनाही थी, वह हटाई जा रही है। (४) व्यक्तिगत तौर पर नमक बनाने वालों को विशिष्ट शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जायगा ताकि वह नमक का उत्पादन बढ़ा सके।

औद्योगिक उत्पादन

१९४८ के पहले ६ महीनों में हिन्दुस्तान के औद्योगिक व खनिज उत्पादन का हिसाब इस प्रकार रहा।

कोयला निकाला गया	१,५७,९८,०२७	टन
,, भेजा गया	१,२६,४३,९६०	टन
इस्पात	४,२६,३००	टन
सूती कपड़ा	२,१०,६६,७८,०००	गज
सूती धागा	६६,०६,१६,०००	पाउँड
कागज	४७,४४८	टन
ऊनी कपड़ा	१,१२,६६,८००	पाउँड
श्रीशा	३७,०००	टन
मट्टी व चीनी के बर्तन	७,०६७	टन
इनामल के बर्तन	३६,३८,५३६	चीजें
एलुमोनियम	१,३८८	लांग टन
डीजल इंजन	४७८	संख्या
सीने की मशीने	७,५१४	,
हरीकेन लैम्प	३,८८,३६०	,
बाइसिकल	२५,५०,०००	रुपयों के

देश के प्रमुख उद्योग

नई दिल्ली से दिसम्बर ४७ में हुई हँडस्ट्रीज सूती कपड़े का उद्योग कांफेस (उद्योग सम्मेलन) की एक कमीटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस बक्त देश में लगभग १ करोड़ १ लाख स्पिंडल और २०,००० लूस्ज़ (खड़ियाँ) हैं। यह सब मिलाकर प्रति वर्ष १ अरब ६१ करोड़ ५० लाख पार्ट्ड सूती धागा वा ४ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा निर्माण कर सकती है। मिले जिस धागे का प्रयोग नहीं कर सकती वह हाथ की खड़ियाँ पर कपड़ा बुनने के हस्तेमाल में आ जाता है। इस समय लगभग १ अरब २० करोड़ गज कपड़ा खड़ियों पर बुना जाता है। कपड़े के उद्योग पर लगभग १ अरब रुपये की पूँजी लगी हुई है और ६ लाख मजदूरों या दूसरे लोगों को इस उद्योग में काम मिलता है। सारे उद्योग के उत्पादन का मूल्य आजिकल की कीमतों के अनुसार ४ अरब रुपया होता है। अनुमान है कि हाथ की खड़ियों का व्यवसाय लगभग १ करोड़ लोगों के निर्वाह का साधन बनता है; इस दृष्टि से देश की आर्थिक व्यवस्था में इसका स्थान बहुत महत्व पूर्ण है।

१६४५ से कपड़े व धागे के उत्पादन में सतत कमी हो रही है :

वर्ष	धागा (पार्ट्ड)	कपड़ा (गज)
१६४३	१ अरब ६७ करोड़	४ अरब ७१ करोड़ ५० लाख
१६४४	१ अरब ६२ करोड़ ३० लाख	४ अरब ८१ करोड़ १० लाख
१६४५	१ अरब ६२ करोड़ ५० लाख	४ अरब ८८ करोड़ ८० लाख
१६४६	१ अरब ६६ करोड़ ६० लाख	४ अरब १०० करोड़ ३० लाख
१६४७	१ अरब ६२ करोड़	३ अरब ८३ करोड़ ८० लाख

भारत सरकार कपड़े के उद्योग के विकास की योजना बना चुकी है। इसके अनुसार देश में ३० लाख स्पिंडल और बढ़ाए जायेंगे। इस वृद्धि से १ अरब ७० करोड़ गज कपड़ा अधिक बुना जायगा और देश में कपड़े का कुल उत्पादन ८ अरब गज हो जायगा।

जनवरी, फरवरी और मार्च १९४८ में हिन्दुस्तान की मिलो ने ६८ करोड़ २२ लाख गज कपड़ा और ३१ करोड़ ३३ लाख ६० हजार पाउंड सूत तैयार किया। कपडे में से ६५ करोड़ ७ लाख गज हिन्दुस्तान के लोगों के लिए, २ करोड़ २५ लाख गज निर्यात में और ६० लाख गज फौज के लिए वरता गया। सूत में से ३१ करोड़ २८ लाख ५० हजार पाउंड लोगों को, ३ लाख ६२ हजार का निर्यात और १ लाख ६६ हजार पाउंड फौज के प्रयोग के लिए दिया गया।

२१ जनवरी १९४८ से कपडे पर कएट्रोल उठा लेने की नीति बरतनी शुरू की गई। इस नीति के अनुसार (१) उत्पादन किये जारहे कपडे की किसी वर्गरह के ऊपर से नियन्त्रण उठा दिये गए (२) कपडे व धारे की कीमतें निश्चित करने का तरीका बन्द कर दिया गया (३) कपडे के ग्रान्टों व प्रदेशों में विभाजन का तरीका बन्द कर दिया गया (४) निश्चित प्रदेशों में कपडे के आनेजाने पर कोई रोक नहीं रही, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कपडे के जाने पर टेक्स-टाइल कमिशनर का अनुशासन बना रहा (५) कपडे व धारे के निर्यात पर कोई बन्दन नहीं रहा (६) सूत के बटवारे पर नियन्त्रण बना रहा। (७) कपास की कम-से-कम व 'ज्यादा से-ज्यादा' कीमतों की सीमाएँ हटा दी गईं (८) ईक्वेलाइजेशन फंड समाप्त कर दिया गया और (९) कपडे व धारे की नई व पुरानी कीमतों के भेद को सरकारी आमदनी में जोड़ दिया गया।

पुरानी व नई कीमतों में फर्क को काटन टेक्सटाइल सेस्स एक्ट १९४८ के मात्रहत मिलों व कपडे वालों से इकट्ठा किया गया। यह इकट्ठी की गई रकम ५ करोड़ रुपये के लगभग थी। इसके अलावा काटन टेक्सटाइल इक्वेलाइजेशन फंड आडिनेन्स १९४७ के अनुसार ८० लाख रुपये की रकम सचार्ज के रूप में भी इकट्ठी की गई।

परियाम स्वरूप कपडे के व्यापार के लिए लाइसेंस का तरीका हटा दिया गया और खड़ियों के कपडे की निकी पर भी किसी किस्म की

रोक-टोक न रही ।

लेकिन न तो कीमतें ही घटीं, न कपड़ा ही ज्यादा तादाद में सुलभ हुआ । देश में कपड़े का अकाल-सा पड़ा और कीमतें लगातार बढ़ती गईं ।

३० जुलाई १९४७ को सरकार ने कपड़े पर फिर से कन्ट्रोल की घोषणा की । कपड़े के उत्पादन में लगी लगभग ४०० मिलों का कपड़ा सुहरबन्द कर दिया गया । कपड़े के थोक व परचून व्यापार को कड़े नियन्त्रण में रखने के उद्देश्य से कदम उठाये गए—

इस घोषणा के अनुसार निम्न निश्चय किये गए ।

(१) मिलें अपनी शक्ति अनुमार पूरा और समुचित कपड़ा बनाए । इसका सरकार प्रबन्ध करेगी ।

(२) कपड़े व सूत के एक्स-मिल दाम सरकार निश्चित करेगी ।

(३) जो कपड़ा व धागा मिलों के पास पड़ा है उस पर भी दाम की सुहर लगेगी ।

(४) कपड़ा प्रान्तों व रियासतों में थोक के स्वीकृत व मनोनीत व्यापारियों द्वारा ही विभाजित किया जायगा ।

(५) इस तरह बांटे गए कपड़े का कुछ भाग प्रान्तों व रियासतों द्वारा स्वीकृत परचून की दूकानों से विकेगा ।

(६) जो कपड़ा शेष रहेगा वह व्यापार के साधारण साधनों से अथवा खरीदारों की सहयोगी-संस्थाओं द्वारा खपेगा ।

(७) परचून विक्री की इन दूकानों को एक्स-मिल के ऊपर कुछ सुनाका मिलेगा ।

(८) केन्द्रीय, प्रान्तीय व रियासती सरकारों को अधिकार मिलेंगे कि वह उचित दामों पर मिलों अथवा थोक के व्यापारियों से कपड़ा निकर सकें ।

(९) यह सरकारी नीति लागू हो सके, इसकी देखभाल करने के लिए केन्द्र में एक 'एनफोर्समेंट ब्रान्च' की स्थापना हो रही है ।

(१०) आज्ञा दी गई कि जो कपड़ा व्यापारियों के पास पड़ा है, वह डसे ३ : अक्टूबर १९४८ तक बेच दे ।

इसके अलावा कपास की कीमतों पर कंट्रोल करने का प्रश्न भी विचाराधीन है । सीमाप्रांतों से विदेशों को जो कपड़ा चोरी से जा रहा है, उस पर कड़ी निगरानी करने का प्रबन्ध भी सरकार कर रही है ।

कपास

हिन्दुस्तान की मिलों द्वारा कपास की खपताका व्योरा इस प्रकार है :

(हजार गांडी मैं-जिसमें ४०० पाउंड कपास रहती है)

१९३८-३६	३१०६.३
१९४२-४३	४०३८.८
१९४३-४४	४३४४.६
१९४४-४५	४१०१.६
१९४५-४६	४१४१.२
१९४६-४७	३२७०.६(क)

(क) अनिश्चित (प्रोवियन्ट)

निर्यात	पुनर्निर्यात
१९३८-३६	२७०२.८
१९४२-४३	३०१.०
१९४३-४४	२८१.५
१९४४-४५	३१६.८
१९४५-४६	७६२.४
१९४६-४७	७२६.२(क)

(क) दिसम्बर १९४६ तक ; १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं ।

सूत व सूती कपड़े का उत्पादन व आयात

सन्	उत्पादन (१० लाख गज)	आयात (१० लाख गज)
१६३८-३९	४,२६६.३	६४७.१
१६४२-४३	४,१०६.३	१३.१
१६४३-४४	४,८००.६	३.७
१६४४-४५	४,७२६.४	५.२
१६४५-४६(क)	४,६२१.३	३.१
१६४६-४७(क)	३,८६३.३	१०.६(ख)

(क) आंकड़े अनिश्चित (प्रोवियन्स) हैं ।

(ख) दिसम्बर १६४६ तक । १६४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं ।

निर्यात (दस लाख गज) पुनर्निर्यात

१६३८-३९	१७७.१	१५.७
१६४२-४३	८९६.०	१६.३
१६४३-४४	४६२.३	०.६
१६४४-४५	४२०.६	०.४
१६४५-४६	४५०.१	३.१
१६४६-४७	२१६.३(क)	...

(क) दिसम्बर १६४६ तक । १६४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं ।

कपड़े के दर का मूलांक

१६ अगस्त १६३६ को स्वत्म होने वाले सप्ताह की सूती कपड़े की कीमतों को यदि मूलांक=१०० मानें तो १६४६-४७ में सूती कपड़े की कीमतों का मूलांक २६२ अनुमानित रहा ।

कुमी कारड़ का उत्तरादन, आयात, नियात, कौजी व शहरी संपत्

(०००००० रुज जोड़ ले)

पां राग्यों में मिलों में कुल आयात कुल नियात कोजी बहरतों लोगों के प्रति व्यक्ति के

के किए लिए शेष चालि लिए वचा (गज)

१६३४-३५	१७०३८	४२६६६	५६७२	६३३७	६६७६६	१७७	..	६४४८२	१०
१६३५-३०	१७०३८	४०१३	५७१६	५७१६	६२६६५	२२१	..	६०७४	१५.७५
१६३०-३१	१७०३८	४२६६६	५६७२	४२७	६४१६	३६०	..	६०२६	१५.७५
१६४१-४२	१७०३८	५४५४	६१६७	१८२	६४७६	७७१	..	५६०८	१४.२५
१६४२-४३	१७०३८	४१०३	५८१२	१३	५८२५	८१६	१०२६	३६६७	१०
१६४३-४४	१७०३८	४२२६६	६५२६	४	६५३३	४६१	६०२	५४७०	१३.८
१६४४-४५	१७०३८	४६७७७	६३८०	५	६३८५	४२३	५८२	५३७६	१३.८
१०४४	१५३५	४६८८	६२२३	३	६२२६	६००	५७५	५०५१	१२.२
१६४५	१२६१	४००३	५२६६४	१४(क)५३३८	४००	८०	४८२८	११.५	..
१६४६	१२००	३८३८	५०३८	४४	५०८८	३००	४७६३	११.२५	..

(क) अमैल से नवमवर १६ उद्द तक का विसाव ।

उचित आवौद्योगिक विकास के लिए हिन्दुस्तान इस्पात का उत्पादन को प्रति वर्ष २५ लाख टन इस्पात की जरूरत है। आज के देशी कारखानों से केवल १२ लाख ६४ हजार टन इस्पात बन सकता है। परन्तु यह मिकडार भी यातायात की कठिनाइयों और मजदूरों से अशान्ति के कारण नहीं बन पा रही। १९४७ में इस्पात का उत्पादन केवल ८१,०५६ टन था। युद्ध के पहले इस्पात का आयात करके हिन्दुस्तान की जरूरतें पूरी हो जाती थी। अब वह भी बहुत कम हो रहा है। १९४७ में जहाँ इस्पात के १,५०,००० टन के आयात की आशा थी, वहाँ केवल १० हजार टन आयात हुआ।

भारत सरकार द्वारा मनोनीत रिसोर्सिज एंड प्रायोरिटीज कमिटी ने अगले तीन घर्षों में इस्पात की मांग का निम्न अनुमान लगाया है—

	टन
१९४८	१९४९
१-इंजीनियरिंग सम्बन्धी उद्योग	१,०६,८००
२-रसायनिक व दूसरे उद्योग	८१,५००
३-कपड़े व सम्बन्धित उद्योग	२६,०००

इस समय तीन बड़े कारखाने इस्पात बना रहे हैं—टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिं. जमशेदपुर, स्टील कारपोरेशन आॉफ बंगाल और मैसूर आयरन एंड स्टील चक्र। इनकी उत्पादन शक्ति क्रमशः ८,५०,००० टन, ३,५०,००० टन और ४०,००० टन प्रतिवर्ष है। इसके अलावा इशापुर स्थित सरकारी आर्डनेस फैक्टरी २४ हजार टन इस्पात बनाती है।

१९४३ में अधिक-से-अधिक इस्पात—११,६६,२०० टन बन पाया था।

नवम्बर १९४७ में इस्पात के निर्माण का अनुपात बहुत ही कम हो गया था—इस मास केवल ६,००० टन इस्पात बना। दिसम्बर में

८१,००० टन बना । जनवरी, फरवरी, मार्च १९४८ में यह निर्माण ७८,०००, ७२,७०० और ७३,२०० टन हुआ ।

१९४७ में १ लाख ५० हजार टन के आयात की आशा थी लेकिन केवल १० हजार टन ही आया । केवल अमरीका से ही अधिक मिकदार में आयात हो सकता है—वहाँ पर आयात-निर्यात पर सरकारी नियन्त्रण के कारण हिन्दुस्तान को जरूरत से बहुत कम हिस्सा मिल रहा है । १९४७ के लिए तीन महीनों के लिए अमरीका से १,७०,००० टन इस्पात मांगा गया था लेकिन अमरीका ने टिन प्लेटों को छोड़कर इसमें से केवल ४४६० टन ही इस्पात देना स्वीकृत किया ।

१९४८ के लिए कुल ४ लाख ७२ हजार टन इस्पात मांगा जा रहा है जब कि सारी प्राप्ति मिकदार टिन प्लेटों को छोड़कर २०,२०० टन है ।

हिन्दुस्तान ने १,३०,००० टन रेलों का केनाडा को आर्डर दिया हुआ है । १९४८ के अन्त तक इसमें से १ लाख टन के आयात की उम्मीद है । इंगलैंड से भी प्रतिवर्ष^१ २८ हजार से ३६ हजार टन तक इस्पात की प्राप्ति की आशा है ।

पांच-पाच लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष पैदा करने वाले दो नए कारखाने लगाने की सरकारी योजना पर विचार हो रहा है ।

१९४८ में चर्च^२ के पहले ६ मासों में देश की विविध जरूरतों के लिए इस्पात का बंदवारा निम्न प्रकार हुआ :

नाम	जनवरी, फरवरी, मार्च (टन)	अप्रैल, मई, जून (टन)
रेलवे	६३,०००	६१,०००
शौचालयिक आवश्यकताएँ		
और पैकिंग	१७,५०६	२१,०४८
इस्पात बनाने वाले उद्योग	५२,०००	५२,७२४

व्यक्तिगत उद्योगों को	१४,८३७	१६,१७४
प्रान्तों को	२०,६६५	२२,७८५
रियासतों को	६,२००	५,८९०
मकान बनाने की सरकारी		
योजनाओं को	२,६००	२,२००
निर्यात	१,५००	२,०००
अखवारों को	२४३	६६५
शरणार्थियों को घरों के लिए	..	१,७००
सुरक्षित	४१	१,४४३

लोहे और इस्पात का उत्पादन

पिंग आयरन (००० टन)	स्टील हैग्नाट्स (००० टन)	फिनिश्ड स्टील (००० टन)
१६३८-३६	१५७५.६	६७७.४
४२-४३	१८०४.२	१२६६.१
४३-४४	१६८६.४	१३६५.५
४४-४५	१२००.४	१२५३.६
४५-४६	१४०६.२	१२६६.६
४६-४७	१३६४.४	११६६.३

लोहे व इस्पात का

आयात (०००टन)	निर्यात (०००टन)
जिस पर संर- जिस पर पिंग आयरन लोहा व क्षण नहीं संरक्षण है	इस्पात
१६३८-३६	२७२.३
४२-४३	४८.६
४३-४४	४६.६
४४-४५	८७.२

४५-४६	१८४.०	७६.७	२७.५	१.०
४६-४७(क)	४६.४	२६.५	६.६	४.३
(क) दिसम्बर १९४६ तक। इसमें १९४७ के पहले तीन मास के अंकड़े जमा नहीं हैं।				

लोहे के भाव के मूलांक

जुलाई १९१४ की कीमतें=१०० के मूलांक के हिसाब से १९४६-४७ में पिंग आयरन फौन्ड्री नं० १ की कीमतों का मूलांक १६६ और पिंग आयरन फौड़ी नं० ४ की कीमतों का मूलांक २१६ रहा।

सीमेट का उद्योग

प्रथम महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में सीमेट बनाने का उद्योग ठीक ढंग पर शुरू हुआ। अब तो यह उद्योग सुस्थापित हो चुको है। सीमेट बनाने के कारखाने विशेषतया उत्तरी और मध्य भारत में बने हैं। सीमेट के बनाने से चूने के पत्थर (लाइम स्टोन), (जिप्सम) और कोयले का प्रयोग होता है। जहाँ यह पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ ही सीमेट का कारखाना खड़ा किया जा सकता है।

द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर हिन्दुस्तान में १५ लाख ३२ हजार टन सीमेट प्रतिवर्ष बन रहा था और ५ करपनियां समस्त उद्योग का नियन्त्रण करती थीं—एशोसियेटड सीमेट कम्पनीज़ लि० बम्बई, डाल-मिया सीमेट लि० डालमिया नगर, आसाम बंगाल सीमेट कम्पनी लि० कलकत्ता, सोनवैली पोर्टलैंड सीमेट कम्पनी लि० कलकत्ता और आन्ध्र सीमेट कम्पनी लि० वेजदाड़ा।

युद्ध के दौरान में सीमेट के निर्यात की मांग पैदा हुई और मध्य और सुदूर पूर्व की मणिडयों को हिन्दुस्तान से सीमेट पहुँचने लगा। देश की मांग भी बढ़ी। इन दिनों सीमेट बनाने वाले कारखाने २४ घण्टे चल रहे थे।

१९४३ से सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार रहा :

१९४३	१६,६८,८१५ टन
१९४४	१६,५६,४६६ टन
१९४५	१६,५६,७५० टन
१९४६	१५,३७,४७२ टन
१९४७	१४,४१,२३२ टन

१९४७ के अविभाजित हिन्दुस्तान में २४ कारखाने सीमेंट बना रहे थे जिनकी सीमेंट बनाने की कुल ताकत २८ लाख २५ हजार टन थी। विभाजन के बाद इनमें से २२ लाख ४५ हजार टन सीमेंट बना सकने वाले १६ कारखाने हिन्दुस्तान में रह गए।

सीमेंट के उत्पादन की योजनाएँ बनाई गई हैं जिनके अनुसार हिन्दुस्तान में ५७ लाख २५ हजार टन सीमेंट पैदा किया जा सकेगा।

मार्च ४६ में सीमेंट का भाव ७० रुपये टन निश्चित किया गया। जून ४८ में यह भाव ८५ रुपये टन हो गया।

देश में (१९३८ में) प्रति व्यक्ति पीछे ६ से ७ पाड़-ड सीमेंट की खपत होती थी; १९४४ में यह खपत १० से ११ पाड़-ड थी; १९५२ में इसके १८ पाड़-ड के लगभग होने की आशा है। चिदेश्वर में सीमेंट की खपत इससे कहीं बढ़-बढ़ कर है। १९३६ में इंगलैण्ड में प्रति व्यक्ति की सीमेंट की खपत ३०० पाड़-ड थी।

देश में इस समय १६ कारखाने कागज बना कागज का उत्पादन रहे हैं। प्रान्त वार इनका व्यौरा इस प्रकार है:

प्रदेश	संख्या	स्थान
पश्चिमी बङ्गाल	४	कंकिनारा, टीटागढ़, रानीगंज, नैहाती
उडीसा	१	ब्रजराज नगर
बिहार	१	दालमिथा नगर
बम्बई	३	बम्बई, पूना, अहमदाबाद
शुक्रप्रांत	२	लखनऊ, सहारनपुर

पूर्वो पंजाब	१	जगाधरी
हैदराबाद	१	मीरपुर
मैसूर	१	भद्रावती
त्रावंकोर	१	पुनलूर
मद्रास	१	राजमुन्डरी

इन सब मिलों की उत्पादन शक्ति १ लाख २५ हजार टन है जबकि वास्तविक उत्पादन १६४६-४७ और ४७-४८ में कमशः १,०३,६१० टन और ६३,२७७ टन था। इसके मुकाबले में वापिंक खपत २ लाख टन के लगभग है। इस तरह कागज की जरूरत के लिए हिन्दुस्तान को पर्याप्त भावार में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

देश में कागज के उत्पादन की कमी व अवनति के मुख्य कारण हृदतालें, यातायात की कठिनाहृदया व विभाजन के कारण प्रस्तुत हुई कच्चे सामान की कमी है। पश्चिमी पाकिस्तान से वरोजा, नमक, चूना व चीथड़े व पूर्वी बंगाल से वांस वहुतायत में आया करते थे।

अख्यारी कागज के लिए हिन्दुरतान पूर्णतया आयात पर निर्भर रहता है। देश में इसकी मासिक खपत ३५०० टन के लगभग है।

मध्य पान्त में अख्यारी कागज का पहला कारखाना बनाने की योजना तैयार हुई है। यह कारखाना १६५० तक चालू होगा।

कागज का उत्पादन बढ़ाने की जो योजनाएँ इस समय देश के सामने प्रस्तुत हैं, आशा है उनमें १६५६ तक देश अपनी मांग स्वयं ही पूरी कर सकेगा।

कोगले का उत्पादन, निर्यात व आयात

उत्पादन (००० टन) आयात (००० टन) निर्यात(०००टन)

१६२८-२९	२४८१५	१३४१.३२	४३.७५
४२-४३	२५४७०	३२६.१७	५.३६
४३-४४	२२४८३	१५६.८०	१.४१

४४-४५	२४१५४	१०८,६६	०,०३
४५-४६	२६४८६	१४६,५७	१,००
४६-४७	२६२१६	३६४,८(क)	८३,(क)
(क) दिसम्बर १९४६ तक। १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं।			

१९४६-४७ में कोयले की कीमतों का मूलांक भरिया के १ नम्बर के कोयले के लिए २६१ और देशरधर के लिए १७७ रहा। मूलांक जुलाई १९५४ की कीमतें हैं—१००।

आज देश में कोयले के उत्पादन पर यातायात के अपर्याप्त साधनों से बाधा पड़ रही है। जितना कोयला निकाला जाता है उतना सानों से उठाया नहीं जा रहा हालांकि कोयले की देश-भर में सतत मांग है और कमी जान पड़ती है। उदाहरणार्थ देश की सब स्थानों से अग्रेल १९४८ के मास में २३ लाख ४० हजार टन कोयला पैदा किया गया और केवल १६ लाख २३ हजार टन कोयला ही बाहर भेजा जा सका। इस प्रकार प्रति मास शेष कोयले का भंडार बढ़ रहा है।

१९४७ में दिन्दुस्तान में कोयले के उत्पादन का विस्तृत विवरण इस प्रकार रहा :

प्रान्त	जिला	खान का नाम	जिले का उत्पादन (टन)	प्रान्तवार उत्पादन (टन)
आसाम	खासी, जैतिया		३५,०६५	
	लखोमपुर	मकुम	२,७१,६३६	
	नाग पठाड़ियाँ	नज़ीरा	१६,८४८	
		शिवसागर	१५,७०८	३,४२,५६०
पश्चिमी बंगाल	दर्जिलिंग		१८,६९३	

चिह्नार	चंकुरा	रानीगंज	४,४५८
	बीरभूम		१०,२८४
	घट्टवान		७६,१२,६२२
	मानभूम		७६,४६,३८७
	मानभूम	करिया	१,२८,८१,०७६
	हजारी वाग		
	"	बोकारो	
	"	रामगढ़	४१,७१,२७६
	"	गिरिध	
	"	करणपुरा	
	राची		१,३४,८२५
	शालमऊ	डाल्टनगंज	३२,१६७
		हटार	१,७३,१७,६६०
	मंथाल परगना	जैन्ती वा	
		रानीगंज	६८,८८६
सध्य प्रान्त बिलासपुर			१०३७
	चान्डा	चरधा वैली	२,८४,४१४
	दिन्दीचाटा	पैच वैली	१२,३४,१२४
	चोतमल		३०,१७८
	सम्बलपुर	हिंगि रामपुर	६६,२२४
			६६,२२४
		ठुल उत्थान	२,६८,४२,८६३

लोहे के आख्यानों हारा कोयले की स्वपत

१६४८ (दन)

आख्याने का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च
दाटा	१४८१८६	१३८४४४	१५६६२३
हाँद	१३८१	१२९८	१७६३

इंडियन आयरन एंड			
स्टील कं० हारापुर	२४११६	४६६६३	५०४१२
इंडियन आयरन एंड			
स्टील कं० कुलटी	२७८८६	२५८६४	२८६६३
मैसूर आयरन एंड			
स्टील वर्से	११६५	२३८१	१८८६
टिन प्लेट कं० आफ इंडिया	३५१४	३२३५	३४२०
इंडियन स्टील एंड चायर			
प्रोडक्ट्स	७६७	६२३	६८८
गेस्ट कीन एंड विलियम्स	८८०	८३४	८६२
चागल रोलिंग मिल्ज़	६२४	६०५	८७३
इंडियन स्टील रोलिंग			
मिल्ज़ नेगापट्टम	१८४	१०३	१३०
	२४६४७६	२२५१७०	२४७३४३

इंजीनियरिंग के विजली से सम्बन्धित व दूसरे उद्योग

युद्ध के बर्थों में बैट्री बनाने के उद्योग को प्रसार का बढ़ा अवसर मिला। छत के पंखे, टेकल फैन व विजली की दूसरी मशीनें बनाने के उद्योग को काफी तरक्की मिली। इस सम्बन्धी उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :

१९४७	१९४८	१९४९
अक्टूबर नवम्बर	जनवरी फरवरी	अप्रैल मई, इकाई
दिसम्बर	मार्च	जून (क)
सूखी बैटरियां २,६३,७२,११३ ३,०५,३२,१३६ २,६७,१८,३१७ सेल मोटरों की		
बैटरियां १७,०४१	१६,९६५	३२,६०३ संघरा
पंखे (छत के) २६,८३४	३४,३४६	३६,३३६ ..
, (टेकल के) ४,६३२	५,३०७	६,२७१ ..

वार्षिक है। मांग का शेष भाग आयात से पूरा होता है।

साइकल तीन कम्पनियाँ—इंडिया साइकिल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि० कलकत्ता, हिन्द साइकिलज़ लि० (बम्बई) और हिन्दुस्तान साइकल मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन (पटना) इस समय हिन्दुस्तान में साइकल बना रही हैं। देश में लगभग ६२ हजार साइकल प्रति वर्ष बनते हैं जब कि मांग का अनुमान ३ लाख वार्षिक के लगभग है। सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण दिया हुआ है।

हरीकेन लैम्प ६ कम्पनियाँ हरीकेन लैम्प बना रही हैं। यह कम्पनियाँ १२ लाख लैम्प प्रति वर्ष बना सकती हैं लेकिन उत्पादन की संख्या अभी केवल ७ लाख लैम्प ही है। देश की वार्षिक जरूरत ५० लाख है।

मोटर गाड़ियों का निर्माण इस समय हिन्दुस्तान में ७ ऐसे कारखाने काम कर रहे हैं जो आयात किये गए पुर्जों को जोड़ कर मोटर गाड़ियाँ तयार करते हैं। इन कारखानों में से ३ बम्बई प्रान्त में, १ मद्रास में, २ कलकत्ता में और १ ओखा (काठियावाह) में हैं। १९४७ में इन कारखानों ने १०४३३ कारें और १४१८ टूक जोड़कर तयार किए।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड (कलकत्ता) की स्वीकृत पूँजी २० करोड़ और प्राप्त पूँजी ५ करोड़ है। यह कम्पनी इंगलैंड की 'मोरिस' और अमरीका की 'स्टुडिओकर' मोटरों बनाने वाली कम्पनी से सम्बन्धित है। ओखा में 'हिन्दुस्तान' नाम की मोटरों तैयार की जा रही हैं। उत्तर-पाटा कलकत्ता में इस कम्पनी का एक बड़ा नया कारखाना बन रहा है।

प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड (बम्बई) की स्वीकृत पूँजी १० करोड़ और प्राप्त पूँजी सवा दो करोड़ रुपया है। यह कम्पनी

अमरीका के 'क्राइज़लर' कार के निर्माताओं से सम्बन्धित है और 'डाज़', 'हीसोटो' व 'फागो' मोटर व ट्रक बनायगी।

समय था जब कि हिन्दुस्तान में बनी हुई समुद्री जहाजों का — किसितयां व जहाज हिन्दुस्तानमें निर्मित कपड़े और दूसरे तोहफों को हुनिया के कोने-कोने में

पहुँचाया करते थे। इस उद्योग की बीच के पराधीनता के दिनों में कर्द्द समाप्ति हो गई। स्वतन्त्रता ने एक बार फिर इस उद्योग में पारंगत भारत को खोद्द हुई कला को हस्तगत कर सकने की आशा दिलाई है।

हिन्दुस्तानी पूँजी और हिन्दुस्तानी मजदूरों से बनाया गया पहला देशी जहाज 'जल उषा' १४ मार्च १९४८ को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा समुद्र में छोड़ा गया। इसके साथ का ८०० टन का एक दूसरा सिन्धिया स्टीम पंड नेवीगेशन कम्पनी के विजगापट्टम में स्थित कारखानों में तैयार हो रहा है।

हिन्दुस्तानी कम्पनियों के पास इस ममय कुल ३ लाख टन के जहाज हैं। सरकार ने २० लाख टन का उद्देश्य देश के सामने रखा है ताकि देश का सारा तटीय व्यापार देशी जहाजों द्वारा ही सम्पन्न हो।

भारत सरकार के व्यापार मन्त्री के मातहत जहाजरानी का एक नया महकमा (डिपार्टमेंट-ऑफ-शिपिंग) खोला गया है। यह महकमा शेष सरकारी दफतरों से जहाजों से सम्बन्धित सब देख-भाल अपने हाथों में ले लेगा। पिछले प्रबन्ध के अनुसार जहाज बनाने की देख-भाल उद्योग व रसठ के मन्त्री के पास, बदनगाहों की देखभाल यातायात के मन्त्री के पास और दूसरे सम्बन्धित काम व्यापार मन्त्री की देख-भाल में थी।

योजना है कि हिन्दुस्तान में जहाजरानी की तीन बड़ी कम्पनियां बनाई जायें। हनमें से प्रत्येक की पूँजी दस करोड़ रुपया हो। भारत सरकार सबमें ५१ प्रतिशत पूँजी लगायगी। प्रत्येक कम्पनी कुल एक

एक लाख डून के बहाज चलायगी। पहले पांच वर्षों में यदि इन कम्पनियों को कुछ नुकसान होगा तो सरकार पूरा कर देगी।

विदेशों में जहाज खरीदे जा सकें और देश में भी बनाए जायें, इसके लिए सरकार विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधाएँ देने को तैयार है।

विदेशी जहाजों को हिन्दुस्तान के तटीय व्यापार से वर्द्धत शीघ्र ही वंधित कर दिया जायगा।

१९४० में श्री वालचन्द हीराचन्द और मैसूरु हवाई जहाज बनाने की सरकार ने सामंजस्य में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड की बंगलौर में स्थापना की। दोनों ने बीस-बीस लाख रुपया लगाया और कम्पनी का उद्देश्य विदेशी से आये हुए पुर्जों को जोड़कर हवाई जहाज बनाना और फिर बाद में कभी इन पुर्जों का खुद निर्माण भी करना था। १९४१ में भारत सरकार ने इस कम्पनी में हिस्सा लेने का निश्चय किया; तदनुसार कम्पनी का मूलधन ७५ लाख कर दिया गया और भारत सरकार, मैसूरु सरकार और वालचन्द हीराचन्द व उनके साथियोंके हिस्से बराबर-बराबर रहे। जापान से युद्ध छिड़ जाने पर श्री वालचन्द हीराचन्द के हिस्से भारत सरकार ने खरीद लिए और कम्पनी के दो तिहाई हिस्सों की मालिक बन गई। तटुपरान्त सरकार ने इसका प्रबन्ध-भार पूर्णतया अपने हाथों में के लिया।

युद्ध के दिनों में कम्पनी के कारखाने युद्धरत हवाई जहाजों की भरम्भत, सफाई व निरीक्षण किया करते थे।

कम्पनी का सब प्रबन्ध बोर्ड आफ डायरेक्टर्सः (१) डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी (२) सर रामास्वामी मुदालियर (३) श्री जै०आर०डी०टाटा, और बोर्ड आफ मैनेजमेंटः (४) डाक्टर ए०ए०च० पांड्या (२) श्री सी०बी०एस०गव (३) श्री वी०जी० अप्पादोराई मुदालियर के हाथों में हैं।

इंगलैंड की परिवत्त प्रयर क्राफ्ट कम्पनी के सदयोग से खुद हिन्दुस्तान में १६४८ के अन्त तक हवाई जहाज बनाने की योजना भी बनाई गई है।

कम्पनी के कारखानों में हिन्दुस्तान की रेल-कम्पनियों के लिए थर्ड-क्लास के नई तरह के छिप्पे भी तैयार किए जा रहे हैं।

कम्पनी के मूलधनमें ६६ लाख ६६ हजार ६ सौ रुपए और बढ़ा दिये गए हैं। इसमें तीसरा हिस्सा मैसूर सरकार ने और शेष भारत सरकार ने दिया है। इस तरह कम्पनी का प्राप्त मूलधन १ करोड ७४ लाख ६६ हजार ६ सौ रुपए है।

इन समय इस कारखाने में ३८०० मजदूर काम कर रहे हैं। २० विदेशी (अमरीकन और यूरोपियन) इन्जीनियर भी कम्पनी में हैं।

द्वितीय महायुद्ध से पहले मशीनरी के सब मशीनरी के ओजार आजारों के लिए देश आयात पर ही निर्भर रहता था। युद्ध के दिनों में इस उद्योग की हिन्दुस्तान में स्थापना हुई।

अक्टूबर ४७ से मार्च ४८ तक इनके उत्पादन का घौंरा इस प्रकार रहा :

	१६४७	१६४८
प्रांत सख्त्या अक्टूबर-दिसम्बर	सख्त्या जनवरी-मार्च	
पश्चिमी बंगाल १०४ २,३०,००० रु० २३५ ६,३५,००० रु०		
बम्बई १८२ ४,६६,६५० रु० २४३ ६,६७,००० रु०		

कारखानों में हुई वृद्धताले ही अक्टूबर-दिसम्बर १६४७ में उत्पादन कम होने का कारण थीं।

लदाई के बाद इस उद्योग का उत्पादन सक्रत कम हो रहा है। इसका कारण देशी उत्पादन से विदेशी से आयात हो रहे आजारों की प्रतियोगिता ही है।

हाल में फौजी दफ्तर, रेलवे और उद्योग व रसद विभाग के प्रति-निधियों की एक सभा में निश्चय हुआ है कि देश में सब औजार बनाने

के उद्देश्य से एक सरकारी कारखाने की स्थापना की जाय।

लालाई के पहले हिन्दुस्तान में केवल तान्त्रे का भिन्न-भिन्न धारुएँ ही उत्पादन होता था लेकिन युद्ध के दिनों में एलुमीनियम, प्लाटिमनी और लेड का उत्पादन भी होने लगा और धारुओं के समिक्षण का उद्योग काफी बढ़-चढ़ गया। इनके आंकडे निम्न हैं :

उत्पादन (लांग-टन)

	१६४७	१६४८	१६४९
धातु अक्तूबर-दिसम्बर	जनवरी-मार्च अप्रैल-जून(क)		
एलुमीनियम	७८३	६०४	८७४
प्लाटिमनी	५४	८२	१०१
कापर (तांबा)	१६०६	१३६६	१६२७
लेड	२६	१७६	१०१
शर्धनिर्मित धातुएँ	७३४१	७१६६	७११७
धातु समिक्षण			
(एलाय)	२५११	३८०६	३७०३
(क) १६४८ जून के आंकडे आनुमानिक हैं।			

एलुमीनियम के उत्पादन के लिए नई और बड़ी मशीनरी के आयात के लाइसेंस दिये जा चुके हैं। बाक्साइट के बहुतायत से प्राप्त होने के कारण इस धातु से सम्बन्धित उद्योग हिन्दुस्तान में काफी महत्वपूर्ण हो जायगा।

हिन्दुस्तान में, देश के विभाजन के बाद, नमक के उत्पादन के तीन मुख्य स्थान हैं : सामर मील, बस्ती और मद्रास। सामर मील का प्रबन्ध सरकारी हाथों में है। अब तक व्यर्थ रक्खे रहे प्रदेश का ग्रयोग करके यहां से नमक का उत्पादन १ करोड़ ८ लाख मत्र से १ करोड़ ४० लाख मत्र वार्षिक कर लिया गया है।

मद्रास में भी इसी तरह उत्पादन को प्रेरणा दी गई है और नमक का वार्षिक निर्माण १ करोड़ ३३ लाख से १ करोड़ ६५ लाख हो गया है।

अविभाजित हिन्दुस्तान में १९४५-४६ में ५ करोड़ ४६ लाख मन और १९४६-४७ में ४ करोड़ ६२ लाख मन नमक पैदा हुआ। नमक की इस कुल पैदावार में से लगभग १ करोड़ मन नमक पाकिस्तान में पैदा होता था। इन अंकों में काठियाकाड और त्रावन्कोर में पैदा होने वाले नमक का हिसाब जमा नहीं है।

इस उत्पादन के अलावा अविभाजित हिन्दुस्तान में ४५-४६ में ८५ लाख मन और ४६-४७ में ४० लाख मन नमक का आयात हुआ।

इस दशा में हिन्दुस्तान नमक की अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाता। भारत सरकार नमक की पैदावार बढ़ाने की अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएँ बना रही हैं। नमक की पैदावार, खपत, बटवारे, किसमों, आयात और कीमतों की पूरी छानबीन की जा रही है।

प० बंगाल, आसाम, उडीसा, मद्रास, विहार के पूर्वी व दक्षिणी प्रदेशों, मध्य प्रान्त के उत्तरी प्रदेश और गुजरात, बम्बई, अजमेर मार्वाड़ और दिल्ली में नमक के भाव नमक-कर हट जाने के बाद कम रहे। पश्चिमी विहार, युक्तप्रांत के कुछ भाग, पूर्वी पंजाब, बम्बई और दक्षिणी मध्यप्रांत में नमक के भाव चढ़े रहे। भावों के इस तरह चढ़ जाने का कारण नमक की कमी है। विभाजन के पहले पाकिस्तान के प्रदेशों से ३२ लाख मन नमक प्रति वर्ष पूर्व की ओर आया करता था; वह अब रुक गया है। इसके अतिरिक्त इस काल में आयात भी अपर्याप्त हुआ है और यातायात की कठिनाइयां भी रही हैं।

बिजली की पैदावार व खपत			
पैदावार मिलियन (दस लाख) यूनिट		विक्री मिलियन (दस लाख) यूनिट	
१९३६-४०	मर्वयोग	२१८६.३	१८२७.७
४०-४१	२४५३.४	२०५७.३
४१-४२	२८२८.१	२४०९.६
४२-४३	२८५४.६	२४१४.६
४३-४४	...	२१२६.३	२६४६.०
४४-४५	३४२५.६	२८८७.६
४५-४६	३४७८.०	३००८.१

देश मे आसाम प्रान्त के सिघाय मट्टी का तेल मिट्टी का तेल, कहीं नहीं पैदा होता। जनता के अधिकांश के लिए श्रावश्यक हस तेल के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हिन्दुस्तान में ईरान, बहरेन व साउदी अरब से मट्टी का तेल मंगवाया जाता है।

देश मे मट्टी के तेल के बंटवारे का धौरा पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार रहा है :

१९४५	अविभाजित हिन्दुस्तान	५,५६,४८.२	टन
१९४६	, "	६,१०,५२.३	,
१४ अगस्त १९४७ तक	, "	४,७४,०३.८	,
दिसम्बर १९४७ तक	इंडियन यूनियन	२,४२,३४.६	,
मार्च १९४८ तक	, "	१,४७,४४.०	,
दिसम्बर १९४८ तक	, "	४,००,११.०	,

इतनी मिकड़ार में मट्टी के तेल के बंटवारे के बाबजूद देश में इसकी कमी महसूस होती रहती है। कमी के मुख्य कारण संसार में मट्टी के तेल की पैदावार के साधनों की कमी, देश में यातायात की अपर्याप्ति वा तेल भरने के लिए टीन बनाने की प्लेटों का अभाव है।

हिन्दुस्तान में खेतीबारी

खेतीबारी के विषय में जो भी आंकड़े नीचे दिये गए हैं वह अविभाजित हिन्दुस्तान के उन्हीं प्रदेशों से सम्बन्धित हैं जो कि अब हिन्दुस्तान का भाग हैं। पाकिस्तानी प्रदेशों के आंकड़े इनमें सम्मिलित नहीं हैं।

१९४५-४६ में हिन्दुस्तान के प्रान्तों के कृषि सम्बन्धित कुल ज्ञेन्त्र का व्यौरा इस प्रकार था :

(००० एकड़ जोड़ ले)

सरकारी-पत्रों के अनुसार कुल ज्ञेन्त्र	४०,३०,४४
जंगलों का ज्ञेन्त्र	६,२४,६१
कृषि के लिए अप्राप्य	६,२४,१३
वह ज्ञेन्त्र जहाँ कृषि नहीं की गई	६,८५,५६
बंजर भूमि	३,७६,३७
वह ज्ञेन्त्र जहाँ कृषि की गई	१७,०८,०८
वह ज्ञेन्त्र जहाँ सिचाई होती है	३,६२,२८
वह ज्ञेन्त्र जहाँ खेती एक से अधिक बार होती है	२,६३,६४
१९४५-४६ में भिन्न-भिन्न पदार्थों की खेतीबारी जितने ज्ञेन्त्र में की गई, इसका व्यौरा इस प्रकार है :	

हिन्दुस्तानी प्रान्त रियासतें कुल
(००० एकड़ जोड़ले)

चावल	५,२८,५६	५२,५३	५,८१,१२
गेहूँ	१,७२,४०	७३,०६	२,४५,४६
ज्वार	२,१२,४०	१,७५,१३	३,८७,५३
बाजरा	१,१६,०९	१,१३,७६	२,२६,७७
मकर्ज	५२,०६	२२,७६	७७,८८
रागी	२६,१८	१६,१६	४८,३४

१८८

राजकमल चर्प-बोध

जौ	६२,४०	७	६२,४७
चने	१,४०,३६	११,४१	१,५१,७७
दूँख	२६,६७	२,०७	३२,०४
तिल	२७,११	१०,३५	३७,४६
मंगफली	६४,१४	३८,५६	९,०२,७३
तोरिया और सरसों	४२,०१	१,२२	४३,२३
अलसी	२५,१५	७,४५	३२,६०
पुरंड	३,८१	१०,४५	१४,२६
कपास	६४,०८	४८,४१	१,१३,४६
पटसन	५,५०	३०	५,८०
चाय	६,३८	१५	७,३०
काफी (क)	१,२६,७६६	८५,०२८	२,११,२२७
तम्बाकू	८,३८	१,८४	१०,२२

(क) इसमें ००० नहीं जोड़ने हैं।

इन पदार्थों की कृषि के उत्पादन का व्योरा १९४५-४६ में इस प्रकार रहा :

(००० टन जोड़ लें)

	हिन्दुस्तानी प्रान्त	रियासतें	कुल
चावल	१,६६,२२	१२,४१	१,८४,६३
गेहूं	४४,६६	१४,४६	५६,१२
ज्वार	३३,८८	२१,६५	५५,७७
बाजरा	१६,२७	१०,४४	२६,८१
मकई	१७,८८	२,६४	२०,५२
रागी	६,११	२,४६	११,५०
जौ	१६,४७	१	१६,४८
चने	३०,२४	१,१४	३१,३८

हिन्दुस्तान में खेतीबारी

१८६

ईख	४१,६०	३,१८	४४,७८
तिल	२,६६	८८	३,५४
मूँगफली	२३,०२	११,६४	३४,६६
तोरिया व सरसों	७,०२	१२	७,१४
अलसी	२,६१	६१	३,५२
एरंड	३६	८७	१,२६
कपास (क)	१३,०४	८,१८	२१,१६
पटसन (क)	१४,६५	६१	१५,५६
चाय (ख)	४५,२७,१३ (घ)	४,८६,४८	४६,१६,६१
काफी (ग)	१,५५,८०	१६,२०	२,५८,००
तम्बाकू	२,८८	४६	३,५१

(क) ००० गांडे, हर गांठ का वजन ४०० पाउंड। (ख) ०००पा०उंड

(ग) ००० नहीं जोड़ने हैं। (घ) यह संख्या सम्पूर्ण नहीं है।

प्रति एकड़ के पीछे जितना उत्पादन होता है उसका अंदर १६४५-४६ में इस प्रकार था :

हिन्दुस्तानी प्रान्त (पाउंड)

चावल	७१७	६२०
गेहूं	५८०	४४८
ज्वार	३४७	२६२
बाजरा	३१४	२१३
मकई	७१५	३१२
रागी	६६६	३०३
जौ	७०२	...
चने	४८३	२०७
ईख	३,१०६	४,०८६
तिल	२२०	२३७

सूंगफली	८०४	६५५
तोरिया व सरसों	३७४	२३२
अलसी	२५६	१८६
युरंड	२२६	२५४
कपास	८१	८०
घटसन	१,०८७	८१३
चाय	६२६ (क)	५१५
काफी	२७८	२५६
तम्बाकू	६७२	५८७

(क) १९४४-४५ के आंकडे । ४५-४६ के अप्राप्य ।

हिन्दुस्तान में सुख्य पदार्थों की कृषि के लैंग में १६३६-४० से १६४५-४६ तक किस तरह परिवर्तन हुआ है,
उसका घोरा इस प्रकार है: इन आंकड़ों में रियासतों के आंकड़े सम्मिलित हैं:

(००० एकड़)

	१६३६-४०	४०-४१	४१-४२	४२-४३	४३-४४	४४-४५	४५-४६
चावल	५,५५५,१४	५,५१,०७	५,४०,६१	५,५६,७७	५,५८,०७	६,०२,०३	५,८१,१२
गेहूँ	२,३४,४६	२,४६,४६	२,४१,८८	२,३७,३२	२,३७,५८	२,५४,६१	२,४४,६६
उचार	३,०४,६२	३,८७,५२
बाजरा (क)	२,४१,६०	२,२६,६७
मकई (क)	७८,७६	७७,८५
रागी	५३,२०	५४,५५	५४,१५	५५,०६	५४,४६	५१,२५	४८,३४
जौ	५५,१६	५७,६०	५६,५६	६२,०७	६१,५६	५९,८५	६२,४७
चने	१,१३,०१	१,१८,४६	१,१५,८८	१,१३,५३	१,२६,१३	१,२६,७५	१,४१,७७
हैव	३१,२५	३६,६६	२६,५६	३०,७३	३६,७७	३५,४७	३२,०४
तिल	४०,६७	३६,०६	३६,४२	४२,६८	४२,४८	३७,३२	३७,४६
मूँगफली	८४,३७	८८,०७	७०,७०	७६,६७	८८,०८	६५,७४	१,०२,७३
तोरिया च	४५,५६	४५,७४	४५,६१	४०,७३	४२,२०	४२,६४	४२,२३
सरसों							

अजस्री	३६,३२	३५,३८	३२,६३	३३,७०	३४,४६	३३,५२	३२,६०
पुरंड	१०,०३	१०,१६	८,५८	९३,६०	१५,४१	१४,६६	१४,२६
कपास	१,८२,१६	१,८७,४५	२,०४,६८	१,६०,६०	१,७४,२७	१,१४,१२	१,१३,४६
पटसन	७,६४	११,४३	७,७८	८,५२	७,०१	५,८१	५,८०
चाव (ख)	७,२५	७,२६	७,२७	७,३१	७,३०	७,३०	७,३०
काफी (ग)	१८,२६,३८	१८,१०,१३	१८,०५,१२	१८,१४,१४	१८,१४,१६	२०,१४,१७	२१,१८,२७
तमाक	६,४७	६,०७	६,८३	८,४५	७,१३	८,६७	९०,३२

(क) देशी रियामतों के आंकड़े ग्रास न होने के कारण कुछ वर्षों के आंकड़े नहीं दिखाए गए हैं।

(ख) यह आंकड़े १८३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ और ४५ के हैं।

(ग) ००० नहीं जोड़ने हैं।

हिन्दुस्तान में खेतीबारी

इन पदार्थों की खेतीबारी से उपज का व्योरा १६३६-४० से १६४५-४६ तक इस प्रकार रहा।

(००० टन)

	१६३६-४०	१६३७-४१	१६३८-४२	१६३९-४३	१६४०-४४	१६४१-४५	१६४२-४६	१६४३-४७	१६४४-४८
चावल	१,८७,४६	१,६७,६६	१,७५,४६	१,८८,४६	१,८८,४६	२,०७,६३	१,८८,७८	१,८८,८३	१,८८,८३
गेहूँ	७३,२१	६६,४४	६४,४६	६४,४६	६४,४६	६४,३७	६४,६३	५६,१२	५६,१२
उवार	६६,८०	५५,७७	५५,७७
बाजरा	३१,६८	२६,८१	२६,८१
मकई	२२,०६	२०,५२	२०,५२
रागी	१७,२६	१८,५४	१८,४५	१९,७१	१९,७१	१७,६४	१६,३८	११,७०	११,७०
जौ	१८,२८	२१,१६	२१,१६	२०,२७	२०,२७	१८,८८	२१,३०	१४,५८	१४,५८
चने	२६,६७	३०,०३	२७,१५	३५,०३	३५,०३	२८,२३	३२,२६	३१,३८	३१,३८
ईंख	४०,०२	५०,४६	३७,०१	४४,४४	४०,६०	४७,८६	४४,४८	४४,४८	४४,४८
तिल	३,८२	४,०१	३,८१	४,२२	४,०८	३,८३	३,८३	३,८३	३,८३
मूँगफली	३७,६८	३७,०२	२८,८६	२८,८८	२८,८८	२८,८८	२८,८८	२८,८८	२८,८८
तोरिया च									
सरसों	८,६४	८,४४	८,३६	७,५१	७,५१	८,६०	८,२५	७,१३	७,१३
अजसरी	४,५१	४,२२	३,४५	३,६३	३,६३	३,६६	३,५०	३,५२	३,५२

राजकमल वर्ष-बोध

१६८२

पुरेट	१,०५	१,४६	१,४०	१,३९	१,३३
कृषिस (क)	३६,३०	४३,२७	४४,२४	३०,८६	२१,७२
पटसन (क)	१६,८८	२६,४६	१६,४७	१७,४६	१२,३६
वाय (ख)	३८,७२,६१	४०,०८,६२	४५,९८,६६	४६,७०,२३	४४,७६,०४
कफी (घ)	१,५५,४६	१,४२,२६	१,७८,८६	१,६२,५७	२,५५
तस्वार्क	३,४०	३,५५	३,५१	२,६३	

तस्वार्क में ४०० पाउंड। १,००० पाउंड के हैं।

- (क) ००० गांठ। हर गांठ में ४०० पाउंड,
- (ख) यह प्रांकड़े १६३६, ४०, ४१, ४२, ४४ और ४५ के हैं।
- (छ) यह प्रांकड़े ।
- (ग) असमूयं प्रांकड़े ।
- (घ) ००० नहीं जोहने हैं। वे वजल दन।

मुख्य पैदावार

अब हिन्दुस्तान में पैदा होने वाली विभिन्न प्रमुख उपजों का व्योरा दिया गया है :

चावल चावल वहुतायत से परिचमी बगाल के सभी जिलों में, उड़ीसा के कटक और पुरी जिले में साम्बलपुर, मद्रास में गोदावरी के परिचमी किनारे, चिंगलपुट, तंजोर और कनारा में होता है।

मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, बंगल, युक्तप्रान्त और आसाम के उत्तरी प्रदेश में भी इसकी पैदावार होती है।

हैदराबाद, मैसूर, काश्मीर और गालियर में भी यह पैदा होता है। चावल हिन्दुस्तान के पूर्वी व दक्षिणी प्रदेशों में रहने वाले और अधिकांश हिन्दुस्तानियों की मूल खुराक है। देश में चावल का उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं हो पाता कि देश की कुल आवश्यकता पूरी हो सके। इस चावल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४६-४७में हिन्दुस्तान में चावल की ८,१८,१०,००० एकड़ों में खेती हुई। ४५-४६ में ८,०७,३३,००० एकड़ों पर कृषि हुई। ४६-४७ में उपज का अनुमान २,८१,४१,००० टन है, जब कि ४५-४६ में २,६६,७२,००० टन ही पैदावार थी। ४६-४७ के इस हिसाब में चावल की ३ प्रतिशत खेती के त्तेवें का हिसाब जमा नहीं है।

पहले सरकारी अनुमान के अनुसार १९४९-४८ की शीत क्रतु की चावल की खेती का त्तेवं ५ करोड़ ३१ लाख २६ हजार एकड़ है।

प्रति एकड़ पीछे चावल की उपज का व्योरा भिन्न-भिन्न देशों में इस प्रकार है :

पाठँड

अविभाजित हिन्दुस्तान	७७१ (४६-४७)	बर्मा	६२४ (४५-४६)
चीन	१५४६	„	स्थाम ७५६ „
जापान	२०३०	(४५-४६)	अमरीका १३३४ (४६-४७)
इटली	२४३१	(४६-४७)	स्पेन २३५८ „
ईंजिप्ट	२०२४	„	

अपनी मांग पूरी करने के लिए एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों से १६४८ में हिन्दुस्तान ८,६३,५०० टन चावल का आयात कर रहा है, जिसका मूल्य ४६८० करोड़ रुपये होगा।

विभाजन के पहले पंजाब ही हिन्दुस्तान में गेहूं गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन केन्द्र था, अब यह स्थान युक्तप्रान्त ने ले लिया है। पूर्वी पंजाब मध्यप्रान्त, बिहार, उडीसा, कुछ हद तक राजपूताना की रियासतों और दैराबाद में इसकी पैदावार होती है।

‘देश के उत्तरी प्रदेश गेहूं की खुराक पर ही निर्भर रहते हैं। इसकी पैदावार और खपत में पिछले युद्ध के दिनों में सन्तुलन नहीं रहा था। अब बहुतायत से गेहूं पैदा करने वाले इलाकों के पाकिस्तान में चले जाने से इस सम्बन्ध में कठिनाइयां बढ़ गई हैं।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १६४६-४७ में हिन्दुस्तान में ३,४१,२१,००० एकड़ भूमि पर गेहूं की खेती हुई। ४५-४६ में यह क्षेत्र ३,४६,७७,००० एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान ७७,८८,००० टन है जबकि ४५-४६ में ६०,३८,००० टन पैदावार थी। ४६-४७ के इस हिसाब में गेहूं की २ प्रतिशत खेती के क्षेत्रों का हिसाब जमा नहीं है।

पहले सरकारी अनुमान के अनुसार १६४७-४८ के शीत ऋतु की गेहूं की खेती का क्षेत्रफल २ करोड़ १३ लाख १७ हजार एकड़ है। इसमें मध्य भारत, गुजरात व कर्नाटक की कुछ रियासतों का क्षेत्रफल

जमा नहीं है, जिनका क्षेत्र १९४६-४७ में ४२,२७४ एकड़ था।

भिन्न-भिन्न देशों में गेहूं की उपज का तुलनात्मक व्यौरा इस प्रकार है :

	१९४६	प्रति एकड़ से गेहूं की उपज (त्रिशल)	
हिन्दुस्तान	६.६	इटली	२०.३
अर्जणटीन	१५.१	रूम	१०.७
केनाडा	१७.२	चीन	१२.६
आस्ट्रेलिया	६.३	तुर्की	१६.५
अमरीका	१७.२	चेकोस्लोवाकिया	२३.६

हिन्दुस्तान के प्रान्तों में प्रति व्यक्ति पीछे गेहूं की खपत (१९३३ से १९३६ तक के आंकड़ों के अनुमार) इस प्रकार है :

दिल्ली	२५४	मध्य प्रान्त	६७	बंगाल	१२
पंजाब	२१०	चम्बई	५७	मद्रास	३.४
युक्तप्रान्त	१०३	पिहार उडीसा	२६	आसाम	४

देश में गेहूं की कमी पूरा करने के लिए १९४८ में हिन्दुस्तान विदेशों से (विशेषकर आस्ट्रेलिया और अमरीका से) १४,०५,००० टन गेहूं खरीद रहा है, जिसका मूल्य ४५.०१ करोड़ रुपए होगा।

गेहूं की तरह जौ की पैदावार भी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक युक्तप्रान्त, में, फिर विहार, लौ

उडीसा, पूर्वी पंजाब के कागडा जिले के पहाड़ी इलाके में, जयपुर व मध्य-मंधमें होती है। देश में इसकी काफी खपत है।

चम्बई, मद्रास, हैदराबाद, मध्यप्रान्त और ज्वार

युक्तप्रान्त में ज्वार की पैदावार बहुतायत से होती है। नवाजियर व मध्यभारत और राजपूताना की रियासतों में भी इसकी उपज होती है।

इस अनाज की हिन्दुस्तान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की

जनता की ही अधिक मांग रहती है। जानवरों के खाने में भी इसका दृस्तेमाल किया जाता है।

१९४६-४७ के अन्तिम अनुमान के अनुसार ३ लाख ६० हजार एकड़ भूमि पर ज्वार की खेती हुई जबकि ४५-४६ में इस खेती का क्षेत्र ३ लाख ६४ हजार एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान ४२ लाख ७६ हजार टन था जबकि ४५-४६ में ५५ लाख २३ हजार टन ज्वार पैदा हुई थी।

बाजरा मद्रास, पूर्वी पंजाब के हिसार व रोहतक के जिलों में, युक्तप्रान्त, हैदराबाद व राजपूताना की रियासतों में बाजरे की उपज होती है। सौराष्ट्र की रियासत भावनगर में बाजरा बहुतायत से पैदा होता है। मध्यप्रान्त, बिहार व उडीसा में भी इसकी बहुत थोड़ी पैदावार होती है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में १९४६-४७ में बाजरा की खेती २,३७,२४,००० एकड़ भूमि पर हुई। ४५-४६ में यह क्षेत्र २,५३,८४,००० एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान २६,६४,००० टन था जबकि ४५-४६ में ३१,९५,००० टन बाजरा पैदा हुआ था।

मर्कहृ मर्कहृ को पैदावार बहुतायत से युक्तप्रान्त, बिहार, उडीसा, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों और हिमाचल प्रदेश में, कुछ मध्यप्रान्त, मद्रास व पश्चिमी बंगाल में होती है। हैदराबाद और काश्मीर में भी इसकी उपज होती है।

१९४६-४७ के अन्तिम अनुमान के अनुसार हिन्दुस्तान में मर्कहृ की खेती ८८,१४,००० एकड़ में की गई जबकि ४५-४६ में इसकी कृषि का क्षेत्रफल ८७,७४,००० एकड़ था। ४६-४७ में उपज का अनुमान २३,७३,००० टन था जबकि ४५-४६ में मर्कहृ की पैदावार २४,८३,००० टन थी।

चने

चनों की अधिक उपज युक्तप्रान्त, पूर्वी पंजाब, विहार और मध्यगान्त में होती है। हैदराबाद में भी इसकी काफी पैदावार होती है। मैसूर व राजपूताना की रियासतों में भी चना चहुतायत से होता है।

रागी

१६४७-४८ के पहले सरकारी अनुमान के अनुमार हिन्दुस्तान में रागी (मन्तुवा) की कृषि का क्षेत्र २५ लाख ३५ हजार एकड़ है।

ईख

ईख की उपज का समय बटा केन्द्र युक्तप्रान्त है। विहार, पूर्वी पंजाब, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, मैसूर, व हैदराबाद में भी इसकी पैदावार होती है।

पैदावार होती है।

चीनी का उत्पादन १६४७-४८। हिन्दुस्तान में इस वर्ष चीनी बनाने के जिन कारणानों ने काम किया उनकी संख्या अन्तिम अनुमान के अनुसार १३४ है।

इसका प्रान्तवार हिसाब इस प्रकार है :

प्रान्त	१६४७-४८	१६४६-४७
संयुक्त प्रान्त	६३	६५
विहार	२६	२६
पूर्वी पंजाब	१	१
मद्रास	११	११
बम्बई	१०	८
पश्चिमी बंगाल व आसाम	३	३
उडीसा	१	१
रियासतें	१६	१७
योग	१३४	१३५

कुछ पिछ्ले वर्षों से चीनी के उत्पादन का इतिहास इस प्रकार रहा है :

निर्माण (००० हॉडवेट)	आर्थित (००० टन)
१६३८-३९	१३४०४
१६४२-४३	२१७५१
४३-४४	२२५०७
४४-४५	२१६३७
४५-४६	१६६३१ क

(क) अनिश्चित (ग्रोवियनल)। केवल नवम्बर, दिसम्बर १६४६ व जनवरी १६४७ के आंकड़े।

जुलाई १६१४=१०० के मूलांक के हिसाब से औसत चीनी (चीनी, देसी खांड व गुड़) की कीमतों का मूलांक १६४६-४७ में इस प्रकार रहा :

१६४६	मार्च	३५८	अक्टूबर	३७६
	अप्रैल	३४८	नवम्बर	४३६
	मई	३६४	दिसम्बर	४१८
	जून	३८६		
१६४७				
	जुलाई	३६८	जनवरी	४६५
	अगस्त	३६८	फरवरी	४५६
	सितम्बर	३७४	मार्च	४०५

चाय हिन्दुस्तान में चाय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा केन्द्र आसाम है। त्रावंकोर रियासत, मद्रास, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाकों, त्रिपुरा रियासत, युक्तप्रान्त और कुछ विहार व उडीसा में भी इसकी पैदावार होती है।

पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाइगुरी जिलों में इसकी पैदावार बहुतायत से है।

हिन्दुस्तान से निर्यात होने वाली कृषि उपजों में चाय का महत्व-पूर्ण स्थान है।

चाय का उत्पादन व निर्यात

उत्पादन-मिलियन (दस लाख) पौँड निर्यात (००० पौँड)

१६३८	३७०.६६	१६३८-३९	३६८०५०
१६४२	४७५.३९	४२-४३	३२२६११
१६४३	४५२.३३	४३-४४	४०८१६२
१६४४	४०७.५६	४४-४५	४१३७५३
१६४५	४३४.७१	४५-४६	३६८६६६
१६४६	४८४.१२	४६-४७	२३४७६६ क

(क) दिसम्बर १६४६ तक । १६४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं।

मार्च से दिसम्बर १६४६ तक औसत चाय (क्लीन ब्रोकन, कामन, पीको, मीडियम ब्रोकन व आसाम पीको) की कीमतों का मूलांक (मूलांक १६ अगस्त १६३६ = १००) १६४ रहा। इसके बाद १६४७ के जनवरी, फरवरी व मार्च में यह क्रमशः १६६, २६४ व २७१ रहा।

काफी उत्पादन के लंबे हिन्दुस्तान के दक्षिण में स्थित हैं—केवल मैसूर, कुर्ग और मद्रास में ही इसकी पैदावार होती है।

धोरे-धोरे चाय की तरह काफी-पान का अभ्यास देश में बढ़ रहा है। काफी का निर्यात भी होता है।

तम्बाकू अधिकतर मद्रास में, विहार व पश्चिमी बंगाल के उत्तरी प्रदेश में, बम्बई के कैरा जिले में, वडौदा व दक्षिण स्थित रियासतों में

होता है और कुछ हद तक काश्मीर के जम्मू प्रान्त, जयपुर, युक्तप्रान्त और आसाम में इसकी पैदावार होती है।

मूँगफली मूँगफली बहुतायत से मद्रास, हैदराबाद, बम्बई और मैसूर के मध्यप्रान्त में पैदा होती है। पूर्वी पंजाब के रियासती इलाके, राजपूताना की रियासतों व गदालियर में भी कुछ हद तक इसकी उपज होती है।

इससे निर्मित तेल व धो का प्रयोग हिन्दुस्तान में बढ़ गया है। मूँगफली का निर्यात भी होता है।

अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४६-४७ में मूँगफली की खेती का क्षेत्र ६६,६०,००० एकड़ था जबकि ४५-४६ में यह कृषि क्षेत्र १,०२,७३,००० एकड़ था। ४६-४७ में पैदावारका अन्दाज़ ३४,६२,००० टन है जबकि ४५-४६ में इसकी उपज ३४,६६,००० टन थी।

अलसी इस बीज के मुख्य उत्पत्ति स्थान युक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, हैदराबाद व राजपूताना की रियासतें, बम्बई, पूर्वी पंजाब के पहाड़ी इलाके व काश्मीर रियासत हैं।

४६-४७ में अन्तिम अनुमान के अनुसार ३२,८८,००० एकड़ भूमि में इसकी खेती की गई। ४५-४६ में यह खेती ३३,३४,००० एकड़ पर की गई थी। ४६-४७ में उपज का अनुमान ३,४६,००० टन है जबकि ४५-४६ में ३,६३,००० टन उपज हुई थी। ४६-४७ के इस हिसाब में ७ प्रतिशत खेती का विवरण जमा नहीं है। ४७-४८ के पहले सरकारी अनुमान के अनुसार इसकी शीत ऋतु की खेती के क्षेत्र का अनुमान २० लाख ७७ हजार एकड़ है।

तोरिया व सरसों यह तेल-बीज बहुतायत से युक्तप्रान्त, पूर्वी पंजाब व बिहार में पैदा होते हैं। पश्चिमी बंगाल, उडीसा, आसाम, बड़ौदा, बम्बई, मध्य

प्रान्त, मद्रास व राजपूताना, ग्वालियर, काशमीर और हैदराबाद की रियासतों में भी इसकी उपज होती है।

४६-४७ में अन्तिम अनुमान के अनुसार ४५,४८,००० एकड़ भूमि पर इनकी खेती की गई जबकि ४५-४६में ४५,३५,००० एकड़ भूमि पर खेती हुई थी। ४६-४७ में उपज का अनुमान १०,०२,००० टन है जबकि ४५-४६ में ६,१६,००० टन पैदावार हुई थी। इस हिसाब में ६ प्रतिशत खेती का हिसाब जमा नहीं है। ४७-४८ के प्रथम सरकारी अनुमान के अनुसार इन बीजों की शीत ऋतु की खेती १५ लाख २५ हजार एकड़ भूमि पर हुई।

तिल इस बीज की सर्वाधिक उत्पत्ति युक्तप्रान्त में होती है। बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त, हैदराबाद पश्चिमी बंगाल, बिहार व राजपूताने व ग्वालियर की रियासतों में भी यह पैदा होता है।

तिल की खेती अनुमान के अनुसार ४६-४७ में ३७,६५,००० एकड़ भूमि पर हुई जबकि यह ४५-४६ में ३६,३६,००० एकड़ पर खेती हुई थी। इसकी उपज का अनुमान ४६-४७ में ३,४४,००० टन था जबकि पैदावार ४५-४६ में ३,८८,००० टन थी।

४६-४७ के आंकड़ों से तिल की ३४ प्रतिशत खेती के आंकड़े जमा नहीं हैं।

४७-४८ में दूसरे सरकारी अनुमान के अनुसार इसकी शीत ऋतु की खेती का केन्द्र हिन्दुस्तान से २० लाख ७२ हजार एकड़ है।

एरंड की सर्वाधिक खेती हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बिहार, उडीसा, मध्य प्रान्त, मैसूर व बडौदा में होती है। दक्षिण की दूसरी रियासतों में भी इसकी पैदावार होती है।

पर्याप्त मात्रा में एरंड बीज और एरंड के तेल को हिन्दुस्तान से नियंत्रित होता है।

इसकी पैदावार का अनुमान ४६-४७ में १,२१,००० टन है जबकि एरंड के बीज ४५-४६ में १,२३,००० टन पैदा हुए थे।

हिन्दुस्तान के कृषकों को पैसा देने वाली पैदावारों में से कपास बहुत महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग, सूती कपड़े का बुनना व सूत कातना, भी इसी उपज पर निर्भर है।

विहार के कुछ जिलों, कुर्ग, बंगलोर और मद्रास के दक्षिण में स्थित रियासतों को छोड़कर कपास थोड़ी-बहुत मात्रा में सारे हिन्दुस्तान में पैदा होती है।

बहुतायत से इसकी उपज मध्यप्रान्त, बम्बई, सौराष्ट्र, हैदराबाद, पूर्वी पंजाब के जिलों व रियासतों, मद्रास, युक्तप्रान्त और मध्य भारत की रियासतों में होती है।

पंजाब के विभाजन से हिन्दुस्तान से बढ़िया कपास पैदा करने वाले कुछ ज्ञान कट गए हैं।

कपास की भिन्न-भिन्न किसमें जिन-जिन प्रदेशों में पैदा होती है उनका व्योरा यह है :

प्रान्त-प्रदेश	किस्म	प्रान्त-प्रदेश	किस्म
पूर्वी पंजाब	बंगाली व अमरीकन	बहौदा व रेवा	ब्रोच
संयुक्त प्रान्त	बंगाली	सूरत नवसारी	सूरती (ब्रोच)
राजपूताना	बंगाली	मध्य भारत	ऊमरा
बिहार	बंगाली		
आसाम	कोमिला	मध्यप्रान्त	ऊमरा व बीरम
सौराष्ट्र	ठोकरा	हैदराबाद	ऊमरा, गावरानी दक्षिणी

वंशद्वारा	दक्षिणी व वनिज्ञा	मद्रास	दक्षिणी इन्डिया कस्बोदिया
मैसूर	दक्षिणी		

हिन्दुस्तान में अन्तिम अनुमान के अनुसार १९४६-४७ में कपास की कृषि का कुल चेत्र १,४८,६०,००० एकड़ था। इसकी खेती ४५-४६ में १,४८,६८,००० एकड़ पर हुई थी। ४६-४७ में उपज का अनुमान ३८,६६,००० गांठ हैं जबकि ४५-४६ में ३८,३०,००० गांठ पैदा हुई थीं।

अनुमान है कि १९४७-४८ में देश में रुई की कुल ३२ लाख गांठों की पैदावार होगी।

विभाजन के पहले हिन्दुस्तान के पास पटसन पटसन के उत्पादन का एकाधिकार था। अब पश्चिमी वंगाल के कुछ जिलों में, विहार के उत्तरी प्रदेश में, आसाम, उडीसा और कुछ युक्तप्रान्त में इसकी पैदावार रह गई है। कलकत्ता के पटसन के बड़े उद्योग के लिए हिन्दुस्तान को अब पाकिस्तान के निर्यात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

१९४७-४८ में अन्तिम अनुमान के अनुसार पटसन की खेती का चेत्र पश्चिमी वंगाल, विहार, उडीसा, आसाम (सिलहट को छोड़कर) कूच विहार व त्रिपुरा की रियासतों में ६,४८,००० एकड़ है। ४६-४७ में इस खेती का चेत्र ५,३७,००० एकड़ था। ४७-४८ में कुल उपज का अनुमान १६,५८,००० गांठ हैं। जबकि ४६-४७ में १५,२०,००० गांठों की पैदावार हुई थी।

सरकारी अनुमानों के अनुसार १९४८ में हिन्दुस्तान में पटसन की खेती के चेत्र का प्रान्तवार हिसाब इस प्रकार है-

पश्चिमी वंगाल

३,०८,५३५

कूच विहार

३४,६८५

त्रिपुरा	१२,०००
बिहार	१,६३,८००
उडीसा	२२,५००
आसाम	२,९०,३००

कुल ७,४६,१२० पुकड
हिन्दुस्तान में प्रति एकड़ से औसतन १०२७ पाउंड (१६४७-४८)
पटसन पैदा होता है।

दुनिया से पटसन की खपत कम होती जारही है, इसका व्योरा
इस प्रकार है :

वर्ष	खपत (लाख गांठों में)
१६३६-४०	११२.७
१६४०-४१	७६.०
१६४१-४२	८८.१
४२-४३	८८.४
४३-४४	७७.१
४४-४५	७७.१

पटसन को कपड़े में बुनने वाली खड़ियों का अनुपात दुनिया के
भिन्न-भिन्न देशों में १६४० में इस प्रकार था :

देश	खड़ियों की संख्या	दुनिया का प्रतिशत
हिन्दुस्तान	६८,४१६	५७.०
जर्मनी	६,६००	५.०
ब्रिटेन	८,५००	७.१
फ्रांस	७,०००	५.८
दक्षिणी अमरीका	६,०००	५.०
इटली	५,०००	४.१
शेष देश	१५,५४२	१३.०
कुल	१,२०,०७१	१००.०

देश से कच्चे पटसन के निर्यात का इतिहास पिछले कुछ वर्षों से इस प्रकार रहा है :

(००० टन)

सन्	निर्यात
१९३८-३९	६६०.५
४२-४३	२४२.८
४३-४४	१७७.४
४४-४५	१६०.२
४५-४६	३३८.४
४६-४७	२२२.३ (क)

(क) दिसम्बर ४६ तक १९४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं।

कलकत्ता में कच्चे पटसन की कीमतों के मूलांक।

(मूलांक : जुलाई १९१४ की कीमतें = १००)

१९४६	मार्च	१२७	श्रीकृष्णपुर	२०७
	अप्रैल	१२६	नवम्बर	२५३
	मई	१३२	दिसम्बर	२३६
	जून	१३२	जनवरी १९४७	२४६
	जुलाई	१३४	फरवरी	२५०
	अगस्त	१३४	मार्च	२४७
	सितम्बर	१२४		

पटसन (कपड़े व सूत) का उत्पादन व निर्यात

उत्पादन कपड़े व सूत सहित निर्यात

(००० टन)	(टन)
१९३८-३९	१२२१.५
१९४१-४२	१२५८.८

१६४२-४३	१०५२.६	६१६,२८२
४३-४४	६४६.७	६३४,२६६
४४-४५	६७४.०	७०८,१६७
४५-४६	६७३.० (क)	६७६,४३१
४६-४७	१०४२.० (क)	८४१,२२८ (ख)

(क) अनिश्चित (प्रोवियन्स)। (ख) दिसम्बर १६४६ तक। १६४७ के पहले तीन मास के आंकड़े जमा नहीं हैं।

यदि जुलाई १६४४ की कीमतों को मूलांक=१०० मान लें तो पटसन से बनी चीजों की औसत कीमतों के मूलांक इस प्रकार रहे :

१६४६	मार्च	२००	सितम्बर	२००
	अग्रैल	२००	अक्टूबर	२६३
	मह	२००	नवम्बर	३०६
	जून	२००	दिसम्बर	३२०
	जुलाई	२०० १६४७	जनवरी	३४३
	अगस्त	२००	फरवरी	३४४
			मार्च	३३८

देश में कृषि से कम उत्पादन

लीग आफ नेशन्स के प्रकाशन (उद्योगीकरण और विदेशी व्यापार-१६४५) के अनुसार गेहूँ की उपज प्रति हेक्टर (लगभग अद्वाई एकड़) उत्तर पश्चिमी यूरोप में २५ से ३० मेट्रिक-किलोटल (लगभग १ मन १० सेर) पूर्वी यूरोप में ६ से १२, चीन में लगभग ११ और हिन्दुस्तान में केवल ७ किलोटल के करीब होती है। ऐसा देखा गया है कि जिस देश की जनता का जितना अधिक हिस्सा खेतीबारी में लगा है, वहाँ की पैदावार उसी अनुपात में कम है।

कपास को पैदावार तो सुकाबलतन और भी कम है। इंजिन्यर में हर एकड़ से ३५२ पौंड, अमरीका में १४१ पौंड और हिन्दुस्तान में लिये ६८ पौंड कपास पैदा होती है।

पिछले वर्षों में हिन्दुस्तान में चावल की हर एकड़ से उपज कम ही होती गई है जबकि दूसरे देशों से हमकी उपज का अनुभाव बढ़ा, यह इस तालिका में पता चलेगा :

देश	१९०६-०७ २६-२७ से	३१-३२ से	३६-३८ ३७-३८ ३८-३९
	३०-३१	३५-३६	

हिन्दुस्तान

(वर्मा सहित)	१९०२	४५१	४२६	४६१	४२६	७२८
अमरीका	१०००	१३३३	१४१३	१५०५	१४७३	१४६४
जापान	१८२७	२१२४	२०५३	२३३६	२२०५	२२७६
हॉजार्ड	२११६	१८४५	१७६६	२०८३	२००३	२१५३

हर एकड़ से गेट्रे की पैदावार की उपज भी हिन्दुस्तान में सबसे कम है :

हिन्दुस्तान	६३८ पौंड
अमरीका	८४६ "
कैनाडा	६७२ "
आस्ट्रेलिया	७१४ "
यूरोप	१५४६ "
हास्टिंग	११७० "

सिंचार्ड और विजली की नई योजनाएं

हिन्दुस्तान की शास्य श्यामला भूमि आज इतना अनाज नहीं पैदा कर पाती कि उसके ३० करोड़ बच्चों की भूख प्रतिदिन मिट सके। फलस्वरूप सरकार को लगभग ११० करोड़ रुपया व्यय करके प्रति वर्ष अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता है। देश में अन्त उत्पन्न हो सकता है,

बरसात के पानी की कमी नदियों के पानी से पूरी हो सकती है, फिर इस सुजलां भूमि पर कभी भी अकाल क्यों पड़े और अनाज का अभाव क्यों हो ?

प्रकृति से अपना अर्थ पूरा करवाने के उद्देश्य से इस समय कितनी योजनाएं बनी हैं, आगे उनका वर्णन है। पिछले तीन वर्षों में बाहर से अनाज के आयात पर जितना खर्च हुआ है उससे कोसी, दामोदर, महानदी, भकरा और शायद पानी पर बांध बांधने की एक या दो और योजनाएं पूरी हो सकती थीं। इन सब योजनाओं के पूरा होने पर हिन्दुस्तान मे फिर कभी वंगाल-सा दुर्भिक्ष (१९४३) नहीं पड़ सकता। हमारे देश में अन्न की कमी नहीं रहेगी और बहुत मात्रा में विजली की उपज होगी जिससे कल-कारखानां, रेलों और आमीण उद्योगों के विकास वा प्रसार को सहायता मिलेगी।

देश में जलीय साधनों की तो कमी नहीं है लेकिन उनका प्रयोग अब तक बहुत सीमित मात्रा में हुआ है। अनुमान लगाया गया है कि देश की नदियों व स्रोतों में जितना पानी है उसके केवल ६ प्रतिशत राग का अब तक उपयोग किया गया है। जल का अधिकांश केवल व्यर्थ ही नहीं जाता, समुद्र तक पहुंचते-पहुंचते प्रचुर जुकसान भी करता है।

पानी के प्रयोग से देश में इस बक्त लाख 'किलोवाट से अधिक विजली नहीं बन रही। अनुमान लगाया गया है कि हिन्दुस्तान में जलीय साधनों से ४ करोड़ किलोवाट विजली तैयार की जा सकती है।

जो 'योजनाएँ' इस समय देश की केन्द्रीय, प्रान्तीय, व रियासती सरकारों के सामने प्रस्तुत हैं उनके सम्पूर्ण होने पर देश की नहरी सिंचाई के आज के ४ करोड़ ८० लाख एकड़ चौब्बी में २ करोड़ ७० लाख एकड़ की बढ़ि हो जायगी और विजली का उत्पादन ५ लाख किलोवाट से ६५ लाख किलोवाट के लगभग हो जायगा।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सामने निम्न योजनाएँ विचारा-

धीन हैं अथवा इन पर काम शुरू हो गया है (१) उड़ीसा में महानदी वैती योजना (२) नैपाल और विहार में दामोदर वैली और (३) कोसी बांध की योजना (४) बर्बर्ह, मध्यप्रान्त, बहौदा व सौराष्ट्र में नर्मदा, तापी और सरस्वती से सम्बन्धित योजनाएं (५) बस्तर रियासत में इन्द्रावती और सावरी योजनाएं (६) आसाम में बहापुत्र, बरथ और सोमेश्वरी वैती की योजनाएं और (७) विहार, युक्तप्रान्त और रेवा रियासत में सोनवैली योजनाएं।

इनके अतिरिक्त प्रान्तीय वा रियासती सरकारें निम्न योजनाओं पर ध्यान दे रही हैं :

पूर्वी पंजाब : भकरा बांध की योजना।

युक्त प्रान्त : रिंहद बांध की योजना।

नायर बांध की योजना। रामगङ्गा बांध की योजना।

पश्चिमी-धंगाल : भोर योजना।

भद्रास : तुम्भद्रा योजना। रामपद सागर योजना।

कुर्ग : लक्ष्मणतीर्थ योजना। हरझी योजना। बपोले योजना।

पटियाला : ढोची बांध की योजना।

कोटा, मेवाड व इन्दौर की रियासतें : चम्बल योजना।

भकरा बांध की योजना

१. इस योजना से पंजाब के रोहतक व हिमार के बंजर जिलों की २० लाख एकड़ भूमि की सिंचार्ह होगी।

२. सतलज नदी पर भकरा (विलासपुर) पर ४८० फुट ऊंचा बांध बनेगा जो ३५ लाख एकड़ फुट पानी को बांध सकेगा।

३. इससे २०० मील लम्बी नहरे निकाली जायेंगी जो ४५ लाख एकड़ भूमि को प्रभावित कर सकेगा।

४. इस योजना से १,६०,००० किलोवाट विजली पैदा की जा सकेगी।

५. समस्त योजना पर ७० करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

नंगल की योजना

१. भकरा बांध की स्थिति से ८ मील दीचे नंगल की विजली बनाने की योजना बनाई गई है। दो वित्तली-धर बसाए जायेंगे। जो ४८,००० किलोवाट विजली बनाएंगे।

२. भकरा बांध के सम्पूर्ण होने पर विजली उत्पादन की इनकी सामर्थ्य १,४०,००० किलोवाट कर दी जायगी।

३. योजना पर २२ करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है।

दामोदर वैली योजना

१. वंगाल व विहार प्रान्तों में कलकत्ता के उत्तर पश्चिम में दामोदर वैली स्थित है, दामोदर नदी ८५०० वर्ग मील भूमि को प्रभावित कर सकती है।

२. इस योजना से लगभग ८ लाख एकड़ भूमि की सिचाई होगी और साढ़े तीन लाख किलोवाट विजली तैयार होगी।

३. इस योजना से ५० लाख ग्रामीणों व २० लाख शहर में रहने वालों को लाभ पहुंचेगा।

४. इस योजना से हुगली में रानीगंज की कोयले की खानों तक नौकाओं का चलना आसान हो जायगा।

५. योजना को कार्यान्वित करने के लिए दामोदर वैली कारपोरेशन का निर्माण हुआ है। वंगाल, विहार व केन्द्र की सरकारें इसकी हिस्सादार बनी हैं।

६. समस्त योजना में पानी को बांधने के लिए ८ बांध बनाए जायेंगे।

७. इस योजना से वंगाल व विहार दोनों लाभ ढायेगे। विशेषतया चिनाशुकारी बाड़ों का खतरा सदा के लिए ठक्कर जायगा।

८. जो भिन्न-भिन्न बांध बंधेंगे उनमें ३५ लाख ६६ हजार एकड़ फोट पानी जमा हो सकेगा।

९. दामोदर नदी इस वक्त बर्द्धवान जिले में वे बजे १,८६,०००

एकड़ भूमि की सिंचाई करती है। योजना पूरी हो जाने के बाद बर्दुवाल घांडुडा, हुगली और हावड़ा जिलों की ७,६३,८०० एकड़ भूमि की सिंचाई सम्भव होगी। अब तक इस प्रदेश में साल में एक बार ही कृषि होती है। योजना के बाद दो खेतियां सम्भव होंगी।

१० योजना पर लगभग २५ करोड़ रुपया च्यव होगा—इसमें से ८८ करोड़ विजली की उत्पत्ति पर, १३ करोड़ सिंचाई के प्रबन्धों पर और १४ करोड़ बाढ़ रोकने के साधनों पर लगेगे।

मोर बांध की योजना

१. विहार के सन्थाल परगना प्रदेश में मोर दरिया पर एक बड़ा बांध बांधा जायगा।

२. बंगाल में नूरी दरिया पर भी बांध बनेगा, और द्वारका, ब्रह्मनी, वक्के श्वर और कोपाई—इन छोटे-छोटे दरियाओं को इस बांध से सम्बन्धित करेगा। इनसे जो नहरे निकाली जायेंगी वह वीरभूम जिले के ६ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करेंगी।

३. मोर बांध के अन्तर्गत इन दोनों बांधों के पूरा होने पर ३,००० किलोवाट विजली बनाने वाला एक छोटा विजली-घर भी बनाया जायगा।

४. इस योजना से मुख्यतया बंगाल को ही लाभ पहुंचेगा लेकिन योजना का मुख्य बांध विहार में बनेगा। योजना के २ भाग है, पहला भाग जो विहार में पूरा होगा, दूसरा जो बंगाल में बनेगा।

५. बंगाल में बनने वाले भाग पर ४ करोड़ ३८ लाख रुपया खर्च होगा। विहार में बनाए जाने वाले बांध के पूरा होने तक बंगाल की योजना भी पूरे तौर पर नहीं बनेगी। जो हिस्सा विहार में बनेगा उससे १ लाख २० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई और १६ लाख २० हजार मन अधिक चावल की पैदावार होगी।

६. सारी योजना के पूरा होने से बंगाल प्रान्त में ८८ लाख मन चावल की अधिक पैदावार होगी।

कोसी योजना

१. इस योजना पर लगभग ६० करोड़ रुपया खर्च होगा और यह १० वर्ष में पूरी होगी।

२. नैपाल मे छत्रा के मुख पर, बराह-चैत्र स्थान पर, एक ७५० फुट ऊंचा बांध बांधा जायगा।

३. बांध पर विजली बनाने का एक बड़ा कारखाना लगाया जायगा। यह कारखाना १३ लाख किलोवाट विजली तैयार करेगा।

४. कोसी दरिया पर नैपाल मे ही एक और बांध बनाया जायगा।

५. नैपाल विहार की सीमा पर एक दूसरा बांध बनेगा जिसके द्वाहिने किनारे से दो नदरें निकाली जायंगी।

६. कोसी के बंधे पानी से गंगा तक नौकाएं चलाने की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

७. इस समय कोसी में जिसे तीन दरियाओं—सनकोसी, अरुण और तमूर का पानी मिलता है अवसर बाढ़ आती रहती है। इससे हजारों वर्ग मील भूमि व्यर्थ हो जाती है; तबाही के साथ मलेरिया अलग फैलता है। चिहार के दरभंगा, भागलपुर और पुर्निया के जिलों को सब से अधिक हानि उठानी पड़ती है। कोसी योजना के पूरा होने पर बाढ़ें न आ पाएंगी और मलेरिया भी न फैलेगा।

८. नैपाल और विहार की बांधों के कारण व्यर्थ हुई ३००० वर्ग मील भूमि फिर से काम में लाई जा सकेगी।

९. तीस लाख एकड़ से अधिक नई भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

महानदी योजना

१. उडीसा में सम्बलपुर शहर से ६ मील ऊपर हीराकुड़ स्थान पर महानदी दरिया पर एक बांध बनेगा जिससे कि ५० लाख एकड़ फीट पानी जमा किया जा सकेगा।

२. दरिया के दोनों तरफ बांध से दो नहरें निकलेंगी जो कि

११ लाख एकड़ भूमि की सिचाई करेगी। इससे साडे तीन लाख मन खाद्य की अधिक उपज हो सकेगी।

३. विजली के दो कारखाने बनेंगे; एक बांध पर, दूसरा बांध से १२ मील नीचे। यह दोनों ३० किलोवाट विजली तैयार करेंगे।

४. सारी योजना पर ४७^½ करोड़ रुपया खर्च होने की सम्भावना है। पहले ६ या ७ वर्षों में आवश्यक योजना पूरी हो जायगी, इस पर लगभग ३० करोड़ रुपया व्यय होगा।

५. १ करोड़ ६८ हजार एकड़ भूमि की सिचाई सम्भव होगी।

६. सारी योजना की तीन इकाइयां होगी—हीराकुण्ड, टिकरपारा और नरज पर बांधों की योजनाएं। बांधों की तीनों योजनाओं से अलग-अलग नहरे निकलेंगी और तीनों पर अलग-अलग २ विजली घर बनेंगे। सबसे पहले हीराकुण्ड योजना पर काम आरम्भ है।

नर्मदा और ताप्ती नदियों से सम्बन्धित योजनाएं

१. नर्मदा और ताप्ती मे बाढ़े आ जाने से काफी ज्ञति होती रहती है। इसलिए इन पर बांध बांधने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

२. इन योजनाओं से १० लाख एकड़ भूमि की सिचाई हो सकेगी।

३. मध्यप्रान्तमें द ऐसे स्थान देखे गए हैं जहां कि बांधकी योजना पूरी हो सकती है। उन स्थानों की जांच हो रही है।

४. इस योजना में केन्द्र, बम्बई व मध्यप्रान्त की सरकारों के अलावा १५ ऐसी रियासतें, जो हिन्दुस्तान का अंग बन चुकी हैं, सहयोग दे रही हैं।

पशुधन

दुनिया भर में (१९३७-३८ के एक हिसाब के अनुसार) गाय, बैल व भैंसों की संख्या का व्यौरा इस प्रकार है : इसमें हिन्दुस्तान के आंकड़े १९४० के हैं—

गाय बैल	भैंस
(००० जोड़ लैं)	
अफ्रीका	५,११,६२
यूरोप (रूस सहित)	१५,८१,२६
उत्तरी व केन्द्रीय	
अमरीका	६,४४,८६
ओशियाना	१,७८,६८
दक्षिणी अमरीका	१०,३६,६६
एशिया (भारत को छोड़कर)	५,६१,१५
भारत	१६,६१,६६
<hr/>	
जोड़	६५,०६,५२
भारत में पशुओं का अनुपात	२५.५
<hr/>	
७,६४,२१	
६०.६	

दुनिया भर में पशुओं के आंकड़े तैयार करने का कोई विश्वस्त तरीका नहीं बरता जाता, इसलिए इन आंकड़ों का पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रवृत्ति मात्र को जानने के लिए ही यह आंकड़े समुचित होते हैं।

हिन्दुस्तान में पशुओं की संख्या काफी बड़ी है क्षेकिन शाबादी के प्रति १०० व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या दूसरे देशों से काफी कम है। इसका हिसाब इस प्रकार है :

प्रान्त	एक वर्ग मील में गाय-बैल	योग से अनुपात	एक वर्ग मील में भैंस	योग से अनुपात
आसाम	१०८	३.६	१०	१.२
बंगाल	२६२	१३.६	१४	२.३
विहार	१८१	७.६	४२	६.२
बम्बई	६४	४.३	३२	५.३
मध्यप्रान्त व बरार	८८	६.७	१६	४.६
मद्रास	१२६	६.६	४६	१३.२
उडीसा (क)	१३२	२.६	१२	०.८
सीमाप्रान्त	५६	०.५	२०	०.६
पंजाब	६३	५.६	६२	१३.२
सिन्ध	३८	१.१	१३	१.३
युक्तप्रांत (क)	२१८	१४.०	८७	२०.४
रियासतें	६८	२२.६	३५	२४.४
वाकी (क)	३८	८.२	६	६.६
<hr/>				
योग	१०६	३०		

(क) पुरानी गणनाओं के अनुसार अनुमानित आंकड़े ।

देश के पशुधन में तरक्की हो रही है या अवनति, यह जानने के लिए पर्याप्त रूप में आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। अब तक जो पांच पशु-गणनाएं हुई हैं उनमें सब में जिन प्रदेशों में हर बार पशुगणना हुई है वहाँ की पशु संख्या का हिसाब इस प्रकार है :

इन आंकड़ों में देश के केवल ४४ प्रतिशत गाय बैल व ५२ प्रतिशत भैंसों का हिसाब है—लेकिन ये आंकड़े देश में इस ओर की प्रवृत्ति की तरफ इशारा कर सकते हैं :

(००० जोड़ लें १६१६-२० १६२४-२५ १६२९-३० १६३८ १६४०
गाय बैल ६५४२६ ७०४२८ ७४२८ ७७८०१ ७२६४०

१९१६-२० से अनुपात १००	१०३.३	१०७.८	१११.६	१०४.६
भैसे	२०३४४	२११८६	२२८८५	२४६२६
१९१६-२० से अनुपात १००	१०४.१	११२.५	१२२.५	११८.७

देश के पशु बोझ उठाते हैं, दूध देते हैं, खेतीबारी के लिए जोते जाते हैं, अनाज को भूसे से अलग करते और खेतीबारी की उपज को मंडियों तक पहुंचाते हैं। इनके गोवर का चौके चूल्हे व गांवों की झोप-डियों के लेपन में प्रयोग होता है। इनकी खाल, चमड़ी, सीग व खुर सभी से मुनाफे की चीजें बनती हैं। इस तरह देश की कृषि व ग्रामीण जीवन का अधिकांश एक-न-एक तरीके पर आधित है। भारत सरकार के पुराने एनिमल हज़ौड़ा कमिशनर कर्नल सर आर्थर ओल्वर ने अन्दाजा लगाया था कि भारत की आर्थिक व्यवस्था से पशुधन के भाग की कीमत १६०० करोड़ रुपये वापिक की है।

देश में विविध कार्यों के लिए पशुओं का इस प्रकार प्रयोग होता है :

कृषि के लिए	६,६८,४६,०००
शहरों व कस्बों में	
गाडियां खींचने के लिए	११,२०,०००
बोझ उठाने के लिए	७१,०००
तेल की धानियां चलाने के लिए	३,७४,०००

७,१४,११,०००

१९४० से देश में प्रति वर्ष मारे जा रहे जानवरों की संख्या ६६ लाख थी जिसमें ८० प्रतिशत गाय वैल और २० प्रतिशत भैसे थीं।

देश में बच्चा पैदा करने वाली व दूध देने वाली गायों और भैसों की संख्या क्रमशः ४,८९,८८,००० और २,१४,३६,००० है। शहरों में हनका अनुपात क्रमशः केवल ४ और ६ प्रतिशत है। बोकी संख्या गांवों में रहती है।

दूध ढेने वाली गायों और भैंसों की संख्या में १६२० से १६३० व १६४० में क्रमशः ६.०३ प्रतिशत और ५.३० प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इन्हीं वर्षों में देश की आवादी की वृद्धि १६२० से क्रमशः १०.०७ प्रतिशत और २७.२३ प्रतिशत हुई। इस तरह दीस वर्षों में दूध के साधनों में ५.३० और उसकी मांग करने वाले व्यक्तियों की संख्या में २७.२३ प्रतिशत वृद्धि हुई।

देश में दूध की कुल उपज(१६४६)गौओं से २८ करोड़ ६८ लाख मन और भैंसों से ३२ करोड़ ३ लाख मन प्रति वर्ष होती है। देखा गया है कि त्रिय प्रदेश में जानवरों की संख्या जितनी अधिक है वहाँ प्रति पशु से दूध का उत्पादन उतना ही कम है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों व रियासतों में प्रति गाय व भैंस से वार्षिक दूध का हिसाब इस प्रकार है :

प्रान्त (१६४०) गौओं की संख्या प्रति गौ से भैंसों की प्रति भैंस से
(लाखों में) वार्षिक दूध संख्या वार्षिक दूध
(पाड़ंड) (लाखों में) (पाड़ंड)

पंजाब	२२.३	१४४५	२८.६	२३२०
राजपूताना	३८.२	७३०	१६.१	६००
चंगाल	७४.८	४२०	२.०	६६०
मध्यग्रान्त	३४.६	६५	८.६	५४५
मद्रास	५०.०	४५०	२८.७	८००
हैदराबाद	२६.०	१३०	१३.०	८२५
मैसूर	१४.४	२४०	५.४	८६०

प्रति-वर्ष लाखों की तादाद में पशु वीमारियों से मारे जाते हैं। अन्दाज़ा गया लगाया है कि देशको इस कारण से प्रति वर्ष ३ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। वर्ष के अभाव से, चारे की फसल खराब होने पर व विविध प्रदेशों में बाढ़ आ जाने पर मी पर्याप्त संख्या में पशुहानि होती है।

गाय बैलों की कितनी ही नस्ले देश में पाई जाती हैं। प्रदेश अनु-
सार उनमें सुख्य नस्लों का व्योरा इस प्रकार है :

	उत्तरी हिन्दुरतान
हरियाना	दूध प्रति दिन ६ से १२ सेर, वर्ष में २००० से ३००० पाठंड। रोहतक, गुडगाव व हिसार में पाए जाने वाला पशु।
हिसार	इस नस्ल के बैल सन्तानोत्पादन के लिपु- वदिया समझे जाने हैं। गौएं अच्छी मात्रा में दूध देती हैं।
अलन्धर्डी	दक्षिणी हिन्दुस्तान इस नस्ल के बैल वदिया होते हैं। गौओं का दूध कम होता है। मद्रास व मैसूर के कुछ जिलों में पाए जाने वाला पशु।
अमृत सद्गु	सुख्यतः मैसूर में। बहुत वदिया व परिश्रमी बैल। गौएं दूध देने में घटिया।
वगौर	मद्रास के कोइम्बटोर जिले में। पहाड़ी प्रदेशों के लिए वदिया बैल। गौएं घटिया।
दयोनी	हैदराबाद के मध्य में। अच्छी नस्ल। वदिया बैल व अच्छी गांयं।
हल्लीकर	सडक व खेतों में बछुवी काम करने वाले बैल। गौओं का दूध बहुत कम होता है। मैसूर, मद्रास व वस्त्रहृ में पाए जाने वाले पशु।
करयंस	मद्रास के कोइम्बटोर जिले में। वदिया बल, गौएं दो से ढाई सेर दूध देती हैं।
कृष्णा घाटी	हैदराबाद व वैलगाम जिले में कृष्णा व घाट- प्रभा नदियों के किनारे के गांवों में। बैल काम करने में तेज़ होते हैं। गौएं प्रतिदिन २ से ३

सेर दूध देती हैं।

ओंगोल

३५०० पौँड देती हैं।

डांगी

गोर

कांकेज

खिल्लरी

नागोरी

संचोर

।

रठ

खेरीगढ़

सेवाती

योंवर

मद्रास प्रान्त। बैल भारी काम करने के लिए उपयुक्त होते हैं लेकिन तेज नहीं चलते। गौएँ ५ से ६ सेर दूध प्रति दिन देती हैं। वर्ष-भरमें

वम्बई व सौराष्ट्र

इस नस्ल के बैल अच्छे होते हैं लेकिन गौएँ कम दूध देती हैं।

घटिया बैल, गौएँ काफी दूध देने वाली। वर्ष में ३५०० पौँड तक दूध देती हैं।

बैल व गौएँ दोनों बढ़िया। रोज़ का दूध ४ से ५ सेर, वर्ष में ३४०० पाउंड।

बढ़िया बैल। गौएँ घटिया।

राजपूताना

इस नस्ल के बैल बढ़िया गिने जाते हैं और प्रसिद्ध हैं। गांवों में तांगा, रथ आदि खींचते हैं। गौएँ रोज़ का ४ सेर दूध देती हैं।

नागोरी बैलों से कुछ घटिया किस्म के बैल। गौएँ ६ सेर तक प्रति दिन दूध देती हैं।

अलवर

बढ़िया बैलों की बढ़िया नस्ल।

बैल अच्छे, गौएँ कम दूध देने वाली।

मथुरा, अलवर व भरतपुर में पाए जाने वाली नस्ल। अच्छे बैल व अच्छी गौएँ। दूध प्रति दिन ५ सेर।

बढ़िया बैल। गौएँ रोज़ का २ सेर दूध देती हैं।

विहार

बचौर	विहार में वैलों की बढ़िया नस्ल। गौएँ सिर्फ़ १ से २ सेर प्रति दिन दूध देती हैं।
पुनिया	व शाहाबादी नस्लें भी प्रान्त में मिलती हैं।
	मध्य भारत व मध्य प्रान्त
गांओलाओ	चैल अच्छे, गौएँ २ सेर दूध रोज़ देती हैं।
मालवा	हर कांम व जलवायु के लिए बढ़िया वैल। कम खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं।
निमारी	अच्छे चैल। गौएँ १॥ से २ सेर तक दूध देती हैं।

देश में आजकल दूध की उत्पत्ति व उसमें वृद्धि की योजनाएँ

१५ अगस्त १९४७ के बाद हिन्दुस्तान के ६ प्रान्तों में दूध देने वाली गाय व भैंसों की सख्त्या का अनुमान ३,७७,१०,००० लगाया गया है। इस संख्या से दूध की कुल उत्पत्ति ३१ करोड़ ६२ लाख मन ग्रति वर्ष होती है। आजकल की दरों के अनुसार देश में पैदा होने वाले दूध का कुल वार्षिक मूल्य ७०० करोड़ रुपये से अधिक है। लेकिन हर हिन्दुस्तानी का स्वास्थ्य उचित तल पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को प्रतिदिन १ पाठरण दूध अवश्य मिले। इस हिसाब से देश में प्रतिवर्ष १ अरब ३० लाख मन दूध पैदा होना चाहिए। देश के ६ प्रान्तों के लिए एक पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई है जिनसे दूध की उत्पत्ति में निम्न अनुपात से प्रतिवर्ष वृद्धि होती :

प्रांत	आजकल की	पञ्चवर्षीय योजनानुसार वृद्धि
	दूध की उत्पत्ति १ (लाख मन)	२ ३ ४ ५
आसाम	२६ ०.३७	०.६४ १.७० २.७१ ४.०५
उड़ीसा	७५.५ ०.७४	१.८४ ३.४६ ५.४८ ८.०६
पश्चिमी बंगाल	१४३ १.४०	३.८० ६.५७ ११.४२ १६.६२

पूर्वी पंजाब	५२५	२,३७	६,३०	११,६४	१६,१८	२८,२०
बस्तर्ड	१६१	१,६६	४,२६	८,१०	१३,०३	१४,१२
बिहार	४५७	३,९१	१०,१०	१८,८३	३०,००	४३,८८
महाराष्ट्र	५६१	६,४७	१६,७१	३१,१०	४६,८८	७३,४६
मध्यप्रान्त	८७,८	०,६६	२,४८	४,८	७,६५	११,२९
युक्तप्रान्त	११२६	६,६८	२४,६१	४६,१४	७३,६४	१०८,०२
—	—	—	—	—	—	—
जोड़	३१६२	२७,७२	७१,४२	१३२,६४	२१३,०	३१३,१४

प्रसुख नगर

हिन्दुस्तान में पटसन के निर्माण का बड़ा औद्योगिक केन्द्र। बंगाल की सारी पटसन मिलें हुगली के किनारे, कलकत्ते के आसपास बनी हुई हैं। इस नगर में आटे और कागज, दियासलाई, रसायन उद्योग, चावल छुड़ने की मिलें, तेल निकालने की मिलें, लौहा ढालने के उद्योग और चमड़े की पिटाई के उद्योग स्थित हैं। कलकत्ते से ही विदेशों को चाय का अधिकांश निर्यात होता है और साबुन, सुगन्धि, स्नान के सामान, एनामल और चीनी के बर्तन, शीशों का सामान, सींग और सेलुलायड की चीजें, गत्ते के बक्से और टीन के डिब्बे, टोप, वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार होता है।

जबकि पटसन के उद्योग में लगी पूंजी का अधिकांश हिन्दुस्तानी है, पटसन की ज्यादातर मिलों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथों में है।

बम्बई जहाँ कलकत्ते की विशिष्टता वहाँ पटयन के उद्योग का एकाधिकार है, बम्बई की विशिष्टता सूती कपड़े के कारखाने और वस्त्र व्यापार है। इनके अतिरिक्त सूत बनाने, कोरे कपडे को खारने और लोनवाला और आनंद घैली के विजली बनाने के बड़े कारखाने भी बम्बई में स्थित हैं। सब तरह के वस्त्र आयात की विक्री की सबसे बड़ी मंडी बम्बई ही है। कपडे के उद्योग में लगी प्रायः सारी पूँजी ही हिन्दुस्तानी है। तेल वीजों की एक बड़ी मंडी बम्बई में है और तेल निकालने और साफ करने की बड़ी मिले भी यहाँ हैं। खल्ल (शायल केक्स) प्रचुर मात्रा में इंगलैंड भेजी जाती है।

मद्रास औद्योगिक दृष्टि से मद्रास का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी हिन्दुस्तान की दो बड़ी सूती कपड़े की मिले यहाँ हैं। मद्रास से मूँगफली, तम्बाकू और पिटाई की हुई चमड़ी का निर्यात प्रचुर मात्रा में होता है।

कानपुर औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से कानपुर का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विदेशों से आये हुए कपड़े और लोहे के सामान की, चमड़े, चमड़े के सामान, गर्म, सूती कपड़े और तम्बुओं की यहाँ बड़ी मंडी है। यहाँ आटे की, तेल की व रसायन की मिलें हैं और छोटे परिमाण में कितने ही उद्योग धन्धे चल रहे हैं।

दिल्ली सूती, रेशमी और गर्म कपड़े की पंजाब और युक्तप्रान्त के लिए सबसे बड़ी मंडी। दिल्ली व रेलवे लाइनों का जंकशन है। यहाँ सूत कातने व कपड़ा बुनने की, विस्कुट की और आटे की बड़ी मिलें हैं। हाथी दांत का, सोने चांदी के आभूषणों का, फीतों का, मट्टी के बर्तनों का और कसीदा काढ़ने का यह पुराना केन्द्र है।

अहमदाबाद सूत और सूत के कपड़े के निर्माण में वस्त्रद्वारा के बाद अहमदाबाद का स्थान है। व्यापार की दृष्टि से भी वस्त्रद्वारा के बाद अहमदाबाद की मंडियों का ही महत्व है।

अमृतसर व्यापार की दृष्टि से अमृतसर का बड़ा महत्व है, सर्वाधिक व्यापार सूती, रेशमी और गर्म कपड़े का होता है। यह काश्मीर के उपज की भी बड़ी मंडी है, शाल-दुशाले यहाँ से सारे हिन्दुस्तान में जाते हैं। अमृतसर में अनाज की एक बड़ी मंडी है और (झाजिर और मिति के) सट्टों के चैम्बरों में व्यापार होता है। यहाँ रेलवे की एक बड़ी चर्कशाप रेलवे व फौजी जरूरत का सामान तैयार करती है।

आगरा चमड़े और चमड़े के सामान का व्यापार, कालीन और दरियाँ, कसीदाकारी और पथर का काम आगरा से बहुतायत से होता है।

आसन्सोल हिन्दुस्तान में कोयले के उद्योग का एक प्रमुख नगर।

बंगलोर अपने कालीन, सूती, रेशमी व गर्म कपड़े व चमड़े के सामान के लिए बंगलोर (मैसूर की राजधानी) सुप्रसिद्ध है। यहाँ साढ़ुन, चीनी के वर्तन, लाख, लकड़ी के सामान व सफेद सुरमा बनते हैं और सिगरटों का एक बड़ा कारखाना लगा है।

बनारस अपने रेशमी व जरी के कपड़ों के लिए बनारस प्रसिद्ध है। देशी ढंग से बढ़िया तम्बाकू व इत्र तेल तथ्यार किए जाते हैं।

लखनऊ औद्योगिक दृष्टि से लखनऊ का अधिक महत्व नहीं कोकिन पचून बिक्री की यह एक अच्छी मंडी है। इसके अलावा कृषि की उपज की यह

एक थोक मंडी हैं ।

नागपुर

अधिक हो जाता है । यहां के सन्तरे हिन्दुस्तान-भर में बिकते हैं ।

नव्वलपुर

यहां कपड़ा बनाने की, कपास को साफ करने व गांठे बांधने की मिलते हैं । और नज़दीक की मैगनीज़ की खानों के कारण इसका महत्व

मिर्जापुर

कारण है ।

मदुरा

मद्रास ग्रान्ट के सूती व रेशमी कपड़े के निर्माण व रंगाई का बड़ा केन्द्र ।

चिजगापट्टम

दोता है ।

लश्कर (च्वालियर)

विजगापट्टम विशेष रूप से विदेशों को निर्यात के लिए ही प्रसिद्ध है । मैगनीज़, हरड़, मूँग-फली, 'लंका' और 'पोथी' तम्बाकू का निर्यात

पर होता है ।

श्रीनगर (काश्मीर)

पत्थर की खान और पत्थर के कामके लिए यह नगर विख्यात है । यहां तम्बाकू की खेती और बीड़ियों का निर्माण बड़े पर्याप्त

कपड़े व ऊन की सारे हिन्दुस्तान में मांग है ।

बद्योग के लिए श्रीनगर (काश्मीर) में कच्चा सामान बहुत मात्रा में

रेशमी और रेशमी वस्त्र, शालों पर कसीदा-श्रीनगर (काश्मीर) कारी और लकड़ी व चांदी पर काम के लिए श्रीनगर सुविख्यात है । यहां के फल, गर्मी

कपड़े व ऊन की सारे हिन्दुस्तान में मांग है ।

बद्योग के लिए श्रीनगर (काश्मीर) में कच्चा सामान बहुत मात्रा में

मिल सकता है, लेकिन उपयुक्त योजनाओं की अनुपस्थिति में यह रियासत अब तक पिछड़ी हुई है।

राजपूताना का प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र, यहाँ पर मट्टी व, चांदी व सोने के बर्तनों पर सुन्दर काम होता है। जयपुर असली पत्थरों के व्यापार के लिए भी मशहूर है।

चन्दन का तेल, हाथीदांत और चन्दन की लकड़ी पर काम और धूप आगरबत्ती के निर्माण में मैसूर का महत्वपूर्ण स्थान है।

अखिल भारतीय व्यापारिक संस्थाएं

**एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स
आफ इंडिया (कलकत्ता)**

हिन्दुस्तान में व्यापार करने वाली विदेशी संस्थाओं की संस्कृति संस्था। D.H. जनवरी १९२० को कलकत्ता में इसका संस्थापन किया गया। उद्देश्य : हिन्द में व्यापार, उद्योग-धन्धों व निर्माण की रक्षा और उन्नति। इस संस्थामें निम्न स्थानोंकी व्यापार संस्थाएं सम्मिलित हुईः बंगाल, चम्बई, बर्मा, कालीकट, चटगाँव, कोकोनाडम, कोचीन, कोइ-म्बटोर, कराची, मद्रास, नारायणगंज, नार्दर्न इंडिया, पंजाब, अपर इंडिया ट्र्यूटीकोरिन।

१९३२ में लंका की व्यापार-संस्था इससे अलहड़ा हो गई। १९२० में इंडियन कम्पनीज एकट की २६ बर्च भारा के अनुसार संस्था की रजिस्ट्री हुई।

इस संस्था के १९२६ तक प्रति वर्ष कलकत्ता, बम्बई अथवा कानपुर में जलसे होते रहे। १९३० से वार्षिक जलसा केवल कलकत्ता में ही हुआ। प्रायः हिन्दुस्तान के बाह्यसराय के सभापतित्व में ही ये वार्षिक सम्मेलन होते थे और उनका भाषण इस अवसर पर राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुआ करता था। सम्मेलन में देश की विविध समस्याओं पर प्रस्ताव पास किये जाते थे जिन्हें विचार के लिए सरकार की बेज दिया जाता था।
।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री .

भारत में व्यापार करने वाली देशी संस्थाओं की संस्की संस्था। संस्थापन : १९२६। उद्देश्य : भारतीय व्यापार व उद्योग को प्रगति और प्रेरणा, व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन और प्रचार, देशी व्यापार के हितों के विरोधी जो कानून बनें उनका विरोध करना।

आल इंडिया आर्गनिजेशन आफ इंडस्ट्रियल एम्प्लायर्स (कानपुर)

संस्थापन : १२ दिसम्बर १९३२। फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स से सम्बन्धित। उद्देश्य : औद्योगिक उन्नति को प्रेरणा, देश व विदेश में आवश्यक अवसरों पर पूँजीपतियों का प्रतिनिधित्व; उद्योग-धन्धों में लगे मनदूरों की दशा को एक-सा रखने का यत्न। दफ्तर : कलाक टावर, कानपुर।

इंडियन नेशनल कमेटी आफ दी इन्टरनैशनल चैम्बर आफ कामर्स (कानपुर)

पेरिस (फ्रान्स) की एक संस्था—इन्टरनैशनल चैम्बर आफ कामर्स की शाखा। उद्देश्य : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाएँ दिखाना, देश-विदेश के व्यापारियों में सम्बन्ध बनाना और उन्हें बढ़ाना।

फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स से सम्बन्धित। दफ्तर : कलाक टावर, कानपुर।

इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स (कलकत्ता)

संस्थापन : १६२६। उद्देश्य देशी व्यापार को सब प्रकार की सहायता पहुंचाना यह संस्था देश में बनी वस्तुओं को निर्यात के लिए साही पत्र (सार्टिफिकेट) देती है।

हिन्दुस्तान में चीनी बनाने वाली मिलों की, कोयले की खानों के हिन्दुस्तानी मालिकों की ओर पटसन की गाँठें बांधने की संस्थाएं इससे सम्बन्धित हैं।

इंडियन कालिलयरी ओनर्स ऐसोसियेशन

(कलकत्ता)

संस्थापन : १६३३। कोयले की उत्पत्ति से सम्बन्धित व्यापार व उद्योग को सहायता। मुख्य दफ्तर: मरिया। शाखा—कलकत्ता।

इंडियन जूट मिलज ऐसोसियेशन (कलकत्ता)

१८८४ में इस संस्था का आयोजन हुआ। १६०२ में इसके नियम उपनियम विस्तार से बनाये गए। उन्हें १६३० में दुहराया गया; १६३१ में इसकी इंडियन ट्रैड़स यूनियन ऐकट के अनुसार रजिस्ट्री हुई।

पटसन से सम्बन्धित समस्त कृषि, उद्योग, निर्माण, निर्यात, हित-रक्षा का उद्देश्य।

ईस्ट इंडिया काटन ऐसोसियेशन लिमिटेड (बम्बई)

संस्थापन : १६२१। उद्देश्य : बम्बई व हिन्दुस्तान के दूसरे शहरों में रहे के व्यापार की वृद्धि; रहे के सौदों के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण; रहे के सम्बन्धी हितों की रक्षा व सूचनाओं का संकलन, रहे के व्यापार को उत्तेजना।

इंडियन टी ऐसोसियेशन कलकत्ता

संस्थापन : १८८१। उद्देश्य : भारतमें चाय की कृषि से सम्बन्धित हितों की रक्षा। शुरुआत के दिनों में एक लाख एकड़ के लगभग भूमि पर चाय की कृषि करने वाले इसके सदस्य थे, १६३४ में यह संख्या

सबा चार लाख एकड़ भूमि पर चाय की कृषि करने वालों तक पहुंच गई।

१६३० से हस संस्था ने सदस्यों को खेती के बारे में वैज्ञानिक परामर्श देने का प्रबन्ध भी किया।

इंडियन सेंट्रल काटन कमेटी

यह संस्था भारत सरकार द्वारा ३१ मार्च १६२१ को मनोनीत की गई। उद्देश्य : रुई के व्यापार, कृषि, उद्योग से सम्बन्धित प्रश्नों पर सरकार को मन्त्रणा देना। वस्त्रहीन, मद्रास, पंजाब, बंगाल, युक्त व मध्य प्रान्त की प्रान्तीय सरकारों को संस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। १८२३ के इंडियन काटन सेल्स ऐकट के अनुसार इस संस्था को कानूनी तौर पर स्थायी घोषित कर दिया गया और हसका विधान बना दिया गया। केन्द्रीय प्रान्तीय व स्थानीय सरकारे इसी संस्था से रुई सम्बन्धी सब प्रकार का मशवरा लेती है।

इंडियन माइर्निंग ऐसोसियेशन (कलकत्ता)

संस्थापन १८६२। हिन्दुस्तान के खनिज उद्योग के हितों की सब तरह सहायता व रक्षा करना इसका उद्देश्य है।

सदस्यों की संख्या : ग्राहक में १३, १६२४ में १५६, फिर व्यापारिक मन्दे के कारण १६३४ में ६०।

इंडियन माइर्निंग फेडरेशन (कलकत्ता)

संस्थापन : मार्च १६२३। बंगाल, बिहार, उडीसा व मध्यप्रान्त में कोयले की खानों में लगी हिन्दुस्तानी पूँजी की प्रतिनिधि संस्था। प्रायः सभी हिन्दुस्तानी कोयलों की खानों के मालिक इस संस्था के सदस्य हैं।

एक शाखा करिया में है।

समय-समय पर इस संस्था की ओर से कोयले के व्यापार और यातायात की अवस्था पर आंकड़े प्रकाशित हुआ करते हैं।

माइनिंग एंड जीओलाजिकल इंस्टिट्यूट आफ इंडिया (कलकत्ता)

संस्थापन १९०६। उद्देश्य : हिन्दुस्तान में खनिज उद्योग, भूगम्ब विद्या, धातु विद्या और इंजीनियरिंग की शिक्षा का प्रचार; खनिज उद्योग सम्बन्धी वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और सूचनाओं का संकलन। संस्था के सम्मेलनों में खोजपूर्ण निवन्ध पढ़े जाते हैं; खानों का निरीचण किया जाता है। धनवाद के इंडियन स्कूल आफ माइन्स में संस्था की ओर से एक विशेष पुस्तकालय आयोजित है।

वाइन, स्पिरिट एंड बीयर एसोसियेशन आफ इंडिया (कलकत्ता),

संस्थापन : १८६२। हिन्दुस्तान में सब तरह की शराबों का व्यापार व आयात करने वालों की संस्था। उद्देश्य : एक्साहज़ के कानूनों पर नज़र रखना, शराब के व्यापार व आयात में लगे लोगों के हितों की रक्षा।

प्रान्तीय व स्थानीय व्यापारिक संस्थाएं बंगाल चेम्बर्स आफ कामर्स (कलकत्ता)

१९३४ में संस्थापित। १८५१ में इसका आयोजन फिर नए सिरे से किया गया।

रायल एक्सचेन्ज की स्थापना १८६३ में हसी चैम्बर के अन्तर्गत हुई; हसी वर्ष इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अनुसार चैम्बर की रजिस्ट्री हुई। कलकत्ते के विदेशी व्यापारियों की प्रतिनिधि संस्था।

विदेशी निर्यात के लिए चैम्बर नपाई तुलाई का प्रामाणिक पत्र भी देता है। व्यापार सम्बन्धी झगड़ों के निपटारे किए जाते हैं।

बंगाल नशनल चैम्बर आफ कामर्स (कलकत्ता)

बंगाल की देशी व्यापार की सबसे पुरानी संस्था; संस्थापित १८८७ उद्देश्य : बंगाल में व्यापार व उद्योग-धर्मों की उन्नति व उन्हें

सहायता; व्यापारियों के विचार अधिकारियों तक पहुँचाना। बंगल में बैंकों, बीमा कम्पनियों, जहाजरानी की कम्पनियों, रुद्द के उद्योग-धन्यों के अधिकांश जा हसी संस्था में प्रतिनिधित्व है।

मारवाड़ी चैम्बर आफ कामर्स (कलकत्ता)

समस्त भारत के, मुख्यतया कलकत्ता के, व्यापार, उद्योग और निर्माण धन्दे के विकास व रक्षा के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना १९०० में हुई। व्यापार सम्बन्धी और दूसरे सार्वजनिक प्रश्नों पर इस संस्था से सरकार मन्त्रणा लेती रहती है।

मुस्लिम चैम्बर आफ कामर्स (कलकत्ता)

संस्थापन : १९३२। केवल मुसलमानों के व्यापार व उद्योग में दिलचस्पी।

मुस्लिम चैम्बर आफ कामर्स, विहार एंड डड़ीसा (पटना)

संस्थापन : १९२६। शायात, निर्यात व निर्माण के आंकड़े प्रकाशित करने वाली लद्ध-प्रतिष्ठ संस्था। इसका नाम हुलाई का महकमा विशिष्ट मान्यता रखता है। यह संस्था व्यापारिक झगड़ों को मिटाने के लिए विख्यात है।

इसके सदस्यों में साधारण व्यापार में लगी संस्थाओं के अतिरिक्त बैंकों, जहाजरानी के प्रतिनिधियों, बकीलों, रेलवे कम्पनियों, इंजीनियरिंग और ठेकेदारों के नाम उल्लेखनीय हैं।

महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स (बम्बई)

महाराष्ट्र स्थित व्यापारियों और औद्योगिकों की पारिस्परिक सम्बन्ध बनाने वाली संस्था।

मद्रास चैम्बर आफ कामर्स (मद्रास)

संस्थापन : १९३६। कोचीन कालीकट, और कोकोनाड की व्यापार संस्थाएं इससे सम्बन्धित हैं। यह संस्था स्वयं ब्रिटिश हस्पीरियल कौसिल आफ कामर्स (लंदन) से सम्बन्धित है।

उद्देश्य : व्यापारिक झगड़ों का निपटारा, दरों में कमी-घटती की

सूचनाओं का पात्रिक प्रकाशन, आने-जाने वाले जहाजों के स्थान, सामर्थ्य (टनेज) की सूचना। विलायती नाम बगैरह रखकर काम करने वाले देशी दफ्तरों के प्रार्थनापत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता। भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापारों के लिए भिन्न-भिन्न उप-समितियाँ हैं।

बिहार एंड उड़ीसा चैम्बर आफ कामस॑ (पटना)

इस प्रान्त के व्यापार व उद्योग-धन्धों को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई।

उड़ीसा चैम्बर आफ कामस॑ (कटक)

प्रान्तीय व्यापार की सहायतार्थ संस्थापित।

सदर्न इंडिया चैम्बर आफ कामस॑

संस्थापन : १६०६। मद्रास शहर व मद्रास प्रान्त के उत्तरी प्रदेश के जिलों के देशी व्यापार, उद्योग-धन्धों व वैकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था।

कोकोनाड चैम्बर आफ कामस॑

१८६८ में संस्थापित। मद्रास प्रान्त के उत्तर पूर्वीय प्रदेश में और गोदावरी, किस्तना, विजगापट्टम और गंगम के इलाकों में व्यापार करने वाले विदेशियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था।

गोदावरी चैम्बर आफ कामस॑ (कोकोनाडा)

संस्थापन : १६०६। ट्र्यूटीकोरन व पहोली प्रदेश में व्यापार करने वाले विदेशियों की संस्था। यह संस्था इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में आयात-निर्यात के आंकड़े व व्यापारिक सूचना प्रकाशित किया करती है।

कोचीन चैम्बर आफ कामस॑

कोचीन के विदेशी व्यापार के हितों को रक्षा के उद्देश्य से बनी संस्था।

संस्थापन : १८५७। ऐसोसियेटड चैम्बर आफ कामस॑ आफ

इंडिया से सम्बन्धित। हर वर्ष कोचीन और मालाबाद तट के व्यापार के सम्बन्ध में आंकड़े प्रकाशित करती है।

कालीकट चैम्बर आफ कामस

कालीकट के बन्दरगाह के व्यापार की उन्नति व उसकी रक्ता के लिए १९२३ में बनी संस्था।

तेल्लीचरी चैम्बर आफ कामस

तेल्लीचरी में व्यापार करने वाली देशी व विदेशी व्यापारियों की सांस्की संस्था।

नेगापट्टम चैम्बर आफ कामस

नेगापट्टम के व्यापार के संबंधन और रक्ता के उद्देश्य से १९३१ में बनी संस्था। कार्यक्रम : झगड़े निपटाना, इंड मार्क रजिस्टर करना, दलालों को साज़ी पत्र देना।

कोइम्बोर चैम्बर आफ कामस

संस्थापन : १९२२। उद्देश्य : कोइम्बोर नगर व ज़िले के व्यापार की उन्नति के विचार से प्रासङ्गिक आंकड़े इकट्ठे करना, झगड़े निपटाना।

मैसूर चैम्बर आफ कामस (बंगलौर)

संस्थापन : १९१५। उद्देश्य : दूसरी व्यापार संस्थाओं की तरह मैसूर रियासत के व्यापार की रक्ता व उन्नति के विचार से संयोजित संस्था। इस संस्था द्वारा दिये गए किसी भी वस्तु के निर्माण स्थान के साज़ीपत्र को भारत सरकार स्वीकार करती है।

नागपुर चैम्बर आफ कामस

संस्थापन : १९३३। नागपुर के व्यापारियों व औद्योगिकों की सांस्की व्यापार संस्था।

वरार चैम्बर आफ कामस

वरार के देशी व्यापार की अकोला स्थित प्रतिनिधि संस्था।
संस्थापन : १९३३।

अपर इंडिया चैम्बर आफ कामर्स (कानपुर)

संस्थापन : १८८८ । युक्तप्रान्त के व्यापार व उद्योग की रक्षणी संस्था । सदस्यों में प्रान्त के रेलवे कम्पनी, प्रमुख बैंक व प्रायः सभी घड़े-घड़े उद्योग-धनधे हैं ।

चैम्बर आफ कामर्स आफ दि विटिश इन्पायर (लंदन), लंदन चैम्बर आफ कामर्स इन्कारपोरेटिड (लंदन), इंटरेशनल फैडरेशन आफ मास्टर काटन स्पन्नर्स पूंड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन्स (मान्चेस्टर) से सम्बन्धित संस्था ।

यह संस्था एसोसियेटिड चैम्बर आफ कामर्स आफ इंडिया (कलकत्ता) व एम्प्लायर्स फैडरेशन आफ इंडिया की भी सदस्य है ।

व्यापार सम्बन्धी आंकडे इस संस्था के दफ्तर से प्राप्त हो सकते हैं ।

यूनाइटिड प्राविन्सेज चैम्बर आफ कामर्स (कानपुर)

संस्थापन : १८१४ । युक्तप्रान्त के देशी व्यापार की मान्य प्रतिनिधि संस्था । इन्टरेशनल चैम्बर आफ कामर्स (पेरिस) की सदस्य ।

मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ यूनाइटिड प्राविन्सेज (कानपुर)

संस्थापन : १८३२ । युक्तप्रान्त के व्यापार व उद्योग हितों की रक्षा के लिए आयोजित । व्यापार और उद्योग के आंकडे इकट्ठे करती व हृन्दे हर महीने अपनी अंग्रेजी व हिन्दी की पत्रिकाओं में छापती है ।

पंजाब चैम्बर आफ कामर्स (दिल्ली)

संस्थापन : १८०५ । शाखा अस्त्राजर । पंजाब व काश्मीर के व्यापार की हित रक्षणी संस्था ।

क्रय-विक्रय की संस्थाएं

कलकत्ता ट्रेड एसोसिएशन

संस्थापन : १८३० । इसकी रजिस्ट्री १८८२ में हुई । उद्देश्य : कलकत्ता में व्यापार कर रहे लोगों में भाँचारे का प्रचार करना,

आवश्यक और प्रासंगिक आंकड़े इकट्ठे करना, कलकत्ते के व्यापार से सम्बन्धित सब प्रश्नों पर ध्यान देना। कलकत्ते में व्यापार करने वाले दृकानदार ही सदस्य बन सकते हैं।

कलकत्ता इम्पोर्ट ट्रॉड एसोसिएशन

संस्थापन : १८६०। कलकत्ते में विदेशी को निर्यात करने वालों की संस्था। उद्देश्य : आंकड़े एकत्रित करना, निर्यात खुंगी पर ध्यान रखना, भौदों को नियमित करना। निर्यात करने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा में यह संस्था सुलभ रहती है।

बम्बई प्रेसिडेंसी ट्रॉड्स एसोसिएशन

संस्थापन : १८०२। बम्बई प्रान्त के व्यापारियों की संस्था। व्यापारियों के ऋण वसूल करती है; दीवालिया होने पर उनकी संरचक बनती है, व्यापारियों से सम्बन्धित कानूनों पर ध्यान देती है, आवश्यकता होने पर सरकार से उनके विषय में पत्र व्यवहार करती है।

मद्रास ट्रॉड्स एसोसिएशन

संस्थापन १८५६। मद्रास के व्यापारियों की हित रक्षणी संस्था। व्यापार के लिए उपयुक्त समय की नियुक्ति, व्यापार विरोधी कानूनों का विरोध, अपने सदस्यों से लेन देन करने वालों की परिस्थिति से पूर्ण परिचय रखना इसके उद्देश्य है।

दूसरी व्यापार संस्थाएं

मारवाड़ी एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित : १८६८। मारवाड़ीयों के सामाजिक, नैतिक, धौद्विक व व्यापारिक हितों की संरक्षणी संस्था। कलकत्ता व भारत के दूसरे नगरों में काम करने वाले सभी नामी मारवाड़ी व्यापारी इसके सदस्य हैं।

चैन्नैकट एंड ट्रॉड्स एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित : १८३३। कम्बल, शाल, व उनी दरियों के व्यापार

आदि के हित की प्रतिनिधि संस्था। मारवाड़ी चैम्बर आफ कामर्स से सम्बन्धित।

कलकत्ता ब्रेन, आयल-सीड एंड राइस एसोसिएशन
संस्थापित : १८८४। सब तरहके अनाज व तैजवीज के व्यापारियों की संस्था।

कलकत्ता हाइड्रस एंड स्किन्स शिप्पर्स एसोसिएशन
संस्थापित : १८९६। खाल व घमडी के निर्यात के व्यापार में संलग्न व्यापारियों की संस्था। इस व्यापार के सम्बन्ध में वैज्ञानिक सहायता भी देती है।

इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन (कलकत्ता)
संस्थापित १९०६। उद्देश्य : धातु सम्बन्धी उद्योग-धन्धों की रक्षा, मशीनरी आदि के निर्माण व व्यापार की रक्षा, विकास व संवर्धन।

बंगाल चैम्बर आफ कामर्स से सम्बन्धित।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (कलकत्ता)
संस्थापित १९३२। उद्देश्य : भारत में चीनी के निर्माण के उद्योग को सहायता और इसका विकास; प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत करना। इस संस्था ने १९३५ में इंडियन शुगर मार्किंग बोर्ड की स्थापना की।

उद्देश्य : भिन्न-भिन्न स्थानों पर चीनी की विक्री का सम्यग् आयोजन।

कलकत्ता जूट कैब्रिक्स शिप्पर्स एसोसिएशन
संस्थापित : १८८८। उद्देश्य : पटसन के बने सामान के निर्यात में संलग्न व्यापारियों को इकट्ठा करना; आंकड़े एकत्रित करना, सौदों के नियम बनाना इत्यादि।

इंडियन टी सेल्स कमेटी (कलकत्ता)
सन् १९०३ के ६ वें एकट के अनुसार संयोजित संस्था। यह भारत में चाय के प्रयोग के प्रचार के लिए बनाई गई। चाय के निर्यात पर

जगाई गई चुन्नी से इकट्ठे धन का प्रयोग इस प्रचारार्थ होता है। भारतीय चाय का प्रचार हिन्दुस्तान, अमरीका और इंगलैण्ड में भी किया जाता है।

चाय के बगीचों के मालिक इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं।

आब दूसका नाम इंडियन टी मार्केट एक्सपैशन बोर्ड कर दिया गया है।

बम्बई मिल्स ओनसॉ एसोसियेशन

संस्थापन : १८७५। भाष, पानी और विजली की ताकतों को दृस्तेमाल करने वाले उद्योगों की हित रक्षणी संस्था। सदस्य: सूती कपड़े की मिलें, गर्म कपड़े की मिलें, रेशमी कपड़े की मिलें रुद्दे को छुनने व गांठे बांधने की मिलें।

प्रति वर्ष एक ब्रह्मद्वय प्रकाशित किया जाता है जिसमें हिन्दुस्तान भर की सूती कपड़े की मिलों का नाम, उनकी पूँजी, खड़ियों व मजदूरों की संख्या, यह सूचना कि वह कितनी सूई की खपत करती हैं, कपड़े व सूतके आयात नियर्तके आंकड़े दर्ज रहते हैं। सदस्य-मिलों द्वारा निर्मित कपड़े व सूत के पार्श्विक दर ज्ञापे जाते हैं।

बम्बई पीस गुड्हस नेटिव मर्चेन्ट्स एसोसियेशन

संस्थापित : १८८१। बम्बई के कपड़े के व्यापारियों की हित रक्षणी संस्था। **उद्देश्य :** सदस्यों के कागड़ों का निपटारा और व्यापारिक हितों की रक्षा।

येन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (बम्बई)

संस्थापित : १८६६। **उद्देश्य :** अनाज सम्बन्धी योक व्यापार के हितों की रक्षा।

अहमदाबाद मिल ओनसॉ एसोसिएशन

संस्थापित : १८६१। गुजरात, काढियावाड में विजली वगैरह का प्रयोग करने वाले उद्योगों की संस्था। सदस्यों में सूत व कपड़ा बनाने

वाली मिलें, बिजली बनाने वाली मिलें, रसायन और औषधियाँ बनाने वाली मिलें और लोहा ढालने वाली मिलें हैं।

नेटिव शेयर एंड स्टाक ब्रोकर्स एसोसिएशन (बम्बई)

कम्पनियों के हिस्सों में व्यापार व दलाली करने करवाने वालों की हितरचिणी संस्था।

बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसिएशन

संस्थापन : १९१८। कम्पनियों के हिस्सेदारों व उनमें पूँजी लगाने वालों के हितों की संस्था। ग्रासिंग क सूचना व आंकड़े प्रकाशित करती है।

सीड ट्रॉडर्स एसोसियशन (बम्बई)

भारत में डप्टे बीलों के व्यापार की संस्था।

उद्देश्य : सौदों के नियमों के उद्देश्य बनाना, खगड़े निपटाना।

सदस्य : व्यापारी व दलाल।

बम्बई श्रॉफ एसोसिएशन

संस्थापन : १९१०। उद्देश्य : आढ़तियों के व्यापार सम्बन्धी कायदे कानून बनाना, हुँडियों के सम्बन्ध में नियम, खगड़े निपटाना। इसने व्यापार सम्बन्धी एक पुस्तकालय भी खोला हुआ है। और देश में एक-सम हुँडी व्यापार के लिए हुँडियों के फार्मों का प्रचार करती है।

बम्बई बुलियन एक्चेंज लिमिटेड

संस्थापन : १९२३। बम्बई के सोना चांदी के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से बनी संस्था।

इंडियन शुगर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (कानपुर)

संस्थापन : १९१२। चीनी के उद्योगों के हितों की रक्षणी संस्था। भारत में सफेद चीनी बनाने वाले प्रायः सभी मिल-मालिक इसके सदस्य हैं।

सदर्न इंडिया स्किन एण्ड हाईड मैचेन्ट्स एसोसिएशन (मद्रास)

मद्रास प्रान्त में खाल व चमड़ी के व्यापार की हितरचिणी संस्था।

बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन (कलकत्ता)

संस्थापित : १६०० । बंगाल के भूस्वामियों की संस्था ।

एम्बलाइर्स फेडरेशन आफ सदर्न इंडिया (मद्रास)

संस्थापन : १६२० । **उद्देश्य :** मजदूर रखने वालों और मजदूरों में वेहतर सम्बन्ध स्थापित करना, ठीक मजदूरी देना, प्रासंगिक आंकड़े इकट्ठे करना, फ़रगड़े निपटाना, मजदूरों की अनुचित मांगों के विरुद्ध मिल मालिकों के हितों की रक्षा करना ।

जो मालिक भी १०० से अधिक मजदूरों को रखते हैं, इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं ।

विजाई करने वालों (प्लाण्टर्स) की संस्थाएं

विहार प्लाण्टर्स एसोसिएशन

विहार में नील (इंडिगो) की विजाई करने वालों ने १८०१ में अपने हितों के पक्ष में सरकार से पत्र व्यवहार करने को अधिक सुविधा जनक बनानेके लिए एक संस्था बनाई । इस संस्था के नियमों में १८३७, १८७७ और १८०५ में परिवर्तन हुए, लेकिन उद्देश्य वही रहा ।

जैसे-जैसे रसायनिक नील का निर्माण बढ़ता गया, इसकी खेती करने वालों को ईख और इसके पौदों की विजाई करनी पड़ी । इस एसोसिएशन के प्रायः सभी सदस्य अब ईख की खेती करते और चीनी बनाते हैं ।

यूनाइटेड प्लाण्टर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया (कुनूर)

विजाई करने वालों की भिन्न-भिन्न संस्थाओं के १८६३ में एक साथे सम्मेलन के फलस्वरूप इस संस्था का संस्थापन हुआ । १८१६ तक मुख्य कार्यालय बंगलोर में रहा, तत्पश्चात् कुनूर चला गया ।

उद्देश्य : भारत में विजाई के उद्योग-धन्धों की रक्षा करना, प्रासंगिक आंकड़े और सूचनाएं इकट्ठी करना और उनका प्रचार करना और सदस्यों के फ़रगड़े चुकाना ।

संस्था के मुख्य कार्यालय से “प्लाण्टर्स क्रानिकल” नाम से संस्था के

सुखपत्र का सम्प्रादन होता है। यह पार्श्विक है और संस्थाके सब सदस्यों और भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक समूहों में इसका वितरण होता है।

ब'गाल और आसाम

इंडियन टी एसोसिएशन के अतिरिक्त चाय की खेतीबारी करने वालों की अपनी कोई प्रान्तीय संस्था बिहार व आसाम में नहीं है, परन्तु भिन्न-भिन्न जिलों में ५ संस्थाएं सम्बन्धित देखभाल कर रही हैं।

हिन्दुस्तान के बन्दरगाह

वेदी सौरज्यू की एक रियासत नवानगर का सुख्य बन्दरगाह जो कि जामनगर के शहर से कुछ मील ही दूर है। इस बन्दरगाह में बड़े जहाज नहीं उत्तर सकते, उन्हे बेदी से कुछ मील दूर कच्छ की खाड़ी में लंगर ढालना पड़ता है। बन्दरगाह रेलवे द्वारा सम्बन्धित है इसलिए व्यापार के लिए सुभीताजनक है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ से आयात-निर्यात होता है।

ओखा बडौदा रियासत की एक अर्वाचीन बन्दरगाह जिसका निर्माण बड़ी किसम के नए जहाजों को दृष्टिगत रखकर हुआ है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित होने से सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बन्दरगाह सीमेंट की बनी हुई है, रेलें बिछी हुई हैं, ज्वार और भादा-दोनों हालतों में दो बड़े जहाज बन्दरगाह में खड़े रह सकते हैं। रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है; रिहायशी हमारतों की व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन ओखा घनी आबादी से बहुत दूर है (वधवां जंकशन : २३१ मील)। आयात-निर्यात की मात्रा बेदी से कम है।

आयात चीनी, मिट्टी, रंग, कपड़े की मशीनरी, लोहा व इत्पात, रेलवे मशीनरी, मोटरकार और निशास्ते का होता है । निर्यात चीज व रुद्ध का ।

पोरबन्दर

कभी पोरबन्दर का विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण था, अब केवल तटीय व्यापार ही होता है ।

भावनगर

भावनगर की रियासत की राजधानी और बन्दरगाह । बड़े जहाजों को लगभग द मील की दूरी पर लंगर ढालना होता है, सुख्ख बन्दरगाह में छोटे जहाज ही आ सकते हैं । रेल द्वारा भावनगर सारे भारत से सम्बन्धित है । भावनगर से आयात व निर्यात दोनों बड़ी मात्रा में होते हैं ।

सूरत

समुद्र से १४ मील दूर, लेकिन एक नदी द्वारा समुद्र से सम्बन्धित । छोटे जहाज ही सूरत तक पहुंच सकते हैं । ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय इसका व्यापारिक महत्व बहुत था । १८०१ में इस व्यापार का १३२ ल्योड के लगभग अनुमान लगाया गया था । ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल के बाद इसका व्यापारिक महत्व घटता गया; १८०० में हुए व्यापार का अनुमान केवल ३० लाख रुपया था । समय के साथ-साथ इसकी और भी अवनति होती गई और इस बन्दरगाह का सब व्यापार बी० बी० एंड सी० आई० रेलवे द्वारा सूरत के बम्बई से सम्बन्धित हो जाने के कारण बम्बई चला गया ।

बम्बई

बम्बई प्रीप की बन्दरगाह । इसकी स्थिति लैटीच्यूड (अचांश) १८०५५ उत्तर और लांगीच्यूड (रेखांश) ७२०५४ पूर्व है । यह एक बड़ी महत्वपूर्ण ग्रान्तिक बन्दरगाह है । इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई का प्रदेश देहेज में मिला था, उसने १६६८ में १५० रुपये के वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया ।

उन्नीसवीं सदी के शुरू तक बम्बई का कोई महत्व नहीं था। १८३८ में इंग्लैण्ड को नियमित मासिक डाक भेजने के प्रवन्धों के बनने पर इसे महत्व प्राप्त हुआ। बम्बई का १८५० में रेल द्वारा सम्बन्ध रुहूँ की उपज के प्रदेशों से और पंजाब और युक्तप्रान्त के अनाज उपजाने वाले प्रदेशों से हो गया। अमरीका के घरेलू युद्ध के दिनों में बम्बई की रुहूँ को बहुत महत्व मिला और बम्बई उन्हीं दिनों में एक विद्या बन्दरगाह बन गया।

बम्बई बन्दरगाह की राह आयात होने वाले सुख्य पदार्थ यह हैं : मशीनरी व पुर्जे, कपास, खनिज तेल, धातुएं, मोटर कारें, असली व नकली रेशम का धागा व कपड़ा, रसायन, सूती व गर्म कपड़ा, कागज।

निर्यात की सुख्य चीजे निम्न हैं :

कपास, सूती कपड़ा, बीज, तेल, ऊन, चमड़ा व खालौं।

पुनर्निर्यात की चीजें ये हैं :

शीशे का सामान, नकली रेशम व कपड़ा, बीज, सूती कपड़ा।

युद्ध पूर्व की विश्वव्यापी व्यापार लीणता के कारण आयात-निर्यात में कभी दिखाई पड़ी लेकिन व्यापार की दशा के सुधरने के साथ ही आयात-निर्यात की मात्रा में भी बढ़ि दी गई।

उत्तरी भारत और गुजरात से बम्बई, बडौदा एंड सैंट्रल इंडियन रेलवे और दक्षिण, मध्य भारत, गंगा से सिंचित प्रदेश, कलकत्ता व मद्रास से ब्रेट इंडियन पेनिन्युला रेलवे बम्बई को सम्बन्धित करती है।

इस बन्दरगाह से हज की यात्रा और फारस की खाड़ी से व्यापार होता है। कराची, काठियावाह, मालाघार प्रदेश और गोआ से तटीय व्यापार पर्याप्त मात्रा में होता है। हजारों की संख्या में जहाज प्रतिवर्ष यहाँ लङ्गर ढालते हैं।

बम्बई की बन्दरगाह का प्रबन्ध-भार बम्बई पोर्ट ट्रस्ट (जो धारा सभा के एक कानून के अनुसार एक सार्वजनिक संस्था है) करता है।

यही द्रुस्ट रोशनी, रेलवे, बन्दरगाह की भूसम्पत्ति का और अन्य सम्बन्धित कर्तव्यों का इन्तजाम करता है।

१०० एकड़ भूमि जी० आई० पी० रेलवे का स्टेशन बनाने के लिए १८६२ में सरकार ने एक कम्पनी (एलफिन्स्टन लैंड एंड प्रेस कम्पनी) से ली। बदले में इस कम्पनी को अधिकार दिया गया कि अपनी भूसम्पत्ति के साथ के किनारे के समुद्र तक से २५० एकड़ तक जमीन उचार ले। परिणामस्वरूप बन्दरगाह का विकास जल्दी-जल्दी होने लगा। इसी बीच नगर के सामने के समुद्र के इतने तट का एकाधिकार एक व्यक्तिगत संस्था को देने का अनौचित्य सरकार ने समझा और उसने निश्चय किया कि इस कम्पनी को खरीद लिया जाय और एक सार्वजनिक संस्था इसका उच्चरदायित्व संभाल ले। तदनुसार १८६६ में कम्पनी खरीद ली गई और १८७३ में पोर्ट टस्ट की रचना हुई। १८७४ में धारा सभा के एक नए कानून के अनुसार इस पोर्ट टूस्ट का विधान फिर से बनाया गया जो लगभग उसी रूप में आज तक जारी है।

बम्बई का बन्दरगाह दुनिया के सर्वोत्तम और सुरक्षित बन्दरगाहों में से एक है। लगभग ७४ वर्ग मील भूमि को यह धेरे हुए है; १४ मील लम्बाई, ४ से ६ मील चौड़ाई और गहराई लगभग २२ से ४० फुट की है। रोशनी का बड़ा अच्छा प्रबन्ध है, तीन बड़े प्रकाश स्तरम् (लाइट-हाउस) जहाजों की राह प्रदर्शन को बने हैं।

जहाजों का सहायता के लिए बेतार के तार के विशेष प्रबन्ध हैं और दिशा ज्ञान के विशेष यन्त्र भी निर्मित हैं। अन्धेरी और तूफान की सूचना पूना के घट्ठु-दर्शक परीक्षणालय (मिटीयरोलोजिकल आफिल) से प्राप्त होने पर तुरन्त प्रचारित कर दी जाती है।

बम्बई बन्दरगाह में तीन पानी के (वेट) और दो सूखे (ड्राई) जहाज ठहरने के स्थान (डेक्स) हैं। प्रति वर्ष ५० लाख टन से अधिक वजन का सामान इन स्थानों पर जहाजों से उत्तरता-चढ़ता है। सामान

हटाने के लिए रेलों और उठाने के लिए क्रेनों का पूरा इन्तजाम है। मट्टी का तेल पेट्रोल और दूसरे तेलों के बड़े-बड़े भंडार बने हैं जिनमें लगभग ५ करोड़ ६० लाख गेलन तेल रखा जा सकता है।

बन्दरगाह पर कपास को रखने के विशेष प्रबन्ध हैं। १९२३ में १५ लाख रुपये के खर्च से लगभग १२७ एकड़ भूमि को धेरकर यह भंडार बनाया गया। सीमेंट से बनी पक्की हमारतों में लगभग १० लाख गांठें और इतनी ही गांठें विशेष बनाई गईं दहलीजों पर एक साथ रखी जा सकती हैं। इन भंडारों में आग बुझाने के विशेष इन्तजाम हैं।

अनाज और बीज बगैरह के भंडार रखने के लिए ८० एकड़ भूमि पर अलग प्रबन्ध है जहाँ कि दस लाख वर्ग फुट भूमि पर छती हुई हमारतें बनाई गई हैं। यहाँके कमरे ११० फुट चौड़े और ५०० या १००० फुट लम्बे हैं और बिजली, पानी का बिदिया इन्तजाम है। इसके अलावा भूसा, मैंगनीज-मूल, कोयला, हमारत बनाने का सामान, सब के भंडार रखने के विशेष प्रबन्ध हैं।

यह सब प्रबन्ध और जहाज उत्तरने के स्थान उस भूमि पर हैं जिसे समुद्र तक से उवारा गया है। इस तरह सब मिलाकर लगभग ११०० एकड़ भूमि उबारी जा सकती है। सब मिलाकर १८०० एकड़ भूमि पर पोर्ट ट्रूट का स्वामित्व है।

साडथ इंडियन रेलवे का अन्तिम स्टेशन। यहाँ
मंगलोर पर २०० टन तक के जहाज उत्तर सकते हैं;
बडे जहाजों को दो मील दूर रुकना पड़ता है।
मिर्च, चाय, काजू, काफी और चन्दन का यूरोप को निर्यात होता है। रवड टाइलें, चावल, मछुकी, मेवे और सूखी मछुकी की खाद लंका गोआ और फारस की खादी की ओर भेजी जाती है। काजू का निर्यात अमरीका के लिए भी होता है।

विदेशों से आयात भी बढ़ रहा है। लक्कादिव और असीन्दवी द्वीपों से मूँज और खोपे की उपज आती है।

तेलीचरी

मंगलोर से ६४ मील दक्षिण को और कन्नानोर से १४ मील दक्षिण को यह बन्दरगाह स्थित है। तट से दो मील दूर तक जहाज आ सकते हैं। बन्दरगाह प्राकृतिक है और वरसात में, जबकि दूसरे कई बन्दरगाह नाकाम हो जाते हैं, तेलीचरी खुला रहता है। निर्यात मुख्यतया काफी और मिर्च, खोपा, चन्दन, चाय अद्रक और इलायची का होता है। आयात में चीनी (जावा से) ताजा खजूरें चावल और मशीनरी आती है।

कालीकट

स्थिति : तेलीचरी से ४२ मील दक्षिण को, कोचीन से ६० मोन उत्तर को। मालाबार ज़िला की राजधानी। यह बन्दरगाह रेलगाड़ी की राह मद्रास से ४१३ मील दूर है। वरसात के दिनों में (मई से अगस्त तक) बन्दरगाह बन्द हो जाता है। समुद्र गहरा नहीं है और जहाजों को तीन मील दूर रुकना पड़ता है। निर्यात : मूँज, नारियल, काफी, चाय, मिर्च, अद्रक, रबड़, मूँगफली कपास और सूखी मछली की खाद। आयात महत्वपूर्ण नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में मशीनरी, चीनी, सूती कपड़ा, सीमेट, मिर्च हरी, खजूरें और मट्टी का तेल आता है।

कोचीन

बम्बई और कोलम्बो के बीच महत्व की एक बन्दरगाह। मद्रास प्रान्त में इससे अधिक व्यापार केवल मद्रास की बन्दरगाह में ही होता है। बन्दरगाह प्राकृतिक है लेकिन सैकड़ों एकड़ भूमि समुद्र से उबार लेने से और जहाज उत्तरने के स्थानों के निर्माण से इसकी अहमीयत में बढ़िये हुई है। बन्दरगाह के विकास और उन्नति पर व्यय भारत सरकार कोचीन और त्रावन्कोर दरबार मिल-जुलकर करते हैं। मद्रास, बंगलोर, निचनापली, उटाकसंड, नीलगिरि कालीकट, कोयम्बटोर और अनाम्मलाईस के लिलों वा प्रदेशों से रेल द्वारा सीधा सम्बन्ध है। रोशनी

(प्रकाश स्तम्भों) का बढ़िया प्रबन्ध है।

कोचीन से निर्यात की मुख्य वस्तुएँ मूँज, सूत, काजू, नारियल गिरी का तेल, चाय, रबड़, और मूँगफली हैं। आने जाने वाले जहाजों की संख्या में सतत वृद्धि हो रही है।

प्रावन्कोर का प्रमुख नगर और बन्दरगाह।

ऐलिप्पी

स्थिति : कोचीन से ३५ मील दक्षिण और किलोन से ५० मील उत्तर को। प्रायः सारा

वर्ष ही बन्दरगाह का काम जारी रहता है। मुख्य निर्यात : नारियल गिरी, मूँज, इलायची, अद्रक और मिर्च।

साउथ इंडियन रेलवे की शिल्कोट्टा-त्रिवेन्द्रम शाखा पर स्थित। आयात महत्वपूर्ण नहीं।

किलोन

निर्यात : मूँज, के फस्त लकड़ी और मछली। मद्रास प्रान्त की एक बन्दरगाह। मद्रास

ट्यूटीकोरिन

और कोचीन से कम इसी बन्दरगाहके आयात-निर्यात के ब्यापार को महत्व है। सारा वर्ष

बन्दरगाह में काम जारी रहता है। साउथ इंडियन रेलवे की दक्षिणी पूर्वी हड़ का स्टेशन।

बन्दरगाह में पानी उथला है, जहाजों को ५ मील दूर रुकना पड़ता है। रोशनी का प्रबन्ध अच्छा है। छोटे जहाजों से सोमान उतारने चढ़ाने का इन्तजाम सुभीताजमक है क्योंकि रेलगाड़ी की पटरी साथ से गुजरती है।

स बन्दरगाह से आयात-निर्यात का अधिकांश लंका से होता है, दालें, चावल, घ्याज, लाल मिर्च और जानवर बाहर भेजे जाते हैं। विदेशों को कपास चाय, इलायची आदि भी भेजी जाती है।

धनुष्कोडी

दक्षिण में साउथ इंडियन रेलवे का आखिरी स्टेशन; रामेश्वरम् द्वीप का नगर। यहाँ से लंका को (दूरी : २१ मील) हर रोज जहाज

जाते हैं। रेलके डिवर्डों से सामान सीधा जहाजों में ढाका जा सकता है। मछली, चावल, चाय और सूती कपड़े का निर्यात मुख्य है। आय के उद्दिष्टों से असफल बन्दरगाह।

नेगा पट्टम तंजोर जिले का मुख्य बन्दरगाह। रेलवे से सम्बन्धित, नदी और नहर द्वारा दक्षिण के तम्बाकू उपजाने वाले त्रैन से भी सम्बन्धित। तट से दो मील पर जहाज लंगर ढाक सकते हैं। मलाया चगरह की विदेशी डाक बम्बई से रेल द्वारा नेगापट्टम और यहाँ से जहाजों द्वारा पिनांग और सिंगापुर भेजी जाती है। मुख्य निर्यात : यूरोप को मूँगफली, सूती कपड़ा, तम्बाकू और हरी सब्जियां पिनांग, सिंगापुर और कोलम्बो को भेजी जाती है। मलाया और लंका के रबड़ और चाय के खेतों को जाने वाले अमिक लोग यहाँ से जाते हैं।

कारिकल यहाँ फ्रांसका आधिपत्य है। त्रैनफल : ५३ वर्ग मील, तट १२ मील। तंजोर जिले से घिरी हुई बन्दरगाह।

इस बन्दरगाह से एक प्रकाश स्तम्भ है। फ्रांस से कोई सीधा व्यापार नहीं है, मुख्यतया लंका और मलाया से चावल का व्यापार होता है। यह ऐसी बन्दरगाह है जहाँ आयात-चुंगी(कस्टम) नहीं लगती, स्टैंडर्ड आयल कम्पनी ने एक बड़ा पेट्रोल भंडार यहाँ खोल रखा है। १९३४ में २७ लाख हृषीरियल गैलन पेट्रोल का आयात हुआ।

मुख्य व्यापार : चावल, पान के पत्ते, दियासलाई, आतिश-बाजी का सामान और मट्टी का तेल।

कुड्डालोर स्थिति : पांडीचरी से १५ मील दक्षिण को। मुख्य निर्यात : मूँगफली (फ्रांस को), सूती कपड़ा (मलाया को) योही मात्रा में। अधिक व्यापार का त्रैन तटीय ही है। मलाया से उबली हुई सुपारी का आयात होता है।

हिन्दुस्तान में फ्रांस के अधीन प्रदेशकी राजधानी ।

पांडीचरी

स्थिति : कोरोमंडल तट पर सड़क द्वारा

मद्रास से १०४ मील दक्षिण को । यह सड़क चिंगलपुट टिंडिवनम और महिलम होकर आती है । जहाँसे को दो तीन सौ गज की दूरी पर लंगर डालना पड़ता है, वहाँ से किसितयों में माल उतारा जाता है ।

पांडीचरी से फ्रांसीसी भारत और साथ के देशी भारत की मूँगफली का फ्रांस के लिए निर्यात होता है । यहाँ कपड़े की भिन्नें भी हैं जिनकी उपज के अधिकांश का निर्यात होता है ।

मुख्य निर्यात : मूँगफली, कोरा कपड़ा, धी, प्याज, आम और हड्डियों की खाद । मुख्य आयात : कपास, खाने-पीने की चीजें, सीमेंट, लकड़ी, शराबें, सूती और रेशमी कपड़े, चांदी, चीनी, सेकीन और तिलजा । पांडीचरी से नाम मात्र की आयात-चुंगी ली जाती है ।

मद्रास प्रान्त की राजधानी और महत्वपूर्ण बन्दरगाह । कलकत्ता से १०३२ मील । अप्रा-कृतिक, मनुष्य निर्मित बन्दरगाह । यहाँ रोशनी, रेलों और केनों का अच्छा प्रबन्ध है । आयात व निर्यात के लिए आए सामान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भौंडार गृह हैं । मद्रास दो रेलों द्वारा सम्बन्धित है ।

बन्दरगाह का प्रबन्ध मद्रास पोर्ट इस्ट (जिसे कि १९०५ के मद्रास पोर्ट इस्ट ऐक्ट के अनुसार बनाया गया; इस कानून में १९२६ में संशोधन हुआ) के मात्रहत है ।

इस बन्दरगाह से आयात की मुख्य चीजें यह हैं : सूखे-हरे फल, काजू, चावल, अन्य अनाज, मशीनरी, खाद, धातुएँ, खनिज तेल, सूती कपड़ा, कच्चों पटसन, मोटर कारें ।

निर्यात के मुख्य सामान निम्न हैं : मूँज, व मूँज का सामान,

मछली, काजू, चमड़ी व खालें, धातुएँ, मूँगफली व इसका तेल, काली मिर्च, चाय, सूती कपड़ा, कच्चा पटसन, तम्बाकू ।

मार्च ४८ में खत्म होने वाले वर्ष का आयात-निर्यात का व्यौरा हैस प्रकार रहा :

आयात : ७१ करोड़ २६ लाख ।

निर्यात : ६४ करोड़ ११ लाख ।

पुनर्निर्यात : ४१ लाख

मसूलीपट्टम किस्तना नदी के मुख पर बन्दरगाह । रेलवे से सम्बन्धित । मसूलीपट्टम बंदिया बन्दरगाह नहीं है। बड़े जहाजोंको पांच मील दूर ही रहना पड़ता है। वरसात व तूफान में बन्दरगाह नाकाम हो जाती है।

मुख्य निर्यात : मूँगफली, ऐरंड के बीज और खल्ले ।

कोकोनाडा गोदावरी नदी के उत्तर को कोकोनाडा की खाड़ी पर स्थित बन्दरगाह । विजगापट्टम से ८० मील दक्षिण और मद्रास से २७० मील उत्तर को । बड़े जहाज तट से ६-७ मील दूर रहते हैं जहाँ से १६ से ८६ टन की किशियों में सामान उत्तर-चढ़ाया जाता है।

मुख्य निर्यात : कपास, मूँगफली और ऐरंड के बीज ।

मुख्य आयात : मट्टी का तेल, चीनी, धातुएँ ।

विजगापट्टम इसी नाम के जिले की मुख्य और महत्वपूर्ण बन्दरगाह । कलकत्ते से ४४५ मील दक्षिण और कोकोनाडा से १०५ मील उत्तर को । मनुष्य निर्मित बन्दरगाह । रेलों द्वारा देश की भीतरी भाग से अच्छी तरह सम्बन्धित । दो मील दूर पर चार्टेयर का बड़ा जंकशन है।

सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का जहाज बनाने का कारखाना यहाँ है ।

सुख्य निर्यात : मैगनीज, तोरिया, खंडल व हरड़े ।

वालटेयर से २२ मील उत्तर पश्चिम को ।

बिमलीपट्टम सदक द्वारा विजयानगरम से १६ मील । यहाँ से विजगापट्टम तक बसें भी चलती हैं ।

आयात महत्वपूर्ण नहीं । **निर्यात :** यहाँ की पैदायण पटसन, हरड़े तिल और सूंगफली ।

गोपालपुर गंजम जिला में । बँगाल नागपुर रेलवे के स्टेशन बरहामपुर से दस मील । तटीय आयात निर्यात ।

गोपालपुर से ऊपर २५० मील का किनारा उड़ीसा प्रांत का है ।

बालासोर बुराबलंग नदी के दाहिने तट पर, हसी नाम के जिले की सुख्य बन्दरगाह । १७वीं सदी में यहाँ अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश और पुर्तगाल के व्यापारियों ने उद्योग-धन्धे जारी किए थे ।

इस बन्दरगाह का अब कोई महत्व नहीं है ।

चांदाचाली चैतरण नदी के किनारे पर स्थित, उड़ीसा की एक ही अच्छी बन्दरगाह । कलकत्ता से तटीय व्यापार, लेकिन विदेशों से कोई सीधा व्यापार नहीं ।

सुख्य निर्यात : चावल

आयात : सूत, कपड़ा, मट्टी का तेल, नमक, बोरियाँ ।

कटक इस बन्दरगाह से चांदाचालो और कलकत्ता का तटीय व्यापार ही होता है ।

युरी इस बन्दरगाह का भी कोई व्यापारिक महत्व नहीं है ।

कलकत्ता स्थिति : लैटीच्यूड (अचाँश) २२°३३' उत्तर,
लांगीच्यूड (रेखांश) ३८°२१' पूर्व; हुगली
नदी के मुख पर। इस बन्दरगाह से बङ्गाल,
बिहार और युक्तप्रान्त के चाय और कोयले के उद्योग-धन्धों को,
आनाज और बीज की उपज को और ईस्ट इंडियन, बङ्गाल नागपुर और
ईस्टर्न बङ्गाल रेलों के कृषि सम्बन्धी उपज को लाभ पहुँचता है। बङ्गाल
और आसाम से रेल और पानी द्वारा सम्बन्धित।

कलकत्ते का प्रवन्ध १८७० में बने एक पोर्ट ईस्ट के मातहत है।
इसके कर्वच्यों की विवेचना १८६० के कलकत्ता पोर्ट ऐक्ट और १८२६
के बङ्गाल ऐक्ट : ६ के अनुसार हुई।

इस बन्दरगाह में मुख्य आयात की चीजें यह हैं :

मशीनरी, धातुएँ, सूती कपड़ा, खनिज तेल, लोहा व ईस्पात, रसायन, खाद, विजली का सामान, मोटरकार, नमक, दैनिक प्रयोग की विविध वस्तुएँ, कागज व गत्ता, लकड़ी की चाय पैक करने की पेट्रियां।

नियोत की चीजें :

चाय, कच्चा पटसन, कापोक (बीजों के ऊपर का रोएँदार हिस्सा) माइका, चमड़ी व खाले, उनी कपड़ा, कोयला, मोम, मसाले, चमड़ा, पटसन का निर्मित सामान।

सामान उतारने चाने का बढ़िया प्रबन्ध है। सूखे (डाई) और पानी के (वेट) 'डैक्स' 'जेट्रोज और 'डाफ्क्ज' में जहाज उत्तर सकते हैं। ५ करोड़ गैलन तक पेट्रोल भंडारों में रखा जा सकता है।

बन्दरगाह में चाय के भंडार के लिए लगभग ३ लाख वर्गफुट और अनाज और बीजों के लिए १० लाख वर्ग फुट भूमि पर प्रबन्ध है। सैकड़ों पक्की इमारतें हैं जहाँ सामान सुरक्षित रखे जा सकते हैं।

मोमुंगाओ वस्त्रहैं के दक्षिण में कोकण तट पर स्थित
बन्दरगाह। पुर्तगाली भारत के ज्ञेन्न में, नोवारोआ से ५ मील दूर।

बन्दरगाह पर रोशनी का अच्छा इन्टजाम है। बन्दरगाह सारा वर्ष खुली रहती है। सामान जहाजों से सीधा रेल के डिब्बों में ढाल दिया जाता है। २ मील दूर चास्कोडगामा में बमशेल और स्टैंडर्ड वैक्यूम के पेट्रोल के भंडार हैं।

मुख्य निर्यात : बम्बई, दक्षिणी हैदराबाद और मैसूर की उपर्ये, मुख्यतया मेंगनीज, मूँगफली, कपास और गरी की होती हैं।

बीमा

देश में बीमे की स्थिति क्या है, इसका परिचय निम्न आंकड़ों से मिलेगा।

हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान में पाकिस्तान
विदेशी कम्पनियां

	१९४६	१९४७			
बीमा कम्पनियों की संख्या	२३६	२३६	५०१	५	
केवल जिन्दगी का बीमा	१५२	१४८	३	३	
जिन्दगी के सिवाय दूसरा					
बीमा	३६	४२	८६	३	
जिन्दगी व दूसरा बीमा	४८	४६	१२	३	
जिन्दगी का बीमा			(प्रतिवर्ष का हिसाब)		
देशी कम्पनियां			विदेशी कम्पनियां		
१९४४	१९४५	१९४४	१९४५		
नई पालसियों की					
संख्या	४३२००	५७०००	१६०००	२२०००	
नए बीमे की मद					

(रुपये) १२२७८०० ११०००० १२६०००

इस बीमे की वार्षिक

रकम ५९,२०० ६७,३०० ६,२०० ७,४००

जिन्दगी का बीमा (प्रतिवर्ष कुल योग का हिसाब)

(००० जोड़ लें) देशी कम्पनियों द्वारा

१६४४ १६४५ १६४६

पालिसियों की कुल संख्या १,६४० २,३७६ २,५६६

बीमे की कुल

मद ३६,६१,५०० ४५,६४,३०० ५९,४५,०००

बीमे की सालाना

रकम १,८५,००० २,२८,१०० २,४५,६००

विदेशी कम्पनियों द्वारा

१६४५ १६४६

पालिसियों की कुल संख्या २,१६,००० २,२८,०००

बीमे की कुल मद ११,८५,००,००० १,००,८५,००,०००

बीमे की सालाना रकम ४,२३,००,००० ५,६५,००,०००

देशी कम्पनियों द्वारा

देश से बाहर किये गए व्यापार के आंकडे

१६४५ १६४६ अब तक कुल

पालिसियों की संख्या १२,७०० १६,२०० ८५,७००

बीमे की मद ४,२२,००,००० ५,७३,००,००० २४,६०,००,०००

बीमा करने वाली कम्पनियों के आमदनी वा खर्च आदि का व्यौरा

इस प्रकार रहा है :

जिन्दगी का बीमा करने वाली
(००० जोड़ लें)

	देशी कंपनियां	विदेशी कंपनियां
	१६४५	१६४६
कुल आमदनी	८३,८००	३,२०,२००
खेत का खर्च	१,४४,६००	१,६१,७००
शेष जमा		
(लाइफ फंड)	१,२६,२००	१,२८,५००
व्याज की दर	३.४८%	३.२०%
	३.२२%	३.१८%

जिन्दगी के अतिरिक्त विवध प्रकार के बीमों के आंकड़ों का व्यौरा निम्न रहा :

	देशी कंपनियां	विदेशी कंपनियां
(रुपय)	१६४५	१६४६
आग	३०,४००	३८,३००
समुद्री	१०,३००	११,०००
विविध	८,८००	१७,६००

इन बीमों के सम्बन्ध में देशी व विदेशी बीमा कंपनियों पर किए दावों (खेतज) का अनुपात निम्न प्रकार रहा है :

	१६४४	१६४५	१६४६
आग का बीमा	४२%	३१%	३०%
समुद्री ,	४१%	४२%	४०%
विविध ,	३३%	३४%	२८%

१५ नवम्बर १६४७ को हिन्दुस्तान में ११८ और पाकिस्तान में ८ प्राविडेण्ट कंपनियां काम कर रही थीं। इन कंपनियों के व्यापार के आंकड़े निम्न हैं :

१६४४	१६४५	१६४६	कुल चालू वीमा
नई पालिसियां	१८,०००	२२,४००	२४,०००

वीमे की कुल

मद(रुपए) मृदूर००००	१०२०७०००	१,२६,३७,०००	३०७३७००
--------------------	----------	-------------	---------

१६४६ में वीमा बुक करने वाले एजेंटों की रजिस्टर्ड संख्या १,५६,६६२ थी। हजारों से २१,७०० (१४ प्रतिशत), एजेंट स्त्रियां थीं।

रेडियो

देश में रेडियो का जन्म १९२७ में हुआ। एक व्यक्तिगत संस्था (इण्डियन ब्राउकास्टिंग कम्पनी लिमिटेड) ने इस वर्ष बम्बई वा कलकत्ता में दो रेडियो स्टेशन खोले। तीन वर्ष तक यह प्रयास चला, लेकिन १९३० में हस कम्पनी ने दीवाला निकाल दिया। इस पर भारत सरकार ने इन दोनों स्टेशनों का प्रबन्ध संभाल लिया।

विभाजन के पूर्व आल इण्डिया रेडियो के ६ स्टेशन काम कर रहे थे। विभाजन से तीन स्टेशन (लाहौर, पेशावर, वा ढाका) पाकिस्तान को मिल गए। इसके बाद रेडियो का प्रसार तेजी से हुआ।

रेडियो-विभाग के मन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। शेष केन्द्रीय व स्थानीय अफसरों के नाम हस प्रकार हैं :

श्री एन० ए०ए०स० लक्ष्मणम्	दायरेक्टर जनरल
श्री एस०ए०न० चन्द्रवेदी	हिन्दी दायरेक्टर जनरल
श्री सी०ए०न० मैन	"
श्री ए८० गोपालन	"
दिल्ली श्री वी०पी० भट्ट	स्टेशन दायरेक्टर
श्री राम मराठे	जायर्ट स्टेशन दायरेक्टर

दाक्टर वी० राशी	असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर
दाक्टर यदुवंशी	"
श्री आर०एन० गुप्ता	लिसनर रिसर्च आफिसर
श्री पी०सी० दत्त	पब्लिक रिलेशन्स "
बस्बई	स्टेशन डायरेक्टर
कलकत्ता	श्री ए०के० सेन "
मद्रास	श्री जी० टी० शास्त्री "
जलखनड	श्री एस०एन० मूर्ति "
पटना	श्री वी०एस० मध्देकर "
कटक	श्री एच०आर० लूथरा "
नागपुर	श्री उमा शंकर "

१९४७-४८ में हिन्दुस्तान में निम्न नए रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन खोले गए : पटना, कटक, जलन्धर, अमृतसर, शिलांग, गोहाटी, नागपुर, जम्मू व श्रीनगर। इस प्रकार देश के सब प्रान्तों में रेडियो स्टेशन स्थल गए हैं।

बैज्ञवाहा, अहमदाबाद, भारताबाद, हुबली और कालीकट में भी रेडियो स्टेशनों की स्थापना की योजना है। विदेशों से शक्तिशाली यन्त्र प्राप्त न होने के कारण अभी ऐसे ध्वनि प्रचारक यन्त्र ही लगाए जा रहे हैं जो उस नगर व पड़ोस के गांवों आदि तक आवाज पहुंचा सकें। बड़े यंत्रों के मिलने पर उनकी स्थापना कर दी जायगी।

‘देशव्यापी समाचार वितरण’ में समाचार प्रचार की प्रति दिन ३३ बुलेटिनें निकाली जाती हैं। इस वर्ष इन भाषाओं में निम्न भाषाओं की और वृद्धि हुई है : केन्द्रीय, काश्मीरी, डोगरी, उरिया और आसामी।

रेडियो से विदेशों के लिए जो ब्राडकास्टिंग होता है उसमें निम्न १३ भाषाओं का प्रयोग होता है : अंग्रेजी, हिन्दुस्तानी, तामिळ, गुजराती, बर्मी, पश्तो, बथोयु, केल्टनी, एमाय, हिंदोनेशियन, अफगान-पर्शियन, पर्शियन व अरबी।

१९४७ में २,३०,०२५ लोगों के पास रेडियो रखने के लाइसेंस थे। जून १९४८ में देश में लाइसेंस प्राप्त रेडियो रिसीवरों की कुल संख्या २,५०,६०३ थी जिसका प्रान्तवार हिसाब इस प्रकार है।

बन्दरगाह	६४,०७८	उडीसा	७६२
आसाम	३,७८३	मध्य भारत	६,६४८
पश्चिमी बंगाल	४६,७६४	मद्रास	४६,६३७
बिहार	१०,०६२	युक्त प्रान्त	३२,६४१
दिल्ली	१६,६१०	पूर्वी पंजाब	१३,२६१

इस तरह देश में लगभग प्रति १३२० आदमियों के पीछे १ रेडियो है।

हासके चिपरीत भिन्न-भिन्न विदेशों में कितने रेडियो हैं उसका व्योरा यह है :

अमरीका	५,६०,००,०००
चिट्ठन	१,०८,६१,६५०
स्वीडन	१,६०,००,१८६
चेकोस्लोवाकिया	१६,२१,५११
डैन्मार्क	११,०८,७५२
जर्मनी	३०,१२,३२१
फ्रान्स	५७,२८,८३३
आस्ट्रेलिया	१७,२५,३६०
कैनेडा	१७,५४,३५१

दुनिया के कुछ देश अपने रेडियो स्टेशनों से हिन्दुस्तान के लिए विशेष स्वरों व प्रोग्राम प्रसारित करते हैं; उनके समय आदि का व्योरा यह है :

स्थान	प्रोग्राम की भाषा	दिन	समय	वेव लेन्थ
		(हिन्दुस्तानी टाईम)		(मीटर)
मास्को(रुस)	हिन्दुस्तानी	रविवार	६.०० साथं	१६.५६ मीटर
				२१.३१ "
बी.बी.सी. (लंडन)	हिन्दुस्तान के लिए विशिष्ट प्रोग्राम	दैनिक	७.०० से ६.०० साथं	१६.६६ "
काशुल रंगून(बर्मा)	हिन्दुस्तानी	बुधवार	८.१५ साथं	४४८.१ "
तेहरान(ईरान)	अंग्रेजी अंग्रेजी	दैनिक	८.३० साथं	४१.७१ "
		दैनिक	८.४५ साथं	१६.८७ "

देश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो रेडियो स्टेशन लगे हैं उनकी ताकत का व्योरा व वेव लेन्थ इस प्रकार है :

स्थान	ताकत	वेव लेन्थ	प्रचार परिधि
दिल्ली	२० किलोवाट	मीडियम वेव ३३८.६	स्थानीय
"	१० ...	शार्ट वेव ४१.१५	प्रादेशिक
"	८	खबरें
"	१०
"	१००	विदेश
"	१००
"	२०
"	२०
"	७.५
"	७.५
बम्बई	१०	शार्ट वेव ४१.४४	प्रादेशिक
"	१.५	मीडियम वेव २४४.०	स्थानीय
कलकत्ता	१०	शार्ट वेव ४१.६१	प्रादेशिक
"	१.५	मीडियम वेव ३७०.४	स्थानीय

मद्रास	१०	शार्ट वेव ४१.३७	प्रादेशिक
"	५ ...	मीडियम वेव २११	स्थानीय
खस्तनऊ	५ २६३.५
तिरुची	५ ३६५.८
पटना	५ २६५.३
कटक	१ २२१.४
जालन्धर	२५०. वाट्स २२५
अमृतसर	५०. वाट्स २२६.६
नागपुर	१ किलोवाट २३२.६
शिलांग	५०. वाट्स २०५.८
गोहाटी	१ किलोवाट ३८४.६

इ वर्षीय योजना के अनुसार पहले ५ वर्षों में देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रेडियो के १८ नए प्रसार स्टेशन खुलेंगे। ध्वनि-प्रसार की दृष्टि से देश को ५ भागों में विभक्त किया गया है जिनके केन्द्र दिल्ली बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और अलाहाबाद में रहेंगे। इस योजना के पूरा हो जाने पर प्रत्येक प्रान्त में रेडियो स्टेशन खुल सुके होंगे।

इस योजना पर पहले पांच वर्षों में ३ करोड़ ६४ लाख रुपया व्यय होगा जिसमें से लगभग एक करोड़ की सशीकरी ही आयगी। इस वक्त रेडियो लाइसेंसों से लगभग २५ लाख रुपयाकी वार्षिक आमदनी है और रेडियो के आयात से लगभग ३० लाख की आय अलग हुआ करती है।

योजना का खुलासा इस प्रकार है :

(१) मद्रास और कलकत्ता में स्टूडियो की अपनी हमारतें खड़ी करना और ध्वनि प्रसार के चालू केन्द्रों को दफ्तर व स्टूडियो सम्बन्धी अधिक सुविधाएं देना।

(२) शहरी प्रोग्रामों के लिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में दो-दो ताकतवर मीडियम वेव ध्वनि-प्रचारक यन्त्र खड़े करना।

(३) आमीण जनता व प्रदेश के लिए बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में

२०-२० किलोवाट की ताकत का सीडियम वेव का एक-एक ध्वनि-प्रसारक यन्त्र लगाना।

(४) अलाहाबादमें दो बड़ी ताकत वाले और एक २० किलोवाट का सीडियम वेव ट्रान्समिटर खोलना।

(५) नागपुर, वेजवाडा, अहमदाबाद, कटक, धारवाड, शिलांग और कालीकट में एक-एक २० किलोवाट का सीडियम वेव ट्रान्समिटर लगाना।

नियन्त्रण की सुविधाओं की दृष्टि से देश को पांच भागों में विभक्त किया जायगा—ऐसा करते समय संगीत व संस्कृति सम्बन्धी तात्त्वम् को ओकल नहीं किया गया।

इस योजना को बनाते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखा गया है :

(१) देश की भिन्न-भिन्न बोलियों की मांग (२) भिन्न-भिन्न प्रांतों की मांग (३) नया स्टेशन खुलने से आमदनी बढ़ने की संभावना है या नहीं (४) जहाँ स्टेशन खोलना है उसके आसपास कलाकार मिल सकेंगे या नहीं (५) जहाँ स्टेशन खोलने की योजना है, शिता व संस्कृति की दृष्टि से उस स्थान की कितनी विशिष्टता है (६) रेडियो स्टेशन कितनी शहरी व ग्रामीण जन-संख्या को लाभप्रद सिद्ध हो सकेगा (७) जहाँ प्रामों के लिए रेडियो स्टेशन खुलना है उसके पास कितने गांव बसे हैं।

शिक्षा

हिन्दुस्तान के सामने जो विभिन्न सेमस्याएँ प्रस्तुत हैं उनमें से एक गम्भीर समस्या देश की जनता को शिक्षा देने की है। जिस लोक-यन्त्र की हम देश में स्थापना करना चाहते हैं उसकी मीठ शिक्षित

जनता की चेतन प्रेरणा पर ही रखी जा सकती है।

असरजादकार का कर्तव्य हो जाता। है कि हर देश के निवासी को मौलिक (वैसिक) शिक्षा अवश्य दे। सार्जेन्ट कमेटी की रिपोर्ट में मौलिक शिक्षा का प्रचार लिखा तो गया था लेकिन उसे ४० वरस में पूरा करने की योजना थी। आज के हिन्दुस्तान में शिक्षा-प्रसार के लिए ४० वरस का काल सहा नहीं जायगा। देशमें केवल बच्चों को ही नहीं, बड़ी उम्र के अशिक्षितों को शिक्षा देने का भी प्रश्न है। रियासतों को छोड़कर शेष हिन्दुस्तान में स्कूलों में जाने योग्य ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या २,६३,०७२,०० है। इन्हे शिक्षा देने के लिए अध्यापक कहाँ से आयं, उनका खर्च किन साधनों से पूरा हो, यह भी एक प्रश्न है। यदि १०० बच्चों को पढ़ाने के लिए ३ अध्यापक भी चाहिए तो ६ लाख के लगभग अध्यापकों की आवश्यकता है। इतने अध्यापक तो देश में नहीं हैं। केन्द्रीय वेतन समिति (पे कमीशन) ने बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के जिस वेतन की सिफारिश की है (३० से ५० रुपये माहवार) उस हिसाब से प्रति वर्ष इन्ही अध्यापकों का २४ करोड़ रुपये का विल बनेगा। १६४५-४६ में रियासतों को छोड़कर देश में प्राइमरी शिक्षा पर कुल खर्च ७.२२ करोड़ रुपया हुआ। इस तरह इस बड़े हुए खर्च के अतिरिक्त करोड़ों बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आदि के निर्माण के लिए पैसे जुटाने की भी एक बड़ी समस्या है।

यह सब कुछ शिक्षाकी समस्या का एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि शिक्षा का माध्यम क्या हो? अर्वाचीन विज्ञानों के विशिष्ट टेक्निकल शब्दों को देशी भाषाओं में अनुदित किया जाए अथवा नहीं? विश्व-विद्यालयों की शिक्षा में आजकल की अवस्थाके अनुसार क्या-क्या सुधार होने आवश्यक हैं? देश के राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास को, जिसे अब तक विदेशी सामाज्यवाद के हितों की दृष्टि में रखकर लिखा व पढ़ाया गया है, किर से लिखा जाय। हिन्दुस्तान के पुरातन इतिहास सम्बन्धी उल्लेख जिन-जिन विदेशी भाषाओं में मिलते हैं, देश में उनके

पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिए ।

१६ से १८ जनवरी १९४८ तक नई दिल्ली में आज इंडिया एजुकेशनल कान्फरेंस हुई जो उपरोक्त प्रश्नों पर कुछ फैसलों पर पहुंची । इस सभा में सब प्रांतों व रियासतों के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया ।

फैसला किया गया कि शिक्षा संघर्षी केंद्रीय मंत्रणा समिति (सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड) आफ एजुकेशन: सार्जन्ट कमेटी) ने शिक्षा की जो योजना बनाई है उसमें नई अवस्थाओं के अनुसार सुधार किये जायें । वही उन्न के लोगों को शिक्षा देने की योजना तैयार हो जिसमें पुस्तकालयों, खुली हवा में नाटकों, रेडियो व फ़िल्मों का प्रयोग हो । मौलिक शिक्षा देने वाले अध्यापकों के लिए जो योग्यताएँ आवश्यक समझी जाती हैं उनमें पहले ५ वर्षों के लिए ढील कर दी जाय । एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक ट्रूस्ट की स्थापना हो । एक समिति बनाई गई जो शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी ।

शिक्षा पर व्यय

१९४५-४६ में देश के विभिन्न प्रदेशोंमें प्राइमरी शिक्षा पर जो व्यय किया गया, उसका व्योरा इस प्रकार है :

प्रदेश व ग्रान्ट का नाम	व्यय (रुपये)
आसाम	२१,६६,१८६
बिहार	२,०६,८२०
बंगलूरु	१,७१,२२,२८१
मध्य ग्रान्ट और वरार	२३,६०,३६१
मद्रास	२,८६,२८,४०३
उडीसा	१६,७७,०१७
युक्तग्रान्ट	५७,५२,००८
बंगाल (अविभक्त)	७४,१०,१४२

पंजाब (अविभक्त)	५७,६६,४७४
झजमेरन-मेरवाड़	२६,३३४
बंगलोर की छावनी	१,०३,६८८
कुर्ग	४७,४३०
दिल्ली	२,७२,५६४
शेष विविध प्रदेश	१,४६,६६०

सर्व योग ७,२१,६६,२६८

शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े

विभाजन के बाद के शिक्षा सम्बन्धी विस्तृत आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं। १६४३-४४ के आंकड़ों के अनुसार देश में शिक्षणालयों और उनमें विद्यार्थियों की संख्या का ब्योरा इस प्रकार था :

संस्था	संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
सरकार द्वारा रिकर्नाइंड		
यूनिवर्सिटियां	१६	११,५६४
लड़कों के लिए		
आर्ट और साइंस कालेज	३१५	१,१८,४००
प्रोफेशनल कालेज	८६	२६,६१०
हाई स्कूल	३७७०	१३,३६,५८४
मिडल स्कूल	१०,१११	१२,१६,८५६
प्राइमरी स्कूल	१,४६,४७२	६७,३६,६५३
वोकेशनल व अन्य स्कूल	१०,५७४	३,७२,२२०
लड़कियों के लिए		
आर्ट और साइंस कालेज	२३	६,३२६
प्रोफेशनल कालेज	१७	१,०६३
हाई स्कूल	५६७	१,५६,८३०
मिडल स्कूल	१४२४	२,१४,६१७

प्राइमरी स्कूल	२१,०८०	१३,८४,०६१
घोकेशनल व अन्य स्कूल	७२२	३१,६०६
सरकार द्वारा अन्त रिकार्ड्स अंड संस्थाएँ		
लड़कों के लिए	१०,७८१	३,३६,३०८
लड़कियों के लिए	३,२९१	८३,०२१

शिक्षा पर व्यय

व्यय का प्रतिशत

संस्था	व्यय	सरकारी लोकल फीसों से अन्य प्रत्येक कोष से बोठों के स्रोतों से विद्यार्थी कोष से पर कुल आंसूत व्यय
(रुपये)	(रुपये)	
(००० लाइ लैं)		

नियन्त्रण

इमारत

यूनिवर्सिटियाँ,

सेकंडरी और

इन्डस्ट्रीलिट

शिक्षा पर ७,४२,६० ४२.१ ६.६ २८-३ २३.०

लड़कों की संस्थाएँ

आर्ट व साइंस

कालेज २,०७,३० ३१.७ ०.२ ४६.२ ११.६ १६०.१

ग्रोकेशनल

कालेज ६६.६६ ६०.५ १.६ ३०.० ७.६ ३५६.५

हाई स्कूल ६,३७,०८ २४.७ ३.६ ६०.७ ११.० ४४.७

मिडल स्कूल २,५३,४६ ३६.३ १८.६ ३१.४ १०.४ २०.८

शिक्षा 260

प्राइमरीस्कूल	६,०६,७०	२५.६	३२.४	४.६	६.१	६.३
घोकेशनल						
व अन्य						
स्कूल	१,८०,४६	२७.४	४.६	१६.०	२१.७	४८.८
लड़कियों की संस्थाएं						
आर्ट व साइंस						
कालेज	१४,३६	४३.५	०.२	३८.५	१७.८	३०३.०
प्रोफेशनल						
कालेज	८,४६	६४.५	०.७	११.३	२३.८	७७७.०
झाई स्कूल	१,१३,६६	३८.१	२.१	४१.८	१८.०	७०.८
मिठल स्कूल	४८,६२	४०.४	१६.४	१७.१	२६.१	२६.७
प्राइमरीस्कूल	१,८१,८१	४४.५	४२.४	३.७	६.४	१३.१
घोकेशनल						
व अन्य						
स्कूल	३१,११	६१.४	३.०	७.८	२७.८	६०.२

कुल योग ३१,४६,६८ ४३.८ १२.१ ३८.१ १३.५ २३.६

देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा देने वाली प्रिवेट संस्थाओं का विवरण दूस प्रकार है :

प्रबन्धभार व्यक्तिगत संस्थाएं

(रिकर्नाइज्ड) सरकार जिला बोर्ड म्युनिसिपल सहायता सहायता जोड़ पर पर बोर्ड पर मिलती है नहीं मिलती, यूनिवर्सिटियां १६ .. १६						
सेकेशनल व						
इण्टरमीडियट,						
के घोर्ड						

राजकम्बल वर्ष-बोध

२६८

			१२६	७८	२२३
काले			"	१	१५
आटंवा साइंस	४५	१	"	१	१७
ला (कानून)	४	"	१	१०	३५
मेडिसन(डाक्टरी)	११	"	८	"	७
पृजुकेशन(शिक्षा)	१७	"	१	१	६
इंजीनियरिंग	६	"	१	८	१४
कृषि	७	"	४	१	३
व्यापार(कामसं)	१	"	२	"	"
ट्रेकनालोजी	"	"	"	"	२
फारेस्ट्री(लंगल सम्बन्धी)	२	"	"	"	"
वैदिकीयरी(पशु- चिकित्सा)	४	"	१	२४	१४५
इंटरमीडियेट	२६	"	१	२४५	१०३
कुल	१२३	१	२	२५५३	४३३७
हाइ स्कूल	४०२	२०८	१५५	१०१६	११५३५
मिडल स्कूल	३०५	५४१२	४३५	१२०१	११५३५
प्राइमरी स्कूल	२६६०	७६८२६	७५६६	७४८६७	५३००
कुल	३६६७	८५४४६	८१८६	८१६०२	७५२०
वोकेशनल व अन्य स्कूल					
आर्ट(कला)	८	१	१	६	१७
मेडिसन(डाक्टरी)	१७	"	१५	२	३४
ट्रेनिंग(अध्यापन)	३७२	६	१४	२८	५७२
इंजीनियरिंग	७	"	१४	२	३
व्यापार(कामसं)	८	"	१४	३०४	३२५
कृषि	८	"	१४	८	१५
रिफर्मेंटरी	११	"	१४	२	१३

विद्युत श्रंग वालों

के लिए	१	१	२	४१	४	५६
वयस्कों के लिए	११६	१६४	२८२१	१२०६	६०६४	
धन्य	४८	२०	१२	२८२४	६४८	३५६२
कुल	२४४६	१७४	१७६	६२५७	२२४०	११२६६

रिक्तनाइट

संस्थाएँ ६२४० ८५६२४ ८५६० ८८१२१ ८८६४ १४८२१६

शनरिकानाइट

संस्थाओं का

जीड „ ३२६ ६८ २६८ १३६६१ १४२६२

सम प्रकार की

संस्थाओं का

कुल जोड ६२४० ८५६५३ ८४३० ८८५६० २३४६५ २१२५०८

मिन्न-मिन्न प्रान्त अपनी आश का दया प्रतिगत भाग शिक्षा पर सर्च करते रहे व कर रहे हैं, इसका व्योरा इस प्रकार है :

	१६३६-४०	१६४४-४८	१६४७-४८
मद्रास	१५.८	७.२	१३.२
ग्रन्थालय	१५.२	७.१	१४.३
विहार	१३.६	६.८	६.६
शुक्लप्रांत	१५.७	६.१	१०.१
मध्यप्रांत	१०.७	६.८	१६.६
उडीसा	१४.२	१०.२	१३.३
आसाम	१३.२	८.२	१०.८

स्वास्थ्य

देश में उन बीमारियों की कमी नहीं है जो कि कोशिश करने से फैलनेसे पहले ही रोकी जा सकती हैं अथवा शुरू होजाने पर जिन पर तुरन्त काबू पाया जा सकता है। अगस्त १९४८ के पहले सप्ताह में सब भारतीय प्रान्तों व रियासतों के स्वास्थ्य मंत्रियों की सभा नई दिल्ली में सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए हुई। भोर कस्टी ने जिस केन्द्रीय बोर्ड आफ हेल्थ के निर्माण की घोषणा पेश की थी वह अब तक नहीं बनाया जा सका। देश में धन की व उचित शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञों की कमी है। देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उन्हें रक्तकृत्वमय आहार कैसे सुलभ हो; देश में बढ़ रहे तपेदिक, कोइ आदि रोगों की कैसे रोकथाम हो; मलेरिया जैसे व्यापी रोग का किस तरह मुकाबला किया जाय; गांवों में डाक्टरी सहायता पहुंचाने का क्या प्रबन्ध बने; दवाइयां व विटामिन देश में ही तैयार करने के अधिकाधिक कारखाने खुलें; हस्पतालों के औजार व डाक्टरी साजोसमान हिन्दुस्तान में ही बनें; स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक आंकडे इकट्ठे करने के साधन खोजे व चालू किये जायें; इस तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का तो अन्त ही नहीं है। इस कान्क्षे से ने इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया।

बल्ड हेल्थ आर्गनिजेशन (हुनिया-भर की स्वास्थ्य समिति) की एक (रिजनल ब्यूरो) प्रादेशिक शाखा हिन्दुस्तान में खुल गई है जिसमें अफगानिस्तान, बर्मा, लंका व स्याम शामिल हुए हैं। मलाया के भी शामिल होने की आशा है। इस तब्बे भारत पर एक यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ गिरा है।

देश में एक एनवायरनमेंट हाईजीन कमेटी (मिन्न-मिन्न दशाओं में स्वास्थ्य किस तरह बना रह सकता है इस विषय पर विचार करने वाली समिति) काम कर रही है जो इस विषय में सिफारिशें पेश करेगी कि गांवों में स्वास्थ्य का तल किस प्रकार ऊचा हो। विशिष्ट डाक्टरी शिक्षा

देने के प्रवन्धों पर रिपोर्ट करने के लिए एक दूसरी समिति काम कर रही है। प्लेग, बच्चों का लकवा, तपेदिक, मलेरिया, हैजा व कोढ़ के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न सुमितियों का अन्वेषण जारी है ताकि देश से इन रोगों को निर्मूल किया जा सके।

स्वास्थ्य साधनों पर व्यय

भिन्न-भिन्न प्रान्त स्वास्थ्यके महकमे पर अपनी प्रपनी आय का क्या प्रतिशत भाग खर्च करते रहे व कर रहे हैं, इसका हिसाब इस प्रकार है :

१९३६-४०	१९४४-४५	१९४७-४८
मद्रास ५.८	३.७	४.२
बम्बई ३.६	२.७	३.२
विहार ४.४	२.६	३.२
युक्त प्रांत २.७	३.५	२.६
मध्यप्रान्त ३.१	२.२	२.६
उडीसा ४.६	४.५	४.४
आसाम ४.६	३.१	३.३

प्रत्याशित आयु

भिन्न-भिन्न देशों में जन्म के समय औसतन कितनी लम्बी आयु की आशा की जा सकती है व वहां जन्म के समय बच्चों की मृत्यु का क्या अनुपात है इसका व्योरा नीचे दिया गया है :

देश	बच्चों की मृत्यु	पुरुष	स्त्री
का अनुपात (१९३७)			

न्यूजीलैंड	३१	६५.०४	६७.८८ (१९३१)
आस्ट्रेलिया	३८	६३.४८	६७.१४ (१९३२-३४)
दक्षिणी अफ्रीका	३७	४७.७८	६१.४८ (१९२४-२७)
कैनेडा	७६	५६.३२	६१.५६ (१९२६-२१)
अमरीका	५४	५६.१२	६२.६७ (१९२६-२१)
,, नीग्रोज़		४७.५८	४६.५९ (१९२६-२१)

जर्मनी	६४	५१.८६	६२.७५	(१६३२-३४)
हूँगलैंड व वेल्स	२८	५८.७४	६२.८८	(१६३०-३२)
इटली	१०६	५३.७६	५६.००	(१६३०-३२)
फ्रांस	६५	५४.३०	५६.०२	(१६२८-३३)
जापान	१०६	४४.८२	४६.५४	(१६२६-३०)
विदिशा भारत	१६२	२६.६१	२६.५६	(१६२१-३०)
		(=१५८-१६४१)		

जीवन की विभिन्न उम्रों में मौतों का सब उम्र की मौतों से अनुपात का व्योरा हस प्रकार है :

एक वर्ष से कम	१-५ वर्ष	५-१० वर्ष	१० वर्ष तक का योग
---------------	----------	-----------	----------------------

विदिशा भारत (१६३५-३६)	२४.३	१८.६	५.५	४८.४
हूँगलैंड वा वेल्स (१६३८)	६.८	२.१	१.१	१०.०

सेंट्रल एडवाइजरी वोर्ड आफ हेल्थ की एक समिति (१६३८) ने अनुसन्धान के बाद कहा है कि देश में प्रति १००० में २० के लगभग स्त्रियों की प्रसूताकाल में मृत्यु हो जाती है।

१६३२ से १६४१ तक प्रति वर्ष मिन्न-मिन्न वीमारियों से विदिशा भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका व्योरा हस प्रकार है : इस में जो मौतें बुखारों के कारण दिखाई गई हैं उनमें अधिकांश मलेरिया से, व जो सांस व फेफड़ों की वीमारियों से दिखाई गई हैं उनमें तपेदिक का बड़ा हिस्सा है। चौकीदार ही गांवों में मौतों का हिसाब रखता है लेकिन वह उन वीमारियों के अन्वेषण की योग्यता नहीं रखता जो मौत का कारण बनी :

हैजा	चैचक	प्लेग	बुखार
१,४४,६२४	३६,४७४	३०,६३२	३६,२२,८६६
२.४	१.१	०.५	५८.४

दृत वा मरोड़	सांस वा फेफड़ों की बीमारियाँ	विविध कारण	जोड़
२,६१,२४	४,७१,८०२	१५,६६,४६०	६२,०१,४३६
४२	७.६	२५.८	१००

देश का साधारण स्वास्थ्य इतनी गिरी दशा में क्यों है इसके कारण ये हैं :

(१) सब और आम गन्दगी की हालत । देश की अधिकांश जनता गांवों से रहती है लेकिन कहीं भी पीने के पानी को ढक्कर रखने का, गन्दे पानी को बहाने के लिए नालियों का व गांव की गन्दगी को गांव से बाहर फेंकने का उचित इन्तजाम नहीं है । पंजाब के पटिलक हेलथ डिपार्टमेंट ने १६३६ में प्रान्त के १ प्रतिशत गांव में ही यह इन्तजाम पापु । १६४३ तक इस और लगातार प्रयत्न करने के बाद यह संख्या प्रान्त के १५.२ प्रतिशत गांवों तक पहुंची ।

(२) आहार मूल्य के भोजन का अभाव । देश की अधिकांश जनता केवल अनाज खाकर ही ज़िन्दा रहती है । यह अनाज भी पूरी मात्रा में नहीं मिलता । भोजन में आहार-मूल्य की चीजों के इस्तेमाल का नियान्त अभाव है । भारत सरकार की फूड ब्रेनस पालिसी कमेटी ने अंदाजा लगाया था कि १६३६ से १६४३ तक सब अनाजों का उत्पादन देश की जनता की जरूरत के हिसाब से २२ प्रतिशत कम रहा । देश की गरीब जनता सदियों, फल, दूध, मांस, मछली व शंदों के प्रयोग की बात तो सोच भी नहीं सकती ।

(३) स्वास्थ्य व चिकित्सा सम्बन्धी संस्थायों की अपर्याप्तता । देश में डाक्टरों, नर्सों, दाह्यों व गौरह की संख्या जरूरत से कहीं कम है । हिसाब लगाया गया है कि देश की जनता के प्रति ६३०० व्यक्तियों के लिए १ डाक्टर व प्रति ४३,००० के लिए १ नर्स है । एक चिकित्सा संस्था (इस्पताल व डिस्पेन्सरी) को भिन्न-भिन्न प्रांतों में कियनी

जनता के स्वास्थ्य व औषधि का खयाल रखना पड़ता है, उसका व्योरा इस प्रकार है :

प्रान्त	एक संस्था के पीछे जनता की संख्या	ग्रामीण	शहरी
अविभाजित पंजाब	३०,६२५	१२,१८८	
,, आसाम	४४,२६२	१,७२,६६२	
,, बंगाल	३७,६६६	१६,७३०	
मद्रास	४२,६७२	२८,४६६	
उडीसा	५२,६४८	१५,२७६	
चम्बर्ह	३४,६२७	१७,१२७	
बिहार	६२,७४४	१८,६३०	
मध्यप्रांत	६६,००८	११,३७६	
युक्तप्रांत	१,०५,६२६	१७,६६८	

ब्रिटिश भारत (१६४२-४३) के हस्तालों में कुल ७३,००० चारपाईयाँ हैं जो देश में प्रति १००० अवित्तियों के लिए १ चारपाई के हिसाब से हैं। विदेशों से इस अनुपात की तुलना इस प्रकार होगी :

अमरीका	(१६४२)	१०.४८ चारपाईयाँ प्रति १००० जनता के लिए
जर्मनी	(१६२७)	८.३२ चारपाईयाँ प्रति १००० जनता के लिए
इंगलैंड वा वेल्स	(१६३३)	७.१४ चारपाईयाँ प्रति १००० जनता के लिए
रूस	(१६४०)	४.६६ चारपाईयाँ प्रति १००० के लिए
ब्रिटिश भारत		०.२४ चारपाईयाँ प्रति १००० के लिए
(४) स्वास्थ्य सम्बन्धी व साधारण जनता के लिए शिक्षा का अभाव । साधारण शिक्षा का बहुत कम जनता तक सीमित होना भी हमारे स्वास्थ्य की गिरी दशा का एक बड़ा कारण है। १६४१ में देश में पढ़े-लिखे का अनुपात केवल १२.५ प्रतिशत था ।		

(५) पिछड़ी हुई सामाजिक अवस्था। देश में बेकारी, गरीबी व कर्द सामाजिक रीति-रिवाज भी हमारे स्वास्थ्य को नीचा रखने में सहायक होते हैं। छोटी उम्र में व्याह होना स्वास्थ्य को नहीं बने रहने देता। हमारा रहन-सहन भी उचित तरह पर, उचित अवस्थाओं में नहीं होता।

खाद्यों का आहार मूल्य (फूड वैल्यू)

इस सम्बन्ध में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के मातहत कुनूर की न्यूट्रिशन रिसर्च लैबरेटरीज में अन्वेषण होता है। यहां देश में बरते जाने वाले सब तरह के खाने-पीने के सामान के आहार-मूल्यों की छानबीन होती है।

देश की बड़ी-बड़ी वीमारियां

तपेदिक	देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं में तपेदिक एक बड़ी समस्या बन गई है। यह वीमारी कितनी फैली हुई है व इससे प्रतिवर्द्ध कितनी मौते होती हैं, इसका अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। जो अनुमान लगाये गए हैं (१९३२-४१), उनके अनुसार ४,७१,८०२ से ८,१८,६३४ हिन्दुस्तानी प्रति वर्ष तपेदिक के रोग से मरते हैं। जो लोग खुले, हवादार मकानोंमें नहीं रहते व अच्छा रवास्थकर भोजन नहीं खाते उन पर तपेदिक के कीटाणु हावी हो सकते हैं। मनुष्यों, जानवरों व पक्षियों में तपेदिक होता है। गौशों को भी तपेदिक का रोग देवा लेता है; यिन उबला दूध पीने से रोग के कीटाणु मनुष्यों तक पहुँच सकते हैं। हिन्दुस्तान के जानवरों में तपेदिक फैला है। अभी इसकी साजी प्राप्त आंकड़ों से नहीं मिल पाती।
--------	---

यूरोप व अमरीका में तपेदिक बहुतायत से फैला है और हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में भी इसका प्रभाव काफी स्पष्ट हो चुका है। इंडियन मेडिकल गजट के अक्टूबर १९४१ के अंक में तपेदिक से दुनिया के भिन्न-भिन्न शहरों में प्रति १ लाख जनता की मौतों का दिसाव इस प्रकार चताया गया था :

पैरिस	१७७	कानपुर	४३२
मैक्सिको	१७०	लखनऊ	४१६
न्यूयार्क	१२८	मद्रास	२६०
बर्लिन	१२०	कलकत्ता	२३०
लंडन	६६	बम्बई	१४०

फरवरी १९३६ में द्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन आफ इन्डिया का संगठन हुआ। इस संस्था का केन्द्र दिल्ली में व शाखाएं प्रान्तों व रियासतों में हैं। केन्द्रीय समिति रोग के सम्बन्ध में विशिष्ट मन्त्रणा देती रहती है।

१९२६ में बंगाल में एक द्यूबरक्युलोसिस एसोसिएशन बनी जिस ने कलकत्ता व मुफसिल में हस्पताल व फिल्मेंसरियां खोल रखी हैं।

देश के हस्पतालों में तपेदिक के वीमारों के लिए केवल ६००० के लगभग चारपाईयां हैं।

देश की तीन बड़ी फैलने वाली वीमारियों में से चेचक एक है। चेचक से १८८० से १९४० तक प्रति १००० व्यक्तियों के पीछे मौतों का अनुपात ०.१ प्रतिशत से ०.८ प्रतिशत तक रहा है। यह कहा जा सकता है कि देश में इस रोग से मृत्युओंकी संख्या कम होती गई है। फिर भी १९३२ से १९४१ तक प्रतिवर्ष इस रोग से मौतों की संख्या ७० हजार के लगभग रही है। इस सम्बन्ध में दुनिया के जिन-जिन देशों के आंकड़े भिजते हैं, उन सब में हिन्दुस्तान की मृत्यु-संख्या सबसे अधिक है। चेचक से मृत्युएं बचपन में एक वर्ष से पहले और दस वर्ष के अन्दर-अन्दर अधिक अनुपात में होती हैं। चेचक के आक्रमण से जो बच भी जाते हैं वह आंखों की दृष्टि को आंशिक रूप में या पूर्णतया गंभीर बैठते हैं।

चेचक से बचने के लिए टीके का प्रयोग सबसे पहले ३८० में बम्बई

में शुरू हुआ। १८५८ में प्रान्त में वैकिसनेशन डिपार्टमेंट का आयोजन हुआ। इसके बाद बाकी प्रान्तों में भी टीका विभाग खुले। इस वक्त बचपन में देश के ८१ प्रतिशत शहरों में तथा ६१ प्रतिशत गांवों में ही टीका लगाना आवश्यक है। बम्बई प्रान्त में केवल ४.६ प्रतिशत गांवों में ही टीका लगानी है। युक्तप्रान्त, कुर्ग व अजमेर-मारवाड़ (१६४२-४३) के किसी गांव में भी टीका लगाना जरूरी नहीं है। चेचक के टीके का दुबारा लगाना केवल मद्रास में ही आवश्यक है, बाकी हिन्दुस्तान में बीमारी फैलने पर विशिष्ट आज्ञाओं द्वारा ही इसे जरूरी घोषित किया जाता है।

टीके का निर्माण रांची, नागपुर, गुड्डी, कलकत्ता पटना डंगर व बेलगांव में होता है।

हैजे से १६३७ से १६४१ तक ब्रिटिश भारतमें
प्रतिवर्ष १, ४७, ४२३ मौतें हुईं। पिछले कुछ
वर्षों में हैजे से मौतों का व्योरा इस प्रकार रहा
है :

		प्रतिवर्ष
	३,२८,५६३	
१६३७-२१	३,६२,०७०	..
१६४२-२६	१,४३,८६०	..
१६४७-३१	२,६७,७५६	..
१६४२-३६	१,४०,४४०	..
१६३७-४१	१,४७,४२३	..

हैजे की बीमारी को बश में करना कठिन नहीं है, लेकिन अब तक इस पर कावू नहीं पाया जा सका। एक तो धीने के पानी को ढक कर रखने के प्रबन्ध नहीं हैं, न गन्दगी को शहरों व गांवों से इतना दूर फेंकने का और इस प्रकार फेंकने के इन्तजाम हैं कि लोगों के खाने-पीने का सामान दूषित न हो सके। खाने के उत्पादन, वितरण व विक्री पर भी नियन्त्रण का अच्छा प्रबन्ध नहीं है।

हैजा फैल जाने पर रोगी को लोगों से अलग रखने के, कीटाणुओं से दूषित हो गए सामान को कीटाणु-रहित करने व लोगों को टीका लगाने के प्रबन्ध अधिक मात्रा में सुलभ होने चाहिए।

देश में बड़े-बड़े मेलों व जन समूहों के इकट्ठा होने पर हैजा आम-तौर पर दृट पड़ता है। प्रान्तीय सरकारों के हैदरथ डिपार्टमेंट मेलों की सफाई के विषय पर अधिक सतर्क रहते हैं और फलस्तर रूप बीमारी की रोकथाम रहती है।

बंगाल व मद्रास के कावेरी-डेल्टा में हैजा निश्चित समयों व ऋतु पर खुद ही फूट उठता है। इन प्रदेशों से हैजे के कारणों को नियंत्रित करने के विशेष प्रयत्न जारी हैं।

प्लेग १८६६ में बर्मर्ह की बन्दरगाह की राह से हिन्दुस्तान में चीन से प्लेग के रोग का आना हुआ। बीमारी शीघ्र ही हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में फैल गई। १८०४ में हिन्दुस्तान से प्लेग से ११,५०,००० मौतें हुईं। तब से इस रोग से मौतों की संख्या जागातार घटती गई है। १८३९ से १८४१ तक प्रतिवर्ष प्लेग के कारण हिन्दुस्तान से केवल १६,३४७ मौतें हुईं।

हिन्दुस्तान से प्लेग का कारण चूहे हैं। प्लेग से आक्रान्त चूहे के शरीर पर रहने वाली मक्खी के काटने पर यह रोग इनसानों में फैलता है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग जनवरों से प्लेग फैला करती है।

प्लेग का रोग गिलियों के सूजन या न्यूमोनिया के आक्रमण में स्पष्ट होता है। गिलियों की प्लेग में ६० से ७० प्रतिशत प्रभावित लोग मर जाते हैं; न्यूमोनिया के रूप में प्रकट होने वाली प्लेग से प्रायः कोई भी नहीं बच पाता।

इंडियन प्लेग कमीशन ने रोग की, इसके कारणों व निदान की ज्ञानबीन की है। इसके एक कोर्यकर्ता, डा० हैफकीन ने प्लेग से

बचने के लिए लगाए जाने वाली वैक्सीन की हँजाद की जिसका इस्तेमाल आजकल आम होता है। वर्षाई में “हैफकीन इन्स्टीव्यूट” प्लेग सम्बन्धी अन्वेषण करती रहती है।

जिन प्रदेशों में प्लेग का आक्रमण आमतौर पर हो जाया करता है वहाँ पर चूंहों की आबादी को कम रखने या हटा देने से प्लेग का निवारण हो सकता है। गिलियों की प्लेग का आक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँचता।

दुनिया के ५० लाख कोटियों में से १० लाख कोढ़ कोढ़ से आक्रान्त व्यक्ति हिन्दुस्तान में रहते हैं। कोढ़ का रोग मुख्यतया अफ्रीका, हिन्दुस्तान, दक्षिणी चीन और दक्षिणी अमरीका में है। हिन्दुस्तान में प्रायः द्वीप के पूर्वी रिनारे व दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी विहार, उडीसा, मद्रास, त्रावंकोर व कोचीन में इसका कोप विशेषतया अधिक है। हिमालय की तराई का भी कुछ हिस्सा रोगाविष्ट है।

कोढ़ के रोग के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के प्रायः शुरू में ही कलकत्ता में एक चिकित्सालय खुला। १८७५ में चम्बा मेर्डेलेज़ली-चेली-मिशन-हूलैपर्स नाम की संस्था शुरू हुई। १९३७ में इस संस्था की ३२ शाखाएं भिन्न-भिन्न स्थानों पर काम कर रही थीं जिनमें कुल ८००० रोगियोंको आश्रय मिल सकता था। यह मिशन १७ दूसरी ऐसी संस्थाओंको आर्थिक सहायता देता है जो कुल मिलाकर २६०० रोगियों का इलाज कर सकती हैं।

देश में कोढ़ सम्बन्धी संस्थाओं की कुल संख्या ६५ है और कुल १४,००० हजार रोगियों के लिए इनमें जगह है—(१६४२-१६४३)।

१९२५ से “इंडियन कौसिल आफ दी ब्रिटिश एम्पायर लेप्रसी रिलीफ एसोसिशन” भा. देश के कोढ़ के निवारण की दिशा में प्रयत्नशील है।

इसके अतिरिक्त प्रान्तों में अलहदा काम होरहा है। वर्षाई, उडीसा।

बिहार, मध्यप्रान्त व मद्रास में कोड़ के रोग से सम्बन्धित विशेष संस्थाएं सक्रिय हैं।

देश के लगभग १० लाख कोडियों में से ७० से ८० प्रतिशत ऐसी अवस्था में समझे जाते हैं जो रोग को दूसरों तक फैला नहीं सकते।

इस तरह देश में लगभग अद्भुत लाख ऐसे रोगी हैं जिन्हे आम जनता से दूर रखना आवश्यक है।

देश में ऐसे भिखारी भी हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं।

देश में कोड़ के रोग से पीड़ितों के सम्बन्ध में २ कानून बने हुए हैं जो रोगियों द्वारा खाने-पीने की चीजे तैयार करने व बेचने, सार्वजनिक कूओं व तालाबों और यातायात के सार्वजनिक साधनों के प्रयोग का निषेध करते हैं।

हिन्दुस्तान में लैगिक रोगों (सूजारु व आत-लैगिक बीमारियां शिक) के विस्तार का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इंडियन मेडिकल सर्विस के डाक्टरेक्टर-जनरल सर जान मंगा ने १९३३ में इसका अनुमान लगाने की कोशिश की थी। उनके अन्वेषण के अनुसार बड़ाल व मद्रास में यह रोग अधिक फैले हैं। इन रोगों के निदान व उपचार करने की शिक्षा के साधन केवल मद्रास व बम्बई में ही है।

१९२५-२७ में चैडलर ने हिन्दुस्तान में आंत-आंतडियों के कीड़े डियों में कीड़े पहने के रोग की विस्तृत छान-बीन की। उसके अनुसार आसाम, दार्जिलिंग, ब्र.वंकोर, दक्षिणी कनाढा और कुर्ग में यह रोग बहुतोयत से फैला है। मध्य भारत, युक्तप्रान्त के पूर्वी भाग और हिमालय की तराई में भी इसका प्रकोप कम नहीं है। बड़ाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त के पूर्वी हिस्से, पूर्वी प्रान्त और पंजाब के कुछ हिस्सों और मद्रास के वर्षी किनारे पर भी यह रोग फैला है, लेकिन रोगी की आंतडियों में औसत कीड़ों की संख्या ज्यादा नहीं होती।

आंतडिग्रों में कीदे पैदा हो जाने से शरीर में खून की कमी, पेट की पाचनशक्ति का हास व चोट लगने पर अधिक खून बहने का रोग पैदा हो जाता है।

केन्द्र या इस हद तक देश में फैला हुआ है, इस नासूर भगवन्दर बगैरह के कोई आंकड़े या अनुमान प्राप्त नहीं हैं और प्रायः यह खयाल किया जाता है कि हिन्दुस्तान में कैन्सर बहुत कम पाया जाता है। इस और कुछ देशी च-विदेशी डाक्टरों ने छानबीन की है। देश-भर में केवल बम्बई में टाटा भेमो-रियल हस्पताल इस रोग के निदान व उपचार की छानबीन कर रहा है।

पानी का प्रबन्ध

सुरक्षित पानी का प्रबन्ध जनता के लिए हो, यह सिद्धान्त सब अर्वाचीन दश मानते हैं। सुरक्षित पानी का प्रबन्ध स्वास्थ्य के लिए एक जल्दी और मौलिक आवश्यकता है। दूषित पानी के प्रयोग से कितने ही रोग फैलते हैं, इस बात बोध्यान में रखते हुए ढके व साफ पानी का इन्तजाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

ग्रामीण व शहरी जनता के जिस हिस्से को सुरक्षित पानी मिलता है उसका अनुपात मद्रास में ६.६ प्रतिशत, बंगाल में ७.२ प्रतिशत और युक्तप्रान्त में ४.१ प्रतिशत है। उड़ीसा में केवल २ ऐसे शहर हैं जहाँ सुरक्षित पानी का प्रबन्ध है। अविभाजित पंजाब के २७.२ प्रतिशत शहरों में सुरक्षित पानी का प्रबन्ध था लेकिन इस प्रान्त के गांवों के सिर्फ ०.८ प्रतिशत भाग में ही ऐसे प्रबन्ध थे।

कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और पूरा में नल के पानी के परीक्षण के इन्तजाम हैं। युक्तप्रान्त में पाच बड़े शहरों के पानी का परीक्षण हुआ करता है। हैदराबाद, कानपुर आगरा, लखनऊ, अलाहाबाद, कलकत्ता व मद्रास में पानी को रेत से गुजार कर उसे सफा करने का तरीका बर्ता जाता है।

पानी के प्रबन्ध का भार प्रान्तीय सरकारों पर है। कई शहरों में नलों के इस्तेमाल पर मीटर नहीं लगाए जाते, फलस्वरूप पानी का बहुतायत से जुकसान होता है।

गांवों में पानी आमतौर पर कूओं, तालाओं, नदियों व नालों से लिया जाता है। कुछ प्रान्तों में बिजली के नल खुदवा कर इस अवस्था को सुधारने की कोशिशें की गई हैं।

डाक्टरी शिक्षा

देश के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में डाक्टरी शिक्षा देने का हृन्तजाम है; यहां प्रायः यूरोपियन चिकित्सा पद्धति की शिक्षा ही दी जाती है। अतः कई प्रान्तों में यूनानी व आयुर्वेदिक शिक्षा की सुविधा की योजनाएँ भी बनाई गई हैं। देश में एक ऑल हॉडिया मैडिकल कॉलेज है जो सम्बन्धित शिक्षा का तल निर्धारित करती है।

हिन्दुस्तान में ११ मैडिकल कालेज हैं; केवल लड़कियों के लिए एक कालेज दिल्ली से है, एक-एक कालेज हैदराबाद व मैसूर में है। इन कालेजों में १००० के लगभग विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पाते हैं। डाक्टरी शिक्षा की अवधि प्रायः सभी जगह पाँच वर्ष है।

प्रति विद्यार्थी के पीछे कालेजों के हस्तालों में रोगियों की कितनी चारपाईयों का प्रबन्ध है, उसका व्योरा इस प्रकार है :

ग्रान्ट मेडिकल कालेज बर्बर्ड	२
स्टेनले मेडिकल कालेज मद्रास	३
किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ	४
कारमाहेल मेडिकल कालेज कलकत्ता	५

दान्तों सम्बन्धी	देश में केवल तीन कालेज दान्तों सम्बन्धी
डाक्टरी शिक्षा	डाक्टरी शिक्षा देते हैं—कलकत्ता डॉटल कालेज, नायर डॉटल कालेज, बर्बर्ड व करीमभाई इब्राहीम डॉटल कालेज, बर्बर्ड। इन तीनों में से कोई भी कालेज किसी भी यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित नहीं है।

रोग व चिकित्सा से सम्बन्धित खोज

देश में रोग निदान व चिकित्सा से सम्बन्धित सब खोज मुख्यतया दो संस्थाओं द्वारा होती है—(१) केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परी-चणालय व मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट और (२) हॉटियन रिसर्च फंड एसोसिएशन।

केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के परीचणालयों के लिए विशिष्ट अफसरों की नियुक्ति का विशेष प्रबन्ध है।

हॉटियन रिसर्च फंड एसोसिएशन देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न रोगों के सम्बन्ध में छानवीन जारी करती व तत्सम्बन्धी शिक्षा प्रसार करती है। यह एक गैर सरकारी संस्था है लेकिन सरकार से इसका गहरा सम्पर्क रहता है।

इनके अलावा अपने-अपने तीव्र में स्कूल आफ डापिकल मेडिसन, कलकत्ता, पैश्चर इन्स्टिट्यूट एसोसिएशन हन इंडिया और इंडियन फौसिल आफ विटिश एम्पायर लेप्रसी रिसीफ एसोसिएशन भी अन्वेषण करती रहती हैं।

छानवीन की जो संस्थाएँ केन्द्रीय सरकार के अनुशासन में हैं, उन का च्योरा निम्न है :

मलेरिया सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर यह संस्था इन्स्टिट्यूट ध्यान देती व इस सम्बन्ध में सक्रिय रहती है।

आफ इंडिया इस संस्था ने अपने २२ वर्ष के समय में हिन्दु-स्तान की इस सर्वव्यापी बीमारी के बारे में बहुत साहित्य प्रचारित किया है।

वायोकेमिकल स्टेंडर्ड- देश में बनी दवाइयों के विश्लेषण की विशिष्ट इजेशन लेवारटरी शिक्षा देने वाली इस संस्था का १९३७ में आयोजन हुआ था।

इम्पीरियल सीरोलोजिस्ट	इसका दफ्तर कलकत्ता के स्कूल आफ ट्रापि- कल मेडिसन की इमारत में है। कार्यक्रम टीकों के सम्बन्ध में ज्ञानवीन करते रहना व सम्बन्धित शिक्षा का प्रसार करना है।
प्रान्तों व सरकारी परीक्षणालयों की सूची यह है :	
भद्रास	किंग इन्स्टिट्यूट आफ ग्रिवेन्टिव मेडिसन, गुडन्डी। —
बम्बई	हैफकीन इन्स्टिट्यूट, बम्बई। पश्चिम क हैल्थ लेबरेटरी, पूना। वैक्सीन लिम्फ डिपो, वेलगाम।
बंगाल	वैक्सीन लिम्फ डिपो कलकत्ता। कालरा वैक्सीन लेबरेटरी, कलकत्ता। पैश्चर इन्स्टीट्यूट कलकत्ता। बंगाल पश्चिम क हैल्थ लेबरेटरी कलकत्ता।
युक्तप्रांत,	प्राविंशल हाइजीन इंस्टीट्यूट लखनऊ। केमिकल एक्जामिनर्स लेबरेटरी आगरा। पश्चिम एनलिस्ट्स लेबरेटरी लखनऊ। प्राविंशल ब्लड बैक लखनऊ।
आसाम	पैश्चर इंस्टीट्यूट और मेडिकल रिसर्च इंस्टी- ट्यूट शिलांग। प्राविंशल पश्चिम हैल्थ लेबरेटरी शिलांग।

विदेशों में हिन्दुस्तानी राजदूत

नाम	पद	नगर और देश
श्री सरदार के० एम० पनिक्कर	एम्बेसेडर	नैन्किंग, चीन।
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित	,	मास्को, रूस।
श्री अली ज़हीर	,	तेहरान, ईरान।
श्री डा० एम० ए० रक्फ	,	रंगून, बर्मा।
श्री स० सुरजीतसिंह मजीठिया	,	काठमांडू, नेपाल।
श्री डा० सैयद हुसैन	,	काथरो, इजिप्ट।
श्री चिंग कमांडर रूप चन्द्र	,	काबुल, अफगानिस्तान।
श्री दीवान चमनलाल	,	अकरा, टक्की।
श्री बी० रामाराव	,	न्यूयार्क, अमरीका।
श्री आर० के० नेहरू चार्ज द अफेयर्स		वार्षिंगटन, अमरीका।
श्री एन० आ० पिल्लई	,	पेरिस, फ्रांस।
श्री बी० एफ० तैयाबजी	,	ब्रस्सेलस, बेल्जियम।
श्री भगवत् दयाल एनवाय एकस्ट्रा-आर्डनरी व मिनिस्टर प्रेनिपोटेन्शरी		बंगाकोक, स्थाम।
श्री ढी० बी० देसाई	,	बर्न, स्विटज़रलैंड।
श्री एम० आर० मसानी	,	रियो ढी जैनरियो, ब्राजील।
श्री एन राववन	कौसल जनरल	बटेविया, इन्डोनेशिया।
श्री ई० एस० कृष्णामूर्ति	,	शंघाई, चीन।
श्री मिर्जा रशीद अली बेग	,	पांडीचरी, इन्डिया।
		हिन्दुस्तान से फ्रांस व पुर्तगालियों के आधिपत्य के प्रदेश के लिए।

श्री ए० एन० मेहता कौसल सैगौन, हन्डोचाहना ।
 श्री ब्रिगेडियर खूब चन्द हेड आफ इन्डियन बर्लिन, जर्मनी ।
 मिलिट्री मिशन

श्री ई० शिष्टने हिज मैजेस्टीज़ काशगर।
 कौसल जनरल

ए० जे० हापकिन्सन पोलिटिकल आफिसर सिक्किम ।
 एस्कवायर

श्री आर० आर० सक्सेना कौसल जनरल न्यूयार्क, अमरीका ।
 श्री डाक्टर पी० पी० राष्ट्र संघ (य०० एन०- इन्डिया डेलीगेशन
 पिल्लई ओ०) में हिन्दुस्तान के आफिस न्यूयार्क,
 स्थायी प्रतिनिधि अमरीका ।

श्री बी० बी० गिरि हाई कमिशनर फार इन्डिया कोलम्बो, सीलोन ।
 श्री एच० एस० मलिक „ ओटावा, कैनेडा ।
 श्री एन० है० एस० राघवाचारी एजेंट कैडी, सीलोन ।
 श्री बी० के० कृष्ण मेनन हाई कमिशनर फार लंडन, इंग्लैण्ड ।

इन्डिया

श्री श्रीप्रकाश „ कराची, पाकिस्तान ।
 श्री के० आर० दामले आफिशल सेक्रेटरी कैनबरा, आस्ट्रेलिया ।
 हाई कमिशनर्स आफिस

श्री जे० डब्ल्यू० मेल्हूम सेक्रेटरी, हाई कमिशनर्स केपटाउन ।
 आफिस

श्री जे० ए० थिवी रिप्रेजेन्टेटिव आफ गवर्नर्सेट
 आफ इन्डिया मलाया ।
 श्री टी० जी० नटराज एजेंट आफ द गवर्नर्सेट
 आफ इन्डिया कुआलालम्पुर, मलाया ।
 पिल्लई

श्री धर्मयश देव मारिशस ।
 श्री अद्भुत मजीद खां जद्वा, सौंदी अरेबिया ।

हिन्दुस्तान के प्रमुख नगरों में
विदेशी राजदूतों के दफ्तर

दिल्ली में विदेशी एम्बेसेडर : अमरीका, बेलियम, नेदरलैंड्स, चेको-
स्लोवाकिया, फ्रान्स, टर्की, रूस, ईरान,
नेपाल, बर्मा, चीन ।

“ चार्ज ड अफेयर्स : इटली, पोप, अफगानिस्तान, स्थान ।

“ मिनिस्टर रिवट्जलैंड ।

“ हाई कमिशनर : कैनेडा, इंगलैंड, पाकिस्तान, लङ्का, आस्ट्रेलिया ।

बम्बई में विदेशी कौसल भोजाको, नार्वे, स्वीडन, यूनान (ग्रीस),
इंगिष्ठ, लेबनान, इराक ।

“ बाह्य कौसल गुग्राटेमाला, निकारागुआ, क्यूबा,
ब्राजील, डेन्मार्क, पोर्तुगाल, लक्सम्बर्ग
स्पेन, लैटविया ।

कलकत्ता में विदेशी कौसल आज़ेःटाइना, बोलीचिया, पेरु, विनेज्युला
यूनान (ग्रीस), डेन्मार्क, नार्वे ।

“ बाह्य कौसल इक्चाड़ोर, मेक्सिको, कोस्टा रिको, गुग्रा-
टेमाला, पुल साल्वाड़ोर, कोलम्बिया,
हेटी, लाइवेरिया, डेन्मार्क, पोलैंड ।

मद्रास में विदेशी कौसल कोलम्बिया ।

“ बाह्य कौसल डेन्मार्क ।

कालिकट में विदेशी बाह्य कौसल डेन्मार्क ।

हिन्दुस्तान में विदेशी राजदूतों के पते

देश	पद	पता
अफगानिस्तान	कौसल जनरल कौसल	२४ रैटन्डन रोड, नई दिल्ली । ११५, वाकेश्वर रोड, वस्वई ।
आर्जन्टाइना	वाइस कौसल (आनरेरी)	मार्फत होर मिल्लर एंड कंपनी ५ फेयरलाई प्लेस, कलकत्ता ।
अमरीका	कौसल जनरल	६ एस्प्लेनेड मैशन्स गवर्नर्सेट प्लेस ईस्ट कलकत्ता ।
	कौसल जनरल	कन्स्ट्रक्शन हाउस विटेट एंड निकल रोड, वैल्लर्ड रोड वस्वई ।
	कौसल	मद्रास ।
इक्वाडोर	कौसल आनरेरी	मार्फत टर्नर मौरिसन एंड कं० ६ लियन्स रेंज, कलकत्ता ।
इंगिल्स्ट	कौसल जनरल	कम्ब्रिटा विलिंडग, ४२ क्वीस रोड, चर्चगेट रिक्लमेशन, वस्वई ।
इटली	कौसल जनरल	कन्ट्रोटर विलिंडग, निकल रोड, वैल्लर्ड एस्टेट, वस्वई ।
ईरान	कौसल जनरल कौसल	४, एल्ट्रुकर्क रोड, नई दिल्ली । नौरोजी गमडिया रोड, चाहिया रोड के सामने, वस्वई ।
	कौसल	मद्रास ।
ईराक	कौसल जनरल	'पैनोरमा', २०३ वाकेश्वर रोड वस्वई ।
ऊर्गावाय	कौसल	वस्वई (अभी पद स्थाली है)
	वाइसकौसल (आनरेरी)	कलकत्ता (अभी पद स्थाली है)
एल साल्वाडोर	कौसल (आनरेरी)	राम निकेतन, १० पी. के, टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता ।

कोलम्बिया	कौसल जनरल कौसल (आनरेरी)	मद्रास । कलकत्ता (अभी पद खाली है)
कोस्टा रिका	कौसल (आनरेरी)	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
क्यूबा	कौसल जनरल कौसल	कलकत्ता (अभी पद खाली है) रेडीमनी मैन्यन, चर्च गेट स्ट्रीट, बम्बई ।
ग्रीस (यूनान)	कौसलजनरल(आनरेरी)	७ बेलोजली प्लेस, कलकत्ता
	कौसल जनरल	'फिजी हाउस' १७ रैवलिन स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई ।
चीन	कौसल जनरल कौसल	३०, स्टीफन कोर्ट, १८ बी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता । रजव महल, १२७, नं० १, न्यू मैरीन लाइन्स, फोर्ट, बम्बई ।
चेकोस्लोवाकिया	कौसल जनरल	'चेस्ट ब्यू' ८७ वोड हाऊस रोड, कोलावा, बम्बई ।
	कौसल	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
टर्की	कौसल जनरल कौसल (आनरेरी)	'फिरदौस' मैरीन ढाइव, बम्बई । मार्फत मौसिल एंड करपनो, मर्केन्टाइल विलिंग, लाल बाजार, कलकत्ता ।
हेन्मार्क	कौसल कौसल (आनरेरी)	इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स, निकल रोड, बैललर्ड एस्टेट, बम्बई । मार्फत ईस्ट एशियाटिक कम्पनी लिं १५२, कलाइव विलिंडग्स, कलकत्ता ।

	कौंसल	मद्रास ।
डोमिनिकन		
रिपब्लिकन	कौंसल (आनंदरी) १०२ ऐंड १०४, सोवा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता ।	
थाइलैंड (स्याम)		स्थान्त्रजलैंड का कौंसल ही थाइ- लैंड के हितों का खयाल रखता है।
निकारग्वा	कौंसल	एलिस विलिंडग, हार्नबाई रोड, बम्बई ।
	कौंसल(आनंदरी)	कलकत्ता (अभी पद खाली है) पटसन के नियांत सम्बन्धी हितों का कलकत्ता स्थित अमरीका का दूत खयाल रखता है ।
नेपाल	कौंसल जनरल	१२, बाराखम्बा रोड, नदै दिल्ली ।
वेदरलैंड्स	कौंसल जनरल	रायल इन्डियन विलिंडग, २७ डलहौजी स्क्वयर, कलकत्ता ।
	कौंसल	३१४ हार्नबाई रोड, बम्बई ।
	कौंसल	कोचीन ।
	कौंसल	मद्रास ।
नार्वे	कौंसल जनरल	इम्पीरियल चैम्बर्स, विलसन रोड, बैंलुड एस्टेट, बम्बई ।
	कौंसल जनरल	मार्फत नोरिन्को पुंड कम्पनी, ६ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड, कलकत्ता ।
	कौंसल	मद्रास ।
	वाइस कौंसल	कोचीन

पनामा	कौसल	कलकत्ता। पनामा के हितों का खयाल कलकत्ता व बम्बई में स्थित अमरीका का दूत करता है।
पोलैंड	कौसल जनरल	बम्बई। (अभी पद खाली है)
	कौसल	कलकत्ता। (अभी पद खाली है)
पुत्रगाल	कौसल जनरल	१६ ए, कफी पैरेड, कोलम्बो, बम्बई।
	कौसल(आनरेरी)	१०, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता।
फिनलैंड	कौसल	मद्रास
		स्वीडन का दूत कलकत्ता में फिनलैंड के हितों का खयाल रखता है।
फाँस	कौसल जनरल	प्लैट २६, पार्क मैशन्स, पार्क-स्ट्रीट, कलकत्ता।
	कौसल	वल्डाइन, ८७ बी, नेपियन सी रोड, बम्बई।
देल्हियम	कौसुलर एजेंट	मद्रास
	कौसल जनरल	'मोरेना,' ११ कार्माइकल रोड, बम्बई।
	कौसल जनरल	२४-१ ए अलीपुर रोड, अलीपुर, कलकत्ता।
चोलीविद्या	कौसल	मद्रास।
	कौसल जनरल	वेलेजली हाऊस, ७ वेलेजली प्लेस, कलकत्ता।
आज़ील	कौसल(आनरेरी)	एशियन विलिंग्गा, वैल्कर्ड एस्टेट बम्बई।

मेकिसको	कौसल	कलकत्ता । (अभी पद खाली है)
मोनाको	कौसल (आनरेरी)	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
रुमानिया	कौसल	बम्बई । (अभी पद खाली है)
	कौसल	स्वीडन का बम्बई स्थित दूत रुमानिया के हितों का खयाल रखता है ।
लक्सम्बगँ	वाइस कौसल	ताज बिलिंग सैकंड फ्लोर, हानेवाहै रोड, फोर्ट, बम्बई ।
लाइब्रेरिया	कौसल(आनरेरी)	कलकत्ता । (अभी पद खाली है)
लेबनान	कौसल	चर्च गेट हाऊस, चर्च गेट स्ट्रीट, बम्बई ।
लैटिया	कौसल	बम्बई व मद्रास ।
वेनेज्युएला	कौसल(आनरेरी)	७-२ पी, जमीर लेन, वाली ग'ज, कलकत्ता ।
स्पेन	कौसल	'ओशिएनिया', १५३ मैरीन ड्राइव, बम्बई ।
	वाइस कौसल(आ०)	कलकत्ता (अभी पद खाली है)
	वाइस कौसल	मद्रास ।
स्वीडन	कौसल जनरल	'शंग्रीला', कार्माहिकल रोड, बम्बई ।
	कौसल आनरेरी	७ वेलेज़ली ब्लैस, कलकत्ता ।
	कौसल	मद्रास ।
स्विटज़रलैंड	कौसल जनरल	१२५, एस्लानेड रोड, फोर्ट, बम्बई ।
	कौसल आनरेरी	पोलक हाऊस, २८ ए, पोलक स्ट्रीट कलकत्ता ।

	कौसुलर एजेंट	मद्रास ।
हंगरी		हंगरी के हितों का स्वीडन के दूत खायाल रखते हैं ।
हेटी	कौसल जनरल(आ) २ कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता ।	
लंडन	विदेशों में हिन्दुस्तानी व्यापार दूतों के पते हॉटियन ट्रैड कमिशनर, हॉटिया हाउस, आल्डविच, लंडन, डब्ल्यू० सी० २ । यह दफ्तर हॉटलैंड और यूरोप के बन सभी देशों से हिन्दुस्तान के व्यापार का ध्यान रखता है जो पैरिस और बर्लिन के दफ्तरों के तुलना में नहीं हैं ।	
पैरिस	हॉटिया गवर्नरेट ट्रैड कमिशनर, इ१ रुड लावाम, पैरिस ८, फ्रांस । पोर्चुगाल, स्पेन, फ्रांस स्विटज़रलैंड, लक्सम्बर्ग, बेल्जियम, हालैंड, डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन और चेकोस्लोवाकिया के देशों से व्यापार पर इसी दफ्तर से ध्यान रखा जाता है ।	
बर्लिन	इकनामिक एडवाइजर, हॉटियन मिलिट्री मिशन, बर्लिन । यह इकनामिक एडवाइजर ही हॉटियन ट्रैड कमिशनर का काम कर रहे हैं ।	
न्यूयार्क	जर्मनी व आस्ट्रिया के देशों का व्यापार बर्लिन के दफ्तर के मातहत है । इ१८५०, फिफ्थ एवेन्यू, न्यूयार्क, एन० बाई० । यह दफ्तर अमरीका और हिन्दुस्तान के बीच व्यापार पर ध्यान रखता है ।-	
व्यूनोस एयर्स	इ१८५०, गवर्नरेट ट्रैड कमिशनर, अवेनिडा रोक साइन्जा पेना ६२८, व्यूनोस एयर्स, अर्जेंटाइना । दक्षिणी अमरीका के सब उत्तरी अमेरिका से व्यापार पर यही दफ्तर नज़र रखता है ।	

टोरन्टो	ह'डिया गवर्नर्मेंट ड्रैड कमिशनर, रायल बैंक विलिंग, टोरन्टो, कैनेडा। कैनेडा और न्यू-फौंड लैंड से हिन्दुस्तान के व्यापार का ध्यान हसी दफ्तर से होता है।
सिडनी	ह'डियन गवर्नर्मेंट ड्रैड कमिशनर, प्रूदेन्शल विलिंग, मार्टिन प्लेस, सिडनी, आस्ट्रेलिया। आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के व्यापार से सम्बन्धित दफ्तर।
मोम्बासा	ह'डियन गवर्नर्मेंट ड्रैड कमिशनर, अफ्रीका हाऊस, किकिन्डनी रोड, पोस्ट बक्स नं० ६१४ मोम्बासा, केन्या कॉलोनी। पूर्वी अफ्रीका, (केन्या, उगान्डा और टांगानीका) और जन्जीबार के हिन्दुस्तानी व्यापार पर ध्यान रखने वाला दफ्तर।
एलकजान्ड्रिया	ह'डियन गवर्नर्मेंट ड्रैड कमिशनर, अल बस्तर विलिंग, नं० ५ रु'अदीव वे इसाक, एवेन्यू डि ला राईन, नज़ली, एलकजान्ड्रिया, हैंजिष्ट। यह दफ्तर टर्की, सोरिया, लेबनान, साइप्रस, फिलस्तीन, ईजिप्ट द्वान्सजाईन, सॉदी अरब, इराक, अरब, फारस की खाड़ी का किनारा (वहरैन और कुवैत सहित) मस्कट, सूडान और यमन देशों से व्यापार पर ध्यान रखता है।
तहरान	ह'डियन गवर्नर्मेंट ड्रैड कमिशनर, घोमशाही विलिंग (चिकटरी हाऊस के सामने) ऐवेन्यु फिरदौसी, तहरान, पर्शिया। फारस के व्यापार से सम्बन्धित।
कोलम्बो	ह'डियन गवर्नर्मेंट ड्रैड कमिशनर, आस्ट्रेलिया विलिंग, फोर्ट, कोलम्बो, सीलोन। सीलोन से हिन्दुस्तान के व्यापार पर नज़र रखने के लिए।

काबुल	इंडियन ट्रेड एजेंट, नं० १२गुजार १, शहरे नाक, काबुल अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का यह दफ्तर अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया है।
इंगलैण्ड	हिन्दुस्तान में विदेशी व्यापार दूतों के दफ्तर (१) यू० के० सीनियर ट्रेड कमिशनर इन इंडिया, बर्मा ए० ड सीलोन, ६ एलबुकर्क रोड, नई दिल्ली। (२) यू० के० ट्रेड कमिशनर इन इंडिया, आडन्ड फ्लोर, नं० १, हैरिंगटन स्ट्रीट, पोस्ट बक्स नं० ६८३, कलकत्ता। (३) यू० के० ट्रेड कमिशनर इन इंडिया, पोस्ट-बक्स नं० ८१५, बम्बई। (४) यू० के० ट्रेड कमिशनर इन इंडिया, मद्रास।
आस्ट्रेलिया	(१) सीनियर आस्ट्रेलियन गवर्नर्मेंट ट्रेड कमिशनर इन इंडिया मेंकिया बिलिङ्ग्स, आउट्स रोड, फोट०, पोस्ट बक्स २१७, बम्बई १। (२) आस्ट्रेलियन गवर्नर्मेंट ट्रेड कमिशनर, २ फेथर-लाई एलेस, कलकत्ता।
कैरेडा	कैरेडियन गवर्नर्मेंट ट्रेड कमिशनर इन इंडिया, बर्मा ए० ड सीलोन, ब्रेशम इन्ड्युरेन्स हाउस, मिन्ट रोड, पोस्ट आफिस बक्स ८८६, बम्बई। ट्रेड कमिशनर फार सीलोन इन इंडिया, सीलोन हाउस, ब्रू स स्ट्रीट बम्बई।
सीलोन (लंका)	न्यूज़ीलैंड गवर्नर्मेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, न्यूज़ीलैंड गवर्नर्मेंट आफिस, ताजमहल होटल बिलिंग्ग, पोस्ट बक्स ११६४, बम्बई। चेकोस्लोवाकिया गवर्नर्मेंट ट्रेड कमिशनर फार इंडिया यूसफ बिलिङ्ग, ४३ महात्मा गांधीरोड,
न्यूज़ीलैंड	
चेकोस्लोवाकिया	

ड न्मार्क

पोस्ट बक्स २५४, बम्बई।

फ्रांस ।

इटली

नेदरलैन्ड्ज और
नेदरलैन्ड्ज ईंट इंडीज गेट स्ट्रीट,

स्टिटजरलैंड

टर्की

लूस

जी० पी० ओ०, बाक्स नं० १६६, बम्बई १।

डेनिश गवर्नमेंट ट्रैड कमिशनर इन इंडिया,
मार्फत रायल डेनिश कौसुलेट, इंडियन
मैकेटाइल चैम्बर्स, निकल रोड, बैल्कर्ड एस्टेटफ्रेंच ट्रैड कमिशनर, १३ पार्क मेनशन्स, पार्क
स्ट्रीट, कलकत्ता ।इटैलियन गवर्नमेंट ट्रैड कमिशनर इन
इंडिया, बर्मा एंड सीलोन, ५ होमजी स्ट्रीट,
फोटॉ, बम्बई ।ट्रैड कमिशनर फार नेदरलैन्ड्ज इंडीज, १४ चर्च
सीलोन, अंशम इन्डियुरेन्स हाऊस, सर फिरोज़-
शाह मेहदा रोड, बम्बई ।कमर्शल रिप्रेजेंटेटिव आफ टर्किश गवर्नमेंट
इन इंडिया । तुगलक लेन, नहै दिली ।
ट्रैड एजेंट फार दी यू० एस० एस० आर
इन इंडिया, ४ कामक स्ट्रीट, कलकत्ता ।

हमारे पड़ोसी

हमारी विदेशी नीति का निर्माण कितनी ही विविध राष्ट्रीय व
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर होता है। इस नीति
को निर्धारित करने के समय पड़ोसी देशों की नीति व अवस्थाओं का
अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

हमारे पड़ोसी देशों में आज राजनीतिक शान्ति नहीं है। हमारी
स्थानों के साथ व नजदीक अधिकतर ऐसे देश हैं जो हाल में ही

यूरोपीय साम्राज्यों के चंगुल से छूटे हैं अथवा उनसे छूटने के संघर्ष में संलग्न है। प्रगति के पश्चिमी दृष्टिकोण से एशिया के देश बहुत ही पिछड़े व गरीब हैं। विदेशी आर्थिकत्वों के हितों के लिए यह सदियों उत्पीड़ित किए जाते रहे हैं। लम्बे काल के बाद विदेशी ग्रभूत से निकलने पर अपनी गरीबी और जनता की समस्याओं से एकाएक पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। एशिया के हमारे पड़ोसी देश वर्षा, मलाया, हिन्द एशिया,, इंडोचाइना व चीन इन समस्याओं का सुलभ दूल कम्यूनिज़म में खोजने को उत्सुक हैं। जनता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति ऐसी है जो कि उसे हर उस पार्टी को अपना समर्थन देने पर विवश कर देती है जो कि उसे भूख, नंगेपन व अशिक्षा से बचाने का बाधा करे और तदर्थ योजनाएं सुझाए। अपने पड़ोस के देशों को राजनैतिक व आर्थिक परिस्थिति से परिचय पाना देश की सन्तुलित विदेशी नीति के बनाने में सहायक और आवश्यक होता है।

अफगानिस्तान

हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान में अब सुगम सम्पर्क नहीं रहा; दोनों की सीमाओं में उत्तरी पाकिस्तान फैला है।

अफगानिस्तान का लैनफल २,५०,००० वर्गमील और आवादी लगभग १ करोड़ है। यहा सुहस्मद झहीर शाह का राज्य है।

देश की विधि व्यवस्था शरीयत पर आधित है। अफगानिस्तान प्राय पहाड़ी, पठरीला, व शुषुक देश है, फिर भी फल, संबिंद्यो व अनाज की खेती बहुतायत से होती है। फल और भेड़ों का चमड़ा निर्यात होता है। कपास भी बाहर भेजी जाती है।

देश में खनिज पदार्थ भी हैं लेकिन उनका उत्तरादन अभी बहुत पिछड़ी अवस्था में है।

अफगानिस्तान में रेजगाड़ियों का चलना अभी शुरू नहीं हुआ।

३.६५ अफगानी रूपयों की कीमत १ हिन्दुस्तानी रूपया है।

आस्ट्रेलिया

इंगलैंड की अधीनता के निम्न ६ प्रदेशों को मिला कर १९०१ में कामनवेत्रथ आफ आस्ट्रेलिया का संघ बनाया गया—न्यू साउथ वेस्ट, विक्टोरिया, क्वीन्झॉल्ड, साउथ आस्ट्रेलिया, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया और तस्मानिया। देश की राज्य सत्ता की स्वामिनी प्रतिनिधि मभा में १९४७ के चुनावों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक पार्टीयों ने इस प्रकार प्रतिनिधित्व पाया: आस्ट्रेलियन लेबर पार्टी—४३, लिबरल पार्टी—१७, कन्ट्रीपार्टी—११, स्वतन्त्र लेबर २—, लिबरल कन्ट्री पार्टी—१। कुल सदस्य—७४। सेनेट में लेबर पार्टी को ३३ और लिबरल कन्ट्री पार्टी के ३ सीटे प्राप्त हैं।

आस्ट्रेलिया का लोन्च २६, ७४, ५८१ वर्गमील- और आवादी ७५, ८०, ८२० (१९४७) है। इस संख्या में आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नहीं गिना गया है, जिनकी संख्या का अनुमान कुल ४७,००० है।

आस्ट्रेलिया के लोगों का रक्त, धर्म व इतिहास के अनुसार इंगलैंड के लोगों से बहुत सामीप्य है। आस्ट्रेलिया की विदेशी नीति विटेन की विदेश नीति के अनुसार ही चलती है।

१९४४ के एक हिमाच के अनुसार आस्ट्रेलिया की ३८.५ प्रतिशत भूमि किसी भी प्रयोग में नहीं आ रही थी। देश की कृषि की सुख्य उपज गेहूँ, जौ, मकई, हूँस और फल हैं। भेड़ों का पालन देश का एक प्रमुख धन्या है और लगभग ६४ करोड़ पार्डंड ऊन प्रति वर्ष पैदा होती है (१९४५-४६)। देश में मक्खन, पनीर व मांसादि का उत्पादन भी बहुतायत से होता है। खनिज पदार्थों में सोना प्रमुख है। १९४६ में ८,२४,४८० फाइन आउंस सोने का उत्पादन हुआ। देश में कारखानों की कुल संख्या ३१,१८४ है जिनमें ७,४५,२५८ मजदूर काम करते हैं।

इन्डोचाइना

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में जापान ने हिन्द चीन से फ्रान्स के

आधिपत्य को खत्म कर दिया और अगस्त १९४५ में वहाँ की जनता के अपना लोकतन्त्र बना लेने की सुविधाएं ही। इस पर टॉकिंग, अनाम, व कोचीन-चाहना के प्रदेशों को मिला कर वीत नाम के लोकतन्त्र की स्थापना हुई। हो ची मिन्ह इस लोकतन्त्र के प्रधान हैं।

फ्रान्सीसी हिन्द चीन में पांच रियासतें हैं—कोचीन, चाहना, अनाम, कम्बोडिया, टॉकिंग और लाओस। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग २,८६,००० वर्गमील व आबादी २,६६,४३,००० (१९४३) है। इस आबादी में ४३,००० फ्रान्सीसी व ६ लाख के लगभग दूसरे विदेशी हैं।

फ्रान्स ने मार्च १९४६ को वीतनाम के प्रधान से समझौता कर लिया। यह समझौता दिसम्बर ४६ में ही तोड़ दिया गया।

हिन्द चीन आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से तीन हिस्सों में बंटा है :

(१) सेगोन दरिया के आस पास के प्रदेश। इनमें कोचीन-चाहना; कम्बोडिया, दक्षिणी लाओस और अनाम शामिल हैं। यह प्रदेश प्रायः कृषि प्रधान है। इस प्रदेश में चाचल की उत्पत्ति बहुतायत से होती है।

(२) हेफोंग दरिया के आस-पास के प्रदेश। इस में टॉकिंग और उत्तरी अनाम के तीन जिले शामिल हैं। इस प्रदेश में कृषि खनिजोत्पत्ति व निर्माण के धन्वे चल रहे हैं।

(३) मध्य अनाम। इस प्रदेश का सुख्य बन्दरगाह दूरेन है जहाँ से चीनी, चाय व मकई का निर्यात होता है।

हिन्द चीन के जंगलों से लकड़ी, बांस, लाख, जड़ी-बूँदियां व तेल प्राप्त होते हैं। मछली पकड़ने का धन्धा एक प्रमुख व्यवसाय है। यह बहुतायत से खाई व देश के बाहर भेजी जाती हैं। टीन, जिस्त व मैगनीज का उत्पादन होता है।

वीतनाम

इस नए लोकतन्त्र का शासन आजकल टॉकिंग और अनाम के कुछ

प्रदेशों पर है। जनता की भाषा अनामी है। राजधानी हनोई है। कम्यूनिस्टों का प्रभुत्व है।

मार्च ४६ मे क्रान्स ने एक सन्धि द्वारा इस देश की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। इस समझौते की शर्तों के अनुसार कोचीन-चाह्ना के लोग एक रेफरेन्डम द्वारा यह फैसला करेंगे कि वह बीतनाम मे सम्मिलित होना चाहते हैं या नहीं।

मुख्य आषात—पुर्जे व मशीनरी, सूत, पेट्रोल, कागज, तम्बाकू।

मुख्य नियर्ति—चीनी, चावल, चाय, कागज, लोहा, कोयला, मक्खी, पूरंड और लाख का तेल।

फ्रान्सीसी हिन्दूचीन के दूसरे प्रदेशों की सुख्य पैदावार मछली, चावल, मिर्च, लकड़ी, बरोज़ा व चमड़ा (कम्बोडिया), चावल, काफ़ी, चाय, गोद, इलायची, सिनकोना, (लाओस), चावल, ईख, रबर, फल (कोचीन-चाह्ना) हैं।

इन्डोनेशिया (नेदरलैंड्ज, इंडीज)

१६ वीं सदी में यूरोपीय ताकतों द्वारा हुनिया के पिछड़े प्रदेशों की लूट शुरू हुई थी, उन्हीं दिनों दक्षिणी प्रशिया के कई देश पुर्तगाल, हालैंड, व हंगलैंड, के आधिपत्य में आ गए। इन्डोनेशिया के भिन्न-भिन्न टापुओं पर भी इन्हीं दिनों कब्जा हुआ। अब इन द्वीपों पर हालैंड का आधिपत्य है।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान मे इस प्रदेश पर जापान ने कब्जा कर लिया था। जापानी प्रभुत्व के दिनों मे ही जावा मदुरा व सुमात्रा द्वीपों में एक राष्ट्रीय आनंदोलन ने जन्म लिया जिसने विदेशियों के हाथों से राज्य-सत्ता छीन ली। १७ अगस्त १९४५ 'को इन्डोनेशियन रिपब्लिक' की स्थापना की घोषणा की गई और श्योकणों इसके पहले प्रधीन बने। इस लोकतन्त्र से हालैंड ने समझौता कर लिया जिस पर २५ मार्च १९४७ को बटेविया मे दस्तखत हुए।

नए लोकतन्त्र को जापान व हालैंड दोनों के साम्राज्यवाद से

टक्कर लेनी पड़ी है। हालैंड से अभी संघर्ष जारी है।

नेदरलैंड्स इन्डीज के ५ मुख्य द्वीप हैं: जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिब्रीज और न्यू गिनी। न्यूगिनी का पश्चिमी प्रदेश हालैंड व पूर्वी ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के आधिपत्य में हैं। १५ अन्य छोटे और महत्वपूर्ण टापू हैं, वैसे तो सारा प्रदेश ही हजारों छोटे-छोटे टापुओं में बंदा है। ज्येत्र ७,३५,२६८ वर्ग मील व आबादी ६,०७,२७,२३८ (१९३०) है। आबादी का अनुमान १९४० में ७ करोड़ के लगभग था।

द्वीप समूह में जनता को पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता है। इन्होनेशिया के लोग प्रायः तर मुसलमान हैं।

मुख्य उपज चीनी, चावल, चाय, मकई, आलू, मूँगफली, सोया की फली, रबर, पेट्रोल व नारियल हैं।

चीन

हमारे पड़ोस के देशों में चीन महत्व का देश है। १९४८ में किये गए असुमानों के अनुसार इसका ज्येत्र ३३,८०,६९२ वर्ग मील और इसके ३५ प्रान्तों की कुल आबादी ४५ करोड़ ७४ लाख के लगभग है।

१२ फरवरी १९१२ को चीन में एक क्रान्ति के फलस्वरूप वहाँ की पुरातन राजकीय शासन-पद्धति समाप्त हो गई और देश एक लोकतन्त्र रिपब्लिक घोषित हुआ। चीनी लोकतन्त्र के नए विधान के आदेशानुसार नवम्बर १९४७ में चुनाव हुए और २६ मार्च १९४८ को राष्ट्रीय लोक-सभा (नैशनल इसेम्बली) का उद्घाटन हुआ। जनरल च्यांग कार्है शेक लोकतन्त्र के प्रधान चुने गए।

चीन के उत्तरी प्रदेशों में, जो शांसी, चहार, होनान, होणी और शान्तुंग के प्रान्तों के साथ हैं, केम्यूनिस्टों का प्रभुत्व है। चीन की केन्द्रीय सरकार व कम्यूनिस्टों में बरसों से संघर्ष चल रहा है। दुनिया की प्रमुखतम परस्पर विरोधी ताकतें इन दोनों पक्षों को इतनी सहायता लगातार देती रहती हैं कि दोनों आपस में लड़ते रहे, न कोई जीते, न

कोई हारे, और फलस्वरूप दुनिया के सब देशों से जनसंख्या में बड़ा देश ऐसे देशी संघर्ष से कमज़ोर बना रहे। इन दिनों इस घरेलू युद्ध में कम्यूनिस्टों का पलटा भारी रहा है।

चीन की जनता अधिकतर कन्फ्यूशनिज़म, ताओ-इज़म व बौद्ध धर्म की अनुयायी है। प्रायः सभी प्रान्तों में मुसलमान भी फैले हैं। सारे चीन में मुसलमानों की संख्या ४ करोड़ ८० लाख के लगभग है।

द्वितीय महायुद्ध के दौरान में चीन की सरकार ने हँगलैड, अमरीका व रूस से अज्ञग-अलग समय पर कर्ज़ लिये। इन कर्ज़ों की कुल रकम लगभग ३ अरब रुपया है।

चीन का प्रमुख धनधा खेती-वारी है। कृषि योग्य जमीन छोटे-छोटे ढुकड़ों में बंटी है। खेती में गहरी जुराई होती है। फल व सक्कियां बहुतायत से पैदा की जाती हैं। चावल, गेहूँ, जौ, क्योलियांग, मक्का बाजरा, आलू व सोया की फलियों की उपज होती है। यांगसी और येलो रिवर की धारियों में कपास की खेती की जाती है। कपास की उपज में अमरीका, हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के बाद चीन का ही स्थान है। इसकी उपज १६४३-४६ में १६ लाख गांठें थी। चीन के पश्चिम व दक्षिण में चाय की खेती होती है। देश में कीड़ों के रेशम का उत्पादन बहुत होता है।

१९४७ के अन्त में देश के रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या ७८१५ थी जिनमें से १८८८ खाद्य, १८४० रसायन, १६७६ वस्त्र, ६७० मशीनरी, ३८५ कपड़ों की सिलाई, ३५३ धातुओं के प्रयोग, १६६ धातु विशेषण, १४६ बिजली व ४२० अन्य विविध उद्योगों से सम्बन्धित थे। देश के कुल कारखानों का एक तिहाई भाग शंघाई में स्थित है।

चीन में कोयला, सोना, लोहा, तांबा, सिक्का, जिस्त, चांदी, टंगस्टन, पारा, एन्टीमनी और टीन पाये जाते हैं। १९४६ में कोयले की उपज १ करोड़ ८४ लाख मेट्रिक टन थी। इस वर्ष लोह मूल (आयरन-ओर) की उपज ३५,००० टन थी। एन्टीमनी और टंगस्टन

के उत्पादन में चीन के प्राकृतिक साधन दुनिया-भर में सर्वोत्तम हैं।

१९४७ में चीन के आयात व निर्यात का चीनी डालेरों में मूल्य ३,०६,८१,३२,६५,७४,००० और ६३,७६,५०,४२,६७,००० था। इन शाकडो में चीन के पिछले वर्षों का मुद्राधिक्य (हफ्तेशन) स्पष्ट अतिरिक्तिवित है।

आयात की मुख्य चीजें : रंग, पेन्ट, वानिश, किताबें, कागज, कपास, सूत, धातुएँ, तेल, चर्बी, साबुन, मोटरें व जहाज, रसायन, औषधियाँ।

निर्यात की मुख्य चीजें : पशु व पशुओं से पैदा होने वाले सामान, तेल, धातु, मूल, चाय, सूती कपड़ा, विविध लकड़ियों का तेल।

चीन में लगभग ३५० विदेशी कम्पनियाँ बड़े व्यापारों में संलग्न हैं, इनमें से १५१ अंग्रेजी व १४२ अमरीकन कम्पनियाँ हैं।

नेपाल

हिमालय प्रदेशी एक स्वतन्त्र रियासत। एकस्थ राज्य-शासन की पद्धति प्रचलित है। क्षेत्र २४,००० वर्ग मील व आबादी ६२,८२,००० (१९४१) है। लोग मंगोलियन जाति के हैं; हिन्दू रूपत का सम्मिश्रण भी पाया जाता है। गोरखा जाति के लोग प्रमुख हैं। दूसरी जातियाँ, मगर, गुरुंग, भोटिया और नेघर हैं।

काठमांडू राजधानी है जो भारतीय सीमा से ७५ मील की दूरी पर है।

जनता सनातन हिन्दू धर्म की अनुयायी है। कभी इस प्रदेश में बौद्ध धर्म फैला हुआ था, इसके चिन्ह पाए जाते हैं।

बर्मा

आसाम प्रान्त का पड़ोसी देश। क्षेत्रफल : २,६१,७५७ वर्ग मील। १९४१ की जनगणना के अनुसार आबादी १ करोड़ ६८ लाख २४ हजार है। इसमें ६० लाख बर्मीं, १२ लाख केरन, २० लाख शांसी, ३ लाख चिन और १॥ लाख कचिन लोग हैं। बर्मा में १॥ लाख चीनी

१.२० लाख हूँडो वर्मन, ८.८७ लाख हिन्दुस्तानी भी रहते हैं। जनता का अधिकांश बौद्ध धर्म का अनुयायी है; प्रति १००० व्यक्तियों में ८४३ व्यक्ति बौद्ध हैं।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में कदम रखते समय बर्मा के प्रमुख नगरों में भी कारखाने और अपने एजेन्टों के दफ्तर खोल दिए थे। युद्ध और कूटनीति ने व्यापारका स्थान राजनीतिक प्रभुत्व को दिलाया और बर्मा में अंग्रेजोंका एकाधिकार स्थापित होगया। १९२३ में १९१६ के गवर्नर्मेट आफ हिन्दिया एकट के अनुसार बर्मा को गवर्नर द्वारा शासित प्रान्त का दर्जा दिया गया। १९३७ में बर्मा को हिन्दुस्तान से पृथक कर दिया गया। द्वितीय महायुद्धमें दमार्च १९४२ को राजधानी रंगून पर जापानियों का कब्जा हुआ। अक्टूबर १९४५ में देश का शासन एक बार फिर अंग्रेजों के हाथ में आ गया। बर्मा के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मे १९४७ मे कैसला हुआ कि देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता दे दी जाय।

४ जनवरी १९४८ को स्वतन्त्र बर्मा ने जन्म लिया। साओ श्वे थायक बर्मा लोकतन्त्र के प्रधान चने। १ मार्च ४८ को १७ मन्त्रियों के जिस मन्त्रिमण्डल ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली, थाकिन नू उसके प्रधान मन्त्री थे।

स्वतन्त्र बर्मा का विधान बनाने वाली विधान-परिषद की कुल सदस्य संख्या २५५ थी जिसमें विविध पार्टियों को इस प्रकार प्रति-निधित्व प्राप्त हुआ :

फासिङ्म विरोधी पीपल्ज़ क्लीटम लीग: १७३, कम्यूनिस्ट ७, एंग्ली बर्मन ४, केरन २४, सीमान्त प्रदेश के प्रतिनिधि ४५। विधान परिषद ने एक राय से २४ सितम्बर १९४७ को नए विधान का मसविदा स्वीकार किया।

बर्मा पर २२ करोड १७ लाख पाउण्ड का विदेशी कर्जा है। इस कर्जे का अधिकांश इंगलैंड का है।

बर्मा की समुद्री फौज में १ फिल्गेट, २ सुरंगें साफ करने वाले जहाज और बाकी कुछ क्षेत्री नौकाएँ हैं।

कृषि का उत्पादन : चावल, तिल, मूँगफली। १९४५-४६ में २६ लाख २० हजार टन चावल पैदा हुआ।

बर्मा के खनिज उत्पादनों में सिक्का, टीन, टंगस्टन, चौंदी व पेट्रोल मुख्य हैं। पेट्रोल का वार्षिक उत्पादन लगभग २ अरब एकरोड़ गैलन के है।

कई प्रदेशों में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया है और स्थापित सरकार के विरुद्ध विद्रोह व हिंसात्मक आनंदोलन फैल रहा है।

भूटान

हिमालय की तराइयों में स्थित एक रियासत, १६० मील लम्बी १० मील चौड़ी। चेत्रफल १८,००० वर्ग मील। आबादी लगभग ३ लाख।

राजनीतिक दृष्टिकोण से इस देश का शासन बहुत ही पिछड़ा हुआ है। १९०७ तक देश के शासन में धर्मराज व देवराज का साँझा प्रभाव रहता था। उस वर्ष धर्मराज व देवराज का पद एक ही व्यक्ति के हाथों में था। उसके स्तीफा देने पर सर डायेन चांगचुक ने राज्यगदी संभाली। १९२६ में डसकी मृत्यु पर महाराज जिग्मी चांगचुक राजा बने।

आधिकांश लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और तिब्बत के धर्मग्रन्थों के उद्धरणों का प्रयोग किया करते हैं।

भूटान के लोग हिन्दुस्तान की सीमाओं पर उपद्रव न किया करें, इसके लिए १८६५ की एक सन्धि के अनुसार भूटान को हिन्दुस्तान से प्रतिवर्ष २० हजार रुपया मिला करता था। १९१० से यह रकम १८५८ व १९४२ से २ लाख रुपया कर दी गई।

मलाया

मलाया-संघ में प्रायःद्वीप की ६ रियासतें और अंग्रेजी आधिपत्य

के पेनांग और मलक्का प्रदेश शामिल हैं। कुल मिलाकर चेत्रफल ५०,६५० वर्ग मील है, आबादी (४०-४१) ४७ लाख ८० हजार। आबादी में २४ लाख मलायावासी, १६ लाख चीनी और ५ लाख हिन्दुस्तानी हैं। संघ की रियासतों के नाम ये हैं—

पेराक, सेल्यॉर, नेंगो र, नेंगो सेम्बिलान, पहंग, जोहोर, केडाह, पर्लिस, केलन्टन और ट्रैनगनू।

मलाया संघ ६ रियासतों व २ अँग्रेजी प्रदेशों के सहयोग से १ फर्वरी १९४८ को बना। मैलकम मैकडानच्छ संघ के गवर्नर-जनरल हैं।

रियासतों के राजाओं को इस्लाम व मलाया के रीति-रिवाज के मामलों को छाड़कर बाकी सब मामलों में हाईकमिशनरों की मन्त्रणा माननी आवश्यक होती है।

मलाया संघ पर १९४६ के अन्त में १५ करोड़ ३४ लाख डालर का विदेशी कर्जा है।

सुख्य धंधा चावल, रबड़, खनिज पदार्थों, ताढ़, अनानास का उत्पादन व मछुली पकड़ना है। टीन बहुतायत से पैदा होता है।

इन दिनों मलाया को कम्यूनिस्ट चिन्होंह अशान्त किये हुए हैं। इस जन-आनंदोलन को दबाने के लिए इंग्लैंड से फौजी सहायता भेजी जा रही है।

लंका

हिन्दुस्तान के दक्षिण का पड़ोसी द्वीप। चेत्रफल २५,३२२ वर्ग मील। आबादी १९४६ : ६६,५८,११६।

इस द्वीप को अँग्रेजों ने १९४६ में उच्च शासकों के आधिपत्य से छीनकर मद्रास प्रान्त के साथ मिला दिया। १८०२ में इसे हिन्दुस्तान से अलगाव करके 'क्राउन कालोनी' बना दिया गया।

सीलोन स्वतंत्रता कानून (१९४७) के अनुसार ४ फर्वरी १९४८ को लंका ने स्वतंत्रता हासिल की।

इंगलैंड और लंका में युद्ध व संकटकाल में परस्पर सहायता देने का समझौता है। इंगलैंड को अपने फौजी शहू द्वीप में बनाने के अधिकार हैं। लंका अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इंगलैंड के खुकाध को अपनी विदेशी नीति का आधार बनाता है।

सर हेनरी म.न्क मेमन मूर लंका के गवर्नर जनरल है। द्वीप में इंगलैंड के हाई कमिशनर का नाम सर चाल्टर क्रासफील्ड हैंकिन्सन है।

लंका की धारा सभा के लिए सितम्बर १९४७ में हुए चुनावों का परिणाम इस प्रकार रहा : युनाइटेड नेशनल पार्टी—४२, स्वतन्त्र—२१ सम समाज पार्टी—१०, सीलोन तामिल कांग्रेस—७, इंडियन तामिल कांग्रेस—६, लैनिनिस्ट पार्टी—५, कम्यूनिस्ट—३, लेवर—१।

डाक्टर एस० सेनानायक प्रधान मन्त्री हैं। १३ दूसरे मन्त्री इनके साथ मन्त्रिमंडल में हैं।

१९३१ से १९४६ तक आवादी में २५.५ प्रतिशत वृद्धि हुई। एक वर्ग मील में आवादी का घनत्व २६३ है। आवादी का केवल १५ प्रतिशत शहरों में रहता है, शेष गांवों में।

जनता के ४६.३७ लाख लोग लंका के आदिवासी हैं—दक्षिण भारत से आकर यहां बसने वालों की संख्या लगभग ८.५० लाख (१२.८ प्रतिशत) है। हिन्दुस्तानी तामिलों की संख्या ५.६२ लाख है।

द्वीप के अधिकांश लोग वौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।

प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक सब शिक्षा निःशुल्क है। लंकाके अयातनिर्यात का मूल्य १९४६ में क्रमशः ५८.५३ करोड़ और ७१.६२ करोड़ रुपये था। निर्यात की मुख्य चीजें : कोको, मूँज, नारियल, गरी का तेल, चाय, गरी, रबड़। आयात की मुख्य चीजें : सूती कपड़ा, चावल, कोयला, चीनी, खाद।

द्वीप की मुख्य पैदावार चावल, कोको, चाय नारियल, रबड़।

स्याम

दक्षिणी एशिया के निकतने ही देशों की तरह द्वितीय महायुद्ध के दिनों में स्याम जापान के आधिपत्य में आगया था। इस दशा में स्याम ने युद्ध में जापानियों का साथ दिया। युद्धोपरान्त मित्र देशोंने स्याम से अलग-अलग सन्धियाँ कर लीं।

स्याम का ज्ञेयफल २,००,१४८ वर्ग मील और आवादी १,२७,१८,००० (११४०) है। राजधानी वंगकोक है। बौद्ध धर्म ही अधिकतर प्रचलित है। इस्लाम व ईसाई धर्म के भी लाखों अनुयायी देश में हैं।

जनता का दृ.३५ प्रतिशत भाग कृषि और मछली पकड़ने के व्यवसाय में और केवल १.६ प्रतिशत उद्योगों में लगा है। चावल, नारियल, तम्बाकू, मिर्च व कपास पैदा होती है। रवइ की खेती भी होती है। स्याम के खनिज साधन विस्तृत हैं और टीन, वोलक्रम, एन्टी-मनी, कोयला, तांबा, सोना, लोहा, सिक्का, मैग्नीज़, चांदी, जिस्त व कीमती पत्थरों की खान पाई जाती है।

राजा आनन्द महिदोल की ६ जून १९४६ को हत्या के बाद उनके छोटे भाई फ़मिदोल एडल्डेट गढ़ी पर बैठे। ६ नवम्बर १९४७ को रीजेन्सी कॉसिल को हटाकर पिंडुल सोंगक्राम ने प्रधान-मन्त्री का पद संभाला।

सिंगापुर

अप्रैल १९४६ में पेनांग व मलक्का के मलाया संघ में मिलने पर सिंगापुर एक अलहदा क्राउन कालोनी बना।

द्वीप का ज्ञेयफल २२० वर्ग मील, आवादी ६ लाख ५० हजार है।

सर फ़ैकलिन सी० जिप्सन गवर्नर-जनरल हैं।

सिंगापुर एक बड़ी फौजी बन्दरगाह है। भारत, बर्मा व लंका के स्वतन्त्र होने से इसका महत्व पहले से कम हो गया है।

यातायात के साधन

सड़कें

दिसम्बर १९४२ में सब प्रान्तों व रियासतोंके चीफ इन्जीनीयरों का एक सम्मेलन नागपुर में हुआ और इस सम्मेलन ने देश की सड़कों के भविष्य का खाका खींचा। इस सम्मेलन ने फैसला किया कि देश के प्रायः सभी गांवों व शहरों को सड़कों से सम्बन्धित करने के लिए जरूरी है कि देश में सब मौजमों में चालू रहने वाली सड़कों की लम्बाई ४ लाख मील हो। देश में राष्ट्रीय राजपथों (नैशनल हाइवेर्ज) का १० से १५ वर्ष की अवधि में पुक ऐसा ढांचा बनाया जाय जिससे प्रान्तों, ज़िलों व ग्रामों की सब सड़कें सम्बन्धित की जायें। अन्दाज़ा लगाया गया था कि इस योजना पर कुल खर्च ४५० करोड़ रुपए का होगा। इस सम्मेलन ने सुझाव पेश किया कि सड़कों के निर्माण, देख-भाल और उचित प्रयोग आदि के लिए विशिष्ट कानून बनाए जायें।

देश के विभाजन से इस कार्यक्रम व योजना में कुछ परिवर्तन हो गए। हिन्दुस्तान के लिए जरूरी सड़कों की कुल लम्बाई अब तक ३,११,००० मील रह गई जिस पर कुल खर्च का अनुमान ३७५ करोड़ है।

उपरोक्त सम्मेलनने राजपथों की लम्बाई का अनुमान २५००० मील लगाया था। आर्थिक राष्ट्रीय अवस्थाओंको देखते हुए अविभाजित भारत के लिए इस लम्बाई को घटाकर १८,००० मील कर दिया गया था। विभाजन के बाद अब हिन्दुस्तान में १४,००० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण की योजना है।

राष्ट्रीय राजपथों का नाम उन सड़कों को दिया जा रहा है जो कि हिन्दुस्तान की लम्बाई चौड़ाई में फ़लेगी, प्रसुख बन्दरगाहों, विदेशी सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, बड़े शहरों, प्रान्तों व रियासतों की राजधानियों को सम्बन्धित करेंगी व देश की सैनिक रक्षा की उष्टिसे महत्वपूर्ण होंगी।

प्रान्तों व रियासतों की अपनी महत्वपूर्ण सड़कों को प्रान्तीय व रियासती राजपथ के नाम से पुकारा जायगा। इसके बाद हर ज़िले में प्रमुख पथ होंगे जो उत्तराद्यन वा खपत की मरिडयों वा रेल के स्टेशनों और पहाड़ी ज़िलों को सम्बन्धित करेंगे। ज़िले में गौण पथ भी होंगे और अन्त में गांवों में सड़कें बनाने की योजना है।

१ अप्रैल १९४७ से भारत की केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण समझी जाने वाली सब सड़कों के निर्माण और देख-भाल का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इन सड़कों की लम्बाई प्रान्तों में ११,२०० मील व रियासतों में २,६५० मील है। इन सड़कों पर ५०० वडे पुल भी बनेंगे जिनमें से २२ पुल लगभग ३००० फुट की लम्बाई के होंगे। सड़कों के विकास के लिए १९५२-५३ में खत्म होने वाली पञ्चवर्षीय योजना के अनुसार इन सड़कों पर कुल खर्च का अनुमान २३,५० करोड़ रुपए (२२ करोड़ प्रान्तों में व १,५० करोड़ रियासतों में) लगाया गया है। इस काल में इन सड़कों की मरम्मत व देख-भाल का खर्च ६,५० करोड़ आयगा।

सब योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र रोड़्ज़ आर्गनिजेशन में राजपथ समिति (रोड़्ज़ आर्गनिजेशन) का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत सरकार के सड़कों के विषय में सखाह देने वाले कन्सलिंटिंग इन्जिनीयर के अलावा एलैनिंग अफसर, सड़क विशेषज्ञ, सहयोग दे रहे हैं।

१९५०में भारतीय सरकार ने पैट्रोल की बिक्री पर रोड़ फन्ड अद्वाई आनाकी ढ्यूटी बढ़ा दी और इस तरह जमा होने वाली आमदनी को केन्द्रीय-पथ-कोष (सेन्ट्रल रोड़ फन्ड) का नाम दिया। इस कोष से सड़कों की विशेष योजनाओं पर ही खर्च किया जाता है। इस कोष का १५ प्रतिशत भाग सड़कों सम्बन्धी छान-बीन पर प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। इस अनुपात को

द्रांसपोर्ट एडवाइजरी कौसिल की सम्मति से २० प्रतिशत कर दिया गया है।

यातायात सम्बन्धी सुझाव समिति

३० जुलाई १९४८ को यातायात की अध्यक्षता में यातायात सम्बन्धी सुझाव समिति (द्रांसपोर्ट एडवाइजरी कौसिल) का एक अधिवेशन नहीं दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में प्रान्तीय मन्त्री, प्रान्तों व रियासतों के चीफ इन्जिनीयर व सड़क-विशेषज्ञ इकट्ठे हुए।

इस समिति ने सरकार की इस नीति को समर्थन किया कि रेल व सड़क के यातायात में सरकारी तौर पर अधिक समर्पक किया जाना चाहिए।

मद्रास प्रान्त के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रान्तीय सरकार की नीति प्रान्त में यातायात के सब साधनों के राष्ट्रीयकरण की है। इस सम्बन्ध में पहला कदम मद्रास शहर की बस-सर्विस को सरकारी नियन्त्रण में लेकर उठाया गया है। पूर्वी पंजाब ने भी यातायात के राष्ट्रीय करण की नीति अपनाई है। इस सम्बन्ध में इस प्रान्त की सरकार की योजना को पूरा होने में पांच वर्ष लगेंगे। पश्चिमी बगाल का प्रान्त राष्ट्रीय-करण के कार्यक्रम में कलकत्ता की बस-सर्विस को सरकारी तौर पर चला रहा है। शेष प्रान्तीय सरकारें भी इसी तरह की योजनाएँ बना रही हैं व इन्हें कार्यान्वित करने में प्रयत्न शील हैं।

सामान हुलाई की नीति के विषय में कैसला हुआ कि लम्बे फासलों पर रेलों से व छोटे फासलों पर हुलाई के लिए सड़कों का प्रयोग किया जाय।

रेल

अविभाजित हिन्दुस्तान में विविध चौंडाई की रेल की पटरियों की कुल लम्बाई ४०,४२४ मील थी। इसमें से ३३,८६५ मील लम्बाई की रेल हिन्दुस्तान के हिस्से में आई।

विभाजनके तुरन्त बाद हिन्दुस्तान की रेलों को कितनी ही मुश्किलों

का सामना करना पड़ा। रेलवे के सब तरह के कर्मचारियों को यदि आज्ञादी दी गई थी कि वह इच्छानुसार हिन्दुस्तान अथवा पाकिस्तान में नौकरी कर सकते हैं। रेलवे के कर्मचारियों में से ८३,००० ने पाकिस्तान में और ७३,००० ने हिन्दुस्तान में नौकरी करना पसन्द किया। फलस्वरूप ड्राइवर, फोरमैन, और कितनी ही विशिष्ट प्रकार की नौकरियों में एकाएक इतने आदमियों के निफले जाने से हिन्दुस्तान की रेलों का पूरी आवश्यकतानुसार चलना कठिन हो गया। उधर ऐसी अवस्था में ही लाखों लोगों को हिन्दुस्तान से पाकिस्तान व पाकिस्तान से हिन्दुस्तान लाने का उत्तरदायित्व रेलों को निभाना था। विभाजन के बाद के अदाई महीनों में रेलवे ने तीस लाख शरणार्थियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचाया।

दूसरे महायुद्ध के दिनों में रेलों से उनकी शक्ति से अधिक काम लिया गया। इन दिनों बाहर से आयात न होने के कारण कितने ही नस्ती पुँजे वा दूसरे सामान हासिल न हो सके। जहां इस तरह रेल के साधनों में ढील आई वहां सफर करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इस बक्क रेलों के पास १६३८-३६ की अपेक्षा १५ प्रतिशत कम मुसाफिर-गाड़ियों का साजोसामान है जबकि इस घटे हुए साजोसामान में उन्हे १६३८-३६ से दोगुने अधिक यात्रियों को ले जाना पड़ रहा है।

इस तरह कम हुए सामान को पूरा करने की कोशिशें बड़े पैसाने पर जारी हैं। मिहिनाम (आसन्सोल) मेरे रेल के इन्जन बनाने का सरकारी कारखाना लगाया जा रहा है। यह कारखाना १६५० तक इन्जनों का उत्पादन शुरू कर देगा। टाटा का इन्जन बनाने वाला कारखाना और यह सरकारी कारखाना मिलकर देश की इन्जनों की मांग को पूरा कर सकेगे।

इसके अलावा विदेशों (इंग्लैंड और अमरीका) में इन्जनों के

लिए वडे आर्डर भेजे गए हैं। जिन इंजनों का आर्डर दिया गया है, उनकी तादाद यह है :

ब्राउं गाज़ : ४६०। मीटर गाज़ : ५८। यह दोनों किसमें संचारी गाडियों को खींचने के लिए हैं।

सामान दुलार्ह की गाडियों के लिए इंजन—ब्राउं गाज़ : २५६।
मीटर गाज़ : ३३।

शंटिग इंजन—ब्राउं गाज़ : ६।

उम्मीद की जाती है कि १६४८ के अन्त तक विदेशों से सब लोहे के बने हुए मुसाफिर गाडियों के ३५ छव्वे आ चुके होंगे। बंगलोर स्थित इन्टर्स्टार्स एयर-फ्राफ्ट लिमिटेड रेलगाडियों के थर्ड क्लास के छव्वे तथ्यार कर रही हैं।

विदेशों में रेलों के फुटकर सामान व पुज़ों के भी वडे पैमाने पर आर्डर दिये जा चुके हैं। उसमें से कुछ सामान की तालिका यह है :

बायलर की नालियाँ : ३,००,०००। पानी की सतह देखने के शीशे ७६,८००। इस्पात की ढलार्ह के सामान : २००० टन। इंजनों के लिए बायलर : १२५। १ करोड़ रुपये के इंजनों के विविध पुज़े। इंजनों की आगली रोशनी के २४००० रुपए के लंदूँ।

इस तरह रेलवे अपनी कमियों व युद्धकालीन ज्ञाति को पूरा करने की कोशिश में है। विभाजन के बाद सामान दुलार्ह वा यात्रियों के ले जाने की स्थिति उत्तरोत्तर बेहतर होती गई है, इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं :

महीना	वरते गए वैगनों की संख्या	महीना	वरते गए वैगनों की संख्या
अक्टूबर १९४७	३,६६,६६४	जनवरी १९४८	४,७३,४४०
नवम्बर ,,	३,८६,४१६	फरवरी ,,	४,७६,६३४
दिसम्बर ,,	४,३१,६६६	मार्च ,,	४,९२,४५१

कोयले की विविध खानों से भरकर भेजे गए बैगनों की संख्या का मासिक व्योरा यह है :

महीना	बैगनों की संख्या	महीना	बैगनों की संख्या
अगस्त १९४७	६६,७६६	जनवरी १९४८	१,०१,३५१
सितम्बर „	८६,२१६	फरवरी „	६८,८०३
अक्टूबर „	८७,५६२	मार्च „	१,०२,६७७
नवम्बर „	६७,१०४	अप्रैल „	१,०१,७२०
दिसम्बर „	१,०१,७२०		

अनाज व दालों से भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए बैगनों की संख्या का मासिक व्योरा इस प्रकार है :

महीना	बैगनों की संख्या	महीना	बैगनों की संख्या
अक्टूबर १९४७	३४,०४५	जनवरी १९४८	३६,४११
नवम्बर „	३०,१४६	फरवरी „	४१,०१५
दिसम्बर „	३१,८८८	मार्च „	४२,२६३

विना टिकट के सफर

विभाजन के बाद के कुछ महीनों के लिए देश में विना टिकट के सफर की आदत बहुत बढ़ गई थी। अन्दाज़ा लगाया गया है कि रेलवे का इससे द से १० करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है।

आसाम तक नई रेलवे लाइन

देश का विभाजन इस प्रकार हुआ कि हिन्दुस्तान का अपनी पूर्वी सीमा के प्रान्त आसाम से रेल द्वारा कोई सन्बन्ध न रहा।

पश्चिमी बंगाल के उत्तरी प्रदेशों से गुजर कर रेल की नई पट्टी बिछाई जा रही है जो आसाम को शेष देश से सम्बन्धित कर देगी। यह योजना १९५१ में सम्पूर्ण होगी।

हवाई जहाज

हिन्दुस्तान में हवाई जहाज के यातायात का प्रयोग १९३२ में

टाटा एयर लाइन्स की स्थापना से हुआ। इस कम्पनी द्वारा शुरू में ऐसे हवाई जहाजों का प्रयोग होता था जिन्हे एक चालक उड़ाता था और जिनमें केवल एक यात्री ही बैठ सकता था।

१९३४ में इन्डियन नैशनल एयरवेज़ की स्थापना हुई और १९३८ में एयर सर्विसेज़ आफ इन्डिया नाम की कम्पनी ने हवाई यात्रा के लैने त्रै में कदम रखे। १९३८ में ब्रिटिश साम्राज्य की डाक को हवाई जहाजों से उड़ाने की योजना से देश की कम्पनियों को बड़ी भाँति में आर्थिक सहारा मिला।

१९३६ में युद्ध आरम्भ होने पर हवाई यातायात का महत्व बढ़ गया और फौजी विद्युकोण से हवाई जहाजों का देश के महत्वपूर्ण पथों पर उड़ना आवश्यक हो गया। दर्जनों नई कम्पनियां खुली और जनता ने इन कम्पनियों में बड़े पैमाने पर पूँजी लगाई। कम्पनियों के इस तरह विना उचित योजनाओं के खुलने पर एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड की स्थापना हुई।

देश की हवाई कम्पनियों ने पाकिस्तान से शरणार्थियों को निकालने से व काश्मीर को फौजी सहायता पहुंचाने में अपने साहस व देशभ्रेत्र का परिचय दिया।

चिंदेशों तक देश की हवाई कम्पनियों के जहाजों में ही यात्रा के उद्देश्य से भारत सरकार ने ७ करोड़ रुपए की एयर-इंडिया इन्टरनैशनल नाम की कम्पनी प्रचारित की है। इस कम्पनी की प्रचारित (इशूड) पूँजी २ करोड़ रुपये है, जिसमें ४६ प्रतिशत भारत सरकार के हैं। भारत सरकार जब चाहे तभी इसमें २ प्रतिशत पूँजी और बढ़ा सकती है।

पाकिस्तान व स्वीडन से हवाई पथों के सम्बन्ध में स्थायी समझौते किये गए हैं। आस्ट्रेलिया, चीन, इंडिया व स्विट्जरलैंडसे इसी सम्बन्ध

में अस्थायी समझौते हो चुके हैं। इन देशों से व ब्रिटेन और ईरान से स्थायी समझौते की वातचीत जारी है। हवाई जहाजों की उड़ान के सम्बन्ध में अमरीका, फ्रान्स, और नेदरलैण्ड्ज से भी समझौते किए जा चुके हैं।

देश में हवाई पथों (रूट्स) की कुल संख्या २७ है जिन पर ४१ कम्पनियां काम कर रही हैं।

१५ अगस्त १९४७ को हिन्दुस्तान में हवाई हवाई कम्पनियां जहाज चलाने वाली २३ कम्पनियां थीं। इन का मूलधन ४२ करोड़ २० लाख रुपया था।

२२ हवाई रास्तों पर हवाई जहाज उड़ते थे और इन रास्तों की कुल लम्बाई १३,२६५ मील थी। ये कम्पनियां १६६ हवाई जहाज, २२६ चालक और १३० दूसरे सहायकों का इन रास्तों पर प्रयोग करती थीं। सब मिलाकर ४६ लाख ४८ हजार मील उड़ान होती थी और उठाये गए सम्पूर्ण वोस्के का भार ८० लाख टन-मील था। १९४७ के शेष भाग में १३६८०६ यात्री उडे और ११२० टन वोस्का हवाई जहाजों में लादा गया। २६८ टन डाक व ५०४ टन अखबारों के बंडल लादे गए।

१९४७ के पिछ्ले महीनों में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के प्रबन्ध में २६ हवाई अड्डों का प्रबन्ध था। १९४६ में इनकी संख्या १६ थी।

८ जून १९४८ को इंगलैण्ड और हिन्दुस्तान के बीच एयर इंडिया हन्टरेशनल कम्पनी ने हवाई जहाज चलाने शुरू किए।

हवाई जहाजों की कम्पनियों को लाइसेंस देने वाला बोर्ड दीवान बहादुर के० एस० मेनन वार, एट् ला—प्रधान
श्री एम० के० सेना गुप्ता मिनिस्ट्री आफ कम्युनिकेशन्स—सदस्य
श्री वी० पी० भंडारक —सदस्य

उडाकू कलवें

इस समय देश में ७ उडाकू कलवें हैं जिन्हें भारत सरकार आर्थिक

सहायता देती है। यह क्लबें सदस्यों को हवाई जहाज चलाना सिखाती है और एतत्सम्बन्धी दूसरी शिक्षा देती है।

१. दिल्ली फ्लाइंग क्लब लिमिटेड—नई दिल्ली

२. मद्रास फ्लाइंग क्लब लि०—मद्रास

३. वर्स्वाई फ्लाइंग क्लब लि०—वर्स्वाई

४. बिहार फ्लाइंग क्लब लि०—पटना

५. बंगाल फ्लाइंग क्लब लि०—कलकत्ता

६. उडीसा फ्लाइंग क्लब लि०—भुवनेश्वर

७. हिन्द प्राविशल फ्लाइंग क्लब लि०—लखनऊ

कानपुर में भी एक फ्लाइंग क्लब थी लेकिन वह हिन्द प्राविशल फ्लाइंग क्लब लि० से मिल चुकी है।

१५ अगस्त १९४७ से ३१ दिसम्बर १९४८ तक इन क्लबों में हवाई जहाज सब मिलाकर ७८८२ घण्टे उड़े।

१५. अगस्त ४७ से ३१ दिसम्बर ४८ तक देश शेष सूचनाएँ में हवाई दुर्घटनाओं की कुल संख्या ३० रही है। इसमें से केवल ८ ऐसी घटनाएँ थीं, जिन्हे गम्भीर कहा जा सकता है। इन ८ में से ५ दुर्घटनाओं में हवाई जहाजों के सभी यात्री मरे गए।

२७ अक्टूबर १९४७ को वर्स्वाई का हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा मान लिया गया। ७ दिसम्बर १९४७ को दिल्ली (पालम) का हवाई अड्डा आयातकर वसूल करने का अद्दा घोषित किया गया। मद्रास, डमडम (कलकत्ता) व बंगाली (अलाहाबाद) के हवाई अड्डों को वृहत्तर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में खर्च स्वीकार किया गया है।

दिसम्बर १९४६ जून १९४७

हिन्दुस्तान मे रजिस्टर्ड

हवाई जहाजों की संख्या	४०३	४८२
इनमें १ से अधिक इन्जन वाले जहाज १०६		१६५
जिन्हे उठने का प्रमाणपत्र प्राप्त है		१२४
जहाज चालकों (पाइलट्स) की		
संख्या — वी क्लास	१६४	२३०
,, — ए १ क्लास	१२	१४
,, — ए २ क्लास	१३३	२६३
ग्रौंड हंजीनियर्स	२२६	२६६

हवाई अड्डे

हिन्दुस्तान के उन ३४ शहरों के नाम जहाँ हवाई अड्डे बने हुए हैं:—अहमदाबाद, अलाहाबाद, अलवर, अम्बाला, अमृतसर, कलकत्ता, ढमडम, कानपुर, कोचीन, कोइम्बिटोर, गया, ग्वालियर, जयपुर, जामनगर, जोधपुर, नागपुर, नई दिल्ली-विलिंगड़न, नई दिल्ली-पालम, पटना, पोरबन्दर, बंगलोर, बडौदा, बनारस, बम्बई-सान्टाक्रुज़, बम्बई-छुहू, भावनगर, भोपाल, भुज, मद्रास, मौरची, राजकोट, लखनऊ, विजगापट्टम, श्रीनगर, हैदराबाद,।

किराए पर जहाज

उन कम्पनियों के नाम जिनसे किराए पर पूरा जहाज मिल सकता है-एयर फ्रेट लिं० बम्बई, एयरवेज़ इण्डिया लिं० कलकत्ता, अस्थिका एयर लाइन्स लिं० बम्बई, एयरप्रेटिक एविएशन कार्पोरेशन आफ इंडिया अलाहाबाद, भारत एयरवेज़ लिं० कलकत्ता, दालमिया जैन एयरवेज़ लिं० कलकत्ता, इण्डियन एयर सर्वें एंड ट्रान्सपोर्ट डमडम, जुपिटर एयरवेज़ लिं० नई दिल्ली, मर्करी ट्रैवलस इंडिया लिं० कलकत्ता, इंडियन ओवरसीज़ एयर लाइन्स लिं० बम्बई, इंडियन एयर ट्रैवलस

लि० कलकत्ता, ओरियन्ट एयरवेज़ लि० कलकत्ता, सेहगल एयर इंस-
पोर्ट लि० नई दिल्ली ।

डाकघर वा तार घर

देश के डाक व तार के महकमे की सक्रियता का औरा निम्न
आंकड़ों से मिलेगा :

पार्सेल	टेलीग्राम	रजिस्टर्ड चिट्रियां	
रजिस्टर्ड अन १० देश में विदेशों को	(०००)	(०००)	
(०००)	(०००)	(०००)	(०००)
१६४१-४२ द४८८८	३४२६	१७७२१	१२६१
४२-४३ ६५६७	३५५४	१६२६४	१३७५
४३-४४ १२५८६	४०३१	२३५३७	१५०३
४४-४५ १५२६०	४३३१	२५२८८	१३७८
४५-४६ १५८४८	४४२१	२६६०८	१३४४
४६-४७ १६८०५	अप्राप्त	२३४३८	४८७२२

चिट्रियां	पोस्टकार्ड	रजिस्टर्ड	बुक पोस्ट .
अखबार	वा नमूने		
१६४०-४१	५२६०६६	३६५४५८	७८५३८
४१-४२	५४१५२८	४१३०६६	८०५७८
४२-४३	५३०६७४	४७३५००	८२१६३
४३-४४	६०६५५४	५५०४२०	८४२४७
४४-४५	६७५०८६	६०३७६४	८८७७३
४५-४६	७७७३१५	६६११२२	१२०८५६
४६-४७ ६मास४००६८८	४३३१६६	६८७००	८४५२३

मनीआर्डर देश मे

दाखिल किये गए भरे हुए

(इश्ट) (पेट)

संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
(०००)	रु०(०००)	(०००)	रु०(०००)

१६३६-४०	४१३७३	७४६१५८	४१२४६	७४८२५८
४०-४१	४२७६३	७६४७६३	४२६२०	७६३००५
४१-४२	४७२६७	८२१६६३	४६८८७	८१७५१७
४२-४३	५०८८७	११२२७०८	४६४६६८	१११०२८८
४३-४४	५६६६३	१४४६६३	५६२४२	१४४१४३२
४४-४५	६३७८८	१७०५७७८	६२३८८	१६६१३२०
४५-४६	६४६०८	१८७३८८	(क)	(क)

मनीआर्डर विदेश मे

दाखिल किये गए भरे गए

संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
(०००)	रु०(०००)	(०००)	रु०(०००)

१६३६-४०	३२८	६३३२	२४००	७४८७८
४०-४१	३३४	६६५६	२३६१	८८६३३
४१-४२	४०४	१०१६०	१६६०	६६१६२
४२-४३	५६४	१६६०६	६३६	२१००९
४३-४४	६६८	१८२२८	६२३	२१४०८
४४-४५	७२०	२२४४१	६०२	२२४६२
४५-४६	७६१	३६६६८	११७७	८३२००

(ख) (ख)

(क) भरे गए मनीआर्डरों की वही संख्या है जो दाखिल किए गये की है।

(ख) अनिश्चित (प्रोविजनल)।

हिन्दू की विदेशिक नीति

आजादी के पहले हिन्दुस्तान की विदेशिक नीति कुल दुनिया के पराधीन मुक्कों में आजादी के लिए हो रहे संघर्ष के समर्थन और साम्राज्यवाद, फासिज़म और तानाशाही के विरोध की थी। पराधीन देश की कोई अपनी विदेशिक नहीं होती लेकिन उस देश के स्वतन्त्रता आनंदोलन की सहानुभूतियां अन्तर्राष्ट्रीय तक पर किस ओर निर्दिष्ट रहती हैं, यही बात उस देश की विदेशिक नीति कहकर पुकारी जा सकती है।

यही परम्परा हमारी वर्तमान विदेशिक नीति की पृष्ठभूमि है। लेकिन आजाद होजाने के बाद देश के कन्धों पर जो उत्तरदायित्व आ पड़ा है, उसके बोझ से इस नीति को देश-हित की दृष्टि से कही सीमित करना, कहीं कांटना-छांटना पड़ता है।

किसी भी स्वतन्त्र देशको विदेशिक नीति का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय तल पर अपने देश की उच्चति के लिए परिस्थितिएं लुटाना और जाभ खोजना होता है। हर देश की सरकार का कर्तव्य अपनी प्रजा के फायदे के लिये ही सब काम करना है, तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय जगत के हर पदलू को प्रत्येक देश अपने हित की कसौटी पर ही परखता है, इस तरह हर देश की विदेशिक नीति को अवसरवादी और स्वार्थमय कहा जा सकता है।

कुछ देश दूसरे देशों के स्वार्थ और अपने स्वार्थमें सामन्जस्य ढूँढने में सफल होते हैं। यदि दुनिया के सब देश सम्पन्न व समृद्धिशाली होंगे तभी दुनिया में शान्ति रहेगी। अशान्ति, अव्यवस्था और फलस्वरूप युद्ध होने की देशों में सभी देशों का हास होता है, क्योंकि आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि युद्ध छिड़ जाने पर किसी देश के लिए इसकी लपट से बच रहना दुर्गम हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सामलों

में, अपने हितों की सुरक्षा का सिद्धान्त बनाए रखते हुए, ऐसी उदार नीति अपनाना ही श्रेय होता है।

हमारी विदेशिक नीति का मूल प्रेरणाएँ व उल्लंघन

हिन्दुस्तान कौजी दृष्टिकोण से एक कमज़ोर देश है। इसकी शौद्धो-गिक स्थिति भी बहुत अविकसित और अपरिपक्व दशा में है। लेकिन हमारे देश के प्राकृतिक व मानवीय साधनों को देखते हुए और दुनिया में हिन्दुस्तान की भौगोलिक स्थिति का ध्यान करके सम्भावना है कि भविष्य में हिन्दुस्तान की गणना शक्तिशाली राष्ट्रों में होगी। यह दो सत्य हिन्दुस्तान के प्रति विदेशों की नीति को निश्चेत करते हैं।

आज की दुनिया में ऐसे प्रभुत्वशाली देश व प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं जो हमारी आज्ञादी की लंदाई के दिनों को याद रखते हुए हिन्दुस्तान को शक्ति संचय करते नहीं देखना चाहते। इन लोगों और देशों की तरफ से देश की आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति में बाधा आ रही है।

शक्ति हथियाने की दौड़ में अन्धी दुनिया इस बक्त दो हिस्सों में बंटी है। हिन्दुस्तान की इच्छा किसी भी हिस्से से अपने स्वार्थ बांध लेने की नहीं है। हिन्दुस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से हर प्रश्न पर प्रहले तो अपने स्वार्थ की दृष्टि से, फिर प्रश्न की अपनी अच्छाई बुराई का ख्याल करके अपनी नीति गढ़ता रहा है। ऐसी स्वतन्त्र नीति दुनिया के परस्पर विरोधी हिस्सों में से किसी को भी नहीं भाती।

हिन्दुस्तान की यह नीति रही है कि विदेशिक झगड़ों की उल्लंघन से बचकर ही चला जाय। यदि कभी यह उल्लंघन युद्ध का रूप धारण कर ले तो युद्ध से बच रहने की नीति ही देश की नीति होगी। यदि इस युद्ध से बचकर न रहा जा सके, तो हिन्दुस्तान उस पक्ष में शामिल होगा जिसमें शामिल होना देश के हितों की संवृद्धि करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में हिन्दुस्तान को सामरिक दृष्टि से हीन लेकिन नैतिक परम्परा व मुकाबल से बढ़प्पन का स्थान मिलता है। १९४७ के

रक्तपात ने देशकी इस नैतिक महत्ता पर धब्बा लगाया था लेकिन देश के नेताओं के गम्भीर प्रयत्नों ने देश को फिर उबार लिया है।

उसी देश की अन्तर्राष्ट्रीय अवस्था और नीति सुहड़ हो सकती है जिसकी राष्ट्रीय नीति व अवस्था सुहड़ हो। इसलिए देश की आन्तरिक राजनीति को शान्त रखना व उसे मज़बूत करना हर देश के लिए जरूरी होता है।

इसके इलावा कोई भी देश देश में जिस आर्थिक नीति को अपनाता है वह नीति भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करती है। अब तक हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा जो धुंधली और अस्पष्ट है इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे देश में निश्चित आर्थिक नीति की नीव अभी नहीं रखी गई।

एक दशा में हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति प्रायः निश्चित रूप धारण कर चुकी है और यह दिशा एशिया के महाप्रदेश से साम्राज्यवाद के जाल को काटना और एशियाई देशों के स्वतन्त्रता-आनंदोलनों को सहायता व समर्थन देना है। हिन्दुस्तान ने जिस स्पष्टवादिता का आश्रय लेकर हिन्दू-एशिया, इन्डो-चाहना, चीतनाम आदि देशों के जन-आनंदोलनों को समर्थन दिया है, उससे धूरोप के कितने ही देश हिन्दुस्तान से विमुख हुए हैं।

राष्ट्र-संघ में हिन्दुस्तान की नीति हर प्रस्तुत प्रश्न पर स्वतन्त्र मत बनाने की है। कुछ अवसरों पर हिन्दुस्तान ने रूस पक्ष का समर्थन किया है (बीटो), कुछ प्रश्नों पर इंग्लैण्ड व अमरीका और हिन्दुस्तान ने एक तरफ बीट दिए हैं (लझा का राष्ट्र-संघ में प्रवेश) और कुछ प्रश्नों पर हिन्दुस्तान एक स्वतन्त्र नीति का ही प्रतिपादन करता रहा है (फिलस्तीन के लिए संघीय सरकार का सुकाव)। विदेशिक नीति में स्वतन्त्रता का दृढ़ता से पालन करने से देश का आदर बढ़ा ही है। यह ठीक है कि हमें किसी भी वडे शक्तिशाली देश की पूर्ण सहायता का आश्वासन नहीं है। ऐसा तभी सम्भव है जबकि हम अपनी नीति को

किसी दूसरे देश की नीति की अनुगामिती बनादें। स्वतन्त्र बने रहने और मान पाने के लिए हमें पहले परदेशों की उपेक्षा और बाधा ही सहनी होगी। इस बीच देश की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति बेहतर करने के प्रयत्न जारी रहेंगे और शक्ति-संचय का कार्य चलेगा। तदुपरान्त एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली और नैतिक महत्ता में विश्वास-खने वाले राष्ट्र के रूप में हमारे देश का मान जगत-भर में होगा।

इस नीति की रूपरेखा की घोषणा देश के विदेश-मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू ने विधान-परिषद् में ४ दिसम्बर १९४७ और ८ मार्च १९४८ में की।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान

यहाँ पर विभाजन के बाद हिन्दुस्तान व पाकिस्तान की आर्थिक सम्बन्धाओं पर एक दृष्टि ढाकी जायगी।

विभाजन के बाद के केन्द्रीय सरकारों के आमदनी वा खर्च सम्बन्धित प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

	हिन्दुस्तान	पाकिस्तान	जोड़
रेलों में लगी कुल पूँजी	६७२	१३६	८१८
डाक व तारघर के महकमों को			
दिया गया अगाऊ धन	३७	११	४८
प्रान्तों को दिया गया अगाऊ धन	४६	८	५७
रियासतों को दिया गया अगाऊ धन	१५	२	१७
जो कर्ज बर्मा से वसूल करना है	४१	७	४८
रेलों से सम्बन्धित मद में ब्रिटेन			
के पास जमा	१८	४	२२
<hr/>			
ब्याज देने वाले हन मदों का जोड़	८३८	१६८	१०००

मुद्रा के खाते में जमा

(नगद व सिक्यूरिटी)	३२५	७५	४००
असुरक्षित (अन्कवर्ड) कर्ज	७१४	१५३	८६७
जोड़	१८७१	३६६	२२६७

शस्त्रास्त्र के कारखानों के किए

दिया गया	६	६
	१८७१	४०२

—पाकिस्तान की सरकार हिन्दुस्तान को अपना देन ५० वार्षिक किश्तों में, जो एक बरावर रकम की होगी, चुकायगी। पहली किश्त विभाजन के वर्ष के ५ वर्ष बाद दी जायगी।

—भारत की केन्द्रीय सरकार की वार्षिक आमदनी (रेवेन्यू) २२५ करोड़ के लगभग है जबकि पाकिस्तान की ३५ करोड़ वार्षिक है।

—१९४१ की जनगणना के हिसाब से भारत की आवादी ३१.८ करोड़ व पाकिस्तान की ७.१ करोड़ है। भारत का चेत्रफल १२.०६ हजार व पाकिस्तान का ३.६५ हजार वर्ग मील है। १९४१ के सेन्सस के हिसाब से दोनों प्रदेशों में ग्रामीण व शहरी आवादी के ग्रांकड़े इस प्रकार हैं :

	हिन्दुस्तान (करोड़)	पाकिस्तान
शहरी	२७.४५	.४६
ग्रामीण	४.३५	६.५१

—हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रदेशों को विभाजन से देश के कुल खेती वारी के चेत्र का क्या-क्या अनुपात प्राप्त हुआ है, उसका ज्योरा निम्न है :

जैहूँ	हिन्दुस्तान		पाकिस्तान	
	६५	प्रतिशत	३५	प्रतिशत
चावल	७३	"	२७	"
दीख का चेत्र	८६	"	१४	"
,, से चीनी निर्माण	६८	"	२	"
पटसन	२६.६	"	७२.४	"
तेल बीज	६२	"	८	"
तम्बाकू	६७	"	३२	"
काफी	१००	"	...	"
चाय	४०५० (लाख पौण्ड)		६०० (लाख पौण्ड)	
कपास का चेत्र	१०७६५ (हजार एकड़)		३७१५ (हजार एकड़)	
,, उत्पादन	२११४ (हजार गाठें)		१३२८ (हजार गाठें)	

— १६४४ की उत्पत्ति के हिसाब के अनुसार देश के विभाजन से हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में खनिज-साधनों का इस प्रकार बंटवारा हुआ है :

	हिन्दुस्तान	पाकिस्तान	जोड़
कोयला (लाख टन)	२५७	३	२६०
जोहा	२३	
तांबा	३.३	
मैग्नीज	३.७	...	
बाक्साइट (टन)	१२,३१५	
पेट्रोल (लाख गैलन)	८२३	१५२	९७५
माइका (००० हरडूडवेट)	१३६	

इनके अलावा हिन्दुस्तान में बैराइट्स, चाइना क्ले, मैग्नसाइट, इलमेनाइट, काइनाइट, स्टीएटाइट, मॉनाज्माइट, आकर, हीरे, सोना व चांदी की खनिजोत्पत्ति भी होती है।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान

३२७

	हिन्दुस्तान(०००टन)	पाकिस्तान	जोर
क्रोमाइट	२१	१६	४०
जिप्सम	२६	५८	८४
फुलरसं अर्थ	८	३	११

विभाजन से (१९४३ के हिसाब के अनुसार) हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में औद्योगिक कल-कारखानों की संख्या व अनुपात का व्योरा निम्न प्रकार रहा है :

संख्या अनुपात प्रतिशत	इनमें लगे अनुपात प्रतिशत	मजदूरों की संख्या
-----------------------	--------------------------	-------------------

हिन्दुस्तान ११४६२	६०.४	२६५२	६२-७
पाकिस्तान १२३१	६.६	२५०	७-३

दोनों देशों में प्रमुख कल-कारखानों की संख्या इस प्रकार है :

कारखाने	हिन्दुस्तान	रियासतें
---------	-------------	----------

(जो कि सभी हिन्दु-स्तानके साथ शामिल हो चुकी हैं)

सूती कपड़े के कारखाने	६७१	६	६२
लोहे व इस्पात	१७	..	१
इंजीनियरिंग	३६६	४५	२६
पटसन	१०६	..	१
चीनी	१४६	..	१३
गर्म कपड़े	४	२	८
रेशमी कपड़े	६६	२	२५
कागज बनाने	१४	..	८
दियासलाई	२६ -	२	७

श्रीशा बनाने के कारबाने	७१	२	६
साहुन बनाने	„	१६	१
सीमेन्ट	„	१०	३

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में विभाजन से वैंकों का जिस तरह विवरण हुआ है, उसका व्योरा इस प्रकार है :

हिन्दुस्तान	पाकिस्तान	जोड़
शिड्यूल (अनुसूचित) वैंक प्रधान दफ्तर	८२	१३
शाखाएँ व कुल जोड़	२५१३	६३३
नान-शिड्यूल (अनुसूचित) वैंक प्रधान दफ्तर	४६२	१५७
शाखाएँ व कुल जोड़	१६३७	५६८

हिन्दुस्तान में देशी बीमा कम्पनियों की संख्या २१८ और विदेशी बीमा कम्पनियों की संख्या ६६ है। पाकिस्तान में २१ देशी कम्पनियों और २ विदेशी कम्पनियों के दफ्तर हैं।

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में व्यापार सम्बंधी समझौता

२६ मई १९४८ को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक सहायता का एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं का सामान निश्चित परिमाण में देना स्वीकार कर लिया। यह समझौता १ जुलाई १९४८ से ३० जून १९४९ तक लागू रहेगा। समझौते में कपड़े व कपास से सम्बन्धित शर्तें १ सितम्बर १९४८ से ३१ अगस्त १९४९ तक लागू रहेगी। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि आदान-प्रदान के इस समझौते को पूरा करने के लिए वह सभी प्रकार के सुभीते देंगे। पटसन के विषय में हिन्दुस्तान ने यह मान लिया कि वह ६ लाख से अधिक गांठों का निर्यात नहीं करेगा। पाकिस्तान ने यह माना कि वह हिन्दुस्तान को अनाज उन्हीं दरों में देगा जिन दरों पर कि वह अपने देश में कमी के प्रान्तों को

देता है। हिन्दुस्तान के भावों पर पाकिस्तान को लोहा देगा। पाकिस्तान को कागज व कोयला हिन्दुस्तान में चालू भावों पर मिलेगे।

समझौते का ध्योरा इस प्रकार है :

पाकिस्तान की हिन्दुस्तान ने		
नाम	वार्षिक आवश्य- जितनी मिकदार	विवरण
	कर्ता की मिकदार देना सान लिया	
१. कोयला	३४·लाख टन	१८३००० टन १६०००० टन प्रति मास तो निश्चित दिये ही जायंगे। शेष के विषयमें कोशिश की जायगी।
२. कपड़ा व सूत ४ लाख गाँठे	४ लाख गाँठे	१ लाख गाँठे सूत की हुआ करेगी।
३. लोहा, ३१३७२०	न्रैमासिक	
इस्पात व स्कैप	१५०००टन और १०००टन लोहे की चादरें और ४००० टन पिंग आयरन	
४. कागज व २०७८०	६०००टन कागज व गत्ता	१५००टन गत्ता
५. रसायनिक पदार्थ		
गन्धकका तेजाव २०००टन	..	बाद में विचार होगा।
एल्युमीनियम २०००	बाद में विचार होगा।
सल्फेट		

६. शोरे का तेजाव	२७०	टन	२७०टन	
नमकका तेजाव	२००	.	२००टन	
मैत्रीशियम				
सलफेट	८००	..	८००..	
फेरस सलफेट	४००	बाद में विचार होगा।
६. तांबे की तार	१०००	टन	
७. एस्ट्रस्टास	५०००	टन	२५००टन	शेष के विषय में हिन्दुस्तान सोचेगा कि वह क्या मंग- रोल की टाइले दे सकता है या नहीं।
सीमेटकी				
चादरें				
८. रंग व रोगन,	२५००	टन	२५०० टन	पूरा विवरण नहीं मिला।
वानिश				
९. रेलवे सञ्चालनी	३६	लाख ३०	कोई कमी रह गई तो बदले की दूसरी चीजे देकर पूरी करने की कोशिश की जायगी।
सामान	३०	हजार रुपये के		शायद दिये जा सके लेकिन बाद में विचार किया जायगा।
१०. टायर और ट्यूब	१३	लाख टन	शायद सामान दिया जा सके

लेकिन साइज़
आदि से पूर्ण
विवरण मिलना
चाहिए बाद में
विचार होगा ।

११. चमड़ा व बूट बगैरह

बूट का ऊपरी चमड़ा	६० लाख वर्ग फीट	सामान दिया जा सकता है या नहीं, यह खालों के मिलने पर निर्भर है।
तली का चमड़ा	७५ लाख पाउंड	
जाइनिंग का चमड़ा	४ लाख पाउंड	

चमड़े के बूट ६ लाख

३ लाख बूटोंके लिए केन्वस

१२. लकड़ी	१०००० टन	बदले में हिन्दु- स्तान ने माला- बारके जैगलोंकी लकड़ी देने का प्रस्ताव किया। नमूने पाकि- स्तान को भेजे जायंगे।
-----------	----------	--

१३. पटसन का बना सामान ५०,००० टन ५०,००० टन ...

१४. हरड २००० टन २००० टन

१५. गर्म कपड़े ११ लाख पाउंड ११ लाख पाउंड

१६. सरसों का तेल ५० हजार टन २० हजार टन ...

१७. मूर्गफली का तेल ३० हजार टन ५ हजार टन

१८. गरी का तेल ६ हजार टन

१६. आलू के बीज	दोनों देशों में बहुताधत होने पर नियर्ति की आज्ञा दीजायगी।
२०. नहाने का सानुन	२ हजार टन २ हजार टन
-२१. तस्वारू	७ लाख पाठ्ड ७ लाख पाठ्ड
२२. चाय की पेटियाँ	३ लाख यह मांग पहली वार करात्री में पेश की गई। इस पर दिल्ली में विचार किया जायगा। पूर्वी बंगाल की चाय को उपज के लिए इन्हें आव- श्यक घताया जाता है।

हिंदुस्तानकी अधिक पाकिस्तान ने विवरण

नाम	आवश्यकता की मिकदार	जितनी मिकदार देना मान लिया
१. पटसन	५५ लाख गांठे	५० लाख गांठे ..
१. कपास	६ लाख गांठे	५ लाख ५० हजार गांठे ..
३. अनाज चावल गेहूं	१ लाख टन २ लाख टन	१ लाख ७५ हजार .. यदि पैदावारको अधिक द्वानि न पहुंचे तो पाकि- स्तान जितनी मिकदार

देगा और कोशिश करेगा
कि अधिक भी दे।

४.	जिप्सम मिट्टी १००० टन	धीरे धीरे १००० टन ही	..
	प्रतिदिन	प्रतिदिन दिया जायगा	
५.	वरोज्ञा ४००० टन		..
६.	खाले संख्या	संख्या	..
	गौ की २० लाख	१० लाख	
	भैस की २ लाख	२ लाख	..
	चमड़ियाँ १५ लाख	१५ लाख	..
७.	पथरी नमक २० लाख मन	२० लाख मन	..
८.	सोडा पेश १० हजार टन	... शायद १६४६ में हिन्दु- स्तान की इस जरूरत को पूरा किया जा सके। इस समय कारखाना बन्द पड़ा है।	
९.	पोटेशियम ५००० टन	५००० टन	
	नाइट्रोइट		
१०.	पशु १०५० टन	५२० टन	

प्रान्तीय प्रगति

- इस अध्याय में देश के ६ प्रान्तों की चहुंविंध प्रगति व समस्याओं की रूपरेखा खींची गई है। राजनीति के हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह समस्त देश की समस्याओं से परिचय रखे। प्रान्तीयता की संकीर्ण भावना को दूसरे प्रान्तों की जानकारी न होने से प्रोत्साहन मिलता है; देश के एक भाग की उलझने समस्त देश की उलझने हैं:- ऐसा समझने पर ही हिन्दुस्तान तरक्की कर सकेगा।

आसाम

आबादी : १,०२,०४,७३३। राजधानी : शिलांग, आबादी : ३८१६२। गर्भियों की राजधानी अलहदा नहीं है। ११ फरवरी १६४६ को कांग्रेस ने मन्त्रिमंडल बनाया।

१. श्री गोपीनाथ बार्देलाह—प्रधानमंत्री। शिक्षा और प्रचारके मंत्री।
२. बसन्त कुमार दास—गृह, न्याय, कानून और विविध विभागों के मंत्री।
३. श्री विष्णुराम मेधी—अर्थ और भूमिकर के मंत्री।
४. मौलवी अब्दुल मतलिब मजुमदार। स्थानीय शासन, कृषि और पशु सम्बन्धी (वेटरनरी) मंत्री।
५. श्री वैद्यनाथ मुकर्जी—रसद, पुनर्निर्माण, जल के मन्त्री।
६. रेवरेड जे० जे० एम० निकलस राय—पब्लिक वर्क्स के मंत्री।
७. श्री रामनाथदास—चिकित्सा, स्वास्थ्य और मजदूर मंत्री।
८. श्री सिम्बर दयूरी—जंगल मंत्री।
९. मौलवी अब्दुल रशीद—इधोग, को-शापरेशन और मुस्लिम-शिक्षा के मंत्री।

प्रान्तका एक ही पालियामैटरी सैक्टरी है—श्री पूर्णनन्द चेटिया। धारा-सभा के सदस्यों की संख्या १०८ है। लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्यों की संख्या २२ है, इसमें से ४ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। धारा-सभा के १०८ सदस्यों में से ६० कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे। कौसिल में ४ कांग्रेसी, २ मुस्लिम लीगी और १६ स्वतन्त्र हैं। धारा-सभा का अधिवेशन आमतौर पर फरवरी से अप्रैल, सितम्बर, नवम्बर व दिसम्बर में होता है। कौसिल का अधिवेशन मार्च, सितम्बर, नवम्बर और दिसम्बर में हुआ करता है।

बजट १९४८-४९ में प्रांत का कुल अनुमानित व्यय कुल अनुमानित आय से १,४६,४६,००० अधिक रहेगा। तनख्वाहों की नई दरों के चालू होने पर यह नुकसान बढ़कर १.७५ करोड़ रुपये के लगभग हो जायगा।

नया प्रांत ३ जून ४७ की विभाजनकी योजना के अनुसार सिलहट का जिला, कुछ थानों को छोड़कर, आसाम से अलहदा करके पूर्वी बंगाल से मिला दिया गया। विभाजन से पूर्व प्रान्त में मुसलमानों का अनुपात, जो १९४१ की जन गणना के अनुसार ३४ प्रतिशत था, अब २२ घ प्रतिशत रह गया। प्रांत में कवाहुली जातियों की आवादी २३ लाख ८० हजार के लगभग है।

१९४५ के पेंचट के अनुसार प्रांतीय स्वतन्त्रता पा लेने पर आसाम में (१९३८-३९ में) केवल १४ महीनों के लिए कांग्रेस ने दूसरी पाटियों के सहयोग से मन्त्रिमंडल बनाया था। शेष समय मुस्लिम लीगी मन्त्रिमंडल ही स्थापित होते रहे और प्रांत की उन्नति और प्रगति अवरुद्ध रही। १९४५ के धारा-सभा के चुनावों से कांग्रेस ने आसाम की प्रांतीय सभा में बहुमत प्राप्त किया और फरवरी १९४६ में शासन की बागडोर हाथों में ली।

केविनट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार आसाम का सारा प्रांत ही लीग की सम्प्रदायिक राजनीति के दाव-पेचों में डलभने जा रहा था। आसाम की धारा-सभा ने बगाल के साथ गठबंधन किए जाने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पाय किया और विधान परिषद् में अपने प्रतिनिधियों को हिदायत की कि इस स्थिति का विरोध करें। प्रांत के इस रवैये को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था।

लेकिन अगस्त १९४७ में हिन्दुस्तान के विभाजन और स्वतन्त्रता प्राप्ति के फलस्वरूप आसाम हिन्दुस्तान का ही अंश बना रहा। प्रान्त में १५ अगस्त १९४७ को आजादी का समारोह विशेष जोश से मनाया गया

ज्योंकि एक तो देश स्वतन्त्र हुआ, दूसरे मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक नीति का शिकार होने से बच गया।

१५ अगस्त ४७ को आसाम ने अपने को हिन्दुस्तान का ही प्रान्त पाया लेकिन उस दिन हस्त प्रान्त का देश से सड़क, रेलगाड़ी व हवाई-जहाज़, किसी भी साधन द्वारा कोई भी सम्बन्ध नहीं रहा था। इन सम्बन्धों को बनाने की योजना सबसे पहले अधिक महत्व की थी इस क्षिए सबसे पहले इसी ओर ध्यान दिया गया।

**हिन्दुस्तान से
सम्बन्ध**

उत्तरी बंगाल से होकर आसाम और हिन्दुस्तान के द्वीच रेलवे की नई पटरी बिछाने की योजना बनाई गई है। नवम्बर ४७ में गौहाटी के पास

काहिकुची में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। विहार, पश्चिमी बंगाल और केन्द्रीय सरकार ने मिल-कर हिन्दुस्तानी प्रदेशों से गुजरने वाली आसाम तक की एक नई सड़क बना ली है जो चालू भी हो चुकी है। गौहाटी और शिलांग में दो नए रेलियो स्टेशन बनाये गए हैं ताकि वेतार द्वारा भी आसाम मातृदेश से सम्बन्धित हो जाय। शिलांग से हाफलोग, कचर, लुशेर की पहाड़ियों और त्रिपुरा तक जाने वाली सड़क की योजना भी बन चुकी है।

रक्षा का प्रश्न

इन योजनाओंसे न केवल आसामका हिन्दुस्तान से सम्बन्ध बना रहेगा वरन् प्रान्त की रक्षा की समस्या भी हल होगी। देश और आसाम के द्वीच पूर्वी पाकिस्तान पड़ता है। आवश्यक है कि आसाम की भीतरी व बाहरी रक्षा के पूर्ण प्रबन्ध हों।

इस दृष्टि से प्रान्त में होमगार्ड ऐक्ट (१९४७) पास किया गया है। सिक्यूरिटी पुलिस बढ़ा दी गई है। साधारण पुलिस में ७० प्रतिशत वृद्धि की गई है।

देश से हवा, सड़क व रेल द्वारा सम्बन्धित हो जाने से प्रान्त की रसद स्थिति भी संभले व सुधरेगी। प्राक्षिस्तान के विदेशी प्रदेश घोषित होजाने पर और दोनों देशों की सरहदों पर कस्टम पोस्ट बन जाने से सुलभता से सीमाओं के दोनों ओर आना-जाना व मिलना दुर्गम हो गया है।

प्रान्त में जमीदारी की प्रथा का हटाने का प्रश्न किसानों से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है क्योंकि गोलापाडा सम्बन्धित नीति और सिलहट के थानों को छोड़कर प्रान्त में शेष सब जगह रथ्यतवाडी की प्रथा ही चालू है। फिर भी जमीदारी को निर्मूल करने के उद्देश्य से, कांग्रेस की हिदायतों के अनुसार, आवश्यक छानबीन की जा रही है।

भूमि सम्बन्धी दूसरे सुधार भी जारी है। 'अधियारों' की रक्षा बढ़ने के नियमित करने के उद्देश्य से १९४८ के अखरम में धारा-सभामें एक विल पेश किया गया है। जमीदार किसानों से फसल के रूप में जो अधिक किराया ले लेते हैं, यह कानून उसका निषेध करेगा और किराये की दर नियत कर देगा। चाय की बिजाई के लिए जो जमीनें सुफत और बड़े पैमाने पर दी जा चुकी हैं, उन सम्बन्ध में भी तहकीकात की जा रही है। जिन जमीनों का प्रयोग नहीं हो रहा वह बायिस लेकर उन किसानों को दी जायगी जिनके पास अपनी काई जमीनें नहीं हैं।

प्रान्त की चरागाहों पर जिन लोगोंने बलात् अधिकार जमा कियाथा, उन्हे वहासे हटा दिया गया है। इस तरह खाली कराई गई जमीनें भी नियमानुसार किसानों को दी जा रही हैं। वही कि-जन इन जमीनों को पायेगे जो सांकी खेती-वारी(कलकिटच फ़ार्मिंग) में शारीक होंगे प्रांतीय सरकार ने मोशामारी फार्म की २०० एकड़ जमीन पर एक आदर्श फार्म शुरू किया है जहाँ यन्त्रीय (ट्रैक्टरों द्वारा) खेती की जा रही है।

१५ अगस्त १९४७ तक आसाम में न तो शिक्षा व हाईकोर्ट कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई हाईकोर्ट, न इंजीनियरिंग कालेज न मेडिकल कालेज और न कोई एग्रिकल्चर कालेज। नवम्बर ४७ में गौहाटी में एक रेज़ि-डेंशल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आसाम की धारा-सभा ने एक विल पास किया। जनवरी ४८ में यूनिवर्सिटी की स्थापनाके लिए ठोस कदम उठाये गए। प्रांतीय सरकार इस संस्था को प्रति वर्ष ५ लाख रुपये की सहायता देगी। इस वर्ष के बजट से ११ लाख रुपये की और अगले वर्ष के बजट से ३० लाख रुपये की रकमे यूनिवर्सिटी की इमारत व सामान के लिए दी जायेगी।

नवम्बर ४७ में एक मेडिकल कालेज की स्थापना भी हुई।

एग्रिकल्चरल कालेज बनाने की योजना विचाराधीन है; जोड़त मे कालेज की स्थापना के लिए स्थान भी तय कर लिया गया है।

एक इंजीनियरिंग कालेज भी जिसमें दरियारों के पानी बांधने के सम्बन्ध में विशेष शिक्षा दी जाया करेगी, खोला जा रहा है।

इनके अलावा आयुर्वेदिक कालेज, वेटरनरी कालेज, पुस्तिस ट्रैनिंग कालेज, ग्राम सुधार शिक्षा की संरथा, जंगलों के सम्बन्ध में शिक्षा देने वाला कालेज और को-ग्रामरेटिव अफसरों की तैयार करने की संस्था खोलने के सम्बन्ध में भी छानबीन की जा चुकी है और इनकी स्थापना के उद्देश्य से कदम उठाए जा रहे हैं।

धारा-सभा के नवम्बर अधिवेशन में गौहाटी में प्रान्तीय हाईकोर्ट के खोलने की योजना की स्वीकृति ले ली गई थी। इस योजनाको केन्द्र के गृह-विभाग ने मार्च ४८ में मान लिया और ५ अग्रैल १९४८ को हाई-कोर्ट का उद्घाटन किया गया।

प्रान्त में जबरन शिक्षा का कानून पास हो चुका है। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्ता है १२ रु० सालिक से २० रु० और

फिर ३० रुपये तय कर दी गई हैं। मेडल क्लास की पदार्ह तक अँग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जायगी।

ग्राम-सुधार २ अक्टूबर १९४७ को गांधी जी के अन्तिम जन्मदिवस पर मंत्रिमण्डल ने ग्राम सुधार योजना की घोषणा की। इस सम्बन्ध में एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है। प्रान्त के कुल गांवों का ७२० ग्राम-सुधार के केन्द्रों के मात्रात् सुधार किया जायगा। १४२ केन्द्र प्रति वर्ष खोले जायेंगे। इन पांच वर्षोंमें ७८ आदर्श गांव भी बनाए जायेंगे। इस योजना के पूरा होने पर प्रान्त के ६६ प्रतिशत ग्रामीण वास्तविक स्वायत्त्व शासन पा लेंगे।

इस योजना की सफलता के लिए उन कार्यकर्ताओं की शिक्षा के लिए एक विशेष केन्द्र खोला गया है जो गांवों में जाकर काम करेंगे। ग्रामों में पंचायती संगठन बनाने के लिए धारा-सभा एक कानून भी पास कर चुकी है। इस योजना पर ६ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। ग्राम सुधार का शलहदा विभाग खोल दिया गया है।

उद्योग उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त मंत्रिमण्डल द्वारा मान लिया जा चुका है। लेकिन इस समय प्रान्तों में चाय, पेट्रोल और कोयले को छोड़कर वडे पैमाने पर कोई उद्योग नहीं है। प्रान्त ने फैसला किया है कि सूती व्युटे, कागज व चीनी बनाने के कारखाने खोले जायें, इस सम्बन्ध में मशीनरी वर्गैरह का आर्द्र भी दे दिया गया है।

चाय के उद्योग का राष्ट्रीयकरण जल्दी नहीं हो सकेगा। याताप्रात के राष्ट्रीयकरण का फैसला हो चुका है।

मजदूर प्रान्त के मालिक व मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे हैं। जो छोटे-मोटे झगड़े हुए भी हैं, वह प्रान्तीय सरकार के मजदूर विभाग ने सुलह-सफाई से निपटा दिए।

खाद्य व रसद प्रान्त में दालों, गुड़, चीनी और सरसों के तेल की कमी रही है। चावल की पैदावार बहुता-यत से होती है और इस और प्रान्त आत्मनिर्भर है। सूती कपड़े का इन्दुस्तान से आयात होता है। इन आवश्यकताओंके आयात पर प्रान्त प्रतिवर्ष १२ करोड़ रुपया खर्च करता है।

इस तरह के खाद्यान्नों में प्रान्त को आत्मनिर्भर करने के लिए खाद्यविभाग के भातहत खाद, अच्छे बीजों के प्रयोग और दुफसली विजाई का प्रचार किया जा रहा है। प्रान्त में किसान मिल-जुलकर सांस्कीखेती-वारी करें, इस और भी प्रेरणा की जा रही है।

१ अप्रैल धर्द से सरकारी नौकरों की तनख्वाहों तनख्वाहों में वृद्धि में वृद्धि कर दी गई है जिससे कि सरकार को २५ लाख रुपए को रकम का, जो रकम कि नई तनख्वाहों के शुल्क हो जाने पर ७५ लाख हो जायगी, बोर्ड उठाना पड़ा। सरकारी अफसरों की ज्यादा तनख्वाह १५०० रुपए मासिक तक सीमत रखने का फैसला किया जा चुका है।

विविध प्रान्त के दर्शायाओं पर कहाँ-कहाँ बाध बांधे जा सकते हैं व विजली बनाई जा सकती है, इस उद्देश्य से छानवीन हो रही है।

प्रान्त में अफीम के प्रयोग के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। अँग्रेज की नाति पहाड़ा पर रहने वाली जातियों का समतल जिलों की जनता से अधिक मिलने-जुलने का इजाजत न दती थी। इन दोनों में भारतार बढ़ाने के लिए शिलांग में (नवम्बर ४७ मे) एक सप्ताह मनवा गया जबकि

दोनों जिलों के लोगों न पारस्पर के माहन्यर्थ प्रदानकिया। प्रान्त के प्रधान मंत्री ने वनस पहाड़ जिलों का दोरा कर रहते हैं। पिछड़े प्रश्नों को तरकी न कोशिश की जा रही है। तर पूर्वीय सीमा

प्रदेशों के विकास की एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है जिसका खर्च केन्द्र की सरकार कर रही है। पिछले प्रदेशों में सड़कें, इमारतें, औपधालय व स्कूल बगैरह खोले जा रहे हैं।

आसाम प्रान्त को आशा है कि वह केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता और निर्देश से शीघ्र ही स्वतन्त्र भारत का एक महत्वपूर्ण प्रान्त बन जायगा।

उडीसा

आवादी : ८७,२८,५४४ (१९४१ की जन-गणना के अनुसार)।
राजधानी : कटक, आवादी : ७६१०७। गर्मियों की राजधानी : पुरी, आवादी : ४२६१६। मन्त्रीमंडल कांग्रेस ने २३ अप्रैल १९४६ को बनाया।

(१) श्री द्विकृष्ण महताब—प्रधानमन्त्री। गृह, अर्थ, सूचना, योजना और पुनर्निर्माण के मन्त्री।

(२) श्री नवकृष्ण चौधरी। भूमिकर, रसद और यातायात के मन्त्री।

(३) परिषद लिङ्गराज मिश्र। शिक्षा, जंगल और स्वास्थ्य के मन्त्री।

(४) श्री नित्यानन्द कानूनगो। कानून, स्थानीय शासन और विकास के मन्त्री।

(५) श्री राधाकृष्ण विश्वासराय। व्यापार, मजदूर, और पनिलक वर्क्स के मन्त्री।

प्रांतीय सरकार ने कोई पर्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं बनाया। भारा-

सभा के सदस्यों की संख्या ६० है। लोजिस्टिक कौसिल नहीं है। धारा-सभा में ४७ कांग्रेसी, ४ सुस्लिम लीगी, १ कम्यूनिस्ट, ४ स्वतन्त्र और ४ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। धारा-सभा का अधिवेशन आमतौर पर जनवरी से मार्च और अगस्त से नवम्बर तक हुआ करता है।

रचनात्मक महकमों पर खर्च

उड़ीसा प्रांत देश के गरीब प्रांतों में से है। यहां की जनता गरीब है; परिणाम-स्वरूप सरकार की आय कम है। मुख्य आय चावल के निर्यात से होती है। अपेक्षातर हीन साधनों के होते हुए भी उड़ीसा ने रचनात्मक महकमों पर प्रांतीय खर्च बढ़ाया ही है :

शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य कृषि पशु सहकारी उद्योग
(००० रुपयों में)

१९४६-४७	२६,१२	८,२५	२,१८	२,२४	१,०१	१,७४	२,५०
४६-४७	३,१५	२३,४२	११,४२	११,१६	५,२८	३,६४	१०,५०
४७-४८	८६,३६	२८,४३	१५,२०	६४,११	८,१४	६,४०	२१,०२
४८-४९	६७,१०	३०,६१	३१,६७	८६,२०	१०,७३	८,१७	१८,६६

(बजट)

प्रांतीय आय

भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्रांतीय आय विभिन्न वर्षों में इस प्रकार रही है :

(लाख रुपए)

१९४६-४७	१९४७-४८	१९४८-४९
		(बजट)

आय कर	६०	८३	८१
मालिया	५१	५२	५३
प्रांतीय एक्साहाज़ा	१११	१२३	११५
जंगल	१८	२२	२५

कमर्शल ट्रैक्स

(सेल्स ट्रैक्स आदि)	...	७	१६
आवपाशी	१०	१०	१०
केन्द्रीय सरकार से सहायता	४०	४०	४०
शुद्धोत्तर विकास के लिए			
केन्द्रीय सरकार की सहायता १००		२००	२६०
शेष आय	५७	६६	८१
—	—	—	—
कुल	४७८	६६६	८६६

कृषि सम्बन्धी कानून मे भी हम प्रकार संशोधन कृषि सम्बन्धी सुधार धन कर दिया गया है कि किसानों, रख्यत, चंदनदारों और इनामदारों को जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। दक्षिणी उडीसा मे किसानों से वसूल किये जाने वाले सुआवज़े (रेन्ट) की दर बहुत अधिक थी। कानून द्वारा इस सिंद्धान्त को स्वीकार करके कि सुआवज़े को निश्चित करने मे खेती-बीजने व काटने के खर्चों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कमी कर दी गई है।

१९४७ में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार गंजम जिला के किसानों को यह सुभीता दिया गया कि कुछ निश्चित तारीखों तक सुआवज़े की चालू बाकी अदा कर देने पर पिछली कुल बाकी अदा कर दी समझी जायगी।

वे नियन, जिनकि ले गी-बाटो को जमीन में किसी भी तरह के अधिकार नहीं माने जाते, जमीदारों की स्वेच्छा पर जब कभी भी निकाले जा सकते थे। जमीदार इनसे खेती की कुल उपज का आधे से भी अधिक भाग वसूल कर लिया करते थे। एक कानून के अनुसार १ वर्ष के अन्तरिम काल के लिए इनकी स्थिति सुरक्षित करते हुए घोषणा की गई कि जो मज़दूर १ सितम्बर १९४७ को किसी

जमीन पर काम करते थे उन्हें वेदखल नहीं किया जा सकेगा। उनसे चसूल किए जाने वाले हिस्से को भी प्रदेशानुपार कम कर दिया गया।

एक कानून द्वारा यह मान लिया गया है कि कुछ प्रदेशों में किसान जमीन पर खेती-बारी के अपने अधिकारों को दूसरे किसानों को दे सकते हैं। कुछ हालात में यह नए किसान पुराने किसानों के समान ही उस जमीन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

एक विशेष समिति का आयोजन हुआ है जो जमीदारी प्रथा को भियाने के प्रश्न पर विस्तृत विचार करेगी।

पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में

गन्जम जिले में कबाइली (द्वाइवल) व पिछड़ी हुई (बैकवड़ी) जातियाँ रहती हैं। इनकी दशा सुधारने के विशेष प्रयत्न जारी हैं। इस दिशा में बैकवड़ी क्लासिज़ वेलफेर ब्रांच काम कर रही है। नुआ-गांव में खोण्ड (भील) बालकों के लिए एक आश्रम खोला गया है। यहाँ पर विभिन्न दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है। रायगढ़ और कोरापुत में भी ऐसे आश्रम खोले जा रहे हैं। १०० सेवाश्रम कोरापुत में, २० गन्जम में, १६ सम्बलपुर में और ४ अंगुल में खोले जा रहे हैं। इनमें कातने वा खेती सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है और लोगों को पढ़ाया जाता है। सेवाश्रम के अध्यापकों के लिए सुनवेद में सेवक-तालीम केन्द्र खोला गया है। यह केन्द्र सेवाश्रमों के लिए द्वितीय २०० सेवक तथ्यार करेगा।

उदयगिरि की भील-बालाओं के निवास-स्थान (होस्टल) के लिए एक पक्की इमारत बनाई जा रही है।

१९४७-४८ से शुरू होने वाले पांच वर्षों की एक ग्रान्तीय साधनों के योजना बनाई गई थी जिस पर कुल व्यय का विकास की योजनाएं अनुमान ३८ करोड़ रुपए था। केन्द्रीय सरकार ने इस योजना पर व्यय में ६.६ करोड़ रुपये देना मार्ज जिया था। १९४६-४७ के वर्ष के लिए एक विशेष

योजना बनाई गई थी जिसके लिए केन्द्र ने १ करोड़ रुपया दिया। प्रान्तीय सरकार ने इस रकम से ८२ लाख रुपए की रकम खर्च की। शेष रकम इमारत व सड़कों के सामान की कमी के कारण बच रही।

१९४७-४८ में विकास की योजनाओं पर खर्च के लिए ४.७५ करोड़ रुपए की रकम स्वीकार हुई है, १९४८-४९ के वर्ष के लिए इसी मद में स्वीकृत रकम ५.७१ करोड़ रुपया है।

विदेशों में विशिष्ट शिव्वा दासिल करने के लिए ७३ विद्यार्थी भेजे गए। हन्तके अलावा ६ और विद्यार्थी भेजे जा रहे हैं।

प्रान्त में निम्न तरुण उद्योग खोलने की आज्ञा केन्द्र से प्राप्त की जा चुकी है :

सूत व सूती कपडे के कारखाने	२	(११६००० स्पिन्डल)
----------------------------	---	---------------------

चीनी	„	२
------	---	---

पटसन	„	१
------	---	---

पेन्ट-वार्निश	„	१
---------------	---	---

रेयन	„	१
------	---	---

कागज	„	१
------	---	---

गन्ने	„	१
-------	---	---

सीमेट	„	१
-------	---	---

बानस्पती धी	„	१
-------------	---	---

हीराकुँड योजना से सहस्री विजली मिलने पर प्रान्त में एलुमी-नियम के निर्माण का उद्योग तरक्की कर सकेगा; इसके लिए कलहन्दी रियासत में पाई जाने वाली वाक्साइट की खानों से कच्चा सामान मिलेगा।

प्रांत में छोटे पैमाने पर दुनियान वैगैरह, बाल्टियां, छाता और लोहा ढालने का भी एक-एक कारखाना काम कर रहा है।

खेती बारी	प्रांत में ७७ लाख एकड़ जमीन पर खेती की जाती है। चावल की उत्पत्ति इतनी मात्रा में होती है कि प्रांत अपनी पैदावार का ८ प्रतिशत
-----------	--

भाग देश के दूसरे प्रांतों को निर्यात कर सकता है।

यातायात प्रांत यह निश्चय कर चुका है कि सड़कों के

एक सरकारी कम्पनी बनाई जायगी जो धीरे-धीरे सारे प्रांत में सवारियां व सामान ढोने वाली लारियां व ट्रक चलायगी।

सहकारी संस्थाओं का विकास प्रांत में सहकारी सिद्धांतों पर बने बैंकों की संख्या १५ है, इन-बैंकों की पूँजी में १३ प्रतिशत और इनके कामकाज में ६२ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

जुलाहों की सहकारी संस्थाओं के काम-काज में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन संस्थाओं की संख्या १३३ है और इनके सदस्यों की संख्या ७७३८ है। इन संस्थाओं ने पिछले वर्ष १५.५२ लाख स्पष्ट की रकम का व्यापार किया।

प्रांत में खाद बनाने वाली १४ और धानी का तेल निकालने वाली ११ सहकारी संस्थाएं हैं। इनकी सदस्य संख्या क्रमशः १६६ और ४२६ है।

मछली पकड़ने व बिकी करने वाली संस्थाओं की सदस्य-संख्या ३८४४ है। १६४७-४८ में इन्होंने ४ लाख रुपये का व्यापार किया।

धरेलू व छोटे पैमाने पर उद्योग चलानेवाली संस्थाओं की संख्या ३२ है।

प्रांत में स्थित ओरियन्ट पेपर मिल्ज़ प्रतिवर्ष बड़े उद्योग-धनधे १०,००० टन क्राफ्ट पेपर बनाती थी। प्रबन्धकों ने उत्पादन को दोगुना करने की योजना को कार्यान्वयन करना शुरू कर दिया है।

बंग स्थित शीशे के कारखाने को बिलकुल अर्वाचीन करने की योजनानुसार अमरीका से एक विशेषज्ञ भुजप्रया गया है।

सूती कपड़ा तथ्यार करने वाली उडीसा टेक्सटाइल मिलज ने उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। इसमें कुल १६००० स्पिन्डल वारीक कपड़ा बुनने के लिए, २५००० सोटा कपड़ा बुनने के लिए और ८०० लूम्ज़ हैं। हिन्दुस्तान में युद्ध के बाद स्थापित कपड़े का उत्पादन शुरू करने वाला यह पहला कारखाना है।

वानस्पती धी के उत्पादन का कारखाना भी खड़ा किया जा चुका है।

सूती कपड़ा बनाने वाले तीन और कारखानों की इजाजतें दी जा चुकी हैं। इनमें से प्रत्येक में २५००० स्पिन्डल और ५२० लूम्ज़ होंगी।

चीनी उत्पादन के दो नए कारखाने खुलेंगे।

कागज व गत्ता बनाने वाला एक नया कारखाना लगाया जायगा। इसकी पैदावार प्रतिवर्ष १०,००० टन होगी।

गन्जम ज़िला में नमक बनाने के उद्योग की इजाजत दी जा चुकी है। हम्मा और सर्ला के पुराने कारखानों में उन्नति करने की योजनाएं बनाई गई हैं।

प्रांत में चीनी के बर्तन, सीमेंट, लाख, पेन्ट, प्लाईबुड, दियासिलाई रसायन, एलुमीनियम, रिफ्रोजरेटर, और डैक्टर बनाने के कारखानों को स्थापित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन कारखानों में कुल १५ करोड़ रुपये की पूँजी लगेगी।

प्रान्तीय सरकार इन उद्योगों को चलाने वाली कम्पनियों के हिस्से खरीदेगी और प्रबन्धभार में हाथ ब'दायगी।

बिजली उत्पादन प्रान्त के ग्रामों को बिजली पहुंचाने की निम्न - योजनाओं पर प्रान्तीय सरकार ध्यान दे रही है:

मचखण्ड हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना—मद्रास की सरकार के सह-योग से इस योजना पर कार्य होगा। शुरू में उड़ीसा का हिस्सा ४४०० किलोवाट होगा, बाद में योजना के सम्पूर्ण हो जाने पर उड़ीसा को ३०,००० किलोवाट विजली मिलेगी। १९५० तक विजली का उत्पादन शुरू हो जायगा।

सोलाव योजना—आरम्भिक खाके खींचे जा चुके हैं। योजना से ८०,००० किलोवाट विजली तैयार की जा सकेगी।

हीराकुण्ड योजना—इससे उद्योग-घन्थों के लिए २,२०,००० किलोवाट और जमीन की सिंचाई के लिए ४८,००० किलोवाट विजली सुलभ होगी।

शिक्षा प्रान्त में कालेजों की कुल संख्या १२ है, इन पर १९४७-४८ में १०,३६,७३५ रुपया खर्च किया गया। सेकंडरी स्कूलों की कुल संख्या ४४ है। १९४६-४७ और ४७-४८ के दो वर्षों में १३६ नए प्राह्मरी स्कूल खोले गए हैं। ४७-४८ में सेकंडरी और प्राह्मरी शिक्षा पर कुल ग्रान्तीय खर्च क्रमशः ६,१६,६११ रुपए और १६,६२,६४४ रुपए है।

प्रान्त में हस्पतालों व डिस्पेन्सरियों की कुल चिकित्सा सम्बन्धी संख्या २१० है। आयुर्वेदिक औषधि बांटने सुविधाएं वाली १२ डिस्पेन्सरियां खोली जा रही हैं।

पश्चिमी बंगाल

आबादी : २ करोड १२ लाख। राजधानी: कलकत्ता, आबादी: २१,०८,८६१, (१९४१)। गर्भियों की राजधानी: दार्जिलिंग।
संत्रिमंडल १३ संत्रियों से बना है :

१ डाक्टर विधानचन्द्र राय—प्रधान मन्त्री । गृह(सामान्य शासन, यातायात, विकास) स्वास्थ्य, स्थानीय शासन ।

२ श्री नलिनी रङ्गन सरकार—अर्थ विभाग, व्यापार, उद्योग ।

३ श्री किरणशंकर राय—गृह (पुलिस, जेल) ।

४ श्री राय हरेन्द्रनाथ चौधरी—शिक्षा विभाग ।

५ श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन—रसद विभाग ।

६ श्री जादवेन्द्र नाथ पंजा—कृषि, पशुपालन ।

७ श्री विमल चन्द्र सिंहा—पठिलक वकर्स, भूमिकर ।

८ श्री निकुञ्ज बिहारी मेतो—को-आपरेशन, पुनर्निवास

९ श्री निहरेन्द्र दत्त मन्त्रिमंडल—कानून ।

१० श्री कालिकाद मुकर्जी—मन्दूर विभाग ।

११ श्री भूपति मन्त्रिमंडल—सिचाई विभाग ।

१२ श्री हेमचन्द्र नस्कर—जंगल, मछुली विभाग ।

१३ श्री मोहिनी मोहन बर्मन—एक्साइज़ विभाग ।

इनके अतिरिक्त ७ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं :

(१) श्री ही००८८० मुकर्जी चीफ बिहप (२) श्री सुशील कुमार बैनर्जी गृह मन्त्री (पुलिस, जेल) के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (३) श्री हेमन्त कुमार बसु—प्रधान मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (४) श्री कन्हाई बाल दास—कृषि मंत्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (५) श्री हरेन्द्र नाथ ढोलुई—पठिलक वकर्स के मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (६) श्री निशापति माझी—रसद मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (७) श्री रजनीकान्त प्रभाणिक—रसद मन्त्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय, ३१०० करोड़ रुपये । कुल अनुमानित खर्च ३२,००० करोड़ रुपये ।

इस तरह १ करोड़ के घाटे का अनुमान है । कोई नथा टैक्स लगाने का सरकारी प्रस्ताव नहीं है ।

१५ अगस्त ४७ से मार्च ४८ के अन्त तक के बजट में २५० वरोंड रुपये की वचत हुई है।

विभाजन से बंगाल के ज्येत्र का ३६.४ प्रतिशत
ज्येत्र और आवादी भाग पश्चिमी बंगाल को मिला और आवादी का केवल ३५.१ प्रतिशत। पश्चिमी बंगाल का ज्येत्र २८.२१५ वर्ग मील है, हर वर्ग मील में आवादी का घनत्व ७५१ है ५० प्रतिशत जनता खेती-वारी करती है। १६ प्रतिशत भाग किसी-न-किसी तरह के उद्योगों से सम्बन्धित है। वे वल २२ प्रतिशत जनता शहरों में रहती है, शेष गाँवों में।

पश्चिमी बंगाल में खेती-वारी का तरीका
कृषि पुराने ढाँई पर चलता है। १६.४८.५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इसमें से २.४४.००० एकड़ की सिंचाई सरकारी नहरों से और लगभग ८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई तालाबों से होती है। वडे पैमाने पर ऐसी जमीने पढ़ी हैं जो इस वर्ष नहीं बीजी गईं (करेन्टफैलो), बीजी तो जा सकती हैं लेकिन खाली पढ़ी रहती हैं (कर्चरेबल वेस्ट) अथवा बीजी जाने के अयोग्य (अनकलचरेबल) हैं। जनता के हर व्यक्ति के हिस्से में औसतन ०.४४ एकड़ जमीन आती है। पटसन, सरसों, ईख और शायद चावल की भी उपज प्रान्त की कुल जरूरत से कम होती है।

पटसन की सब मिलें पश्चिमी बंगाल में हैं जबकि ७० प्रतिशत से अधिक पटसनकी पैदावार पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में हैं जहां कि एक भी कारखाना नहीं है।

प्रान्त की केवल ६५००० एकड़ जमीन में ईख की खेती है, उपज प्रति एकड़ से ४०० मन के लगभग है।

विभाजन के बाद हुगली के मिवाय प्रान्त में
दरिया कोई बड़ा दरिया नहीं रहा। कुछ छोटे-छोटे दरिया हैं जो बिहार के छोटा नागपुर के पहाड़ी

इलाको में शुरू होते हैं। यह दरिया वरसात में बाढ़े लाते हैं और गर्मियों में सूख जाते हैं।

प्रान्त इन दृष्टिकोण से भाग्यशाळी है कि इसकी अर्थ व्यवस्था प्रान्त इन दृष्टिकोण से भाग्यशाळी है कि इसकी आर्थिक व्यवस्था बबल कृषि पर ही आधित नहीं। प्रान्त में उद्योग, व्यापार व विदेशी आयात-नियर्ति की दशा सुविकसित है। विभाजन से बंगाल का प्रायः वह सारा इलाका दी परिचमी वंगाल में आ गया है जहाँ कल कारखाने, व्यापार आदि दृढ़तायत से चलते हैं। प्रान्त में मजदूरों की संख्या लगभग ६ लाख है।

कोशले, लोहे और प्रान्त में पाए जाने वाले दूसरे खनिज पदार्थों और चाय की कृषि का अधिकांश क्षेत्र परिचमी वंगाल में ही रहे हैं। कलकत्ता व आसांसोल के प्रमुख उद्योग भी नए प्रान्त में ही रहे हैं। कलकत्ता की बढ़िया वन्दरगाह भी पाकिस्तानी वंगाल से वच गई है।

उत्तरी जिले रेडिक्लिफ एवार्ड के मुताबिक जलपाईगुरी और दार्जिलिंग के जिले परिचमी वंगाल को मिले लेकिन इन जिलों का प्रान्त के दूसरे हिस्सों से कोई भौगोलिक सम्बन्ध नहीं है।

प्रान्त का बजट नए प्रान्तके जीवनका आरम्भ २ करोड़ इलाख १२ हजार के घाटे से हुआ क्योंकि वर्षों से प्रान्तीय बजट में तुकसान दिखाया जा रहा था।

प्रान्त की आर्थिक स्थिति का घोरा इस प्रकार है :

आय	अनुमानित	बजट
	१५.८.४७ से २१ द.४८	१६४८-४६
पिछली बाकी	—२,०६,१२	२,४४,२२
रवेन्यु में आय	३८,८८,२६	३१,१८,४२
कर्जों से आय (डेट हेट्स)	५३,४२,१५	७२,८६,३६
योग	७०,२४,२६	१,०६,४६,१३

व्यय		
रेवेन्यु व्यय	१६,४६,८८	३१,६६,४८
कैपिटल व्यय	२,१७,०९	५,६७,००
ट्रेट हेट्स पर व्यय	४६,०६,००	६८,२०,७६
शेष बाकी	२,५४,२२	७४,८६
	७०,२४,२९	१,०६,८६,१२

१६४७-४८ और ४८-४९ में रेवेन्यु मद से आय का व्योरा हस प्रकार है :

००० रुपये जोड़ लें		
अनुमानित		बजट
१५,८४७ से ३१,३,४८		४८-४९
पटसन पर छूटी	५०,००	१,००,००
(इन्कम टैक्स) आय कर ३,६०,००		३,६०,००
कृषि की आय पर	२५,००	४०,००
भूग्रंहि कर (लैंड रेवेन्यु)	१,३६,७८	१,८३,४४
एक्साइज़	२,८६,२२	५,८८,३०
स्टाप्स	१,४०,००	२,४०,००
दूसरे टैक्स	३,३८,६८	५,२६,८१
—न्टर्टेनमेंट टैक्स	३०,००	४५,००
—बेट्टिंग टैक्स	७०,००	६०,००
—विजला पर छूटी	३०,१८	५०,३१
—सेहस टैक्स	१,४६,४०	२,६६,४०
—मोटर स्परिंट सेहस टैक्स ४०,००		६०,००
—कच्चे पटसन पर टैक्स	६,००	१२,००

कृषि	५६,१२	१,३२,६६
उद्योग	४७,५७	३८,८३
विविध आय	३,७४,८६	६,०८,४५
	१८,८८,२६	३१,१८,५२

१६४७-४८ और ४८-४९ के व्यय का ज्योरा दूस प्रकार है :
००० रुपये जीढ़ लें

(क) शासन मन्त्रधी व्यय	अनुमानित	वजट
१५,८५० से ३१,३,४८	४८-४९	
पुलिस	१,६१,०७	३,६६,५७
साधारण शासन	६०,६७	१,६८,६८
न्याय शासन	५१,२३	६६,७७
जैल	३७,४२	६२,७१
पेशनी का एच	५०,२५	८२,६६
	४,२०,६४	७,८०,७२

(ख) रचनात्मक महकमों पर व्यय		
सिचाई	५२,३१	६१,२८
शिक्षा	१,०६,८८	२,१४,८३
औपचारिक आदि	६६,६७	१,०६,६६
स्वास्थ्य	२८,१४	४८,६४
कृषि	१,०७,८८	२,३१,१२
उद्योग	६६,१५	७०,०९
सिविल वर्क्स	८८,४६	१,७२,३२
	५,३४,१६	६,३४,८६

(ग) विविध व्यय

आकाल पीड़ितों को सहायता	५६,६५	८१,१२
रसद (इसमें नियन्त्रणानुसार बैचे जा रहे अनाज का नुकसान भी शामिल ह)	१,६६,२४	३,२८,६७
शुद्धीतर विकास की योजनाएं	१,६६,४२	६,५७,४३
दूसरे व्यय	२,४७,५४	४,१३,३२
	१६,४६,६८	३१,६६,४८

१५ अगस्त १९४७ को जब देश स्वतन्त्र हुआ
 शान्ति व व्यवस्था तो देशपिता महात्मा गांधी कलकत्ता के एक
 मुसलमान मुहल्ले में उहरे हुए थे। उनकी
 प्रेरणाओं से वर्ष-भर से उपद्रव-ग्रस्त शहर में शान्ति ही रही थी।
 आजादी के दिन हिन्दू-मुसलमानों में ऐक्य के कई प्रदर्शन हुए। लेकिन
 १५ दिन के अन्दर ही दंगे फिर शुरू होगए। इन्हें रोकने के लिए
 गांधीजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आमरण उपचास शुरू
 किया। जाई माउंटबैटन ने बाद में कहा है कि जहाँ पंजाब में बौंदरी
 फोर्स भी शान्ति की स्थापना न कर सकी वहाँ बंगाल की शान्ति को
 एक अंकले आदमी (महात्मा गांधी) के बौंदरी फोर्स ने बनाए रखा।
 दंगे रुक गए और तबसे ग्रान्ट म परस्पर लडाई-झगड़ेकी एक भी घटना
 नहीं हुई।

वर्ष-भर से दंगों से पीड़ित ग्रान्ट की जनता के लिए सरकार ने १५
 लाख २० हजार रुपय की रकम स्वीकार की। ६,८२,००० रुपये के
 सामूहिक जुर्माने माफ कर दिये और जो अदाई लाख के जुर्माने
 पहले इकट्ठे किए जा चुके थे, वह लांदा दिये गए।

जातीय-रक्षा-वाहिनी नाम से ग्रामों में एक
नागरिक रक्षा दल बनाया जा रहा है। प्रान्त की
६१० मील लम्बी हृदय पाकिस्तान से संरक्षी
है। इस हृदय के ३३० गांधों के हरेक गांव में से २०-२० ग्रामीण इस
दल में भरती किये जायेंगे। वर्ष-भर में ६००० ग्रामीणों को युद्ध-शिक्षा
देने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा इंडियन कैडेट कोर के संगठन के तरीकों पर एक
नैशनल वालंटियर कोर भी बनाई जा रही है।

सिंचार्ह और इस समय प्रान्त में सिंचार्ह के लिए ७००
जलीय मार्ग मील लम्बी नहरें हैं जो २,५०,००० एकड़
भूमि को सींचती हैं। ३५० मील लम्बी ऐसी
नहरें हैं जहां किश्तियां चलाई जा सकती हैं।
इसके अलावा १००० ऐसे किनारे व बांध बने हुए हैं जो बाढ़ों से
चचाव करते हैं।

पश्चिमी बंगाल की कृषि का विकास अब तक इसलिए ज्यादा
नहीं हुआ कि प्रान्त में खेतों को बक्त पर पानी मिलने का कोई प्रबन्ध
नहीं है।

इस और दामोदर बांध व मोर दरिया के बांधों से आवश्यक
सहायता मिलेगी। इन योजनाओं पर विदार, पश्चिमी बंगाल व केन्द्रीय
सरकार तीनों मिलकर खर्च कर रही हैं।

इसके अलावा स्थानीय सहायता के लिए प्रान्त के अलग-अलग
जिलों का आवश्यकतानुसार पंच-वर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं जिन
पर पच स पचास हजार रुपये व्यय होगा। दिसंबर ४७ से जून ४८
तक ऐसी २१४ योजनाओं के लिए प्रान्तीय सरकार ने ४३.३३ लाख
रुपये स्वाकार किये।

प्रान्त में नैश्नल हाइवे ज को छोड़कर दूसरी सड़कें १६७ मील लम्बी सड़कों पर इस समय काम हो रहा है, एक ७० मील लम्बी सड़क के लिए जमीन ली जा चुकी है और ५७१ मील सड़क की जमीन लेने के सम्बन्ध में आदश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हर जिले में सड़कों के निर्माण के लिए २० वर्षीय व ५ वर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं। पूर्वी बंगाल के पठोसी जिलों में ४ नई सड़कों का निर्माण शुरू भी कर दिया गया है। ६ दूसरी सड़कों के विषय में छानबीन की जा रही है।

मालिकों व मजदूरों में झगड़ा होने की स्थिति मजदूर सम्बन्धी नीति में सरकार की नीति है कि समझौते के यह साधन बरते जाएं—(१) परस्पर बातचीत (२) सुलह सफाई व (३) पंची फैसला। परस्पर बातचीत सुविधा से हो सके, इस उद्देश्य से कितने ही उद्योगों में वर्कर्स कमेटियां बना दी गई हैं। झगड़ा होने पर काम नहीं रोका जाता। बरन् झगड़ों को पंचों के आगे पेश कर दिया जाता है। मजदूरों के संघर्ष वैधानिक तरीकों पर हों, सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती है। जनवरी से अप्रैल ४८ तक ६ बड़े झगड़े और मई तक ६८ दूसरे झगड़े पंचों के सामने रखे गए। सरकार की मजदूर समस्या से सम्बन्धित नीति यह है कि शासन समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार तो हो परन्तु वर्ग-संघर्ष का साधन न बरता जाय। मालिक व मजदूरों में सहयोग रहना ही श्रेयस्कर है।

१६२८-२६ में प्रान्तीय दूड़ यूनियनों की संख्या ६ थी, १६४६-४७ में २७१ और १६४७-४८ में ४१०। जनवरी से अप्रैल १६४८ तक २२४ मजदूर-युनियनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। पटसन, सूती कपड़े, हंजी-नियरिंग, रेलवे व यातायात व उद्योगों के और सरकारी नौकरियों के मजदूर यूनियनों की सदस्य संख्या ४७,७०६ थी।

१६४६-४७ में मजदूरों की दृष्टालों व कारखानों के बन्द होने से

३६३ महाराष्ट्र में ४७ लाख मजदूरी के दिनों का तुकसान हुआ। १६४७ में महाराष्ट्र की संख्या ३७६ थी और मजदूरी के दिनों के तुकसान की संख्या ५१ लाख थी। १६४८ में मार्च के महीने तक इन महाराष्ट्र के दिनों का तुकसान हुए और ३,३३,१०४ मजदूरी के दिनों का तुकसान हुआ।

सरकार की नीति है कि घरेलू और कुछ उनसे उद्योग विषयक नीति वडी दस्तकारियों की पूरी सहायता और विकास की सुविधाएं दी जाय। साथ-ही-साथ आवश्यक नियंत्रण और नियमों में बड़े पैमाने के व्यक्तिगत धन्धों को भी 'चालू रहने' की इजाजत हो। तीनों तरह के उद्योग साथ-साथ चल सकते हैं।

छोटे और बीच के तत्त्व के उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रान्तीय सरकार एक इंडस्ट्रियल फाइनान्स कार्पोरेशन बना रही है।

केन्द्रीय सरकार जो खाद्य बनानेवाला कारखाना बना रही है, पश्चिमी बंगाल ने उसमें १५ लाख के हिस्से लिये हैं। कीड़ों के रेशम, नमक व दूसरे छोटे धन्धों को सहायता दी जा रही है।

उद्योगों से सम्बन्धित विशिष्ट शिक्षा देने के लिए नए स्कूल और संस्थाएं खोली जा रही हैं।

घरेलू दस्तकारियों में से हाथ की बनी खादी, कागज, शुद्ध व रेशम की दस्तकारियों को सहायता दी जा रही है।

पश्चिमी बंगाल में को-आपरेटिव सोसायिटियों को-आपरेशन की संख्या १३,२६१ है। इनमें कर्ज की (६८५) चावल की विक्री की (६१), मिचाई की (१०१६), मछली पकड़ने की (११४), दूध की विक्री की (१४८), खपत की (२१२), खेती-बारी की (२), कपड़े की बुनाई की (६८), सभी तरह की संस्थाएं शामिल हैं।

शरणार्थी

विभाजन के बाद से पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का आना लगातार जारी है। इस समय लगभग ११-१२ लाख शरणार्थी प्रान्त में शरण ले चुके हैं। इसमें से साढ़े चार लाख के लगभग जिलों में और साढ़े छः लाख के लगभग कलकत्ता व पडोसी औद्योगिक ज़ेन में घस गए हैं। शरणार्थियों में ३ लाख के लगभग भद्रजोक हैं। ५ लाख गांवों से आए हैं, १ लाख ने ऊपर कृषक हैं, ७५ हजार के अन्दाज़ दस्तकारियों में माहिर हैं, ४५ हजार जुलाई व १ हजार मछुनी पकड़ने वाले हैं।

प्रान्तीय सरकार ने घोषणा की है कि २५ जून १९४८ के बाद पश्चिमी बंगाल में आने वालों की शरणार्थियों में गणना न की जायगी। पूर्वी बंगाल से भागकर आने की कोई राजनैतिक वजह नहीं है। शायद लोग आर्थिक कठिनाइयों से तंग आकर ही अपने घर छोड़ रहे हैं।

शरणार्थियों को सब तरह की सहायता दी जा रही है। कृषकों को २००० रुपया विना व्याज के दिया जाता है। ६ महीने के अरसे के बाद व्याज शुरू होता है। प्रत्येक कृषक परिवार को ५ एकड़ भूमि दी जा रही है।

१५ जुलाई ४८ तक १,४३,१०१ शरणार्थी बसाए जा चुके हैं। शरणार्थियों में मकान बनाने का सामान बांटा गया है। १५ जुलाई तक इन पर हुए खर्च का च्योरा इस प्रकार है :

सहायता	६,७०,००० रुपये
कैम्प खोलने पर	४,०६,५४६ "
कपड़े बांटने के लिए	८०,००० "
सफाई व पानी का ग्रबन्ध	४,६२,३३५ "
काम करवा कर सहायता	३,४०,००० "
पुनर्निवास के कर्जे	१३,६०,००० "
विद्यार्थियों को सहायता	१,६५,००० "

शरणार्थियों को जिन मकानों व बैरकों में बनाया जायगा, उनकी मरम्मत पर १५ लाख रुपये किया गया है।

पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का निष्क्रमण खत्म नहीं हुआ। प्रान्तीय सरकार वराहर अपील कर चुकी है कि पाकिस्तानी बंगाल के लोग अपने घरों को छोड़कर न चले आएं।

बंगाल में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की आमीण स्वास्थ्य दृशा बहुत गिरी हुई है। लोगों के खाने में आहार-मूल्य (फूड वैल्यू) का अभाव होता है, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा नहीं है और न व्यायाम वर्गरह की आदत ही है।

मलेरिया, तपेदिक, पेचिश, दस्त व अन्तडियोंमें कृमि होने के रोग आम हैं। जन्म से एक वर्ष के अन्दर ही मर जाने वाले बच्चों का अनुपात बहुत ज्यादा है। जन्वाओं की सृत्यु-संख्या भी कम नहीं है। विभाजन से पहले केवल मलेरिया से ही बंगाल में प्रतिवर्ष ५ लाख के लगभग मौतें होती थीं।

योजना बनाई गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनियन में एक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाय। इसमें ४ चारपाइयां (२ घटनापीडितों व २ जन्वाओं के लिए) रहा करेंगी। हर ऐसे केन्द्र में १ डाक्टर, १ दाई व ५ उनके सहायक रहेंगे। प्रान्त-भर में ६०५० यूनियन बोर्ड हैं। इस वर्ष ६४१ बोर्डों में केन्द्रों का संगठन हो रहा है। ५११ पुराने औपधालयों को केन्द्र में बदला जा रहा है व १३० नए केन्द्र खोले जा रहे हैं।

कुछ केन्द्रों में चारपाइयों की संख्या १० कर दी जायगी। इनमें सेविका व रसोह्या भी रहा करेंगे।

आमीण प्रदेशों के हर थाने के स्वास्थ्य केन्द्र में १ मेडिकल अफसर व १ सहायक, १ दाई व १ दवाइयां लाने ले जाने वाला रहेगा। इस वर्ष ऐसे ६० थाना स्वास्थ्य केन्द्र बनेंगे।

इनके ऊपर सब-डिवीजनल स्वास्थ्य केन्द्र होंगे जिनमें ५० से २०० तक चारपाईयां रहा करेगी। ऐसे म हस्पताल इसी वर्ष शेष आगले वर्षों में बनेंगे।

इनके ऊपर जिला स्वास्थ्य-केन्द्र बनेंगे। इन हस्पतालोंमें जच्चा-यरचा की और तपेदिक विरोधी उपचार की विशेष सुविधाएं होंगी। इनमें २०० से ५०० तक चारपाईयां हुआ करेगी। १९४६-४७ में ऐसे ४ हस्पताल बनाए जायंगे।

मलेरिया के विस्तृत विशेष कदम उठाने की योजना है।

प्रान्तीय सरकार ने फैसला किया है कि प्राह-
मौलिक शिक्षा मरी शिक्षा वर्धी की मौलिक शिक्षा के आधार पर ही दी जायगी। इस सम्बन्ध में सरकार ने १५ अगस्त ४७ से ३१ मार्च ४८ तक १६,३८,००० रुपये खर्च किये हैं और ४८-४९ में १२,००,००० रुपए खर्च करने का बजट है। इसके अलावा प्रतिवर्ष इस पर ५,३५,००० रुपए खर्च किये जायंगे।

प्राइमरी शिक्षा प्रान्त के ११ जिलों में जिला बोर्डों के सब स्कूलों ने अपने-अपने द्वे त्रिमासिक शिक्षा निःशुल्क कर दी है। प्राइमरी शिक्षा को जबरनू कराने का प्रश्न चिचाराधीन है।

प्रान्त में लड़कोंके लिए १२,८६३ व लड़कियोंके लिए ६५३ प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें ८,२२,६२८ लड़के व १,६३,७४० लड़कियां शिक्षा पाती हैं।

बड़ी उम्र के लोगों में (उम्र १२ से ४० वर्ष) १ करोड़ लोग अनपढ हैं। इन्हें पढ़ाने की योजनाएँ बन रही हैं।

प्रान्त में लड़कों के लिए ३७२ व लड़कियों के लिए १०८ मिडल स्कूल हैं। इनमें ६६,०६६ लड़कियां पढ़ती हैं।

लड़कों के लिए ६५० व लड़कियों के लिए ६३ हाई स्कूल हैं जिन में २,३२,७५३ लड़के व २४,६७६ लड़कियां शिक्षा पाती हैं।

इनके अलावा लड़कों के १२३ व लड़कियों के ५ मदरमें हैं जिनमें १४१५३ लड़के व १६३८ लड़कियां पढ़ रही हैं।

कलकत्ता यूनिवर्सिटीसे २६ कालेज समिलित हैं : इसके अतिरिक्त प्रान्त में विश्वभारती यूनिवर्सिटी अलग काम कर रही है।

प्रान्त में शराबवन्दी का काम धीरे-धीरे हो,
शराबवन्दी **यह नीति अपनाई गई है।**

जमीदारी **जमीदारी प्रथा के सम्बन्ध में कागजी छान-बीन के लिए दस लाख सप्तये खर्च किये जा रहे हैं।**

भाषा **वंगाली भाषा व लिपिको प्रान्तीय भाषा घोषित किया गया है।**

खाद्य स्थिति **प्रान्त की खाद्य स्थिति ठीक है। जून १९४८ तक परिचयी वंगाल में ३,३८,००० टन चावल इकट्ठा किया गया। पिछले चर्चे इसी काल में केवल २,६२,००० टन इकट्ठा हुआ था। १, छुलाई ४८ को सरकारी गोदामों में १,०६,००० टन चावल और ५०,००० टन गेहूं भरा था।**

परिचयी वंगाल में चावल की सामिक खपत ५२,००० टन और गेहूं की १६,००० टन है।

चौकेर मार्केट **दिसम्बर ४७ में प्रान्तीय धारा-सभा ने चौकेर मार्केट के विरुद्ध एक विल पास किया था। देर तक उसे गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार उसमें प्रस्तावित ढंडों पर विचार करती रही। इस सम्बन्ध में अन्तिम विचार होने तक भंत्रिमठल की सलाह के अनुसार गवर्नर ने एक आर्डिनेस जारी कर दिया था जो ढंड की धाराओं को छोड़कर शेष विवरण में उसी विल के अनुसार था।**

कृषि व पशुपालन **प्रान्त की कृषि के विषय में निम्न छान-बीन हो रही है : (क) चावल, अनाज, दालों, तेल, सम्बन्धी योजनाएं बीजों, पटसन, ईख, चारे वर्गरह की किसीमें**

उन्नति हो (ख) भिन्न-भिन्न प्रकारकी मिट्टी की खोज हो (ग) कीड़ों से पौधों की रक्षा हो (घ) पौधों के लिए उपयुक्त आवोहन का पर्यावरण हो (ट) पशु, मुर्गी आदि व बकरियों की नस्ल में तरकी हो ।

पूर्वी पंजाब

आबादी : १,२४,०६,६२४ । अस्थायी राजधानी : शिमला ।

१५ अगस्त १९४७ को कांग्रेस व अकाली दल ने मिलकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया । वर्ष के दौरान में ही धारा-सभा के अकाली सदस्यों ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र पर इस्तान्तर कर दिए । इस तरह वैधानिक दृष्टि से पूर्वी पंजाब में सम्पूर्ण कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई ।

प्रधान मंत्री—ठा० गोपीचंद्र भार्गव	—रसद व वितरण विभाग
सरदार स्वर्णसिंह	—गृह विभाग
श्री रणजीतासह	—पब्लिक वर्क्स
स० प्रतापसिंह	—पुनर्निवास
श्री धृथवीसिंह आजाद	—एक्साइज व मजदूर विभाग
चौधरी कृष्णगोपालदत्त	—अर्थ मंत्री

प्रान्तमें १३ पालिंयामेटरी सेकेटरी हैं : मास्टर काबुलसिंह (रसद), श्री देवराज सेठी (अर्थ स्थायत्व शासन, उद्योग), स० दलीपसिंह कांग (कोआपरेटिव, कृषि), श्रो० शेरसिंह (वर्क्स), ठा० वेलीराम (जंगल, पशु), पं० भगत राम (गृह), स० नरोत्तमसिंह (रेवेन्यू, सिंचाई) स० शिवशरणसिंह (मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, शिक्षा), स० राशोमोहर सिंह (पुनर्निवास शहरी), स० समुखसिंह (रेवेन्यू), चौ० मनूराम (मजदूर एक्साइज), स० शिवसिंह (पुनर्निवास) ।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय ११.१३ करोड रुपए। कुल अनुमानित व्यय १७.८२ करोड रुपए।

घाटे का अनुमान ६.६६ करोड रुपए।

१९४७-४८ में घाटे का अनुमान २.३० करोड रुपये लगाया गया था जबकि वास्तव में घाटे की मद् ६.६६ करोड रुपये तक पहुंची।

समाजोपयोगी मदों में खर्च का व्योरा इस प्रकार है :

शिक्षा	१.३६	करोड रुपये
शौषधि उपचार	.४४	"
स्वास्थ्य	.३३	"
कृषि	.५३	"
पशु-विक्रिता	.२३	"
को-आपरेटिङ्ज़	.१७	"
उद्योग	.२४	"

३.३० करोड रुपये

शरणधियों को फिरसे बसानेका विभाग लगभग ७ करोड रुपये खर्च करेगा।

सिचाई को विविध योजनाओं पर ३.६० करोड रुपये खर्च होगा जंगल के महकमे पर ४२ लाख रुपए खर्च होंगे। शासन-यन्त्र का खर्च ४.८१ करोड रुपए (शासन के समस्त व्यय का ४० प्रतिशत) होगा। इस मद में से पुलिस पर २.६६ करोड रुपए का खर्च लिखा है।

नए टैक्सों का व्योरा यह है। इन से लगभग १ करोड रुपए की आय बढ़ेगी।

(१) विक्री टैक्स—सरकार का प्रस्ताव है कि १६.६६६ रुपये तक की विक्री को छोड़कर हसके ऊपर १८० हजार प्रतिशत विक्री टैक्स लगाया जाय। (२) पेड़ोल टैक्स—बढ़ाकर तीन आना फी गैलन कर

दिया जाय । (३) प्रापर्टी टैक्स—बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया जाय । (४) मनोरन्जन टैक्स की दर भी बढ़ाई जाए । (५) तम्बाकू की विक्री का लाखरें भी बढ़ा दिया जाय ।

खेतीबारी विभाजन के पहले पंजाब में खेती बारी को जमीन का चौत्र ६ करोड़ एकड़ था, विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब में यह, चौत्र २ करोड़ ३० लाख एकड़ रह गया है । इस चौत्र का अवैरा इस प्रकार है :

खेती के उपयुक्त नहीं—६२ लाख एकड़

खेती नहीं की जा रही—२६ „ „

जंगल —८ „ „

खेतीबारी हो रही है—लगभग १ करोड़ ५० लाख एकड़ ।

इस १ करोड़ ५० लाख एकड़ में से सिर्फ ३२ लाख ५० हजार एकड़ जमीन पेसी है जहां साल में दो बार फसल होती है । इस प्रकार पूर्वी पंजाब में बहु चौत्र जिससे कि उपज होती है, १ करोड़ ६७ लाख ५० हजार एकड़ हुआ ।

संयुक्त पंजाब में १ करोड़ ४० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई नहरों द्वारा होती थी । पूर्वी पंजाब में अब केवल ३० लाख एकड़ पेसी जमीन रह गई है जिसकी सिंचाई नहरों द्वारा होती है । नहरों, तालाबों वा कूओं द्वारा सींची जाने वाली जमीन का कुल चौत्र ५० लाख एकड़ के लगभग है ।

शरणार्थी २८ जुलाई १९४८ तक पूर्वी पंजाब में आने वाले शरणार्थियों की संख्या ४२ लाख २० हजार थी । शरणार्थियों के लिए प्रान्त में ४० कैम्प खोले गए जिनमें लगभग साढ़े चार लाख पीढ़ियों को ठहराया गया था । अब योजना अनुसार इन कैम्पों को खाली करवा लिया गया है ।

प्रान्त के शहरों में ४२०० नए मकान बनाने नए मकानों का निर्माण की योजना है। मकान बनाने के लिए मांगे गए सामान में से ३१ मई ४८ तक केन्द्रीय सरकार जो सामान दे सकी, उसका व्योरा यह है :

मांगा गया (टर)	सिला (टर)
सीमेंट १६,०००	४,८५०
कोयला १५,३००	७,७३०
लोहा २,५००	—
पेट्रोल ८४,०००	२०,०००

मुसलमानों द्वारा

पूर्वी पंजाब व पडोसी रियासतों (पटियाला, नामा, कपूरथला,
इस प्रकार है :

जो स्थायीरूप नें शरणार्थियों को दी जा सकती है

(क)

कुषि के योग्य	कुषि के अयोग्य
पूर्वी पंजाब के १३ २६,८६,३६४	१०,४३,६१७
जिलों में (एकड़)	
रियासतों में (एकड़)	५,१८,६३८
जोड़ - ३५,०१,८६४	१२,२२,८३१

जो सीमित अधिकारों सहित दी जा सकती है

(ग)

कुषि के योग्य	कुषि के अयोग्य
पूर्वी पंजाब के १३ ५,५६,४३२	१६,६६६
जिलों में (एकड़)	
रियासतों में (एकड़)	८४,६०८
जोड़ २,२४,३३८	१६,२८१

- (क) इसमें ४ प्रकार के मुसलमानों की जमीनें हैं। (१) जिनके मालिक थे। (२) मालिकों की अनुपस्थिति में काश्तकारी के अधिकार। (ख) इसमें उन जमीनों का हिसाब है जिन्हें मुसलमानों के पास (ग) उपस्थित मालिकों के मातहत मुसलमानों द्वारा कम दर्जे की (घ) यह उन जमीनों का हिसाब है जो मुसलमानों ने दूसरों के

तथुक्त जमीन

जींद व फरीदकोट) में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई जमीनों का व्यौरा

जो अस्थायी रूप में दी जा सकती है

(स)

कृषि के योग्य

१,३७,१५२

कृषि के अयोग्य

१५,१८६

४४,६११

२,७३३

१,८२,०८३

१७,६२२

जो नहीं दी जा सकती

(घ)

कृषि के योग्य

१,३४,५१५

कृषि के अयोग्य

१७,२०१

५६,६८७

२,६४८

१,६१,५०२

२०,१५६

वह सुद मालिक थे । (२) अनुपस्थित मालिकों के मातहत मुसलमान प्राप्त थे । (४) शामलत के अधिकार थे ।

गिरवी रखा गया था ।

मल्कीयत प्राप्त थी अथवा केवल काश्तकारी के अधिकार प्राप्त थे । पास गिरवी रखी हुई थी ।

मुसलमानों द्वारा पूर्वी पंजाब में छोड़ी गई व शरणार्थियों को दी गई सम्पत्ति का अवैरा (३१ जुलाई १९४८ तक) इस प्रकार है :

छोड़ी गई इनमें से वर- शरणार्थियों कितने शर-
हमारतोंकी तने थोग्य को दी जा गयी थसे
संख्या चुकी है

मकान

पूर्वी पंजाब के १३६३५१ ११०१८६ लाख ६६ (८०%) ७६१५४६
१३ ज़िलों में कुल

दूकाने

१३ ज़िलोंमें कुल १६५८२ १६८५४ १२७४१ (७६%) ११८१८
कारखाने

१३ ज़िलोंमें कुल ४१५ ४१५

पूर्वी पंजाब में ३१ जुलाई १९४८ तक शर-
कर्जे व सहायता गार्थियों ने १२ करोड़ ६१ लाख रुपए के कर्जों
की दरखास्ते दीं, जबकि केवल २० लाख ३३
हजार रुपए के कर्जे स्वीकार किये गए।

इसी तारीख तक ७६ लाख ४८ हजार रुपए की आर्थिक सहायता
(ग्राहण) की दरखास्तों पर कुल १ लाख ६१ हजार रुपये बांटे गए।

प्रान्तीय सरकार ने २४ जुलाई ४८ तक भिन्न-
भ्यय ८८ ज़िलों में शरणार्थियों के खाने पर
२ करोड़ ४२ लाख रुपये और औषधि उप-
चार व सफाई पर ३ लाख ७५ हजार रुपये, अन्य विविध जरूरतों पर
६१ लाख ८७ हजार रुपये खर्च किये। इसमें सूती व गर्म कपड़े, याता-
यात व केन्द्र द्वारा दी गई दवाइयों आदि का हिसाब जमा नहीं है।

हमारी सभ्यता व ३३,००० हिन्दू व सिख औरतें पाकिस्तानी
धर्मशीलता पर प्रदेश में भगा ली गईं जबकि हिन्दू व सिखों
एक नजर ने २१००० मुसलमान औरतें भगाईं। यह

संख्या एवं उन सूचियों के अनुसार हैं जो इन देशों ने एक दूसरे को दी हैं।

६ दिसम्बर १९४७ से २० अगस्त १९४८ तक हिन्दुस्तान ने ६६५६ मुसलमान और तर्तों को अपने प्रदेशों से खोजकर पाकिस्तान भिजवाया जबकि इसी अवधि में ४५५६ हिन्दू सिख और तर्ते पाकिस्तान से लाई गईं।

प्रान्त में छोटे व बड़े पैमाने—दोनों प्रकार के उद्योग धन्धे

उद्योग-धन्धे चल रहे हैं। उद्योग-धन्धे मुख्य-

तथा सीमा के ३ जिलों में स्थित हैं। आधे से अधिक रजिस्टर्ड कारखाने और संगठित उद्योगों के ६० प्रतिशत मजदूर अमृतसर, गुरुदासपुर और फिरोजपुर के जिलों में ही हैं। प्रान्त के दक्षिण पूर्वी जिलों (गुडगांव, रोहतक व गैरह) में कोई भी उद्योग चालू नहीं है।

रजिस्टर्ड कारखानों का ७५ प्रतिशत भाग ऐसे कारखानों का है जो १२ महीने चालू रहते हैं। सूती व गर्म कपड़ा, बुनियाने, जुराबें, लोहा ढालने, कागज, शीशा, आटा बनाने और तेजाब व गैरह बनाने के बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं।

पानी के बांध की बड़ी योजनाएँ

भकरा बांध—रोहतक, हिसार और गुडगांव जिलों के खुरक हूलाके इस योजनासे हरे-भरे होजायेंगे। सतलुज दरिया पर भकरा (विलासपुर रियासत) से बड़ा बांध बांधा जायगा। इससे निकाली जाने वाली नहरें ४५ लाख एकड़ जमीन की सिचाई करेंगी। योजना पर कुल ४५ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नंगल योजना—भकरा बांध की योजना से नंगल की बिजली पैदा करने की योजना सम्बन्धित है। इस पर २२ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और पूर्वी पंजाब के छोटे-बड़े ४७ शहरोंमें बिजली पहुँचेगी। २२०० मील लम्बी तारें विछाई जायेंगी।

नई राजधानी कालका-शिमला सड़क से कुछ हटकर चन्द्री-गढ़ के पास ५० से ६० वर्गमील के क्षेत्र पर पूर्वी पंजाब की नई राजधानी बनाने की योजना बनाई गई है।

बम्बई

आवादी, २,०८,४६,८४० (१९४१) [राजधानी : बम्बई, आवादी : १४,८६,८८३। गर्मियों की राजधानी : पूना, आवादी : ३,५१,२३३। ३ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस ने प्रांतीय शासन रंभाला। मंत्रिमंडल के नाम यह है :

(१) श्री बाल गंगाधर खेर—प्रधानमंत्री। राजनीतिक नौकरियों और शिल्प के मन्त्री।

(२) श्री मोरार जी आर० देसाई—गृह और रेवेन्यू के मन्त्री।

(३) डाक्टर एम० डी०डी० गिल्डर—स्वास्थ्य और पब्लिक वर्क्स के मन्त्री।

(४) श्री एल. एम. पाटिल—पुनर्निर्माण और एक्साइज़ के मन्त्री।

(५) श्री दिनकर राव एन० देसाई—कानून और रसद के मन्त्री।

(६) श्री वैकुण्ठ एल० मेहता—अर्थ, को-आपरेशन और आम-उद्योग के मन्त्री।

(७) श्री गुलजारी लाल नन्दा—मजदूर मन्त्री।

(८) श्री एम० पी० पाटिल—जंगल और कृषि के मन्त्री।

(९) श्री जी० डी० वातक—स्थानीय शासन के मन्त्री।

(१०) श्री जो० डॉ० तपासे—उद्योग और पिछडे जेन-समूहों के मन्त्री।

इसके साथ द पार्लियामेटरी सेक्रेटरी हैं। धारा सभा के कुल सदस्यों की संख्या १७८ है। कौसिल की सदस्य-संख्या २६ या ३० हुआ करती है। धारा-सभा के सदस्यों में से १२७ कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे। कौसिल में कांग्रेसियों की संख्या १६ है। धारा-सभा के अधिवेशन आमतौर पर फरवरी-मार्च, जुलाई-अगस्त, और सितम्बर-अक्टूबर में हुआ करते हैं। कौसिल के अधिवेशन मार्च, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर में हुआ करते हैं।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय ४१.३८ करोड़ रुपए। कुल अनुमानित व्यय ४४.०२ करोड़ रुपए। इस तरह घाटे का अनुमान २.६४ करोड़ रुपए का है।

इस घाटे की मद को पूरा करने के लिए ऐच्याशी (लक्जरीज़) के सामान की चिक्की पर टैक्स बढ़ाया जायगा, बम्बई की कपास की मंडी में सहे के सौदों पर नई स्टैम ड्रूटी लगाई जायगी, पेट्रोल टैक्स, मनो-रक्जन टैक्स और हार-जीत की रत्तों पर (वेटिंग) पर, टैक्स की दरे बढ़ा दी जायगी। इन उपायों से लगभग १ करोड़ रुपए की आमदनी होगी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण फशन से १.७० करोड़ रुपया निकाला जायगा; इस तरह घाटे की रकम ६.४२ लाख रुपए के नफे से बढ़ा जायगी।

कांग्रेस ने बम्बई प्रांत के शासन की बागड़ोर खाद्य और कृषि जब अपने हाथ में ली तो प्रांत की साध्यस्थिति नालूक थी। इस संकटकाजीन स्थिति का मुका बला प्रांतीय सरकार ने सब स्थानीय साधनों का सम्पूर्ण प्रयोग करके बाहर से अनाज मंगवा कर, खाद्य वितरण पर नियन्त्रण लगाकर और आज्ञाओं द्वारा खाने की मिकड़ार नियत करके रिया।

सरकार ने प्रांत में ही अधिक पैदावार करने के उद्देश्य से सिचाई

की सुविधाओं का विकास किया। नए कूपें खोदे गए और पुराने कूओं को गहरा किया गया। यजट में इस कर्य के लिए १ करोड़ २० लाख रुपए की रकम प्रत्तिवित की गई है। नदियों से पानी उठाकर सिचाई करने के लिए ६० लाख रुपए व्यय किए जायेंगे। एक पञ्चवर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार प्रांत में सिचाई की बड़े पैमाने की नई सुविधाएं प्राप्त होगी; इस योजना पर ६ करोड़ ५० लाख रुपया खर्च होगा।

बेहतर ढंग से खेती-बारी करने के लिए किसानों को सस्ते दामों पर लोहे व इस्पात के औजार खरीदने के लिए रुपया उधार दिया जाता है। प्रायः हर तालुक में खेती-बारी के आधुनिक तरीके दिखाने के लिए प्रदर्शन केन्द्र खोले गए हैं। प्रतिवर्ष १२ विभिन्न केन्द्रों में १२०० किसानों को वैज्ञानिक ढंग की खेती की शिक्षा देने के प्रयत्न किये गए हैं, यही किसान अपने-अपने घोन्न में दूसरे किसानों के लिए प्रदर्शक (गाईड्स) बनेंगे।

आनन्द और धारवार में कृषि-सम्बन्धी शिक्षा देने वाले नए (एग्री-कल्चरल) कालेज खोजे गए हैं। पूना कालेज में कृषि-शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अधिक स्थानों का आयोजन किया गया है।

जमीन के सुधार की व मिट्टी को सुरक्षित रखने की संस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

किसानों के सुभीति के लिए विशेष कानून बनाये गए हैं: (१) एग्रीकल्चरल डेटर्स रिलीफ एक्ट (२) मनीलैंडर्स एक्ट और (३) डेट एडजस्टमेंट एक्ट। इन कानूनों से साहुकारों व जर्मीदारों से किसानों को मिलनेवाली तकलीफों को दूर और किसानों के ऋण के शिकंजों को हीला किया गया है। किसानों को तकाबी कर्जे अधिक आसानी से मिल सकें, इस सम्बंध में नियम बनाये गए हैं। ग्रामों में सहकारी संस्थाओं की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है।

उद्योग

वर्मवर्द्ध प्रांत की अर्थ-व्यवस्था सुख्यतया अपने व्यापार व उद्योग पर ही आश्रित है। यद्यपि वडे पैमाने पर चालू कला-कारखानोंका नियन्त्रण केन्द्रीय द्वारा में है, फिर भी प्रातीय सरकार छोटे व बडे उद्योगों को विशिष्ट वैज्ञानिक (टेक्निकल) सहायता व मन्त्रणा, कर्जे, आर्थिक सहायता (सवासिडी), कच्चा सामान व मशीनरी आदि खरीदने की सुविधाएं देती रहती है।

सिल मालिकों व मजदूरों में समझौता व शान्ति रहे, इस और जो कुछ भी सम्भव है, किया जा रहा है। औद्योगिक जेन्र के झगड़ों को निपटाने के लिए विशेष अद्वालते बनाई गई हैं। मालिकों व मजदूरों में होने वाले झगड़ों के कारणों की, छान-बीन करने के लिए लेवर एडवार्ड्जरी बोर्ड (मजदूर सलाहकार समिति) स्थापित की गई है। डायरेक्टरेट आफ लेवर वेलफेयर खोला गया है जो मजदूरों के लिए छुट्टी के समय की कार्रवाइचो, खेल-कूद और सौज के कार्यक्रमों के सुरक्षाव वताता है। वर्मवर्द्ध, अहमदाबाद और द टूसरे बडे उद्योग-केन्द्रों में ऐसे (वेलफेयर) केन्द्र खोले जा चुके हैं। मजदूरों की शिक्षासम्बन्धी योजनाओं में विस्तार किया जा रहा है।

अस्पृश्यता

समाज से अस्पृश्यता के सदियों पुराने धर्वे को धोने की हर सम्भव कोशिश हो रही है। इस उद्देश्य से हरिजन्स सोशल डिसप्यिलिटीजन रिमूवल विल पास किया गया है। हरिजनों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों की अब तक जिन भी सामाजिक अत्याचारों व विवेदों का सहन करना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी छहरा दिया गया है। शिक्षणालयों, कूआं, तालाबों और मनमौल के सार्वजनिक स्थानों पर सब के साथ शामिल होने की हरिजनों को इजाजत मिल गई है। हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी विशेष प्रेरणाएं दी जा रही हैं। यह कानून केवल कागज पर ही न लिखा रहे वरन् कार्यनिवत भी किया जाय, इसकी

ताकीद गांधों के सब अफसरों को दी जा चुकी है।

प्रान्त में बोर्ड आफ फिजिकल प्रजुड़ेशन और स्वास्थ्य व मेडिकल एक कालेज आफ फिजिकल प्रजुड़ेशन की स्थापना की गई है। बोर्ड जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर ध्यान देता है और कालेज में कसरत वर्गेरह की शिक्षा देने वाले अध्यापकों को शिक्षा मिलती है। प्रान्त में बाग व बाटिकार्म लगाने के उद्देश्य से एक अलाहदा (डिपार्टमेंट आफ पार्क्स पुराणे गार्डन्स) विभाग खोला गया है, इसके अलावा समुद्री किनारे पर तैरने के घाट और बोट चलाने की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जा रहा है।

हर जिले के हस्पतालों में औपचार सम्बन्धी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, ट्रॉकों में घूमने-फिरने हस्तपताल बनाये गए हैं, समय-समय पर फैलने वाली दूशावृतकी विमारियों का मुकाबला करने के लिए और मलेरिया पर अंकुश रखने के लिए विशेष दलों का आयोजन किया जाता है। जो डाक्टर और चिकित्सक गांधों में रहकर काम करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।

डाक्टरी के पूरा और अहमदाबाद स्थित दरुओं को कालेज बना दिया गया है ताकि अधिक-से अधिक विद्यार्थियों को सम्पूर्ण डाक्टरी शिक्षा दी जा सके। हैफकीन इन्स्टिट्यूट ने भी अपना कार्यक्रम काफी बढ़ा दिया है। एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार प्रान्त में स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी सहायियतों में बहुत तरक्की हो जायगी, नए-नए हस्पताल खुलेंगे और यजमा व कांड के रोगियों के लिए विशेष प्रबन्ध किए जायंगे।

प्रान्तीय शिक्षा-विभाग द्वारा खर्च के लिए इस वर्ष बजट में द करोड़ रुपया स्वीकार किया गया है। शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से एक पंच-

शिक्षा

वर्षीय योजना बनाई गई है जिस पर १५ करोड स्पष्ट व्यय करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण एजुकेशन एक्ट पास हुआ है जिसके अनुसार अगले पांच वर्षों में ६ से ११ वर्ष की आयु के सब बच्चों को सब शहरों और गांवों में जिनकी आवादी १००० से अधिक हो, सुप्त और जबरन(कम्पलसरी) शिक्षा दी जायगी। १००० की आवादी से छोटे गांवों में जो गैरसरकारी स्कूल खुलें, उन्हें प्रान्तीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जायगी।

सब स्कूलमें किसी-न-किसी दस्तकारीकी शिक्षाका आयोजन होगा। पुरुष अध्यापकों के लिए ७ और स्त्री अध्यापिकाओं के लिए ६ नए ट्रैनिंग कालेज खोले गए हैं। 'वेसिक' (मौलिक) शिक्षा-पद्धति के अध्यापन के लिए ६ पोस्ट प्रैज़ुपट वेसिक ट्रैनिंग कालेज खोले गए हैं। वेसिक शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष २००० अध्यापकों को तैयार किया जायगा। अध्यापकों के बेतन और स्थिति में पर्याप्त उन्नति लाई जा रही है ताकि ढीक प्रकार के लोग इस कार्य की ओर आकर्षित हो सकें।

प्रान्त के बच्चों की शिक्षा के अतिरिक्त अशिक्षित वयस्कों की समस्या को सुलझाने की कोशिशें भी जारी हैं। इस उद्देश्य से प्रान्त-भर में पुस्तकालय खोले जाने की योजना है। बम्बई, पूना, अहमदाबाद व धारवार में बड़े पुस्तकालय भी खोले जा चुके हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए फिल्मों का प्रयोग भी किया जायगा।

सरकार ने प्रान्त में तीन प्रादेशिक नई युनिवर्सिटियाँ खोलने के सुझाव को मान लिया है; यह पूना, गुजरात, कर्नाटक युनिवर्सिटियों के नाम से जानी जायेगी। पूना युनिवर्सिटी एक्ट पास भी कर दिया गया है।

इस प्रकार शिक्षा-प्रसार के साधनों की वृद्धि के साथ-साथ खुद शिक्षा में उन्नति पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

विहार

आवादी ३, ६३, ४०, १५१। राजधानी : पटना जिसकी आवादी १७६७०६ है। गर्मियों की राजधानी रांची है—शावादी : ६२५६२।

२ अप्रैल १६४६ को कांग्रेस ने राज्य-भार संभाला। मंत्रिमंडल यह है—

(१) श्री श्रीकृष्ण सिन्हा—प्रधानमन्त्री। राजनैतिक व् न्याय-सम्बन्धी अनुचर निर्वाचन, जेलमंत्री।

(२) श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा—अर्थ, मजदूर, रसदमंत्री।

(३) डा० सद्यद महमूद—विकास और यातायात मंत्री।

(४) श्री जगलाल चौधरी—एक्साइज़ और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मन्त्री।

(५) श्री रामचरित्र सिंह—लिंचाई, विजली और कानून-निर्माण के मन्त्री।

(६) श्री बद्रीनाथ वर्मा—शिक्षा और सूचना मंत्री।

(७) श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—भूमिकर और जंगल मंत्री।

(८) पं० विनोदानन्द का—स्थानीय शासन और चिकित्सा मंत्री।

(९) श्री कथूम अंसारी—पी. डब्ल्यू.डी और गृह-उद्योग के मंत्री।

प्रांत में ६ पालियामेंटरी सेकेटरी है।

धारा-सभा के सदस्यों की संख्या १५२ है जिसमें से १०२ कांग्रेसी हैं। लेजिस्लेटिव कॉमिटि के सदस्यों की संख्या ३० है—१५ कांग्रेसी हैं। धारा-सभा का एक अधिवेशन जनवरी-अप्रैल में और दूसरा अधिवेशन जुलाई-सितम्बर में होता है। कॉमिटि की बैठक भी इन्हीं दिनों में होती है।

बजट १६४८-४९

कुल अनुमानित आय २१.५० करोड़ रुपए। कुल अनुमानित व्यय २०.०० करोड़ रुपए।

युद्धोत्तर विकास की योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा; अन्यथा घाटे की मद बहुत बड़ी होती।

झूपि की आय पर टैक्स लगाने और विक्री-टैक्स आदि से प्रांत की आय बढ़ाने के प्रस्ताव है।

कांग्रेस द्वारा प्रान्त के शासन की बागड़ेर शान्ति व व्यवस्था: सम्भाल लेने के बाद विहार में कलकत्ता व नोआखली से भभक रही साम्राज्यिक देश की

आग की एक चिंगारी फूट पड़ी और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये गए। इस दशा पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया और अल्पसंख्यकों से किर से भरोसा पैदा करने की हरचन्द्र कोशिश की गई। प्रान्त में दंगों के दिनों में गिराए व तोड़े-फोड़े गए मकानों की कुल संख्या १२००० थी जिनमें से सरकार ने ६००० तो किर से बनवा दिए हैं और १५०० मकानों पर काम जारी है। १९४७ में मकान बनाने और वेधरों को बसाने पर ४१,७३,२४४ रुपए खर्च किये गए। इसके अलावा खाने-कपड़े और दवाइयों का खर्च ८,२४,१३२रुपए हुआ। ३०,०००रुपए पीडित विद्यार्थियों और ३४,००० विधवाओं व अनाथों को सहायता के रूप में दिया गया। इन सब मद्दों पर कुल मिलाकर १९४६-४७ में १५,६२,०६४ रुपए और १९४७-४८ में ८०,००,००० रुपए किया गया।

प्राकिस्तान से आए २४,५३० शरणार्थी विहार में बसे हैं, प्रायः यह सारी संख्या ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे कैम्पों में हैं। १९४७-४८ में इन पर ६,२७,६५२ रुपए खर्च किया गया। इनको किर से बसाने की पूरी योजना घर १ करोड़ रुपए के बंयंय का अनुमान है। शरणार्थियों की काफी संख्याने खुद ही अथवा योड़ी सरकारी सहायता से ही अपने पांवों पर खड़ी होने की कोशिश की है।

कृषि

एक पंचवर्षीय योजना के अनुसार प्रान्त में कृषि के उत्पादन में ३ लाख ७० हजार टन की वृद्धि करने का उद्देश्य रखा गया है।

इस दिशा में किये गए प्रयत्नों के फलस्वरूप १९४७ में ४०,००० टन अधिक अनाज पैदा हुआ। कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कृओं, अहरों, वांधों और राहत पम्पों की संख्या बढ़ाई जा रही है। १९४७ में प्रान्त में इन कोशिशों पर २६ लाख ३८ हजार रुपया खर्च किया गया और इनसे ६,०८, २६३ एकड़ जमीन को ज्ञाभ पहुंचा।

ईख-

प्रान्त में ईख की खेती-बारी बढ़े पैमाने पर होती है और चीनी निकाली जाती है। प्रान्तीय सरकार का प्रस्ताव है कि ईख की पैदावार

और विक्री इयादातर सहकारी संस्थाओं द्वारा ही हो। जिस गांव में ईख उपजाने वाले का दो-तिहाई भाग सहकारी संस्थाका सदस्य होगा, उस गांव की कुल उपज केवल उसी संस्था द्वारा ही बेची जा सकती है। इस बच्च प्रान्त की ईख की उपज का एक-चौथाई भाग ही ऐसा सहकारी संस्थाओं द्वारा विक्री है लेकिन इसमें शीघ्र ही वृद्धि करने की योजना है। प्रान्त में ईख पैदा करने वालों की ४१७ सहकारी संस्थाएं हैं; ईख की उपज से सम्बन्धित विकास करने व इसकी विक्री करने वाले ६० सहकारी संघ हैं। ८१५४ उन गांवों में से जो चीनी बनाने के कारखानों के द्वारा के अन्तर्गत हैं, ३६६ गांवों में सहकारी संस्थाएं बन चुकी हैं।

ईख पैदा करने वाले अपनी जमीन को सांस्की तौर पर बीजकर सांस्की खेती-बारी करें, इस उद्देश्य से प्रान्त में ५ को-ऑपरेटिव फार्मों में परीक्षण हो रहा है।

उद्योग

प्रान्त में उद्योगों के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है जिसे १५ वर्ष के लिए बनाने वाली योजना का एक

भाग माना जायगा। प्रान्तीय उद्योग-विकाप-समिति (प्रापिगल डिवे-लपमेन्ट बोर्ड) ने इस योजना पर विचार किया है और निश्चय किया है कि रेशम और चमड़े के उद्योगों को सरकार व जनता भागीदार बन कर चलाएं, लाप्त, माहका, सूपर फारफेट, लोडा, इस्पात, एलुमी-नियम व मशीनरी के औजारों के उद्योगों का कार्य शोले सरकार हारा ही सम्पन्न हो; योप सब उद्योगों में जनता गुड दिलचस्पी ले व पूँजी लगाए।

फैसला किया गया कि प्रान्त में अभी कामज के एक नए कारखाने के लिए कार्य-जेत्र है।

यह भी निर्णय हुआ कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों के लिए बोर्ड को स्टॉटिंग कमेटी (स्थायी समिति) को, जिसमे मंधि-मंडल के चार सदस्य भी हुआ करेंगे, १ करोड रुपए की रकम तक खर्च करने के अधिकार दिये जाय। प्रान्तीय सरकार ने इस रकम के अतिरिक्त छान-बीन करने व योजनाओं की मम्पूर्ण रूपरेखा तथ्यार करनेके लिए इस समिति को २ करोड रुपया 'प्रधिक सोप दिया है।

व्यक्तिगत व सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध आदि के विषय में निम्न निश्चय किये गए—

(१) सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध कार्य कानून द्वारा घासित तीन सदस्यों के बोर्ड में हुआ करेगा। तीनों मदस्य अपना पूरा समय इस में देंगे और वेतन पायेंगे।

(२) सब उद्योगों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाया जायगा।

(३) इन बोर्डों में मजदूरों का एक एक प्रतिनिधि अलग लिया जायगा।

(४) इन बोर्डों के काम में सामव्यस्य बनाए रखने के लिए एक प्रान्तीय बोर्ड बनाया जायगा जिसमे सब उद्योगों के अलग-अलग बोर्डों के प्रधान, एक आर्थिक सलाहकार, और एक प्रधान सदस्य बनेंगे। आर्थिक सलाहकार और प्रधान को सरकार यन्मीत करेगी।

(५) हर उद्योग के स्वर्च व उत्पादन की कीमतों पर ध्यान रखने के लिए कास्ट एकाउन्टस स्टाफ और कमर्शिल पड़िटर काम करेंगे।

(६) उद्योग का प्रबंध मम्बन्धी व विशिष्ट (टेक्निकल) काम करने वालों को अभी भी शिक्षा देने की योजनाएँ बनाई जायें।

(७) प्रांत में विशिष्ट शिक्षा देने वाली संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत सलाह-मशविरा देने के लिए एक समिति बना दी गई है।

इन उद्योगों में, जहाँ सरकारी और व्यक्तिगत पूँजी भागीदार बन कर काम करेंगी, सरकार द्वारा लगाई जाने वाली पूँजी का कुल पूँजी से क्या अनुपात होगा, इसका निर्णय प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग होगा।

केन्द्रीय नियन्त्रण मात्रहत सिन्डरी में १० करोड़ रुपए की पूँजी से खादू बनाने वाले एक बड़े कारखाने की स्थापना हो रही है।

- १९४७-४८ में कपड़ा बुनने वाली सहकारी सहकारी संस्थाएँ संस्थाओं का काम बहुत बढ़ा। इन संस्थाओं द्वारा बुने जाने वाले कपडे की मिक्कार १९४५ में २ लाख गज थी, यह १९४६ में ७ लाख गज और १९४७ में २०लाख गज होगई। विविध कार्य सम्पन्न करने वाली ३६८ सहकारी संस्थाओं की इस वर्ष रजिस्ट्री हुई। इनके हजारावा मोतीहारा, आराह और गढ़ा में सेन्ट्रल को-आपरेटिव स्टोर्स, टिक री में गुड की बिक्री की संस्था, हाजीपुर और झलडा में लुहारों, मुजफ्फरपुर और मुंबेर जिलों में मछली पकड़ने वालों, चमारों और माड़ लगाने वाले म्यूनिसिपल भड़ियों की सहकारी संस्थाओं की इसी वर्ष रजिस्ट्री हुई।

जनवरी १९४७ से मार्च ४८ तक प्रांत की दोनों धारा-सभाओं ने ५५ सरकारी और ६ गैर सरकारी प्रस्तावों पर विचार विनिमय किया।

मजदूर प्रात की कांग्रे सी सरकार, ने मजदूरों के जीवन स्तर को उच्चा करने का सतत प्रयत्न किया है। सरकार की ओर से एक विशेष अफसर को नियुक्त किया गया है जो कारखानों में धूम-फिरकर मजदूरों की रिहायश व रहन-सहन के तरीके की देखभाल करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। शीघ्र ही मजदूरों के लिए कुछ हजार मकान बनाने की योजना है।

मालिकों और मजदूरों में झगड़े निषटाने को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक डिपुटी लेवर कमिशनर की नियुक्ति की गई है।

विहार लेवर इन्वेष्टिगेटर कमेटी के सुझावों को कार्यान्वयन किया जा रहा है। कितने ही मिल-मालिकों को मना लिया गया है कि अपने कारखानों में प्राविदन्ट फन्ड स्कीमें चलाकर मजदूरों की वृद्धावस्था के लिए इकमें जुटाने का इन्तज़ाम करें। मिल-मालिकों से यह अनुरोध भी किया जा रहा है कि वीमारी के दिनों में मजदूरों को वेतन सहित छुट्टी दी जानी चाहिए और उनके ग्रौपिधि-उपचार का इन्तज़ाम भी होना चाहिए।

प्रांत में एक लेवर एडवाइज़री बोर्ड की स्थापना की गई है जो मजदूर विषयक नीति पर सरकार को मन्त्रणा देता रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों और मालिकों में अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना है।

मजदूरों के लिए विशेष दृस्पताल व उनके बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जा रहे हैं।

एक कानून पास किया गया है जिसके अनुसार हर उस कारखाने में, जहाँ २५० या इससे अधिक मजदूर काम करते हो, मालिकों को एक विशेष दूकान (कैन्टीन) खोलनी पड़ेगी जहाँ से मजदूर उचित दरों पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें।

जमीदारी हिन्दुस्तान-भर में विहार ही पहला प्रांत है जिसमें किंकानी तौर पर जमीदारीकी प्रथाका शन्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम १९४६ में

इस कानून (बिहार स्टेट एक्वीज़ीशन आफ जर्मीदारी बिल) का मस-विदा तथ्यार किया गया; १९४७ में इसने निश्चित रूप धारण किया। ११ सितम्बर को प्रांतीय धारा-सभाके रांची अधिवेशन में इसे पेश किया गया। तदुपरान्त बिलको ४३ सदस्योंको एक सिलेक्ट कमेटी को विचार के लिए सौंप दिया गया। इस समितिने बिल की धाराओं में महत्वपूर्ण (विशेष कर जर्मीदारों को दिये जाने वाले सुआवज्जे के सम्बन्ध में)-परिवर्तन किए। मार्च, अप्रैल और मई १९४८ में इस बिल पर प्रांत की दोनों धारा-सभाओं ने विस्तृत विचार किया और २५ मई १९४८ को यह कानून पास कर दिया।

प्रान्त में बेसिक शिक्षा के प्रसार की सरकारी शिक्षा योजना है। इस समय बेसिक शिक्षा की दैनिगं (अध्यापन कार्य में दृष्टता) के लिए प्रान्त में

७ स्कूल काम कर रहे हैं। बच्चों को बेसिक शिक्षा देने वाले २५ स्कूल खोले हुए हैं। ६ नए दैनिगं स्कूल और ४५ नए बेसिक स्कूल जुलाई १९४८ में खोले गए। सब जिलोंके बड़े म्यूनिसिपल शहरोंमें सुफ्ट और जबरन प्राइमरी शिक्षा जारी है। लड़कियों व औरतों की शिक्षा के लिए भई संस्थाएं खोली जा रही हैं। प्रान्त के ४ डिवीजनों में ४ प्रादेशिक युनिवर्सिटियां खोलने की योजना विचाराधीन है।

वयस्कों की शिक्षा के लिए मिडल व द्वार्दे स्कूलोंमें वयस्क शिक्षा के स्थायी केन्द्रों की स्थापना हो रही है। गांवों में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं और शिक्षा-प्रसार के लिए फिल्मों, अखबारों, रेडियो, कथा, कीर्तन आदि उपायों की सहायता ली जा रही है। जनता को सस्ता साहित्य सुलभ हो, इस और एक सरकारी प्रकाशन विभाग प्रयत्नशील है।

स्वास्थ्य दरभंगा के मेडिकल स्कूल को कालेज बना दिया गया है। इस तरह प्रान्तमें दो कालेज (एक पटना मेहै) हो गए हैं। एक तीसरा

मेडिकल कालेज छोटा नागपुर में कहीं पर खोलने की योजना विचाराधीन है। औरतों और आदिमवासियों को इस व्यवसाय के प्रति अधिक आकर्षित करने के उद्देर्श से विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। पटना व दरभंगा के सदर हस्पताल, १४ दूसरे हस्पताल और चारों डिवीजनों के ४ बड़े हस्पताल केन्द्रीय नियन्त्रण में ले लिये गए हैं। पटना मेडिकल कालेज के हस्पताल में रोगियों की १००० चारपाईयों का इन्तजाम कर दिया गया है और वच्चों के लिए एक विशेष नया हस्पताल खोल दिया गया है। और कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी विहार में कोसी व कमला नदियों के उत्पात के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोक-थाम के लिए विशेष प्रबन्ध किये गए हैं।

गावों में काम करने वाले डाक्टरों को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। पटना स्थित आयुर्वेदिक और यूनानी स्कूलों को कालेज का दर्जा दे दिया गया है।

मलेरिया रोग की रोक थाम के लिए क्युनीन मुफ्त वांटी जाती है। प्लेग के चूहों को मारने के विशेष प्रबन्ध किये गए हैं। उत्तरी विहार के विभिन्न जिलों में काला-आजार रोग के उपचार के लिए २० केन्द्र खोले गए हैं। जनता के स्वास्थ्य की देख-रेख रखने वाले विभाग पर प्रतिवर्ष लगभग ४० लाख रुपए खर्च किए जाते हैं।

पंचायती राज	१६४७ में विहार पंचायती राज विल पास किया गया है जिसके अनुसार प्रान्त के गांवों की पंचायतों को अधिक अधिकार सौंप दिये गए हैं। यह पंचायते गांवों में जनता के स्वास्थ्य शिक्षा और सुधार का ध्यान रखेगी और छोटे-मोटे दीवानी व फौजदारी फ़राड़े निपटायेंगी।
-------------	---

मद्रास

आवादी : ४,६३,४१,८९०, राजधानी : मद्रास, आवादी : ७,७७४८।
गर्भियों की राजधानी : उटाकमरण, आवादी : २६८५०।

३० अप्रैल १९४६ को कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाया जिसके १३
मन्त्री लिये गए। इस वक्त १२ मन्त्री हैं। १४ पालियामन्टरी सेक्रेटरी
मनोनीत किये गए। धारा-सभा के सदस्यों की संख्या २१५ और लेजिस्लेटिव
कॉन्सिल के सदस्यों की संख्या ५५ है। धारा-सभा में १६२ कांग्रेसी
विराचित हुए थे और कॉन्सिल में ३२। धारा-सभा के अधिवेशन प्रायः
मार्च और अगस्त में हुआ करते हैं, इन्ही महीनों से कॉन्सिल भी
बैठती है।

मन्त्रिमण्डल के नाम यह है :

१ श्री ओ० पी० रामास्वामी रेड्यर—प्रधान मन्त्री, गृह, कानून
निर्माण, हाईकोर्ट।

२ डाक्टर टी० एस० एस० राजन—खाद्य, पुनर्निवास।

३ श्री एम० भक्तवत्सलम्—पश्चिम-चक्र, सूचना और ब्राडकास्टिंग।

४ श्री बी० गोपाल रेड्डी—अर्थ विभाग-व्यापारीटेक्स, भोटर
यातायात रजिस्ट्रेशन।

५ श्री एच० सीताराम रेड्डी—उद्योग, विकास वा योजना, स्वनिज,
मजदूर।

६ श्री के० त्रिमौलि—स्थानीय शासन, को-आपरेशन।

७ श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम चेट्टियर—शिक्षा, सिनेमा।

८ श्री के० माधव मेतन—कृषि, जंगल, जेल।

९ श्री कलावेंकट राव—भूमिकर।

१० श्री ए० बी० शेट्टी—स्वास्थ्य, चिकित्सा।

११ श्री बी० कुमार्या—हरिजन उद्धार।

१२ डाक्टर एस० गुरुबाथम—खादी, घरेलू दस्तकारियां, शराबबन्दी।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय ५५.६४ करोड़ रुपए। कुल अनुमानित व्यय ५५.६३ करोड़ रुपए।

इस तरह प्रान्त के बजट में ७० लाख के लगभग की बचत रहेगी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।

पुलिस, शिक्षा और सिचाई विभागों पर खर्चों की रकमें बहुत बढ़ गई हैं। पुलिस पर ६.४० करोड़ रुपए खर्च होंगे जबकि पिछले वर्ष यह रकम लगभग ४ करोड़ रुपए थी। शिक्षा के लिए ८०० करोड़ रुपए रवा गया है। तुङ्गभद्रा की योजना पर प्रान्तीय सरकार का इस वर्ष २.५८ करोड़ रुपया खर्च होगा।

आय में शराबबन्दी की योजना से ४ करोड़ की कमी हो जायगी।

विक्रीटैक्स, मनोरन्जन टैक्स और शर्तों पर टैक्सों से यह कमियां पूरी हो जायंगी। इसका व्योरा यह है :

विक्री टैक्स	३.७५	करोड़ रुपए
शर्तों पर टैक्स	.२४	"
मनोरन्जन टैक्स	.२२	"

प्रान्त में दो प्रकार के शरणार्थी आए, एक तो पाकिस्तान से उखेड़े जाकर, दूसरे हैदराबाद में रजाकारों के अस्थाचारों से भयभीत होकर। पंजाब के शरणार्थियों के लिए तीन कैम्प खोले गए जहाँ रसद कपड़ा व दूसरे आवश्यक सामान सरकार की ओर से मिलते थे।

हैदराबाद से भागकर आये हुए शरणार्थियों की संख्या जो मद्रास प्रान्त में आई, १८,००० तक पहुँची। वेजवादा, कनूल आदि स्थानों पर हनके लिए कैम्प खोले गए।

प्रान्त में सदा ही अनाजों की कमी रही है, इस कमी को दूसरे प्रान्तों से आयात करके अथवा भारत सरकार की सहायता से पूरा

किया जाता रहा है। १९४६-४७ में प्रान्त के भण्डार में १६,१७,६४७ टन अनाज प्रान्त से ही इकट्ठा किया गया, २४८,८६४ टन का भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार आयात हुआ। इस प्रकार अनाज के १८,६६,५४१ टन भण्डार में से १८,६६,५४१ टन अनाज की प्रान्त में खपत हुई। २०,००० टन अनाज अगले वर्ष के भण्डार में जमा रहा।

१९४७-४८ की खरीफ की कृषि खराब हो गई। प्रतिवर्ष चावल की उत्पत्ति लगभग जहाँ ४.६ मिलियन टन हुआ करती थी, उसका अनुमान इस वर्ष केवल ३.७ मिलियन टन ही रह गया। इसी तरह बाजरे की उत्पत्ति २.६५ से १.६४ मिलियन टन रह गई। इस प्रकार प्रान्त को अपनी वार्षिक अनाज-उत्पत्ति में २.१ मिलियन टन का घाटा हुआ। भारत सरकार अब तक ४ लाख टन अनाज देने का वायदा कर चुकी है। केन्द्र के खाद्य मंत्री ने प्रान्तीय सरकार के अनुरोध पर प्रान्त को दौरा किया और उम्मीद है कि केन्द्र से प्रान्त को अधिक सात्रा में अनाज दिया जाय।

कपड़ा	सरकारी सिद्धांतों पर १९४७ के अन्त में १,२०,००० खड़ियाँ कपड़ा बुन रही थीं जब कि होनकी संख्या १९४६ के अन्त में ५२,३६१ थी। प्रान्त में सूत व कपड़ा बुनने के बढ़िया कारखाने भी काम कर रहे हैं।
-------	--

कृषि	प्रान्त की आवादी को ध्यान में रखते हुए १९४७-४८ में अनाजों की जो कमी रही उसका व्योरा यह है :
------	---

चावल	५,८०,००० टन
बाजरा	२,५०,००० टन
दालें	२,८०,००० टन

प्रान्त में कृषि उत्पत्ति को बढ़ाने की एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार १९५१-५२ तक चावलों की ४५ लाख टन अधिक

पैदावार ही सकेगी। सिचाई की छोटी व बड़ी नहरें सारे प्रान्त में विछाई जा रही हैं, मुरानी नहरों में अधिक पानी दिया जा रहा है। नए कूर्प खोदने व पुराने कूर्पों की भरभूत के लिए रुपए-पैसों की मदद दी जाती है। गरीब रथ्यतों में बीज और खाद मुफ्त बांटने की एक योजना बनाई गई है। हर जिले में २००० रुपए तक का खाद और १०० रुपए तक के बीज इस प्रकार बांटे जायेंगे। हरी खाद पैदा करने वाली रथ्यत को कृषि के शौकारों के रूप में इनाम दिया जाता है। खेती-बारी को खराब करने वाले कीड़ों को मारने के लिए रसायन व विचकारियां किसानों को उधार दी जाती हैं। प्रान्त की खेती-बारी को यांत्रिक करने के उद्देश्य से किसानों को किराए पर दौकटर दिये जाते हैं। इस तरफ प्रान्त में ५० दौकटर काम कर रहे हैं और ५० नए खरीदे जा रहे हैं। पानी खींचने के लिए पेट्रोल द्वारा चलने वाले ७२० पम्प डीजल टेल से चलने वाले १२ पम्प किराए पर देने के लिए इसे गए हैं।

सिचाई को नहरों को खोदने की एक योजना के अनुसार २६८ खुदाहयों पर काम शुरू हो रहा है—इन पर कुल वय ४८००० रुपया होगा और २,५०,००० एकड़ अब तक अप्रयुक्त जमीन पर खेती-बारी हो सकेगी। इसके अलावा लम्बी अवधि के लिए अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं।

प्रान्तमें जर्मींदारी व इनामदारी की प्रथाओं को जमीदारी	खस्म करनेके लिए धारा-सभामें कानून पेश हो तुका है। धारा-सभा की एक सिलेक्ट कमेटी (विशेष समिति) इस पर विचार कर रही है। जर्मींदारोंको उचित मुआ- वज्ञा देने का प्रस्ताव है।
---	---

सहकारी कृषि	प्रांत में खेती-बारी करने की सहकारी संस्थाओं के निर्माण को सहायता व ग्रेरणा दी जाती है। इन संस्थाओं को सरकार ५० अधवा १००
-------------	--

एकड जमीन के इकट्ठे ढुकड़े देती है। संस्था के जितने सदस्य हों, प्रति सदस्य के हिसाब से पूँजी मे १० रुपए सरकार देती है। कृषि के औजार खरीदने के लिए प्रति सदस्य ७५ रुपए के हिसाब तक सरकार रुपया भी उधार दे देती है। इसके अलावा कृषि के पहले वर्ष के लिए ८ रुपए प्रति एकड के खाद के लिए, २ रुपए प्रति एकड़ बीज के लिए मुफ्त मिलते हैं। बैल खरीदने के लिए आधी रकम मुफ्त और आधी कर्ज के रुपए में मिलती है। इस कर्ज पर कोई व्याज नहीं लिया जाता और रकम ५ वर्षों मे चुकानी होती है।

प्रांतीय सरकार की प्रेरणा से मदास में खड़ियों सहकारी संस्थाएं पर कपडा बुनने वाले अधिकाधिक संख्या में सरकारी संस्थाओं में आ रहे हैं। ११४४-४५, ४५-४६ और ४६-४७ में जुलाहों की सहकारी संस्थाओं की संख्या क्रमशः ३११, ३३६ और ६५६ रही।

इन संस्थाओं के मात्रहत खड़ियों की संख्या क्रमशः २६६३६, ३६४५२ और ८५५३१ रही है।

घरेलू दस्तकारियों में संलग्न सहकारी संस्थाओं की संख्या इन्हों वर्षों में २२३, २२२ और ३५२ रही है।

प्रांत की कुल सहकारी संस्थाओं की संख्या १७०५७ है, इनके सदस्यों की संख्या २२,१०,००० और इनमें लगी हुई पूँजी ५०,६७,५१,००० रुपए है। पुनर्निवासके महकमे के अधीन इस संख्या के अलावा ३०६ अन्य सहकारी संस्थाएं भी हैं जिनकी सदस्य-संख्या ३,१६,००० और जिनमें लगी पूँजी २,२८,००,००० रुपए है।

उद्योग प्रांतकी सरकार कुछ उद्योग खुद ही चला रही है—जिनकी नामावली निम्न है :

मट्टी के बर्तनों का कारखाना—नेलोर जिले के गङ्गर शहर में।

काँच की चूड़ियों के निर्माण का शिक्षा-केन्द्र—कलहस्ती में।

रेशम कातने का उद्योग—कोल्कटा में।

तेल का कारखाना—कालिकट में।

साहुन का कारखाना—कालिकट में।

रेडियो व विजली के दूसरे सामान बनाने का उद्योग—१० लाख की कुल पूँजी में प्रांतीय सरकार ने २ लाख रुपए के हिस्से खरीदे हैं।

प्रांत में बनास्पती घी बनाने का एक कारखाना प्रांतीय सरकार की अनुमति से लग रहा है।

प्रांत में एक सरकारी शिक्षणालय खोला जा रहा है जहाँ विभिन्न उद्योगों व दस्तकारियोंकी शिक्षा दी जायगी। इसके ६ स्कूल भी खोलने की योजना बनाई गई है।

इस समय प्रांत में ८३ ऐसे औद्योगिक स्कूल काम कर रहे हैं जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है।

१९४६-४७ में विजली का प्रांत में कुल उत्पादन दिन ४०,८६,८० लाख इकाइयाँ था जिसमें से ७७,७ प्रतिशत विजली सरकारी कारखानों में पैदाकी जाती थी। अब ८६ प्रतिशत विजली (व्यक्तिगत विजलीघरों को खरीद लेने के कारण) सरकारी कारखानों में तथ्यार हो रही है।

एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। जिसके अनुसार विजली की पैदावार दोगुनी कर दी जायगी। इस योजना पर १५ करोड़ रुपए खर्च किये जायंगे।

कृषि के लिए वर्ती जाने वाली विजली की इकाइयों के भाव कम रखे गए हैं।

१९४६ में प्रांत में सड़कों की लम्बाई कुल मिलाकर ३६,६६६ मील थी; जिसका व्योरा इस प्रकार है :

मुख्य राजपथ ३००६ मील

भरिडयों की महत्वपूर्ण सड़क ६५६१

घटिया सड़कें

६१६१ „

शेष सड़कें

२०६११ „

इस व्योरे में म्यूनिसिपैलिटियों और पंचायतों की सड़कों का हिसाब जमा नहीं है। २१,४०० मील लम्बी पक्की सड़कें हैं।

प्रांतीय सरकार के हाथों में इस समय १५,६६० मील लम्बी सड़कों का नियन्त्रण है; २१,४३८ मील लम्बी सड़कें जिला बोर्डों के हाथों में हैं।

८ नए राजपथों के निर्माण की स्वीकृति, जिस पर कुल ६,२७ लाख रुपए खर्च आयगा, भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा ५ राजपथों का प्रांतीय प्रस्ताव केन्द्र द्वारा विचाराधीन है। इस पर ६६,६१ लाख रुपए खर्च आयगा।

प्रांत में यातायात के सब साधनों का राष्ट्रीय-यातायात के साधनों करण करने की प्रांतीय नीति की घोषणा ही चुकी है। योजनानुसार सब बस कम्पनियों में

५१ प्रतिशत हिस्से सरकार के होंगे और १४ प्रतिशत हिस्से पुरानी कम्पनियों के हिस्सेदारों को मिलेंगे। रेलवे और स्थानीय संस्थाएं भी हिस्से खरीद सकेंगी। सरकार पहले सवारियां ढोने वाली गाड़ियां चलायगी, फिर सामान ढोने वाली। टैक्सियों का राष्ट्रीय-करण होगा अथवा नहीं, इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जायगा।

मद्रास शहर की बस कम्पनी का अक्तूबर १९४७ में राष्ट्रीयकरण हो गया।

प्रांत-भर में जबरन शिक्षा के आदेश निकाल कर और चयस्क शिक्षा की सुविधाएं देकर अशिक्षा को दूर करने की सरकारी नीति है।

प्रांत में पुस्तकालय खोलने के विशेष प्रयत्न हो रहे हैं, इर जिला व म्यूनिसिपैलिटी के पुस्तकालय को २०० रुपए की और पंचायत के पुस्तकालय को १०० रुपए की सरकारी सहायता दी जाती है। १९४८-४९

के बजट के अनुसार ऐसी कुल सहायता का अनुमान २ लाख रुपए किया गया है।

अनुमान लगाया गया है कि प्रांत-भर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने योग्य आयुके बच्चों की कुल संख्या ७० लाख है। इसमें से केवल ३० लाख बच्चे इस समय शिक्षा पा रहे हैं। योजना बनाई गई है कि अगले दस वर्षों में प्रांत के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। पहले दस वर्ष जबरन शिक्षा पाँचवीं श्रेणी तक दी जाया करेगी, उसके अगले वर्षों में आठवीं श्रेणी तक।

प्रांत में प्राथमिक शिक्षा मौलिक (वैसिक) शिक्षा के सिद्धांतों पर हो, इस उद्देश्य से अध्यापकों का शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। ७ ऐसे स्कूल खोले गए हैं जहां अध्यापक मौलिक शिक्षाका शिक्षण-कार्य सीखें। कुछ अफसर वर्धा भी भेजे गए हैं।

प्रांत में मिडल व हाई स्कूलों की व इनमें शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का व्योरा इस प्रकार रहा है :

	१९४१-४२	१९४६-४७
मिडल स्कूल	१६४	३७८
इनमें विद्यार्थियों की संख्या	२६,३७१	३६,६१७
हाई स्कूल	३६४	४४२
इनमें विद्यार्थियों की संख्या	२,०४,६४२	३,५०,६१७
स्वास्थ्य		
पिछले कुछ वर्षों से प्रांत में जन्म व मरण संख्या का अनुपात इस प्रकार रहा है :		
जन्म-संख्या	१६४४	१६४८
मरण-संख्या	२६.२६	२६.४५
	२६.२८	२२.२७
		१८.८८

१९४६ में हैजे से मरने वालों का अनुपात प्रति १००० जनता के पीछे ०.०१ था ।

प्रांत में मलेरिया का रोग एक बड़ी समस्या है । मलेरिया की रोकथाम के लिए १९४७-४८ में ५६००० रुपए (प्रतिवर्ष के हिसाब से) और ८५,४०० रुपए (एक बार ही दो जानेवाली सहायता के रूप में) खर्च किये गए । १९४८-४९ में कमशः ८१,७०० रुपए और २७,००० खर्च किये जाने का बजट में प्रस्ताव है ।

हरिजन हरिजनों की कानून की डिट्र से सामाजिक अवस्था में सुधार के उद्देश्य से मद्रास सिविल डिसएविलिटीज ऐकट और मद्रास टेम्पल एन्ड्री आथराइजेशन ऐकट पास किये गए हैं । मन्दिरों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर हरिजनों के चिरलद पक्षपातपूर्ण व्यवहार कानून द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है । हरिजनों के बच्चे सब स्कूलों में भरती हो सकते हैं । १९४७-४८ से सब सेकन्डरी ट्रैनिंग स्कूलों, सरकारी दस्तकारी व ट्रैनिंग कालेजों और लॉ (कानून की शिक्षा देने वाले) कालेजों के १० प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित कर दिये गए हैं । सब होस्टलों (विद्यार्थियों के रिहायशी स्थानों) में १० प्रतिशत स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित हैं ।

कुछ स्थानों पर हरिजन विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कूल खोल दिये गए हैं ।

हरिजनों की दशा के सतत सुधार के उद्देश्य से एक 'हरिजन चेलफैयर कमेटी' बनाई गई है । १९४७-४८ में हरिजनों की बेहतरीके लिए भिन्न-भिन्न महकमों द्वारा कुल ३७,८८,८०० रुपये खर्च किये गए हैं ।

नशा निषेध प्रान्त के कुल २४ जिलों में से १६ जिलों में शराबबन्दी की आज्ञाएं जारी हो चुकी हैं । शेष ८ जिलों में भी शीघ्र ही ऐसी आज्ञाएं प्रचारित की जाने वाली हैं ।

ताढ़ी के नियेध से ८०,००० लोग वेकार हो गए हैं। इन्हें पास दररुत से गुड बनाने के काम पर लगाने की चेष्टा की जारही है। १६४७ के अन्त तक ६५६७ लोग इस काम पर लगाए जा सके थे।

सरकार ने ३४ 'फिरका' व दूसरे केन्द्रों का 'फिरका' विकास योजना चुनाव किया है जहा ग्रामों के मुनिर्निर्माण का कार्य सम्पूर्णतासे किया जायगा। योजना है कि

हर 'फिरके' और केन्द्र को खाने, पहनने व जिन्दगी के दूसरी जरूरियात की नज़र से आत्मनिर्भर बना दिया जाय। इन केन्द्रों में विजली भी पहुंचाई जायगी।

खादी-उत्पादन की योजना को सरकारी सहायता से ७ केन्द्रों में सम्पन्न किया जा रहा है।

इन केन्द्रों में से प्रत्येक को आवादी ४० से ८० हजार तक है। इन सेंट्रों में किसी को व्यक्तिगत तौर पर खादी बनाने की आज्ञा नहीं है। ४ केन्द्रों में मिलों में बने कपडे व खड़ियों के लिए सूत का वितरण बन्द कर दिया गया है।

रचनात्मक महकमों पर खर्च

१६४६-४७ व १६४७-४८ में प्रान्तीय बजटोंमें रचनात्मक महकमों पर क्या खर्च किया गया, इसका व्योरा यह है :

	१६४६-४७ (लाख रुपए)	१६४७-४८ (लाख रुपए)
शिक्षा	५६०.२७	६६६.६३
मेडिकल	२१५.६८	२१७.४५
स्वास्थ्य	८७.३७	८०.६७
सिंचाई	१५४.६८	२५८.६१
कृषि	१०५.७०	११६.८७
पशु चिकित्सा	२६.६५	३१.००
सहकारी	४४.३३	६१.७१
उद्योग	६७.७८	११७.७२

राजकवि प्रान्त की चार प्रमुख भाषाओं के हर पांचवें वर्ष राजकवि मनोनीत करने की प्रथा चलाई गई है। इन राजकवियों को आर्थिक सहायता (आनंदेरियम) दी जाया करेगी। हर भाषा की सर्वोत्तम पुस्तक पर इनाम भी दिये जाया करेंगे।

मध्यप्रान्त और वरार

आवादी १, ६८, १३, ४८४ । राजधानी: नागपुर - आवादी ३, ०१, ६४७ ।

२७ अप्रैल १९४६ को कांग्रेस पदारूढ़ हुई।

- (१) पं० रविशंकर शुक्ला—प्रधान मन्त्री । गृह मन्त्री ।
- (२) पं० द्वारका प्रसाद मिश्रा—विकास और स्थानीय व्यापक के मन्त्री ।

- (३) श्री हुगाशंकर कृपाशंकर मेहता—अर्थ मन्त्री ।
- (४) श्री संभाजी विनायक गोखले—शिक्षा मन्त्री ।
- (५) श्री रामराव कृष्णराव पाटिल—खाद्य और रेवेन्यू के मन्त्री ।

- (६) डा० सद्यद मिन्दाजुल इसन—चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मन्त्री ।

- (७) डा० वामन शिंदोदास वालिंगे—पश्चिम चक्र के मन्त्री ।
- (८) श्री रामेश्वर अनिभोज—कृषि मन्त्री ।
- (९) वावा आनन्दराव देशमुख—एक्साइज मन्त्री ।
- १० पालिंयामेन्द्री सेक्रेटरी हैं ।

धारा-सभा के मदस्यों की कुल संख्या ११२ हैं जिसमें से ६३ कांग्रेसी हैं। लेजिस्लेटिव कौसिला नहीं हैं।

बजट १९४८-४९

कुल अनुमानित आय १५,२६,५०,०००। कुल अनुमानित व्यय, १५,७४,४४,०००।

इस तरह घाटे का कुल अनुमान ४४,६४,००० रुपए है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और विकास की योजनाओं की रकम से इस घाटे की पूर्ति के लिए ४५,००,००० रुपए निकाल लेने का प्रस्ताव है। इस प्रकार ६००० की कुल वचत शेष रहेगी।

कोई नए टैक्स लगाने की योजना नहीं है।

खाद्य-शनाजों की कृषि बढ़ाने के लिए ४,६० करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। यातायात के साधनों के राष्ट्रीयकरण की नीति के अनुसार प्रान्तीय यातायात की कम्पनियों के संचालकों (एजन्ट्स) के हिस्से खरीद लिये गए हैं।

मध्यप्रान्त और वरार की सीमाएं देश के पाँच प्रांतीय भूगोल दूसरे प्रान्तों (युक्तप्रांत, मद्रास, बंगलुरु, विहार और बड़ीसा) से छूती हैं। हेदराबाद रियासत से प्रान्त की ७०० मील लम्बी सांकी हृद है। प्रान्त का ज्येत्र ६८,२७५ वर्गमील है, आवादी जगभग १ करोड़ ८० लाख। १४ रियासतों के १६४८ में प्रान्त से मिल जाने के बाद ज्येत्र में ३० हजार वर्गमील और आवादी में ३० लाख की वृद्धि हुई।

प्रान्त की वार्षिक आमदनी १५करोड़ रुपए के जगभग है। प्रान्त से रियासतों के मिल जानेके बाद यह आमदनी १७ करोड़ रुपए हो गई है।

हिन्दुस्तान में पाए जाने वाले मैंगनीज का प्रायः कुल एकाधिकार ही मध्यप्रान्त को प्राप्त है। एशिया का सीमेट का सबसे बड़ा कारखाना इसी प्रान्त (कटनी) में है। प्रान्त में बाक्साइट मूल इतनी बहुतायत में पाया जाता है कि शीब्रही एशिया का एलुमीनियम बनाने वाला सब

से बड़ा कारखाना यहाँ काम शुरू करने चाहता है। इसके द्वारावा रियासत बस्तर में लोहा मिलता है। प्रान्त में कोयला, माइका, वैराइट्स, ग्रैफाइट, चूना और सोप-स्टोन भी पाए जाते हैं। जंगलों से सागवान की कीमती लकड़ी, किताबी व अखबारी कागज बनाने के लिए उपयुक्त वांस व धास और लाख प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रान्त में बढ़िया कपास और पर्याप्त मात्रा में तैलबीज पैदा होते हैं।

प्रान्त में खनिज साधनों की बड़े उद्योगों के लिए कच्चे संस्थान की और कृषि की उपज की कमी नहीं है।

गेहूँ के अतिरिक्त प्रान्त कृषि की सब शेष उपजों में आत्म-निर्भर है। अनाजोत्पत्ति इतनी मात्रा में होती है कि १९४३ से १९४७ तक हिन्दुस्तान के अनाज की कमी के प्रदेशों को मध्यप्रांत से ६,४१,००० टन चावल और १,१२,००० टन ज्वर मेजी गई।

प्रान्त की खाद्योत्पत्ति की स्थिति को और भी बेहतर बनाने के विविध प्रयत्न जारी हैं। किसानों को तकाबी कर्जों के रूप में २ करोड़ रुपये के लगभग बटे जा चुके हैं। जिन लेन्डों में खेती-बारी नहीं की जा रही, उनमें खेती करने की कोशिशें जारी हैं। इस प्रयाससे इस वर्ष १,४१, १८२ एकड़ अधिक जमीन पर कृषि हुई। एक कानून बनाया गया है जिसके अनुसार बड़े जमींदारों को अपनी खाली पड़ी हुई जमीन के १० से २० प्रतिशत भाग पर इस वर्ष खेती करवाना आवश्यक है। सिंचाई के प्रबन्धों में भी तरकी की जा रही है। इन सब प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कृषि के चालू वर्ष के अन्त में ६२,००० टन अधिक आनज पैदा होने की उम्मीद है।

प्राकृतिक खाद के प्रयोग में मध्यप्रान्त ने विशेष प्रयत्न किए हैं। जुलाई १९४८ में केन्द्र व प्रान्तकी खाद-विकास-समिति का सांस्कारिक वेशन नागपुर में हुआ। जिसने यह मत प्रकट किया कि खाद्य सम्बन्धी

भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति को (जो कि १ करोड टन के लगभग होती है) रक्षा की जानी चाहिए। इस समिति का विचार था कि यदि इस सम्पत्ति का उपयोग किया जा सके तो हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या सुलझ सकती है।

शिक्षा प्रान्त में 'वेसिक' (मौलिक) शिक्षा के प्रसार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक विशिष्ट समिति बनाई गई है, जिसका संचालन हिन्दुस्तानी चालीसी फंड के मंत्री श्री आर्यनाथकर कर रहे हैं।

सामाजिक शिक्षा जनता को पढ़ाने के अतिरिक्त स्वतन्त्र राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा भी दी जा रही है। इस उद्देश्य से एक पंचवर्षीय योजना घनाई गई है जिस पर कुल १ करोड ५० लाख रुपए खर्च किए जायंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार सरकारी प्रकाशनों, पुस्तकालयों, अजायबघरों, सिनेमा, लोक नृत्य आदि के माध्यमों से किया जायगा। इसके लिए शहरों से बाहर के रूप लगाए जाते हैं। पिछली गमियों में ४३८ कैरम लगे जिनमें ६५,६०० वयस्कों ने (जिनमें ३७,००० स्त्रियां थीं) शिक्षा पाई।

स्वतन्त्रता का संदेश प्रान्त के हर व्यक्ति तक जनपदीय स्वतन्त्रता पहुँच सके, इस उद्देश्य से जनपद ऐकट पास किया गया है। सब प्रान्त को तहसीलों में विभाजित किया गया है। तहसीलों की कौसिलियों (समितियों) को अर्थ, कानून और शान्ति-व्यवस्था के अतिरिक्त सब अधिकार, सौपे गए हैं। हर भ्राम में जिसकी आवाही १००० से अधिक हो, पंचायतों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, हर रेवेन्यू क्षेत्र में न्याय पंचायतों की स्थापना की जा रही है।

होम गार्ड
जाता है।

प्रान्त की जनता को आत्म-रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र में निपुण करने के लिए फौजी शिक्षा दी जाती है और होमगार्ड में भरती किया जाता है।

विजली का विकास

प्रान्त के प्राकृतिक साधनों का प्रयोग सस्ती विजली मिलने पर ही सम्भव है, इस विचार से विजली पेदा करनेकी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैन-गंगा पर बंधने वाले बांध से २,५०,००० किलोवाट विजली तयार होगी और २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। कुछ वर्षों के बाद विजली का उत्पादन बढ़ाकर ६ लाख किलो-वाट कर दिया जायगा। समस्त योजना पर कुल ५० करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

उद्योग

प्रान्तीय सरकार कितने ही नए उद्योगों में दिलचस्पी ले रही है। एलुमीनियम, अखबारी कागज और सीमेन्ट के नए कारखानों में सरकार हिस्सा ले रही है। केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही है कि लोहे व इस्पात के निर्माण के जो दो नए कारखाने खुलने हैं, उनमें से १ मध्यप्रान्त में लगाया जाय। प्रान्त में कपड़े के कारखानों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उद्योगों में प्रयोग होने वाले एल्कोहोल के निर्माण का उद्योग विचाराधीन है।

इसके इलावा छोटे पैमाने के च घरेलू धनधोंको भी सरकारी समर्थन दिया जा रहा है। तेल निकालने वाली कोलहू, लाख, सातुन, पेन्ट, वार्निश और हड्डी के खाद बनाने के उद्योगों को समर्थन मिल रहा है।

सहकारी संस्थाएं

किसानों की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से उनमें सहकारी के सिद्धान्तों का

प्रचार किया जाता है। प्रान्तीय प्रामीण-विकास-समिति (प्राविंशल रुरल डेवेलपमेन्ट बोर्ड) ने फैसला किया है कि प्रान्त के चार रेवेन्यू ज़ेन्डों में से २-२ गांवों को चुनकर उनमें सहकारी सिद्धान्तों पर खेती-बारी शुरू की जाय। प्रान्त में सहकारी संस्थाओं की संख्या सतत बढ़ रही है।

खादी, गुड, नीम को चीजें व स्थाही बनाने के लिए भी सहकारी संस्थाएं बनाई गई हैं।

सरकार का निश्चय है कि प्रान्त में बसने वाले ४५ लाख उन लोगों का, जिन्हे पिछड़ी हुई जातियों के लोग कहा जाता है, जीवन स्तर ऊंचा किया जाय। इस उद्देश्य से उनके इलाकों में को-ऑपरेटिव संस्थाएं, स्कूल, हस्पताल वगैरह चालू किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मर्केरिया की रोक-थाम के लिए विशेष हन्तज्ञाम किये गए हैं, दूरस्थ गांवों में डाक्टरी मदद पहुंच सके, इस उद्देश्य से ट्रकों पर इधर-उधर धूम-फिर सकने वाले हस्पताल बनाये गए हैं। यूनानी व आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शहरों व गांवों में स्वच्छ पानी किस तरह प्राप्त हो सके, इस प्रश्न की ल्जान-बीन जारी है।

शारणार्थी प्रान्त के कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों की संख्या २७,६३३ है, कैम्पों से बाहर बसे शरणार्थियों की संख्या ८३,०४६ है। इन्हे फिर से बसाने के कार्य पर ₹.२५ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। इतनी ही रकम और खर्च करने की योजना है।

शराबबन्दी लगभग आधे प्रान्त में शराबबन्दी लागू हो चुकी है।

मजदूर मिल मालिकों व मजदूरों में सगड़े शान्ति से निपटाए जायं इसके लिए डेढ़स डिस्ट्रूट्स विल की सहायता लगातार ली जाती है। दूकानों के कर्मचारियों से केवल उन घरटे प्रतिदिन काम किया जाय, ऐसा कानून बना दिया गया है।

युक्त प्रान्त

आवादी : ५,२०,२०,६१७। राजधानी : लखनऊ, आवादी : ३,२४,२६०। गर्मियों की राजधानी : नैनीताल, आवादी : २१,३१३। (१६४१)।

- पहली अप्रैल १६४६ को कांग्रेस ने शासनकी बागडोर हाथोंमें ली।
- १. पं० गोविन्द बल्लभ पन्त—प्रधान मंत्री। राजस्व, सूचना, नियुक्ति।
- २. श्री सम्पूर्णानन्द—शिक्षा, श्रम, अर्थ व आंकड़ा विभाग।
- ३. हाफिज सुहमद इब्राहीम—यातायात, परिलक वकर्स।
- ४. श्री हुकुम सिंह—माल, जंगल, न्याय।
- ५. श्री निसार अहमद शेरवानी—कृषि, पशुपालन, आम सुधार।
- ६. श्री गिरधारी लाल—शावकारी, जेल, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प विभाग।
- ७. श्री आत्माराम गोविन्द खेर—स्वायत्त शासन, म्यूनिसिपल।
- ८. श्री चन्द्रभालु गुप्त—खाद्य तथा रसद विभाग, मेडिकल, जन स्वास्थ्य।
- ९. श्री केशवदेव मालवीय—विकास, उद्योग-धनधा, को-आपरेटिव।
- १०. श्री लाल बहादुर शास्त्री—पुलिस, यातायात।

इसके अलावा द पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी हैं :

१. श्री गोविन्द सहाय २. श्री जनप्रसाद रावत ३. श्री चरण-
सिंह—प्रधान मंत्री के पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी ।

४. श्री वहीद अहमद—विकास मन्त्री के पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी ।

५. श्री लताफत हुसैन ६. श्री उदयबीर सिंह—यातायात मंत्री
के पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी ।

७. मौलवी महफूजुरहमान—शिंचा मंत्री के पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी ।

८. ठाकुर हरगोविन्द सिंह—कृषि मंत्री के पालिंयामेंटरी सेक्रेटरी ।

बजट १६४८-४९

कुल अनुमानित आय—४५.८७ करोड रुपए । कुल अनुमानित
चयन—५०.५७ करोड रुपए ।

इस तरह घाटे का अनुमान ४.७० करोड रुपए का है ।

घाटे की इस मदको पूरा करनेके लिए यह नए टैक्स लगाए जायेंगे :

(१) विक्री टैक्स—१२,००० की विक्री के ऊपर, अनाज, दूध,
विजली, गुड और चीनी को छोड़कर हर पदार्थ की विक्री पर तीन पैसे
रुपया विक्री टैक्स लगेगा । इन जिसी चीजों पर टैक्स की दर रुपया
पीछे १ पाई होगी । (२) कृषि की आमदनी पर टैक्स—उसी दर से
लगेगा जो कि आय-कर का होता है परन्तु सूपर-टैक्स की दर चालू सूपर-
टैक्स की दर से आधी होगी ।

मुख्य खर्चों का च्योरा इस प्रकार है :

राष्ट्रीयोगी महकमे	२४.०१ करोड रुपये
--------------------	------------------

शरणार्थियों को फिर वसाने पर	२.१६
-----------------------------	------------

शासन, पुलिम, जेल, न्याय	१२.२३
-------------------------	--------------

इस वर्ष, उन ७ जिलों के अलावा जहाँ पहले ही शराब का निषेध
हो चुका है, कानपुर और उनावंक जिलोंमें भी शराब बन्दी लागू कर दी
जायगी । ४४०० नए स्कूल बनाने जायेंगे । स्कूलों व कालजों में फौजी
चालीम और नगरों में प्रारम्भिक शिक्षा व आयुर्वेदिक और यूनानी

दवाई खाने खोले जायेंगे। कानपुर में जयरोग के उपचार का हस्पताल बनेगा। प्रान्त में पटसन की खेतीके प्रथत्न होंगे, कृषि के लिए यन्त्र बरते जायेंगे और प्रान्त-भर में तालाब खुदेंगे। हवाई अड्डे बनेंगे, घरेलू दस्तकारियों को प्रेरणा मिलेंगी और कुछ बड़े पैमानों के उद्योगों की जून-बीज होंगी और योजनाएं बनेंगी। नए रास्तों पर सरकारी बसें चलाई जायेंगी।

शरणार्थी स्वतन्त्रता का समारोह अभी खत्म ही हुआ था कि पंजाब के नरसंहार से बचने के लिए लाखों की तादाद में जोग प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में आकर बसने लगे। एक वर्ष में जगभग ५ लाख शरणार्थियों ने युक्तप्रान्त ने स्थान दिया। इस वर्ष के बजट में कुल मिलाकर ३ करोड़ ३७ लाख की रकम उन पर व्यय के लिए सुरक्षित रखी गई। प्रान्त-भर में ४० हजार से अधिक शरणार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।

शान्ति व व्यवस्था पीड़ित व उत्तरेजित शरणार्थियों के आने से प्रान्त की शान्ति भंग होने का भारी खतरा पैदा हो गया था लेकिन महान् प्रयास से इस खतरे पर काढ़ा पा लिया गया। जहाँ दंगे हुए भी, वहाँ से पढ़ोस के ज़िलों में नहीं कैलने दिये गए। पुलिस के सिपाहियों की संख्या ३० हजार से ४५ हजार कर दी गई।

ग्रामीण प्रान्त में १ लाख २ हजार ३८८ गांव हैं। प्रान्त की कुल आबादी (५ करोड़ ४० लाख) में से ४ करोड़ ८२ लाख गांवों में रहते हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि इस संख्या का जीवन-स्तर ऊंचा हो। जमीदारीको खत्म कर देनेका निश्चय हो चुका है और इस वर्ष जमीदारीकी सम्पत्तिसे संबंधित समितिने प्रश्न पर विस्तारसे विचार किया। टेनेन्सी एक्ट की धारा १७१ जिससे जमीदारों को जमीन से किसानों को हटा-

देशेका अधिकार मिलता था, इटाहूं जातुकी है। इस वर्ष लगभग १ लाख ५० हजार किसानों ने इस धारा को हटाने के फलस्वरूप फिर से अपनी जमीन प्राप्त कर ली।

किसानों की बेहतरी के खाल से इस की कीमत पहले तेरह आने भन से सवा रुपया और फिर दो रुपए कर दी गई।

भारी तादाद में प्राकृतिक खाद पैदा करने के प्रयत्न जारी हैं ताकि खेती की उपज को बढ़ाया जा सके। गांवों में पंचायतों की स्थापना हो रही है जिससे ग्रामीणोंको लोकतन्त्री अधिकार प्राप्त हो सकें। लगभग कुल २० हजार पंचायतें बनाने की योजना है। गांवों में हस्पताल व स्कूल खोले जा रहे हैं।

सिंचाई की योजनाएँ प्रांत में नहरों व दूसरे साधनों से सांचे जाने वाली जमीनके जौनमें इस प्रकार तरकी हुई है:

१६४५-४६

५६,५३,७८० एकड़

१६४६-४७

५६,७१,६४० „

१६४७-४८

६१,०८,६२० „

अब एक पांच वर्षीय योजना बनाई गई है जिसके अनुसार सिंचाई के इस जौन में १६ लाख ६० हजार एकड़ की वृद्धि होगी। १६४७-४८ में ३०० मील लम्बी नई नहरोंकी खुदाई हुई। पंचवर्षीय योजना के अनुसार ७६०० मील लम्बी नहरें खोदी जायंगी।

१६४७-४८ तक पानी के ४५० पर्स (व्यूब वेल) खोदे गए थे। हर घंटे में ३० हजार गैलन पानी निकालने वाले १०० पर्स और लगाने की योजना है। इन पर्सों से ३८६ गांवों में पीने के साफ पानी का प्रबन्ध भी हो जायगा। जब गांवों को अधिक विजली मिलने लगेगी तो भिन्न-भिन्न जिलों में ६५० ऐसे ही नए पर्स लगाने की योजना है। योजनाओं के सम्पूर्ण होने पर प्रांत की खेती बरी का ३६.६ प्रति-शत भाग सिंचाई की योजनाओं के प्रभाव में आ जायगा।

विजली पैदा करने की योजनाएं

इस समय प्रांत में कुल १,५३,७०० किलो-वाट विजली बनती है। प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार विजली की पैदावार ७,७८,००० किलोवाट तक बढ़ाई जायगी। यह योजना पांच वर्षों में पूरी होगी। उन प्रदेशों के नाम जहाँ वाँध वाँधे जाएंगे व विजली पैदा की जायगी, अथवा पैदा हो रही विजली का उत्पादन बढ़ाया जायगा—यह है :

(१) रुडकी के पास मुहम्मदपुर फालस पावर स्टेशन (२) हरूआ-गंज पावर स्टेशन (३) सोहचाल पावर स्टेशन (४) इकतिमा पावर हालस (५) शारदा हाइडल ट्रांसमिशन योजना (६) गंगा हाइडल ग्रिड स्टेन पुक से सम्बन्धित योजना।

इनके अलावा निम्न बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में सरकारी स्वीकृति मिल सुकी है :

(१) पिपरी (रिहंद) वाँध। मिर्जापुर जिले में। ४० लाख एकड़ लमीन की सिंचाई होगी। २०० मील के क्षेत्र में विजली पहुँचेगी। आरम्भ होने से ६ वर्ष के अन्दर बन पायगा।

(२) यमुना हाइड्रो ह्लेक्ट्रिक योजना। यमुना और टोंस दरियाओं के ७५० फुट पानी के भरने से विजली पैदा की जायगी।

(३) बथपा पावर योजना। नैनी दरिया पर प्रियांह में, जो कि चुंदेलखंद से है, विजली बनाने का पहला प्रयास है।

पथरी हाइड्रो ह्लेक्ट्रिक स्कीम, गोगरा पावर, रामगंगा पर वाँध, कोठरी वाँध और पिन्डार हाइड्रो ह्लेक्ट्रिक डेवेलपमेंट की योजनाएं विचाराधीन हैं।

सरकारी नीति प्रान्तीय यातायात के राष्ट्रीयकरण सङ्कें कर लेने की है। इस समय सरकार तीन सड़कों पर अपनी बसें चला रही है। दूसरी सड़कों पर चलाने की योजना है।

इस समय प्रान्त में सड़कों की लम्बाई का व्योरा इस प्रकार है :

६०४४ मील —पक्की सड़कें

२३,६८४ मील—कच्ची सड़के

एक दश वर्षीय योजना वनाई गई है जिसके अनुसार ६५६६ मील लम्बी नई पक्की सड़कें, ३००० मील सीमेंट व वजरी की सड़कें, ४१४३ मील लम्बी कच्ची सड़कों की दशा में सुधार किया जायगा। इन योजनाओं पर कुल ६८.७ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा।

इस समय कानपुर, लखनऊ व अलाहाबाद में हवाई यात्रायात फ्लाइंग क्लबें खोली हुई हैं। १६४८-४५ में ऐसी क्लबें आगरा व बनारसमें भी खोली जायेंगी।

लखनऊ, कानपुर, बनारस व अलाहाबाद के शहर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सर्विसों के रास्ते से दिल्ली, वर्षाई व कलकत्ता से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा देहरादून, मेरठ, विजयनगर, बदाउं, बन्दा, व फतहगढ़ में हवाई अड्डे बनाने की योजना है।

प्रात में उन सब वर्षों की संख्या जो स्कूलों में भरती होने की उम्र के हैं, २८ लाख है। १५ लाख ही प्राइमरी शिक्षा पा रहे हैं।

शिक्षा-प्रसार के लिए एक दश वर्षीय योजना बनाई गई है। इसके अनुसार प्रति वर्ष २२०० नए स्कूल खोलने की योजना है। लेकिन १६४७ में इससे भी अधिक (२३४०) स्कूल खोले गए। इनसे ५००० गांवों में रहने वालों के ६६,००० वच्चे शिक्षा प्राप्त करने लगे। अब प्रति वर्ष नए खोले जाने वाले स्कूलोंकी संख्या ४४०० कर दी गई है। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो सारी योजना ५ वर्षों में ही पूरी हो जायगी।

प्रान्त की ८७ म्यूनिसिपैलिटियों में से कुल २४ म्यूनिसिपैलिटियों में वर्षों को प्राइमरी शिक्षा देना कानून के अनुसार आवश्यक था और १५ में जवरन (कम्पल्सरी) शिक्षाका कानून आंशिक रूप में लागू था।

जुलाई ४८ तक तीन-चौथाई म्यूनिसिपैलिटियों में जबरन शिक्षा का कानून लागू कर दिया गया है।

शिक्षा-प्रदान के अब तक चले आए सारे ढंग में कानूनिकारी परिवर्तन कर देने की योजना बनाई गई है। परिवर्तन के बाद नए ढंग की जो रूप रेखा होगी वह इस प्रकार है :

- (१) नसरी शिक्षा—३ से ६ वर्ष की आयु तक।
- (२) प्राइमरी मौलिक (वैसिक) शिक्षा—६ से ११ वर्ष की आयु तक। इसमें १ से ५ वर्षों तक श्रेणियाँ लगेंगी।
- (३) सीनियर मौलिक (वैसिक) कक्षा—११ से १४ वर्ष की आयु तक। इसमें ६ से ८ वर्षों तक श्रेणियाँ लगेंगी।
- (४) हायर सेकंडरी कक्षा—१४ वर्ष से १८ वर्ष की आयु तक। इसमें ६ वर्षों और १० वर्षों श्रेणियाँ लगेंगी।

सब श्रेणियोंमें पढ़ाईका माध्यम हिन्दी होगा। हायर सेकंडरी कक्षा के चार मुख्य विभाग होंगे—(१) साहित्यिक (२) कलात्मक (३) रचनात्मक (४) वैज्ञानिक। इन विभागोंमें अपनी स्वाभाविक रुचि व प्रवृत्ति के अनुसार विद्यार्थी शिक्षा पाया करेंगे। इस पढ़ाई के बाद वे विश्व-विद्यालयोंमें दाखिल हो सकेंगे जहाँ उन्हें आजकल की शिक्षा नहीं मिलेगी जो उन्हें जीवन की समस्याओं के सुकावले के लिए उपयुक्त नहीं बनाती वरन् ऐसी शिक्षा मिलेगी जिससे वह किसी व्यवसाय व उद्योग के योग्य बन सकें।

सब शिक्षणालयों में फौजी तालीम प्राप्त करना लाजमी होगा।

लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष संस्थाएं खोली जा रही हैं। घरेलू शिक्षा का एक विशेष कालेज भी खोला जा रहा है जहाँ सब स्त्रियोंचित शिक्षा ही दी जायगी।

सामाजिक शिक्षा पिछले वर्ष यह फैसला किया गया कि कोई भी श्रेष्ठपट, जो सामाजिक शिक्षा का प्रमाण पत्र हासिल न कर ले, सरकारी नौकरी न पा सकेगा।

गोबिन्दा बनाई गई है कि सब श्रेष्ठों को सर्वोंगिरण सामाजिक शिक्षा दी जाय; इसमें शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, स्काउटिंग, निशानादाजी आदि बतें सिखाई जायेंगी। शिक्षा का काल १० महीने होगा। नवयुवकों को जंगलों में व गांवों में जाकर जनता से हिल-मिलकर उनकी समस्याएं जाननी होगी और उनका समाधान सौचना होगा। यह हाथ से सब काम करना सीखेंगे, कच्ची सड़कें बनायेंगे, मकान खड़ा करने की शिक्षा पायेंगे, सफाई रखना, किसान की सहायता करना आदि सीखेंगे। इन दिनों उनके रहने-सहने साने-पीने का सब खर्च प्रान्तीय सरकार उठायेगी। ६०० युवकों के पहले दस ने फैजाबाद में सामाजिक सेवा की शिक्षा पा ली है।

सरकार ने बनारस में संस्कृत साहित्य की छानवीन का केन्द्र खोला है। लखनऊ स्थित संगीत के कालेज को विशेष आर्थिक सहायता दी जाने लगी है।

हरिजन सहायक विभाग जनवरी ४८ में हरिजनों की सहायता के लिए एक विशेष विभाग खोला दिया गया है। इसका काम यह देखना होगा कि रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज़ ऐक्ट (१९४७) टीक रूप में चल रहा है, हरिजनों पर किसी किसम की ज्यादतियां न हों, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध हो, हर जिले में हरिजन सुधार के उद्देश्य से संस्थाएं बनें और हरिजनों की आर्थिक उन्नति हो। प्रान्त की धारा-सभा ने सितम्बर ४७ में रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज़ ऐक्ट पास किया था जिससे हरिजनों की सब सामाजिक असुविधाओं को गैरकानूनी ढहरा दिया गया था।

औद्योगिक विकास वडे पैमाने पर सीमेंट, नकली रेशम और वारीक सूत बनाने के कारखाने खोलने की अभियानों वाले हैं।

इसके अलावा घरेलू व छोटे पैमाने के दस्तकारियों के लिए अलहाड़ा विभाग खोल दिया गया है। इस विभाग पर १९४७-४८ में १ करोड़ १६ लाख रुपया व्यय किया गया। यह विभाग उद्योगोंसे सम्बन्धित विशिष्ट (टेक्निकल) शिक्षा, रूपए-पैसे से मदद, उद्योगों का कच्चा सामान जुटाता और अंद्रियोगिक छान-बीन करता है।

कृषि विभाग गंगा खाद्यर और तराई प्रदेशों में २०,००० एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाया गया।

प्रान्त को इस जमीन से २ लाख मन अनाज भिलेगा। फांसी डिवीजन में ७००० एकड़ भूमि को भी खेती के लिए उपयुक्त बनाया गया है। इससे १० हजार मन अनाज पैदा किया जा सकेगा। प्रान्त के ७ सरकारी फार्मों में यान्त्रिक खेती-बागी शुरू की जा रही है ताकि कृषक इससे सवक लें।

६० लाख मन प्राकृतिक खाद पैदा किया जाचुका है। २५ करोड़ मन खाद पैदा करने की योजना है/जो प्रान्त में अनाज की पैदावार को २० करोड़ मन बढ़ा देगा।

प्रान्त में फलों के नए बाग भी लगाए जा रहे हैं। सब्जियों, फलों व अनाजों के पौदों को चाति पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने के विशेष इन्टजाम किये जा रहे हैं।

प्रान्त में पटसन वी पैदावार की कोशिशों की जा रही है। फिलहाल ५००० एकड़ जमीन में इसे बीजा गया है।

कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने वाले दो नए स्कूल खोले गए हैं।
शराववन्दी प्रांत में देशी शराब, अफीम व गांजा के दूसरे-माल का ब्योरा इस प्रकार है :

शाराव	अफीम	गांजा
१६३७-३८	४.६० लाख गैलन १८१७८ सेर	१४६४८ सेर
१६३८-४०	२.७५ १०६०६ ..	८.१८८ ..
१६४५-४६	१०.६६ १८५६८ ..	३१.००२ ..

१६३७ में पद सभालने के बाद प्रांतीय कांग्रेसी हक्कमत ने सब तरह के मादक ड्रग्झों के प्रयोग पर वाधाएं लगाईं और उनके विरुद्ध प्रचार किया। १६३८-४० के आंकड़ों से इसी प्रथन की सफलता प्रकट होती है। लैकिन कांग्रेस द्वारा १६३८ में पदव्याग के बाद इनका प्रयोग बहुत बढ़ गया जो कि बाद के आंकड़ों से स्पष्ट है।

१६४७-४८ में इटाह, मैनपुरी, फर्स्तावाद, घटायूं, प्रतापगढ़, सुखदानपुर और जौनपुर के ज़िलों में शाराववन्दी की शाज़ा लारी कर दी गई। गाजे व अफीम की खरीद भी डाक्टरी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर हो सकती थी। इन निषेधों से प्रांतीय खजाने को ३८.२६ लाख रुपये का नुकसान हुआ।

मसूरी व देहरादून में शाराव की दुकानें सरकारी हैं। ऐसा करने से शाराव का प्रयोग काफी कम हो गया है।

१ अप्रैल १६४८ से कानपुर व उन्नाव के ज़िलों में भी शाराव-वन्दी कर दी गई है।

देशी शाराव का भाव १० प्रतिशत, अफीम का भाव २०० से २४० रुपया सेर और गाजे का १६० से २४० रुपये सेर कर दिया गया है।

भाषा प्रांतीय सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा को राजभाषा घोषित किया है।

हाईकोर्ट केन्द्रीय सरकार की इजाजत से इलाहाबाद व अवध की हाई कोर्टों को मिलाकर प्रांत में एक ही हाईकोर्ट कर दी गई है।

विविध

गत वर्ष प्रांतीय को-आपरेटिव विभाग, हीख की कृषि का विकास-विभाग, मछली-विभाग, रारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने वाला विभाग विशेष सक्रिय रहे हैं। सरकार ने आयुर्वेदिक व यूनानी पद्धतियों में सुधार-योजना का प्रस्ताव पेश करने के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की है। सरकार की ओर से एक आयुर्वेदिक व यूनानी कालेज खोला जा रहा है।

प्रांतीय रक्षक दल

जनता के बड़े हिस्से को फौजी शिक्षा देने के लिए और संकटकाल में देश को भीतरी व बाहरी खतरों से बचाने के उद्देश्य से प्रांतीय रक्षक दल का संगठन हो रहा है। इस दल की सक्रिय शाखाओं के सदस्यों की संख्या २७००० और रिजर्व शाखाओं के सदस्यों की संख्या १२ लाख होगी। दल के १८०० सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें सरकार की ओर से वेतन मिलेगा।

१८ से ४५ वर्ष की उम्र के सब व्यक्ति धर्म, जाति व वर्ण के भेद-भाव के बिना दल में शामिल हो सकेंगे। सबसे छोटी इकाई, जिस में नेता सहित १२ सदस्य होंगे, प्रत्येक गांव व नगर के मुहल्लों में संगठित की जायगी। ऐसी पांच इकाइयों का एक समूह बनेगा। प्रत्येक तहसील के सदर में १२० समूह होंगे। इकाइयों के नेताओं की एक कम्पनी होगी जिसका नेता कमांडर कहा जायगा।

ऐसी ४ से ~५ कम्पनियों की एक बटालियन होगी, इसका नाम जिले के नाम पर होगा।

इकाइयाँ व समूह रक्षादल के रिजर्व भाग होंगे, कम्पनियाँ व बटालियन सक्रिय शाखाएं होंगी। सक्रिय शाखाओं की सदस्यता ३ वर्ष के लिए है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में जाकर २ वर्ष काम करना पड़ेगा।

प्रत्येक तहसील में भरती के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें

सब-डिविज़नल मेजिस्ट्रेट और ज़िला कोर्ट्रेस कमेटी द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे।

सब सदस्यों को भैदान में लडाई वर्गोंवार का और दफ्तरी, कागजी काम भी सिखाया जायगा। फील्ड कैफ्ट, युरिला वारफेयर, स्कार्टिंग, नार्हट्रापरेशन्स, ट्रैचिंग और डकैती व उपद्रवी भीड़ से मोर्चा लेने के तरीके, नहरों व तारों की लाइनों, रेलों के मार्ग तथा जनता की मान व धन-सम्पत्ति की रक्षा के उपाय, बन्दूकों, संगीनों व दूसरे अस्त्रों का व आटोमेटिक शस्त्रों का उपयोग—सब प्रकार की शिक्षा दी जायगी।

सक्रिय शाखाओं के लिए प्रतिवर्ष तहसील में १५ दिन की अधिक कैम्प लगा करेंगे।

हमारी सेना

विभाजन और नव-संगठन	द्वितीय महायुद्धके दौरान में हिन्दुस्तानकी फौजों के सिपाहियों की कुल संख्या २२ लाख ५० हजार तक पहुँच गई थी। युद्ध के बाद फौज की संख्या को घटाने के नीति के परिणाम स्व- रूप अगस्त १९४७ के अन्त तक १६,४८,७७२ सिपाहियों को फौज से निकाला जा चुका था।
-----------------------	---

अगस्त ४७ में देश के विभाजन के साथ साथ हिन्दुस्तान की फौज का भी विभाजन हुआ। जल, स्थल व द्वारा ही सेना का लगभग दो-तिहाई भाग हिन्दुस्तान को प्राप्त हुआ।

हिन्दुस्तान व पाकिस्तान की फौजों के संगठन के लिए सुप्रीम कमायड़ के हेड-क्वार्टर (दफ्तर) का संयोजन किया गया। विभाजन के बहुत हेडक्वार्टर्स के दफ्तरों के लिए केवल १५३ अफसर व ५६३ शैष

व्यक्ति थे। १९४८ के अन्त में यह संख्या ६८६ अफसर व ४२०२ शेष व्यवित्रियों तक पहुंच गई। फीहड मार्शल सर क्लाड आकिनलेक सुप्रीम कमाण्डर बनाए गए। फौजों के संगठन की नीति का निर्धारण करने के लिए 'जायन्ट डिफेन्स कौसिल' बनाई गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि सदस्य थे। लार्ड माउन्टवेटन को इस कौसिल का सभापति भनो-नीत किया गया।

नवम्बर १९४७ के अन्त में सुप्रीम कमाण्डर के दफ्तर को तोड़ दिया गया। जायन्ट डिफेन्स कौसिल के दफ्तर की समाप्ति १ अप्रैल १९४८ को हुई। लेकिन इस कौसिल की अंतर्गत, जिसका नाम अब इन्टर-डोमिनियन डिफेन्स सेकटरीज कमेटी रखा गया कौसिल का शेष काम सम्पूर्ण करने के लिए जारी रखी गई। यह काम समझौतों के अनुसार फौजी सामान को एक देश से दूसरे देश को भेजने का था।

फौजी सामान बनाने वाले कारखानों के बंटवारे की जगह हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को ६ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया।

अंग्रेजी फौज का प्रस्थान	स्वतन्त्रता-दिवस के दो दिन बाद ही अंग्रेजी फौज की टुकड़ियों ने जाना शुरू कर दिया। हिन्दुस्तान में ठहरी अंग्रेजी फौजकी आखिरी टुकड़ी २८ फरवरी १९४८ को हिन्दुस्तान से कूच कर गई।
-----------------------------	---

राष्ट्रीयकरण	शुरू से ही हिन्दुस्तान ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। अक्टूबर १९४८ में हिन्दुस्तान की फौज में केवल ३ अंग्रेज अफसर (कमाण्डर-इन-चीफ बुचर और कलकत्ता व बम्बई के सब-एसिया कमाण्डर) थे जो कि बड़े अधिकारी थे। फौज में अंग्रेज अफसरों की कुल संख्या २५० थी जिनमें ५ जनरल भी थे। यह अफसर या तो सलाह-मंशवरा देने के काम पर नियुक्त थे या फौजी शिक्षक थे। १९४७ के अन्त तक इस संख्या के अधिकांश को हटा कर हिन्दुस्तानी अफसर लगा दिये गए।
--------------	---

विभाजन के बच्च हिन्दुस्तान की फौज में २ मेजर-जनरल और १२ डिवीडिंगर हिन्दुस्तानी थे । । १९४८ तक फौज के कुल एरिया, डिवीजन और डिवेड कमाण्डर हिन्दुस्तानी ही नियुक्त किए जा चुके हैं । गोरखा फौज में ३५० हिन्दुस्तानी अफसर बनाए जा चुके हैं ।

हिन्दुस्तानके गोलावारूद व अस्त्र-शस्त्र बनाने अस्त्रशस्त्र के कारखाने वाले कारखानों की कुल संख्या १९४८ में ६० थी ।

फौजिया की वीरता की कार्रवाहियों को सार्व-वीरता के तमगे जनिक रूप में स्वीकार करने के उद्देश्य से इ प्रकार के तमगों की घोषणा की गई है ।

(१) “परमवीर चक्र”—यह विकटोग्यिकास के बराबर होगा । (२) “महा वीर चक्र”—ढी.एस.ओ. व ऐसे ही दूसरे तमगों के बराबर । (३) “वीर चक्र”—एम.सी. व इण्डियन डिफेंस सर्विसिज़ मेडल के बराबर ।

वैन्दीय धारासभा में भाषण करते हुए रक्षा “नैश्नल कैडेट कोर” मंत्री सरदार बलदेव सिंह ने १५ मार्च १९४७ को ‘नैश्नल कैडेट कोर’ की स्थापना की योजना देश के सामने प्रस्तुत की । इस सेना में स्कूलों व कालेजों के लाख के लगभग नवयुव भरती किए जाएंगे । इसके दो भाग होंगे, सौनियर डिवीजन, जिसकी सदस्य संख्या ३२,५०० होगी, और जूनियर डिवीजन जिसकी संख्या १,३५,००० होगी । इसके अलावा लड़कियों की १ डिवीजन अलग भरती की जायगी ।

विद्यार्थियों के लिए इस ‘कोर’ में भरती होना लाजमी नहीं होगा । ‘कोर’ में शिक्षा पाए युवकों के लिए बाद में फौजी सेना भी अनिवार्य नहीं रखी गई है ।

इस ‘कोर’ के अलावा भारत सरकार देश में ‘नैश्नल टेरीटोरियल फौर्स’ (जिसकी संख्या १,३०,००० होगी) के आयोजन को भी

सिद्धान्त रूप में स्वीकार केर चुकी है। इसके सम्बन्ध में विस्तृत योजना विचाराधीन है।

पटेल की घोषणा **३ अक्टूबर १९४८ को अपने जन्म दिवस के उत्सव पर नई दिल्ली में भाषण करते हुए सरदार पटेल ने बताया कि हिन्दुस्तान ने अपनी फौजों की संख्या में वृद्धि करने का निश्चय किया है। विभाजन के पहले सरकार की इच्छा थी कि फौजों की संख्या में कभी की जाए लेकिन देश व संसार के वर्तमान राजनीतिक बातावरण को ध्यान में रखते हुए इस निश्चय में परिवर्तन करना पड़ा है।**

इस नई नीतिके परिणाम स्वरूप हिन्दुस्तान अपनी जल, स्थल व हवाई सेनाओं के तीनों हिस्सों का संवर्धन कर रहा है। सेना में वृद्धि जल सेना के लिए इंगलैंड से 'एकिलीज़' नाम का ज़़ंगी जहाज खरीदा गया। अब इसका नाम 'दिल्ली'रखा गया है। इसके अलावा कुछ 'डिस्ट्रायर'(रॉडरहैम, रिडाउट, रेडर) भी खरीदे गए हैं। हिन्दुस्तान के हवाई बेडे के लिए नई नई किस्मों के लडाकू व दूसरे जहाज खरीदे गए हैं। जो जहाज सरकार के डिस्पोजल विभाग को विक्री के लिये दे दिये गए थे, उनकी दुआरा छानबीन करके सैकड़ों जहाजों को फिर से काम लाया जा रहा है। प्रारम्भिक परीक्षण के लिए बेस्पायर किस्म के ३ जेट-जहाज भी हिन्दुस्तान के हवाई बेडे के लिए खरीदे गए हैं।

हिन्दुस्तान के हवाई बेडे के चालकों को शिक्षा पाने के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। 'दिल्ली'नाम के ज़़़ंगी जहाज पर काम करने वाले जल सेना के सिपाहियों ने इंगलैंड में जाकर विशिष्ट शिक्षा पाई।

हिन्दुस्तान में फौजों की भरती भी चालू है। देश की जनता व फौज को परस्पर कीब लाने के उद्देश्य से जहाँ-तहाँ फौजी मेलों का आयोजन किया जोता है।

फौज की सराहनीय सफलताएँ मुख्यतया भारत की सेना पर ही १५ अगस्त १९४७ के बाद भारत की राजनीति को शान्त और संतुलित रखने का उत्तरदायित्व रहा है।

हमारी सेना ने अपने कर्तव्यों को बहुत शान से निभाया है। सर्वप्रथम उत्तरदायित्व शरणार्थियों को पाकिस्तान से निकालने के सम्बन्ध में सेना पर पढ़ा। इसके तुरन्त बाद ही सेना को काश्मीर में पाकिस्तानी हमर घरों के सुकाबले में डटना पड़ा। जिन सिपाहियों ने कभी पहाड़ भी नहीं देखे थे, वह अब १० और १५ हजार कुट की वर्फीली झंचाहर्यों पर लड़ने लगे। इसके साथ ही हमारी फौज को काठियावाह के तटीय ज़ोंगों पर जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में मिल जाने की घोषणा के बाद, सतर्क खड़े रहना पड़ा। देश की दंगायस्त स्थिति को सुधारने में फौज ने निपच्छ होकर सरकार का हाथ बंटाया। इसके बाद हैदराबाद के जहर को काटने का बड़ा काम फौज ने सम्पन्न किया।

आजाद हिन्दुस्तान की फौज ने देश की आजादी की जिस तरीके और संलग्नता से रहा की है, समूचा देश उसके लिए आभारी है। आजादी के दिन से अब तक हमारी फौज के सिपाही आराम की एक सांस भी लिए बिना विभिन्न मोर्चों पर ढटे रहे हैं।

दैनिक इतिहास

अगस्त १९४७

१५. १४ और १५ अगस्त की बीच की रात के १२ बजे शंख-धोष और “महात्मा गांधी की जय” के नारों के बीच विधान-परिषद् ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता घोषित की।

सदस्यों ने और प्रान्तों में गवर्नरों ने, आज्ञाद हिन्दुस्तान के प्रति शपथें उठाईं ।

अविभाजित हिन्दुस्तान के ११०० सिविल सर्विस के अफसरों में से ४५० नए आज्ञाद हिन्दुस्तान में कार्य करेंगे ।

कलकत्ता में आज्ञादी के दिन हिन्दू और मुसलमानों में एकता के विशेष प्रदर्शन हुए । महात्मा गांधी शहर के एक मुसलमान हलके में रह रहे हैं ।

१७. सीमा-कमीशनों ने पंजाब, बंगाल व आसाम के विभाजन की घोषणा की । पंजाब की दंगाग्रस्त दशा पर विचार करने के लिए हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों व दूसरे प्रतिनिधियों का पहला सम्मेलन अम्बाला में हुआ ।
२०. नई दिल्ली में विधान-परिषद् का सम्मेलन शुरू हुआ ।
२१. भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में निश्चित साम्राज्यिक अनुपात की नीति को खत्म कर दिया ।
२२. अर्थमन्त्री पण्डित नेहरू ने घोषणा की है कि डालर की कमी के संकट का मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तान इंगलैण्ड का साथ देना ।
२४. दिल्ली से साम्राज्यिक झगड़े होने की खबरें आनी शुरू हुईं ।
२७. आज विधान-परिषद् ने सब सम्राज्यों के सांसे जुनाओं के सिद्धांत (जाइंट इलेक्ट्रोट) को स्वीकार कर लिया ।
२९. विधान-परिषद् का सम्मेलन समाप्त हुआ ।

सितम्बर ४७

१. कलकत्ता में साम्राज्यिक दंगों के एक बार फिर शुरू होने पर महात्मा गांधी ने उपचास आश्रम कर दिया । यह व्रत कलकत्ता में शांति लौटने पर ही हूटेगा ।

३. निश्चय हुआ है कि हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के दंगाम्रस्त प्रदेशों से अस्प-संख्यकों को निकालने के लिए नथा फौजी संगठन स्थापित किया जाय।
४. ७३ बरटे व्रत रखने के बाद महात्मा गांधी ने आज व्रत खोला दिया। कलकत्ता में शान्ति है। पूर्वी पंजाब में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार ने १० लाख रुपए स्वीकार किए।
५. भारत सरकार ने पुनर्निवास विभाग की स्थापना की है और श्री के० सी० नियोगी इस विभाग के मन्त्री नियुक्त किये गए हैं। महात्मा गांधी ने कलकत्ता से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।
६. महात्मा गांधी दिल्ली पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि शहर प्राणहीन है। गांधीजी को विरला-भवन में उहराया गया।
७. गांधी जी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि शान्ति स्थापना के लिए सरकार में विश्वास का होना जरूरी है। लोग यदि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो व्यवस्था नहीं, अराजकता ही फैलेगी। पुराने किले के मुसलमान शरणार्थियों को महात्मा गांधी ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं स्थिति को सुधारूँगा, अथवा इस प्रयास में प्राण दे दूँगा।
८. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि विधि व व्यवस्था को भंग करने का मतलब राष्ट्र द्वारा आत्मघात होगा। जनता को यह उचित नहीं है कि ऐसी कार्रवाईयों से सरकार को धोखा दे।
९. गांधीजी ने मुसलमानों से अपील की है कि वह सरकार पर विश्वास करें और लिपाये हुए अस्त्र-शस्त्र लौटा दें। मैं तो

हिन्दू सिख व सुसलमानों द्वारा गृह-न्याग की बात को सोच भी नहीं सकता। यह गलत है। पाकिस्तान द्वारा की गई गलती का प्रतिशोध हिन्दुस्तान में इस गलती को न दुष्टरा कर ही सम्मत है।

१६. महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लगभग ५०० स्वयं सेवकों के सामने भंगी-कालोनी में भाषण किया। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म ने दुनिया के सब धर्मों की अच्छाइयां अपनाई हैं। यदि हम सोचेंगे कि हिन्दुस्तान में केवल हिन्दू ही वस सकते हैं अथवा अन्य धर्मावलम्बियों को उनका दास बनकर रहना द्वौगा तो हम हिन्दू धर्म की इत्या करेंगे। यही बात पाकिस्तान के लिए है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दुस्तानके दुकड़े हुए लेकिन यदि एक दुकड़ा बुराईमें पड़ता है तो क्या दूसरे दुकड़े को भी उसकी नकल करना आवश्यक है। आज हिन्दुस्तान के राष्ट्र का जहाज अशान्त लहरों में से गुजर रहा है। यदि हिन्दुओं की अधिक संख्या गलत दिशा की ओर ही जाना चाहती है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता लेकिन उन्हें चेतावनी देने का हक प्रत्येक व्यक्ति को है। ऐसा ही आज चह कर रहे हैं।

संघ के एक स्वयं सेवक ने उनसे पूछा कि हिन्दू धर्म आततायी की हिसा की हजाजत देता है अथवा नहीं। गांधी जी ने उत्तर दिया कि देता भी है और नहीं भी। एक आततायी स्वयं ही दूसरे आततायी को ढंड देने का अधिकारी नहीं।

१७. किशनगंज (दिल्ली) में भाषण देते हुए गांधीजी ने कहा कि भाई-भाई में लड़ाई द्वारा हिन्दुस्तान की बरबादी देखने के लिए वह जीवित नहीं रहना चाहते।

उन्होंने कहा कि जनतन्त्रों में व्यक्ति की इच्छा समाज की इच्छा से अनुशासित रहती है और समाज की इस इच्छा

का दूसरा नाम होता है—हक्कमत। यदि हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले ले तो हक्कमत सिट जाती है। हमारे देश में हसका अर्थ होगा स्वतन्त्रता की समाप्ति।

१८. गांधीजी ने कहा है कि वह पाकिस्तान जाकर सुसलमानों को बतायेंगे कि की गई गलतियों को सुधारना उनका कर्तव्य है। लेकिन वह तभी सफल हो सकेंगे जब कि पहले दिल्ली की स्थिति पूर्णतया सुधर जाय।
१९. कांग्रेस प्रधान द्वारा मनोनीत एक समिति ने, जिसमें कि सब प्रान्त-पति व मंत्री सदस्य हैं, यह सुमाव रखा है कि देश में समाज-वादी लोकराज की स्थापना के उद्देश्य से कांग्रेस को काम जारी रखना चाहिए।
२०. हिन्दुस्तान व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की कान्फ्रेन्स ने निश्चय किया है कि दोनों देश अल्प-संस्थयों को पूर्ण आश्वासन देंगे। शान्ति स्थापित करने की भरसक कोशिशें की जायंगी। गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में भाषण देते हुए कहा कि दोनों उपनिवेशों से अल्प-संस्थयों को निकाल देने का मतलब युद्ध और वरचादी होगी। आज छुछ सुसलमानों ने गांधीजी को अवैध अस्त्र सौप दिए।
२२. नई दिल्ली में एक प्रेस-कान्फ्रेन्स के सामने वक्तव्य देते हुए नवाजगर के जाम साहब ने कहा कि पाकिस्तान से मिलकर काठियावाड़ में जूनागढ़ उत्पात को जड़ रख रहा है। जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलने की घोषणा कर चुका है, हिन्दू जनता वहां से भाग रही है। भारत सरकार को चाहिए कि काठियावाड़ की रियासतों की सहायता करें।
२३. कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक विरला-हाऊस में गांधी जी के कमरे में हुई। कार्यकारिणी के विचार में दोनों उपनिवेशों की

जनता का अपने घर छोड़कर दूसरे उपनिवेशों में चले जाना ठीक नहीं है।

गांधीजी ने कहा है कि पश्चिमी पंजाब जाने के उनके कार्यक्रम में दिल्ली की परिस्थिति बाधा बन रही है।

२४. कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक वक्तव्य में कहा है कि सरकार अल्प संख्या नागरिकों के शहरी अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानती है।

२५. भारत सरकार ने एक वक्तव्य में कहा है कि जनता की राय लिये बिना जूनागढ़ का पाकिस्तान से मिला जाना भविष्य में संघर्ष का कारण बन सकता है। सरकार ने जूनागढ़ की जनता का भत जानने का सुझाव रखा है।

२६. सितम्बर को बनी जूनागढ़ की अस्थायी सरकार के प्रति जिसके नेता श्री समलदास गांधी हैं, काठियावाड़ की कुछ रियासतों ने राजभक्ति व्यक्त की।

३०. गृहमन्त्री 'सरदार पटेल' ने अमृतसर में भारी भीड़ के सामने भाषण देते हुए कहा कि बदले की अनियन्त्रित भावना को अब तोड़ना ही चाहिए। आपने अपील की कि पाकिस्तान को जा रहे मुसलमान शरणार्थियों पर प्रहार न किये जायें।

४० नेहरू ने किशनगंज (दिल्ली) में मजदूरों के सामने भाषण देते हुए कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली में मगढ़ा फिसाद फैलाया है उन्होंने देश को उतनी ही ज्ञाति पहुंचाई है जितनी कि पहले मुस्लिम लीगी पहुंचाते रहे हैं।

अक्टूबर १९४७

१. गांधीजीने प्रार्थना सभामें भाषण देते हुए कहा कि जिन लोगोंको देश का दुश्मन समझा जाता है उनसे व्यक्तिगत बदले लेकर हन्दुस्तान की जनता अपनी बरबादी पर छुद ही तुल गई है।

आरचित अत्यपसंख्यकों पर हमले का शरता की बात है और रुक जाने चाहिए।

२. आज देश-भर में गांधीजी का ७८वाँ जन्म दिन मनाया गया।
३. रामजस कालेज में कांग्रेसी व विद्यार्थी कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा कि हिन्दुस्तान का उद्देश्य लोकराज की स्थापना करना है। हमें फ़ासिज़म के लिए कोई जगह नहीं है। देश का भविष्य तभी उज्ज्वल रहेगा जब तक यहाँ की सरकार का किसी धर्म विशेष से लगाव व पक्षपात नहीं होगा।'
४. हिन्दुस्तान की जल, स्थल व आकाश को कुछ फ़ौजी ढुकड़ियाँ पोरबन्दर (काठियावाड़) पहुँची ताकि काठियावाड़ की रियासतों को उचित मात्रा में रक्षा का आश्वासन हो।
५. हिन्दू सरकार ने जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलने को अस्वीकार कर दिया है। उसने फिर मार्ग की है कि जूनागढ़ में इस प्रश्न पर जनमत लिया जाय।
६. पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने हिन्दू सरकार को लिखा है कि पूर्वी पंजाब व दूसरे प्रदेशों के मुसलमान शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है।
७. युक्तप्रांत की सरकार ने देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी भाषा को प्रांत की राजभाषा घोषित किया है। गांधी जी ने इस बात पर शोक प्रकट किया है। कि युक्तप्रांत में हिन्दी को राजभाषा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमानों से उचित व्यवहार करना है तो उदूँ का भी मान होना चाहिए।
८. आज पूना में महाराष्ट्र के वयोवृद्ध नेता पं० सौ० केळकर का देहान्त होगया।

१६. लखनऊ में भाषण देते हुए, पं० नेहरू ने कहा कि जो लोग वह संस्थाएं देश में डंगा-फसाद के लाती हैं वे देश की दुश्मन हैं। इससे देश की रघु-शान्ति पर तुरा असर पड़ रहा है। मिस्ट्र नोव्विकोव हिन्दुस्तान में रूप के राजदूत नियुक्त किये गए।
२१. आजाद-हिन्द-फौज के जनरल मोहन सिंह ने अमृतसर में देव-मेवक सेना की स्थापना की।
२३. हिन्दुस्तान ने यह फैसला किया है कि देनिक श्रावण्यकता के सामानों को काश्मीर पहुंचाने के लिए दिल्ली से श्रीनगर को हवाई जहाज भेजे जायें।
मेसूर में नहीं सरकार ने भविष्य-पद संभाल लिए।
२५. सशस्त्र कवायियों के काश्मीर में घुमने वह ढमला करने की खबरें आई हैं। केन्द्रीय भवित्वमंडल स्थिति पर विचार कर रहा है।
२६. कवायली आकमणकारी श्रीनगर से केवल ३० मील की दूरी पर रह गए हैं। शेख अब्दुल्ला और रियासत के मन्त्री श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे और केन्द्रीय सरकार से काश्मीर के लिए सहायता मांगी।
केन्द्रीय भवित्वमंडल कश्मीर की स्थितिके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाय, इस पर विचार कर रहा है।
जम्मू व काश्मीर की रियासत के राजा ने हिन्दुस्तान से मिलने की घोषणा करदी है। इस फैसले पर रियासत में शान्ति स्थापित होजाने पर जनता का मत भी लिया जायगा। शेख अब्दुल्ला रियासत में अन्तःकालीन सरकार बना रहे हैं।
हवाईजहाजों द्वारा हिन्दुस्तानी फौजें श्रीनगर भेज दी गई हैं।
शेख अब्दुल्ला ने एक वक्तव्य में कहा है कि शत्रुओं के विरुद्ध लड़ना हर काश्मीरी का पहला कर्तव्य है।

२६. मद्रास में जर्मांदारी प्रथा समाप्त कर देने की शर्तों की घोषणा कर दी गई है।
२७. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में कहा कि काश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार की दृष्टिकोण व सक्रियता ठीक है। काश्मीर का वचाव हिन्दू-मुसलमान एकता का एक नमूना है।
३१. सरदार पटेल का ७१ वां जन्म-दिवस मनाया गया। पाकिस्तान ने काश्मीर के हिन्दुस्तान से मिलने को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की अन्तःकालीन सरकार के प्रधान मंत्रि पद की शपथ ली।

नवम्बर १९४७

१. हिन्दुस्तानी फौजों ने मंगरोल और बवरियावाड (काठियावाड) पर कब्जा कर लिया है। अर्थ-मंत्री डाक्टर गोपीचन्द्र भार्गव ने पूर्वी पंजाब का पहला बड़ा प्रांतीय धारा-सभा में पेश किया।
२. सरकार ने घोषणा की है कि १५ नवम्बर को ४० करोड़ रुपए का १५ सालाना नया क्रर्जी लिया जायगा जिसके व्याज की दर दो दो तिशत होगी।
३. बारमूलामे कबायली हमलावरोंके अत्याचार की खबर आई है। हमारी फौजों ने पट्टन को शत्रुओं से खाली करवा लिया है। बडगाम से कबायलियों को निकाल दिया गया है। फौजी स्थिति को समझने के लिए सरदार पटेल और सरदार बलदेवसिंह श्रीनगर गये।
४. एक वक्तव्यमें गृहमन्त्री सरदार पटेलने कहा कि मुसलमान राज-भक्त नागरिकों को हिन्दुस्तानमें रक्षाका पूरा आश्वासन मिलेगा लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहते हैं उन्हें

- रोका नहीं जायगा ।
८. हिन्दुस्तानी फौजों ने बारामूला पर अधिकार कर लिया है । दिल्ली में हो रही एशियन रिजनल कान्फ्रेंस का अधिवेशन समाप्त हो गया ।
९. भारत सरकार ने जूनागढ़ का शासन अपने हाथों में ले लिया है । रियासत के दीवान सुट्रो द्वारा जूनागढ़ के नवाब का पत्र पाकर यह कार्रवाई की गई है ।
१०. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिन्दुस्तानके स्थानापन्न गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली । श्री राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल बनने पर पश्चिमी बंगाल के गवर्नर का पद श्री बी० एल० मित्तर ने संभाला ।
११. श्रीनगर में भाषण देते हुए पं० नेहरूने हिन्दुस्तान का काश्मीर के ग्राति दोस्ती का बायदा दुहराया और सब तरह की सहायता का आश्वासन दिया । सहायता की मांग पर हिन्दुस्तानी फौजें त्रिपुरा रियासत में पहुंच गई हैं, ताकि यह रियासत पड़ोसी पाकिस्तानी प्रदेशों से अनधिकार प्रवेश करने वालों से सुरक्षित रहे ।
१२. पं० नेहरू ने बारामूला में भाषण देते हुए कहा कि हमलावरों को काश्मीर से ब्रिटिश निकाल दिया जायगा । हिन्दुस्तानी फौजों ने काश्मीरमें महुरा पर कब्जा कर लिया है ।
१३. रेडियो पर कुरुक्षेत्र के शरणार्थीयों के नाम भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि वे इस बात की भरसक कोशिश करेंगे कि सब हिन्दू, सिख व मुसलमान शरणार्थी हज़ार व सुरक्षा के भावों के साथ अपने-अपने घरों को लौट जायें ।
१४. पंडित नेहरू का १९ वां जन्म-दिन मनाया गया । भारतीय फौजों ने उरी पर अधिकार कर लिया है ।

१४. इंडिया हाउस लंडन में पं० नेहरू के चित्र का उद्घाटन करते हुए लार्ड माडंट वेटन ने कहा कि पिछले दंगों ने देश के कुल ३ प्रतिशत हिस्से को प्रभावित किया जब कि ६७ प्रतिशत भाग शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रहा है।
१५. नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन शुरू हुआ। प्रधान आचार्य कृपलानी ने स्तोफा दे दिया है क्योंकि वर्तमान सरकार और कांग्रेस के प्रधान में क्या सम्बन्ध व सम्पर्क रहे, इसकी कोई निर्धारित नीति नहीं है।
१६. एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस समिति ने देशी नरेशों से अपील की है कि वे रियासतों का ग्रासन लोकराज के उस्तुलों पर चलाएं। समिति ने साम्राज्यिक मंस्थाओं और व्यक्तिगत सेनाओं के अस्तित्व पर भी विरोध प्रकट किया है।
१७. राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के नए प्रधान चुने गए हैं। कांग्रेस समिति ने सरकारी नियन्त्रणों के शीघ्र हटाए जाने का सुझाव पेश किया है। केन्द्रीय धारा-सभा के रूप में विधान परिषद् का पहला अधिवेशन शुरू हुआ। श्री मालवंकर धारा सभा के प्रधान चुने गए।
२०. केन्द्रीय धारा-सभा में आजाद भारत का पहला रेलवे बजट यातायात मन्त्री डाक्टर जान मथाई ने पेश किया। रेलवे की सब श्रेणियों के किराए बढ़ा दिये गए हैं।
२१. अर्थ मन्त्री पण्मुखम् चेट्टी ने धारा-सभा से इंडस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन बिल, जिससे हिन्दुस्तान के विविध उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी, पेश किया।
२२. लार्ड माडंट वेटन हिन्दुस्तान लौट आए।
२३. धारा-सभा में अर्थ मन्त्री पण्मुखम् चेट्टी ने पहला अल्प-कालीन बजट पेश किया जो १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९४८ तक के लिए है।

हिन्दुस्तानी फौजों ने कोटली पर कट्टा कर लिया है।

भारत सरकार ने फैसला किया है कि चीनी पर से नियन्त्रण उठा लिया जाय। तारीख की घोषणा बाद में होगी।

२७. भारत सरकार ने नैशनल कैडेट कोर की योजना स्वीकार कर ली है। इसके अनुसार विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों को फौजी शिक्षा दी जायगी।

२८. अलवर के प्रजा-मण्डल ने महाराज द्वारा प्रस्तावित सुधार योजना को रद्द कर दिया।

निजाम हैदराबाद ने एक वर्ष के लिए यथापूर्व समझौते (स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट) पर दस्तखत कर दिए हैं। रचा, यातायात व विदेशी मामलों में हैदराबाद की स्थिति दूसरी रियासतों की-सी होगी लेकिन वह विधान-परिषद् में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगा।

२९. हैदराबाद में भीर जायक अज्ञी ने नया अन्तःकालीन मन्त्र-मण्डल बनाया।

३०. नवाब भोपाल ने रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा की। वयस्क मर्यादाकार के सिद्धांत पर विधान-परिषद् के चुनाव होंगे। धर्मभेद पर अलग-अलग चुनाव की पद्धति समाप्त कर दी गई है। नवाब द्वारा स्वीकृति पाने पर ही विधान-परिषद् के निर्णय लागू हो सकेंगे।

दिसंबर १९४७

४. पंडित नेहरू ने केन्द्रीय धारा-सभा में भारत की विदेशिक नीति की विवेचना की। उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान हुनिया की परस्पर-विरोधी ताकतों में से किसी से भी गुटबन्दी नहीं करेगा।

५. गांधीजी ने प्रार्थना सभा में कहा कि उन्हे आशा है कि कपड़े और अनाज पर से नियन्त्रण शीघ्र उठा लिया जायगा।

६. गांधीजी ने प्रार्थना-सभा में धोपण देते हुए कहा कि वह तब तक चैन से न बैठेंगे जब तक कि सभी हिन्दू, सिख और मुसलमान शरणार्थी अपने घरों को नहीं लौट जाते ।
७. महाराजा बीकानेर ने रियासत में वैधानिक सुधारों की धोपण की । अन्तःकालीन मन्त्रिमण्डल में ४ लोकप्रिय मन्त्री होंगे । दो वर्ष बाद प्रजा को उत्तरदायी शासन सौंपा जायगा ।
८. जालन्धर में भाई परमानन्द, हिन्दुओं के प्रमुख साम्प्रदायिक नेता, की मृत्यु हो गई ।
९. गृहमंत्री सरदार पटेल ने केन्द्रीय धारा-सभा में बताया कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ने जो-जो फ़राड़े समझौता समिति के सामने पेश किए थे वे समिति के बाहर ही निपटा लिये गए हैं । अब फ़राड़ों के सामले वापिस ले लिये जायंगे ।
१०. खाद्य-मन्त्री राजेन्द्र बाबू ने खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी नीति की वोषणा की । नियन्त्रण धीरे-धीरे हटाया जायगा । केन्द्र में अनाज के भरणार जमा किये जायंगे, प्रांतों और रियासतों को अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार नियंत्रण करने की स्वतन्त्रता होगी ।
पूर्वी पंजाब में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना सम्बन्धी कानून को गवर्नर की स्वीकृति मिल गई है ।
श्री चिमनलाल सीतलवाद की बम्बई में मृत्यु हो गई । आप प्रमुख उदार दलीय नेताओं में से एक थे ।
१२. सरदार पटेल ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में हुए अर्थ समझौते के सम्बन्ध में धारा सभा में धोपण की । रिजर्व बैंक की ४०० करोड़ की बाकी में से पाकिस्तान को ७५ करोड़ मिलेगा । अविभाजित भारत के ऋण के १७ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा । पाकिस्तान ५० किश्तों में

हिन्दुस्तान का ऋण चुकाएगा—किशत की पहली अदायगी १५ अगस्त १९५१ में होगी। गोला बालू बनाने के सब कारखाने हिन्दुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान को एवज में ६ करोड़ रुपया मिलेगा। यह रकम भी ऋण में जमा होगी।

केन्द्रीय धारा सभा का पहला अधिवेशन खत्म हो गया। २१ बैठकें हुईं। सरकारी विलों में से २३ पास किये गए, ५ सिलेक्ट कमेटियों को भेजे गए और १ को जनता का मत जानने के लिए प्रचारित किया गया। धारा-सभा के कुल सदस्य २६१ हैं। अधिवेशनों में १२६ से १७४ तक सदस्य प्रतिदिन आते रहे।

१३. १० नेहरू ने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उत्सव पर भाषण देते हुए कहा कि हमारा इरादा एक पेसा सज्जबूत, स्वतन्त्र और जनतन्त्री हिन्दुस्तान बनानेका है जहाँ प्रत्येक नागरिकको बराबर का स्थान और उन्नति व सेवा का पूरा अवसर मिले, जहाँ आज की धन और मानकी विषमताएं मिट चुकी होंगी, जहाँ कि हमारी मौलिक प्रेरणाएं सृजनात्मक प्रयासों में रत रहेंगी।

१४. हैदराबाद में स्वतन्त्रता-आनंदोलन का सूत्रपात करते हुए स्वामी रामानन्द तोर्थ ने कहा कि रियासत के फासिस्ट शासन को तोड़ देना चाहिए।

१५. ऐसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्सके वार्षिक अधिवेशनमें भाषण करते हुए १० नेहरू ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था का मूल जनता की वेहतरी है। शहरों व गाँवों की आर्थिक व्यवस्था की वेहतरी के उद्देश्य से पूँजीबाद व समाजबाद में सन्तुलन रखने की कोशिश की जायगी।

उद्योग मन्त्री मुकर्जी ने नई दिल्ली में इंडस्ट्रीज कान्फ्रैंस को प्रारम्भ किया। इस सभा में सब प्रान्तों, रियासतों, ज्यापार व मजदूर-हितों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

१६. उडीसा व छत्तीसगढ़ की रियासतों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता को क्रमशः उडीसा व मध्यप्रांत के अन्तर्गत कर देने के निश्चय की घोषणा की है।
१७. दिल्ली में हो रही इन्डस्ट्रीज़ कांफ्रेन्स ने देश के हित का ख्याल रखते हुए पूजीपतियों व मजदूरों में शौधोगिक ज्ञेन्स में ३ वर्ष शान्ति रखने का प्रस्ताव पास किया।
२१. हिन्दुस्तान में रूस के पहले राजदूत एम० नोविकोव हवाई जहाज से दिल्ली पहुँचे।
२२. रक्षा-मन्त्री मरदार बलदेवसिंह ने दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेस में वक्तव्य देते हुए कहा कि १ अप्रैल १९४८ तक हिन्दुस्तानी कौज का राष्ट्रीयकरण हो चुकेगा। केवल २०० से ३०० तक अप्रेज अफसर, मुख्यतया सलाहकारों की हैसियत में बाकी रह जायेगे।
राजेन्द्र बाबू ने कांग्रेस के प्रधान का पद संभाल लिया। श्री कै०एन० मुन्शी हैदराबाद में हिन्दुस्तान के दूत नियत किये गए। हैदराबाद ने अपनी सीमा में हिन्दुस्तानी रूपये की मुद्रा के चलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
२५. गांधीजी ने काश्मीर का मामला किसी विदेश को सौपने के विषय में अस्वीकृति प्रदर्शित की है।
२६. श्रीलालगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइसचान्सलर डॉकटर जियाउद्दीन अहमद की मृत्यु हो गई।
३०. हिन्दुस्तान की सरकार ने काश्मीर के मामले को यू० एन० ओ० (राष्ट्र संघ) में भेजने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पर अभियोग लगाया गया है कि वह हिन्दुस्तान के चिरुद्ध अधोषित युद्ध चला रहा है। इस अभियोग की सूचना बिटेन के प्रधान मंत्री को दे दी गई है।

३१. हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि परस्पर फैसले के अनुसार जो ४५ करोड़ लोगों की रकम पाकिस्तान के हिस्से में आई थी हिन्दुस्तान की हिदायतों के अनुसार रिज़र्व बैंक वह रकम अब उसे नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के विरुद्ध काश्मीर में लड़ाई कर रहा है।
कांग्रेस का प्रधान पद संभाल लेनेके बाद राजेन्द्र बाबू ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से स्तोफा दे दिया। विहार के गवर्नर श्री जयराम-दास दौलतराम ने खाद्य-मंत्री का स्थान ले लिया है। श्री अण्णे विहार के नए गवर्नर बने।

जनवरी १९४८

२. पंडित नेहरू ने नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस के सामने चक्कतब्य देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कवायली हमलावरों ने पाकिस्तान में जो अहु बनाए हुए हैं हिन्दुस्तान उन पर भी हमला कर सकता है।
३. राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान के स्थायी दूत डाक्टर पी० पी० पिल्लइ ने पाकिस्तान के विरुद्ध काश्मीर पर हमला करने वालोंकी सहायता का अभियोग सुरक्षा समिति में पेश कर दिया।
४. आज वर्मा ने विद्युत साम्राज्य से स्वतन्त्रता पाई। गांधीजी ने अपनी प्रार्थना-सभा में कहा कि काश्मीर को हमलावरों से सुकर कराना हिन्दुस्तान का कर्तव्य है। लेकिन हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध का अर्थ होगा कि दोनों देश किसी विदेशी सत्ता के प्रभाव में आ जायें।
५. काश्मीर सम्बन्धी मामला पेश होने पर सुरक्षा समितिमें भारत का प्रतिनिधित्व यह लोग करेंगे: श्री गोपालास्वामी आयंगार, श्री एम० सी० सीतलबाद, कर्नज बी० कौल, श्री पी० एन० रक्सर।

६. सरदार पटेल ने लखनऊ में एक बड़ी भीड़ के सामने बोलते हुए कहा कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान से शान्ति चाहता है लेकिन यदि पाकिस्तान लड़ाई ही लेना चाहता है तो हिन्दुस्तान उसके लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चार महीनों से पंजाब में गन्दगी धो रहे हैं। हमें यदि अब गंदगी धोनी पड़ी तो फिर लाहौर और स्यालकोट में जाकर धोएंगे। राष्ट्रीय स्वर्य सेवक संघ के विषय में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग शासन में हैं उन्हे चाहिए कि संघियों से दूसरा ही व्यवहार करें और अपनी ताकत और ‘आर्डिनेसेंस’ पर निर्भर न रहें। “आखिर वह स्वार्थमय उद्देश्यों से तो काम नहीं कर रहे हैं” — उन्होंने कहा — “कांग्रेसियों का यह कर्तव्य है कि उन्हें जीतें, न कि यह कि उन्हें दबाएं।” (हिन्दुस्तान टाइम्स)

दचिण की १६ रियासतों ने बम्बई के अन्तर्गत हो जाना स्वीकार कर लिया है।

निजाम हैदराबाद ने पाकिस्तान को २५ करोड़ रुपए का कर्जा दिया है।

७. घोपणा की गई है कि शेख अब्दुल्ला भी हिन्दुस्तान की ओर से राष्ट्र-संघ में पेश होंगे।

८. कराची में बड़े पैमाने पर हिन्दुओं की दुकानें व सम्पत्ति लूटी गईं।

कराची के अर्थ मन्त्री गुलाम सुहम्मद ने कहा कि हिन्दुस्तान द्वारा ५५ करोड़ रुपए की रकम को रोकना “राजनैतिक देंगी-वाजी” के समान है, आर्थिक समझौते में काश्मीर का जिक्र तक भी नहीं था।

गांधीजी ने प्रार्थना सभा में कहा कि उनसे पूछा जाता है कि वह अपने कहे अनुसार पाकिस्तान क्यों नहीं जाते। उन्होंने कहा

कि वहां जाने से पहले हिन्दुस्तान की परिस्थिति पूर्णतया ठोक होनी चाहिए।

१०. पटियाला नरेश ने अपने जन्मोऽसव पर रियासत में राजनैतिक सुधारों की घोषणा की। धर्म भेद पर अलहदा-अलहदा चुनाव पद्धति हटा दी गई है और हर वयस्फ को मताधिकार प्राप्त होगा। धारा-सभा में कम से-कम ७५ प्रतिशत लोग चुनाव से आयंगे। यह धारा-सभा जनवरी १९४६ तक स्थापित होगी। हिन्दुस्तान के स्टॉलिंग पावने के विषय में आज नई दिल्ली में बातचीत शुरू हुई।
११. नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रैंस में गृह मन्त्री सरदार पटेल और अर्थ मंत्री चेट्टी ने घोषणा की कि आर्थिक और काश्मीर सम्बन्धी समझौते एक साथ चलेंगे। यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान लडे भी और हिन्दुस्तान से पैसा भी पाता जाय। काश्मीर महाराजा ने रियासत में उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। शेष अब्दुल्ला प्रधान मन्त्री का पद संभालेंगे।
- गुजरात में हिन्दुओं व सिखों की एक शरणार्थी गाड़ी पर हमला किया गया। १००० से भी अधिक पीडित हताहत हुए। सैकड़ों औरतें भगाई गईं।
१२. आज नई दिल्ली में मंगलवारको ११ बजकर १२ मिनट पर गांधी जी ने हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमानों में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रत शुरू कर दिया। यह ब्रत तब दूटेगा जब कि दिल्ली के मुसलमान अपने को सुरक्षित समझने लगेंगे।

गांधीजी का अमूल्य जीवन बचाने के लिए दिल्ली में शान्ति

स्थापना का आनंदोलन चल उठा है। कहीं शरणार्थियों और कांग्रेस स्वयंसेवकों में मडपे भी हुईं।

देश-भर के नेताओं ने गांधीजी का जीवन बचाने के लिए जनता से अपील की है। अपील में कहा गया है कि निरपश्च मुसलमानों को जनता देश का नगारिक समझे।

१५. पाकिस्तान के प्रति अपना सदृश्य प्रकट करने के लिए हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपए देनेकी घोषणा की और शाश्वत प्रकट की कि दोनों देशों में भगवे की जो भी बातें व कारण शेष हैं वह अब मिट जायेंगे।

पं० नेहरू ने रामलीला मैदान में भाषण देते हुए कहा कि गांधीजी इस युग की सबसे बड़ी आत्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। उन का व्रत हमें चेतावनी देता है कि हम इस रास्ते से चूक गए हैं। पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गाँधीजी की जीवन-रचा की हुहर्दै के नाम पर शांति स्थापित करने की अपीलें हो रही हैं। दिल्ली में शान्ति स्थापना के उद्देश्य से जलूस निकले। गृहमन्त्री पटेल भावनगर पहुँचे। भावनगर के नरेश ने रियासत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की घोषणा की।

१७. गांधीजी के व्रत का पांचवां दिन। गांधीजी ने दिल्ली में शांति स्थापना की सात शर्तें रखीं जिनके पूरे होने का आश्वासन पाने पर ही वह व्रत तोड़ सकते हैं। वह हैं खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की कब पर मुसलमानों को उस लगाने की सुविधाएं हों, मस्तिष्ठाने साली कर दी जाएं, मुसलमानों को दिल्ली के सब गली कूचों में अभय होकर धूम सकने का आश्वासन हो, गाड़ियों में वह सुरक्षित हो, उनका आर्थिक असहयोग न हो, वह गैर-मुसलमानों को अपने बीच बसाने या न बसाने में आजाद हो और जो मुसलमान दिल्ली से चले गए हैं उन्हें दिल्ली लौट आने की स्वतन्त्रता हो।

१८. व्रत के द्वें दिन दिल्ली के नागरिकों के प्रतिनिधियों ने गांधीजी को विश्वास दिलाया कि वह उनकी सातों शतों के पूरे किये जाने का उत्तरदायित्व लेते हैं। एक शान्ति-विषयक समिति बनाई गई है।
गांधीजी ने उपवास खोल दिया।
काठियावाड़ की रियासतों ने 'सौराष्ट्र' नाम का रियासती संघ बनाने का निश्चय किया है।
२०. गांधीजी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं लेकिन वहां तभी जा सकते हैं जब कि पाकिस्तान की सरकार को यह विश्वास हो कि वह केवल शान्ति के इच्छुक हैं और मुसलमानों के प्रति मित्र भाव रखते हैं।
गांधीजी की प्रार्थना-सभा में मदन लाल नायक के एक युवक ने बम फेंका। गांधीजी व प्रार्थना सभा के शेष लोग किंचिद् भी विचलित नहीं हुए।
राष्ट्र-संघ ने काश्मीर की गुरुत्वी सुलझाने के लिए तीन सदस्यों का एक कमीशन बनाने का निश्चय किया है। हिन्दुस्तान, और पाकिस्तान दोनों एक-एक सदस्य मनोनीत करेंगे—तीसरा सदस्य ऐसा होगा जिसे दोनों देशों की स्वीकृति प्राप्त हो जाए।
२१. गांधीजी ने प्रार्थना सभा में कहा कि हिन्दू धर्म की रक्षा उनके बताए हुए रास्ते से ही सम्भव है। जिस व्यक्ति ने बम फेंका है उस पर तरस खाना चाहिए।
ग्वालियर नरेश ने रियासत में जोकप्रिय अन्तःकालीन सरकार बनाने के निश्चय की घोषणा की है। इस सम्बन्ध में नरेश व कांग्रेसी प्रतिनिधियों में समझौता हो गया है।
२३. काठियावाड़ के नरेश ने 'सौराष्ट्र' नाम की रियासती-इकाई बनाने के फैसले पर दस्तखत कर दिए।
प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने "नैशनल रिलीफ फण्ड" शुरू किया।
- २४.

२६. हैदराबाद की अन्तःकालीन सरकारसे कांग्रेसी प्रतिनिधि श्री जी. रामाचारी ने त्यागपत्र दे दिया ।
२७. महरौली के पास खाजा वखितयार का उस मनाया गया । गांधी जी उसे देखने गए । अखिल भारतीय कांग्रेस मिशन द्वारा मनोनीत आर्थिक कार्य-क्रम मिशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस प्रधान के सामने प्रस्तुत कर दी है ।
२८. आज शुक्रवार शाम को जब गांधीजी प्रार्थना-सभा की ओर जारहे थे, एक मरहठे ब्राह्मण ने पिस्तौल से तीन गोलियाँ चला कर उनकी हत्या कर दी । हाथ जोड़ कर जैसे जमा दान देते हुए, मुख से 'हे राम हे राम' हुहरा कर, अनन्त शान्तिधारण किये हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए और उनको भौतिक लीला समाप्त हुई । हत्यारा ब्राह्मण पकड़ लिया गया । उसका नाम नाथूराम विनायक गोडसे है ।
२९. विश्वनन्द वापू की हत्या के समाचार ने समस्त संसार को आनंदोक्ति कर दिया है । देश-विदेश की आम जनता अपने को असहाय जानकर हुख मना रही है । भौतिक शरीर का दाह कर्म जमुना नदी के किनारे राजघाट पर हुआ । लाखों लोगों ने शान्ति, सत्य और न्याय के युग-अवतार को अदांजलि भेट की । राष्ट्र-संघ में लहरा रहे भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सब झंडे तीन दिन के लिए मुका दिये गए । गांधीजी के निधन पर दुनिया के शोक का एक नमूना—

क्रांस के समाजवादी नेता लीओ ड्लुम ने अपने दल के पत्र “ला पापुलेयर” मे “ब्रह्मांड रो रहा है” नाम के शीर्षक से एक सम्पादकीय लेख लिखा है—“मैंने गांधी को कभी नहीं देखा। मैं उसकी बोली नहीं समझता। मैंने कभी उसके देश में पैर नहीं रखा, लेकिन इसके बाबजूद भी मैं ऐसा दुःख मना रहा हूँ जैसे मैंने अपना कोई बहुत व्यारा और निकट का ही व्यक्ति खो दिया हो।”

इस अनोखे व्यक्ति की मृत्यु पर सारा संसार शोकग्रस्त है।

देश के कई शहरों में जनता ने हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर हमले किए।

फरवरी १९४८

१. दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिन्दू महासभा से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के घरों पर जनता ने हमले किए। गृहमन्त्री सरदार पटेल ने एक वक्तव्य में उन “गुमराह” व्यक्तियों की भर्त्सना की है जिन्होंने संघियों व सभाह्यों पर बम्बई, कोल्हा पुर व दिल्ली में हमले करके “गुंडागर्दी” का प्रदर्शन किया है। देश के कोने-कोने से गांधीजी की हत्या के शोक समाचार से दुखित और जुद्ध व्यक्तियों की आकस्मिक मृत्यु के समाचार आ रहे हैं। जगह-जगह हिन्दू सभा की शाखाएं टूट रही हैं। गांधी जी का अन्तिम लेख ‘हरिजन’ में छपा है। “कांग्रेस ने राजनैतिक आजादी तो प्राप्त करकी है परन्तु अभी आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी व नैतिक आजादी प्राप्त करना बाकी है। इन स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति राजनैतिक स्वतन्त्रता से अधिक कठिन है, क्योंकि यह अधिक रचनात्मक, कम सनसनीखेज और कम प्रदर्शनीय हैं”।
२. हिन्दुस्तान की सरकार ने दो प्रस्ताव पास करके आज्ञा दी है

कि किसी भी संस्था को जो राजनीति में साम्राज्यिकता अथवा हिंसा का प्रचार करती हो, सहन नहीं किया जायगा। व्यक्तिगत फौजें तोड़ दी जायेंगी।

केन्द्रीय धारा सभा ने बापू के प्रति श्रद्धांजलि अपिंत की।

भारत के बड़े-बड़े श्रीधरिकों ने कांग्रेस के आधिक कार्यक्रम के प्रति विरोध प्रदर्शित किया है।

४. भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। गृह विभाग (गृहमंत्री : पटेल) की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि “संघ के सदस्य अवांछनीय और खतरनाक कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। यह भी देखा गया है कि देशके कहीं हिस्सोंमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कितने ही सदस्य आग लगाने, लूट, डाकाजनी और हत्या के जघन्य कार्य करते रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर अस्त्र-शस्त्र इकट्ठा करते रहे हैं।” केन्द्रीय धारा सभा में गृह मन्त्री पटेल ने कहा कि उनके और पं० नेहरू के बीच मतभेद की जो कहानियाँ प्रचलित हो रही हैं उनमें जरा भी तथ्य नहीं है।

५. संघ व सभा के बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गए हैं। इनमें सभा के प्रधान सावरकर भी है।

कांग्रेस कार्यकारिणी ने निश्चय किया है कि गांधी स्मृति फँड छूटकट्ठा किया जाय। सब देशवासी दस-दस दिन की अपनी आय इस फँड में चन्दे के रूप में दें।

६. राष्ट्र संघ में काश्मीर के मामले पर शेख मुहम्मद अब्दुला का भाषण हुआ।

७. महाराजा अलवर को और रियासत के प्रधान मंत्री डाक्टर एन० बी० खेर को रियासत से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। रियासत पर आरोप है कि वहाँ संघ की कार्रवाइयों को नरेश की सहायता प्राप्त थी।

८. केन्द्रीय सरकार ने मुस्लिम लीग नैशनल गार्ड्स और खाकसारों की संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। नौशेरा में हिन्दुस्तानी फौज ने ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में महान् विजय पाई। २००० से ऊपर कवायली मारे गए। नेपाल में वैधानिक सुधारों की घोषणा की गई है।
१०. लोका ने उपनिवेश पद पाया।
११. गांधीजी की अस्थियां लेकर एक स्पेशल गाड़ी दिल्ली से अलाहाबाद गई।
१२. हिन्दुस्तान अथवा पाकिस्तान से मिलने के प्रश्न पर जूनागढ़ में मतगणना शुरू हुई। हिमालय से कन्याकुमारी तक गांधीजी की अस्थियां देश की प्रत्येक पवित्र नदी, तालाब, झील व संगम में प्रवाहित की गईं। केन्द्रीय धारा सभा ने दामोदर वैली कारपोरेशन विल पर बहस की।
१४. सौराष्ट्र संघ का आरम्भ गृह-मन्त्री पटेल के हाथों हुआ। हिन्दू महासभा ने नई दिल्ली के अधिवेशन में फैसला किया कि वह अब राजनैतिक कार्रवाहियों में भाग नहीं लेगी।
१६. केन्द्रीय धारा सभा में यातायात मन्त्री श्री मथाई ने रेलवे बजट पेश किया।
१७. धारा सभा में पं नेहरू ने सरकार की आौद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण किया।
१८. काठियावाड़ की कुछ रियासतों की मत गणना का परिणाम आज सुना दिया गया। ३१३६५ मत हिन्दुस्तान के पक्ष में और ३६ पाकिस्तान के पक्ष में आए।
२१. नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन शुरू हुआ। समिति ने जनतन्त्री राज्य की स्थापना का समर्थन

किया ।

२२. कांग्रेस समिति ने कांग्रेस का नया विधान स्वीकार कर लिया ।
२४. जूनागढ़ की मत गणना का परिणाम आज सुनाया गया । हिन्दू-स्तान के पक्ष में मतों की संख्या १६०, ७७६ । पाकिस्तान के पक्ष में ६१ ।
२५. भारतीय विधान का ममविदा आज प्रकाशित हुआ । युक्त प्रांत की धारा सभा में अवध व अलाहाबाद की हाईकोर्ट को एक करने का वित्त पास हो गया ।
२६. ग्वालियर और इन्दौर की रियासतों ने मध्य भारत (मालवा) संघ में मिलना स्वीकार कर लिया है ।
२८. केन्द्रीय धारा सभा में अर्थ मन्त्री चेट्टी ने वजट पेश किया । मत्स्य संघ बनाने का फैसला हुआ । इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल होगे ।
२९. पटियाला की प्रजा ने महाराजा द्वारा प्रस्तावित सुधार योजना को रद्द कर दिया ।

मार्च १९४८

४. हिन्दू महासभा के प्रमुख कार्यकर्ता डाक्टर बी० एस० मूंजे का नासिक में देहांत हो गया ।
५. काशीर में लोकश्रिय सरकार की स्थापना हो गई । मद्रास में कम्यूनिस्ट पार्टी गैर कानूनी घोषित कर दी गई ।
६. कलकत्ता में कम्यूनिस्ट पार्टी की कांग्रेस ने पार्टी का नया मन्त्री चुना—श्री बी० टी० रानादिव ।
८. धारा सभा में विदेशिक नीति पर बोलते हुए पं० नेहरू ने कहा कि भारत |दुनिया की किसी भी गठबन्दी में शामिल नहीं होगा । पंजाब की पहाड़ी रियासतों की हिमाचल प्रदेश के नाम से एक

रियासती इकाई बना ली गई है जिस पर केन्द्रीय सरकार का शासन रहेगा ।

६. जस्टिस राजाध्यक्ष ने रेलवे में भजदूरों के झगड़ों पर अपना फैसला प्रकाशित कर दिया ।

अल्लवर महाराज को अपनी रियासत में लौटने की इजाजत मिल गई ।

हैदराबाद के इत्तहादुलमुख्यमंत्रीन के नेता रजुबी ने कहा कि रियासत में कोई भतगणना नहीं होगी । हमें लोकराज में कोई विश्वास नहीं है ।

१०. मद्रास में मुस्लिम लीग कॉसिल का एक अधिकेशन हुआ जिस में फैसला किया गया कि लीग एक अराजनैतिक संस्था के रूप में हिन्दुस्तान में बनी रहेगी ।

पंजाब धारा सभा के अकाली सदस्य कांग्रेस-दल में मिल गए ।

१३. बुन्देलखण्ड व बद्रेलखण्ड की रियामतों ने, जिनमें रेवा भी शामिल है, मिलकर एक रियासती संघ बना लेने का फैसला किया है ।

१४. हिन्दुस्तान में बना पहला जहाज 'जल उपा' पं० नेहरू द्वारा जलाविष्ट हुआ ।

वर्धा में गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन शुरू हुआ । सर्वोदय समाज की स्थापना की गई ।

१८. पूर्वी पंजाब की धारा सभा की सिल पंथिक पार्टी तोड़ दी गई है और सदस्यों ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

हिन्दुस्तान की फौजों ने झंगर पर कछा कर लिया है ।

२०. जमीयत उल उलेसा ने फैसला किया है कि अब वह संस्था राजनीति में हिस्सा नहीं लेगी । इसने मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की है ।

गुजरात की १५ रियासतों ने घस्त्रहृ से मिल जाने का निश्चय किया है।

हिन्दुस्तान से आसाम को मिलाने वाली नई सड़क खोल दी गई है।

समाजवादियों ने नासिक में हो रहे सम्मेलन में फैसला किया है कि समाजवादी दल के सब सदस्य १५ अप्रैल तक कांग्रेस की सदस्यता से स्तीफा दे देंगे।

- २४. ब्रावनकोर में लोकप्रिय अन्तःकालीन सरकार बनी।
- २६. पश्चिमी घंगाल में कम्यूनिस्ट पार्टी को गैर—कानूनी घोषित कर दिया गया है। राजस्थान रियासती संघ का उद्घाटन श्री एन० वी० गेडिगिल के हाथों हुआ। ६ रियासतें हम संघ में मिली हैं।
- २७. दंचो ने पूर्वी व पश्चिमी पंजाब के विभाजन सम्बन्धित ३३ झगड़ों का फैसला सुना दिया है। पंजाब के विभाजन में पूर्वी पंजाब का हिस्सा ४० प्रतिशत रखा गया है। अधिकाल भारतीय मोमिन कान्फ्रेंस ने पटना अधिनेशन में फैसला किया है कि अब वह देश की राजनीति में भाग नहीं लेगी।
- २८. “नेशनल कैडेट कोर” के संगठन के उद्देश्य से रक्षा मन्त्री सर-दार बलदेवसिंह जी ने केन्द्रीय धारा सभा में एक विल पेश किया।
- समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने प० नेहरू की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का समर्थन किया।
- ३१. नई दिल्ली में प० नेहरू ने सेनाश्वरों के जन-प्रदर्शन का (टैट्रों का) उद्घाटन किया।
- निजाम मरकार ने पाकिस्तान से प्रार्थना की है कि जब तक हिन्दुस्तान से यथापूर्व समझौते की अवधि समाप्त नहीं हो

जाती वह कर्जे की सिक्युरिटियां न सुनाए। पाकिस्तान ने ऐसा करना मान लिया है।

अप्रैल १९४८

१. उदयपुर ने राजपूताना के रियासती संघ में मिलना स्वीकार कर लिया।
२. कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई। ११७ गिरफ्तारियां हुईं।
३. हिन्दुस्तान की राजनीति में साम्राज्यिकता को अवैध ठहराने का गैर सरकारी प्रस्ताव केन्द्रीय धारा सभा में पास हो गया।
४. श्री गैडगिल ने विन्ध्या-प्रदेश रियासती संघ का उद्घाटन किया। रेवा के नरेश राजप्रमुख बने हैं।
५. आसाम में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। मिस्टर भाबा ने व्यापार मन्त्री के पद से स्तीफा दे दिया। अब यह पद श्री गैडगिल संभालेगे।
६. अर्थ मन्त्री द्वारा प्रस्तुत एस्टेट ड्यूटी सम्बन्धी बिल विशिष्ट कमेटी को सौंप दिया गया है। कई सदस्यों ने इसकी समालोचना करते हुए कहा कि हिन्दू परिवार पद्धति के लिए यह घातक सिद्ध होगा।
७. केन्द्रीय धारा सभा का अधिवेशन खत्म हो गया। हिन्दू कोड बिल एक विशिष्ट समिति (सिलेक्ट कमेटी) को सौंप दिया गया है।
८. कलकत्ता में सरकारी दफ्तरों की हड़ताल समाप्त हो रही है।
९. बड़ौदा नरेश ने रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा की।
१०. नेहरू ने उडीसा में महानदी पर हीराकुड बांध की नींव रखी।
११. हिन्दुस्तानी फौजों ने जम्मू प्रांत में राजौरी पर कब्जा कर लिया।
१२. डॉक्टर अम्बेदकर ने ग्रस्ताव रखा कि हिन्दुस्तान के नाम के

आगे रिपब्लिक की जगह "स्टेट" शब्द का प्रयोग हो। यह परिवर्तन हिन्दुस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य के सम्बन्धों की तरफ इशारा करता है।

१३. पं० नेहरू ने भुवनेश्वर में उड़ीसा की नई राजधानी की नींव रखी।
२०. हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्र संघ में काश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया और हिन्दुस्तान की ओर से उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
२१. मध्य भारत में ग्वालियर, इन्दौर व २० दूसरी रियासतों ने मिलकर मध्य भारत संघ बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।
२२. राष्ट्र संघ ने काश्मीर के प्रश्न पर अपना प्रस्ताव पास कर दिया। इसके अनुसार एक कमीशन हिन्दुस्तान भेजा जायगा जो कि काश्मीर के प्रश्न की मौका पर जांच पड़ताल करेगा।
२५. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसमें कांग्रेस का नया विधान स्वीकृत किया गया।
२७. हैदराबादी पुलिस, फैज और रजाकारों द्वारा हिन्दुस्तानी सीमा पर हमला की खबरें प्रतिदिन आ रही हैं। हिन्दुस्तान की खाद्य स्थिति पर चिचार करने के लिए सब प्रांतों व रियासतों के प्रधान-मन्त्रियों व खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ।
२८. हैदराबाद की धारा सभा में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री लायक अली ने कहा कि निजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। महाराजा अलवर को संघ की कार्रवाईयों में हिस्सा लेने के अभियोग में निरपराध पाया गया है। प्रधान मन्त्री डाक्टर खरे के विरुद्ध जांच जारी है।

३०. भोपाल रियासत में वैधानिक सुधारों की घोषणा हुई है।

मई १९४८

१. हिन्दुस्तान के सभी मजदूर केन्द्रों से मई दिवस मनाने के समाचार आए हैं।

२. विश्वविद्यालयों में कौनसो भाषा शिक्षा का माध्यम बने इस चिपय पर विचार करने के लिए जो समिति बनी थी, उसने निर्णय किया है कि अभी ५ वर्ष अंग्रेजी ही माध्यम रहे, उसके बाद 'प्रादेशिक भाषाएँ' शिक्षा का माध्यम बने।

३. लार्ड मार्डलैटन की जगह, जो २१ जून को गवर्नर जनरल का पद छोड़ रहे हैं, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नये गवर्नर जनरल का पद संभालेंगे। यह घोषणा विद्यशाली की ओर से की गई है।

केन्द्रीय मजदूर मन्त्री द्वारा दुलाया गया प्रान्तों व रियासतों के मजदूर मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हुआ। एक समिति बनाई गई है जो इस बात का निश्चय करेगी कि मिल मालिक व मजदूरों में किस अनुपात से मुनाफ़ा बांटा जाय।

४. पटियाला व पूर्वी पंजाब की रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने के समझौते पर दस्तखत हो गए।

५. बंगाल में मंत्रिमंडल का पुनर्संगठन हुआ और डाक्टर विधान-चन्द्र राय प्रधान मंत्री बने।

सौराष्ट्र, विध्याप्रदेश, मत्स्य संघ व राजस्थान के राजप्रमुखों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। राजप्रमुखों ने भारत की केन्द्रीय सरकार को अपने लोगों के लिए कानून बनाने के विस्तृत अधिकार देने के समझौते पत्र पर दस्तखत किए।

मेजर जनरल कुलबन्त सिंह ने आमिन हेडक्वार्टर्स, हॉटिंग, का चीफ आफ जनरल स्टाफ का पद संभाला। जम्मू व काश्मीर,

- मेरे फौजों के संचालन का भार मेजर जनरल थिम्बथ्या ने संभाला है।
७. राष्ट्र संघ में काश्मीर-कमीशन के सदस्यों का फैसला हो गया। यह देश सदस्य नियुक्त किये गए हैं : अर्जेन्टाइना, कोलम्बिया वेलिजयम, चेकोस्लोवाकिया और अमेरिका।
१०. आसाम के प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है कि सब प्रान्तीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा।
११. फंगर के इलाके मेरे कवायली हमलावरों को भारी ज्ञाति हुई। श्रीनगर मेरे शेख अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि सुरक्षा समिति कोई भी ऐसा निर्णय, जिसे वह पसन्द नहीं करते, उन पर ठोंस नहीं सकती।
१२. युक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनावों में २१२२ मेरे से कांग्रेस ने १८६६, समाजवादियों ने ६१, स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने ११७ सीटें जीत ली हैं। ७५ सीटों के परिणाम की घोषणा अभी शेष है।
१३. राजेन्द्र बाबू ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मिस्टर कासिम रज़वी ने घोषणा की कि हैदराबाद मेरठ राज्यी शासन की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती।
२१. खाद्याल नीति समिति (फृड पाकिस्ती कमेटी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वक्त के उत्पादन के अनुसार हिन्दू-स्तान को प्रतिवर्ष १ करोड़ टन ज्यादा अनाज चाहिए।
२२. हिन्दूस्तान की सरकार ने घोषणा की है कि सरकार ३५ करोड़ रुपये का एक नया कर्ज डाला रही है जिसके व्याज का दर २ प्रतिशत होगा और जो १५ नवम्बर, १९६२ को चुकाया जायगा।

२३. दिल्ली के लाल किले में स्पेशल मजिस्ट्रेट आत्माचरण की अदालत में गांधीजी की हत्या का सुकदमा शुरू हुआ। ६ व्यक्तियों पर हत्या व पड़यन्त्र का सुकदमा चलेगा। कुछ पह्यन्त्री फरार भी घोषित किये गए हैं।
२४. पं० नेहरू ने मध्य-भारत-संघ का उद्घाटन किया।
२५. निजाम हैदराबाद ने पं० नेहरू को रियासत में आने का निमन्त्रण दिया था। पं० नेहरू ने इसे स्वीकार नहीं किया। हिन्दुस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि इण्डियन नेशनल डेव्यूनियन कांग्रेस देश के मजदूरों की सर्वप्रमुख प्रतिनिधि संस्था है और यही संस्था १७ जून को हो रही हून्टर-नेशनल लेवर कान्फ्रेंस में हिन्दुस्तानी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेगी।

जून १९४८

१. ऊटाकमंड में एशिया और सुदूर पूर्व के आर्थिक कमीशन के तीसरे सम्मेलन को शुरू करते हुए पंडित नेहरू ने कहा कि एशिया के देशों को विदेशी पूंजी और उद्योगों से सहायता तो मिलनी चाहिए लेकिन एशिया के देश विदेशी आधिपत्य को अब नहीं सह सकते।
भारत सरकार ने वैज्ञानिक सोज का एक नया विभाग शुरू किया है।
२. हिन्द की फौज उरी-दोमेल सड़क पर १४ मील आगे बढ़ी।
३. केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग ने एक समिति बनाई है जो देश में सामोविज्ञान की एक केन्द्रीय संस्था बनाने की योजना प्रस्तुत करेगी।
श्री मोहनलाल सक्सेना शरणार्थियों को फिर से बसाने के विभाग के नए केन्द्रीय मन्त्री बनाए गए हैं।

१. नई दिल्ली की एक विक्रमिति में कहा गया है कि हैदराबाद से हो रही सब यातचीत टृट गई है। हिन्द की फौजों को आज्ञा दी गई है कि हिन्द की सीमाओं में जहा कही रजाकार हमले करे, रियासती सीमा में घुम कर भी उनका पीछा किया जाय। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में शावश्यक चीजों के लेने देने पर समझौते को घोषणा हुई है।
२०. पूर्वी पंजाब की भरकार का पुनर्निर्माण हुआ है। चौं० लहरी-मिह और स० इंश्वरसिंह मर्मेल मन्त्रीपद से अलग कर दिये गए हैं और कृष्ण गोपालदत्त और जानी कर्तारसिंह को नया मंत्री बनाया गया है।
११. पश्चिमा और सुदूर पूर्व की आर्थिक कमीशन के सामने भाषण देते हुए रूप के प्रतिनिधि ने कहा कि चिनेश्वरों से आर्थिक सहायता लेने में राजनीतिक पराधीनता का खतरा बना रहता है। पश्चिमा के देश इससे बच कर चले।
१२. समझौते के मसविडे पर अन्तिम निर्णय करने के लिए निजाम ने १२ बैंटे का समय मांगा है।
१३. निजाम ने भारत द्वारा प्रस्तावित समझौते के मसविडे को रद्द कर दिया है। विधान परिषद् के प्रधान ने भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की छानवीन करने के लिए एक खोज-समिति बनाई है।
१४. नई दिल्ली की एक प्रेस कानफैस में प० नेहरू ने कहा है कि समझौते की जो शर्तें हिन्दुस्तान ने हैदराबाद को पेश की थीं उनमें परिवर्तन करने को हिन्दुस्तान तेंयार नहीं है। हैदराबाद की फौजी नाकावन्दी मज़बूत कर दी जायगी। प० नेहरू ने कहा कि जहरी है कि रियासत की मध्यकालीन परिस्थिति में सुधार किया जाय।

१८. सर बी० रामाराव को अमरीका से हिन्दुस्तान का राजदूत नियत किया गया है।
२१. लार्ड माउण्टवेटन ने जो कि हिन्दुस्तान के अन्तिम विदेशी गवर्नर जनरल थे, आज अपना पद छोड़ दिया। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गवर्नर जनरल का पद संभाला। डाक्टर केलाशनाथ काट्जू परिचमी बड़ाल के गवर्नर बने और उड़ीसा में श्री आसफ़ अली ने गवर्नर का पद संभाला। शत्रुघ्ना पुंछ के ७ महीनों से धिरे हुए प्रदेश से हिन्द की फौज का सम्बन्ध फिर स्थापित हो गया है।
- घोषणा हुई है कि इस वर्ष कांग्रेस की सदस्य संख्या १ करोड़ ४ लाख है। १९४६ में ४५ लाख लोग कांग्रेस के सदस्य थे।
२४. पण्डित नेहरू ने लखनऊ में भाषण देते हुए कहा है कि अब निजाम से कोई बातचीत नहीं की जायगी और वक्त पर फौजी कार्रवाई ही की जायगी। पण्डित नेहरू ने लखनऊ में भाषण देते हुए समाजवादियों की नकारात्मक नीति और तरीकों की आलोचना की। आपने कहा कि समाजवादी अपनी शक्तियाँ रचनात्मक कार्यों की ओर जगाएं।
२५. हिन्दुस्तान की फौजें टीटवाल और चकोठी के आस-पास बढ़ रही हैं। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। हिन्दुस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है। नवम्बर ४७ से अब तक थोक दामों में २२ प्रतिशत वृद्धि हो चुकी है।
२६. देहरादून से एक वक्तव्य में गृहमन्त्री सरदार पटेल ने कहा है कि इस वक्त कांग्रेस को कमज़ोर करने का भतलाब देश को तबाह करना है। समाजवादी कोई रचनात्मक टीका-टिप्पणी नहीं करते।

रिज़वी बैंक ने हैदराबाद में हिन्दुस्तानी मुद्रा के विनियम पर रोक लगा दी है।

गुरेज़ और बाग पर हिन्दुस्तानी फौजों का कब्जा हो गया है।

३०. मालूम हुआ है कि फौजी सामान से भरे ६ हवाई जहाज़ वाहर से हैदराबाद पहुँचे हैं।

लगभग सारी गुरेज़ की घाटी को दुश्मन से खाली करा लिया गया है।

युक्त-प्रान्त की धारा-सभा में सभाजवादियों के स्तीके से जो १३ सीटें खाली हो गई थीं उनके लिए फिर से जो चुनाव हुए, प्राप्त: सभी सीटों में कांग्रेसी उम्मीदवार जीत गए हैं। हारे हुए नेताओं में आचार्य नरेन्द्रदेव भी है।

बुलाई १६४८

१. निजाम हैदराबाद द्वारा युद्ध की तथ्यातियों से वाधा ढालने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान की सरकार ने एक आडिनेन्स द्वारा उन सिक्यूरिटियों की विक्री व लेन-देन पर रोक लगा दी है जो हैदराबाद व निजाम के नाम पर है। डेकन एयरवेज़ कम्पनी का, जिसके हवाई जहाज़ मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली की राह पर उड़ान करते हैं, लाइसेन्स जारी कर लिया गया है।
२. हिन्दुस्तान ने हिन्द की मुद्रा का हैदराबाद में जाना रोक दिया है। असाम में शिलाग और गोहाटी दोनों स्थानों पर रेडियो स्टेशन खुल गए हैं।
३. भारत के अर्थ मन्त्री हैंगलैड में स्टिंग्र पावना के विषय में जो समझौता कर रहे हैं उसका मसविदा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया है।
४. विरेडियर मुहम्मद उस्मान काशमीर की ज़दाई में शहीद हुए। युक्त-प्रान्त की प्रांतीय कांग्रेस के प्रधान के पद के लिए चार

पुरुषोत्तमदास टण्डन चुने गए। विरोधी रकी अहमद किंवद्दं ने नाम बापिस ले लिया।

५. ब्रिगेडियर उस्मान की लाश को पूरी फौजी इज्जत के साथ जमुना के किनारे, डाक्टर अस्सारी की कब्र के साथ दफनाया गया।

बम्बई में साम्प्रदायिक दङ्गा होने की खबर आई है।

पाकिस्तान के अर्थमन्त्री ने इंग्लैंड में बयान देते हुए लार्ड माउंटबेटन पर यह अभियोग लगाया कि अगस्त १९४७ में सिखों की नर-संहार करने की तैयारियों व योजनाओं का उन्हें पता था। मुसलमानों के प्रतिनिधियों के कहने के बाद जूद भी उन्होंने सिखों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया।

६. पं० नेहरू ने जम्मू-पठानकोट की नई सड़क का उद्घाटन किया।

८. हिन्दुस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि १३ जुलाई से पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आने वाले व्यक्ति प्रवेश पत्र लेकर हिन्दुस्तान आ सकेंगे।

९. काश्मीर कमीशन कराची पहुँच गया।

१०. व्यापारिक सामान से लदा पहला हिन्दुस्तानी समुद्री जहाज “हैंडियन ट्रैडर”—कलकत्ता से इंग्लैंड गया।

११. कामन वेल्थ रिलेशन्स आफिस ने पाकिस्तान के अर्थमन्त्री के बयान का जवाब देते हुए कहा है कि लार्ड माउंटबेटन ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर की सलाह पर ही सिखों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था।

१२. हिन्दुस्तान के अर्थ मन्त्री ने स्टर्लिंग पावनाके प्रश्न पर इंग्लैंड से समझौते पर दस्तखत कर दिए।

१३. राष्ट्र-संघ का काश्मीर कमीशन दिल्ली पहुँच गया।

१४. बम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर एम० सी० छागला ने पूनाम इंडियन ला सोसाइटीके सामने भाषण देते हुए कहा कि

शासकों को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र की रक्षा के नाम पर प्रजा के अधिकारों पर कुठाराघात न हो ।

१५. सरदार पटेल ने पटियाला और पूर्वी पंजाब की रियासतों के संघ का उद्घाटन किया ।-

स्टर्लिंग पावने की शर्तें घोषित कर दी गई हैं ।

काश्मीर कमीशन ने अपील की है कि दोनों देश काश्मीर में लड़ाई रुकवाने में सहायक हों ।

विद्युष परिसर में सर क्रिप्स ने मिस्टर चर्चिल को बताया कि स्टर्लिंग पावने पर हिन्दुस्तान से जो समझौता किया गया है वह इस विषय के अन्तिम और स्थायी समझौते में वाधा नहीं बन सकेगा ।

१६. नागपुर में नया रेडियो स्टेशन खुला ।

मिं० ढवल्यू हेम्डर्सन को हिन्दुस्तान में अमरीका का नया राज-दूत मनोनीत किया गया है ।

१७. सब प्रान्तीय प्रधान मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस गृहमन्त्री पटेल के समाप्तित्व में दिल्ली में हुई । देश में आन्तरिक शान्ति बनाए रखने के साधनों पर विचार किया गया ।

८. रियासतों में शासन यन्त्र का नया ढांचा तैयार करने की योजना बनाने के लिए नई दिल्ली में हो रहा राजप्रमुखों व रियासती प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन समाप्त हो गया ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान समिति के सामने भापण करते हुए प० नेहरू ने कहा कि शीघ्र ही हिन्दुस्तान में अणु शक्ति सम्बन्धी कमीशन बनाई जायगी ।

९. सिडनी काटन ने हिन्दुस्तान के हवाई उड़ान के नियमों का उल्लंघन करते हुए कराची से हैदराबाद तक सीधी उड़ान की ।

२१. सिडनी काटन की उड़ान के विरुद्ध हिन्दुस्तान ने इंगलैंड, कैनेडा और आस्ट्रेलिया को विरोध-पत्र भेजे हैं। प्रान्तीय व रियासती मन्त्रियों की जो कान्फ्रेंस सूती कपड़े की कीमतों व वितरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने के लिए हो रही थी वह खल्म हो गई। निशंर्य किया गया है कि हिन्दुस्तान में बनने वाले कपड़े का कुछ अंश सरकार द्वारा स्वीकृत हुकानों द्वारा विका करेगा।
२२. कांग्रेस के प्रधान मंत्री श्री शंकर राव देव ने कहा है कि दीख पड़ता है कि हैदराबाद का प्रश्न सुलझाने के लिए हिन्दुस्तान को युद्ध का सहारा ही लेना पड़ेगा।
२३. हैदराबाद सरकार के व्यापार मन्त्री श्री जे० वी० जोशी ने रियासत में फैली अराजकता के विरुद्ध नाराजगी प्रकट करने के लिए स्तीका दे दिया है।
२४. प्रधान मंत्री नेहरू ने मजदूरों की एक भारी सभा में हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्टों की कड़े शब्दों में निन्दा की और कहा कि एक आर्थिक सिद्धान्त के नाम पर वह कई प्रकार की आन्त कार्रवाइयां करते रहते हैं। मैं मूल सिद्धान्त पर तो उनसे सहमत हूँ, लेकिन उस सिद्धान्त तक पहुँचने के उनके तरीके देश को नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। यदि वह शासन के विरुद्ध युद्ध ही छेड़ना चाहते हैं तो शासन भी उनसे लड़ाई करने को तैयार है।
२५. हैदराबाद के नज़ारे में हिन्दुस्तानी फौज के एक काफ़ले पर रजाकारों ने हमला किया। हिन्दुस्तानी फौज ने इस गांव पर अधिकार कर लिया है। अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ के प्रधान श्री देवदास गांधी ने एक व्यवतर्य में कहा है कि क्योंकि अब देश में संकटकालीन परिस्थिति नहीं रही, सब एमजेन्सी कानून वापिस ले लिए जाने चाहिए।

रिजर्व बैंक की १९४७-४८ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई ।

०. उद्योग व रसद मन्त्री शयाम प्रसाद मुकर्जीने एक प्रेस कांफ्रेंसमें बताया कि सरकार सूती कपड़ेका आंशिक नियन्त्रण किरसे आरम्भ कर रही है । सब मिलों का कपड़ा रोक लिया गया है । अक्तूबर से नए दामों वाला कपड़ा विकेगा । कपड़े का कुछ अंश सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों से विका करेगा, शेष व्यापार के माधारण साधनों से ।

विशिष्ट हाऊस आफ कामन्स में हिन्दुस्तान व हैदराबाद के सम्बन्धों पर विचार करने के लिए वहस हुई । एटली ने चर्चिल को उनकी हिन्दू विरोधी धारणाओं के लिए भला-बुरा कहा । एटली ने कहा कि विटेन न तो हैदराबाद के पक्ष से हस्तक्षेप कर सकता है, न उसका मामला राष्ट्र संघ में पहुँचाने में सहायक होगा ।

१. काश्मीर कमीशन के सदस्यों ने श्रीनगर से हिन्दुस्तानी फौजी अफसरों से युद्ध के विषय में बातचीत की ।

प्रान्ती और रियासतों के यातायात के मन्त्रियों का सम्मेलन नहीं दिल्ली में केन्द्रीय यातायात के मन्त्री के मातहत हुआ और प्रान्त में यातायात के साधनों के राष्ट्रीयकरण पर विचार हुआ । सिविल पुंड मिलिट्री गजट लाहौर से छपी एक खबर के अनुसार पाकिस्तान ने काश्मीर कमीशन के सामने मान लिया है कि सरकी फौजे काश्मीर के भोर्चे पर लड़ रही हैं ।

ग्राहक १९४८

केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग के मातहत रिहायशी मकान बनाने का एक नया विभाग खोला जा रहा है ।

केन्द्रीय शिक्षा विभाग के मातहत भारतीय-संस्कृति-संरक्षण विभाग खोला जा रहा है । इसकी तीन शाखाएं होंगी जो (१)

कला, (२) संगीत व साहित्य और (३) नृत्य व नाट्य के परिनीति शीलन का आयोजन करेंगी।

हिन्दुस्तानी फौजोंने हैदराबाद की सीमाओंमें स्थित पेलसांगी स्थान पर हमला करके वहाँ से रजाकारों को निकाल दिया।

उडीसा प्रांत में २१०० बरस पुराने शिशुपालगढ़ के किले की खुदाई हो रही है।

मिस्टर मिर्जा इस्माइल ने एक व्यक्तिगत में कहा है कि हैदराबाद रियासत व हिन्दुस्तान में समझौते के उद्देश्य से, निजाम की आज्ञा से वह दिल्ली आए थे। रजाकारों के दुष्प्रयत्नों से उनके समझौते के प्रयत्न विफल होगए हैं।

६. दिल्ली में भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री नेहरू ने कहा कि यह मान जाने के बाद कि उसकी फौजें काश्मीर के मोर्चे पर लड़ रही हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय संघ के सामने मामला व्यर्थ हो गया है।

केन्द्रीय धारा सभा का दिल्ली में अधिवेशन शुरू हुआ।

१०. यह मंत्री पटेल ने केन्द्रीय धारा सभा में हैदराबाद सम्बन्धी 'बहाइट पेपर' रखते हुए कहा कि हैदराबाद की समस्या का हब रियासत के हिन्दुस्तान में मिलने और उसमें उत्तरदायी शासन शुरू करने से ही होगा। निजाम को समझौते के लिए अब किसी तरह की भी पक्षपात्रता नहीं जाएगी।

केन्द्रीय धारा सभा में बिजली सम्बन्धी बिल पेश हुआ, जो इस उद्योग का काफी हद तक राष्ट्रीयकरण कर देगा।

समाजवादियों द्वारा बम्बई में छुलाई गई मजदूरों की हड्डियाँ विफ़्ल होगईं।

हैदराबाद मंत्रिमंडल से लिंगायत जाति के प्रतिनिधि श्री मरिल्ड काजुनेप्पा ने रियासत की अराजकता से विरोध प्रकट करते हुए स्तीका दे दिया।

सांवदेशिक प्रतियोगिता (ओलिम्पिक मैच) में हिन्दुस्तान की हाकी टीम की विजय हुई।

केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय भरकारों को लिखा है कि वे किसी साम्प्रदायिक संस्था के प्रतिनिधियों का किसी रूप से सहयोग न कें।

अर्थ मंत्री चेट्टी ने धारा सभा में घोषणा की कि स्टर्किंग पावने की रकम को घटाया नहीं जायगा।

१५. देश में स्वतन्त्रता का प्रथम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया।

हिन्दुस्तान और स्ट्रजरलैण्ड में दोस्ती की सन्धि पर दस्तखत हुए।

१६. अर्थ मंत्री चेट्टी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से स्तीफा दे दिया है।

अर्थ-मंत्री के पद से स्तीफा देने के कारणों का श्री षण्मुखम चेट्टी ने विधान परिषद में व्यापार किया। मिठोनियोगी को स्थानापन्न अर्थमंत्री बनाया गया है।

२१. पूर्वी पंजाब रियासती संघ में अस्थायी मंत्र-मण्डल बना लिया गया है। शासनके प्रधान मंत्री, सलाहकार व सुख्य सेक्टरी क्रमशः स० ग्यानसिंह राणवाला, सर जियालाल व श्री बी० आर० पटेल होंगे।

२२. हैदराबाद मे इमरोज अखबार के सम्पादक मिठो शोप्बुल्ला खां की उनके हिन्दुस्तान के पक्ष के विचारों के कारण रजाकारों ने हत्या कर दी।

जोक सेवक संघ के उद्देश्यों की व्याख्या की गई है—देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जोकतन्त्र की स्थापना करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता मिले। इस समाज का संगठन अर्थ व्यवस्था के अकेन्द्रीयकरण के आधार पर रहेगा।

देश में तार घरों की दशा को सुविकसित और अर्वाचीन करने की योजनाएं बनाने के लिए देशभर के तारघरों के डायरेक्टर्स का सम्मेलन श्री रफी अहमद किल्लर्स के सभापतित्व में नई दिल्ली में हो रहा है। फैसला किया गया है कि देश के सब बड़े-बड़े नगरों को बायरलेस से सम्बंधित किया जाय, ५००० की आवादी के हर स्थान में एक तारघर हो, ३०,००० की आवादी के हर स्थान में टेलीफोन प्रक्सेन्ज की स्थापना की जाय।

२५. बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ ने रियासत में तुरन्त ही उत्तर-दायी शोलन आरम्भ करना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी मान लिया है कि रियासत के कोष से लो रुपया उन्होंने लिया है वह वापिस कर दिया जायगा।

अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन ने इस बात की निन्दा की कि हिन्दू कोड विल पर विचार स्थगित कर दिया गया है।

निजाम के लिखे पत्र का उत्तर विटिश सन्नाट ने हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल द्वारा भेजा है।

१७ सदस्यों की जो विशिष्ट समिति (सिलेक्ट कमेटी) हिन्दू कोड विल पर विचार कर रही थी, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। कोड विल में निम्न विषयों पर कानून में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा गया है—विवाह और तलाक, पति पत्नि में कानूनी अलहदगी, दृतक पुत्र, संरक्षता, संरक्षण की सम्पत्ति, स्त्री धन, उत्तराधिकार, नर और नारी की समता, बच्चों और बृद्धों की देख-रेख।

निजाम हैदराबाद ने राष्ट्रसंघ के प्रधान को हिन्दुस्तान की नीति के विरुद्ध चिठ्ठी लिखी है। हिन्दुस्तान के ग्रतिनिधि डाक्टर पी०पी० पिल्लर्स ने न्यूयार्क में बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद को किसी प्रकारके भी विदेशी सम्बन्ध रखनेका अधिकार नहीं है।

२६. हिन्दुस्तान के हवाई बेडे के जहाजों ने स्थगित पर भारी वमबारी की ।

धोषणा हुई है कि विदेशों में यात्रा करने वाले हिन्दुस्तानियों के पासपोर्ट में 'विटिश प्रजा' के स्थान पर अब 'हिन्दुस्तानी' लिखा जाया करेगा ।

२८. हिन्दुस्तान में सुदृशिक्य जनित कठिनाइयों की रोक-थाम के किए भारत-सरकार ने देश के मान्य अर्थशास्त्रियों और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों के विचार सुने ।

२९. देश के प्रमुख उद्योग पतियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में सुदृशिक्य पर विचार कर रहा है ।

नागपुर में भाषण करते हुए गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने मध्य प्रांत की जनपद-सभाओं द्वारा प्रान्तीय शासन यंत्र बलाने की योजना को 'जनतंत्र का एक महान् परीक्षण' कह कर पुकारा ।

३०. युक्त-प्रांत के गंगा व रामगंगा में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर जल पहुंचाने के समाचार आ रहे हैं ।

३१. केन्द्रीय धारा-सभा में सरदार पटेल ने कहा कि हैदराबाद ने राष्ट्र-संघ में अपना मामला पेश करने की इच्छा प्रकट की है । पेसा करना यथापूर्व समझौते का उल्लंघन है ।

केन्द्रीय धारा-सभा में हिन्दू कोड विल पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

सितम्बर १९४८

१. केन्द्रीय धारा-सभा ने रक्षा-मन्त्री स० बलदेवसिंह का देश में एक उपसेना (टेरिटोरियल आर्मी) के सगड़न से सम्बन्धित विल पास कर दिया । इस सेना की संख्या आरम्भ में १,३०,००० होगी ।

२. देश में सुदृढाधिक्य की आवस्था पर देश के विभिन्न हितों द्वारा सुझाये गए प्रस्ताव भारत-सरकार ने प्रकाशित कर दिए ।
३. रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण का बिल केन्द्रीय धारा-सभा में पास हो गया ।
बड़ौदा के महाराज ने प्रजा को पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन का भार सौंप दिया है ।
४. नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई ।
५. काश्मीर कमीशन द्वारा काश्मीर के मोर्चों पर युद्ध रोकने का सुझाव विफल हो गया है ।
६. भारत-सरकार ने काठियावाड़ और कच्छ के बीच कांडला स्थान पर बड़ा बन्दरगाह बनाने के निश्चय की घोषणा की है ।
केन्द्रीय धारा-सभा में परिषद नेहरू ने बताया कि भारत-सरकार ने निजाम हैदराबाद को अन्तिम बार लिखा है कि वह रजाकार संस्था को तोड़ दें, और रियासत में शान्ति व सुरक्षा के लिए हिन्दुस्तानी फौज को सिकन्दराबाद की छावनी में 'लौटने' दें ।
७. नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में पं० नेहरू ने बताया कि हिन्द सरकार सिकन्दराबाद में हिन्दुस्तानी फौजें ठहराने का पक्का द्वारा कर चुकी है । निजाम से सम्बन्धित सुविधाएँ न मिलने पर हमारी फौजें कूच कर देंगी । उन्होंने देश की जनता को शान्ति बनाए रखने की अपील की ।
८. पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मिं० जिन्ना का हृदय की गति रुक जाने से कराची में देहांत हो गया ।
सिकन्दराबाद में फौजें भेजने की हिन्दुस्तान की मांग को निजाम हैदराबाद ने अस्वीकार कर दिया है ।
९. हिन्दुस्तान की फौजों ने हैदराबाद में पांच ओर से प्रवेश किया । हिन्दुस्तानी फौजों का संचालन लेफिटेनेट जनरल

महाराज श्री राजेन्द्रसिंहजी के हाथों में है। रियासत में हिन्दु-स्तान के राजदूत श्री कें० एम० मुंशी को नज़रबन्द कर दिया गया है।

१४. हैदराबाद के कितने ही प्रमुख नगरों पर हिन्दुस्तानी फौजों का क़ब्ज़ा हो गया है।
१५. औरंगाबाद पर हिन्दुस्तान की फौजों का अधिकार हो गया है। प० नेहरू ने चम्बई में हिन्दुस्तान की समुद्री सेना के नए जंगी ज़हाज 'दिल्ली' का स्वागत किया। राष्ट्र संघ में हिन्दुस्तान के विरुद्ध हैदराबाद की शिकायत पेश हुई। सुरक्षा-समिति ने उ बोटों से इसे 'पुजेण्डा' पर अक्षित करना स्वीकार किया।
१६. निजाम हैदराबाद ने हथियार ढाल दिये। रेडियो पर भाषण देते हुए निजाम ने कहा कि राष्ट्र-संघ में पेश की गई शिकायत वापिस ले ली जायगी। हैदराबाद में जनरल चौधरी के मातहत फौजी हुक्मत की स्थापना कर दी गई है। लायकअली मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को नज़रबन्द कर दिया गया है। लोगों को सब हथियार लौटाने की आज्ञा दी गई है। रेडियो पर भाषण देते हुए प०-नेहरू ने कहा कि रियासत के भविष्य का फैसला वहाँ की जनता द्वारा किया जायगा। राजाकारों के नेता कासिम रज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
२०. हिन्दुस्तान में ख़बरों के वितरण व सङ्कलन के लिए एक हिन्दुस्तानी कस्पनी आयोजित की गई है जिससे 'रायटर्स' का एकाधिकार खत्म हो जायगा।
२२. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में डाक्टर मर्थाई ने अर्थमन्त्री का पद संभाला, श्री गोपालास्वामी आर्यंगर रेलवे मन्त्री बने हैं।

मिस्टर बी० एम० बाखले को हैदराबाद रियासत का प्रमुख नागरिक शासक बनाया गया है।

२४. नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस के सामने भारत-सरकार की खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीति पर प्रकाश डालते हुए श्री जयरामदास दौलतराम ने बताया कि अनाजों की कीमतें कम की जायेंगी व धीरे-धीरे खाद्यान्नों के वितरण पर नियन्त्रण लागू किया जायगा।
२५. राष्ट्र-संघ के पैरिस अधिवेशन में भाषण करते हुए श्रीमती विजयलक्ष्मी पश्चिम ने हुनिया की बड़ी-बड़ी तज्ज्ञताओं द्वारा गुटबन्दी की निन्दा की।
हैदराबाद में पुलिस-कार्रवाही के दिनों देश में शांति रही, देश में इसके लिए धन्यवाद-दिवस मनाया गया।
२७. हैदराबाद की कम्यूनिस्ट पार्टी अचैथ घोषित कर दी गई है।
२८. श्री के० सन्तानम को रेलवे मन्त्री की सहायता करने के लिए मिनिस्टर आफ स्टेट बनाया गया है। यातायात मन्त्री की सहायता के लिए श्री खुर्शीदलाल डिप्टी-मिनिस्टर बने हैं।

कलूबर १६४८

१. भारत सरकार ने १९५५ में सुगताए जाने वाला २२ ग्रॅम ग्रतिशत छ्याज का २० करोड़ रुपए का नथा कर्ज उठाया।
हिन्दुस्तान भर में 'फ्लैग डे' मनाया गया, सब जगह छोटे-छोटे झरणे बैच कर फौजियों के लिए कोष जमा किया गया।
२. कुल देश में महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया।
रामलीला मैदान दिल्ली में भाषण करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान को यह भय कि हिन्दुस्तान उस पर आक्रमण करेगा त्याग देना चाहिए।
३. सरदार पटेल ने बताया है कि हिन्दुस्तान की फौजी शक्ति में

- वृद्धि करने का फैसला हो चुका है। मंत्रिमण्डल में किसी तरह के मतभेद की खबरों को उन्होंने गलत कहा।
४. भारत सरकार ने देशमें सुदृढ़ाधिक्य से पैदा विप्रमताओं का सुकावला करने की अपनी योजना प्रकाशित की। केंद्रीय ए प्रांतीय सरकारों द्वारा होने वाले व्यय में कमी की जायगी। आमदनी बढ़ाई जायगी, उत्पादन वृद्धि को प्रेरणा मिलेगी, लोगों में रुपया-पैसा जोड़ने के लिए प्रचार किया जायगा।
५. पश्चिम नेहरू ने लगड़न के लिए प्रस्थान किया।
६. विटिश कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के लिए प० नेहरू लगड़न पहुँचे और मिस्टर एटली से मुलाकात की।
११. लगड़न में कामनवेल्थ के प्रधान मंत्रियोंका सम्मेलन शुरू हुआ। लगड़न के अखबार 'टाइम्स' ने एक सम्पादकीय लेखमें लिखा है कि इंगलैण्ड हिन्दुस्तान से दोस्ती बनाए रखना चाहता है। यदि हिन्दुस्तान यह सम्बन्ध विटिश-ताज के माध्यम से न रखना चाहे तो कोई दूसरा रास्ता खोज लेना चाहिए।
१३. जम्मू और काश्मीर की नैशनल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास कर के काश्मीर को हिन्दुस्तान में सम्मिलित होने के निश्चय को स्थायी और अन्तिम बताया है। सरदार पटेल ने घोषणा की है कि हिन्दुस्तान काश्मीर से एक कदम पीछे नहीं हटेगा।
१६. पश्चिम नेहरू ने पैरिस में फ्रान्स के नेताओं से भेंट की। वम्बई में मिस्टर हार्निमैन की मृत्यु हो गई।
१७. प० नेहरू ने रूस के राष्ट्रसंघ में प्रतिनिधि मिस्टर विशिन्स्की से मुलाकात की।
१८. पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस के प्रान्तीय प्रधान डाक्टर सुरेशचन्द्र बैनर्जी ने कहा है कि पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के लिए स्थिति

- विगद्धती जा रही है, पाकिस्तान की सरकार हिन्दुओं की रक्षा करने में असफल हुई है।
२१. ६७२ हिन्दू और सिंधुय के दियों का पद्मला जथा पाकिस्तान से हिन्दुस्तान पहुंचा।
२२. लश्कन में हो रहा प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन समाप्त हो गया।
माही (जहाँ फ्रांस का राज्य है) में चुनावों के पहले दंगे हुए। जनता ने माही में शासन पर अधिकार कर लिया है। पश्चिमी बंगाल के रसद-मन्त्री श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन ने वताया है। क कलकत्ता की आवादी ४२ लाख हो गई है; इस तरह कलकत्ता आवादी के लिहाज से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर बन गया है।
२४. परिणामी में हो रहे चुनावों के बारे में अपना मन्त्रिय प्रकट करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति के प्रतिनिधियों ने कहा है कि चुनावों से नियुक्ता व सच्चाई नहीं वरती गई।
२५. कांग्रेस के प्रधान पद के चुनाव में श्री पष्टाभी सीतारामद्या को विरोधी श्री पुरुषोत्तमदास टश्कन के सुकावले में ११४ अधिक वोट प्राप्त हुए।
पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री लियाकत अली ने घोषणा की है कि काश्मीर के बारे में लश्कन में १० नेहरू से दो बार जो बातचीत हुई थी वह असफल रही।
२७. कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेन्ज में आग लग जाने से एक करोड़ से अधिक की हानि हुई।
२८. माही पर क्रांसीसी अधिकारियों का फिर से कठजा हो गया।
माही की प्रजा आतंक से पड़ौसी हिन्दुस्तान के प्रदेशों को भाग रही है।
३०. सरदार पटल का जन्म दिवस मनाया गया।

नई दिल्ली में केन्द्र व प्रान्तों के अर्थ मन्त्रियों का सम्मेजन शुरू हुआ ।

नवम्बर १९४८

२. सरदार पटेल ने वर्षाई से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हुए एक सन्देश में कहा कि यह समय देश में संकटकालीन समय है । सबसे बड़ी झरूरत मिल मालिकों व मजदूरों में दोस्ती बनाए रखने की है ताकि उत्पादन बढ़ सके और कीमतें गिरें । डा० ज्ञानकिर हुसैन ने श्रीनगर में जम्मू और काश्मीर की नई यूनिवरिटी का उद्घाटन किया ।
३. प० नेहरू ने राष्ट्रसंघ की एक विशेष बैठक में भाषण दिया ।
४. विधान परिषद के सम्मेजन में डाक्टर अम्बेदकर ने विचार के लिए विधान का मसाचिका प्रस्तुत किया । भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्निर्माण की मांग की नागपुर में भाषण करते हुए सरदार पटेल ने भर्त्सना की ।
५. प० नेहरू विदेश यात्रा समाप्त करके वापिस हिन्दुस्तान पहुँच गए । गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने गवर्नर्सेट हाउस में हिन्दुस्तान की प्राचीनतम कलाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया ।
६. सारत सरकार के वकर्स, माइन्स और पावर के मंत्री गैडगिल ने महानदी पर रेलके पुल की नींव रख कर हीराकुण्ड बांध की योजना का सूत्रपाद किया ।
७. नाथूराम यिनाश्रक गोडसे ने अदालत में यह मान लिया कि उसने ३० जनवरी को महात्मा गांधी पर पिस्तौल से बार किया था । गोडसे ने ६३ पृष्ठ का वयान दिया ।
८. हिन्दुस्तानी फौजों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया ।
९. ५० सिक्खों का एक जत्था ननकाना साधिव गुरुद्वारे में (जो कि पाकिस्तानमें है) गुरु नानक का जन्म दिवस मनानेके लिए गया ।

२०. हिन्दुस्तान में बना हुआ दूसरा समुद्री जहाज “जलप्रभा” सरदार पटेल द्वारा जलमग्न किया गया ।
२१. पाकिस्तान ने राष्ट्रसंघ से मांग की है कि वह काश्मीर के मामले का हज्ज जल्दी ही छंड ले अन्यथा पाकिस्तान को इस युद्ध में हवाई बेडे सहित अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा ।
२२. वर्षाई में भयंकर तूफान आया है जिससे करोड़ों रुपए की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा ।
हिन्दुस्तान की फौजों ने पुंछ की फौजी टुकड़ी से भूमि द्वारा १ वर्ष बाद फिर से सम्बन्ध जोड़ लिया है ।
केंद्रीय सरकार के उद्योग मंत्री श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने हिन्दू महासभा की कार्यकारिणी से स्तीका दे दिया है ।
विधान परिषद ने विधान में भावी सरकार के मूल-नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में एक धारा यह भी जोड़ दी है कि देश में पंचायत ही स्वराज्य की इकाई हो ।
२४. हिन्दुस्तानी फौजों ने करगिल पर कब्जा कर लिया ।
२५. हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रसंघ की हैदराबाद के बारे में होने वाली बहस में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया ।
मद्रास लेजिस्लेटिव कौसिल ने जमीदारी खत्म करने के विळ को पास कर दिया है ।
२७. विधान परिषद की कांग्रेस पार्टी ने प०० नेहरू के इस सुझाव का समर्थन किया कि भारत जनतंत्र बन कर भी विदिश कामनवेल्थ का सदस्य बना रहे ।

